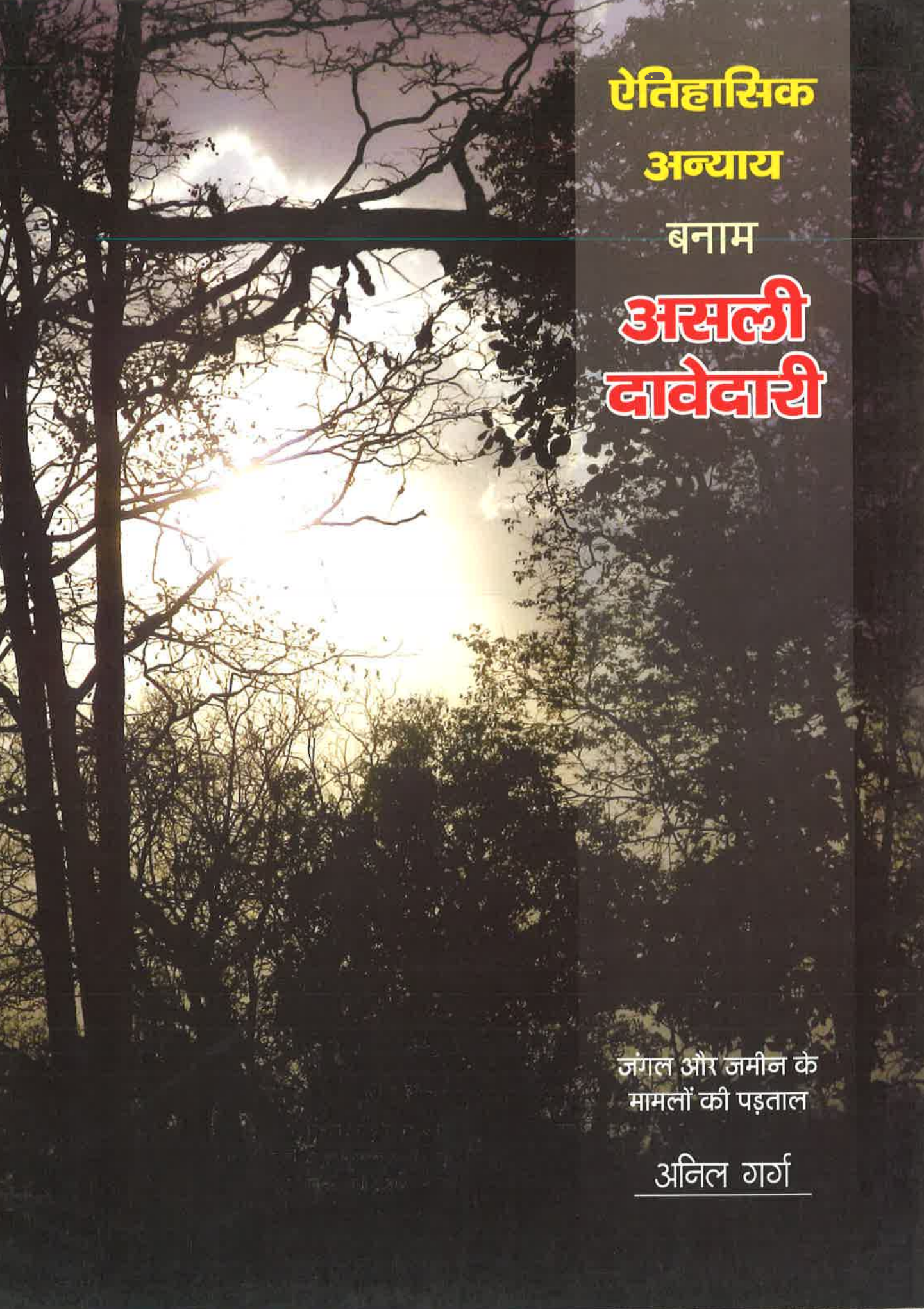

ऐतिहासिक अन्याय

बनाम

असली दावेदारी

जंगल और जमीन के
मामलों की पड़ताल

अनिल गर्ग

किताब का नाम	–	**ऐतिहासिक अन्याय बनाम असली दावेदारी**
लेखक	–	अनिल गर्ग
पता	–	कोठी बाजार, बैतूल
सम्पर्क नम्बर	–	09425636979
ई-मेल	–	garganil1956@gmail.com
प्रकाशक	–	बुनियाद (बैतूल) और श्रुति (नई दिल्ली)
समन्वय	–	राकेश कुमार मालवीय
टंकक	–	उमाशंकर पवार
वर्ष	–	2016
प्रतियां	–	1000
मूल्य	–	₹ 250
डिजाइन	–	अमित सक्सेना
मुद्रक	–	श्री श्रद्धा ऑफसेट प्रिंटर्स एस.बी.-2, लोअर ग्राउण्ड, विजय स्तम्भ, एम.पी. नगर, जोन-1, भोपाल

ऐतिहासिक अन्याय बनाम असली दावेदारी

लेखक
अनिल गर्ग

प्रकाशक
बुनियाद (बैतूल) और **श्रुति** (नई दिल्ली)

दो शब्द...

भूमि का सवाल 20वी और 21वीं सदी का केंद्रीय सवाल रहा है। इस मुद्दे को दुनिया भर में विषमता और अन्याय की व्यवस्था को बदल सकने की संभावनाओं के रूप में देखा जाता रहा है। भूमि को हमेशा से सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन के बतौर देखा जाता है जिस पर समाज का सबसे वंचित और उपेक्षित तबका अपनी आजीविका के लिए निर्भर है। हालांकि ऐतिहासिक रूप से सामंतवादी और औपनिवेशिक संरचनाएं इस महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन को चंद लोगों के हाथों में संचित करने और उन्हीं का एकाधिकार स्थापित करने का काम करती आ रही हैं। हालांकि आज़ादी के बाद से सरकार ने भूमि सुधार की दिशा में प्रतिबद्धता दिखाई लेकिन यह प्रयास भी केवल भाषणबाजी तक सीमित रह गया और ज़मीन पर वास्तविक स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ और ग़रीबों को भूमि पर अधिकार हासिल नहीं हुए।

बीते बीस वर्षों के भूमंडलीकरण के युग में, भूमि का सवाल न केवल पहले की अपेक्षा ज्यादा पेचीदा हुआ है बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में यह सबसे रणनीतिक सवाल बनकर उभरा है। विशेष आर्थिक क्षेत्र, कॉर्पोरेट खेती, खनन उद्योगों, आदि के नाम पर लोगों को विस्थापित किया जा रहा है।

वन भूमि का सवाल राजस्व भूमि से भी ज्यादा पेचीदा है। महत्वाकांक्षी वन अधिकार कानून के बावजूद, परम्परागत रूप से जंगलों में रहते आये और रह रहे समुदायों व लोगों का अपने मूलभूत अधिकारों के लिए संघर्ष जारी है। सरकार ने जटिल कानूनों का जाल बुन दिया है जो आम लोगों की समझ के बाहर है और वन अधिकार मान्यता कानून में अमल में होने के बावजूद इस कानून के तहत जो वास्तव में वन अधिकारों के लिए पात्रता रखते हैं उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है।

अनिल भाई अपने श्रमसाध्य तथ्य अन्वेषण और ठोस कानूनी तर्कों के माध्यम से हमेशा से इस लड़ाई में भूमिहीन लोगों और समुदायों की ओर से अग्रिम पंक्ति में खड़े दिखाई देते हैं। यह किताब जंगल, ज़मीन और अधिकारों के लिए सामान्य व्यक्ति के संघर्ष में कुछ अतिरिक्त ऊर्जा देने का प्रयास है।

अमिताभ बेहार
भारतीय प्रतिष्ठान (एनएफआई),
इण्डिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली

प्रकाशकीय

ज़मीन का मामला हिन्दुस्तान में और पूरी दुनिया में मानव सभ्यता के सम्पूर्ण इतिहास में सर्वाधिक महत्त्व का रहा है, है और हमेशा रहेगा, जो ज़मीन पर कब्ज़ा रखेगा वही राज करेगा यह इतिहास की उन कुछ सिद्ध अवधारणाओं में से एक है जिसे हर बार सही होते पाया गया है। हिन्दुस्तान में पौराणिक सन्दर्भों या मिथक और कथा के बीच के लिखित उपलब्ध साहित्य हों या वास्तविक इतिहास, ज़मीन और सत्ता के बीच सीधे संबंध देखे जा सकते हैं। महाभारत का युद्ध टल सकता था अगर कौरव, अपने हितदारी भाइयों पांडवों को पांच गाँव की ज़मीन दे देते, लेकिन यह समझौता हो न सका और महाभारत जैसे हिंसक धर्मयुद्ध की कथा संभव हुई। यहाँ मामला केवल पांच गाँव की ज़मीन का नहीं था बल्कि इसमें कब्ज़े और सत्ता का वह सन्दर्भ निहित था जिसमें पांडवों को इतनी भी ज़मीन देने का मतलब कौरवों के सामने चुनौती पैदा होने की स्थिति थी। 'वीर भोग्या वसुंधरा' जब कहा जाता है तो इसका आशय इसी सत्ता से होता है कि अगर आप में ताकत है तभी इस भूमि पर कब्ज़ा लिया जा सकता है।

इसीलिए जब इतिहास के विकास में तमाम रियासतें, साम्राज्य, राजवाड़े, ज़मींदार नहीं रहे और एक लोकतान्त्रिक व्यवस्था का परिचय मानव सभ्यता के विकास के साथ हुआ और राष्ट्र–राज्य जैसी आधुनिक संस्था का उदय हुआ तब भी राज्य की सरहदों के अंतर्गत आने वाले समस्त भू–भाग और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर एकाधिकार व नियंत्रण केवल राज्य का रहा। 'राज्य की प्रभुसत्ता' (एमिनेंट डोमेन) की अवधारणा और एकाधिकारवादी सिद्धांत के बूते आज राज्य समस्त प्राकृतिक निर्मितियों का मालिक है.

इसके स्वरूप बदलते रहे हैं और इतिहास के क्रम में इसमें समय सन्दर्भों के अनुसार कुछ आवश्यक संशोधन भी होते रहे हैं पर ज़मीन की महत्ता और उस पर ज़बरन नियंत्रण की कोशिशें न कम हुईं हैं और न भविष्य में कम होने वाली हैं।

पहले जहां केवल बाहुबल के आधार पर ज़मीन पर प्राकृतिक संपत्ति पर कब्जा करने की कवायदें इतिहास में हुईं फिर उनमें सभ्यता की विकास प्रक्रिया के साथ–साथ आधुनिक परिघटनाओं और व्यवस्थाओं के अनुकूल अभिलेख, सीमांकन, ज़मीन की श्रेणियाँ वगैरह बनायी गयीं जो आज ज़मीन और अन्य प्राकृतिक संपत्तियों के तार्किक बंटवारे के मौलिक और प्राकृतिक सिद्धांत के अनुसार राज्य और समुदायों के बीच तनाव के मुख्य कारण के रूप में हमारे सामने हैं।

प्राकृतिक संपदा पर अंततः किसका अधिकार है और किसका होना चाहिए? यह पूरा मसला इतना पेचीदा, लेकिन जीवंत है कि इसे यूं ही नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। बुनियादी सवाल तो यह भी है कि ज़मीन और जंगल क्यों उनका नहीं होना चाहिए जो सदियों से उस ज़मीन पर रह रहे हैं? और ऐसा तब भी हो सकता है जब इन तमाम संसाधनों का स्वामित्व या प्रभुसत्ता राज्य के अधीन हो। समय–समय पर इन तमाम एकाधिकारवादी नियंत्रणकारी शक्तियों के खिलाफ समुदायों के संघर्षों की गाथाएं इन अन्यायों को आने वाली पीढ़ियों को भूलने नहीं देती हैं। दोनों तरह की कोशिशें आज भी बदस्तूर जारी हैं। इतिहास गवाह है कि जब–जब लोगों को उनके आजीविका के संसाधनों से बलात खदेड़ने की कोशिशें सत्ता तंत्र ने तेज की हैं उनका प्रतिकार समाज ने उतनी ही तीव्रता से किया है। एक जनतांत्रिक व्यवस्था में प्रायः ऐसी कवायदों से बच कर निकलने और अपना मंतव्य पूरा करने के लिए सामंजस्य बनाने की कोशिशें होती हैं। जंगल और ज़मीन के मामले में हिन्दुस्तान में समय–समय पर इसी तरह की समझौते–संघर्ष की कोशिशें सरकारें करती आईं हैं।

बहुत समय नहीं बीता जब भारत की संसद ने जंगल से जुड़े तमाम एकतरफा फरमानों और कानूनों के माध्यम से वनाश्रित समुदायों के ऊपर हुए अन्यायों को स्वीकार किया और इसे दुरुस्त करने के लिए वनाधिकार मान्यता कानून, 2006 में लाया गया। हालांकि यह बहुत हास्यास्पद है कि भारत की संसद ने समुदायों पर हुए अन्यायों को तो मान्यता दी

पर जिन संस्थाओं, विभागों और कानूनों के माध्यम से ये अन्याय संभव हुए उन पर एक टिप्पणी भी नहीं की, बल्कि इन्हें क्लीनचिट देते हुए वन अधिकारों की मान्यता के लिए निर्देशित प्रक्रिया में इन्हीं संस्थाओं को निर्णायक की भूमिका भी दी गयी है। इससे यह तो ज़ाहिर है कि संसद ने प्रायश्चित्त करते हुए भी इन अन्यायों का सही दिशा में और सही मंशा के साथ निवारण करने की कोई ईमानदार कोशिश नहीं की। हाँ, तमाम जनसंगठनों को यह भुलावा अवश्य दिया कि वनाश्रित समुदायों के मौलिक अधिकारों के प्रति न्यायपूर्ण व्यवस्था इस कानून के मार्फ़त की जा रही है।

हालांकि इस कानून में बहुत उदार ढंग से लोगों, समुदायों और ग्राम सभाओं को अधिकार दिए गए हैं और निस्संदेह बिना सरकारी प्रचार प्रसार के भी यह गाँव–गाँव में पहुंचा है। लोगों व समुदायों में इस कानून को लेकर जागरूकता बढ़ी है। कानून के समुचित क्रियान्वयन के लिए लोगों ने अपनी सहभागिता भी दिखाई है। प्रशासन और सरकारों पर दबाव भी बनाए हैं, लेकिन यह अफसोसजनक है कि इस महत्वपूर्ण कानून को सही ढंग से लोगों के पक्ष में अमल में नहीं लाया जा सका। इसका एक प्रमुख कारण यह दिखाई देता है कि 'इस कानून में प्रमाण जुटाने और दावों के साथ प्रस्तुत करने का भार खुद समुदायों पर ही दिया गया है' जो पूरी प्रक्रिया को न्यायसंगत बनाने से रोकता है।

इस दस्तावेज़ के लेखक श्री अनिल गर्ग इस विषय पर तथ्यपरक, कानूनसम्मत और खुद सरकार के अभिलेखों पर आधारित विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं। वह पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ सरकार की ऐतिहासिक भूलों और एकाधिकारवादी जन विरोधी कार्यवाहियों का पर्दाफाश करते हैं और न्याय संगत समाधान भी सुझाते हैं। इसके लिए वह समुदाय और समाज के वंशानुगत अधिकारों और इनके समानांतर वन विभाग, न्यायालय, राजस्व विभाग आदि सभी जिम्मेदार संस्थाओं और विभागों की भूमिका की पड़ताल करते हैं और उन्हें इतिहास के किस एक बिंदु पर जाकर ठीक किया जा सकता है, यह भी सुझाते हैं।

यह दस्तावेज़ देश में आजादी के बाद हुए भूमि सुधारों पर राजनैतिक इच्छा शक्ति और सवर्ण वर्चस्व की भी कलई खोलता है। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के सन्दर्भ में जंगल और ज़मीन के सवालों पर ऐतिहासिक रूप से हुई तमाम कार्यवाहियों का बारीकी से अध्ययन और विश्लेषण इस दस्तावेज़ में किया गया है। अनिल जी उन जटिलताओं को भी समझाने की तार्किक कोशिश करते हैं जो आज हमें राजस्व व वन विभाग के बीच में उलझी ज़मीन के विवादों के रूप में दिखाई देती है।

इस दस्तावेज़ के माध्यम से निश्चित ही वन आश्रित समुदायों, पर्यावरण, और इस अविवेकी विकास के प्रारूप के मुद्दों पर काम कर रहे जन संगठनों, नागरिक समाज की संस्थाओं और आम नागरिकों को इस विषय को गहराई से ऐतिहासिक सन्दर्भों में समझने का अवसर मिलेगा, हमें पूरा भरोसा है।

इस दस्तावेज को सभी की पहुँच में लाने के लिए 'श्रुति' ने एक छोटा सा प्रयास किया है। इस प्रयास में हमें अनिल जी द्वारा इस दस्तावेज के प्रिंटिंग और प्रकाशन की अनुमति के साथ–साथ श्री अमिताभ बेहार व एडव्होकेट विदेह उपाध्याय का भी सहयोग मिला।

इस महत्वपूर्ण और प्रासंगिक दस्तावेज़ का प्रकाशन लेट्स ड्रीम फाउंडेशन (LDF) के आर्थिक सहयोग से संभव हो सका है, हम उनके शुक्रगुज़ार हैं।

सत्यम और श्वेता
'श्रुति'
क्यू–1, हौज़ खास एन्क्लेव,
नई दिल्ली –16

संपादकीय

हम तौ यूं ही चले थै, जानिबै मंजिल मगर,
लौग मिलते गए, कारवां बढ़ता गया।

गोपालदास नीरज की इन पंक्तियों को देश में आजादी के बाद से जंगल और जमीन के मामलों के संदर्भ में देखा जाए तो मंजिल तो दूर की बात है, कारवां बढ़ने की जगह लुट अधिक रहा है। आपको इस बात के तथ्य, प्रमाण जानने–समझने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इस किताब में आपको प्रामाणिकता के साथ इस बात का पता चल जाएगा कि देश में जंगल और जमीन के मामलों में कहां गफलत पैदा हुई, नीतियों में कहां खोट रही, सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को कहां–कहां नहीं माना गया। इसे अनजाने की गलतियां कहें, जानकारियों–तथ्यों का अभाव कहें या फिर अपने संकुचित हितों के लिए जानबूझकर की गई गलतियां ही मान लें, इस किताब के जरिए लेखक ने जो बात, तथ्य और प्रमाण सामने रखे हैं, उनको कैसे झुठलाया जा सकता है?

भारतीय इतिहास में जंगल और जमीन के कुप्रबंधन ने उनका विनाश ही अधिक किया है। चाहे मामला नीतिगत स्तर पर हो या व्यावहारिक स्तर पर जंगलों को बचाया नहीं जा सका है। दूसरी ओर यह उन लोगों से भी दूर हुए जो सदियों से इन जंगलों में रहकर उन्हें उतना ही उपयोग कर रहे थे, जितना कि जरूरत थी। बाजार केन्द्रित व्यवस्था में अधिक से अधिक दोहन कर लेने की सोच के उलट वे उनके संरक्षण के वाहक भी थे, लेकिन हमारी नीतियों ने ऐसे लोगों को बाहर खदेड़ दिया। अधिनियम बनाए गए, वन्य प्राणियों के संरक्षण के नाम पर बाहर कर दिया गया। अब इसका नतीजा हम देख रहे हैं न तो हमें वैसे वन्य प्राणी मिल पाए, न वनों की स्थिति में सुधार हुआ और लोगों को अलग अपनी आजीविका और अपनी जिंदगी से अलग होना पड़ा।

इस किताब की यही खूबी है। यह एक कठिन विषय है। कागजी प्रावधानों, नियम–कायदों और नीतियों को पढ़ना बोझिल काम है। पूरी तरह से स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह बिलकुल भी अन्य साहित्य की तरह रोचक मामला नहीं है, लेकिन एक बार यदि आपने इसे गंभीरता से पढ़ लिया, समझ लिया, और इसके आधार पर अपनी लड़ाई को केवल भावनात्मक नहीं बल्कि तथ्यात्मक दृष्टिकोण से समझ लिया, तो निश्चित ही काम और आसान हो जाएगा। इसके लिए लेखक को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने इन आंकड़ों, तथ्यों, कागजों को जुटाने में कितनी मेहनत से और कितने सालों से काम किया होगा। इतनी मेहनत का और इतने लंबे अनुभव का फायदा यदि आपको कुछ एक पन्ने में एक किताब की शक्ल में मिल रहा है तो इस ज्ञान का उपयोग व्यापक हितों के लिए करना ही चाहिए। इसीलिए जब बात आई कि क्या इसमें तमाम सारे अनुलग्नकों को लगाना चाहिए, तो हमने इसमें किताब के अधिक मोटे हो जाने के बाद भी इसे स्वीकार किया, ताकि इसके उपयोगकर्ता को पूरी–पूरी जानकारी एक जगह उपलब्ध हो जाए।

तो जैसी भी बन पड़ी, यह किताब आपके हाथ में है। इसका संपादन एक कठिन काम था, चुनौती थी, पर उसे पूरा करने की कोशिश की है। आशा है आपको अपने काम में मदद मिलेगी। इसे डिजाइन करने में अमित सक्सेना, प्रकाशित करने के लिए सत्यम और श्वेता, दिशा देने में विदेह उपाध्याय, अमिताभ बेहार, डेविड कदम, गुरजीत कौर, जयन्त वर्मा, सचिन कुमार जैन और इसके प्रबंधन में निकुंज गर्ग के योगदान के लिए आभार।

– राकेश कुमार मालवीय

ऐतिहासिक अन्याय बनाम असली दावेदारी

भारतीय प्रजातंत्र के साथ आजादी के बाद हुई लगातार दुर्घटनाओं के इतिहास को प्रस्तुत किए जाने के लिए **''ऐतिहासिक अन्याय बनाम असली दावेदारी''** से अच्छा शीर्षक हो ही नहीं सकता था। हंगामा खड़ा करना मेरा मसकद नहीं है, किसी को अपमानित करना भी मेरा मकसद नहीं है, बल्कि जिस पीड़ा का मुझे अहसास हो रहा है, उसी पीड़ा का आपको भी अहसास हो यही मेरा मकसद है।

आजादी के बाद भूमि सुधार की असफलता का इतिहास लिखा गया, आजादी के बाद भूमि प्रबन्धन की असफलता का इतिहास लिखा गया, आजादी के बाद भूमि के फर्जी आंकड़ों का इतिहास लिखा गया, आजादी के बाद भूमि से संबंधित समानान्तर कार्यवाहियों का इतिहास लिखा गया, आजादी के बाद दुष्प्रचार, साजिश और षडयंत्रों का इतिहास लिखा गया, आजादी के बाद प्रजातांत्रिक व्यवस्था को चुनौती दिए जाने का इतिहास लिखा गया, आजादी के बाद जनजातीय समुदाय एवं जंगलों पर आश्रित समुदाय के विरूद्ध ऐतिहासिक अन्याय का इतिहास लिखा गया।

आजादी के बाद लिखे गए इस इतिहास में जन आन्दोलनों, सामाजिक आन्दोलनों ने भागीदारी निभाई, जन संगठन, सामाजिक संगठन, स्वयंसेवी संगठन और सिविल सोसायटी ने भी खुलकर भागीदारी निभाई, भूमि, जनजाति समुदाय, जंगलों पर आश्रित समुदाय, संविधान कानून, पर्यावरण जैसे विषयों से जुड़े बुद्धिजीवियों एवं विशेषज्ञों ने भागीदारी निभाई। अपने आप को प्रजातंत्र का स्तम्भ माने जाने वाली पत्रकारिता ने भी भूमिका और भागीदारी निभाई।

आजादी के बाद भूमि सुधार एवं ग्रामों में अन्याय मुक्त सामुदायिक व्यवस्था कायम किए जाने के नाम पर ही मालगुजारी और जमींदारी उन्मूलन के 1950 में कानून बनाए गए, लैण्ड रिफार्म मैनुअल भी बनाए, राजस्व कानून बनाए जाकर जनहित के दावे भी किए गए, सिक्के के इस पहलू के विपरीत सिक्के के दूसरे पहलू में सम्पूर्ण सामुदायिक व्यवस्था को वानिकी प्रबन्धन द्वारा अपने नियंत्रण में लिया जाकर आजादी के पूर्व के बचे कुछ अधिकारों को भी अपराध माना जाकर यह प्रमाणित किया गया कि **''आजाद भारत से तो गुलाम भारत बेहतर था।''**

''आजादी मिली जब थी आधी रात, सबेरा तो हुआ ही नहीं, है न अचरज की बात'' यह हकों से वंचित अन्याय का शिकार समुदाय अब तो यह भी पूछ रहा है कि यदि यही आजादी है तो फिर गुलामी क्या थी, यदि यही सब होना था तो आजादी की जरूरत ही क्या थी? इसी दर्द और पीड़ा ने मुझे प्रेरणा दी तो इसी दर्द और पीड़ा ने मुझे **''ऐतिहासिक अन्याय बनाम असली दावेदार''** शीर्षक का चयन किए जाने का साहस भी दिया।

अन्याय मुक्त अधिकार सम्पन्न सामुदायिक व्यवस्था का विनाश कर वानिकी प्रबन्धन द्वारा आजादी के बाद स्थापित अपराधयुक्त, कायम की गई असफल वानिकी व्यवस्था से उत्पन्न भयावह परिणामों पर आधारित सर्वोच्च अदालत ने सिविल याचिका क्रमांक 202/95 में 12 दिसम्बर 1996 को वन और वन भूमि की व्याख्या एवं परिभाषा कर वानिकी प्रबन्धन को सुधार का अवसर दिया, लेकिन वानिकी प्रबन्धन ने इस अवसर को आजादी के बाद किए गए ऐतिहासिक अन्याय दोहराए जाने का हथियार बना लिया।

न्यायालीन आदेश के बाद दोहराए जा रहे ऐतिहासिक अन्याय पर विचार किए बिना ही आजादी के बाद ऐतिहासिक अन्याय होना स्वीकारते हुए देश की संसद ने **"वन अधिकार कानून 2006"** लागू कर, अन्यायपूर्ण कार्यवाहियों के लिए जिम्मेदार वानिकी और राजस्व प्रबन्धन को समस्त दायित्वों से मुक्त कर यह अधिकार भी सौंप दिया कि "वह अन्याय सहने वाले से ही यह पूछे कि **"बता तेरे पास हमारे अन्याय का प्रमाण क्या है"** इस तरह से आजादी के बाद किए गए ऐतिहासिक अन्याय और न्यायालीन आदेश के बाद दोहराए गए अन्याय दूर किए जाने की बजाय एक नए अन्याय की आधारशिला के रूप में वन अधिकार कानून को स्थापित कर दिया गया।

12 दिसम्बर 1996 के पहले लिखे गए इतिहास से अंजान देश की सर्वोच्च अदालत न्याय करते रही जिसके बाद दो धाराओं में इतिहास लिखा गया एक में आदेश का सहारा लेकर अन्याय दोहराए गए तो दूसरे में न्यायालय पर अविश्वास किया जाकर उपलब्ध इतिहास को न्यायालय से छुपाकर न्यायालय के सामने एक नया इतिहास रखा गया और उसी आधे–अधूरे, गलत इतिहास के आधार पर न्याय भी हुआ, जिसे भी नहीं माना गया।

1956 में पुनर्गठित मध्यप्रदेश राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 4 करोड़ 42 लाख हेक्टेयर रहा। जिसमें से लगभग एक चौथाई यानी 1 करोड़ 10 लाख हेक्टेयर भूमि से जुड़ा इतिहास भारतीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था की अपरिपक्वता, उसके बौनेपन, उसकी बेबसी, उसकी लाचारी से भरा पड़ा रहा है, जिसे मिटाने या हटाने का अधिकार तो संसद या न्यायपालिका को भी नहीं है, हां इस इतिहास को बदला जाकर अन्याय मुक्त व्यवस्था को कायम किया जा सकता है यही एक मात्र विकल्प भी है।

12 दिसम्बर 1996 के बाद दोहराए गए ऐतिहासिक अन्याय हो या सर्वोच्च अदालत के प्रति प्रदर्शित किया गया असम्मानजनक, अविश्वास पूर्ण रवैया हो इस पर न्यायपालिका को ही विचार करना है, संसद ने आजादी के बाद ऐतिहासिक अन्याय होना स्वीकार किया है, इस ऐतिहासिक अन्याय में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका सहित मौजूदा स्थिति और विकल्पों पर भी देश की सर्वोच्च अदालत को ही विचार करना है।

नक्सलवाड़ी के जमींदारों के आतंक और अन्याय के खिलाफ पैदा हुआ नक्सलवादी आन्दोलन आज आदिवासी क्षेत्रों में ही मजबूत है। जहां किसी जमींदार का आतंक नहीं था, जहां के आदिवासी किसी जमींदार के अन्याय से पीड़ित नहीं थे, इसका कारण तलाशा जाए तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अन्याय और आतंक से पीड़ित आदिवासी समुदाय का व्यवस्था के प्रति अविश्वास और असम्मान दोनों ही बदलाव के संकेत देता है।

पर्यावरण की चिन्ता हकीकत पर आधारित होती तो उसके सुखद परिणाम निकलते, लेकिन वह तो फर्जी आंकड़ों पर आधारित रही है। इसके परिणामों का कागजी सपना ही देखा गया हकीकत तो कुछ और ही है, बस यहीं सवाल है, भविष्य क्या होगा ?

भारतीय न्याय व्यवस्था को समर्पित यह पुस्तक

1950 भारतीय प्रजातंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा है। इसी साल 26 जनवरी को भारतीय संविधान लागू हुआ। इसी वर्ष ग्रामीण समुदाय को अन्याय से मुक्त किए जाने का वायदा किया गया। भूमि सुधार का सुनहरा सपना दिखाया। मालगुजारी, जमींदार उन्मूलन या विनाश कानून लागू किए गए। यही वर्ष जनजातीय समुदाय एवं जंगलों पर आश्रित समुदाय के विरूद्ध आजादी के बाद प्रारम्भ किए गए ऐतिहासिक अन्याय का पहला पड़ाव भी बना। यही 1950 का वर्ष है जिसने भूमि जैसे संसाधन के फर्जी आंकड़े स्थापित कर प्रजातंत्र का मखौल उड़ाने की शुरूआत की।

1956 में मध्यप्रदेश का पुनर्गठन हुआ। इसका भौगोलिक क्षेत्रफल 4 करोड़ 42 लाख हेक्टेयर माना गया। सरकार इसमें से एक चौथाई यानी 1 करोड़ 10 लाख हेक्टेयर भूमि के फर्जी आंकड़े जारी करते आई। इन्हीं फर्जी आंकड़ों पर आधारित योजनाएं भी बनीं। उनके सफल क्रियान्वयन के दावे हुए। इन्हीं फर्जी आंकड़ों पर आधारित देश की सर्वोच्च अदालत ने सिविल याचिका क्रमांक 202/95 में 12 दिसम्बर 1996 को न्याय भी कर दिया।

जब फर्जी आंकड़ों पर आधारित योजनाएं **सफल नहीं सिद्ध हो सकतीं तो उन्हीं फर्जी आंकड़ों पर न्याय की भी उम्मीद कैसे करें ? पिछले 60–65 वर्षो से फर्जी आंकड़ों ने भारतीय प्रजातंत्र को नुकसान ही पहुंचाया है।**

1950 में मालगुजारों, जमींदारों से अर्जित की गई, भारत सरकार की विज्ञप्ति क्रमांक जे. 124 दिनांक 24 अगस्त 1950 के आधार पर इन्हीं अर्जित जमीनों को वन विभाग ने अपने नियंत्रण में ले लिया। इन भूमियों को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29, धारा 4(1), धारा 20 एवं धारा 34 अ के अनुसार राजपत्र में वन संरक्षण कानून 1980 लागू होने तक अधिसूचित भी कर लिया।

क्र.	विषय	रकबा (हेक्टेयर में)
1	वर्किंग प्लान में सम्मिलित धारा 4(1) में अधिसूचित भूमि	66,69,379
2	1980 तक अधिसूचित आरक्षित वन का रकबा	4,45,987
3	1980 तक राजपत्र में डीनोटीफाईड की गई भूमि का रकबा	19,04,622
4	1980 तक बिना डीनोटीफिकेशन के अन्तरित रकबा	5,93,293
5	असीमांकित वन/नारंगी वन प्रतिवेदित रकबा	14,19,617
6	डीनोटीफिकेशन की अधिसूचनाओं में बताए ग्रामों की संख्या	45,992
7	**भूमि का कुल योग**	**1,10,32,899**

12 दिसम्बर 1996 को देश की सर्वोच्च अदालत ने जंगल मद में दर्ज उन जमीनों को वन संरक्षण कानून के दायरे में आने वाली वन भूमि परिभाषित कर दिया जिन्हें वन विभाग 1980 तक भारतीय वन अधिनियम 1927 की धाराओं के अनुसार राजपत्र में अधिसूचित कर चुका था। दिनांक 14 मई 1996 के शासनादेश के अनुसार नारंगी भूमि के सर्वे में भी शामिल कर चुका था।

बड़े झाड़ के जंगल, छोटे झाड़ के जंगल, झुड़पी जंगल, जंगलात, जंगल जंला, जंगल खुर्द मद में दर्ज जमीनों में से राजपत्र में धारा 29, धारा 4(1) एवं धारा 20 के अनुसार अधिसूचित भूमियों एवं नारंगी भूमि सर्वे में शामिल कर ली गई भूमियों को वन विभाग याचिका क्रमांक 202/95 में की गई परिभाषा के दायरे से बाहर की संरक्षित वन, आरक्षित वन, नारंगी वन भूमि मानता है।

वन विभाग के द्वारा सर्वे डिमारकेशन में शामिल, वनखण्ड के बाहर छोड़ी गई, राजस्व विभाग को डीनोटीफाइड कर अन्तरित की गई या बिना डीनोटीफाइड किए अन्तरित की गई भूमियों को याचिका क्रमांक 202/95 में **न्यायालय द्वारा परिभाषित वन भूमि राज्य सरकार 1996 से लगातार मानते आई है।**

भारतीय न्याय व्यवस्था बेजोड़ है ? भारतीय न्याय व्यवस्था अपरिपक्व है ? भारतीय न्याय व्यवस्था बेबस और लाचार है ? भारतीय न्याय व्यवस्था भावनाओं से प्रभावित है ? भारतीय न्याय व्यवस्था दुष्प्रचार आधारित वैश्विक चिन्ताओं से प्रभावित है ? इस तरह के अनेक प्रश्न सामने आते रहे हैं। संसाधनों पर आधारित इन प्रश्नों को लेकर समस्या का हल निकाले जाने को लेकर सार्वजनिक चर्चा होनी चाहिए। न्यायालीन आदेश उनके पालन और क्रियान्वयन को लेकर जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं वह भारतीय समाज के बीच अन्तर को दिनों दिन बढ़ाते नजर आ रही है।

भारत सरकार द्वारा 25 अगस्त 1950 को जारी विज्ञप्ति और उसके बाद एक चौथाई भौगोलिक क्षेत्रफल को लेकर वन विभाग और राजस्व विभाग द्वारा समानान्तर रूप से प्रतिवेदित भूमि के फर्जी आंकड़े और इन फर्जी आंकड़ों पर आधारित देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा 1996 में दिया गया आदेश। उसके बाद सर्वोच्च अदालत द्वारा लगातार किये जा रहे न्याय का इतिहास उपलब्ध है।

भारत की संसद द्वारा अभूतपूर्व और साहस भरा कदम उठाकर "आजादी के बाद जनजातीय समुदाय एवं जंगलों पर आश्रित समुदाय के विरूद्ध ऐतिहासिक अन्याय की स्पष्ट स्वीकारोक्ति के बाद पारित वन अधिकार कानून 2006 के जनवरी 2008 से लागू कर दिया। इसके बाद उत्पन्न स्थितियों का इतिहास मौजूदा तंत्र में हावी अखिल भारतीय संवर्ग के अधिकारियों की अयोग्यता, अक्षमता और भारतीय प्रजातंत्र के प्रति जवाबदेही एवं जिम्मेदारी के अभावों से भरा पड़ा है। इस पर राजनैतिक नेतृत्व यानी प्रजा द्वारा निर्वाचित जन प्रतिनिधियों का कोई नियंत्रण नहीं है। संवैधानिक संगठन, राष्ट्रपति, राज्यपाल और नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि की इस पर कोई निगरानी नहीं है। किसी तरह का कोई हस्तक्षेप भी नहीं है।

24 अगस्त 1950 को भारत सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति; उसके बाद एक चौथाई भौगोलिक क्षेत्र को लेकर वन विभाग द्वारा समानान्तर रूप से जारी वनभूमि के फर्जी आंकड़े, मध्य प्रदेश के राजपत्र में 1980 तक भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29, धारा 4 (1), धारा 20 एवं धारा 34 अ के अनुसार प्रकाशित की गई अधिसूचनाएं इतिहास में दर्ज हैं।

24 अगस्त 1950 से शुरू हुआ वानिकी प्रबन्धकों का ऐतिहासिक अन्याय और उसके बाद भी किए गए दुष्प्रचार से उत्पन्न पर्यावरण की वैश्विक चिन्ताओं के बीच राजस्व विभाग द्वारा जारी राजस्व भूमियों के फर्जी आंकड़ों पर आधारित सर्वोच्च अदालत का 1996 में किया गया प्रभावी हस्तक्षेप और उस हस्तक्षेप का वानिकी प्रबन्धकों द्वारा दुरूपयोग कर किया गया ऐतिहासिक अन्याय भी इतिहास में दर्ज है।

संसद द्वारा ऐतिहासिक अन्याय की स्वीकारोक्ति के साथ पारित किए गए वन अधिकार कानून 2006 के अनुसार जनवरी 2008 से प्रारम्भ कुछ नए अन्याय और उसके लिए एक और न्यायालयीन हस्तक्षेप को आधार बनाकर दूसरी ओर न्यायालयीन आदेश का दुरूपयोग भी दर्ज है।

आजादी के बाद किए गए ऐतिहासिक अन्याय, दोहराए गए अन्याय और प्रारम्भ किए गए अन्याय के इस इतिहास में जन

आन्दोलनों, सामाजिक आन्दोलनों, जन संगठनों, सामाजिक संगठन, स्वयंसेवी संगठनों, बुद्धिजीवियों और विशेषज्ञों तथा इन सबकी मदद करने वाली एजेन्सियों की भागीदारी, भूमिका, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोग भी इतिहास में ही दर्ज है।

आजादी के बाद भूमि सुधार की असफलता का इतिहास हो या आजादी के बाद जनजातीय समुदाय, जंगलों पर आश्रित समुदाय पर किए गए ऐतिहासिक अन्याय का इतिहास हो या एक चौथाई भौगोलिक क्षेत्र के फर्जी आंकड़ों का इतिहास हो या भारतीय प्रजातंत्र के साथ घटित गंभीर दुर्घटनाओं का इतिहास हो उसे बदला तो जा ही नहीं सकता, उससे इन्कार भी नहीं किया जा सकता।

इतिहास में अयोग्यता और अक्षमता दर्ज है, इतिहास में असफलता और विफलता भी दर्ज है, इतिहास में भूमिका एवं भागीदारी भी दर्ज है, इतिहास में गैर जवाबदेही और गैर जिम्मेदारी भी दर्ज है। इतिहास में दर्ज इन सभी को जानने और समझने की क्षमता दिखाकर नया इतिहास लिखने की हिम्मत तो भारतीय प्रजातंत्र खासकर देश की न्यायपालिका को करनी ही होगी। यही विकल्प है।

– अनिल गर्ग

सर्वोच्च अदालत पर विश्वास और सम्मान

देश की सर्वोच्च अदालत ने सिविल याचिका क्रमांक 202/95 में दिनांक 12 दिसम्बर 1996 को वन और वन भूमि की व्याख्या एवं परिभाषा देकर आदेश दिया। इस याचिका में न्यायालय ने और कई महत्वपूर्ण आदेश दिए। मध्यप्रदेश सरकार की ओर से पुनर्विचार याचिका दायर की गई। अनेक आई.ए. में राज्य सरकार ने राज्य सरकार का पक्ष भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

राज्य सरकार न्यायालय पर विश्वास नहीं कर पाई। राज्य सरकार न्यायालय का सम्मान नहीं कर पाई। राज्य सरकार अपनी स्वयं की कार्यवाहियों के आधार पर न्यायालय को वस्तुस्थिति नहीं बता पाई। यह निश्चित ही एक गंभीर विषय हैं, क्योंकि यह न्यायालय के आदेश की अवमानना और आदेश के दुरूपयोग से तो संबंधित है ही आजादी के बाद किए गए ऐतिहासिक अन्याय को न्यायालयीन आदेश का हवाला देकर दोहराए जाने से भी संबंधित हैं।

1. वन विभाग ने भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29, धारा 4(1), धारा 20 एवं धारा 34 अ में 1980 तक राजपत्र में अधिसूचनाएं प्रकाशित कर न्यायालय द्वारा परिभाषित की गई वन भूमियों एवं इसी याचिका में आदेशित की गई भूमियों को वनभूमि मान लिया था।

2. वन विभाग ने धारा 29 में प्रकाशित अधिसूचनाओं के आधार पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज न्यायालय द्वारा परिभाषित एवं आदेशित भूमियों की संरक्षित वन सर्वे डिमारकेशन रिपोर्ट, संरक्षित वन क्षेत्रफल पंजी, संरक्षित वन कम्पलीशन रिपोर्ट, ब्लॉक हिस्ट्री तैयार की, इन भूमियों को वर्किंग प्लान में सम्मिलित कर संरक्षित वन कक्ष मानचित्र एवं वन कक्ष इतिहास तैयार किया, पी.एफ. एरिया रजिस्टर में भी इन्हें दर्ज किया, अधिक अन्न उपजाओ योजना एवं राज्य मंत्रीमंडल के निर्णय के अनुसार राजस्व विभाग को अन्तरित भी किया।

3. वन विभाग ने राजपत्र में धारा 4(1) की अधिसूचना में संशोधित अधिसूचनाओं का 1988 में प्रकाशन कर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को वन व्यवस्थापन अधिकारी एवं संबंधित कलेक्टरों को अपीलीय अधिकारी अधिसूचित कर अधिकार भी दे दिए।

4. न्यायालय द्वारा 12 दिसम्बर 1996 को दिए गए आदेश के पहले ही राजस्व विभाग के द्वारा पटवारी मानचित्र एवं अन्य राजस्व अभिलेखों में जंगल मद और गैर जंगल मद में दर्ज जमीनों को वन विभाग की राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचनाओं के अनुसार वनखण्ड की सीमा में शामिल भूमि या वनभूमि के रूप में दर्ज कर लिया था या राजस्व अभिलेखों से वन भूमि बताकर पृथक कर दिया था।

5. मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री अशोक मसीह के द्वारा दिनांक 24 जनवरी 1994 को तैयार की गई संक्षेपिका में उन जंगल मद की भूमियों के संबंध में वन विभाग के द्वारा की गई कार्यवाहियों उनमें से लम्बित कार्यवाहियों एवं की जाने वाली कार्यवाहियों के ब्यौरे दर्ज किए। विवरण दिया गया जिन्हें देश की सर्वोच्च अदालत ने 12 दिसम्बर 1996 के आदेश में वन भूमि परिभाषित किया था।

6. मध्यप्रदेश शासन के द्वारा 14 मई 1996 को राज्य में 19 नारंगी भूमि सर्वे इकाइयों का गठन कर राजस्व अभिलेखों में दर्ज जमीनों को नारंगी भूमि मानकर कार्यवाहियों के आदेश दिए और उसके अनुसार न्यायालय द्वारा 12 दिसम्बर 1996 को परिभाषित एवं आदेशित भूमियों को नारंगी भूमि मानकर वन विभाग के द्वारा लगातार कार्यवाहियां की गई।

देश की सर्वोच्च अदालत के द्वारा 12 दिसम्बर 1996 को एक महत्वपूर्ण आदेश दिया जिससे भारत ही नहीं बल्कि विश्व के पर्यावरण प्रेमियों की अनेक आशाएं जन्मी और उन्हें पर्यावरण की दिशा में बहुत कुछ होने की उम्मीद हुई, लेकिन राज्य सरकार और राज्य सरकार के वन विभाग एवं राजस्व विभाग ने अपनी स्वयं की कार्यवाहियों एवं स्वयं के अभिलेखों का परीक्षण कर सर्वोच्च अदालत को सही स्थिति बताने का कोई प्रयास नहीं किया बल्कि अदालत के सामने गलत स्थिति प्रस्तुत की और अदालत से सही स्थिति को जानबूझकर छुपाया।

इस गंभीर आरोप पर यदि विचार करना उचित समझा जाए तो मात्र दो उदाहरण ही पर्याप्त है। मध्यप्रदेश शासन ने बड़े–छोटे झाड़ के जंगल मद की जमीनों को वन संरक्षण कानून के दायरे से मुक्त किए जाने के संबंध में सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया, कमेटी ने आवेदन क्रमांक आई.ए. 513 पर दिनांक 29 जनवरी 2002 को आदेश दिया। इस आदेश के अनुसार राज्य शासन ने बड़े–छोटे झाड़ के जंगल मद की जमीनों से संबंधित जानकारियां संकलित करवाई और सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी ने अपने अभिमत से सर्वोच्च अदालत को अवगत भी करा दिया। सर्वोच्च अदालत ने आई.ए. क्रमांक 791–792 में दिनांक 01 अगस्त 2003 को आदेश भी दे दिया। इस पुनर्विचार याचिका में राज्य सरकार ने अपनी स्वयं की समस्त कार्यवाहियों और उससे संबंधित दस्तावेजों में दर्ज ब्यौरों को अदालत के सामने प्रस्तुत करने की बजाय उन्हें अदालत से छुपा कर गुमराह करने वाले तथ्य अदालत के सामने प्रस्तुत कर दिए।

दूसरे उदाहरण में एकता परिषद् ने जुलाई 2003 में सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी के समक्ष राज्य सरकार के द्वारा की गई कार्यवाहियों का ब्यौरा देते हुए बड़े झाड़, छोटे झाड़ के जंगल मद की जमीनों के संबंध में दस्तावेजी प्रमाणों के साथ तथ्यों को प्रस्तुत किया। इन तथ्यों की 2003 से आज तक सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी जांच नहीं कर पाई। कमेटी ने देश की सर्वोच्च अदालत को भी वस्तुस्थिति से आज तक अवगत नहीं कराया।

देश की सर्वोच्च अदालत के प्रति राज्य सरकार ने कितना सम्मानजनक रवैया अपनाया, सर्वोच्च अदालत पर कितना विश्वास किया जाए ? यह दोनों सवाल तो उभर कर सामने आ ही रहे हैं, साथ ही न्यायालयी आदेश की किस स्तर पर अवमानना की गई यह भी साफ दिखाई दे रहा है।

सर्वोच्च अदालत की ओर से 12 दिसम्बर 1996 को दिए गए आदेश के बाद मध्यप्रदेश की विधानसभा में अनेक सदस्यों द्वारा, न्यायालय द्वारा परिभाषित और न्यायालय द्वारा आदेशित की गई भूमियों से संबंधित वानिकी प्रबन्धकों द्वारा की गई कार्यवाहियों को लेकर सैकड़ों प्रश्न पूछे, जिनके राज्य सरकार के वन विभाग और राजस्व विभाग ने लिखित उत्तर भी प्रस्तुत किए। इन उत्तरों में न्यायालीन आदेश के दुरूपयोग और आदेश की अवमानना को राज्य सरकार ने अपना अधिकार मान लिया।

राज्य सरकार ने सदन में जो भी लिखित उत्तर दिए, जिन भी तथ्यों एवं स्थितियों को स्वीकार किया, जो जानकारियां प्रस्तुत की गईं उन्हें भी सर्वोच्च अदालत से लगातार छिपाया गया। विपरीत जानकारियां प्रस्तुत की गई। कुछ सदस्यों ने राज्य विधानसभा की प्रश्न संदर्भ समिति में आपत्तियां भी दर्ज करवाई। इन्हें निरस्त कर नस्तीबद्ध कर दिया गया।

भारतीय न्याय व्यवस्था का बेजोड़पन

भारतीय न्याय व्यवस्था वाकई में बेजोड़ है। याकूब मेनन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आधी रात को सुनवाई कर न्याय किया। न्याय व्यवस्था की यह उदारता ही है कि "जैन मुनियों के संथारा को आत्महत्या" मान लिए जाने के आदेश पर जैन समाज के द्वारा किए गए राष्ट्रव्यापी बन्द पर भी अपनी अनुकूल या प्रतिकूल प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की।

पर्यावरण जैसी वैश्विक चिन्ताओं में भारतीय प्रजातंत्र विधायिका एवं कार्यपालिका की असफलताओं पर आधारित सिविल याचिका क्रमांक 202/95 में दिनांक 12 दिसम्बर 1996 को देश की सर्वोच्च अदालत ने प्रभावी हस्तक्षेप किया। इसकी आज भी सुनवाई चल रही है, आदेश दिए जा रहे हैं।

भारतीय न्याय व्यवस्था का हस्तक्षेप और न्याय दो हिस्सों में दिखाई देता है। एक हिस्सा तो याकूब मेनन जैसे लोगों का है जो आधी रात को भी अदालत को सुनवाई के लिए बाध्य कर देता है दूसरा हिस्सा याचिका क्रमांक 202/95 के रूप में दिखाई दे रहा है, जिसमें आजादी के बाद ऐतिहासिक अन्याय का शिकार जनजातीय समुदाय एवं जंगलों पर आश्रित समुदाय याचिका में दिए गए आदेशों के बाद दोहराए जा रहे अन्यायों का शिकार तो हो रहा है, लेकिन न्याय के मंदिर की चौखट तक पहुंचने की क्षमता और साहस भी नहीं रखता।

याचिका क्रमांक 202/95 के रूप में एक स्थिति और भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। इस याचिका में न्यायालय के सहयोग के लिए बनाई गई सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी हो या भारत सरकार और राज्यों की सरकार हो न्यायालय और न्यायालीन आदेशों का खुलकर दुरूपयोग तो कर ही रही है, न्यायालय को भी बेबस और लाचार मान चुकी हैं जिनकी कोई जवाबदेही और जिम्मेदारी भी निर्धारित नहीं हो पाई, बल्कि इनके हर बोल को ही सत्य मानकर लगातार न्याय किया जा रहा है। इसी याचिका में न्यायालय द्वारा दिए गए अनेक आदेशों का पालन नहीं हुआ, लेकिन उसकी निगरानी और नियंत्रण के अभाव की स्थितियों ने अन्याय के शिकार समुदाय पर अन्याय को दोहराए जाने की छूट भी दे दी।

जनजातीय समुदाय एवं जंगलों पर आश्रित समुदाय, आज भी सामुदायिक न्याय की व्यवस्था को अपनाए हुए हैं, इन समुदायों में न्याय को मात्र न्याय ही मानकर सम्मान किया जाता है। यही वजह है कि सर्वोच्च अदालत के द्वारा दिए गए हर आदेश को इस समुदाय ने न्याय के रूप में ही देख कर विश्वास और सम्मान किया। इन भावनाओं को उनकी विवशता भी माना जा सकता है।

मैं सर्वोच्च अदालत के याचिका क्रमांक 202/95 में दिए गए आदेशों का सम्मान करते हुए, न्यायालय पर विश्वास करते हुए इस याचिका में दिए गए आदेशों के संदर्भ में उन तथ्यों को यहां रखने का प्रयास कर रहा हूँ जो न्याय के दुरूपयोग, न्याय के नाम पर अन्याय और न्याय की बेबसी एवं लाचारी को सार्वजनिक कर रहे हैं।

सर्वोच्च अदालत ने 12 दिसम्बर 1996 को राजस्व अभिलेखों में दर्ज "जंगल मद" की जमीनों को वन भूमि परिभाषित किया और उन्हें वन संरक्षण कानून 1980 के दायरे में आने वाली वनभूमि माना। इन जंगल मद में दर्ज जमीनों को वानिकी प्रबन्धकों के द्वारा 1960 के पहले ही भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के अनुसार संरक्षित वन

अधिसूचित कर 1960 तक अपने नियंत्रण और प्रबन्धन में ले लिया।

जंगल मद की जमीनों को न्यायालय द्वारा परिभाषित वन संरक्षण कानून के दायरे में आने वाली वन भूमि माना जाएगा या इन जमीनों को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के तहत अधिसूचित संरक्षित वन भूमि माना जाएगा या वानिकी प्रबन्धकों को यह अधिकार और छूट होगी कि वह जंगल मद में दर्ज जमीनों को परिभाषित वन या संरक्षित वन अपनी सुविधा के अनुसार मानकर कार्यवाहियां करें, जैसा कि 12 दिसम्बर 1996 के बाद से लगातार किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा सर्वोच्च अदालत में दायर की गई पुर्नविचार याचिका आई.ए. क्रमांक 791–792 और उसमें दिनांक 01 अगस्त 2003 को दिया गया आदेश जहां न्यायालीन आदेश के दुरूपयोग को प्रमाणित कर रहा है वहीं न्यायालय के सहयोग के लिए बनाई गई सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी के गैर जवाबदेह और गैर जिम्मेदार रवैये को भी उजागर कर रहा है।

मध्यप्रदेश शासन के आवेदन आई.ए. क्रमांक 513 पर सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी द्वारा दिनांक 29 जनवरी 2002 को दिए गए आदेश के अनुसार मध्यप्रदेश राजस्व विभाग के द्वारा संकलित करवाई गई जानकारियों के आधार पर बड़े झाड़ के जंगल एवं छोटे झाड़ के जंगल मद की जमीनों में से 10.91 लाख हेक्टेयर जमीनों को इजमेन्ट राइट्स की जमीन बताकर वन संरक्षण कानून 1980 के दायरे से मुक्त किए जाने की याचना की गई, जिस पर देश की सर्वोच्च अदालत ने 01 अगस्त 2003 को आदेश दिया।

आदेश

"Heard learned Advocate General for the State of M.P. The State Empowered Committee has expressed the view that the bade Jhad Ka Jungle and Chhote Jhad constitute forest. That being so, it must be held that such lands are forests within the definition of 'forest'. The IAs are accordingly, dismissed. However, it is open to the State of MP to approach the Central Governement for their exclusion from the purview of the definition of 'forest' under the provision of the Act."

न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार मध्यप्रदेश सरकार ने भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को दिनांक 26 अक्टूबर 2005 में 10.91 लाख हेक्टेयर भूमियों को वन संरक्षण कानून 1980 के दायरे से मुक्त करने का आवेदन भी भेज दिया। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ग्वालियर द्वारा सिविल याचिका क्रमांक 1413/2002 में दिनांक 08 सितम्बर 2006 को इन्हीं 10.91 लाख हेक्टेयर जमीनों को वन संरक्षण कानून के दायरे में आने वाली भूमि मानते हुए शेष बड़े–छोटे झाड़ के जंगल मद में दर्ज जमीनों को वन संरक्षण कानून के दायरे से बाहर की भूमि आदेशित किया।

"We have been told that pursuant to the said order dated 21/04/2006, the Authorities have been examining the cases of each party and passing orders either permitting non-forest activities including mining activities in areas which are not indentified as forest areas in the affidavit filed before the Supreme Court in the case of **T.N. Godavarman (supra)** or have been refusing such permission for such non-forest activities including mining activities in the areas which have been indentified as forest areas in the affidavit filed before the Supreme Court in the case of **T.N. Godavarman (supra).** In case any party in aggrieved by the orders passed by the Authorities pursuant to our said directions in our order dated 21/04/2006, it is open for that party to file separate writ petition before this Court and have its grievance redressed before the learned Single Judge.

1996 से 2006 तक के इस न्यायालीन इतिहास के दो पहलू बहुत ही स्पष्ट रूप से दुरूपयोग, बेबसी, लाचारी को उजागर कर रहे हैं, जिस पर न्यायपालिका के प्रति गैर जवाबदेही और गैर जिम्मेदारी की प्रवृत्तियां ही दिखाई दे रही हैं।

राजस्व अभिलेखों में दर्ज बड़े झाड़ के जंगल और छोटे झाड़ के जंगल मद की समस्त भूमियों को राजपत्र में 1980 तक वन विभाग ने धारा 29, धारा 4(1), धारा 20 एवं धारा 34 अ में अधिसूचित कर दिया था, जिसे देश की न्यायपालिका से छिपा लिया गया बल्कि न्यायपालिका के समक्ष 10.91 लाख हेक्टेयर भूमियों को वन संरक्षण कानून के दायरे से मुक्त किए जाने हेतु तथ्यों को शपथ पत्र सहित प्रस्तुत कर न्यायालय को गुमराह किया गया।

दूसरा पहलू यह है कि न्यायालय के 01 अगस्त 2003 एवं 06 सितम्बर 2006 को दिए गए आदेश के अनुसार वन संरक्षण कानून 1980 के दायरे में आने वाली 10.91 लाख हेक्टेयर भूमि हो या वन संरक्षण कानून के दायरे से बाहर मानी गई बड़े झाड़ के जंगल और छोटे झाड़ के जंगल मद में दर्ज भूमि को आज भी संरक्षित वन भूमि, असीमांकित वन न्यायालय द्वारा परिभाषित वन भूमि ही माना जा रहा है।

न्यायालीन आदेश के 10 वर्षीय इतिहास का एक और पहलू भी है जिसे हमनें नारंगी भूमि के रूप में पृथक से उल्लेखित किया है। इसमें न्यायालय द्वारा परिभाषित वन भूमि एवं न्यायालय द्वारा वन संरक्षण कानून के दायरे से बाहर मानी गई आदेशित भूमि को "नारंगी भूमि मानकर" सर्वे में शामिल किया। वनखण्ड भी बना लिए और उन्हें अधिसूचित भी कर दिया। वर्किंग प्लान में भी सम्मिलित कर लिया, लेकिन इसे भी न्यायालय से छिपाया गया।

एकता परिषद् ने न्यायालीन सहयोग के लिए बनाई गई सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी के समक्ष मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में न्यायालय द्वारा 12 दिसम्बर 1996 को परिभाषित वन भूमियों के संदर्भ में की गई समानान्तर कार्यवाहियों सहित वन विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री अशोक मसीह की 24 जनवरी 1994 को तैयार की गई संक्षेपिका के आधार पर 22 जुलाई 2003 में आवेदन प्रस्तुत किया। इस आवेदन क्रमांक 196/2002 पर छत्तीसगढ़ वन विभाग के मुख्य वन संरक्षक कांकेर ने शपथ पत्र सहित दिनांक 05 फरवरी 2004 को अपना उत्तर भी प्रस्तुत किया।

सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी ने मध्य प्रदेश वन विभाग से एकता परिषद् के आवेदन पर उत्तर प्राप्त नहीं किया, बल्कि आवेदन में उल्लेखित प्रमाणों की जांच किए जाने और देश की सर्वोच्च अदालत के समक्ष वस्तुस्थिति को रखे जाने का भी प्रयास नहीं किया। इस तथ्य को सूचना के अधिकार कानून 2005 के तहत दी गई जानकारी में स्वीकार भी किया गया।

Sub : Information sought under RTI Act, 2005.

Please refer to your letter dated 10th January, 2012 on the above subject. The information sought by you is provided as under :

1) A copy of Application No. 196 of 2003 filed before the CEC by M/s Ekta Parisad is enclosed (without enclosure)
2) Copies of the notices for the hearings issued by the CEC to the respondents namely the State of Madhya Pradesh and the State of Chattisgarh are presently not available with the CEC. The State of Madhya Pradesh and the State of Chattisgarh are being requested to provide the copies of the same to you.
3) A Copy of affidavit dated 5th February, 2004 filed on behalf of the State of Chattisgarh in Application No. 196 of 2003 is enclosed (without enclosure).
4) The CEC has not made any recommendations in Application No. 196 of 2003 filed before it.

वन विभाग ने 1958 तक "जंगल मद में दर्ज जमीनों को संरक्षित वन अधिसूचित किया और 1960 में गैर जंगल मद की जमीनों को भी संरक्षित वन मान लिया। इनमें से जंगल मद में दर्ज जमीनों को न्यायालय ने वनभूमि परिभाषित कर दिया। इन दोनों ही प्रयासों में इन भूमियों पर समाज के प्रचलित सामुदायिक, परम्परागत, रूढ़िक अधिकारों या सार्वजनिक और निस्तारी प्रयोजनों को लेकर जो स्थिति सामने हैं उसका भी उल्लेख आवश्यक है।

धारा 29 में अधिसूचित भूमियों पर "जांच पूरी होने तक प्रचलित अधिकार यथावत बने रहेंगे" का प्रावधान दिया गया है। धारा 4(1) में अधिसूचित भूमि की धारा 5 से 19 तक की जांच वर्तमान में भी प्रचलित बताई जा रही है। इन भूमियों पर प्रचलित रहे अधिकारों के संबंध में वन अधिकार कानून की धारा 3(1) में प्रावधान दिया गया है। इन्हीं प्रचलित अधिकारों के संबंध में देश की सर्वोच्च अदालत के द्वारा सिविल अपील प्रकरण क्रमांक 19869/2010 में दिनांक 28 जनवरी 2011 को दिए गए आदेश की कंडिका 3 एवं 22 में आदेश दिए गए।

कंडिका क्रं. 03 –

"Since time immemorial there have been common lands inhering in the village communities in india, variously called gram sabha land, gram panchayat land, (in many North Indian States), Shamlat deh (in Punjab etc.), mandaveli and poramboke land (in South India), Kalam, Maidan, etc., depending on the nature of user. These public utility lands in the villages were for centuries used for the common benefit of the villagers of the village such as ponds for various purposes e.g. for their cattle to drink and bathe, for storing their harvested grain, as grazing ground for the cattle, threshing floor, maidan for playing by children, carnivals, circuses, ramlila, cart stands, water bodies, passages, cremation ground or graveyards, etc. These lands stood vested through local laws in the State, which handed over their management to Gram Sabhas/ Gram Panchyats. They were generally treated as inalienable in order that their status as community land be preserved. There were no doubt some exceptions to this rule which permitted the Gram Sabha/ Gram Panchayat to lease out some of this land to landless labourers and members of the scheduled castes/tribes. But this was only to be done in exceptional cases."

कंडिका क्रं. 22 –

"Before parting with this case we give directions to all the State Governments in the country that they should prepare schemes for eviction of illegal/unauthorized occupants of Gram Sabha/Gram Panchayat/Poramboke/ Shamlat land these must be restored to the Gram Sabha/Gram Panchayat for the common use of villagers of the village. For this purpose the Chief Secretaries of all State Government/Union Territories in India are directed to do the needful, taking the help of other senior officers of the Governments. The said scheme should provide for the speedy eviction of such illegal occupant. After giving him a show cause notice and a brief hearing. Long duration of such illegal occupation or huge expenditure in making constructions thereon or political connections must not be treated as a justification for condoning this illegal act or for regularizing the illegal possession. Regularization should only be permitted in exceptional cases e.g. where lease has been granted under some Government notification to landless labourers or members of Scheduled Castes/Scheduled Tribes, or where there is already a school, dispensary or other public utility on the land."

देश की सर्वोच्च अदालत के द्वारा 28 जनवरी 2011 को दिए गए आदेश का पालन किए जाने की बजाय वानिकी प्रबन्धकों के द्वारा इस आदेश की परिधि से बाहर होना बताया गया। धारा 29 एवं धारा 4(1) में अधिसूचित भूमियों पर समाज के प्रचलित अधिकारों को ही मान्यता दिए जाने से इन्कार कर दिया। संरक्षित वन भूमि को ग्रामसभा के दायरे से बाहर की भूमि भी मान लिया गया।

वानिकी प्रबन्धकों के द्वारा राज्य की विधानसभा में प्रश्न क्रमांक 366 उत्तर दिनांक 07 नवम्बर 2006 में सदन को लिखित जानकारी उपलब्ध कराई गई। जो निम्न है।

संरक्षित वन की अधिसूचना

दिनांक 7 नवम्बर 2006

9 (क्र. 366) श्री रसाल सिंह : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भोपाल के द्वारा अपने पत्र क्रमांक एफ. 9/2006/893, दिनांक 1–9–2006 के द्वारा माननीय नेता प्रतिपक्ष को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के तहत 1937 से 1980 तक एवं 1980 से 2005 तक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचनाओं की जानकारी दी गई है ?(ख) यदि हां तो 1980 के पूर्व राजपत्र में अधिसूचना जारी की जाकर राजस्व अभिलेखों में किन–किन मदों, किन–किन प्रयोजनों के लिए दर्ज जमीनों को संरक्षित वन घोषित किया गया है, अधिसूचना की प्रति सहित बतावें? (ग) 1980 के बाद किस दिनांक के राजपत्र में धारा 29 के तहत प्रकाशित अधिसूचनाओं के तहत कितने ग्राम की कितनी भूमि संरक्षित वन घोषित की गई है? वह राजस्व अभिलेख में किस–किस मद व किस–किस प्रयोजन के लिए दर्ज रही हैं? (घ) राजस्व अभिलेख निस्तार पत्रक में निस्तारी प्रयोजन के लिए दर्ज जमीनों को संरक्षित वन भूमि घोषित किये जाने का क्या कारण रहा है ?

{वन मंत्री (श्री हिम्मत कोठारी) : (क) प्रश्नांक "क" में उल्लेखित पत्र द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अतिरिक्त धारा 4 (1), धारा 20, धारा 27, धारा 34(अ) की भी राजपत्र में प्रकाशित की गई अधिसूचनाओं की वन मुख्यालय में प्राप्त प्रतिवेदनों की संकलित जानकारी माननीय नेता प्रतिपक्ष को उपलब्ध कराई गई है. (ख) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है}

वन मंत्री (श्री विजय शाह) : (ख) उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर वर्ष 1980 के पूर्व विभिन्न आदेशों एवं अधिसूचनाओं द्वारा जो भूमि संरक्षित वन घोषित की गई ?अधिसूचनाओं में उनके दर्ज मदों एवं प्रयोजनों की जानकारी परिशिष्ट "अ" में है. घोषित की गई संरक्षित वनभूमि राजस्व अभिलेखों में मुख्य रूप से छोटे झाड़ के जंगल, बड़े झाड़ के जंगल, पहाड़ चट्टान, चरनोई, जंगल खुर्द, जंगलात आदि मद एवं प्रयोजन हेतु दर्ज रही है. परिशिष्ट में उल्लेखित आदेशों तथा अधिसूचनाओं के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रतियां संलग्न है. (ग) भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत वर्ष 1980 के बाद घोषित संरक्षित वन की जानकारी परिशिष्ट "ब" में है. संरक्षित वन घोषित भूमियाँ राजस्व अभिलेखों में मुख्यतः घास, चरनोई, छोटे–बड़े झाड़ का जंगल, पहाड़ चट्टान, चरोखर, निस्तार, बंजर/पड़त भूमि, जंगलकला, गोठान, रास्ता, काबिल कास्त इत्यादि मदों एवं प्रयोजनों में दर्ज रही है. (घ) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत प्रत्यावर्तित वनभूमि के कारण वनों की कमी की भरपाई के लिए तथा राष्ट्रीय वन नीति के अनुपालन में भौगोलिक क्षेत्रफल का 33 प्रतिशत क्षेत्र वनों के अन्तर्गत लाने के लिए ऐसा किया जाता है.

उत्तरांश "ख" की जानकारी

क्र.	अधिसूचना/आदेश क्रमांक व दिनांक	आदेश जारीकर्ता	मद/प्रयोजन	आदेश का संक्षिप्त विवरण
1	आदेश क्र. 124 दिनांक 08.02.1937	दरबार आर्डर नोटिफिकेशन मिनिस्टर व सेक्रेटरी साहबान रीवा राज दरबार	अधिसूचना में उल्लेखित नही हैं।	आरक्षित वन या होल्डिंग या आबादी या टैंक या म्यूनिसिपल या कन्टूनमेन्ट या बस्तर (यह शब्द संभवतः बाजार होना चाहिए) एरिया मे सम्मिलित क्षेत्र को छोड़कर शेष समस्त वन भूमि एवं पड़त भूमि पर रीवा फारेस्ट एक्ट की धारा 29 के प्रावधान लागू होगें।
2	अधिसूचना क्र. 11 दिनांक 06.03.1954	म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल गजट	छोटा जंगल	भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के तहत ग्राम डोगरिया का छोटा जंगल को संरक्षित वन घोषित किया गया।
3	अधिसूचना क्र. 21 दिनांक 14.06.1954	म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल गजट	जागीर के मौजों के छोटे एवं बड़े जंगलों	भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के तहत जागीर मौजों का छोटा एवं बड़ा जंगल को संरक्षित वन घोषित किया गया।
4	अधिसूचना क्र. 22 दिनांक 29.06.1956	म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल गजट	छोटा तथा बड़ा जंगल	भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के तहत अनुसूची में वर्णित ग्रामों के छोटा एवं बड़ा जंगल को संरक्षित वन घोषित किया गया।
5	अधिसूचना क्र. 36 दिनांक 18.10.1954	म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल गजट	छोटा तथा बड़ा जंगल	भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के तहत अनुसूची में वर्णित ग्रामों के छोटा एवं बड़ा जंगल को संरक्षित वन घोषित किया गया।
6	अधि. क्र. 1101–XF–203(54) दि. 01.03.1955	फॉरेस्ट एवं ट्रायबल वेलफेयर विभाग, ग्वालियर, मध्य भारत का गजट	पूर्व जमींदारों एवं जागीरदारों का क्षेत्र	गत जागीरदारी एवं जमींदारी क्षेत्रों की ऐसी भूमियों को जो कि आरक्षित वनों में सम्मिलित न हो को मध्य भारत वन विधान संवत् 2007 की धारा 29 के तहत संरक्षित वन घोषित किया गया।

7	अधि. क्र. 3060–404 -XI दि. 4.6.1955	म.प्र. शासन वन विभाग	अधिसूचना में उल्लेखित नहीं है	म.प्र. जमींदारी उन्मूलन एक्ट 1950 के तहत राज्य शासन में वेष्ठित वन भूमियों को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के तहत संरक्षित वन घोषित किया गया।
8	अधि. क्र. 3061–906-XI दिनांक 4.06.1955			
9	अधि. क्र. 3066–2422-XI दिनांक 04.06.1955			
10	अधि. क्र. 3067–2422-XI दिनांक 04.06.1955			
11	अधि. क्र. 4686–404-XI दिनांक 28.02.1957			
12	अधि. क्र. 3393-X-57 दिनांक 11.07.1957			
13	अधि. क्र. 9–एक्स–58 दिनांक 10.07.1958	म.प्र. शासन वन विभाग	अधिसूचना में उल्लेखित नही हैं।	म.प्र. जमींदारी उन्मूलन एक्ट 1950 के तहत राज्य शासन में वेष्ठित उन वन भूमियों को जो पूर्व से आरक्षित वन घोषित नही हैं, उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के तहत संरक्षित वन घोषित किया गया।
14	अधि.क्र.–2523–2988–10–58 दि. 13.06.1957	म.प्र. शासन वन विभाग	–	अधिसूचना की प्रति उपलब्ध नही हैं।

राज्य की विधानसभा में दी गई लिखित जानकारी देश के सर्वोच्च न्यायालय को उपलब्ध क्यों नहीं करवाई गई ? यह जानकारी देश की सर्वोच्च अदालत से क्यों छिपाई गई ? यह महत्वपूर्ण सवाल तो सामने है ही न्यायालय के प्रति जवाबदेह सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी के द्वारा एकता परिषद् के आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का परीक्षण कर देश की सर्वोच्च अदालत को सही स्थिति से अवगत क्यों नहीं करवाया ? यह सवाल भी सामने हैं। इन दोनों ही सवालों के गर्भ में ही आजादी के बाद भूमि सुधार की असफलता और आजादी के बाद ऐतिहासिक अन्याय का भ्रूण नासूर के रूप में पल रहा है।

अदालतों के द्वारा दिनांक 12 दिसम्बर 1996, दिनांक 01 अगस्त 2003, दिनांक 8 सितम्बर 2006 एवं दिनांक 28 जनवरी 2011 को दिए गए आदेशों के बाद भी न्यायालय द्वारा आदेशित भूमियों को आरक्षित वन बनाए जाने के लिए प्रस्तावित भूमि बताकर जांच एवं कार्यवाही वर्तमान में भी की जा रही है। इन प्रस्तावित भूमियों को वर्किंग प्लान में भी सम्मिलित कर संरक्षित वन बताने और उनका नियंत्रण, प्रबन्धन किए जाने की भी कार्यवाही लगातार की जा रही है।

वन विभाग द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4(1) में प्रकाशित 1988 की संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार वर्तमान मध्यप्रदेश के 6,520 वनखण्डों एवं छत्तीसगढ़ के 4000 वनखण्डों की धारा 5 से 19 तक की जांच वर्तमान में भी लम्बित बताई जा रही है इन वनखण्डों को वर्किंग प्लान में भी सम्मिलित कर लिया गया है। वन व्यवस्थापन अधिकारी याने अनुविभागीय अधिकारी याने अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय से दोनों ही राज्यों के 10,520 वनखण्डों में शामिल जमीनों की निम्न प्रारूप में जानकारी संकलित किए जाने का भी हम यहां सुझाव दे रहे हैं।

वनखण्ड का नाम ..... कुल रकबा ..... ग्राम का नाम ..... बं.नं. .....

धारा 4(1) में अधिसूचित भूमि का			राजस्व अभिलेखों में दर्ज		
खसरा क्रमांक		रकबा	भूमि की मद	भूमि का प्रयोजन	किसान का नाम
पुराना	नया				
1.	2.	3.	4.	5.	6.

दोनों ही राज्यों से यदि इस प्रारूप में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय या सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी या भारत सरकार यह जानकारी ही संकलित करवा ले तो उन्हीं के सामने न्यायालीन आदेशों के प्रति वानिकी प्रबन्धन द्वारा 1996 से ही अपनाई जा रही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, तब शायद विकल्पों सहित ऐतिहासिक अन्याय पर चर्चा होना संभव होगा।

राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना और हमारा प्रजातंत्र

आजादी के बाद राजपत्र में वन विभाग ने भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29, धारा 4(1), धारा 20 एवं धारा 34 अ के तहत अधिसूचनाओं का प्रकाशन किया। खासकर वन संरक्षण कानून 1980 तक प्रकाशित की गई अधिसूचनाओं का विशेष महत्व रहा है। जिन जमीनों को वन विभाग ने 1980 तक राजपत्र में अधिसूचित किया, उन्हीं जमीनों को सर्वोच्च अदालत ने याचिका क्रमांक 202/95 में 12 दिसम्बर 1996 को वन भूमि परिभाषित कर दिया। उन्हीं जमीनों को अदालत ने वन संरक्षण कानून 1980 के दायरे में आने वाली वन भूमि एवं दायरे के बाहर की भूमि के रूप में आदेशित किया।

सर्वोच्च अदालत के आदेशों को माना जाएगा या वन विभाग द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचनाओं को माना जाएगा या वानिकी प्रबन्धकों की सुविधा और उनकी मनमर्जी के आदेश और अधिसूचना को माने जाने या न माने जाने की राज्य सरकारों को छूट होगी... यह एक सवाल तो सामने है ही, इससे भी ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि वन विभाग द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचनाओं को वन विभाग माने जाने के लिए बाध्य होगा या उन अधिसूचनाओं को भी वन विभाग और वानिकी प्रबन्धन अपनी सुविधा और अपनी मनमर्जी के आधार पर माने जाने या न माने जाने के लिए स्वतंत्र और अधिकृत होंगे।

इन दोनों ही सवालों के उत्तर भारतीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था अभी तक तलाश नहीं कर पाई, खासकर याचिका क्रमांक 202/95 में सर्वोच्च अदालत भी इन सभी सवालों पर 1996 से अभी तक समग्र रूप से विचार नहीं कर पाई।

सन 1956 से 2000 तक और 2000 से आज तक राज्य शासन का राजपत्र सभी वनमंडलों में, वनवृतों में, वन मुख्यालय में, कलेक्टर कार्यालय में, आयुक्त कार्यालयों में पहुंचता रहा है, लेकिन इन राजपत्रों में भूमि संबंधी विषयों पर वन विभाग द्वारा प्रकाशित अधिसूचनाओं के आधार पर की जाने वाली कार्यवाहियां नहीं की गईं। यहां तक कि इन अधिसूचनाओं की प्रतियां भी वन विभाग एवं राजस्व विभाग ने संधारित ही नहीं की। इसी लापरवाही को राज्य सरकार ने अपना हथियार बनाकर सर्वोच्च अदालत से याचिका क्रमांक 202/95 में इन अधिसूचनाओं और उनके परिणामों की समस्त जानकारी 1996 से अभी तक छिपाई या यह जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई, बल्कि इन अधिसूचनाओं और उसके परिणामों के विपरीत न्यायपालिका को अनेक अवसरों पर गलत जानकारियां प्रस्तुत की गईं।

इस किताब के लेखक ने वन विभाग से संबंधित जानकारियों, अधिसूचनाओं का संकलन किया। उसके आधार पर राज्य मंत्रालय में 25 फरवरी 2003 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वन विभाग एवं राजस्व विभाग के प्रमुखों सहित वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष वस्तुस्थिति को रखा। इसी तरह का प्रयास छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष 04 जून 2005 एवं 20–21 जून 2005 को आयोजित बैठक में किया गया।

दोनों ही राज्यों के तत्कालीन मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी में प्रस्तुत तथ्यों के बाद भी दोनों ही राज्यों के वन मुख्यालय राजपत्र में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29, धारा 4(1), धारा 20 एवं धारा 34 अ में प्रकाशित अधिसूचनाओं की प्रतियां भी संकलित नहीं कर पाए। इन अधिसूचनाओं के अनुसार लम्बित कार्यवाहियों

को पूरा नहीं कर पाए और इन अधिसूचनाओं से संबंधित जानकारी सर्वोच्च अदालत के सामने भी प्रस्तुत नहीं कर पाए।

राजपत्र में वन विभाग अधिसूचित भूमियों के वानिकी प्रबन्धन फर्जी आंकड़े जारी करते रहा। इन्ही फर्जी आंकड़ों पर आधारित पर्यावरण संरक्षण के प्रयास आज भी बड़े ही जोर– शोर से किए जा रहे हैं। हम इसकी हकीकत को प्रमाणों के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं।

"भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के तहत अधिसूचनाएं"

देश की सर्वोच्च अदालत के द्वारा सिविल याचिका क्रमांक 202/95 में दिनांक 12 दिसम्बर 1996 को राजस्व अभिलेखों में जंगल मद में दर्ज जमीनों को वन भूमि परिभाषित कर वन संरक्षण कानून 1980 के दायरे में आने वाली भूमि आदेशित किया।

वानिकी प्रबन्धकों के द्वारा राजस्व अभिलेखों में जंगल मद में दर्ज जमीनों को पहले ही संरक्षित वन अधिसूचित कर भारतीय वन अधिनियम 1927 के दायरे में आने वाली भूमि मान लिया, अपने नियंत्रण और प्रबन्धन में भी ले लिया।

जंगल मद में दर्ज जमीनों को लेकर इस दोहरी स्थिति पर न्यायपालिका भी आज तक विचार नहीं कर पाई बल्कि न्यायपालिका आज तक यह स्पष्ट नहीं कर पाई कि उसके द्वारा जंगल मद की जमीनों को वनभूमि परिभाषित कर दिए गए आदेश को माना जाएगा या वन विभाग के द्वारा संरक्षित वन अधिसूचित कर दिए जाने वाली अधिसूचनाओं को माना जाएगा या वानिकी प्रबन्धकों की मर्जी पर होगा कि वह इन दोनों ही स्थितियों में से अपनी सुविधा के अनुसार दोनों ही स्थितियों को माने या किसी एक स्थिति को माने।

जंगल मद में दर्ज भूमियों को लेकर यह सभी सवाल उस समय और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब मध्यप्रदेश सरकार द्वारा सर्वोच्च अदालत में दायर की गई पुनर्विचार याचिका आई.ए. क्रमांक 791–792 में दिए गए 01 अगस्त 2003 के आदेश पर नजर जाती है।

रीवा राजदरबार के द्वारा **शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली, सतना, रीवा, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ एवं दतिया** जिलों के राजस्व अभिलेखों में दर्ज जमीनों को संरक्षित वन आदेशित और घोषित किया। इन जमीनों को राजपत्र में संरक्षित वन अधिसूचित नहीं किया, लेकिन वानिकी प्रबन्धक रीवा राजदरबार के आदेश को सर्वोच्च मानते हुए अधिसूचना के बिना ही राजस्व अभिलेखों में दर्ज जमीनों को संरक्षित वन मानते और बताते आए हैं। इन जमीनों को धारा 4(1) में अधिसूचित किया धारा 20 में भी अधिसूचित किया, धारा 34 अ में भी अधिसूचित कर दिया।

1937 का आदेश

Appendix - X

Rewa Darbar order dated 06-02-1937, declaring all forested lands within the princelv-State of Rewa a as Protected Forests.

The Darbar is here by pleased to declared under section 29 of the Rewa Forest Act the provisions of chapter IV of the aforesaid Act, Applicable to all forest land, and wast which is not included in a R.F., Land holding (includig air or Gram) or badi or tank or municipal, compound or Bazar area.

भोपाल प्रान्त सरकार के द्वारा तो राजस्व ग्रामों में दर्ज बड़े झाड़ के जंगल एवं छोटे झाड़ के जंगल मद की जमीनों को रकबे सहित राजपत्र में संरक्षित वन अधिसूचित किया। वर्तमान **सीहोर, भोपाल एवं रायसेन** जिले के लिए जारी इन अधिसूचनाओं के अतिरिक्त राजस्व भूमियों को वन विभाग ने संरक्षित वन भूमि मान लिया। उन्हें धारा 4(1) धारा 20 एवं धारा 34 अ में भी अधिसूचित कर दिया।

1954 की अधिसूचना

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

NO. 21, Dated the 14th June, 1954

In excercise of the paras conferred under Scetion 29 of the Indian Forest act, 1927 as declarated by the Central Government under Notification No. 104-J dated the 24th August 1950, the chief commissioner of Bhopal has been pleased to declare the Chhota and Bara Jungles of the following Jagir village which have been resumed by government and transferred to the forest department as "Protected Forests"

The residence of the respective village will continue to enjoy the rights as entered in the village Wajib-ul-arg.

Rules regarding Fire Protection, Grazing, Shooting and catting, Felling and Removal of tress or other Produce, published under notification No. 2 dated the 6th March, 1954 in the State Gazzette dated 9th March, 1954 will apply to these areas with immediare effect.

M.S. DAS
Commissioner

DETAILS OF AREA

WESTERN DIVISION

S. No.	Name of Forest	Name of Tahsil	Name of village	Bara Jungle	Chhota Jungle	Total	Survey Numbers
1	2	3	4	5	6	7	8

मध्य प्रान्त सरकार ने **रतलाम, नीमच, मंदसौर, अशोकनगर, गुना, शिवपुरी, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खण्डवा, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, इन्दौर, विदिशा, राजगढ़, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, भिंड, उज्जैन, शाजापुर, देवास** जिलों के राजस्व अभिलेखों में "वन" के रूप में दर्ज भूमियों को 01 मार्च 1955 को संरक्षित वन भूमि अधिसूचित कर दिया। गैर वन के रूप में दर्ज भूमियों को भी संरक्षित वन मानकर वनखण्ड बना लिए और उन्हें आरक्षित वन बनाए जाने के लिए प्रस्तावित कर वर्किंग प्लान में सम्मिलित कर लिया, धारा 34 अ के तहत डीनोटीफाइड भी कर दिया।

मध्य प्रान्त की 1955 की अधिसूचना

FOREST AND TRIBAL WELFARE DEPARTMENT GWALIOR

Notification

No. 1101/XF/203(54), Gwalior, dated the 1st March, 1955

In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Madhya Bharat Forest Act, Samvat 2007, the Government as pleased hereby to declare such lands in the ex-jagirdari and ex-Zamindari areas of Madhya Bharat, resumed under the Madhya Bharat Abolition of Jagirs Act, Samvat 2008 and the Madhya Bharat Zamindari Abolition Act, Samvat 2008, respectively as have been recorded as forests in the last settlement in the area concerned and as are not encluded in the reserved forests, to be protected forests, provided that any existingt rights of individuals or communities is such lands shall not be abridged or affected pending the enquiry and record in **accordance** with the provisions of sub-section 3 of the said section.

मध्य भारत वन विधान, संवत् 2007 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए शासन इस विज्ञप्ति द्वारा, मध्य भारत जांगीर समाप्ति विधान, संवत् 2008 तथा मध्य भारत जमींदारीं समाप्ति विधान, संवत् 2008 के अधीन पुनर्रमूद्दीन गत जागीरदारी तथा जमींदारीं क्षेत्रों की ऐसी भूमियों जो कि सम्बन्धित क्षेत्र के विगत अन्तिम व्यवस्थापन में वन के रूप में लिखी गई हों और जोकि सुरक्षित वनों में सम्मिलित न हो, रक्षित वन घोषित करना है, किन्तु व्यक्तियों या जातियों के ऐसी भूमियों में विद्यमान स्वत्व, उक्त धारा की उपधारा धारा (3) के आदेशों के अनुसरण में की जाने वाली जांच तथा लेखा के अपूर्ण रहने तक कम या प्रभावित न होगे.

आज्ञा से,
एस.पी. मित्रा सेक्रेटरी

मध्यप्रदेश सरकार ने 01 अगस्त 1958 को राजपत्र में वर्तमान मध्यप्रदेश के **बालाघाट, बैतूल, छिन्दवाड़ा, होशंगाबाद, हरदा, जबलपुर, कटनी, मंडला, डिन्डौरी, सागर, दमोह, सिवनी, नरसिंहपुर** जिलों एवं छत्तीसगढ़ राज्य के **रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बस्तर, बिलासपुर, सरगुजा, रायगढ़, महासमुन्द, धमतरी, कवर्धा, कांकेर, दंतेवाड़ा, जांजगीर, कोरबा, कोरिया, जशपुर** जिलों के लिए स्वामित्वाधिकारों के अन्त का कानून 1950 के अनुसार अर्जित जमीनों में से जंगल मद में दर्ज जमीनों को संरक्षित वन अधिसूचित कर दिया, लेकिन अर्जित जमीनों में से गैर जंगल मद में दर्ज जमीनों एवं रैय्यतवारी और मसाहती ग्रामों की गैर संरक्षित वनभूमियों को भी धारा 4(1), धारा 20 एवं धारा 34 अ में अधिसूचित कर दिया।

मध्यप्रदेश सरकार की 1958 की अधिसूचना

म.प्र. शासन की अधिसूचना प्रकाशन दिनांक 1 अगस्त 1958

No. 9-X-58- Whereas the State Government consider it necessary to make the provisions of Chapter IV of the Indian Forest Act, 1927, (XVI of 1927, herein after referred as the said Act,) as applicable to forest land specified in the Schedule below;

AND WHEREAS the State Government think that an enquiry and record as required by sub-section(3) of section 29 for the said Act are necessary, but that they will occupy such length of time as in the mean time to endanger to rights of Government;

Now, THEREFOR, in exercised of the powers conferred by section 29 of the said Act, The State Government hereby declare the provisions of Chapter IV of the said act applicable to the aforesaid land] pending such inquiry and record, subject to the condition that existing rights of individuals or communityes in such land shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government Government from time to time:-

Schedule

All such forest land which has vested in the State by virtue of the provisions contained in that behalf in Madhya Pradesh Ablition of Proprietary Rights (Estates, mahals, Alienated lands) Act; 1950 (I of 1951) and has been transferred to the Forest Department for Management but has not so far been declared as Reserved forest or Protected Forest.

राजस्व अभिलेखों में दर्ज जंगल मद की जमीनों को वन विभाग ने संरक्षित वन अधिसूचित कर दिया, लेकिन गैर जंगल मद में दर्ज जमीनों सहित गैर संरक्षित वन भूमियों को धारा 4(1), धारा 20 एवं धारा 34 अ में 1980 तक अधिसूचित कर दिया। राजस्व अभिलेखों में दर्ज लगभग 1 करोड़ 10 लाख हेक्टेयर राजस्व भूमियों पर वन विभाग ने अपना नियंत्रण कायम कर वन विभाग के अभिलेखों में इन भूमियों को वनभूमि के रूप में दर्ज कर वन भूमि प्रतिवेदित भी किया जाने लगा, लेकिन राजस्व विभाग इन जमीनों को राजस्व भूमि बताकर राजस्व अभिलेखों में दर्ज करते आया, राजस्व भूमि के रूप में ही प्रतिवेदित करते आया।

1965 में राजस्व विभाग द्वारा प्रतिवेदित राजस्व भूमि एवं वन विभाग के द्वारा प्रतिवेदित वनभूमि को एक साथ रखे जाने पर राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में 95 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की वृद्धि होना दिखाई देने लगा।

कुल क्षेत्रफल	राजस्व विभाग द्वारा प्रतिवेदित राजस्व भूमि	वन विभाग के द्वारा प्रतिवेदित वन भूमि	अन्तर
44234011	36646193	17160900	9573082

वन विभाग ने भूप्रबन्धन इकाइयां बनाई, व्यापक स्तर पर संरक्षित वन भूमि का सर्वे डिमारकेशन किया, संरक्षित वन सर्वे डिमारकेशन रिपोर्ट, संरक्षित वन सर्वे कम्पलीशन रिपोर्ट, संरक्षित वन क्षेत्रफल पंजी एवं बनाए गए वनखण्डों की ब्लॉक हिस्ट्री 1980 तक बनाई। इन विभागीय अभिलेखों में भूमियों की राजस्व अभिलेखों में दर्ज मदों के ब्यौरे अंकित नहीं किए गए। इन अभिलेखों में समाज के प्रचलित अधिकारों एवं प्रयोजनों के ब्यौरे भी अंकित नहीं किए गए।

वन संरक्षण कानून 1980 लागू होने के बाद वन विभाग ने विभागीय अभिलेखों में दर्ज कर ली गई। जंगल मद की जमीनों, गैर जंगल मद की जमीनों, गैर संरक्षित वन भूमियों, निजी भूमियों, इन भूमियों में से राजस्व विभाग को अन्तरित कर दी गई। भूमियों, राजपत्र में डीनोटीफाइड कर दी गई। भूमियों को संरक्षित वन भूमि माना जाकर राष्ट्र के सामने प्रस्तुत किया। इन भूमियों को वर्किंग प्लान में संरक्षित वन भूमि बताया जाकर सम्मिलित कर लिया। इन भूमियों का नियंत्रण, प्रबन्धन, विकास और विदोहन किया जाने लगा। इन भूमियों पर प्रचलित समस्त अधिकारों को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 एवं 33 के अनुसार वन अपराध माना जाकर व्यापकता के साथ कार्यवाहियां की जाने लगी।

देश की सर्वोच्च अदालत के द्वारा सिविल याचिका क्रमांक 202/95 में दिनांक 12 दिसम्बर 1996 को वन और वन भूमि की व्याख्या एवं परिभाषा की गई। मध्यप्रदेश शासन की पुनर्विचार याचिका आई.ए. क्रमांक 791–792 में दिनांक 01 अगस्त 2003 को वन संरक्षण कानून के दायरे में आने वाली वनभूमि आदेशित की गई। ग्वालियर पीठ द्वारा सिविल याचिका क्रमांक 1413/2002 में दिनांक 08 सितम्बर 2006 को वन संरक्षण कानून के दायरे से बाहर की भूमि आदेशित की गई। सर्वोच्च अदालत ने भी वन संरक्षण कानून के दायरे से बाहर मानी गई भूमियों के संबंध में आदेश दिए।

सर्वोच्च अदालत के सहयोग के लिए गठित की गई सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी के द्वारा मध्यप्रदेश शासन के प्रस्तुत आवेदन क्रमांक 513 में दिनांक 29 जनवरी 2002 को बड़े झाड़ के जंगल, छोटे झाड़ के जंगल मद की जमीनों के संबंध में आदेश दिया और राज्य सरकार द्वारा संकलित जानकारी के आधार पर ही देश की सर्वोच्च अदालत के समक्ष अपना अभिमत भी प्रस्तुत किया, जिसे स्वीकारते हुए 01 अगस्त 2003 को न्यायालय ने आदेश दिया। इसी सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी के समक्ष एकता परिषद् ने 22 जुलाई 2003 को आवेदन क्रमांक 196/2003 दिया। इस आवेदन पर छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से कांकेर के तत्कालीन मुख्य वन संरक्षक द्वारा दिनांक 05 फरवरी 2004 को मय शपथ पत्र के उत्तर प्रस्तुत किया, लेकिन मध्यप्रदेश सरकार ने इस आवेदन पर उत्तर प्रस्तुत नहीं किया तो सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी ने उत्तर प्राप्त कर सर्वोच्च अदालत को वस्तुस्थिति से अवगत कराए जाने का कोई प्रयास भी नहीं किया।

वन विभाग और वानिकी प्रबन्धकों ने अपने किसी भी विभागीय अभिलेख में भूमियों की मद, उनके प्रयोजन, उन पर अधिकार दर्ज नहीं किए। राज्य सरकार, भारत सरकार, सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को यह जानकारी भी नहीं दी, लेकिन आश्चर्यज़नक रूप से किसी ने भी वानिकी प्रबन्धकों से आज तक भूमियों की मद और उन पर प्रचलित अधिकार एवं प्रयोजनों की जानकारी प्रस्तुत करने का आदेश दिए जाने का साहस भी नहीं किया।

जनजातीय समुदाय एवं जंगलों पर आश्रित समुदाय के विरूद्ध आजादी के बाद प्रारम्भ किए गए ऐतिहासिक अन्याय के लिए भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 का भरपूर उपयोग किया गया। वन संरक्षण कानून 1980 के दायरे में संरक्षित वन भूमि मान लिया तो याचिका क्रमांक 202/95 में परिभाषित वन भूमि मान लिया, वन अधिकार कानून 2006 के अनुसार समझे गए वन भी मान लिया। इन सबके बाद भी प्रजातंत्र हर हकीकत से अंजान ही बना रहना चाहता है। फिर भी हम यहां हकीकत को जानने के लिए एक प्रयास के रूप में सुझाव भी प्रस्तुत कर रहे हैं।

संरक्षित वन सर्वे डिमारकेशन में शामिल				राजस्व अभिलेखों में दर्ज ब्यौरे	
खसरा क्र.	रकबा	वनखण्ड में		भूमि की	भूमि का
		शामिल रकबा	बाहर छोड़ा रकबा	मद	प्रयोजन
1	2	3	4	5	6

राज्य सरकार और भारत सरकार देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था के प्रति खासकर देश की न्यायपालिका के प्रति अपने आपको जिम्मेदार और जवाबदेह मानती तो 1996 के बाद परिभाषित और आदेशित भूमियों के संबंध में शासकीय अभिलेखों में दर्ज ब्यौरो के आधार पर हकीकत को आसानी से प्रस्तुत कर सकती थी। सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी जनजातीय समुदाय एवं जंगलों पर आश्रित समुदाय के विरूद्ध अपनाए गए रूख की बजाय न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह और

जिम्मेदार रूख अपनाती तो वह भी यह जानकारी प्राप्त कर देश की सर्वोच्च अदालत को हकीकत से अवगत करा सकती थी।

यह पूरा विषय ऐतिहासिक अन्याय को प्रमाणित तो कर ही रहा है, देश की न्यायपालिका के प्रति अविश्वास, असम्मान के साथ ही न्यायालीन आदेश के दुरूपयोग और आदेश की अवमानना कर प्रजातांत्रिक न्यायिक इतिहास में अपना स्थान सुरक्षित कर चुका है, जिसे बदला तो जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। देश की न्यायपालिका से अनजाने में हकीकत नहीं छिपाई गई बल्कि जो हकीकत मध्यप्रदेश की विधानसभा में राज्य सरकार के द्वारा लिखित रूप से प्रस्तुत की गई उसे जानबूझकर न्यायालय से छिपा लिया गया।

संरक्षित वन की अधिसूचना

दिनांक 7 नवम्बर 2006

9 (क्र. 366) श्री रसाल सिंह : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेगें कि (क) क्या यह सही है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भोपाल के द्वारा अपने पत्र क्रमांक एफ. 9/2006/893, दिनांक 1–9–2006 के द्वारा माननीय नेता प्रतिपक्ष को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के तहत 1937 से 1980 तक एवं 1980 से 2005 तक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचनाओं की जानकारी दी गई है ? (ख) यदि हां तो 1980 के पूर्व राजपत्र में अधिसूचना जारी की जाकर राजस्व अभिलेखों में किन–किन मदों, किन–किन प्रयोजनों के लिए दर्ज जमीनों को संरक्षित वन घोषित किया गया है, अधिसूचना की प्रति सहित बतावें ? (ग) 1980 के बाद किस दिनांक के राजपत्र में धारा 29 के तहत प्रकाशित अधिसूचनाओं के तहत कितने ग्राम की कितनी भूमि संरक्षित वन घोषित की गई है ? वह राजस्व अभिलेख में किस–किस मद व किस–किस प्रयोजन के लिए दर्ज रही हैं?(घ) राजस्व अभिलेख निस्तार पत्रक में निस्तारी प्रयोजन के लिए दर्ज जमीनों को संरक्षित वन भूमि घोषित किये जाने का क्या कारण रहा है ?

{वन मंत्री (श्री हिम्मत कोठारी) : (क) प्रश्नांक "क" में उल्लेखित पत्र द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अतिरिक्त धारा 4 (1), धारा 20, धारा 27, धारा 34(अ) की भी राजपत्र में प्रकाशित की गई अधिसूचनाओं की वन मुख्यालय में प्राप्त प्रतिवेदनों की संकलित जानकारी माननीय नेता प्रतिपक्ष को उपलब्ध कराई गई है. (ख) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है}

वन मंत्री (श्री विजय शाह) : (ख) उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर वर्ष 1980 के पूर्व विभिन्न आदेशों एवं अधिसूचनाओं द्वारा जो भूमि संरक्षित वन घोषित की गई ?अधिसूचनाओं में उनके दर्ज मदों एवं प्रयोजनों की जानकारी परिशिष्ट "अ" में है. घोषित की गई संरक्षित वनभूमि राजस्व अभिलेखों में मुख्य रूप से छोटे झाड़ के जंगल, बड़े झाड़ के जंगल, पहाड़ चट्टान, चरनोई, जंगल खुर्द, जंगलात आदि मद एवं प्रयोजन हेतु दर्ज रही है. परिशिष्ट में उल्लेखित आदेशों तथा अधिसूचनाओं के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रतियां संलग्न है. (ग) भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत वर्ष 1980 के बाद घोषित संरक्षित वन की जानकारी परिशिष्ट "ब" में है. संरक्षित वन घोषित भूमियाँ राजस्व अभिलेखों में मुख्यतः घास, चरनोई, छोटे–बड़े झाड़ का जंगल, पहाड़ चट्टान, चरोखर, निस्तार, बंजर/पड़त भूमि, जंगलकला, गोठान, रास्ता, काबिल कास्त इत्यादि मदों एवं प्रयोजनों में दर्ज रही है. (घ) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत प्रत्यावर्तित वनभूमि के कारण वनों की कमी की भरपाई के लिए तथा राष्ट्रीय वन नीति के अनुपालन में भौगोलिक क्षेत्रफल का 33 प्रतिशत क्षेत्र वनों के अन्तर्गत लाने के लिए ऐसा किया जाता है।

उत्तरांश "ख" की जानकारी

क्र.	अधिसूचना/आदेश क्रमांक व दिनांक	आदेश जारीकर्ता	मद/प्रयोजन	आदेश का संक्षिप्त विवरण
1	आदेश क्र. 124 दिनांक 08.02.1937	दरबार आर्डर नोटिफिकेशन मिनिस्टर व सेक्रेटरी साहबान रीवा राजदरबार	अधिसूचना में उल्लेखित नही हैं।	आरक्षित वन या होल्डिंग या आबादी या टैंक या म्यूनिसिपल या कन्टूनमेन्ट या बस्तर (यह शब्द संभवतः बाजार होना चाहिए) एरिया मे सम्मिलित क्षेत्र को छोड़कर शेष समस्त वन भूमि एवं पड़त भूमि पर रीवा फारेस्ट एक्ट की धारा 29 के प्रावधान लागू होगें।
2	अधिसूचना क्र. 11 दिनांक 06.03.1954	म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल गजट	छोटा जंगल	भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के तहत ग्राम डोगरिया का छोटा जंगल को संरक्षित वन घोषित किया गया।
3	अधिसूचना क्र. 21 दिनांक 14.06.1954	म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल गजट	जागीर के मौजों के छोटे एवं बड़े जंगलों	भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के तहत जागीर मौजों का छोटा एवं बड़ा जंगल को संरक्षित वन घोषित किया गया।
4	अधिसूचना क्र. 22 दिनांक 29.06.1956	म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल गजट	छोटा तथा बड़ा जंगल	भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के तहत अनुसूची में वर्णित ग्रामों के छोटा एवं बड़ा जंगल को संरक्षित वन घोषित किया गया।

5	अधिसूचना क्र. 36 दिनांक 18.10.1954	म.प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल गजट	छोटा तथा बड़ा जंगल	भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के तहत अनुसूची में वर्णित ग्रामों के छोटा एवं बड़ा जंगल को संरक्षित वन घोषित किया गया।
6	अधि. क्र. 1101– XF–203(54) दि. 01.03.1955	फॉरेस्ट एवं ट्रायवल वेलफेयर विभाग, ग्वालियर, मध्य भारत का गजट	पूर्व जमींदारों एवं जागीरदारों का क्षेत्र	गत जागीरदारी एवं जमींदारी क्षेत्रों की ऐसी भूमियों को जो कि आरक्षित वनों में सम्मिलित न हो को मध्य भारत वन विधान संवत् 2007 की धारा 29 के तहत संरक्षित वन घोषित किया गया।
7	अधि. क्र. 3060–404 -XI दि. 4.6.1955	म.प्र. शासन वन विभाग	अधिसूचना में उल्लेखित नहीं है।	म.प्र. जमींदारी उन्मूलन एक्ट 1950 के तहत राज्य शासन में वेष्ठित वन भूमियों को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के तहत संरक्षित वन घोषित किया गया।
8	अधि. क्र. 3061–906-XI दिनांक 4.06.1955			
9	अधि. क्र. 3066–2422-XI दिनांक 04.06.1955			
10	अधि. क्र. 3067–2422-XI दिनांक 04.06.1955			
11	अधि. क्र. 4686–404-XI दिनांक 28.02.1957			
12	अधि. क्र. 3393-X-57 दिनांक 11.07.1957			
13	अधि. क्र. 9–एक्स–58 दिनांक 10.07.1958	म.प्र. शासन वन विभाग	अधिसूचना में उल्लेखित नही हैं।	म.प्र. जमींदारी उन्मूलन एक्ट 1950 के तहत राज्य शासन में वेष्ठित उन वन भूमियों को जो पूर्व से आरक्षित वन घोषित नही हें, उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के तहत संरक्षित वन घोषित किया गया।
14	अधि.क्र.–2523–2988– 10–58 दिनांक 13.06.1957	म.प्र. शासन वन विभाग	अधिसूचना की प्रति उपलब्ध नही हैं।	

भारतीय न्यायिक व्यवस्था बेजोड़ है याचिका क्रमांक 202/95 में 1996 से लगातार सुनवाई हो रही हैं न्याय मित्र काम कर रहे हैं, सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी सहयोग कर रही है, सैकड़ों आदेश भी हो गए हैं, इसके बाद यह भी एक कड़वी हकीकत है।

"भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4(1) के तहत अधिसूचनाएं"

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 3 में किन भूमियों को आरक्षित वन बनाया जा सकता है इसका प्रावधान दिया गया है। धारा 4 (1) में शासन आरक्षित वन बनाए जाने की मंशा के साथ प्रस्ताव राजपत्र में अधिसूचित करता है, जिसके बाद वन व्यवस्थापन अधिकारी को धारा 5 से 19 तक की जांच कर धारा 20 के तहत आरक्षित वन अधिसूचित किए जाने का आदेश जारी करने का अधिकार दिया गया है।

अविभाजित मध्यप्रदेश में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के तहत संरक्षित वन घोषित या अधिसूचित की गई भूमियों के सर्वे डिमारकेशन के लिए कुछ जिलों में 1950 से भूप्रबन्ध इकाइयों ने कार्य प्रारम्भ किया तो कुछ जिलों में 1960 से भू–प्रबन्धन इकाइयों के द्वारा कार्य प्रारम्भ कर वानिकी प्रबन्धन के लिए उपयुक्त जमीनों का चयन कर वनखण्ड बनाए और उन्हें धारा 4(1) में अधिसूचित कर वन व्यवस्थापन अधिकारी को धारा 5 से 19 तक की कार्यवाही के लिए अधिकृत किया।

मध्यप्रदेश शासन ने 08 दिसम्बर 2009 में वन व्यवस्थापन अधिकारियों के लिए दिशा निर्देश जारी कर धारा 5 से 19 तक की जांच एवं कार्यवाही 16 माह में पूरी करने के आदेश दिए। इसी दिशा निर्देश में मध्यप्रदेश में धारा 5 से 19 तक की जांच के लिए लम्बित बताए गए वनखण्डों की संख्या भी दी गई।

क्र. नाम	जिले का नाम	धारा 4(1) में वनखण्ड की संख्या	अधिसूचित रकबा (हेक्टे. में)	क्र. नाम	जिले का नाम	धारा 4(1) में वनखण्ड की संख्या	अधिसूचित रकबा (हेक्टे. में)
1	बालाघाट	56	57087	24	मंडला	218	2640
2	बैतूल	482	71684	25	खण्डवा	150	3561
3	सीहोर	74	47105	26	बुरहानपुर	28	3962
4	राजगढ़	26	21507	27	बड़वानी	7	311
5	रायसेन	397	118735	28	खरगोन	34	1130
6	विदिशा	124	63821	29	रीवा	42	36354
7	भोपाल	50	13338	30	सतना	90	201014
8	छतरपुर	229	197792	31	सीधी	416	167853
9	टीकमगढ़	255	36438	32	सागर	512	100354
10	पन्ना	148	336366	33	दमोह	176	56758
11	छिन्दवाड़ा	538	223498	34	नरसिंहपुर	149	69633
12	होशंगाबाद	129	137293	35	सिवनी	298	24956
13	हरदा	55	31146	36	शिवपुरी	224	152450
14	ग्वालियर	32	25303	37	गुना	151	137442
15	दतिया	9	19716	38	अशोकनगर	45	30512
16	भिन्ड	35	5192	39	शहडोल	449	74945
17	मुरैना	51	67145	40	अनूपपुर	277	31158
18	श्योपुर	93	78803	41	उमरिया	249	59620
19	इन्दौर	8	3604	42	शाजापुर	9	5559
20	धार	29	47390	43	रतलाम	29	119229
21	झाबुआ	10	22936	44	मंदसौर	20	6082
22	जबलपुर	53	19370	45	नीमच	14	28859
23	कटनी	104	41893	46	देवास	8	3086
कुल योग						**6520**	**3004624**

छत्तीसगढ़ शासन ने धारा 4(1) में अधिसूचित धारा 5 से 19 तक की जांच के लिए लम्बित भूमियों के संबंध में आवश्यक जानकारियों का संकलन नहीं किया। राज्य शासन ने 1988 में धारा 4(1) की संशोधित अधिसूचना प्रकाशित कर अनुविभागीय अधिकारियों को वन व्यवस्थापन अधिकारी बनाया। हमने इस तरह की अधिसूचनाओं का संकलन किया जिसके अनुसार –

क्र.	अनुविभाग का नाम	वनखण्डों की संख्या	क्र.	अनुविभाग का नाम	वनखण्डों की संख्या
1	महासमुन्द	121	21	सारंगढ़	34
2	बिन्द्रानवागढ़ (गरियाबंद)	13	22	बिलासपुर	5
3	धमतरी	58	23	पेन्ड्रारोड	13
4	बालोद	31	24	कोरबा	91
5	कोंटा	40	25	रायगढ़	100
6	जगदलपुर	53	26	धर्मजयगढ़	240
7	राजनांदगांव	58	27	सूरजपुर	216
8	डोंगरगढ़	83	28	कोरबा	254

9	कवर्धा	97	29	जशपुर	605
10	नारायणपुर	27	30	कोंटा	78
11	राजनांदगांव	78	31	बीजापुर	32
12	कोंटा	7	32	भोपालपट्नम्	16
13	भानुप्रतापपुर	3	33	जगदलपुर	20
14	बालोद	8	34	नारायणपुर	53
15	मोहला	92	35	दंतेवाड़ा	23
16	मनेन्द्रगढ़	50	36	दंतेवाड़ा	7
17	बैकुण्ठपुर	160	37	कोण्डागांव	39
18	कोंडागांव	236	38	जगदलपुर	7
19	अम्बिकापुर	324	39	गरियाबंद	102
20	पाल	526		**कुल योग**	**4000**

धारा 4(1) के तहत अधिसूचित वनखण्डों में धारा 29 के तहत अधिसूचित/घोषित संरक्षित वन भूमि रही है, मालगुजारीं, जमींदारी ग्रामों की गैर जंगल मद में दर्ज गैर संरक्षित वन भूमि रही है, रैय्यतवारी एवं मसाहती ग्रामों की भी गैर संरक्षित वन भूमि रही है, किसानों की निजी भू–स्वामी हक की जमीनें भी रही हैं, जिसकी जांच वर्तमान में भी लम्बित हैं।

धारा 29 में संरक्षित वन भूमियों पर प्रचलित समस्त अधिकार जांच पूरी होने तक यथावत बने रहेंगे का प्रावधान दिया है। धारा 11 में निजी भूमि का अर्जन भू अर्जन अधिनियम 1894 के अनुसार किए जाने का प्रावधान है, अर्जन अधिनियम की धारा 11 क में अवार्ड पारित किए जाने के लिए दो साल की समय सीमा निश्चित की गई है तो धारा 16 में अवार्ड पारित किए जाने के बाद भूमि पर कब्जे का प्रावधान दिया गया है।

भारतीय वन अधिनियम में प्रचलित अधिकारों की जांच एवं आदेश का प्रावधान दिया गया है, वनभूमि का मानचित्र एवं अन्य अभिलेख बनाए जाने का अधिकार वन व्यवस्थापन अधिकारी को दिया गया है। वन व्यवस्थापन अधिकारी के आदेश की कलेक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का भी प्रावधान दिया है।

धारा 29 एवं धारा 4(1) में अधिसूचित की गई भूमियों के प्रबन्धन एवं राजस्व विभाग को अन्तरण के लिए प्रस्तावित भूमियों पर स्थित वनोपज के विदोहन के लिए हर वनमंडल की वर्किंग स्कीम बनाई गई, लेकिन इन वर्किंग स्कीम को कब और किसके आदेश से समाप्त किया गया वर्किंग स्कीम में सम्मिलित धारा 4(1) में अधिसूचित वनखण्डों और जमीनों को किन प्रावधानों के अनुसार वन विभाग ने वर्किंग प्लान में सम्मिलित कर लिया, यह आज तक सार्वजनिक नहीं किया जा सका।

वर्किंग प्लान अधिकारियों के द्वारा वर्किंग प्लान में सम्मिलित प्रस्तावित आरक्षित वन क्षेत्रों के संरक्षित वन मानचित्र बना लिए, भूमियों पर प्रचलित समस्त अधिकारों को समाप्त मान लिया। निजी भूमि को भी बिना मुआवजा निर्धारण के ही संरक्षित वन भूमि मान लिया। वर्किंग प्लान ऑफिसरों के द्वारा प्रस्तावित वर्किंग प्लान को बिना किसी आपत्ति के राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत और अनुमोदित किया भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा भी स्वीकृत और अनुमोदित कर दिया गया।

वन विभाग धारा 4(1) में आरक्षित वन बनाए जाने के लिए प्रस्तावित एवं अधिसूचित भूमियों को संरक्षित वन भूमि मानकर नियंत्रण, प्रबन्धन, वनोपज विदोहन की योजनाएं लागू कर शासकीय धन का अपव्यय एवं दुरूपयोग करते आया है। इन जमीनों को वानिकी और गैर वानिकी कार्यों के लिए अन्तरित, आवंटित और निर्वनीकृत भी करते आया है।

वन संरक्षण कानून 1980 लागू होने के बाद भारत सरकार की सहमति और अनुमति से वन विभाग आरक्षित वन बनाए जाने के लिए प्रस्तावित भूमियों को संरक्षित वन भूमि प्रतिवेदित कर कार्यवाहियां करते रहा है। सिविल याचिका क्रमांक 202/95 में 12 दिसम्बर 1996 को दिए गए आदेश के बाद भी इस स्थिति में कोई परिवर्तन वन विभाग के द्वारा नहीं किया गया।

वन विभाग भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 एवं धारा 3 से 20 तक का लगातार उल्लंघन करते आया है। फॉरेस्ट मैनुअल के भी प्रावधानों का उल्लंघन करते आया है। अपनी समस्त अवैधानिक कार्यवाहियों के बाद भी संरक्षित वन क्षेत्रों के नाम पर व्यापकता के साथ शासकीय धन का अपव्यय एवं दुरूपयोग भी करते आया है, लेकिन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या महालेखाकार इस विषय पर चुप्पी साधे रहे हैं।

धारा 4(1) में अधिसूचित, आरक्षित वन बनाए जाने के लिए प्रस्तावित, धारा 5 से 19 तक की जांच के लिए लम्बित जमीनों को वर्किंग प्लान, पी.एफ. एरिया रजिस्टर, संरक्षित वन कक्ष इतिहास में सम्मिलित कर लिया, लेकिन आज तक निम्न प्रारूप में जानकारी का संकलन नहीं किया जा सका।

वनखण्ड का नाम	वनखण्ड में शामिल किया		राजस्व अभिलेखों में दर्ज ब्यौरों के आधार पर		
	खसरा क्रमांक	रकबा	भूमि की मद	भूमि का प्रयोजन	किसान
1	2	3	4	5	6

वन अधिकार कानून 2006 में सामुदायिक, परम्परागत, रूढ़िक एवं निस्तार के प्रचलित रहे अधिकारों के सामुदायिक वन अधिकार पत्र दिए जाने का प्रावधान किया, लेकिन उसके बाद भी धारा 4(1) में अधिसूचित आरक्षित वन बनाए जाने के लिए प्रस्तावित भूमियों पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज अधिकारों एवं प्रयोजनों के सामुदायिक वन अधिकार पत्र दिए जाने की बजाय धारा 5 से 19 तक की जांच और अधिकारों को समाप्त किए जाने की कार्यवाही लगातार की जाते रही हैं।

सिविल याचिका क्रमांक 202/95 में परिभाषित जंगल मद की जमीनों, न्यायालय द्वारा अपरिभाषित गैर जंगल मद की जमीनों, याचिका क्रमांक 202/95 में वन संरक्षण कानून 1980 के दायरे से बाहर मानी जाकर आदेशित की गई जमीनें, लगातार वर्किंग प्लान में संरक्षित वन भूमि के रूप में दर्ज चली आ रही है। सिविल अपील प्रकरण क्रमांक 19869/2010 में दिनांक 28 जनवरी 2011 को दिए गए आदेश के बाद भी समाज के विभिन्न अधिकारों एवं प्रयोजनों के लिए आजादी के पहले और आजादी के बाद राजस्व अभिलेखों में दर्ज जमीनें भी वर्किंग प्लान में संरक्षित वन भूमि के रूप में ही दर्ज चली आ रही हैं।

राजस्व अभिलेखों में सामुदायिक, परम्परागत, रूढ़िक एवं निस्तार के अधिकारों के लिए दर्ज जमीनों के संबंध में संविधान की 11वीं अनुसूची एवं पेसा कानून 1996 में भी पंचायती राज व्यवस्था का अधिकार, नियंत्रण एवं प्रबन्धन माना, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की जमीनें वर्किंग प्लान में संरक्षित वन भूमि के रूप में दर्ज की जा रही हैं।

वानिकी प्रबन्धकों की प्रशासकीय अयोग्यता, प्रशासकीय अक्षमता और प्रशासकीय नैतिकता की कमी के रूप में भी यह चिन्तन और चिन्ता का विषय है। जिन जमीनों को आरक्षित वन बनाए जाने के लिए प्रस्तावित कर अधिसूचित किया उन जमीनों को वर्किंग प्लान में सम्मिलित कर संरक्षित वन भूमि लगातार बताया जा रहा है। वानिकी प्रबन्धन धारा 29 एवं धारा 4(1) के अन्तर को समझ ही नहीं पाया, बल्कि इस अन्तर को समाप्त कर दिया गया।

"भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 के तहत अधिसूचनाएं"

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 3 में स्पष्ट किया गया है कि किन भूमियों को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 के तहत आरक्षित वन अधिसूचित किया जा सकता है। आरक्षित वन बनाए जाने के लिए प्रस्तावित भूमियों को धारा 4(1) में अधिसूचित किए जाने के बाद धारा 5 से 19 तक की जांच एवं कार्यवाही पूरी की जाकर धारा 20 में आरक्षित वन अधिसूचित किया जा सकता है।

सामुदायिक संसाधन हो या परम्परागत और रूढ़िक अधिकारों के उपयोग में आने वाले संसाधन हो या समाज के सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों के लिए आरक्षित संसाधन हो, उन्हें सरकारी संसाधन नहीं माना जाता, बल्कि इन संसाधनों के संबंध में सरकार एक ट्रस्टी की भूमिका ही निभाती है।

भारत की सर्वोच्च अदालत ने भी इस तरह के संसाधनों पर पंचायती राज व्यवस्था का नियंत्रण, प्रबन्धन एवं अधिकार स्वीकार किया है, बल्कि न्यायालय ने तो इस तरह के संसाधनों में से परियोजनाओं, उद्योगों, संगठन और संस्थाओं को आवंटित कर दिए जाने के बाद भी उन आवंटनों को निरस्त कर ऐसे संसाधनों को पंचायती राज व्यवस्था के नियंत्रण और प्रबन्धन में सौंपे जाने के आदेश सिविल अपील प्रकरण क्रमांक 19869/2010 में दिनांक 28 जनवरी 2011 को पुनः दिए।

आजादी के पूर्व "इजमेन्ट राइट्स" के तहत दर्ज समस्त संसाधनों को राज्य सरकार ने 1950 में बनाए गए कानूनों के तहत तत्कालीन मालगुजार, जमींदार, जागीरदार, महल और दुमाला से अर्जित किया ताकि समाज अपने अधिकारों का बिना किसी रोक–टोक के उपयोग कर सके। राज्य सरकार ने इन्ही संसाधनों को भू–राजस्व संहिता 1959 के अध्याय 18 में दखल रहित भूमि माना। धारा 234 के तहत बनाए गए ग्रामवार निस्तार पत्रक में दर्ज किया, धारा 237(1) के तहत सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों के लिए आरक्षित कर राजस्व अभिलेखों में भी दर्ज किया गया।

वानिकी प्रबन्धकों ने आजादी के पहले इजमेन्ट राइट्स के लिए दर्ज जमीनों और आजादी के बाद सामुदायिक, परम्परागत, रूढ़िक अधिकारों एवं सार्वजनिक और निस्तारी प्रयोजनों के लिए दर्ज जमीनों को धारा 29 के तहत संरक्षित वन अधिसूचित किया। धारा 4(1) में आरक्षित वन बनाए जाने के लिए प्रस्तावित किया और धारा 20 में आरक्षित वन अधिसूचित कर दिया। वर्ष 1980 तक धारा 20 में अधिसूचित आरक्षित वन भूमियों के हमारे पास उपलब्ध ब्यौरो के अनुसार –

क्र.	जिले का नाम	वनखण्डों की संख्या	रकबा (एकड़ में)	क्र.	जिले का नाम	वनखण्डों की संख्या	रकबा (एकड़ में)
1	2	3	4	1	2	3	4
1	सिवनी	300	68886.45	11	खण्डवा	2	1908.85
2	बालाघाट	96	26617.62	12	सीधी	78	15106.45
3	झाबुआ	6	7496.31	13	दतिया	25	12897.50
4	रायसेन	29	17982.95	14	जबलपुर	1	3561.36
5	दमोह	28	66005.94	15	टीकमगढ़	1	1480.70
6	देवास	2	3243.00	16	गुना	46	200292.00
7	मन्दसौर	2	6279.14	17	बस्तर	6	258141.20
8	शिवपुरी	3	1159.71	18	दुर्ग	39	19568.38
9	होशंगाबाद	39	121030.00	19	रायपुर	77	170369.52
10	पन्ना	2	81723.11		**कुल योग**	**782**	**1083750.19**

आरक्षित वन अधिसूचित किए जाने के पूर्व वन व्यवस्थापन अधिकारी के द्वारा की गई जांच, दिए गए आदेश, मान्य और अमान्य किए गए अधिकार के ब्यौरो को वानिकी अभिलेख में दर्ज किए जाने की प्रक्रिया वन मुख्यालय के द्वारा निर्धारित नहीं की गई। इन ब्यौरो को दर्ज किए जाने की भी वन मुख्यालय के द्वारा निगरानी नहीं की गई। इस पूरे विषय पर वन मुख्यालय के द्वारा किसी भी तरह का कोई नियंत्रण ही नहीं रखा गया।

वनमंडल के स्तर पर आर.एफ. एरिया रजिस्टर रखे जाने की व्यवस्था है। इस रजिस्टर में वनखण्ड में अधिसूचित आरक्षित वन पर किसी व्यक्ति या समुदाय के अधिकारों से संबंधित ब्यौरो को भी दर्ज किए जाने की व्यवस्था है, लेकिन उसके बाद भी अधिकारों का ब्यौरा आर.एफ. रजिस्टर में वानिकी प्रबन्धकों के द्वारा दर्ज नहीं किया गया।

1956 में पुनर्गठित मध्यप्रदेश का 2000 में छत्तीसगढ़ में विभाजन हुआ। इस अवधि में वन विभाग के द्वारा प्रतिवेदित आरक्षित वन के आंकड़ों में **05 लाख 73 हजार 888 हेक्टेयर** आरक्षित वन की कमी होना बताया, लेकिन **09 लाख 60 हजार 200 हेक्टेयर** आरक्षित वन में वृद्धि होना भी बताया गया। इस तरह से **03 लाख 86 हजार 312 हेक्टेयर** आरक्षित वन क्षेत्र में शुद्ध रूप से वृद्धि होना वानिकी प्रबन्धन ने प्रतिवेदित किया। इस वृद्धि का कारण भारतीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था ने जानने और समझने का कोई भी प्रयास नहीं किया।

प्राकृतिक संसाधनों को आजादी के पूर्व आरक्षित वन बनाकर ब्रिटिश हुकूमत ने जनजातीय समुदाय एवं जंगलों पर आश्रित समुदाय के अधिकारों को अपराध मान लिया। आजादी के बाद छीने गए अधिकारों को लौटाए जाने का कोई प्रयास भारतीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था ने नहीं किया बल्कि आजादी के पूर्व के बचे अधिकारों को छीनकर अपराध बनाए जाने की सुनियोजित प्रक्रिया वानिकी प्रबन्धन ने अपनाई।

आजादी के बाद प्रजातांत्रिक व्यवस्था के पूर्ण संरक्षण में जनजातीय समुदाय एवं जंगलों पर आश्रित समुदाय के विरूद्ध सुनियोजित दुष्प्रचार कर वनक्षेत्रों में कमी होना प्रचारित किया और इसके लिए अनेकानेक साजिश और षड़यंत्र भी किए गए। आश्चर्यजनक रूप से वन संरक्षण कानून 1980 लागू होने के बाद भारत सरकार या सिविल याचिका क्रमांक 202/95 में न्यायालय द्वारा 1996 में किए गए प्रभावी हस्तक्षेप के बाद वानिकी प्रबन्धकों से आरक्षित वनक्षेत्रों में वृद्धि होने का राज जानने का कोई प्रयास भी नहीं किया गया।

आजादी के बाद ऐतिहासिक अन्याय की स्वीकारोक्ति के साथ जनवरी 2008 से लागू वन अधिकार कानून 2006 की धारा 3(1) ख,ग,घ,ड़ के आधार पर आरक्षित वन बनाए जाने के लिए प्रस्तावित की गई भूमियों पर प्रचलित अधिकारों को सामुदायिक अधिकार के रूप में यथावत स्वीकार किए जाने की कोई पहल राज्य सरकार या भारत सरकार ने प्रारम्भ नहीं की, बल्कि जनवरी 2008 के बाद भी वन व्यवस्थापन अधिकारियों के द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 5 से 19 तक की जांच एवं कार्यवाही निरन्तर की जाते रही है।

देश की सर्वोच्च अदालत के द्वारा सिविल याचिका क्रमांक 202/95 में 12 दिसम्बर 1996 को वनभूमि की परिभाषा कर महत्वपूर्ण आदेश दिया, जिसमें जंगल मद में दर्ज जमीनों को वन संरक्षण कानून 1980 के दायरे में आने वाली वन भूमि माना गया, लेकिन वानिकी प्रबन्धन जंगल मद में दर्ज जमीनों को पहले ही आरक्षित वन मानकर भारतीय वन अधिनियम के दायरे में आने वाली अधिकार मुक्त भूमि की प्रक्रिया को संचालित करते आया, जिसे 1996 के बाद भी संचालित किया जाकर अपनी कार्यवाहियों को न्यायालीन आदेश के दायरे से मुक्त होना प्रमाणित कर चुका है।

"भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 34 अ की अधिसूचनाएं"

वानिकी प्रबन्धन के लिए एक व्यवस्था कायम कर संरक्षित वन भूमियों को राजपत्र में डीनोटीफाइड किए जाने के लिए 1965 में किए गए संशोधन के तहत भारतीय वन अधिनियम 1927 में धारा 34 अ जोड़ी गई। वानिकी प्रबन्धन ने इस धारा के तहत राजपत्र में अधिसूचनाओं का भी प्रकाशन किया, लेकिन वानिकी प्रबन्धन ने स्वयं के द्वारा प्रकाशित अधिसूचनाओं को खुद ही अमान्य कर व्यवस्था को खुली चुनौती दे दी।

राजपत्र में वन विभाग के द्वारा डीनोटीफाइड की गई भूमियों पर देश की सर्वोच्च अदालत ने भी विचार किया और यह स्पष्ट कर दिया कि डीनोटीफाइड की गई भूमि वन संरक्षण कानून 1980 में दायरे में नहीं आएगी, यानी वनभूमि नही मानी जाएगी। इस न्यायालीन आदेश को भी वानिकी प्रबन्धन के द्वारा अमान्य किया जाकर न्यायालय को भी चुनौती दे दी गई।

वानिकी प्रबन्धकों ने 1965 से 1975 तक राजपत्र में धारा 34अ के अनुसार संरक्षित वन भूमियों के निर्वनीकरण की चार तरह की अधिसूचनाओं का प्रकाशन किया। पहली तो ग्रामों को वन विहीन मानकर ग्रामों के नामों का उल्लेख कर ग्राम की समस्त वनभूमि को राजपत्र में डीनोटीफाइड कर दिया गया। दूसरी ग्रामों की खसरावार, रकबावार भूमि का उल्लेख किया जाकर राजपत्र में डीनोटीफाइड किया गया। तीसरी धारा 4(1) में अधिसूचित भूमियों को धारा 4(1) की अधिसूचना विखण्डित कर धारा 34 अ में डीनोटीफाइड किया और चौथी उद्योगों, परियोजनाओं के लिए संरक्षित वन भूमि को राजपत्र में डीनोटीफाइड किया गया।

वन विहीन ग्राम या जिन ग्रामों की समस्त वनभूमि डीनोटीफाइड की उनकी संख्या

क्र.	जिले का नाम	ग्रामों की संख्या	क्र.	जिले का नाम	ग्रामों की संख्या
1	2	3	1	2	3
1	बालाघाट	865	18	धार	954
2	सीधी / सिंगरौली	580	19	झाबुआ / अलीराजपुर	656
3	शहडोल / अनूपपुर / उमरिया	1068	20	प.नि. (खरगोन) / बड़वानी	1260
4	सीहोर	46	21	शिवपुरी	660
5	छतरपुर	1012	22	विदिशा	903
6	गुना / अशोकनगर	1279	23	बैतूल	829
7	खण्डवा (पू.नि.) / बुरहानपुर	655	24	रतलाम	1051
8	रायसेन	614	25	मन्दसौर / नीमच	1286
9	सिवनी	828	26	देवास	687
10	छिंदवाड़ा	933	27	मुरैना / श्योपुर	721
11	टीकमगढ़	662	28	दतिया	340
12	रीवा	2512	29	भिण्ड	873
13	सतना	1421	30	बिलासपुर	2067
14	मंडला / डिण्डौरी	904	31	सरगुजा	622
15	जबलपुर / कटनी	1817	32	बस्तर	716
16	नरसिंहपुर	800	33	रायगढ़	562
17	दमोह	1302		कुल योग	**31485**

उपरोक्त ग्रामों में से सभी ग्रामों की संरक्षित वन भूमि सर्वे डिमारकेशन में शामिल नहीं की गई, लेकिन जिन ग्रामों की संरक्षित वन भूमि सर्वे डिमारकेशन में शामिल की गई उनके खसरा नम्बर और रकबे की जानकारी राजपत्र में प्रकाशित नहीं की गई। सर्वे डिमारकेशन रिपोर्ट और उसमें ग्रामवार, खसरावार, रकबावार दर्ज समस्त ब्यौरो को वानिकी प्रबन्धन ने दबा दिया।

ग्रामवार, खसरावार, रकबावार प्रकाशित अधिसूचनाएं

क्र.	जिले का नाम	उन ग्रामों की संख्या एवं रकबा जो निर्वनीकृत किया गया		क्र.	जिले का नाम	उन ग्रामों की संख्या एवं रकबा जो निर्वनीकृत किया गया	
		ग्रामों की संख्या	रकबा (एकड़ में)			ग्रामों की संख्या	रकबा (एकड़ में)
1	2	3	4	1	2	3	4
1	बालाघाट	794	74287.34	19	खरगोन / बड़वानी	2	657.72
2	सीधी / सिंगरौली	1312	940247.21	20	शिवपुरी	3	5.67

3	शहडोल/अनूपपुर/उमरिया	3889	1111040.60	21	सागर	1	1.11
4	सीहोर	401	32987.23	22	राजगढ़	2	31.96
5	ग्वालियर	61	12787.32	23	होशंगाबाद	2	17.91
6	छतरपुर	880	437466.42	24	बैतूल	6	45.35
7	गुना/अशोकनगर	950	27491.23	25	इन्दौर	1	85.00
8	खण्डवा/ बुरहानपुर	150	22285.60	26	मन्दसौर/नीमच	2	341
9	रायसेन	252	9394.48	27	देवास	2	36.31
10	सिवनी	1	11.95	28	श्रीझोट (ग्राम)	1	241.84
11	छिंदवाड़ा	1	17.18	29	बिलासपुर	9	1008.51
12	टीकमगढ़	77	8329.06	30	सरगुजा	3737	1632010.07
13	पन्ना	1	374.32	31	बस्तर	25	6089.94
14	मंडला/डिण्डौरी	3	20.50	32	रायपुर	988	272857.98
15	जबलपुर/कटनी	15	606.16	33	रायगढ़	15	230.97
16	दमोह	288	19899.77	34	दुर्ग	13	2046.01
17	धार	4	4700.80	35	राजनांदगांव	2	8.50
18	झाबुआ/अलीराजपुर	17	10659.31		**कुल योग**	**14507**	**4628322.33**

1975 तक राजपत्र में डीनोटीफाइड की गई संरक्षित वन भूमियों से संबंधित वानिकी अभिलेखों एवं राजस्व अभिलेखों को संशोधित किए जाने का कोई प्रयास राज्य सरकार के द्वारा नहीं किया गया। इस स्थिति में मध्यप्रदेश की तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष श्रीमति जमुना देवी द्वारा आन्दोलन की दी गई चेतावनी के बाद राज्य के मुख्य सचिव ने 24 जुलाई 2004 को पहला आदेश जारी कर डीनोटीफाइड जमीनों के अभिलेखों को संशोधित किए जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने अपने आदेश में 24 जुलाई 2004 तक डीनोटीफाइड भूमियों को संरक्षित वन, नारंगी वन, असीमांकित वन एवं न्यायालय द्वारा परिभाषित वन मानकर की गई किसी भी कार्यवाही के संबंध में कोई निर्देश नहीं दिया।

वानिकी प्रबन्धन के द्वारा 1975 तक राजपत्र में मालगुजारी, जमींदारी ग्रामों की गैर जंगल मद में दर्ज जमीनों को भी डीनोटीफाइड कर दिया। रैय्यतवारी एवं मसाहती ग्रामों की गैर संरक्षित वन भूमियों को भी डीनोटीफाइड कर दिया, लेकिन इस पूरे विषय पर राज्य सरकार ने गलतियों को सुधारे जाने की कोई पहल नहीं की। इसी तरह से 1975 के पूर्व डीनोटीफाइड की गई भूमियों को संरक्षित वन भूमि मानकर आदेश अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 4325/2983/10/2/75/ मध्यप्रदेश शासन वन विभाग, भोपाल दिनांक 18 सितम्बर 1975 के द्वारा पुनः अन्तरित कर दिया। वन भूमि पर 31.12.1976 तक के पात्र अतिक्रमणकारी बताया जाकर 1975 के पूर्व डीनोटीफाइड जमीनों को 1990 में दोबारा डीनोटीफाइड कर दिया। इसी तरह से डीनोटीफाईड जमीनों को 14 मई 1996 के आदेशानुसार एक बार फिर नारंगी भूमि सर्वे में और वनखण्डों में शामिल कर लिया। याचिका क्रमांक 202/95 में 12 दिसम्बर 1996 को दिए आदेश के अनुसार 13 जनवरी 1997 को जारी आदेश में न्यायालय द्वारा परिभाषित वन भूमि मान लिया। राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च अदालत में दायर पुनर्विचार याचिका क्रमांक 791–792 में इजमेन्ट राइट्स की जमीन होना बताकर डीनोटीफाइड भूमियों को वन संरक्षण कानून के दायरे से मुक्त किए जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया।

छत्तीसगढ़ विभाजन के बाद छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने भी डीनोटीफाइड की गई भूमियों से संबंधित अभिलेखों को संशोधित किए जाने की पहल नहीं की, लेकिन जब लगातार राज्य सरकार की विफलता को प्रकाश में लाकर वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की चेतावनी दी गई तब कहीं 02 अगस्त 2014 को वन मुख्यालय अरण्य भवन रायपुर ने राज्य

मंत्रालय महानदी भवन रायपुर को पत्र लिखकर डीनोटीफाइड जमीनों के अभिलेख संशोधन का आदेश जारी करने का अनुरोध किया।

राजपत्र को सरकार का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज माना गया है, लेकिन इसी राजपत्र में 1975 तक मध्यप्रदेश सरकार ने 251 डीनोटीफिकेशन की अधिसूचनाएं प्रकाशित की। जिनकी सूची हमने मध्यप्रदेश वन मुख्यालय को उपलब्ध करवाई। इसके आधार पर वन मुख्यालय ने हमें दिनांक 21 मई 2015 को पत्र लिखकर अधिसूचनाओं की प्रति उपलब्ध करवाए जाने का अनुरोध किया। इसी तरह की सूची छत्तीसगढ़ वन मुख्यालय को उपलब्ध करवाए जाने पर दिनांक 06 मई 2015 को हमसे प्रकाशित अधिसूचनाओं की प्रति उपलब्ध करवाए जाने का अनुरोध किया। यह दोनों ही पत्रों से एक बार फिर यह प्रमाणित हो गया कि राजपत्र में वन विभाग के द्वारा डीनोटीफाइड की गई संरक्षित वन भूमियों से संबंधित अभिलेखों को संशोधित नहीं किया जा सका है।

वन विभाग ने संरक्षित वन सर्वे डिमारकेशन के दौरान अतिक्रमित भूमियों को वनखण्डों के बाहर छोड़ा। इन भूमियों को 1975 तक राजपत्र में डीनोटीफाइड किया गया। इन भूमियों को काबिजों में वितरण के संबंध में **"मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखल रहित भूमि (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1970"** की धारा 5 में विधानसभा ने 1979 में संशोधन भी कर दिया, लेकिन अभिलेखों को संशोधित नहीं किए जाने के कारण भूमियों का वितरण नहीं किया जा सका। मध्य प्रदेश शासन ने 1998 में फिर भू–राजस्व संहिता की धारा 237 में संशोधन कर भूमि वितरण के आदेश दिए, लेकिन इस आदेश के अनुसार भी डीनोटीफाइड भूमियों का वितरण नहीं किया। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2002 में किए गए संशोधन के अनुसार भी डीनोटीफाइड भूमियों को काबिजों में वितरित नहीं किया। ग्राम के भूमिहीन और आवासहीनों में भी वितरित नहीं किया गया।

राजपत्र में प्रकाशित की गई अधिसूचनाएं और उनके अनुसार डीनोटीफाइड की गई संरक्षित वन भूमियों को लेकर 1975 से अभी तक मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा बरती गई उदासीनता और लापरवाहियों ने पूरी की पूरी प्रजातांत्रिक व्यवस्था को विफल और असफल बना दिया, बल्कि जनजातीय समुदाय एवं जंगलों पर आश्रित समुदाय के विरूद्ध साजिश और षड़यंत्र कर अन्याय और अत्याचार भी किए जाते रहे हैं।

असफलता, विफलता, उदासीनता और लापरवाही, अन्याय और अत्याचार के इस विषय पर विधानसभा मौन है, संसद भी मौन है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय भी मौन है। शायद यही वजह है कि "तंत्र" आज भी अपने आपको समस्त जवाबदेही और जिम्मेदारी से मुक्त मानकर लगातार ऐतिहासिक अन्याय दोहरा रहा है।

सर्वोच्च अदालत के सहयोग के लिए गठित सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी, अदालत के प्रति जवाबदेह और जिम्मेदार भूमिका निभाने की बजाय वानिकी प्रबन्धकों के वफादार की भूमिका ही निभाते आई है, जिसका हम यहां मात्र एक उदाहरण रखना चाहते हैं।

मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में वन विभाग ने सारनी पावर हाउस के लिए आरक्षित वन भूमि डीनोटीफाइड की। इस भूमि में से मात्र 10 हेक्टेयर भूमि पावर हाउस प्रबन्धन ने कोयला खदान की स्थापना के लिए वेस्टर्न कोल फील्ड्स को उपलब्ध करवा दी। इस भूमि को वन भूमि बताया जाकर वन विभाग ने पुनः वन अपराध पंजीबद्ध कर लिया। इस भूमि को सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी ने वानिकी प्रबन्धकों के प्रति वफादारी दिखाते हुए वन भूमि मान लिया, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने आवेदन आई.ए. 2619–2621 / 2009 दिनांक 02 सितम्बर 2013 को डीनोटीफाईड भूमि को वन संरक्षण कानून 1980 के दायरे से बाहर की भूमि आदेशित कर दिया।

सर्वोच्च अदालत के द्वारा डीनोटीफाइड की गई वन भूमियों के संबंध में दिए गए आदेशों के बाद भी मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के वानिकी प्रबन्धन, भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के सहयोग से डीनोटीफाइड भूमियों को संरक्षित वन, नारंगी वन, परिभाषित वन, समझे गए वन बताकर लगातार कार्यवाहियां कर रहे हैं, लेकिन सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी न्यायालय के प्रति जवाबदेही और जिम्मेदारी निभाने की बजाय वानिकी प्रबन्धकों के प्रति आज भी वफादारी ही निभा रही हैं।

राजपत्र में निर्वनीकृत की गई संरक्षित वन भूमियों को निर्वनीकरण के बाद भी संरक्षित वन भूमि, नारंगी वन भूमि, असीमांकित वन भूमि, न्यायालय के द्वारा परिभाषित वन भूमि एवं समझे गए वन मान कर वानिकी प्रबन्धन ने वैधानिक एवं न्यायिक प्रावधानों का पालन तो किया ही नहीं बल्कि समस्त वैधानिक एवं न्यायिक प्रावधानों का खुलकर अपमान कर प्रजातांत्रिक व्यवस्था को खुली चुनौती दी, जिसे स्वीकारने का साहस भारतीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था आज तक नहीं कर पाई।

आजादी के बाद भूमि सुधार की सफलता, असफलता या आजादी के बाद अधिकारों को अपराध मान लिए जाने या वानिकी प्रबन्धकों की नीयत और योग्यता या वानिकी प्रबन्धकों की नैतिकता और क्षमता से हटकर यदि इस पूरे विषय को पर्यावरण से जोड़कर व्यक्त की जा रही चिन्ताओं के रूप में ही देखें तो उन चिन्ताओं का खोखलापन और दोहरापन कदम–कदम पर दिखाई देता हैं। भारतीय प्रजातंत्र की अपरिपक्वता तो बिना किसी तर्क के स्वयं सिद्ध हो जाती है।

नारंगी भूमि के नाम पर न्यायालयी आदेशों को चुनौती

वानिकी प्रबन्धकों का न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है। वानिकी प्रबन्धक न्यायपालिका का सम्मान नहीं करते। वानिकी प्रबन्धकों को न्यायपालिका का कोई डर नहीं है। देश की सर्वोच्च अदालत की याचिका क्रमांक 202/95 में सहयोग के लिए सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी का गठन किया गया। यह कमेटी अदालत के प्रति अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी निभाए जाने की बजाय वानिकी प्रबन्धकों के प्रति वफादारी निभाने में लगी हुई है।

सर्वोच्च अदालत ने याचिका क्रमांक 202/95 में 12 दिसम्बर 1996 को वनभूमि परिभाषित की न्यायालय ने वन संरक्षण कानून 1980 के दायरे में आने वाली वनभूमि एवं दायरे के बाहर मानी गई। वन भूमि आदेशित की, लेकिन समस्त न्यायालीन आदेशों को खारिज कर, न्यायालीन आदेशों के विपरीत वानिकी प्रबन्धन के द्वारा राज्य सरकार के 14 मई 1996 को जारी आदेशानुसार नारंगी भूमि का सर्वे किया, नारंगी वनखण्ड बना लिए, उन्हें आरक्षित वन बनाए जाने के लिए अधिसूचित कर दिया, उन वनखण्डों को वर्किंग प्लान में भी सम्मिलित कर लिया।

सर्वोच्च अदालत द्वारा दी गई परिभाषा एवं दिए गए आदेशों को वानिकी प्रबन्धकों ने 14 मई 1996 के आदेशानुसार खुली चुनौतियां दी जिस पर आधारित आवेदन क्रमांक 196/2002 जन आन्दोलनों में अग्रणी संगठन एकता परिषद् के द्वारा 22 जुलाई 2003 को न्यायालीन सहयोग के लिए गठित सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया। अदालत के प्रति जिम्मेदारी और जवाबदेही की बजाय सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी ने वानिकी प्रबन्धन के प्रति वफादारी निभाते हुए दिनांक 8 फरवरी 2012 को आवेदन क्रमांक 196/2002 के संबंध में लिखित जानकारी दी।

Sub : Information sought under RTI Act, 2005

Please refer to your letter dated 10th January, 2012 on the above subject. The information sought by you is provided as under :

5) A copy of Application No. 196 of 2003 filed before the CEC by M/s Ekta Parisad is enclosed (without enclosure)
6) Copies of the notices for the hearings issued by the CEC to the respondents namely the State of Madhya Pradesh and the State of Chattisgarh are presently not available with the CEC. The State of Madhya Pradesh and the State of Chattisgarh are being requested to provide the copies of the same to you.
7) A Copy of affidavit dated 5th February, 2004 filed on behalf of the State of Chattisgarh in Application No. 196 of 2003 is enclosed (without enclosure).
8) The CEC has not made any recommendations in Application No. 196 of 2003 filed before it.

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग ने 14 मई 1996 को आदेश जारी कर जिलों (बस्तर, रायगढ़, राजनांदगांव, मंडला, बैतूल, जबलपुर, बिलासपुर, रायपुर, खरगोन) के वनमंडलों (दक्षिण बस्तर, मध्य बस्तर, पश्चिम बस्तर, इंदिरा राष्ट्रीय उद्यान, कोंडागांव, कांकेर, भानुप्रतापपुर, पूर्व रायपुर, नारायणपुर, जशपुर, रायगढ़, राजनांदगांव, मंडला, बैतूल, जबलपुर,

बिलासपुर, कोरबा, बड़वानी) में नारंगी क्षेत्र इकाइयों की स्थापना कर दी। बैतूल जिले में उत्तर वनमंडल, दक्षिण वनमंडल, पश्चिम वनमंडल कार्यरत रहे हैं जिनमें से बिना किसी आदेश के दक्षिण वनमंडल में नारंगी क्षेत्र इकाई बनाकर पश्चिम और उत्तर वनमंडल के क्षेत्रों में आने वाली भूमियों को भी नारंगी भूमि सर्वे डिमारकेशन में शामिल कर लिया गया।

14 मई 1996 के आदेशानुसार नारंगी क्षेत्र इकाइयों के द्वारा मालगुजारी, जमींदारी, जागीरदारी ग्रामों के अलावा रैय्यतवारी एवं मसाहती ग्रामों के राजस्व अभिलेखों में बड़े झाड़ का जंगल, छोटे झाड़ का जंगल, पहाड़ चट्टान, पानी के नीचे, आबादी और सड़क, मार्ग इमारत एवं बाग–बगीचे मदों में दर्ज जमीनों सहित गोठान, खलियान, कब्रस्तान, श्मशान, बाजार, पाठशाला और खेलकूद के मैदान, मुर्दा मवेशी चीरने फाड़ने के स्थान, जलाऊ लकड़ी, कृषि औजार की लकड़ी, झोपड़ी बनाने के बांस बल्ली लाने के स्थान, चराई के स्थान, भुरम, मिट्टी एवं पत्थर के स्थान, धार्मिक, सामाजिक रीति रिवाजों के लिए निर्धारित स्थान", मछली पकड़ने, सन सड़ाने, सिंचाई के अधिकार, रास्तों, सड़क मार्ग से आने जाने के अधिकार आदि, प्रयोजनों के लिए दर्ज जमीनों को नारंगी भूमि सर्वे में शामिल किया गया। नारंगी वनखण्डों में शामिल कर लिया इन्हें आरक्षित वन बनाए जाने के लिए प्रस्तावित कर अधिसूचित कर दिया और वर्किंग प्लान में भी सम्मिलित कर लिया गया।

म.प्र. के वर्किंग प्लान में शामिल नारंगी भूमि का विवरण					
क्र.	जिले का नाम	नारंगी भूमि का रकबा (वर्ग कि.मी. में)	क्र.	जिले का नाम	नारंगी भूमि का रकबा (वर्ग कि.मी. में)
1	बैतूल	560.63	8	जबलपुर	386
2	विदिशा	38.59	9	मंडला	267.51
3	भोपाल	21.6	10	डिण्डौरी	89.69
4	टीकमगढ़	22.46	11	बड़वानी	259
5	पन्ना	41.06	12	सागर	55.35
6	छिन्दवाड़ा	14.44	13	दमोह	39.29
7	हरदा	5.44	14	शहडोल	1.88
				योग	**1802.94**

छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 12 लाख हेक्टेयर भूमि को नारंगी भूमि होना बताकर नारंगी वनखण्ड और उनमें शामिल जमीनों के ब्यौरे 22 जनवरी 2015 को जारी निर्देश में पहली बार सार्वजनिक किए।

क्र.	जिले का नाम	वनखण्डों की संख्या	रकबा	क्र.	जिले का नाम	वनखण्डों की संख्या	रकबा
1	2	3	4	1	2	3	4
1	रायगढ़	218	6000.784	9	भानुप्रतापपुर	1118	35525.767
2	बिलासपुर	0	0.000	10	कोण्डागांव	370	11517.993
3	कोरबा	556	58679.933	11	जशपुर	233	6398.753
4	जगदलपुर	755	41797.336	12	रायपुर– I	98	4341.386
5	बीजापुर	165	47197.968	13	रायपुर– II	413	23465.995
6	सुकमा	698	46420.138	14	राजनांदगांव	112	3639.447
7	नारायणपुर	313	11712.550	15	सरगुजा	28	2519.947
8	कांकेर	540	15498.460		**कुल योग**	**5617**	**314716.457**

01 अगस्त 2003 को न्यायालीन आदेश के पूर्व एकता परिषद् ने 22 जुलाई 2003 को सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत कर दिया था, लेकिन कमेटी ने इस आवेदन में प्रस्तुत की गई हकीकत को सर्वोच्च अदालत की जानकारी में लाए जाने का कोई प्रयास नहीं किया। छत्तीसगढ़ वन विभाग के द्वारा एकता परिषद के आवेदन पर 05 फरवरी 2004 को मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किए गए उत्तर को नजर अन्दाज कर दिया तो मध्य प्रदेश सरकार से एकता परिषद् के आवेदन पर उत्तर भी प्राप्त नहीं किया।

01 अगस्त 2003 के न्यायालीन आदेश के बाद भी वानिकी प्रबन्धक न्यायालय द्वारा आदेशित की गई। भूमियों को नारंगी भूमि बताकर कार्यवाहियां करते रहे, वनखण्ड बना लिए गए, उन्हें आरक्षित वन बनाए जाने के लिए प्रस्तावित कर दिया गया, अधिसूचित भी कर दिया, वर्किंग प्लान में भी सम्मिलित कर लिया गया।

मध्यप्रदेश की विधानसभा के अनेक जागरूक सदस्यों ने नारंगी भूमि बताई जाकर की जा रही कार्यवाही से संबंधित लिखित प्रश्न पूछे जिनके वानिकी प्रबन्धकों ने अपनी सुविधा के अनुसार लिखित उत्तर प्रस्तुत कर वैधानिक एवं न्यायिक स्थितियों को सिरे से अमान्य ही नहीं किया बल्कि विधानसभा के सम्मान को भी नकार कर गुमराह किए जाने की परम्पराओं को ही इतिहास में एक बार फिर दर्ज कर दिया।

छत्तीसगढ़ सरकार की बार–बार जानकारी में लाए जाने के बाद राज्य सरकार के वन विभाग ने 02 जनवरी 2015 को आरक्षित वन बनाए जाने के लिए प्रस्तावित नारंगी वनखण्डों से संबंधित समस्त नस्तियों को वन मुख्यालय वापस कर दिया। वन मुख्यालय ने भी औपचारिकता का पालन कर समस्त नस्तियां नारंगी क्षेत्र इकाइयों को वापस प्रेषित कर दी।

मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के वानिकी प्रबन्धक, भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी मिलजुल कर 1996 से ही न्यायालीन आदेशों को दी जा रही चुनौतियों और नारंगी भूमि के नाम पर की जा रही समानान्तर कार्यवाहियों पर जानबूझकर मौन साधे रहे हैं, बल्कि इन समानान्तर कार्यवाहियों को रोके जाने से इन्कार भी करते आए हैं।

शासकीय अभिलेखों के आधार पर नारंगी भूमि सर्वे डिमारकेशन में शामिल की गई जमीनों उनमें से नारंगी वनखण्डों में सम्मिलित कर ली गई जमीनों के ब्यौरे संकलित करवाए जा सकते हैं बल्कि 1996 से लिखे जा रहे समानान्तर कार्यवाहियों के इतिहास पर विचार किए जाने हेतु तत्काल यह ब्यौरे संकलित करवाए जाने चाहिए।

नारंगी वनखण्ड का नाम ..... रकबा ..... ग्राम का नाम ..... बं.नं. .....

नारंगी सर्वे में शामिल		राजस्व अभिलेख में दर्ज		वन विभाग द्वारा 1996 तक			नारंगी वनखण्ड में शामिल रकबा
खसरा क्र.	रकबा	भूमि की मद	भूमि का प्रयोजन	अन्तरित रकबा	आवंटित रकबा	निर्वनीकृत रकबा	
1	2	3	4	5	6	7	8

14 मई 1996 के शासनादेश के अनुसार मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य के तत्कालीन 9 जिलों में स्थापित 19 नारंगी क्षेत्र इकाइयों के द्वारा 1996 से न्यायालीन आदेश को माने जाने से इन्कार कर की गई कार्यवाहियों से संबंधित उपरोक्त जानकारियां न्यायालय के प्रति राग्गान और विश्वारा कायग किए जाने के लिए ही आवश्यक नहीं हैं, बल्कि न्यायालीन आदेश का सहारा लेकर दोहराए गए ऐतिहासिक अन्यायों को दूर किए जाने के लिए भी आवश्यक है। यही जानकारी नारंगी भूमि बताकर 1996 से ही शासकीय धन के दुरूपयोग और अपव्यय का मूल्यांकन किए जाने के लिए भी आवश्यक है।

वानिकी प्रबन्धकों की अयोग्यता, वानिकी प्रबन्धकों में प्रशासकीय नैतिकता एवं प्रशासकीय क्षमताओं की कमी, प्रशासकीय जवाबदेही और प्रशासकीय जिम्मेदारी का गंभीर संकट, वानिकी प्रबन्धकों की अपराधिक उदासीनता एवं अपराधिक लापरवाही ने पूरी प्रजातांत्रिक व्यवस्था को बेबस और लाचार बनाकर असफल और विफल तो बना ही दिया, अपरिपक्व

प्रजातंत्र के रूप में इतिहास में भी दर्ज करवा दिया।

भारत में प्रचलित समस्त संवैधानिक, वैधानिक एवं न्यायिक प्रावधानों को यदि मात्र पर्यावरण संरक्षण के नाम वानिकी प्रबन्धक उनके शुभचिन्तक और पैरवीकार खुली चुनौती दे रहे हों तो उन्हें कब तक देशभक्त बताया जाकर उनके अन्याय और अत्याचार के शिकार जनजातीय समुदाय एवं जंगलों पर आश्रित समुदाय को ताकत के बल पर दबाया जाएगा, यह एक गंभीर प्रश्न आज हम पूछ रहे हैं भविष्य में यही प्रश्न समाज, देश और अन्तर्राष्ट्रीय जगत भी पूछेगा।

आजादी के बाद तत्कालीन शासकों के अन्याय से मुक्ति के नाम पर, भूमि सुधार के नाम पर अर्जित किए गए संसाधनों को प्रजातंत्र की दुहाई देकर सरकारी जमींदार वन विभाग को सौंप दिया। इन्ही संसाधनों को वानिकी प्रबन्धन ने 14 मई 1996 के आदेशानुसार नारंगी भूमि मान लिया तो इन्हीं संसाधनों को एक बार फिर देश की सर्वोच्च अदालत ने पर्यावरण की वैश्विक चिन्ताओं का ध्यान रखकर वन भूमि परिभाषित कर दिया।

आजादी के बाद जनजातीय समुदाय एवं जंगलों पर आश्रित समुदाय के विरूद्ध प्रजातंत्र के नाम पर ऐतिहासिक अन्याय का सिलसिला प्रारम्भ हुआ यह अन्याय थमे भी नहीं थे कि उसी सरकारी जमींदार वन विभाग ने न्यायालीन आदेश का सहारा लेकर फिर अन्याय को दोहराया जाना प्रारम्भ कर दिया। जो आज भी प्रजातंत्र के संरक्षण, प्रोत्साहन और प्रेरणा से ही किए जा रहे हैं बस यही यह कहना पड़ता है कि "आजाद भारत से तो गुलाम भारत बेहतर था, यदि यही प्रजातंत्र है तो फिर गुलामी क्या थी, यदि यही सब होना था तो आजादी की जरूरत ही क्या थी।"

बिना निर्वनीकरण के अन्तरित की गई भूमि

राजस्व अभिलेखों में दर्ज दखल रहित जमीनों को वन विभाग ने संरक्षित वन सर्वे डिमारकेशन में शामिल कर उपयुक्त जमीनों के वनखंड बना लिए, उन्हें आरक्षित वन बनाए जाने के लिए अधिसूचित भी कर दिया। प्रबन्धन के लिए अनुपयुक्त जमीनों को वनखंडों के बाहर छोड़ा गया उन जमीनों पर उपलब्ध व्यवसायिक वनोपज का वर्किंग स्कीम बनाकर विदोहन भी कर लिया।

इन भूमियों में से कुछ भूमि अधिक अन्न उपजाओ योजना के तहत 1966 में राजस्व विभाग को अन्तरित की गई कुछ जमीनें राज्य मंत्री मंडल के द्वारा 1975 में लिए गए निर्णय के अनुसार राजस्व विभाग को अन्तरित की गईं, लेकिन कुछ जमीनें राज्य शासन के आदेश के बाद भी राजस्व विभाग को अन्तरित नहीं की गई।

मध्यप्रदेश			
क्रमांक	जिले का नाम	अन्तरित जमीन	निर्वनीकरण की गई भूमि
1	ग्वालियर	45000.34	12787.32
2	गुना / अशोकनगर	56540.58	27491.23
3	पूर्व नि. (ख.डवा) / बुरहानपुर	27214.15	22285.60
4	रायसेन	16543.81	9394.48
5	सिवनी	24649.89	11.95
6	छिंदवाड़ा	82610.8	17.18
7	टीकमगढ़	21093.53	8329.06
8	पन्ना	75494.51	374.32
9	रीवा	19722.67	
10	सतना	15322.05	
11	मंडला / डिण्डौरी	32885.21	20.50
12	जबलपुर / कटनी	28062.76	606.16
13	नरसिंहपुर	35294.03	

14	दमोह	48856.46	19899.77
15	धार	5407.53	4700.80
16	झाबुआ / अलीराजपुर	53875.69	10659.31
17	प.नि. (खरगोन) / बड़वानी	3048.14	657.72
18	शिवपुरी	29375.50	5.67
19	सागर	4221.08	1.11
20	विदिशा	1205.50	
21	भोपाल	2765.40	
22	होशंगाबाद	28172.44	17.91
23	बैतूल	59441.84	45.35
24	इन्दौर	1395.55	85.00
25	रतलाम	841.00	
26	मन्दसौर / नीमच	3248.00	341.00
27	मुरैना / श्योपुर	7009.00	
	योग	**729297.46**	**117731.44**

छत्तीसगढ़			
क्रमांक	**जिले का नाम**	**अन्तरित जमीन**	**निर्वनीकरण की गई भूमि**
1	बिलासपुर	201138.49	1008.51
2	रायपुर	305446.05	272857.98
3	बस्तर	188513.19	6089.94
4	दुर्ग	34257.37	2046.01
5	राजनांदगांव	62143.15	8.50
6	रायगढ़	320881.72	230.97
	योग	**1112379.97**	**282241.91**

वन विभाग के द्वारा राजस्व विभाग को अन्तरित की गई भूमियों में से 14 लाख 41 हजार 704 दशमलव 08 एकड़ भूमि का राजपत्र में निर्वनीकरण नहीं किया गया। वन संरक्षण कानून 1980 लागू होने के बाद भी इन अन्तरित भूमियों के निर्वनीकरण प्रस्ताव बनाकर भारत सरकार से अनुमति प्राप्त नहीं की गई। याचिका क्रमांक 202 / 95 में 12 दिसम्बर 1996 के आदेश के बाद भी बिना निर्वनीकरण के अन्तरित की गई भूमियों से संबंधित कोई भी लम्बित कार्यवाही देश की सर्वोच्च अदालत की जानकारी में लाकर पूरी किए जाने का कोई प्रयास वानिकी प्रबन्धकों के द्वारा नहीं किया गया।

संरक्षित वन सर्वे डिमारकेशन में वानिकी प्रबन्धन के लिए अनुपयुक्त पाई जाकर वनखण्डों के बाहर छोड़ी गई भूमियों में से निर्वनीकृत कर अन्तरित की गई भूमि एवं बिना निर्वनीकरण के अन्तरित की गई भूमियों के अलावा शेष बची भूमि से संबंधित कोई भी जानकारी वानिकी प्रबन्धकों के द्वारा आज तक सार्वजनिक ही नहीं की गई।

मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव द्वारा 24 जुलाई 2004 को आदेश जारी कर वनखण्डों के बाहर छूटी शेष जमीनों के निर्वनीकरण की लम्बित कार्यवाही पूरी किए जाने के निर्देश दिए, लेकिन इस निर्देश का पालन सुनिश्चित किए जाने के संबंध में वन मुख्यालय मध्यप्रदेश के द्वारा कभी कोई प्रयास ही नहीं किया गया। राज्य के किसी भी वनमंडल ने वनखण्डों के बाहर छूटी जमीनों और उनमें से निर्वनीकरण के लिए शेष बची जमीनों की जानकारी संकलित नहीं की।

वानिकी प्रबन्धक एवं वन मुख्यालय वनखण्डों के बाहर छूटी जमीनों के निर्वनीकरण की कार्यवाही से लगातार इन्कार कर सर्वोच्च अदालत के द्वारा वर्ष 2000 में निर्वनीकरण से संबंधित कार्यवाही पर दिए गए स्थगन का सहारा लेकर इन्कार करते आए हैं। इस तरह से लगातार यह बताए जाने का प्रयास वानिकी प्रबन्धक करते आए हैं कि न्यायालीन आदेश के बाद भी राज्य के मुख्य सचिव द्वारा निर्वनीकरण के निर्देश दिए गए थे, जिसे न्यायालीन हित में वानिकी प्रबन्धकों ने अमान्य कर दिया है।

वानिकी प्रबन्धक बिना निर्वनीकरण के किन प्रावधानों के तहत वनभूमि अन्तरित की गई और वनखण्डों के बाहर छूटी जमीनों को शासनादेश के बाद भी राजस्व विभाग को अन्तरित कर निर्वनीकरण क्यों नहीं किया गया इस पर तो मौन साधे हुए हैं साथ ही देश की सर्वोच्च अदालत की जानकारी में लाया जाकर, सर्वोच्च अदालत की अनुमति प्राप्त किए जाने से कब और किस न्यायालय ने रोक लगाई हैं इसका कोई उत्तर दिए जाने से भी इन्कार करते आए हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य शासन या वन मुख्यालय ने वनखण्डों के बाहर छूटी जमीनों राजस्व विभाग को बिना निर्वनीकरण के अन्तरित कर दी गई जमीनों के संबंध में न तो कोई विचार किया और न ही किसी तरह की कोई पहल ही की गई।

समानान्तर कार्यवाहियों का अमिट इतिहास

आजादी के बाद तत्कालीन शासकों के अन्याय से मुक्ति के नाम पर, एवं भूमि सुधार के नाम पर 1950 में बनाए गए जमींदारी उन्मूलन कानून या स्वामित्वाधिकारों के अंत के कानून के अनुसार अर्जित किए गए। संसाधनों को राजस्व विभाग के द्वारा राजस्व अभिलेखों में दखल रहित भूमि के रूप में दर्ज किया। भारतीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था द्वारा बनाए गए राजस्व कानूनों में इन संसाधनों को दखल रहित भूमि बताकर ही प्रावधान किए गए।

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1954 को 1956 में पुनर्गठित मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 के रूप में स्वीकार कर लागू किया गया। इस संहिता के अध्याय 18 में दखल रहित भूमियों के संबंध में प्रावधान किए गए। संहिता के अध्याय 18 में बताई गई दखल रहित भूमियों को वन विभाग ने भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29, धारा 4(1), धारा 20 एवं धारा 34 अ में राजपत्र में अधिसूचित कर दिया। इसका कोई अधिकार भू–राजस्व संहिता 1959 की किसी भी धारा में वन विभाग को नहीं दिया गया।

राजस्व विभाग भू–राजस्व संहिता 1959 एवं बन्दोबस्त नियमावली के अनुसार दखल रहित भूमियों को राजस्व भूमि मानकर कार्यवाहियां करते आई। राजस्व अभिलेखों में दर्ज करते आई, राजस्व भूमि बताकर ही प्रतिवेदित भी करते आई। कुछ उदाहरणों को यदि छोड़ दिया जाए तो राजस्व विभाग ने राजस्व अभिलेखों में धारा 29 के अनुसार दखल रहित भूमियों को संरक्षित वन भूमि संशोधित नहीं किया। धारा 4(1) में आरक्षित वन बनाए जाने के लिए प्रस्तावित की गई। वर्किंग प्लान में सम्मिलित कर ली गई भूमियों को किसी राजस्व अभिलेख में संशोधित नहीं किया। धारा 34 अ में डीनोटीफाइड की गई भूमियों को भी किसी राजस्व अभिलेख में डीनोटीफाइड भूमि के रूप में दर्ज नहीं किया।

राजस्व विभाग एवं वन विभाग ने अपनी–अपनी कार्यवाहियों में आवश्यक तालमेल स्थापित करने की बजाय लगातार समानान्तर कार्यवाहियों का इतिहास ही लिख दिया। इसी इतिहास में से राजस्व विभाग द्वारा दखल रहित राजस्व भूमि बताकर लिखे गए इतिहास को ध्यान में रखा जाकर देश की सर्वोच्च अदालत ने सिविल याचिका क्रमांक 202/95 में 12 दिसम्बर 1996 को वन और वन भूमि की व्याख्या एवं परिभाषा की और नया इतिहास लिखा जाना प्रारम्भ कर दिया जो अभी तक सर्वोच्च अदालत के द्वारा ही लिखा जा रहा है।

1956 में पुनर्गठित मध्यप्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 4 करोड़ 42 लाख हेक्टेयर बताया। इसमें से 95 लाख हेक्टेयर राजस्व अभिलेखों में दर्ज दखल रहित जमीनों को वन विभाग ने समानान्तर रूप से धारा 29, धारा 4(1), धारा 20 एवं धारा 34 अ के तहत वन संरक्षण कानून 1980 लागू होने तक अधिसूचित कर दिया। इन्हीं अधिसूचित की गई भूमियों को वन विभाग ने 14 मई 1996 के शासनादेश के अनुसार दूसरी बार नारंगी भूमि बताकर फिर इतिहास को दोहराया जाने लगा। इन्हीं समानान्तर कार्यवाहियों के बाद याचिका क्रमांक 202/95 में 12 दिसम्बर 1996 को दिए गए। आदेश के बाद राजस्व विभाग एवं वन विभाग ने मिलकर फिर एक नया इतिहास लिखना शुरू किया, जिसे न्यायपालिका के सम्मान, और न्यायपालिका पर विश्वास का रूप दिया जा रहा है।

सर्वोच्च अदालत के 1996 में दिए आदेश के अनुसार लिखा जा रहा इतिहास ही न्यायपालिका की जानकारी में लाया जा रहा है। वन विभाग और राजस्व विभाग के द्वारा लिखा गया इतिहास या दोहराया गया इतिहास न्यायालय से लगातार छिपाया गया है। न्यायपालिका से छिपाए गए। इस इतिहास के कारण जनजातीय समुदाय एवं जंगलों पर आश्रित समुदाय के विरूद्ध आजादी के बाद किए गए ऐतिहासिक अन्याय भी 12 दिसम्बर 1996 के बाद से ही दोहराए जा रहे हैं।

जंगल, जमीन, अधिकार और अन्याय का क्रमबद्ध इतिहास

देश की आजादी के बाद जनजाति समुदाय एवं जंगलों पर आश्रित समुदाय के विरूद्ध किए गए ऐतिहासिक अन्याय का लिपिबद्ध इतिहास उपलब्ध है, देश की सर्वोच्च अदालत के द्वारा इस लिपिबद्ध इतिहास के बाद भी सिविल याचिका क्रमांक 202/95 में 12 दिसम्बर 1996 को दिए गए आदेश के बाद दोहराए गए ऐतिहासिक अन्यायों का भी लिपिबद्ध इतिहास उपलब्ध है।

आजादी के बाद ऐतिहासिक अन्याय किया जाना और फिर उन्हें न्यायालीन आदेश के बाद दोहराया जाना भारतीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था को कटघरे में तो खड़ा कर ही रहा है, उसे उपहास का विषय भी बना चुका है।

आजादी के बाद लिखे गए इतिहास और न्यायालीन आदेश के बाद दोहराए गए इतिहास से जुड़े महत्वपूर्ण घटनाक्रम को हम यहां उल्लेखित कर रहे हैं, इससे जुड़े हर अभिलेख और दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध हैं।

1. 1927 भारतीय वन अधिनियम की धारा 3 एवं 29
2. 1937 रीवा राज दरबार का आदेश
3. 1950 भारतीय संविधान
4. 1950 जमींदारी उन्मूलन कानून या स्वामित्वाधिकारों के अन्त का कानून
5. 1954 भोपाल प्रान्त की अधिसूचना संरक्षित वन घोषित करने की
6. 1954 म.प्र. भू–राजस्व संहिता और अध्याय 18
7. 1955 मध्य प्रान्त की अधिसूचना संरक्षित वन घोषित करने की
8. 1956 लैण्ड रिफार्म मैनुअल
9. 1956 राज्यों का पुनर्गठन
10. 1957 मध्य प्रदेश में निस्तार एवं चराई की सुविधाएं
11. 1958 मध्यप्रदेश की अधिसूचना संरक्षित वन घोषित करने की
12. 1959 म.प्र. भू–राजस्व संहिता और अध्याय 18
13. 1959 से राजस्व अभिलेख एवं बन्दोबस्त के दौरान दर्ज गैरखातें की राजस्व भूमि
14. 1960 से संरक्षित वन भूमियों के सर्वे डिमारकेशन की रिपोर्ट
15. 1960 संरक्षित वन नियम

16. 1962 से धारा 4(1) के तहत बनाए वनखण्डों की अधिसूचना
17. 1962 से म.प्र. भू–राजस्व संहिता के अध्याय 18 से संबंधित बनाए गए नियम
18. 1962 से संरक्षित वन क्षेत्रों के लिए बनाई गई वर्किंग स्कीम
19. 1965 धारा 20 अ, धारा 34 अ, धारा 80 अ के संशोधन
20. 1965 से धारा 34 अ के तहत राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचनाएं
21. 1966 पड़त भूमि के कृषिकरण हेतु बनाया गया अधिनियम
22. 1966 अधिक अन्न उपजाओ योजना के तहत वन विभाग द्वारा भूमि अन्तरण
23. 1970 दखल रहित भूमि के कृषिकरण हेतु बनाया गया अधिनियम
24. 1975 मंत्रीमंडल निर्णय के बाद अन्तरित वन भूमि
25. 1976 अन्तरित वन भूमि के वितरण हेतु जारी आदेश
26. 1978 अधिक अन्न उपजाओ योजना के तहत अन्तरित भूमि का आवंटन
27. 1979 धारा 34 अ में निर्वनीकृत भूमि के बंटन का भू–राजस्व संहिता में किया संशोधन
28. 1979 वन विभाग द्वारा सर्वे डिमारकेशन का अंतिम प्रतिवेदन
29. 1980 वन भूमि पर 31.12.1976 तक के काबिजों का सर्वे
30. 1980 वन संरक्षण कानून
31. 1984 म.प्र. में ग्रामों की दखल रहित भूमि के कृषिकरण का अधिनियम
32. 1986 से अनुविभागीय अधिकारी को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में अधिकृत
33. 1987 शासकीय पट्टों को मालिकाना हक पर बदलने का निर्णय
34. 1990 में 31.12.1976 तक के पात्र काबिजों के लिए वन भूमि का निर्वनीकरण
35. 1990 में भारत सरकार वन मंत्रालय द्वारा जारी 6 परीपत्र
36. 1991 में अधिक अन्न उपजाओ योजना की भूमियों के बंटन का पुनः आदेश
37. 1993 संविधान में 73वां संशोधन एवं 11वीं अनूसूची
38. 1994 में दिनांक 24 जनवरी को वरिष्ठ वन अधिकारी श्री अशोक मसीह द्वारा बनाई संक्षेपिका
39. 1995 वन भूमि पर 24.10.1980 तक के पात्र अतिक्रमणकारियों का सर्वे
40. 1996 मई 14 को नारंगी भूमि बाबत् जारी परिपत्र
41. 1996 संसद द्वारा पारित पेसा कानून लागू किया गया
42. 1996 देश की सर्वोच्च अदालत के द्वारा 12 दिसम्बर को उन जमीनों को वन भूमि परिभाषित कर दिया जिन्हें वन विभाग संरक्षित वन भूमि मानकर उपरोक्त कार्यवाहियां करते रहा।
43. 1997 जनवरी 13 को न्यायालीन आदेश का पालन सुनिश्चित करने का जारी आदेश।
44. 1998 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 5 प्रतिशत से शेष भूमि आवंटन का संशोधन।

45. वन विभाग के द्वारा आरक्षित एवं संरक्षित वन भूमि के 1956 से प्रतिवेदित आंकड़े

46. 2000 राजस्व विभाग द्वारा राजस्व भूमि एवं वन भूमि के 1965 से प्रतिवेदित आंकड़े

47. 2000 राजस्व विभाग के द्वारा गैरखाते की भूमि के 1965 से प्रतिवेदित आंकड़े

48. 2000 राजस्व विभाग द्वारा 1956 से प्रतिवेदित आंकड़ों में वनक्षेत्र में हुई वृद्धि

49. 2001 अक्टूम्बर 29 में परिभाषित वन भूमि मानकर जानकारियों का संकलन

50. 2002 दखल रहित भूमि आवंटन हेतु किया गया संशोधन

51. 2002 आई.ए. 791 एवं 792 में इजमेन्ट राइट्स की भूमि मानकर दिया गया आदेश

52. 2003 जुलाई एकता परिषद् द्वारा सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी में प्रस्तुत आवेदन

53. 2003 फरवरी 24 को म.प्र. के मुख्यमंत्री से इस विषय पर हुई चर्चा

54. 2003 फरवरी 25 फरवरी को मुख्य सचिव सहित वन और राजस्व अधिकारियों से हुई चर्चा

55. 2003 मई 20 में वन मंत्रालय भारत सरकार की म.प्र. के अधिकारियों के साथ हुई बैठक

56. 2003 अप्रेल 23 को वन विभाग द्वारा अन्तरित भूमि की जानकारी संकलन हेतु प्रमुख सचिव म.प्र. द्वारा जारी परीपत्र

57. 2003 सितम्बर 28 को संसदीय सलाहकार समिति द्वारा श्रीमति माग्रेट अल्वा की अध्यक्षता में की गई बैठक

58. 2003 दिसम्बर 2 में धारा 4(1) में अधिसूचित वनखण्ड की जांच हेतु दिशा निर्देश

59. 2004 राजस्व विभाग ने संरक्षित वन भूमि याने बड़े छोटे झाड़ के जंगल मद की भूमि को राजस्व भूमि मानते हुए जानकारी संकलन के निर्देश दिए।

60. 2004 जुलाई 24 को मुख्य सचिव द्वारा आदेश जारी किया जिसमें वन एवं राजस्व भूमि का सीमांकन, डीनोटीफाइड भूमि के अभिलेख संशोधन एवं वनखण्ड के बाहर छोड़ी भूमि के डीनोटीफिकेशन के निर्देश दिए गए

61. 2005 फरवरी 18 को राजपत्र में दो नियम प्रकाशित कर संरक्षित वन नियम 1960 को निरस्त किया

62. 2006 संसद के द्वारा ऐतिहासिक अन्याय की स्वीकारोक्ति के साथ वन अधिकार कानून पारित किया

63. 2007 वन अधिकार कानून 2006 के तहत नियम बनाए गए/अधिसूचित किए गए

64. 2008 जनवरी से वन अधिकार कानून एवं नियम लागू किए गए

65. 2008 जुलाई 11 को वर्किंग प्लान में शामिल निजी भूमि बाबत् जारी आदेश

66. 2009 दिसम्बर 8 को धारा 4(1) में अधिसूचित क्षेत्रों की जांच के निर्देश जारी किए गए

67. 2012 दखल रहित भूमि पर काबिजों को आवंटन हेतु संशोधन किया गया

68. 2012 फरवरी 10 को वनोपज के शुद्ध लाभ के वितरण का संशोधित आदेश जारी किया

69. 2014 दिसम्बर 24 को मुख्य सचिव म.प्र. शासन द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु छोटे–बड़े झाड़ के जंगल मद की राजस्व भूमि उपलब्ध कराना

70. 2015 फरवरी 13 को प्रमुख सचिव वन द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दी गई गैर वनभूमि को संरक्षित वनभूमि के रूप में अधिसूचित किए जाने के पूर्व भूमि पर विभिन्न अधिकारों का अभिलेखीकरण हेतु प्रेषित पत्र।

71. 2015 अप्रैल 10 को प्रमुख सचिव वन द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–29 एवं धारा 4(1) में अधिसूचित वन भूमियों पर अधिकारों को अभिलेखित किए जाने बाबत् लिखा पत्र

72. 2015 मई 14 को मुख्य सचिव मप्र शासन द्वारा आरक्षित एवं संरक्षित वनखण्डों की सीमा विवाद का निराकरण हेतु प्रेषित पत्र

73. 2015 मई 23 को प्रमुख सचिव वन द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की प्रस्तावित बिगड़े वन क्षेत्रों को लीज पर देने की योजना हेतु जानकारी प्रदान करने के संबंध में लिखा गया पत्र

74. 2015 जून 01 मुख्य सचिव म.प्र. शासन द्वारा आरक्षित वन खण्डों का गठन के संबंध में लिखा गया पत्र

75. 2015 जून 04 को प्रमुख सचिव वन द्वारा आरक्षित तथा संरक्षित वनखण्डों की सीमा विवाद का निराकरण एवं आरक्षित वनखण्ड का गठन के संबंध में लिखा गया पत्र

76. 2015 जून 04 को ग्राम वन नियम 2015 अधिसूचित किए

77. 2015 जून 04 को संरक्षित वन नियम 2015 अधिसूचित किए

विदेशी शब्दकोष पर आधारित, ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा की गई व्यवस्था को आजादी के बाद लागू कर वन विभाग ने संरक्षित वन भूमि के नाम पर ग्रामों की सम्पूर्ण सामुदायिक व्यवस्था को समाप्त कर अपना नियंत्रण कायम कर लिया। देश की सर्वोच्च अदालत के द्वारा उसी विदेशी शब्दकोष के आधार पर की गई व्यवस्था को वनभूमि के रूप में पुनः 12 दिसम्बर 1996 को परिभाषित कर दिया।

वन विभाग के पास सर्वे डिमारकेशन रिपोर्ट, ब्लॉक हिस्ट्री एवं मानचित्र, धारा 4(1) की अधिसूचना, धारा 34 अ की अधिसूचना, संरक्षित वन क्षेत्रफल पंजी, संरक्षित वन मानचित्र, सर्वे कम्पलीशन रिपोर्ट, वन व्यवस्थापन की नस्ती, नारंगी भूमि सर्वे रिपोर्ट वर्किंग प्लान एवं कम्पार्टमेन्ट हिस्ट्री में उपरोक्त इतिहास दर्ज हैं।

राजस्व विभाग के पास बाजिबुल अर्ज, जमींदारों से अर्जित भूमि के प्रकरण, निस्तार पत्रक, अधिकार अभिलेख, पटवारी मानचित्र, मौजावार पंजी, संशोधन पंजी, खसरा पंजी में उपरोक्त इतिहास दर्ज हैं, जिसमें वन विभाग द्वारा मानी गई संरक्षित वन भूमि, नारंगी भूमि और उसी को न्यायालय द्वारा परिभाषित भूमि अलग–अलग मदों में समाज के सामुदायिक, परम्परागत, रूढ़िक एवं निस्तार के अधिकारों के लिए दर्ज हैं।

विभिन्न न्यायालयों के द्वारा भूमि संबंधी विवादों के संबंध में वन विभाग एवं राजस्व विभाग के जिन अभिलेखों को प्रमाण के तौर पर स्वीकार किया जाते रहा है। उन्हीं अभिलेखों में दर्ज इतिहास को देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था स्वीकार नहीं कर पाई।

आजादी के बाद किए गए ऐतिहासिक अन्याय के लेखबद्ध इतिहास वन विभाग एवं राजस्व विभाग के अभिलेखों में ही दर्ज है। 1996 के बाद दोहराए गए ऐतिहासिक अन्याय का भी लेखबद्ध इतिहास वन विभाग और राजस्व विभाग के अभिलेखों में ही दर्ज किया जाते रहा है। इतिहास में लेखबद्ध ऐतिहासिक अन्याय को इतिहास के आधार पर दूर किए जाने में वन अधिकारों पर मान्यता कानून 2006 असफल नहीं हुआ, बल्कि यह कानून भी ऐतिहासिक अन्याय दोहराए जाने का एक और हथियार बन चुका है।

समानान्तर कार्यवाहियों का इतिहास

राजस्व विभाग आजादी के पहले और आजादी के बाद राजस्व अभिलेखों में जिन जमीनों को इजमेन्ट राइट्स, सामुदायिक, परम्परागत, रूढ़िक एवं निस्तार के अधिकार के रूप में दर्ज करते रहा, उन्हीं जमीनों को वन विभाग पहले संरक्षित वन भूमि, फिर नारंगी भूमि मानकर अपने अभिलेखों में दर्ज किया, कार्यवाहियां की गई।

इन्हीं संरक्षित वन भूमि, नारंगी भूमि को देश की उच्चतम न्यायालय ने 12 दिसम्बर 1996 को एक बार फिर वन भूमि परिभाषित कर दिया। इस तरह से वन विभाग एक ही जमीन को संरक्षित वन, नारंगी वन एवं न्यायालय द्वारा परिभाषित वन मानकर समानान्तर कार्यवाहियां करते रहा, राजस्व विभाग राजस्व भूमि मानकर समानान्तर कार्यवाही करते रहा।

वन विभाग ने 1950 से संरक्षित वन भूमि मानकर जो कार्यवाहियां की उनमें से कुछ कार्यवाहियों को न्यायालय द्वारा परिभाषित वन भूमि बताकर स्वयं ही स्वीकार किए जाने से इन्कार भी कर दिया।

विश्व इतिहास के इस आश्चर्यजनक, दुर्भाग्यपूर्ण कार्यवाहियों पर देश की सर्वोच्च अदालत मौन है, यह अदालत पीड़ित और प्रभावित समुदाय की पहुंच से दूर और बहुत दूर है।

राजस्व विभाग की कार्यवाही

1. जिन जमीनों को आजादी के पूर्व मालगुजारी, जमींदारीं ग्रामों में इजमेन्ट राइट्स के लिए राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाते रहा।
2. जिन जमीनों को आजादी के बाद अन्याय से मुक्ति के नाम पर मालगुजार जमींदारों से राज्य शासन और राजस्व विभाग के द्वारा अर्जित किया।
3. जिन जमीनों को आजादी के पहले और आजादी के बाद रैय्यतवारी एवं मसाहती ग्रामों में सामुदायिक, परम्परागत, रूढ़िक एवं निस्तार के अधिकारों के लिए राजस्व विभाग अभिलेखों में दर्ज करते रहा।
4. जिन जमीनों को गैरखाते की भूमि मानते हुए म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1954 संशोधित 1959 के अध्याय 18 में दखल रहित भूमि मानकर प्रावधान किए गए।
5. जिन जमीनों को संहिता की धारा 234 के तहत बनाए गए निस्तार पत्रक में दर्ज किया धारा 237(1) के तहत आरक्षित कर दर्ज किया।
6. जिन जमीनों को आजादी के पहले और आजादी के बाद बड़े झाड़, छोटे झाड़ का जंगल, झुड़पी जंगल, जंगलात, जंगल जंला, जंगल खुर्द जैसी मदों में राजस्व विभाग राजस्व अभिलेखों में दर्ज करते रहा।
7. जिन जमीनों को आजादी के पहले और आजादी के बाद घास, चरनोई, चारागाह, कदीम, सरना, करात, बीड़

जैसी मदों में राजस्व विभाग राजस्व अभिलेखों में दर्ज करते रहा।

8. जिन जमीनों को म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959, संविधान की 11वीं अनूसूची, पेसा कानून 1996 के तहत संबंधित राजस्व ग्राम की सीमा में आने वाला संसाधन मानकर पंचायती राज व्यवस्था को अधिकार दिए गए।

9. जिन जमीनों को राजस्व विभाग राजस्व भूमि मानते हुए भू–राजस्व संहिता के तहत बन्दोबस्त करते रहा, राजस्व अभिलेखों में दर्ज करते रहा, राजस्व भूमि के रूप में प्रतिवेदित एवं प्रकाशित करते रहा।

वन विभाग की कार्यवाही

1. इन्हीं जमीनों को वन विभाग ने रीवा राज दरबार द्वारा 1937 में जारी आदेश के तहत 1950 के बाद संरक्षित वन भूमि मान लिया।

2. इन्हीं जमीनों को वन विभाग ने वर्ष 1954, वर्ष 1955 एवं वर्ष 1958 में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के तहत संरक्षित वन भूमि अधिसूचित किया।

3. इन्हीं जमीनों को जंगल मद एवं गैर जंगल मद में दर्ज होने, के बाद भी वन विभाग ने 1960 में प्रारम्भ किए गए सर्वे डिमारकेशन में शामिल किया।

4. इन्हीं जमीनों में से वानिकी प्रबन्धन के लिए उपयुक्त भूमियों का चयन कर वनखण्ड बनाए और उन्हें भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4(1) के तहत अधिसूचित कर धारा 5 से 20 तक की कार्यवाही के लिए प्रस्तावित किया।

5. इन्हीं जमीनों को धारा 5 से 20 तक की जांच के बिना ही वन विभाग ने वर्किंग प्लान में शामिल कर "प्रचलित समस्त अधिकार एवं प्रयोजनों" को अपराध मान लिया।

6. इन्हीं जमीनों में से वानिकी प्रबन्धन के लिए अनुपयुक्त पाई भूमि को वनखण्ड के बाहर छोड़ा, इन भूमियों को राजस्व विभाग को अंतरित किया, राजपत्र में डीनोटीफाइड किया गया।

7. इन्हीं जमीनों को वानिकी प्रबन्धन के लिए अनुपयुक्त बताकर वन विभाग ने संरक्षित वन मानचित्र एवं संरक्षित वन क्षेत्रफल पंजी से भी पृथक कर दिया।

8. इन्हीं जमीनों को लेकर वन विभाग और वानिकी प्रबन्धन द्वारा बनाए गए अभिलेख, दस्तावेज, मानचित्र में भूमियों की मद एवं प्रयोजन और अधिकारों के राजस्व अभिलेखों में दर्ज किसी भी ब्यौरे को अंकित नहीं किया।

9. इन्हीं जमीनों में से वनखण्ड में शामिल, राजस्व को अन्तरित, राजपत्र में डीनोटीफाइड जमीनों को वन विभाग ने 14 मई 1996 के परिपत्र के तहत "नारंगी भूमि मानकर सर्वे प्रारम्भ कर दिया

10. इन्हीं जमीनों में से नारंगी भूमि सर्वे में शामिल जमीनों को वानिकी प्रबन्धन के लिए उपयुक्त बताकर भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4(1) के तहत वनखण्ड में अधिसूचित किए बिना ही वर्किंग प्लान में शामिल कर लिया।

सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही

1. जिन जमीनों को वन विभाग ने राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर संरक्षित वन अधिसूचित किया, उन्हीं जमीनों को देश की सर्वोच्च अदालत के द्वारा याचिका क्रमांक 202/95 में दिनांक 12 दिसम्बर 1996 को वन भूमि परिभाषित कर दिया।

2. जिन जगीनों को वन विगाग ने 14 गई 1996 के आदेशानुसार नारंगी भूमि मानकर कार्यवाहियां प्रारम्भ की। उन्हीं जमीनों को 13 जनवरी 1997 के आदेशानुसार न्यायालय द्वारा परिभाषित वन भूमि मानकर समानान्तर कार्यवाहियां की गई।

3. जिन जमीनों को वन विभाग ने 24.10.1980 के पूर्व राजस्व विभाग को अन्तरित किया, राजपत्र में डीनोटीफाइड किया, उन्हीं जमीनों को 12 दिसम्बर 1996 के आदेशानुसार परिभाषित वन भूमि बताकर वन विभाग ने कार्यवाहियां की।

4. जिन जमीनों को आजादी के पहले और आजादी के बाद राजस्व अभिलेखों में इजमेन्ट राइट्स, सामुदायिक अधिकार, परम्परागत अधिकार, रूढ़िक अधिकार एवं निस्तार के अधिकार के लिए दर्ज किया उन्हीं जमीनों को पहले संरक्षित वन भूमि, फिर नारंगी भूमि एवं अब न्यायालय द्वारा परिभाषित वन भूमि मान लिया गया।

न्यायपालिका का दुरूपयोग कर न्याय की उपेक्षा

1. 14 मई 1996 के आदेशानुसार नारंगी भूमि सर्वे इकाई के पास राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए गए राजस्व अभिलेखों में ग्रामवार, खसरावार, रकबावार भूमियों की मद, भूमि के प्रयोजन एवं भूमि पर अधिकार के दर्ज ब्यौरो को उपलब्ध जानकारी को न्यायालय से छिपाया गया ।

2. आई.ए. क्रमांक 791 एवं 792 में अगस्त 2002 के पूर्व सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी के द्वारा प्रस्तुत अपने अभिमत एवं प्रतिवेदन में देश की सर्वोच्च अदालत से जानकारी छिपाई गई।

3. 23 अप्रैल 2003 को म.प्र. के प्रमुख सचिव वन द्वारा 1980 के पूर्व राजस्व विभाग को अन्तरित की गई। भूमियों की संकलित की गई जानकारी को भी देश की न्यायपालिका से छिपाया गया।

4. 22 जुलाई 2003 को एकता परिषद् द्वारा सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी के समक्ष म.प्र. एवं छ.ग. राज्य के संदर्भ में प्रमाणों सहित तथ्यों का उल्लेख कर प्रस्तुत आवेदन के बाद भी सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी, म.प्र. एवं छ.ग. की राज्य सरकार ने देश की न्यायपालिका से जानकारी छिपाई गई।

5. 02 दिसम्बर 2003 में वन व्यवस्थापन अधिकारियों के लिए जारी दिशा निर्देश एवं उनके समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में भूमि की मद, प्रयोजन एवं अधिकारों की उल्लेखित जानकारी को भी देश की न्यायपालिका से छिपाया गया।

6. 24 जुलाई 2004 को मप्र के मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश में वन विभाग द्वारा डीनोटीफाइड संरक्षित वन भूमि के अभिलेख संशोधन हेतु दिए गए निर्देश के बाद भी देश की न्यायपालिका से जानकारी छिपाई गई।

7. 24 जुलाई 2004 के ही निर्देश के आधार पर वन एवं राजस्व विभाग द्वारा किए गए सीमांकन में ग्रामवार, खसरावार, रकबावार, मदवार, प्रयोजनवार, जानकारी संकलन के बाद भी देश की सर्वोच्च अदालत से जानकारी छिपाई गई।

8. 11 जुलाई 2008 को म.प्र. शासन वन विभाग के द्वारा वनखण्ड में अधिसूचित, बिना मुआवजा भुगतान के वर्किंग प्लान में सम्मिलित निजी भूमि बाबत् आदेश जारी किए जाने के बाद भी देश की न्यायपालिका से जानकारी छिपाई गई।

9. वन संरक्षण कानून 1980 के लागू होने के बाद वन विभाग के द्वारा दी गई अनुमतियों के बदले संरक्षित वन भूमि, अन्तरित एवं डीनोटीफाइड भूमियों को वैकल्पिक राजस्व भूमि मानकर प्राप्त करने, संरक्षित वन भूमि अधिसूचित करने की पूरी जानकारी देश की न्यायपालिका से छिपाई गई।

10. धारा 4(1) के तहत अधिसूचित वनखण्डों को धारा 5 से 20 तक की जांच के बिना ही वर्किंग प्लान में सम्मिलित कर समाज के प्रचलित समस्त अधिकारों को बिना जांच, बिना आदेश के अपराध मान लिए जाने की कार्यवाहियों को भी देश की न्यायपालिका से छिपाया गया।

11. मध्यप्रदेश की विधानसभा में सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों और उनकी वन विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा संकलित की गई जानकारी, सदन में दिए गए उत्तरों के बाद भी देश की न्यायपालिका से जानकारी छिपाई गई।

प्राकृतिक संसाधन और सी.ए.जी. की असफल भूमिका

1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ और 1950 में ही तत्कालीन मालगुजार, जमींदार विनाश कानून या उन्मूलन कानून या स्वामित्वाधिकारों के अन्त का कानून लागू कर राजस्व ग्रामों की इजमेन्ट राइट्स के रूप में दर्ज भूमि राज्य सरकार के राजस्व विभाग के द्वारा अर्जित की गई। वन विभाग ने इन्हीं सामुदायिक प्राकृतिक संसाधनों को उसी समय संरक्षित वन भूमि मान अपने अभिलेखों में दर्ज कर लिया। राजपत्र में अधिसूचित भी किया, लेकिन राजस्व विभाग इन जमीनों को लगातार राजस्व भूमि मानकर ही प्रतिवेदित करते रहा है।

वन विभाग द्वारा राजपत्र में अधिसूचित/प्रतिवेदित भूमि

क्र.	विषय	रकबा (हेक्टेयर में)
1	वर्किंग प्लान में सम्मिलित धारा 4(1) में अधिसूचित भूमि	6669379
2	1980 तक अधिसूचित आरक्षित वन का रकबा	445987
3	1980 तक राजपत्र में डीनोटीफाइड की गई भूमि का रकबा	1904622
4	1980 तक बिना डीनोटीफिकेशन के अन्तरित रकबा	593293
5	असीमांकित वन/नारंगी वन प्रतिवेदित रकबा	1419617
6	डीनोटीफिकेशन की अधिसूचनाओं में बताए ग्रामों की संख्या	45992
	भूमि का कुल योग	**11032899**

1956 में मध्यप्रदेश का पुनर्गठन हुआ। वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य के रूप में विभाजन हुआ। इस अवधि में राज्य सरकार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 4 करोड़ 42 लाख भूमि में से एक चौथाई 1 करोड़ 10 लाख हेक्टेयर भूमि के फर्जी समानान्तर आंकड़े प्रतिवेदित करते आई और आश्चर्यजनक रूप से इन फर्जी और समानान्तर आंकड़ों को सही मान कर योजनाएं बनाई गई। शासकीय धन व्यय किया गया। देश की न्यायपालिका 1996 से न्याय भी कर रही है।

भारत में संवैधानिक संगठन "नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक" कार्य कर रहा है, जो प्राकृतिक संसाधनों में राज्य के हितों को लेकर ऑडिट करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कार्य भी करते आया है। श्री विनोद रॉय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा 2जी स्पेक्ट्रम एवं कोयला ब्लॉक के संबंध में ली गई आपत्तियों ने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सनसनी का वातावरण निर्मित किया, लेकिन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 1956 में पुनर्गठित मध्य प्रदेश, वर्ष 2000 में विभाजित छत्तीसगढ़ राज्य में लाखों हेक्टेयर शासकीय भूमि के घोटाले को सामने लाने में असफल रहा है।

देश की सर्वोच्च अदालत के द्वारा टी–एन– गोदाबर्मन की सिविल याचिका क्रमांक 202/95 में वन और वन भूमि की व्याख्या एवं परिभाषा कर 12 दिसम्बर 1996 को आदेश दिया, याचिका की अभी भी सुनवाई चल रही है, याचिका में सैकड़ों आदेश दिए जा चुके हैं। देश की सर्वोच्च अदालत मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में आरक्षित एवं संरक्षित वन भूमि एवं 12 दिसम्बर 1996 को परिभाषित वन भूमि के घोटालों पर अभी तक तो मौन साधे हुए है।

राज्यों का सांख्यिकी विभाग या भारत सरकार का सांख्यिकी ब्यूरो बिना किसी परीक्षण के वन विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा प्रतिवेदित राजस्व भूमि एवं वन भूमि के आंकड़े प्रकाशित कर भूमि घोटालों को अपना पूर्ण संरक्षण प्रदान करते आया है। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य के राजस्व विभाग द्वारा राजस्व भूमि के प्रतिवेदित आंकड़ों के आधार पर भारत सरकार का योजना आयोग और अब नीति आयोग, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग योजनाएं बनाकर उनके सफल क्रियान्वयन का दावा भी करते आए हैं। मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य के वन विभाग द्वारा वन भूमि के आंकड़ों को भारत सरकार उसके संगठन स्वीकारते हुए वन भूमि कम होने का दुष्प्रचार तो करते ही रहे हैं, उन्ही आंकड़ों के आधार पर नियंत्रण, प्रबन्धन, विकास की सफल योजनाओं के क्रियान्वयन का दावा कर पर्यावरण संरक्षण की गंभीर चिन्ताओं को भी स्थापित करने में सफल होते आए हैं।

वन विभाग द्वारा लगातार वन भूमि में हो रही कमी के प्रतिवेदित आंकड़ों पर विश्वास कर पर्यावर–ा की गंभीर समस्या को ध्यान में रखकर, राजस्व विभाग द्वारा प्रतिवेदित आंकड़ों पर नजर डाली गई और उन्हीं आंकड़ों पर विश्वास कर पर्यावरण संरक्षण के उपाय भी किए जाने का दावा किया जाने लगा। भूमि से संबंधित प्रतिवेदित किए गए, हर स्तर पर मान्य किए गए आंकड़ों को हम एक बार पुनः सार्वजनिक कर रहे हैं।

राज्य शासन के द्वारा प्रतिवेदित किए गए, भारत सरकार द्वारा मान्य किए गए आंकड़ों में शामिल भूमि की संवैधानिक, वैधानिक स्थिति के साथ ही न्यायालय द्वारा दिए आदेश के अनुसार न्यायिक स्थिति पर स्वयं न्यायपालिका भी पूर्ण विचार नहीं कर पाई। राजस्व विभाग द्वारा प्रतिवेदित भूमि, वन विभाग द्वारा प्रतिवेदित भूमि एवं न्यायालय द्वारा परिभाषित वन भूमि के फर्जी आंकड़ों पर आधारित पर्यावरण संरक्षण के मौजूदा प्रयासों का खोखलापन आपके हाथों में है।

राजस्व विभाग राजस्व ग्रामों की राजस्व अभिलेखों में दर्ज राजस्व भूमि को दो हिस्सों में प्रतिवेदित करता है, पहला हिस्सा खाते की भूमि यानी निजी भूमि जिसमें पट्टे पर आवंटित भूमि भी शामिल है। दूसरे हिस्से में दखल रहित भूमि जिसे गैरखाते की बड़े झाड़ के जंगल, छोटे झाड़ के जंगल, आबादी, बाग बगीचे, पहाड़ चट्टान, पानी के नीचे याने नदी नाले, तालाब और सड़क, रास्ते, इमारत भूमि प्रतिवेदित की जाते रही है।

गैरखाते में प्रतिवेदित दखल रहित भूमियों को राजस्व विभाग राजस्व अभिलेखों में समाज ५, वेभिन्न अधिकारों एवं विभिन्न प्रयोजनों के लिए भी दर्ज करता है जैसे गोठान, खलियान, कब्रिस्तान, श्मशान, बाजार, पाठशाला और खेलकूद के मैदान, मुर्दा मवेशी चीरने फाड़ने के स्थान, जलाऊ लकड़ी, कृषि औजार की लकड़ी, झोपड़ी बनाने के बांस बल्ली लाने के स्थान, चराई के स्थान, मुरम, मिट्टी एवं पत्थर के स्थान, धार्मिक, सामाजिक रीति रिवाजों के लिए निर्धारित स्थान", मछली पकड़ने, सन सड़ाने, सिंचाई के अधिकार, रास्तों, सड़क मार्ग से आने जाने के अधिकार आदि।

वर्ष	गैर खाते का रकबा (हे–में)	खाते का रकबा (हे–में)	योग (हे–में)	वर्ष	गैर खाते का रकबा (हे–में)	खाते का रकबा (हे–में)	योग (हे–में)
1965	15361925	21284268	36646193	**1983**	14871975	22197658	37069633
1966	15369431	21298826	36668257	**1984**	14847424	22228264	37075688
1967	15362125	21331161	36693286	**1985**	14799723	22272348	37072071
1968	15301878	21360165	36662043	**1986**	14783749	22290039	37073788
1969	15511711	21379298	36891009	**1987**	14785526	22310855	37096381

1970	15592270	21376377	36968647	1988	14392281	22317171	36709452
1971	15506404	21412169	36918573	1989	13702033	22332766	36034799
1972	15487669	21451086	36938755	1990	13662135	22339549	36001684
1973	15453798	21492576	36946374	1991	12467094	22361630	34828724
1974	15467330	21530212	36997542	1992	12062661	22384010	34446671
1975	15289142	21600354	36889496	1993	11786259	22386292	34172551
1976	15348085	21665696	37013781	1994	10718988	22392074	33111062
1977	15173794	21838969	37012763	1995	10689103	22405906	33095009
1978	15073008	21958791	37031799	1996	10739765	22410099	33149864
1979	15076422	22008502	37084924	1997	10514981	22410278	32925259
1980	15128960	22041256	37170216	1998	10484674	22416294	32900968
1981	14469732	22071542	36541274	1999	10322243	22454333	32776576
1982	14938464	22124557	37063021	अन्तर	**5039682**	**1170065**	**3869617**

राजस्व विभाग के द्वारा प्रतिवेदित किए गए आंकड़ों के अनुसार खाते की भूमि में 11 लाख 70 हजार 65 हेक्टेयर की वृद्धि हुई, लेकिन गैरखाते की भूमि में 50 लाख 39 हजार 682 हेक्टेयर की कमी हो गई। इस तरह से राजस्व भूमि में 38 लाख 69 हजार 617 हेक्टेयर की कमी होना स्वयं राजस्व विभाग के द्वारा ही बताया गया है।

भू–राजस्व संहिता 1959 की किस धारा के अनुसार राजस्व विभाग ने राजस्व भूमियों में कमी होना प्रतिवेदित किया है ? यह एक सवाल तो है ही दूसरा इससे भी महत्वपूर्ण सवाल यह है कि 38 लाख 69 हजार 617 हेक्टेयर राजस्व भूमि गई कहां ? तीसरा भूमि सुधार की असफलता को खाते की भूमि में हुई मामूली वृद्धि के रूप में स्वयं ही प्रमाणित कर रहा है। चौथा सवाल ग्राम के सामुदायिक संसाधनों से ग्रामीणों को वंचित कर ग्रामीण व्यवस्था पर चोट के रूप में सामने है।

वन विभाग वन भूमि के आंकड़े प्रतिवेदित करते आया है, वन विभाग वन भूमि को तीन श्रेणियों में आरक्षित वन, संरक्षित वन, असीमांकित वन के रूप में विभक्त कर वन भूमि प्रतिवेदित करते आया है।

वर्ष	वन भूमि (हे–में)	वर्ष	वन भूमि (हे–में)	वर्ष	वन भूमि (हे–में)
1957	17246000	1972	16863700	1987	15541400
1958	17073700	1973	16616100	1988	15541400
1959	17103200	1974	16616100	1989	15541400
1960	17127800	1975	16459700	1990	15541400
1961	17266400	1976	16313500	1991	15541400
1962	17297800	1977	15638600	1992	15449669
1963	17291100	1978	15638600	1993	15449669
1964	17285000	1979	15638600	1994	15450159

1965	17160900	**1980**	15541400	**1995**	15450639
1966	17170800	**1981**	15541400	**1996**	15450640
1967	17198500	**1982**	15541400	**1997**	15450640
1968	17169200	**1983**	15541400	**1998**	15450640
1969	17094800	**1984**	15541400	**1999**	15450640
1970	16835500	**1985**	15541400	**2000**	15450640
1971	16874800	**1986**	15541400	**अन्तर**	**1795360**

वन विभाग के द्वारा प्रतिवेदित किए गए आंकड़ों में वन विभाग 17 लाख 95 हजार 360 हेक्टेयर वन भूमि कम होना बता रहा है। देश में प्रचलित व्यवस्था के अनुसार यदि राजस्व भूमि कम होती है तो वन भूमि में वृद्धि होना चाहिए और यदि वनभूमि में कमी होती है तो राजस्व भूमि में वृद्धि होना चाहिए, लेकिन यहां तो राजस्व विभाग 38 लाख 69 हजार 617 हेक्टेयर राजस्व भूमि कम होना बता रहा है तो वन विभाग 17 लाख 95 हजार 360 हेक्टेयर वन भूमि कम होना बता रहा है। इस तरह से 56 लाख 64 हजार 977 हेक्टेयर शासकीय भूमि कम हो गई, लेकिन यह भूमि कहां गायब हो गई, किस–किस माफिया का इस भूमि पर कब्जा है यह आज तक राज्य सरकार स्पष्ट नहीं कर पाई तो इस भूमि की तलाश देश का संवैधानिक संगठन "नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक" भी नहीं कर पाया।

राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा प्रतिवेदित किए गए आंकड़ों को यदि एक साथ रखा जाए तो भौगोलिक क्षेत्रफल में ही वृद्धि किए जाने का नायाब कारनामा मध्यप्रदेश में हुआ है।

वर्ष	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	प्रतिवेदित क्षेत्रफल		योग	अन्तर
		राजस्व भूमि	वन भूमि		
1965	44234011	36646193	17160900	53807093	9573082
1966	44312468	36668257	17170800	53839057	9526589
1967	44312878	36693286	17198500	53891786	9578908
1968	44320784	36662043	17169200	53831243	9510459
1969	44268554	36891009	17094800	53985809	9717255
1970	44236732	36968647	16835500	53804147	9567415
1971	44237696	36918573	16874800	53793373	9555677
1972	44237105	36938755	16863700	53802455	9565350
1973	44233206	36946374	16616100	53562474	9329268
1974	44284374	36997542	16616100	53613642	9329268
1975	44263667	36889496	16459700	53349196	9085529
1976	44478964	37013781	16313500	53327281	8848317
1977	44309935	37012763	15638600	52651363	8341428
1978	44316807	37031799	15638600	52670399	8353592

1979	44198299	37084924	15638600	52723524	8525225
1980	44201421	37170216	15541400	52711616	8510195
1981	44210779	36541274	15541400	52082674	7871895
1982	44210835	37063021	15541400	52604421	8393586
1983	44210783	37069633	15541400	52611033	8400250
1984	44211274	37075688	15541400	52617088	8405814
1985	44210461	37072071	15541400	52613471	8403010
1986	44210561	37073788	15541400	52615188	8404627
1987	44210302	37096381	15541400	52637781	8427479
1988	44211596	36709452	15541400	52250852	8039256
1989	44213633	36034799	15541400	51576199	7362566
1990	44214432	36001684	15541400	51543084	7328652
1991	44343494	34828724	15541400	50370124	6026630
1992	44342046	34446671	15449669	49896340	5554294
1993	44342542	34172551	15449669	49622220	5279678
1994	44348160	33111062	15450159	48561221	4213061
1995	44348352	33095009	15450639	48545648	4197296
1996	44347322	33149864	15450640	48600504	4253182
1997	44346960	32925259	15450640	48375899	4028939
1998	44345829	32900968	15450640	48351608	4005779
1999	44349016	32776576	15450640	48227216	3878200

राज्य का राजस्व विभाग राजस्व भूमि एवं राज्य का वन विभाग वन भूमि प्रतिवेदित करते रहा है। इन दोनों ही विभागों द्वारा प्रतिवेदित की गई भूमि राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल के बराबर हो सकती है, कम से कम उससे अधिक तो हो ही नहीं सकती, लेकिन राजस्व विभाग और वन विभाग दोनों ही अपने–अपने स्तर पर राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल से 95 लाख 73 हजार 82 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि प्रतिवेदित करते रहे। इन अतिरिक्त भूमियों में लगातार कमी भी होना बताया जाते रहा।

वर्ष 1999 में 38 लाख 78 हजार 200 हेक्टेयर का अन्तर रह गया। इस तरह से 56 लाख 94 हजार 882 हेक्टेयर का अन्तर कम हुआ, लेकिन भूमि जैसे संसाधन में 95 लाख का अन्तर क्यों था ? 38 लाख का अन्तर क्यों रहा ? 56 लाख का अन्तर कम कैसे हुआ ? इसका कोई मूल्यांकन या परीक्षण राज्य सरकार या भारत सरकार ने तो किया ही नहीं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने भी इस अन्तर को जानने की पहल नहीं की।

भारतीय वन अधिनियम की धारा 20 में आरक्षित वन एवं धारा 29 में संरक्षित वन भूमि के प्रावधान दिए गए हैं। वन विभाग के द्वारा आरक्षित वन एवं संरक्षित वन भूमि के प्रतिवेदित किए गए आंकड़ों के अनुसार–

वर्ष	आरक्षित वन	संरक्षित वन	वर्ष	आरक्षित वन	संरक्षित वन
1957	7883700	5996600	**1979**	8019700	7442100
1958	7883400	5831900	**1980**	8099500	6908300
1959	7883400	7808300	**1981**	8099500	6908300
1960	8000200	7852800	**1982**	8099500	6908300
1961	7883500	8083500	**1983**	8099500	6908300
1962	7883400	8111100	**1984**	8099500	6908300
1963	7879300	8108500	**1985**	8099500	6908300
1964	7889600	9199100	**1986**	8099500	6908300
1965	7593300	9099200	**1987**	8099500	6908300
1966	8008000	9027900	**1988**	8099500	6908300
1967	8018700	9044900	**1989**	8099500	6908300
1968	7994000	9040900	**1990**	8099500	6908300
1969	7974200	8986800	**1991**	8318100	6569000
1970	7972000	8800800	**1992**	8270012	6667757
1971	8010600	8804600	**1993**	8270012	6667757
1972	8012300	8781800	**1994**	8270012	6668899
1973	8012300	8535300	**1995**	8270012	6669379
1974	8012300	8535300	**1996**	8270012–6	6669379–3
1975	8081300	8314000	**1997**	8270012–6	6669379–3
1976	8062000	8186200	**1998**	8270012–6	6669379–3
1977	8019700	7442100	**1999**	8270012–6	6669379–3
1978	8019700	7442100	**2000**	8270012–6	6669379–3

वन विभाग के द्वारा प्रतिवेदित किए गए आंकड़ों के अनुसार आरक्षित वन क्षेत्र में 09 लाख 60 हजार 200 हेक्टेयर वृद्धि हुई एवं 05 लाख 73 हजार 888 हेक्टेयर क्षेत्र में कमी हुई याने शुद्ध रूप से आरक्षित वन क्षेत्र में 03 लाख 86 हजार 312 हेक्टेयर की वृद्धि होना वन विभाग ही स्वीकार कर रहा है। इसी तरह से संरक्षित वन क्षेत्र में 34 लाख 90 हजार 979 हेक्टेयर क्षेत्र में वृद्धि एवं 28 लाख 18 हजार 200 हेक्टेयर क्षेत्र में कमी के साथ शुद्ध रूप से संरक्षित वन क्षेत्र में 06 लाख 72 हजार 779 हेक्टेयर की वृद्धि होना वन विभाग प्रतिवेदित करते आया है। आरक्षित एवं संरक्षित वन क्षेत्र में हुई 10 लाख 59 हजार 91 हेक्टेयर की शुद्ध वृद्धि के बाद भी लगातार वन क्षेत्रों के कम होने का दुष्प्रचार किया और इसके लिए जनजातीय समुदाय एवं जंगलों पर आश्रित समुदाय को ही जिम्मेदार बताया जाते रहा है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इस वृद्धि पर ध्यान देते तो निश्चित ही दुष्प्रचार नहीं होता, अन्याय और अत्याचार भी नहीं होते।

भारतीय वन अधिनियम में असीमांकित वन भूमि के संबंध में कोई भी प्रावधान किसी भी धारा में नहीं दिया गया। भारतीय वन अधिनियम की धारा 29 में संरक्षित वन भूमि के प्रावधान तो हैं लेकिन धारा 4(1) में अधिसूचित, आरक्षित वन बनाए जाने के लिए प्रस्तावित धारा 5 से 19 तक की जांच के लिए लम्बित भूमियों को वन विभाग लगातार संरक्षित वन भूमि प्रतिवेदित करते रहा है।

वर्ष	संरक्षित वन	असीमांकित वन	वर्ष	संरक्षित वन	असीमांकित वन
1957	5996600	3365700	**1960**	7852800	1274800
1958	5831900	3358400	**1961**	8083500	1299400
1959	7808300	1411500	**1962**	8111100	1303300
1963	8108500	1303300	**1982**	6908300	533600
1964	9199100	196300	**1983**	6908300	533600
1965	9099200	468400	**1984**	6908300	533600
1966	9027900	134900	**1985**	6908300	533600
1967	9044900	134900	**1986**	6908300	533600
1968	9040900	134300	**1987**	6908300	533600
1969	8986800	133800	**1988**	6908300	533600
1970	8800800	62700	**1989**	6908300	533600
1971	8804600	59600	**1990**	6908300	533600
1972	8781800	69600	**1991**	6569000	654300
1973	8535300	68500	**1992**	6667757	511900
1974	8535300	68500	**1993**	6667757	511900
1975	8314000	64400	**1994**	6668899	511248—1
1976	8186200	65300	**1995**	6669379	511248—1
1977	7442100	176800	**1996**	6669379—3	511248—1
1978	7442100	176800	**1997**	6669379—3	511248—1
1979	7442100	176800	**1998**	6669379—3	511248—1
1980	6908300	533600	**1999**	6669379—3	511248—1
1981	6908300	533600	**2000**	6669379—3	511248—1

वनगंडल से लेकर वन मुख्यालय तक, राज्य सरकार से लेकर भारत सरकार वन एवं पर्यावरण तक वानिकी प्रबन्धकों का ही बोलबाला है। वानिकी प्रबन्धकों द्वारा प्रतिवेदित असीमांकित वन भूमि का क्या वैधानिक स्वरूप है ? यह आज तक तो स्पष्ट ही नहीं हो पाया, वानिकी प्रबन्धकों को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 एवं धारा 4(1) में क्या अन्तर है ? इसका भी ज्ञान आज तक नहीं हो पाया।

वानिकी प्रबन्धक अपनी अक्षमताओं और अयोग्यताओं को प्रमाणित करते हुए धारा 4(1) में अधिसूचित, आरक्षित वन बनाए जाने के लिए प्रस्तावित, धारा 5 से 19 तक की जांच के लिए लम्बित भूमियों जिनमें निजी भूमि, गैर जंगल मद में दर्ज गैर संरक्षित वन भूमि, एवं जंगल मद में दर्ज गैर संरक्षित वन भूमियों को वर्किंग प्लान में सम्मिलित कर संरक्षित वन भूमि प्रतिवेदित करते आए हैं। दुर्भाग्य से पूरी की पूरी प्रजातांत्रिक व्यवस्था सही मानते आई है।

देश की सर्वोच्च अदालत ने याचिका क्रमांक 202/95 में जिन जमीनों को वनभूमि परिभाषित कर वन संरक्षण कानून 1980 के दायरे में आने वाली भूमि आदेशित किया उन भूमियों को भी वन विभाग वर्किंग प्लान में सम्मिलित संरक्षित वन भूमि एवं वन विभाग के नियंत्रण की असीमांकित वनभूमि ही प्रतिवेदित कर रही है।

वर्किंग प्लान में प्रतिवेदित संरक्षित वन भूमियों के नियंत्रण, प्रबन्धन एवं विकास के लिए राज्य सरकार और भारत सरकार विभागीय बजट आवंटित करते आई है वन विभाग भी उस राशि का भरपूर उपयोग किया जाना बताते आया है, लेकिन इन सबके बाद भी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने आरक्षित वन बनाए जाने के लिए प्रस्तावित वर्किंग प्लान में सम्मिलित भूमि की वैधानिकता का परीक्षण कर राजकीय बजट की राशि का अपव्यय एवं दुरूपयोग किए जाने को ऑडिट का हिस्सा ही नहीं बनाया।

देश की सर्वोच्च अदालत के द्वारा याचिका क्रमांक 202/95 में दिनांक 12 दिसम्बर 1996 को राजस्व अभिलेखों में दर्ज "जंगल मद की जमीनों" को वन भूमि परिभाषित किया। राजस्व विभाग के द्वारा दखल रहित भूमि को गैरखाते की मदवार भूमि प्रतिवेदित किया जाते रहा है। जिसमें बड़े झाड़ एवं छोटे झाड़ के जंगल मद की भूमि को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया।

क्र.	वर्ष	बड़े झाड़ का जंगल	छोटे झाड़ का जंगल व घास	क्र.	वर्ष	बड़े झाड़ का जंगल	छोटे झाड़ का जंगल व घास
1	2	3	4	1	2	3	4
1	1964–65	6906711	4134996	7	1970–71	7105959	4139268
2	1965–66	7172926	4115313	8	1971–72	7085089	4137699
3	1966–67	7107446	4198108	9	1972–73	7106556	4073456
4	1967–68	7063122	4182173	10	1973–74	7047554	4075132
5	1968–69	7295225	4148596	11	1974–75	6897403	4020734
6	1969–70	7179256	4190062	12	1975–76	7023347	3935054
13	1976–77	7010137	3720734	25	1988–89	5942266	3379855
14	1977–78	6834673	3591301	26	1989–90	5966660	3311541
15	1978–79	7100877	3560652	27	1990–91	4825377	3306317
16	1979–80	7055975	3617371	28	1991–92	4434971	3288947
17	1980–81	6408901	3572754	29	1992–93	4322336	3219397
18	1981–82	6916471	3521589	30	1993–94	3476900	3195823
19	1982–83	6909082	3467707	31	1994–95	3490300	3163600
20	1983–84	6893763	3434925	32	1995–96	3529171	3252579
21	1984–85	6944965	3397640	33	1996–97	3341212	3197285
22	1985–86	6971020	3377132	34	1997–98	3326445	3182848
23	1986–87	6977331	3363496	35	1998–99	3191982	3240602
24	1987–88	6601673	3385133				

राजस्व विभाग के द्वारा प्रतिवेदित बड़े झाड़-झे जंगल, छोटे झाड़ के जंगल मद की जमीनों को वनभूमि परिभाषित किया और इन जमीनों पर वन संरक्षण कानून 1980 के प्रावधानों को लागू किया।

बड़े झाड़ के जंगल एवं छोटे झाड़ के जंगल मद की जमीनों को लेकर सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी के द्वारा मध्यप्रदेश सरकार के आवेदन क्रमांक 513 में दिनांक 29 जनवरी 2002 को आदेश दिया, जिसके अनुसार राजस्व विभाग ने दिनांक 18 फरवरी 2002 को पत्र जारी कर जानकारियों का संकलन करवाया। उसी संकलित जानकारी के अनुसार राज्य की 10–91 लाख हेक्टेयर बड़े छोटे झाड़ के जंगल मद की जमीनों को आई–ए– क्रमांक 791–792 में दिनांक 01 अगस्त 2003 को दिए गए। आदेश में वन संरक्ष–ा कानून के दायरे में आने वाली इजमेन्ट राइट्स की जमीन मानकर आदेश दिए गए। इनके अनुसार राज्य सरकार ने दिनांक 26 अक्टूबर 2005 में भारत सरकार को आवेदन प्रस्तुत कर इन 10–91 लाख हेक्टेयर जमीनों को भी वन संरक्षण कानून के दायरे से मुक्त किए जाने का अनुरोध किया।

उच्च न्यायालय ग्वालियर पीठ ने याचिका क्रमांक 1413/2002 में दिनांक 08 सितम्बर 2006 को 10–91 लाख हेक्टेयर बड़े छोटे झाड़ के जंगल मद की जमीनों के अलावा दर्ज अन्य शेष जमीनों को वन संरक्षण कानून के दायरे से मुक्त भूमि माना। इन दोनों ही आदेशों का राज्य सरकार ने पालन नहीं किया। भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने भी पालन नहीं किया, बल्कि राजस्व अभिलेखों में दर्ज जमीनों को संरक्षित वन, नारंगी वन, असीमांकित वन माना जाकर प्रतिवेदित किया, वर्किंग प्लान में सम्मिलित किया और वर्किंग प्लान अनुमोदित कर उन्हें स्वीकृत भी किया गया।

भूमि के समानान्तर रूप से प्रतिवेदित आंकड़ों में किसी एक विभाग के द्वारा प्रतिवेदित आंकड़े निश्चित ही फर्जी होंगे, दोनों ही विभागों के प्रतिवेदित आंकड़ों को किसी तर्क से या किसी भी पैमाने से सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन दोनों ही विभाग अपने–अपने प्रतिवेदित आंकड़ों को सही बताते आए हैं और उन्हें सही माना भी जा रहा है।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक संगठन या महालेखाकार संगठन ने लाखों हेक्टेयर भूमि के इन फर्जी और समानान्तर आंकड़ों को अभी तक अपनी निगरानी में क्यों नहीं लिया ? यह सवाल तो उस समय तक पूछा ही जाएगा, जब तक इस फर्जी आंकड़ों को निगरानी में लेकर उनकी हकीकत इस देश के सामने नही लाई जाती।

निजी भूमियों पर वन विभाग का जबरन कब्जा

आजादी के तत्काल बाद वन विकास और वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण के नाम पर जनजातीय समुदाय एवं जंगलों पर आश्रित समुदाय के विरूद्ध अन्याय करने वाले वानिकी प्रबन्धकों ने राज्य के लगभग एक लाख किसानों की निजी भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया। निजी भूमि को वर्किंग प्लान में सम्मिलित कर लिया। निजी भूमियों को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया। इन निजी भूमियों की पहचान समाप्त कर दी। इन निजी भूमियों को "संरक्षित वन" बताया जाकर प्रस्तुत कर दिया। इन निजी भूमियों पर स्थित वृक्षों का विदोहन कर लिया, भूस्वामियों के विरूद्ध वन अपराध पंजीबद्ध कर मालिक को अपराधी बना दिया।

यह लेखक के आरोप नहीं हैं बल्कि राज्य मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल से वन विभाग के द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ/22/82/08/10–3 भोपाल दिनांक 11 जुलाई 2008 में की गई स्वीकारोक्ति और उसके साथ दिए गए निर्देशों की सच्चाई हैं।

कंडिका 1 में

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 490 सत्र जुलाई 2008 में प्राप्त उत्तर के परीक्षण से ज्ञात हुआ है कि प्रदेश के 22 वनमण्डलों में भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 की अधिसूचना में सम्मिलित ऐसी निजी भूमि, जिनके मुआवजे का भुगतान नहीं हुआ है, को वनमंडलों की कार्य आयोजनाओं में संरक्षित वन के रूप में दर्शाया गया है।

कंडिका 2 में

आरक्षित वन गठन हेतु भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 में अधिसूचित निजी भूमि पर राज्य शासन का साम्पत्तिक अधिकार तब तक स्थापित नहीं होता, जब तक भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 11(2)(पपप) के अनुसार भू अर्जन अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत राज्य शासन के पक्ष में उसका अर्जन न कर लिया जावे। इस भू अर्जन के बाद भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 19 तक की कार्यवाही पूर्ण होने पर ऐसी भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 20 के अन्तर्गत आरक्षित वन घोषित किया जाता है, न कि भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन। अतः भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 में अधिसूचित ऐसी निजी भूमियों को संरक्षित वन के रूप में दर्शाया जाना त्रुटिपूर्ण है।

राज्य मंत्रालय स्वयं की स्वीकारोक्ति और स्वयं के द्वारा दिए गए निर्देशों का स्वयं पालन करवाए जाने में असफल रहा, राज्य मंत्रालय स्वयं के द्वारा जारी किए गए आदेश की स्वयं निगरानी नहीं कर पाया, राज्य मंत्रालय देश में प्रचलित संवैधानिक एवं वैधानिक स्थितियों का स्वयं पालन करने में भी असफल रहा है।

राज्य मंत्रालय ने 11 जुलाई 2008 के आदेश में "निजी भूमि को संरक्षित वन प्रतिवेदित किया जाना त्रुटिपूर्ण तो मान लिया, लेकिन उसके बाद भी निजी भूमि को वर्किंग प्लान में सम्मिलित संरक्षित वन भूमि बताया जाकर ही उनके प्रबन्धन की योजना भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत की और भारत सरकार ने भी उनका अनुमोदन कर उन्हें स्वीकृतियां प्रदान की। वर्किंग प्लान में सम्मिलित कर ली गई निजी भूमियों से संबंधित राज्य की विधानसभा में प्रश्न पूछे गए जिनके राज्य सरकार की ओर से लिखित उत्तर भी प्रस्तुत किए गए जो वानिकी प्रबन्धकों के सामने सरकार की बेबसी और लाचारी को ही प्रमाणित कर रहे हैं।

क्र.	प्रश्न क्र.	दिनांक	क्र.	प्रश्न क्र.	दिनांक	क्र.	प्रश्न क्र.	दिनांक
1	831	12 मार्च 2008	9	1976	27 जुलाई 2010	17	72	20 फरवरी 2013
2	2423	19 मार्च 2008	10	604	23 नवम्बर 2010	18	73	20 फरवरी 2013
3	950	20 मार्च 2009	11	555	12 जुलाई 2011	19	217	28 फरवरी 2013
4	404	7 जुलाई 2009	12	568	12 जुलाई 2011	20	3214	21 मार्च 2013
5	4821	4 अगस्त 2009	13	2850	29 नवम्बर 2011	21	724	9 जुलाई 2013
6	4	24 फरवरी 2010	14	421	23 फरवरी 2012	22	725	9 जुलाई 2013
7	248	24 फरवरी 2010	15	68	20 फरवरी 2013	23	423	बजट सत्र 2013
8	133	10 मार्च 2010	16	69	20 फरवरी 2013			

राज्य की विधानसभा में प्रश्न पूछे गए, जिनके राज्य सरकार ने सदन में लिखित उत्तर प्रस्तुत किए। राज्य विधानसभा की याचिका समिति के समक्ष याचिका भी प्रस्तुत की गई इस याचिका का भी वन विभाग और राजस्व विभाग ने सदन में उत्तर प्रस्तुत किया। मानव अधिकार आयोग के समक्ष भी आवेदन प्रस्तुत किए गए जिनका भी राज्य सरकार ने उत्तर प्रस्तुत किया, राज्य के नेता प्रतिपक्ष स्वर्गीय श्रीमती जमुना देवी एवं श्री अजयसिंह एवं राज्य के निर्वाचित सांसद और विधायकों ने निजी भूस्वामियों पर किए जा रहे अन्याय के विरूद्ध राज्य के महामहिम राज्यपाल सहित राज्य मंत्रालय के अधिकारियों को पत्र भी लिखे। उच्च न्यायालय ने भी आरक्षित वन बनाए जाने के लिए प्रस्तावित निजी भूमि के संबंध में आदेश भी दिए।

इन सभी को राज्य मंत्रालय और वन मुख्यालय ने सिरे से ही खारिज कर दिया बल्कि इन प्रयासों को लेकर राज्य मंत्रालय और वन मुख्यालय ने जो उत्तर और प्रतिवेदन प्रेषित किए उनमें अनेकानेक बार सम्पूर्ण प्रजातांत्रिक व्यवस्था को खुली चुनौतियां देकर सम्पूर्ण जवाबदेही और जिम्मेदारी को ही नकार दिया।

धारा 4(1) में अधिसूचित, आरक्षित वन बनाए जाने के लिए प्रस्तावित, बिना मुआवजा भुगतान के वर्किंग प्लान में सम्मिलित, संरक्षित वन प्रतिवेदित निजी भूमि से संबंधित शहडोल वनवृत के अंतर्गत आने वाले पीड़ित निजी किसानों की सर्वोच्च अदालत में प्रस्तुत याचिका के बाद राज्य मंत्रालय से राज्य के मुख्य सचिव श्री ॲन्टोनी डिसा के द्वारा पत्र क्रमांक 974/एफ/25–08/2015/10–3 दिनांक 01 जून 2015 विषय आरक्षित वनखण्डों का गठन जारी किया।

कंडिका 3 में

"राज्य शासन का ध्यान जन--प्रतिनिधियों द्वारा समय--समय पर इस बिंदु पर आकृष्ट किया गया है कि राज्य शासन द्वारा धारा 4 अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना में ऐसे भूखण्डों का भी त्रुटिवश समावेश हो गया है जो पूर्णतः निजी स्वामित्व के हैं। ऐसे भूखण्डों का गठन आरक्षित वन के रूप में करने के विधिक अधिकार अधिनियम की धारा 3 के अनुसार राज्य शासन में वेष्ठित न होने से ऐसे भू--खण्डों को धारा 20 अंतर्गत आरक्षित वन खण्ड गठन की अधिसूचना जारी करते समय आरक्षित वन खण्ड से पृथक रखना एक वैधानिक अनिवार्यता है। अतः वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्यरत अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व से यह अपेक्षा है कि वह अधिनियम की धारा 11 उप धारा 2 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए ऐसे पूर्णतः निजी स्वामित्व के भू--खण्डों को प्रस्तावित आरक्षित वनखण्ड से पृथक रखने की कार्यवाही करें। की गई कार्यवाही का मासिक प्रगति संलग्न प्रपत्र 'अ' में उपलब्ध कराया जाना है।"

कंडिका 4 में

"अधिनियम की धारा 11 उपधारा 3 अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये अर्जित करने की कार्यवाही की जा सकती है परंतु ऐसी विधिक प्रक्रिया हेतु भूअर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 11अ अनुसार निश्चित समय--सीमा निर्धारित है, जिसके उपरांत अनिवार्य-- भू--अर्जन की कार्यवाही स्वमेव समाप्त हो जाती है। अतः ऐसे भूखण्ड जिसमें शासन का सम्पत्ति का अधिकार आंशिक रूप से है, तो उन भू--खण्डों को निजी व्यक्तियों के संपत्ति के अधिकार के भू--अर्जन अधिनियम, 1894 अंतर्गत अनिवार्य अर्जन की कार्यवाही भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 अंतर्गत पुनः अधिसूचना प्रकाशन के पश्चात् ही की जा सकेगी। भू--अर्जन अधिनियम, 1894 के निरसन पश्चात् भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की संबंधित धारा अंतर्गत उपरोक्त कार्यवाही की जायेगी।

कंडिका 5 में

आरक्षित वन खण्ड गठन संबंधी विधिक कार्यवाही लंबे समय से लंबित रहने के कारण लगभग एक लाख ग्रामीण कृषि भूमि पर अपने विधिक अधिकारों का सम्यक रूप से अधिभोग नहीं कर पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त आरक्षित वनखण्ड के गठन की कार्यवाही पूर्ण न होने से इन वन खण्डों के प्रबंधन में भी व्यवहारिक कठिनाई अनुभव की जा रही हैं। अतः राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि अध्याय दो अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही को प्राथमिकता से पूर्ण करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाए जिसमें ऐसे भू--खण्डों पर विधिक कार्यवाही सर्वोच्च प्राथमिकता से पूर्ण की जाऐ जिनमें पूर्णतः निजी स्वामित्व की भूमि का त्रुटिवश समावेश हो गया है।

राज्य के सर्वोच्च प्रशासकीय अधिकारी मुख्य सचिव द्वारा मजबूरी में 01 जून 2015 को आदेश जारी किए जाने की औपचारिकता निभाई जाकर राज्य सरकार की मानवीय संवेदनशीलता को अस्वीकारा बल्कि संवैधानिक एवं वैधानिक प्रावधानों को अमान्य कर अन्याय करने वाली व्यवस्था को संरक्षित कर प्रजातांत्रिक व्यवस्था और उसकी सर्वोच्चता को एक बार पुनः स्थापित करने का ही प्रयास किया है।

राज्य सरकार ने 1960 से 1975 के बीच भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4(1) के अनुसार राजपत्र में अधिसूचनाओं का प्रकाशन कर वनखण्ड में निजी भूमि को सम्मिलित कर लिया, इन निजी भूमियों को वर्किंग स्कीम बनाकर उसमें भी शामिल कर प्रबन्धन किया जाने लगा। वन संरक्षण कानून 1980 लागू होने के बाद इन वर्किंग स्कीम को समाप्त कर धारा 4(1) में अधिसूचित वनखण्ड में शामिल जमीनों को वर्किंग प्लान में सम्मिलित कर लिया। इन निजी भूमियों को त्रुटिपूर्ण तरीके से संरक्षित वन बताया जाना भी 11 जुलाई 2008 के आदेश में मान लिया।

11 जुलाई 2008 से 01 जून 2015 तक राज्य मंत्रालय या वन मुख्यालय ने इन पीड़ित निजी भूस्वामियों को लेकर क्या किया, राजस्व विभाग और उसके अनुविभागीय अधिकारी जिन्हें वन व्यवस्थापन अधिकारी बनाया गया उन्होंने इन भूस्वामियों को लेकर क्या किया इनका उत्तर तलाशने का भी कार्य राज्य मंत्रालय और राज्य के मुख्य सचिव 01 जून 2015 को जारी आदेश के बाद भी प्रारम्भ नहीं कर पाए।

वन विभाग के वनमंडलों में संरक्षित वन सर्वे डिमारकेशन रिपोर्ट, संरक्षित वन क्षेत्रफल पंजी, संरक्षित वन सर्वे कम्पलीशन रिपोर्ट, वनखण्डों की ब्लॉक हिस्ट्री और उस ब्लॉक हिस्ट्री में संलग्न वन मानचित्र वन व्यवस्थापन अधिकारी के समक्ष धारा 5 से 19 तक की जांच के लिए प्रस्तुत नस्ती उपलब्ध रही हैं, लेकिन इन सबके बाद भी 11 जुलाई 2008 के बाद वनखण्डों में शामिल निजी भूमि की जानकारी संबंधित वनमंडल संकलित नहीं कर पाए।

राजस्व विभाग के पास राजस्व अभिलेख पटवारी मानचित्र, खसरा पंजी तो है ही अनुविभागीय अधिकारियों के पास वन व्यवस्थापन की नस्तियाँ भी उपलब्ध हैं, लेकिन राजस्व विभाग भी वनखण्ड में शामिल निजी भूमि की जानकारी संकलित नहीं कर पाए।

राजस्व विभाग ने तो राज्य के कुछ जिलों में वन विभाग द्वारा धारा 29 एवं धारा 4(1) में अधिसूचित भूमियों को बन्दोबस्त के दौरान पटवारी मानचित्र और अन्य राजस्व अभिलेखों से पृथक कर दिया, इस तरह पृथक की गई निजी भूमि की हर पहचान ही राजस्व विभाग ने समाप्त कर दी।

राज्य मंत्रालय राज्य के मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश में दिए गए निर्देशों की निगरानी करने में अक्षम रहा है या राज्य मंत्रालय ने मुख्य सचिव के निर्देशों की निगरानी किए जाने में कोई रूचि नहीं ली। इसका भी एक उदाहरण मुख्य सचिव द्वारा 24 जुलाई 2004 को जारी आदेश के संदर्भ में रखा जाना आवश्यक है।

राज्य मंत्रालय से 24 जुलाई 2004 को जारी आदेश में मुख्य रूप से तीन तरह की कार्यवाही के निर्देश देकर राज्य के प्रमुख सचिव वन एवं राजस्व विभाग को निगरानी कर मुख्य सचिव कार्यालय को वस्तुस्थिति से अवगत कराए जाने के आदेश दिए। मुख्य सचिव ने वन एवं राजस्व भूमि के सीमांकन का आदेश दिया, वनखण्ड के बाहर छूटी जमीनों के निर्वनीकरण का आदेश दिया एवं राजपत्र में डीनोटीफाइड की गई भूमियों के अभिलेख संशोधन का आदेश दिया।

राज्य के किसी भी वनमंडल ने वनखण्डों के बाहर छोड़ी गई जमीनों का आज तक आंकलन ही नहीं किया। इन जमीनों के निर्वनीकरण के प्रस्ताव राज्य के किसी भी वनमंडल ने आज तक तैयार ही नहीं किए। वन मुख्यालय ने इस पूरे विषय पर 24 जुलाई 2004 से आज तक किसी भी तरह की कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की। इस विषय पर कोई निर्देश भी जारी नहीं किया।

राजपत्र में प्रकाशित की गई अधिसूचनाओं के अनुसार डीनोटीफाइड की गई भूमियों के अभिलेख संशोधित किए जाने की कोई प्रक्रिया वन विभाग या राजस्व विभाग के द्वारा आज तक निर्धारित नहीं की गई वन विभाग या राजस्व विभाग ने डीनोटीफाइड भूमियों के अभिलेख संशोधित नहीं किए। दोनों ही विभाग राजपत्र में डीनोटीफाइड भूमियों को संरक्षित वन, नारंगी वन, असीमांकित वन, न्यायालय द्वारा परिभाषित वन एवं समझे गए वन बताकर आज भी पूरे राज्य में ही कार्यवाही कर रहे। राज्य सरकार आज तक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचनाओं की प्रतियाँ भी संकलित नहीं कर पाई।

वन एवं राजस्व भूमि के सीमांकन की कार्यवाहियां भी आज तक पूरी नहीं की जा सकी जहां यह कार्यवाही की गई वहां भी वनखण्डों में सम्मिलित भूमियों के राजस्व अभिलेखों में दर्ज मदों का विवरण तो दर्ज किया, लेकिन इन भूमियों पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज अधिकारों का आज तक अभिलेखन नहीं किया। सीमांकन के दौरान वनखण्ड में शामिल निजी भूमि से जुड़े किसान के ब्यौरे भी आज तक संकलित नहीं किए।

राज्य के प्रमुख सचिव वन एवं राजस्व ने मुख्य सचिव के आदेश में दिए निर्देशों के बाद भी निगरानी और नियंत्रण की कोई कार्यवाही नहीं की तो स्वयं मुख्य सचिव कार्यालय ने स्वयं के आदेश का पालन करवाए जाने का भी प्रयास नहीं किया। इस उदाहरण के परिप्रेक्ष्य में यह सवाल पुनः सामने है कि क्या राज्य के मुख्य सचिव द्वारा 01 जून 2015 को जारी आदेश का पालन हो पाएगा ? यह सवाल इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि आदेश में किसी भी स्तर के

किसी भी अधिकारी की कोई जवाबदेही या जिम्मेदारी निर्धारित ही नहीं की गई, दंड की व्यवस्था तो की ही नहीं गई।

मुख्य सचिव ने 01 जून 2015 को मात्र औपचारिकता निभाते हुए आदेश जारी किया। इस आदेश को जारी किए जाने के पूर्व वर्किंग प्लान में सम्मिलित कर ली गई निजी भूमि से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर मौन साध लिया गया जो इस आदेश की अनदेखी और दुर्दशा का भविष्य सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त हैं।

वनखण्ड में शामिल निजी भूमि से वन विभाग के द्वारा काटे गए वृक्षों के ठूंठों के आधार पर गणना कर किसान को मुआवजा दिए जाने का कोई प्रयास राज्य सरकार ने नहीं किया। निजी भूमि पर किए गए निर्माण कार्य, या निजी भूमि पर किए गए वृक्षारोपण या निजी भूमि को वन भूमि माना जाकर गैर वानिकी कार्यों या वानिकी कार्यों हेतु वन विकास निगम को दिए गए आवंटन पर भी मुख्य सचिव महोदय ने निर्देश दिए जाने की बजाय मौन रहना ज्यादा उचित समझा है, वनखण्ड के बीच में स्थित निजी भूमि को बाहर कर दिए जाने के बाद निजी भूमि तक संबंधित किसान की आवाजाही जैसे सुखाधिकार कानून से जुड़े विषय पर भी मुख्य सचिव मौन साधे रहे।

किसान की फसल नुकसानी पर किसान को मुआवजा दिए जाने वाली राज्य सरकार पिछले 40–50 सालों से किसान को अपनी निजी भूमि पर फसल लिए जाने से वंचित करते आई लेकिन इसका मूल्यांकन कर किसान को राहत दिए जाने का आंशिक प्रयास भी मुख्य सचिव ने 01 जून 2015 के आदेश में नहीं किया। निजी भूमि का कब्जा किसान को सौंपे जाने के बाद किसान भूमि को किसानी लायक कैसे बनाएगा उसे राज्य सरकार कोई सहायता देगी भी या नहीं यह विषय भी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया।

वन विभाग के द्वारा कब्जाई गई निजी भूमि का लगान राजस्व विभाग वन विभाग से वसूलने की बजाय लगातार किसान से ही वसूलते आया है। इस लगान की भी भरपाई का कोई प्रयास मुख्य सचिव ने अपने आदेश में नहीं किया। वन विभाग के द्वारा किसानों के विरूद्ध पंजीबद्ध वन अपराध प्रकरणों को वापस लिए जाने के भी निर्देश शासन ने नहीं दिए।

मुख्य सचिव के 01 जून 2015 के आदेश के अनुसार वन विभाग के वर्किंग प्लान, वनकक्ष इतिहास, वनकक्ष मानचित्र एवं पी.एफ. एरिया रजिस्टर से निजी भूमि को पृथक कर प्रतिवेदित किए जा रहे संरक्षित वन भूमि के आंकड़ों को संशोधित किए जाने की पहल भी वन मुख्यालय के द्वारा अभी तक प्रारम्भ नहीं की। वन मुख्यालय ने संरक्षित वन के प्रतिवेदित फर्जी आंकड़ों से पृथक होने वाली निजी भूमि के बदले किन जमीनों को संरक्षित वन प्रतिवेदित किया जाएगा, इस पर भी वानिकी प्रबन्धक और उनके पैरवीकार अभी तो मौन ही साधे हुए हैं।

1956 से पुनर्गठित मध्य प्रदेश के वानिकी प्रबन्धकों के द्वारा वर्ष 2000 में विभाजित छत्तीसगढ़ राज्य के बीच की अवधि में जो कुछ किया वह सामने है। राज्य विभाजन के बाद मध्यप्रदेश सरकार ने तो बहुत कुछ स्वीकार कर लिया, कुछ औपचारिकताएं भी पूरी कर लीं, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य सरकार और राज्य का वन मुख्यालय अब भी निजी भूमियों को लेकर वही कार्यवाही कर रहा है जो विभाजन के पूर्व मध्यप्रदेश का वन विभाग करते आया।

वन विभाग के कब्जे में निजी भूमि और उसका सत्यापन

मध्यप्रदेश के तत्कालीन मुख्य सचिव द्वारा 24 जुलाई 2004 को वन और राजस्व भूमि के सीमांकन का आदेश जारी किया। वन विभाग ने वनखण्ड में शामिल निजी भूमि के संबंध में 11 जुलाई 2008 एवं 20 जुलाई 2009 को आदेश जारी किया। राज्य के मुख्य सचिव द्वारा 01 जून 2015 को आदेश दिया।

वन मुख्यालय भोपाल या राजस्व मुख्यालय ग्वालियर ने वनखण्डों एवं वर्किंग प्लान में सम्मिलित निजी भूमि से जुड़े विषय को लेकर संभावित कार्यवाहियों के संबंध में आवश्यक प्रक्रिया का निर्धारण कर किसी तरह के कोई निर्देश ही जारी नहीं किए। किसी तरह की निगरानी और नियंत्रण की व्यवस्था भी कायम नहीं की गई।

1. ब्लॉक हिस्ट्री में निजी भूमियों के संबंध में पृथक से पृष्ठ लगा है, जिसमें खसरा नम्बर एवं रकबा है, जिसके आधार पर तत्समय प्रचलित राजस्व अभिलेखों में से किसान के नाम की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
2. बैतूल जिले के ग्राम पाझर की निजी भूमि का ब्यौरा ब्लॉक हिस्ट्री में नहीं है, लेकिन उसके साथ संलग्न वन मानचित्र में निजी भूमि के खसरों को देखा जा सकता है। इन खसरों को राजस्व अभिलेखों में किसके नाम पर तत्समय दर्ज किया गया था। इसका सत्यापन किया जा सकता है।
3. वन विभाग ने वन व्यवस्थापन हेतु अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष नस्ती प्रस्तुत की है इस नस्ती में पटवारी प्रतिवेदन आदि संलग्न है, जिनमें निजी भूमि के समस्त ब्यौरे दिए गए हैं।
4. पटवारी मानचित्र में वन खंड की सीमा लाइन डाली गई है। इस सीमा लाइन में खसरों को देखा जा सकता है। सीमा लाइन के अंदर शामिल खसरों का तत्समय प्रचलित राजस्व अभिलेखों से सत्यापन कर किसानों के ब्यौरे प्राप्त किए जा सकते हैं।
5. वन विभाग ने संरक्षित वन क्षेत्रफल पंजी एवं संरक्षित वन सर्वे डिमारकेशन कम्पलीशन रिपोर्ट बनाई, जिसमें निजी भूमि, अतिक्रमित भूमि के ब्यौरे दर्ज हैं, जिसके आधार पर तत्समय प्रचलित राजस्व अभिलेखों से आवश्यक अन्य ब्यौरो को प्राप्त किया जा सकता है।
6. बैतूल जिले के ग्राम सोनाघाटी में वर्किंग प्लान बनाए जाते समय दो मुनारों को मिलाकर बनाए गए मानचित्र में निजी भूमि को वन भूमि बताकर शामिल कर लिया गया है। इसका सत्यापन राजस्व अभिलेखों एवं वन और राजस्व मानचित्र के आधार पर किया जा सकता है।
7. वनखंड में शामिल निजी भूमि के संबंध में वन व्यवस्थापन अधिकारी के आदेश के बाद आरक्षित वन अधिसूचित करने की प्रकाशित अधिसूचना में प्रभावित निजी भूमि या वनखंड के बाहर की निजी भूमि का सत्यापन भी इन्हीं आधार पर किया जा सकता है।

8. 24 जुलाई 2004 को मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश के अनुसार किए गए संयुक्त सीमांकन की रिपोर्ट में निजी भूमि या कृषि भूमि के खसरा नम्बर एवं रकबे का उल्लेख किया है, जिसमें भूस्वामी या पट्टेधारी का नाम राजस्व अभिलेखों से प्राप्त किया जा सकता है।

9. कुछ जिले जैसे सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर आदि में राजस्व विभाग के बंदोबस्त के दौरान संरक्षित वन भूमि एवं वनखण्ड में शामिल सभी तरह की भूमियों को वनभूमि बताकर पटवारी मानचित्र एवं खसरा पंजी से पृथक कर दिया है। इस तरह के प्रकरण में बंदोबस्त के पहले पटवारी मानचित्र एवं खसरा पंजी के आधार पर निजी भूमि एवं पट्टे की भूमि का सत्यापन किया जा सकता है।

10. वनखण्डों में सम्मिलित कर ली गई निजी भूमि पर वन विभाग के द्वारा विभिन्न निर्माण कार्य कर लिए गए हैं, आवास बना लिए हैं या अन्य निर्माण कर लिए हैं जिनका सत्यापन स्थल के आधार पर ही किया जा सकता है।

11. पूरे राज्य में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4(1) के तहत अधिसूचित या उनमें से धारा 20 के तहत अधिसूचित लगभग 7 हजार वनखण्ड रहे हैं, जिनकी सीमाओं में आजादी के पहले से ही दर्ज निजी भूमि या तत्कालीन व्यवस्था द्वारा पट्टे पर आवंटित भूमि शामिल कर ली गई है। आजादी के बाद राजस्व कानूनों के तहत पट्टे पर आवंटित भूमि भी शामिल कर ली गई है।

राज्य शासन 1960 से 2015 तक वानिकी प्रबन्धकों को नियंत्रित नहीं कर पाया। उनकी निगरानी नहीं कर पाया। किसी भी संवैधानिक एवं वैधानिक प्रावधान का पालन नहीं हुआ। खुलकर निजी भूस्वामियों के विरूद्ध साजिश और षड़यंत्र कर अन्याय किए गए यह सब इतिहास के काले अध्याय में दर्ज वह हकीकत है जिसने सम्पूर्ण प्रजातांत्रिक व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर शर्मसार ही किया है। इस तरह की और भी अनेक हकीकत वानिकी प्रबन्धन से जुड़ी हुई सामने है।

वर्किंग प्लान आधारित प्रबन्धन

वर्किंग प्लान पर आधारित वैज्ञानिक वानिकी प्रबन्धन की नींव ब्रिटिश हुकूमत ने डाली। पहला वर्किंग प्लान 1886 में बनाया गया। इसे 1896 में लागू किया। इसी व्यवस्था के आधार पर ब्रिटिश हुकूमत ने संसाधनों पर अपना नियंत्रण कायम किया। वनोपज के विदोहन को काष्ठ विज्ञान का नाम भी दे दिया। भारत में प्रचलित "वानिकी प्रबन्धन के इतिहास" में देश का पहला वर्किंग प्लान वर्ष 1900 में लागू किया जाना ही बताया जाते रहा है, आज भी बताया जा रहा है।

ब्रिटिश हुकूमत ने प्राकृतिक संसाधनों पर "लूट के सिद्धान्त" को आधार बनाकर वन विभाग की स्थापना की। वन कानून बनाए। फॉरेस्ट मैनुअल बनाया। उसी के अनुसार वर्किंग प्लान की व्यवस्था को वैज्ञानिक वानिकी प्रबन्धन का नाम देकर लागू भी किया। ब्रिटिश हुकूमत ने जनजातीय समुदाय या जंगलों पर आश्रित समुदाय के प्राकृतिक संसाधनों के जीवंत रिश्तों को भी वर्किंग प्लान की व्यवस्था में विभागीय रहम या सुविधा के नाम से स्थान दिया जिसके अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं।

आजादी के बाद ब्रिटिश हुकूमत द्वारा विकसित वैज्ञानिक वानिकी प्रबन्धन की नीति और योजना को वानिकी प्रबन्धन ने बनाए रखा, बल्कि आजादी के बाद वानिकी प्रबन्धन ने भारतीय प्रजातंत्र को ही चुनौती दे वर्किंग प्लान की व्यवस्था को और मजबूत करते हुए आजादी के पूर्व के बचे हुए अधिकारों को भी अपराध मान कर आजादी के बाद ऐतिहासिक अन्याय की आधारशिला रखी।

भारतीय वन अधिनियम 1927 ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा लागू किया गया तीसरा कानून रहा है। इसके पूर्व 1864 में पहला वन कानून लागू किया गया। इसे संशोधित कर 1878 में दूसरा वन कानून स्थापित किया। आजादी के बाद 1927 के कानून को ही स्वीकारा गया जिसका उद्देश्य कानून की पहली ही लाइन में ब्रिटिश हुकूमत ने स्पष्ट करते हुए "वनों, वनोपज के अभिवहन, इमारती लकड़ी और अन्य वनोपज पर उद्ग्रहणीय शुल्क से सम्बद्ध विधि के समेकन के लिए अधिनियम" बताया।

आजादी के पहले और आजादी के बाद जनजातीय समुदाय एवं जंगलों पर आश्रित समुदाय पर ऐतिहासिक अन्याय किए जाने का अधिकार वानिकी प्रबन्धन ने इन्ही वर्किंग प्लान को आधार बनाकर हासिल किया। आजादी के बाद भारतीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था ने संविधान बनाया, कानून भी बनाए, लेकिन वर्किंग प्लान की व्यवस्था ने उन सभी को पूरी तरह से अमान्य कर दिया, भारतीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था इस चुनौती का सामना करने की बजाय इस चुनौती पर मौन तो साधे हुए है ही, इस चुनौती को अपना संरक्षण प्रदान किए जाने की बेबसी और लाचारी को प्रमाणित भी कर रही है।

देश की सर्वोच्च अदालत ने सिविल याचिका क्रमांक 202/95 में वनभूमि परिभाषित की, इस याचिका में वन संरक्षण कानून 1980 के दायरे में आने वाली भूमि एवं वन संरक्षण कानून के दायरे से बाहर की गई भूमि से संबंधित किसी भी आदेश को वर्किंग प्लान में कोई स्थान नहीं दिया गया। देश की सर्वोच्च अदालत ने ही सिविल अपील प्रकरण क्रमांक

19869/2010 में दिनांक 28 जनवरी 2011 को समाज के अधिकारों से संबंधित एक और आदेश दिया, लेकिन इस आदेश का पालन करने की बजाय वानिकी प्रबन्धन ने अपनी वर्किंग प्लान की प्रचलित व्यवस्था का हवाला देकर इस आदेश का भी पालन करने से इन्कार कर दिया।

भारत की संसद ने देश के संविधान की 11वीं अनुसूची स्थापित की। संसद ने ही पेसा कानून 1996 बनाया और उसे लागू किया, लेकिन इन दोनों ही प्रयासों को भी वर्किंग प्लान की मौजूदा व्यवस्था ने सिरे से ही खारिज कर दिया। ऐतिहासिक अन्याय की स्वीकारोक्ति के बाद लाए गए वन अधिकार कानून 2006 के अनुसार वर्किंग प्लान आधारित आजादी के पूर्व और आजादी के बाद किए गए किसी भी ऐतिहासिक अन्याय को दूर किए जाने का कोई प्रयास वानिकी प्रबन्धकों के द्वारा नहीं किया गया।

लेखक का स्पष्ट रूप से यह मानना है कि आजादी के बाद वानिकी प्रबन्धन द्वारा किए गए समाज विरोधी दुष्प्रचारों, जनजातीय समुदाय एवं जंगलों पर आश्रित समुदाय के विरुद्ध की गई साजिशों एवं षडयंत्रों पर आधारित ऐतिहासिक अन्याय का सबसे प्रमाणित ग्रन्थ वर्किंग प्लान ही है जिसे आश्चर्यजनक रूप से मजबूत किया जाना, दुर्भाग्यपूर्ण और निन्दनीय है।

लेखक ने यह गंभीर आरोप पूरी जिम्मेदारी के साथ प्रमाणों का संकलन कर ही लगाए हैं। इसके अलावा मैं मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ के वानिकी प्रबन्धकों, भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में वर्किंग प्लान से संबंधित वानिकी प्रबन्धकों की प्रशासकीय क्षमता, प्रशासकीय नैतिकता, प्रचलित संवैधानिक, वैधानिक एवं न्यायिक प्रावधानों के प्रति असम्मानजनक सोच एवं कार्यवाहियों का भी आरोप लगा रहा हूँ।

वर्किंग प्लान आधारित व्यवस्था को लेकर दो स्थितियां स्पष्ट रूप से सामने हैं। पहली स्थिति में संवैधानिक, वैधानिक एवं न्यायिक प्रावधानों के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों का नियंत्रण, प्रबन्धन, विकास एवं विदोहन की योजनाओं को वर्किंग प्लान में स्थान दिया जाए। दूसरी मौजूदा वर्किंग प्लान की स्थिति है जिसमें सम्पूर्ण प्रजातांत्रिक व्यवस्था को चुनौती देकर संरक्षण के वैश्विक दबाव के आगे नतमस्तक हो वानिकी प्रबन्धन को समाज विरोधी गतिविधियों का संचालन कर ऐतिहासिक अन्याय की इजाजत दी जाए और उन ऐतिहासिक अन्यायों के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाए।

भारतीय वन अधिनियम 1927 में धारा 29 के अनुसार संरक्षित वन अधिसूचित वि ? जाने का प्रावधान दिया गया है, जिसमें "जांच पूरी होने तक प्रचलित अधिकारों के यथावत बन रहने का भी प्रावधान दि· गया है। इसी कानून की धारा 4(1) में आरक्षित वन बनाए जाने के लिए प्रस्तावित की गई भूमियों को अधिसूचित कि ने का प्रावधान है, वहीं धारा 5 से 19 तक में इन भूमियों से संबंधित जांच एवं कार्यवाही के प्रावधान हैं।

मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के वानिकी प्रबन्धक हों या भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय हो, धारा 29 एवं धारा 4(1) के अन्तर को जानने और समझने की ही क्षमता आज तक विकसित नहीं कर पाए बल्कि धारा 4(1) में आरक्षित वन बनाए जाने के लिए प्रस्तावित भूमियों को वर्किंग प्लान में सम्मिलित कर उनकी योजना प्रस्तावित कर उन्हें अनुमोदित किए जाने एवं स्वीकृति प्रदान किए जाने की कार्यवाहियां तो कर ही रहे हैं इन आरक्षित वन बनाए जाने के लिए प्रस्तावित भूमियों को अधिकार विहीन भूमि मानकर संरक्षित वन के रूप में पूरे की पूरे प्रजातंत्र के समक्ष प्रस्तुत भी कर रहे हैं, जिसे सम्पूर्ण प्रजातंत्र स्वीकार भी रहा है।

आरक्षित वन बनाए जाने के लिए निजी भूमि, रैय्यतवारी एवं मसाहती ग्रामों की गैर संरक्षित वन भूमि, मालगुजारीं, जमींदारी, जागीरदारी, ग्रामों की जंगल मद और गैर जंगल मद में दर्ज भूमि, राजस्व ग्रामों के राजस्व अभिलेखों में समाज के विभिन्न अधिकारों एवं प्रयोजन के लिए दर्ज भूमि को धारा 4(1) में अधिसूचित किया और इन भूमियों के वर्किंग प्लान ऑफिसरों के द्वारा पी.एफ. कक्ष बना लिए। इन भूमियों को पी.एफ. एरिया रजिस्टर में दर्ज तो कर लिया, लेकिन इसी रजिस्टर में संलग्न प्रारूप में अधिकारों एवं प्रयोजनों के ब्यौरे दर्ज नहीं किए। इन भूमियों के संरक्षित वन मानचित्र भी बना लिए इन भूमियों को संरक्षित वन कक्ष इतिहास में भी दर्ज कर लिया।

वर्किंग प्लान में इन संरक्षित वन क्षेत्रों के नियंत्रण, प्रबन्धन, विकास एवं विदोहन की योजना को बिना किसी

टीका–टिप्पणी के दोनों ही राज्यों के वन मुख्यालय ने भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को अग्रेषित कर दिया। मंत्रालय ने भी इनका अनुमोदन कर इन्हें स्वीकृति प्रदान कर दी और इसी आधार पर राज्य शासन ने अरबों रूपयों का आवंटन भी दिया और इसी वर्किंग प्लान के आधार पर समाज के समस्त प्रचलित अधिकारों को अपराध भी मान लिया गया।

वर्किंग प्लान में शामिल की गई आरक्षित वन बनाए जाने के लिए प्रस्तावित भूमियों को वनमंडल से लेकर भारत सरकार संरक्षित वन भूमि प्रतिवेदित कर हर वर्ष वनभूमि के फर्जी आंकड़े भी भारत सहित वैश्विक मंच पर प्रस्तुत कर रही है।

आरक्षित वन बनाए जाने के लिए प्रस्तावित, लेकिन वानिकी प्रबन्धकों द्वारा संरक्षित वन प्रतिवेदित इन भूमियों के संबंध में मध्यप्रदेश शासन के हाल ही जारी दो आदेशों का भी यहां उल्लेख आवश्यक हैं, जिनमें पहली बार राज्य सरकार ने अपनी विवादित कार्यवाही को स्वीकार कर उसका विकल्प प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।

श्री अतुल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, वन विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल ने 10 अप्रैल 2015 को राज्य के सभी कलेक्टरों को आदेश जारी कर भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 एवं धारा 4(1) में अधिसूचित की गई भूमियों पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज अधिकारों का अभिलेखन कर उसकी सूची संबंधित वनमंडल को दो माह में उपलब्ध करवाए जाने के निर्देश दिए इस सूची के आधार पर वर्किंग प्लान, संरक्षित वन कक्ष इतिहास एवं पी.एफ. एरिया रजिस्टर में क्या बदलाव करना है यह अभी तक आदेशित नहीं हुआ।

श्री ॲन्टोनी डिसा मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन भोपाल ने 01 जून 2015 को आदेश जारी कर धारा 4(1) में अधिसूचित वनखण्ड में शामिल कर ली गई लगभग एक लाख किसानों की निजी भूमि को वनखण्डों के बाहर किए जाने के आदेश दिए, लेकिन इन पृथक की गई निजी भूमि को वर्किंग प्लान, वनकक्ष इतिहास एवं पी.एफ. एरिया रजिस्टर से भी पृथक किया जाएगा। वन विभाग द्वारा प्रतिवेदित संरक्षित वन भूमि के आंकड़ो से भी कम किया जाएगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है।

धारा 4(1) में अधिसूचित आरक्षित वन बनाए जाने के लिए प्रस्तावित, वर्किंग प्लान में संरक्षित वन मानकर सम्मिलित की गई भूमि में से रैय्यतवारी एवं मसाहती ग्रामों की गैर संरक्षित वन भूमि या मालगुजारी, जमींदारी ग्रामों की जंगल मद एवं गैर जंगल मद में दर्ज भूमि देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा याचिका क्रमांक 202/95 में परिभाषित भूमि या इसी याचिका में वन संरक्षण कानून के दायरे में आने वाली या दायरे से बाहर मानी गई भूमि की जानकारियों के संकलन का कोई आदेश अभी भी मध्यप्रदेश शासन के द्वारा जारी नहीं किया जा सका है।

मध्यप्रदेश शासन के द्वारा संरक्षित वन भूमियों के संबंध में संरक्षित वन नियम 1960 अधिसूचित किए गए थे, जिन्हें निरस्त कर संरक्षित वन नियम 2003 अधिसूचित किए गए, जिसके समानान्तर राज्य शासन ने 04 जून 2015 को संरक्षित वन भूमि नियम 2015 पुनः राजपत्र में अधिसूचित कर आरक्षित वन बनाए जाने के लिए प्रस्तावित भूमियों पर वनमंडलाधिकारी द्वारा पंजीबद्ध संयुक्त वन प्रबन्धन समितियों को नियंत्रण, प्रबन्धन, विकास के अधिकार सौंप दिए। निजी क्षेत्र से एम.ओ. यू. भी हस्ताक्षरित किए जाने के अधिकार सौंप दिए गए।

वर्ष 2000 में मध्यप्रदेश से पृथक हुए छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा 10 अप्रैल 2015 दिनांक 01 जून 2015 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेशों की ही तरह आदेश जारी नहीं किए 04 जून 2015 को राजपत्र में अधिसूचित नियमों की ही तरह नियम भी अधिसूचित नहीं किए गए।

1956 में मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किए जाने के बाद धारा 4(1) में आरक्षित वन बनाए जाने की मंशा के साथ अधिसूचनाएं प्रकाशित की गई। धारा 5 से 19 तक की जांच की जाकर अधिकारों को मान्य कर आदेश दिए गए और उन्हीं के आधार पर धारा 20 के अनुसार आरक्षित वन अधिसूचित किए जाने की अधिसूचनाओं का भी प्रकाशन किया गया। इस तरह की 1980 तक प्रकाशित अधिसूचनाओं की जानकारी हमने भी संकलित की। इन भूमियों पर वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा मान्य किए गए अधिकारों को वन विभाग ने आर.एफ. एरिया रजिस्टर के साथ संलग्न अधिकारों के प्रारूप में दर्ज नहीं किया, वन कक्ष इतिहास में भी दर्ज नहीं किया, बल्कि इन क्षेत्रों को समस्त अधिकारों से मुक्त मानकर वर्किंग प्लान में सम्मिलित कर नियंत्रण, प्रबन्धन की योजना प्रस्तावित की गई जिसे भारत सरकार ने भी अनुमोदित कर स्वीकृति

प्रदान की।

आजादी के बाद प्रजातांत्रिक व्यवस्था ने सबसे पहला क्रान्तिकारी कानून, मालगुजारी, जमींदारीं उन्मूलन या स्वामित्वाधिकारों के अन्त का 1950 में बनाया, राजस्व कानून बनाए गए, लेकिन उन सभी को अमान्य कर ब्रिटिश हुकूमत के वन कानून की धारा 29, धारा 4(1) एवं धारा 20 के तहत वानिकी प्रबन्धन ने मात्र राजपत्र में अधिसूचनाएं प्रकाशित कर वर्किंग प्लान आधारित नियंत्रण और प्रबन्धन को प्रजा पर लाद दिया।

वर्किंग प्लान और उसके आधार पर किया जाने वाला नियंत्रण और प्रबन्धन वानिकी प्रबन्धकों के दोहरेपन, क्षमता और योग्यता को भी प्रमाणित करते हैं। वर्तमान में वर्किंग प्लान वन संरक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा बनाया जाता हैं इसके पूर्व वरिष्ठ वनमंडल स्तर के अधिकारी वर्किंग प्लान बनाते आए हैं।

आजादी के पूर्व एवं आजादी के बाद राजस्व अभिलेखों में दर्ज लगभग लाखों हेक्टेयर सामुदायिक संसाधनों को वन विभाग ने संरक्षित वन मानकर अपने नियंत्रण में ले लिया। इन संसाधनों का सर्वे डिमारकेशन किया धारा 4(1) एवं धारा 20 में अधिसूचित किया, राजस्व विभाग को बिना निर्वनीकरण के अन्तरित किया, निर्वनीकृत किया जाकर भी अन्तरित किया गया, लेकिन मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के किसी भी वनमंडल के ग प्लान में इन कार्यवाहियों से संबंधित भूमियों का कोई ब्यौरा वर्किंग प्लान ऑफिसरों के द्वारा दर्ज ही नहीं किया ,या। राज्य की लगभग 20 प्रतिशत भूमि से जुड़े इस विषय को भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने आज तक कोई महत्व ही नहीं दिया, जबकि इन्हीं लाखों हेक्टेयर भूमि में से जंगल मद में दर्ज जमीनों को सिविल याचिका क्रमांक 202/95 में 12 दिसम्बर 1996 को देश की सर्वोच्च अदालत ने वन भूमि परिभाषित किया।

वर्किंग प्लान में वन्य प्राणियों को वनों की हानि का कारण मानकर वानिकी प्रबन्धन 1972 तक वन्य प्राणियों के शिकार के लाइसेंस जारी करने की राजपत्र में अधिसूचनाओं को प्रकाशित करते आया, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 लागू होने के बाद वन्य प्राणियों को वनों की हानि का कारण मानकर वर्किंग प्लान में दर्ज करते रहे हैं, जिन्हें भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय अनुमोदित एवं स्वीकृत करते आया है। आज भी मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के प्रचलित वर्किंग प्लान में भारत सरकार की स्वीकृति और अनुमोदन से वन्य प्राणियों को वनों की हानि का कारण बताया जा रहा है।

भारतीय वन अधिनियम 1927 में किए गए संशोधन के अनुसार 1965 में धारा 20 अ जोड़ी गई जिसके अनुसार राज्य के कुछ जिलों में दर्ज जमीनों को बिना किसी अधिसूचना और बिना किसी आदेश के मौजूदा वर्किंग प्लान में आरक्षित वन एवं संरक्षित वन माना जाकर दर्ज कर लिया, इस तरह की आरक्षित एवं संरक्षित वन भूमियों के ब्यौरे संबंधित वर्किंग प्लान में स्पष्ट नहीं किए गए। इन भूमियों पर समाज के प्रचलित अधिकारों एवं प्रयोजनों को भी वर्किंग प्लान में कोई स्थान नहीं दिया गया। इस पूरे विषय पर भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने बिना ध्यान दिए वर्किंग प्लान अनुमोदित कर उन्हें स्वीकृतियां भी प्रदान की है।

वन विभाग ने भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 एवं धारा 4(1) में अधिसूचित भूमियों के नियंत्रण एवं प्रबन्धन से संबंधित वनमंडलवार वर्किंग स्कीम बनाई। इन्ही स्कीमों के आधार पर वनखण्ड के बाहर छोड़ी गई, वानिकी प्रबन्धन के लिए अनुपयुक्त पाई भूमियों के व्यवसायिक वनोपज का पूर्ण विदोहन किया गया ताकि भूमि राजस्व विभाग को अन्तरित की जा सके, वनोपज विदोहन के बाद भी वनखण्ड के बाहर छोड़ी गई भूमि राजस्व विभाग को अन्तरित नहीं की गई।

वर्किंग स्कीम को कब किन कारणों से किसके आदेश से समाप्त किया। उसमें शामिल संरक्षित वन भूमि एवं आरक्षित वन बनाए जाने के लिए प्रस्तावित भूमियों को कब और किसके आदेश से वर्किंग प्लान में क्यों सम्मिलित किया ? यह वानिकी प्रबन्धक किसी भी मंच पर स्पष्ट नहीं कर पाए तो वर्किंग प्लान अनुमोदित कर स्वीकृत करने वाले वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने भी यह जानने और समझने का कोई प्रयास ही नहीं किया।

वर्किंग प्लान को लेकर किए जाने वाले दावों से जुड़े बहुत से उदाहरणों में से मैं यहां मात्र दो ही उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। रायसेन जिले में 1976 में बारना जलाशय बनाया गया जिसमें हजारों हेक्टेयर आरक्षित वन डूब में आया, लेकिन वर्किंग प्लान में आज भी जलाशय के डूब में आए क्षेत्र को आरक्षित वन ही बताया जा रहा है। दूसरा उदाहरण 1972 में

सारनी से दमुआ के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाया गया मार्ग है। इसे भी वर्किंग प्लान, उसके तहत बनाए जाने वाले मानचित्र, एवं वन कक्ष इतिहास में आज भी आरक्षित वन भूमि के रूप में ही दर्ज किया जा रहा है। इस तरह के सैकड़ों उदाहरण वानिकी प्रबन्धकों की योग्यता और क्षमता एवं समझ को स्पष्ट करने के लिए काफी हैं।

भारतीय प्रजातंत्र ने जिन पर संविधान और कानूनों के दायरे में उनका पालन करवाने की जिम्मेदारी सौंपी है। वही हाथ संविधान और कानून के दायरे में अपने आपको मुक्त मानकर वर्किंग प्लान आधारित व्यवस्था का संचालन कर समाज को अपराधी भी मान रहे हैं। यही यदि प्रजातंत्र है तो फिर गुलामी क्या थी, यदि यही होना था तो फिर आजादी की क्या आवश्यकता थी यह सवाल आज हम पूछ रहे हैं यही सवाल आने वाला समय भी पूछेगा।

वन्य प्राणियों को लेकर वानिकी प्रबन्धकों की समझ

'चीता' याने 'हंटिंग लियोपर्ड' याने 'एसीनानिक्स जुबेटस' के शिकार पर मध्य प्रदेश शासन ने "वाइल्ड बर्ड्स एण्ड एनिमल्स प्रोटेक्शन एक्ट 1912 के अनुसार राजपत्र में दिनांक 11 जनवरी 1971 की अधिसूचना के अनुसार प्रतिबन्ध लगाया। इसके पूर्व तक वन विभाग राजपत्र में चीता के शिकार हेतु उपलब्ध संख्या अधिसूचित कर चीता के शिकार का लाइसेंस दे रहा है।

मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित शिकार और प्रतिबन्ध की अधिसूचना के विपरीत वानिकी प्रबन्धन 1947 में चीता का अंतिम शिकार होना बताकर 1952 में चीता देश से विलुप्त होना बता रहे हैं। राजपत्र में चीता के शिकार की 1970 तक प्रकाशित अधिसूचनाओं के संबंध में वर्तमान वानिकी प्रबन्धकों का तर्क है कि तेन्दुआ या पेंथर को बोलचाल की भाषा में चीता कहा जाता था और इसीलिए 1970 तक़ राजपत्र में चीता के शिकार की अधिसूचना प्रकाशित होते रही है, दरअसल में वह चीता नहीं तेन्दुआ ही रहे हैं।

वानिकी प्रबन्धकों के मौजूदा तर्क एवं राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचनाओं के आधार पर यह तो कहा ही जा सकता है कि "वानिकी प्रबन्धकों को वन्य प्राणियों की पहचान नहीं थी। वह तेन्दुआ, पेंथर और चीता का अन्तर नहीं जानते थे। वानिकी प्रबन्धकों ने राजपत्र में अधिसूचनाओं का प्रकाशन कर शेर, चीता, बाघ, तेन्दुआ, रीछ, गौर, नीलगाय, हिरन, बारहसिंगा, चीतल आदि असंख्य वन्य प्राणियों के शिकार आदि के लाइसेंस बांट कर उनके विनाश का इतिहास भी लिखा है।

वानिकी प्रबन्धकों ने एक ओर तो वन्य प्राणियों के विनाश का इतिहास लिखा और उसी अवधि में उन्हीं वानिकी प्रबन्धकों के द्वारा "मध्यप्रदेश नेशनल पार्क एक्ट, 1955" के तहत राज्य में राष्ट्रीय पार्क स्थापित कर वन्य प्राणियों के संरक्षण का दावा समानान्तर रूप से किया। वानिकी प्रबन्धकों के द्वारा 1960 के पूर्व ही कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क एवं माधव नेशनल पार्क की स्थापना वन्य प्राणियों के संरक्षण के नाम पर कर ली थी, जिसके बाद उसी वानिकी प्रबन्धकों ने राजपत्र में वन्य प्राणियों के शिकार की भी अधिसूचनाएं प्रकाशित की, जिनमें से कुछ अधिसूचनाएं हमारे पास उपलब्ध हैं।

क्र.	दिनांक	जिला	क्र.	दिनांक	जिला	क्र.	दिनांक	जिला
1	12.04.1963	बस्तर	19	17.11.1967	भोपाल	36	28.11.1969	रीवा
2	11.12.1964	बिलासपुर	20	17.11.1967	बिलासपुर	37	19.12.1969	भोपाल
3	25.12.1964	बस्तर	21	05.01.1968	बालाघाट	38	19.12.1969	बालाघाट
4	05.09.1965	ग्वालियर	22	05.01.1968	जबलपुर	39	24.04.1970	बस्तर
5	23.04.1965	रीवा	23	05.01.1968	रीवा	40	04.09.1970	इन्दौर

6	20.05.1966	होशंगाबाद	24	05.01.1968	बस्तर	41	11.09.1970	रायपुर
7	21.10.1966	होशंगाबाद	25	05.01.1968	ग्वालियर	42	02.10.1970	होशंगाबाद
8	28.10.1966	भोपाल	26	05.04.1968	शहडोल	43	02.10.1970	रायपुर
9	02.06.1967	इन्दौर	27	18.10.1968	बस्तर	44	11.12.1970	बिलासपुर
10	02.06.1967	बिलासपुर	28	20.12.1968	बालाघाट	45	25.12.1970	रीवा
11	02.06.1967	होशंगाबाद	29	31.10.1969	रायपुर	46	25.12.1970	ग्वालियर
12	02.06.1967	भोपाल	30	07.11.1969	होशंगाबाद	47	25.12.1970	बस्तर
13	02.06.1967	बस्तर	31	07.11.1969	बिलासपुर	48	25.12.1970	जबलपुर
14	25.08.1967	इन्दौर	32	07.11.1969	इन्दौर	49	05.02.1971	भोपाल
15	08.09.1967	होशंगाबाद	33	28.11.1969	बस्तर	50	17.09.1971	ग्वालियर
16	27.10.1967	ग्वालियर	34	28.11.1969	ग्वालियर	51	11.02.1972	बिलासपुर
17	17.11.1967	रीवा	35	28.11.1969	जबलपुर	52	19.05.1972	रीवा
18	17.11.1967	रायपुर						

मध्य प्रदेश वन विभाग के द्वारा राजपत्र में दिनांक 11 जनवरी 1971 को वन्य प्राणियों के शिकार प्रतिबन्ध की अधिसूचना का प्रकाशन किया, लेकिन उसके बाद भी 1972 मई तक राजपत्र में वन्य प्राणियों के शिकार की अधिसूचना का प्रकाशन कर शिकार की अनुमतियाँ / लाइसेंस बांटे गए।

वानिकी प्रबन्धकों ने 1947 में अंतिम चीता का शिकार होना बताकर 1952 में चीता विलुप्त होना बताया और दिनांक 02 जून 1967 को बस्तर वनवृत, दिनांक 05 जनवरी 1968 को बस्तर वनवृत, दिनांक 05 अप्रैल 1968 को बस्तर वनवृत, दिनांक 18 अक्टूबर 1968 को शहडोल वनवृत जिसमें सरगुजा जिला भी आता था एवं दिनांक 25 दिसम्बर 1970 को चीता के शिकार की अधिसूचनाओं को भी राजपत्र में प्रकाशित किया और इन्हीं चीता के शिकार पर 11 जनवरी 1971 को प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार प्रतिबन्ध भी लगाया गया।

वन्य प्राणियों से संबंधित शिकार के विषय पर मध्यप्रदेश की विधानसभा में पूछे गए प्रश्नों के वन विभाग ने बहुत ही रोचक लिखित उत्तर सदन में प्रस्तुत किए। प्रश्न क्रमांक 418 का लिखित उत्तर सदन में दिनांक 17.11.2009 को प्रस्तुत किया, जिसमें "1963 के वन नियम (आखेट, शिकार, मत्स्याखेट, जल विष प्रयोग, फंदा या जाल लगाना) के तहत विभिन्न वन्य प्राणियों जैसे–शेर, तेन्दुआ, सांभर, चीतल, जंगली सुअर, नीलगाय, हिरण, रीछ इत्यादि प्रजातियों के आखेट के उद्देश्य से राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन किया जाता था, इस नियम में प्रावधान होने के कारण एवं वन्य प्राणी प्रबंधन के उद्देश्य से इन अधिसूचनाओं का प्रकाशन किया जाता था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के प्रकाशित होने के बाद, इन अधिसूचनाओं का प्रकाशन बंद कर दिया गया. बंद करने का मुख्य उद्देश्य देश की पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करना एवं वन्यप्राणियों, पक्षियों और पादपों का संरक्षण करना था" बताया गया।

विधानसभा में ही प्रश्न क्रमांक 429 का लिखित उत्तर 23 जनवरी 2012 को प्रस्तुत किया जिसमें "भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के "प्रोजेक्ट चीता" के अनुसार आखिरी चीता (Acinonyx Jubatus) वर्ष 1947 में मारा गया तथा वर्ष 1952 में चीता को भारत से विलुप्त घोषित किया गया, मध्य प्रदेश से इसी अवधि में चीता विलुप्त हुआ माना जाता है" एवं "सामान्य बोलचाल की प्रचलित भाषा में तेन्दुए (Panthera Pardus) को चीता कहा एवं लिख दिया जाता रहा है। वास्तव में यह चीता (Acinonyx Jubatus) न होकर तेन्दुआ (Panthera Pardus) ही था। विभाग को चीतों (Acinonyx Jubatus) के विलुप्त होने के संबंध में जानकारी थी। केवल तेन्दुए (Panthera Pardus) के सीमित आखेट

हेतु ही अधिसूचना जारी की जाते रही है। 1972 के बाद इस तरह की आखेट की अधिसूचनाएं जारी नहीं की गई" बताया गया।

वन्य प्राणियों के शिकार को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किए जाने तक वन विभाग की आय का स्त्रोत माना गया। वन्य प्राणियों के शिकार को वन्य प्राणी प्रबन्धन का नाम दिया गया और 1972 के बाद वन्य प्राणियों का संरक्षण किया जाना बताया जाने लगा, पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय सुरक्षा बताया जाने लगा, वन्य प्राणियों को पर्यटन और मनोरंजन का भी मुख्य स्त्रोत मान लिया गया। देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था, देश की सर्वोच्च अदालत, देश की संसद, देश के प्रधानमंत्री वन्य प्राणियों के संरक्षण की मुहिम में बढ़चढ़ कर हिस्सा लेने लगे।

वानिकी प्रबन्धकों के द्वारा वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 लागू होने के पहले और उसके बाद हर वनमंडल के वर्किंग प्लान बनाए जाते थे, वर्तमान में भी बनाए जा रहे हैं इन वर्किंग प्लान में वनमंडल के अन्दर होने वाले वन्य प्राणियों से वनों को होने वाली हानि का खासतौर पर उल्लेख किया जाते रहा है। जिसका अनुमोदन एवं स्वीकृति भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा की जाते रही है वर्किंग प्लान को वैधानिक वानिकी प्रबन्धन योजना के रूप में देश की सर्वोच्च अदालत भी मान्यता देते आई है।

वन्य प्राणियों को मनोरंजन और पर्यटन उद्योग से जोड़कर लाभ कमाने वालों ने वानिकी प्रबन्धन के साथ मिलकर काकस बनाया और ऐसे लोग अपने आपको वन्य प्राणियों का विशेषज्ञ जानकार और संरक्षणकर्ता बताकर जनजातीय समुदाय एवं जंगलों पर आश्रित समुदाय के विरूद्ध दुष्प्रचार आधारित व्यवस्था को कायम किए जाने की अन्तर्राष्ट्रीय मुहिम का मुख्य हिस्सा बन गए। इस काकस में प्रशासकीय अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने भी शामिल होकर नेशनल पार्क और अभ्यारण के आपसपास जमीनें खरीद ली मोटल और होटल बना लिए, अच्छा खासा पर्यटन उद्योग स्थापित कर उसका बेरोकटोक संचालन भी किया जा रहा है।

इसी काकस ने पार्क एवं अभ्यारण को जनजातीय समुदाय एवं जंगलों पर आश्रित समुदाय से मुक्त करवाए जाने की मुहिम चलाकर इस पीढ़ियों से रह रहे समुदायों को वन्य प्राणियों के लिए अनावश्यक और खतरनाक तक प्रचारित करने में भरपूर सफलता हासिल कर ली जिसे वर्तमान प्रजातांत्रिक व्यवस्था भी पूरी तरह से स्वीकार कर गांव की गांव हटाए जाने की जोरदार मुहिम चला रही है। इस मुहिम का मूल्य 10 लाख रूपए निर्धारित कर देश में प्रचलित भूमि के अर्जन, प्रभावितों के पुनर्वास और उनके पुनर्स्थापना के कानूनों को भी माने जाने से इन्कार किया जा रहा है।

भूमि सुधार की असफलता और ऐतिहासिक अन्याय का इतिहास

वन अधिकार कानून 2006 के संदर्भ

आजादी के बाद जनजातीय समुदाय एवं जंगलों पर आश्रित समुदाय पर अन्याय होना देश की संसद ने "वन अधिकार कानून 2006" में स्वीकार किया। इस कानून के लिए संसद में प्रस्तुत बिल को लेकर लेखक ने पुस्तक लिखी "ऐतिहासिक अन्याय–जिम्मेदार कौन"। इसमें लेखक ने आजादी के बाद भूमि सुधार की असफलता के इतिहास को दर्ज करते हुए ऐतिहासिक अन्याय किए जाने की अपनाई गई प्रक्रियाओं का भी हवाला दिया।

बिल के संदर्भ में गठित की गई ड्राफ्टिंग कमेटी या नियमों के लिए बनाई गई ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों से इस लेखक को लम्बी चर्चा का अवसर मिला। मैंने अपने अध्ययन के आधार पर इतिहास में दर्ज असफलताओं पर आधारित सुझाव भी दिए। इनमें सबसे प्रमुख सुझाव था कि ऐतिहासिक अन्याय स्वीकार कर लिए जाने बाद अन्याय किए जाने के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं पर आधारित शासकीय अभिलेखों में दर्ज प्रमाणों का संकलन किया जाकर अन्याय करने वाले तंत्र की यह जिम्मेदारी निर्धारित की जानी चाहिए कि वह अन्याय सहने वाले को वह उपलब्ध करवाकर अन्याय दूर किए जाने का प्रयास करे।

आजादी के बाद इतिहास में दर्ज प्रमाणों पर आधारित सुझावों को अस्वीकारा जाकर कानून और नियम में "तंत्र" को ही यह अधिकार दे दिया गया कि वह अन्याय सहने वाले से ही यह पूछे कि बता तेरे पास हमारे अन्याय का क्या प्रमाण है। "तंत्र" को एक बार फिर जिम्मेदारी और जवाबदेही से मुक्त कर अधिकार सम्पन्न बना दिए जाने वाला वन अधिकार कानून ऐतिहासिक अन्याय के एक इतिहास का पड़ाव बन कर नए अन्याय की आधारशिला बन चुका है।

मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में आजादी के बाद असफलताओं और अन्याय के लिखे गए इतिहास का अध्ययन करने के आधार पर यह कहा जा सकता है कि "तंत्र स्वयं" के चरित्र में बदलाव कर स्वयं की जवाबदेही और जिम्मेदारी निर्धारित कर अन्याय को दूर किए जाने सहित असफलताओं को सफलता में बदले जाने की कार्यवाही वन अधिकार कानून के बिना भी कर सकता था और आज भी कर सकता है। "तंत्र" ने संवैधानिक, वैधानिक एवं न्यायिक प्रावधानों को अमान्य कर जिस तरह से प्रजातांत्रिक व्यवस्था को चुनौती दी है उस पर ही कदम बढ़ाए जाकर ऐतिहासिक अन्याय को दूर किया जा सकता है, असफलताओं को सफलता में बदला जा सकता है जिसके लिए वन अधिकार कानून की कोई आवश्यकता नहीं है।

देश की सर्वोच्च अदालत ने टी.एन. गोदाबर्मन की सिविल याचिका क्रमांक 202/95 में 12 दिसम्बर 1996 को वन और वन भूमि की व्याख्या एवं परिभाषा कर आदेश दिया, देश की सर्वोच्च अदालत ने इसी याचिका में "वन संरक्षण कानून 1980" के दायरे में आने वाली भूमि और दायरे के बाहर मांगी गई भूमि के संबंध में आदेश दिए।

मेरा स्पष्ट आरोप है कि न्यायालीन हस्तक्षेप और न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों का मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में सरकारों ने पालन ही नहीं किया। मेरा यह भी आरोप है कि न्यायालीन आदेशों का दुरूपयोग तो किया ही गया, न्यायालय के सामने इतिहास में दर्ज ब्यौरो को प्रस्तुत किए जाने की बजाय सरकारों ने अपनी सुविधा के अनुसार ब्यौरे प्रस्तुत कर

न्यायालय को न्याय किए जाने से भी रोका है। मेरा यह भी आरोप है कि न्यायालीन आदेशों का दुरूपयोग किया जाकर, न्यायालीन आदेशों की अवमानना की जाकर "वन अधिकार कानून" को एक हथियार बना लिया गया।

जनवरी 2008 से लागू वन अधिकार कानून को एक क्रान्तिकारी कानून बताकर दोनों ही राज्यों में जन आन्दोलनों सिविल सोसायटी, फंडिंग एजेन्सियों और उनके सहयोगियों, सामाजिक संस्थाओं और संगठनों, बुद्धिजीवियों और विशेषज्ञों ने मिलजुल कर अपनी अज्ञानता और अयोग्यता को प्रमाणित कर "तंत्र" की निरकुंशता की निगरानी कर उस पर नियंत्रण किए जाने की बजाय "तंत्र" का सहयोगी बनने की भूमिका निभाते हुए एक नए अन्याय का इतिहास लिखा है।

कलेक्टर को जिला स्तरीय वनाधिकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया और अनुविभागीय अधिकारी को उपखण्ड स्तरीय समिति का अध्यक्ष बनाया। कलेक्टर को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4(1) में आरक्षित वन बनाए जाने के लिए प्रस्तावित भूमि के संबंध में वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा किए जाने वाले आदेशों में अपीलीय अधिकारी बनाया गया तो अनुविभागीय अधिकारी को धारा 5 से 19 तक की जांच एवं कार्य .ही के लिए वन व्यवस्थापन अधिकारी बनाया गया।

कलेक्टर को भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 234 में बनाए ।ए निस्तार पत्रक में दर्ज जमीनों या धारा 237(1) के तहत सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों के लिए आरक्षित जमीनों के प्रयोजनों में बदलाव का आदेश पारित करने का अधिकार है तो अनुविभागीय अधिकारी को निस्तार पत्रक में आवश्यक संशोधन किए जाने का अधिकार दिया गया है।

जिला अभिलेखागार सीधे कलेक्टर के नियंत्रण में है तो तहसील का अभिलेखागार अनुविभागीय अधिकारी के नियंत्रण में है। राजस्व ग्रामों की भूमि संबंधित अभिलेखों को संधारित करने वाले पटवारी भी इन्हीं दोनों के नियंत्रण में ही है।

कलेक्टर और अनुविभागीय अधिकारी भू–राजस्व संहिता द्वारा निर्धारित जवाबदेही, जिम्मेदारी और अधिकारों एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत सौंपे गए कार्यों के बीच में यदि आवश्यक तालमेल स्थापित कर लेते तो वन अधिकार कानून के अनुसार आजादी के बाद किए गए ऐतिहासिक अन्याय दूर किया, जाना आसान हो जाता, समाज को उसके छीने गए अधिकार लौटाया जाना संभव हो जाता।

वन अधिकार कानून से संबंधित मुख्य विषयों को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत के आदेश के संदर्भ में कुछ बिन्दुओं को ही यहां सम्मिलित किया जा रहा है जो अन्याय को दूर किए जाने की बजाय अन्याय की निरन्तरता को बनाए रखने के प्रयासों के रूप में इतिहास में अपना स्थान दर्ज कर चुके हैं। जो भविष्य के लिए नए अन्याय की भी आधारशिला बन चुके हैं।

न्यायालीन आदेश और वन अधिकार कानून 2006

देश की सर्वोच्च अदालत के द्वारा सिविल याचिका क्रमांक 202/95 में परिभाषित वन भूमि, याचिका में न्यायालय द्वारा "वन संरक्षण कानून 1980" के दायरे में आने वाली आदेशित की गई भूमियों, वन संरक्षण कानून के दायरे से बाहर आदेशित की गई भूमियों को वन अधिकार कानून 2006 की धारा 2(घ) में दी गई परिभाषा– "वन भूमि" से किसी वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली किसी प्रकार की भूमि अभिप्रेत हैं और उसके अंतर्गत अवर्गीकृत वन, असीमांकित विद्यमान वन या समझे गए वन, संरक्षित वन, आरक्षित वन, अभ्यारण और राष्ट्रीय उद्यान भी है;" के दायरे में आने वाली वनभूमि मानकर मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में आदिम जाति कल्याण विभाग, राजस्व विभाग एवं वन विभाग के द्वारा वनभूमि के व्यक्तिगत दावों सहित सामुदायिक दावों को मान्य और अमान्य किया जाना बताया जाते रहा है।

न्यायालीन आदेश एवं कानून के संदर्भ में मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई राज्य स्तरीय वनाधिकार समिति, जिला स्तर पर कलेक्टरों की अध्यक्षता में बनाई गई जिला स्तरीय समिति एवं अनुविभागीय अधिकारियों की अध्यक्षता में बनाई गई उपखण्ड स्तरीय समिति जनवरी 2008 से ही लगातार दोहरा मापदण्ड अपनाते आई है। जनजातीय समुदाय एवं जंगलों पर आश्रित समुदाय को व्यापक पैमाने पर उनके वैधानिक हकों से वंचित किए जाने का कार्य भी इन समितियों के द्वारा किया गया।

वन अधिकार कानून के अनुसार स्थापित तीन स्तरों की इन समितियों में शासकीय अधिकारी है, जिनके नियंत्रण में शासकीय अभिलेख है, जिन्हें शासकीय अभिलेखों में दर्ज ब्यौरो का ज्ञान है जो इन ब्यौरो की संवैधानिक, वैधानिक एवं न्यायिक स्थितियों को जानते हैं, लेकिन इन सबके बाद भी कानून सम्मत जवाबदेही और जिम्मेदारी निभाए जाने की बजाय जनवरी 2008 से लगातार दोहरा मापदण्ड अपनाया जाकर अपनी अक्षमता, अयोग्यता, उदासीनता और लापरवाही को इतिहास में दर्ज करवा चुके हैं।

सिविल याचिका क्रमांक 202/95 में न्यायालय द्वारा परिभाषित जंगल मद की जमीनों को राजस्व विभाग राजस्व अभिलेखों में दर्ज गैर खाते में बड़े झाड़ के जंगल एवं छोटे झाड़ के जंगल मद की भूमि के रूप में प्रतिवेदित करता रहा है। मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग के द्वारा दिनांक 13 जनवरी 1997 को जारी आदेश में इन्ही भूमियों को न्यायालय द्वारा परिभाषित वन भूमि बताया जाकर न्यायालीन आदेश का पालन किए जाने के निर्देश दिए गए।

राजस्व विभाग के द्वारा वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ विभाजन के समय राजस्व अभिलेखों में दर्ज बड़े झाड़ के जंगल एवं छोटे झाड़ के जंगल मद की जमीनों का रकबा प्रतिवेदित किया –

क्र.	जिले का नाम	रकबा	क्र.	जिले का नाम	रकबा	क्र.	जिले का नाम	रकबा
1	रीवा	16301	21	रतलाम	35639	41	होशंगाबाद	109653
2	सीधी	189384	22	उज्जैन	38388	42	हरदा	33613
3	सतना	46282	23	मन्दसौर	57347	43	बैतूल	142354
4	पन्ना	109067	24	नीमच	49829	44	राजगढ़	48528
5	छतरपुर	112265	25	देवास	28260	45	शाजापुर	49683
6	टीकमगढ़	84472	26	धार	60792	46	रायपुर	223402
7	दतिया	16434	27	झाबुआ	87817	47	दुर्ग	67109
8	शहडोल	90871	28	खरगोन	86856	48	महासमुंद	65965
9	उमरिया	34776	29	बड़वानी	31222	49	धमतरी	27076
10	जबलपुर	65749	30	खण्डवा	74868	50	राजनांदगांव	154287
11	कटनी	77268	31	ग्वालियर	33079	51	कवर्धा	53284
12	बालाघाट	50599	32	भिण्ड	30271	52	बस्तर	391152
13	छिन्दवाड़ा	144309	33	मुरैना	42608	53	दंतेवाड़ा	628408
14	सागर	177661	34	श्योपुर	75953	54	बिलासपुर	182102
15	नरसिंहपुर	32785	35	शिवपुरी	101686	55	जांजगीर (चांपा)	48250
16	सिवनी	92265	36	गुना	141818	56	कोरबा	216104
17	दमोह	103965	37	भोपाल	31927	57	रायगढ़	129340
18	मण्डला	39217	38	सीहोर	48504	58	सरगुजा	442793
19	डिण्डौरी	21550	39	रायसेन	150600	59	जशपुर	110109
20	इन्दौर	43922	40	विदिशा	146118		**कुल योग**	**6025936**

देश की सर्वोच्च अदालत के द्वारा आई.ए. क्रमांक 791–792 में दिनांक 01 अगस्त 2003 को बड़े झाड़ के जंगल एवं छोटे झाड़ के जंगल मद में दर्ज 10.91 लाख हेक्टेयर जमीनों के संबंध में आदेश दिया। देश की सर्वोच्च अदालत के द्वारा ही वन संरक्षण कानून 1980 के दायरे से बाहर मानी गई भूमियों के संबंध में भी आदेश दिया, लेकिन इन आदेशों के अनुसार मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य के राजस्व विभाग के द्वारा राजस्व अभिलेखों में किसी भी तरह की कोई प्रविष्टि आज तक दर्ज नहीं की बल्कि वन संरक्षण कानून के दायरे से बाहर आदेशित की गई बड़े झाड़ के जंगल और छोटे झाड़ के जंगल मद की जमीनों को वन अधिकार कानून के अनुसार वन भूमि माना जाकर जनवरी 2008 से लगातार दोहरा मापदण्ड ही अपनाया जाते रहा है।

बड़े झाड़ के जंगल एवं छोटे झाड़ के जंगल मद की जमीनें भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 234 के तहत बनाए गए निस्तार पत्रक में विभिन्न अधिकारों के लिए स्वयं राजस्व विभाग के द्वारा ही दर्ज की गई। बड़े झाड़ के जंगल, छोटे झाड़ के जंगल मद की जमीनों को धारा 237(1) के तहत सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों के लिए आरक्षित किया जाकर अधिकार अभिलेख और खसरा पंजी में राजस्व विभाग के द्वारा ही दर्ज किया गया। इन जमीनों को वन अधिकार कानून

के अनुसार वन भूमि तो मान लिया, लेकिन इन भूमियों पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज समाज के अधिकारों एवं प्रयोजनों के आधार पर सामुदायिक संसाधन माना जाकर सामुदायिक वन अधिकार पत्र वितरित किए जाने की स्वप्रेरणा से कोई भी कार्यवाही तीन स्तरों पर बनाई गई समितियों के द्वारा आज तक प्रारम्भ ही नहीं की गई।

बड़े झाड़ के जंगल, छोटे झाड़ के जंगल मद में दर्ज जमीनों को वन भूमि जाना जाकर वन अधिकार कानून के अनुसार कुछ दावेदारों को वन अधिकार पत्र वितरित कर अधिकांश दावों को प्रमाण के अभाव में अमान्य किए जाने वाली उपखण्ड स्तरीय समिति या जिला स्तरीय समिति के द्वारा भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के अनुसार राजस्व विभाग के द्वारा बनाए गए प्रकरणों एवं किए गए आदेशों के ब्यौरो को प्रमाण माने जाने की भी कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई बल्कि इन प्रकरणों की जानकारी जिला अभिलेखागार में उपलब्ध मौजावार पंजी से संकलित कर वनाधिकार समितियों को उपलब्ध करवाए जाने का कार्य भी जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष कलेक्टर या उपखण्ड स्तरीय समिति के अध्यक्ष अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा स्वप्रेरणा से आज तक तो प्रारम्भ ही नहीं किया गया।

मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में वन अधिकार कानून के प्रचार, प्रसार एवं संबंधित वनरक्षक, वनपाल, पटवारी आदि के प्रशिक्षण पर करोड़ों रूपए खर्च किए गए, लेकिन इन सबमें वन अधिकार कानून 2006 के तहत मानी गई वन भूमि बड़े झाड़ के जंगल, छोटे झाड़ के जंगल मद में दर्ज जमीनों से संबंधित राजस्व अभिलेखों एवं अभिलेखागार में संधारित मौजावार पंजी में दर्ज ब्यौरो को प्रमाण मानकर व्यक्तिगत दावों या सामुदायिक दावों से संबंधित कार्यवाहियों की समझाइश भी नहीं दी गई। इन भूमियों से संबंधित शासकीय अभिलेखों में दर्ज ब्यौरे वनरक्षक, वनपाल या वन अधिकार समिति को उपलब्ध ही नहीं करवाए गए।

देश की संसद ने जनजातीय समुदाय एवं जंगलों पर आश्रित समुदाय पर आजादी के बाद ऐतिहासिक अन्याय होना स्वीकार किया गया। इस अन्याय को दूर किए जाने से दोनों ही राज्यों ने इन्कार कर लगातार दोहरा मापदण्ड ही अपनाया हैं बल्कि वन अधिकार कानून को अन्याय की आधारशिला बनाया जाकर स्वयं के द्वारा किए गए अन्याय और उससे संबंधित प्रमाण की जिम्मेदारी अन्याय सहने वाले पर डाली जाकर उससे ही यह पूछा जा रहा है कि बता तेरे पास हमारे अन्याय का क्या प्रमाण हैं।

राजस्व विभाग के जिला अभिलेखागार में आजादी के पहले बनाई गई मिसल बन्दोबस्त उपलब्ध है। आजादी के बाद तत्कालीन मालगुजार, जमींदार, जागीरदार, महल एवं दुमाला से 1950 में लागू कानून के अनुसार अर्जित की गई भूमियों से संबंधित प्रकरण भी जिला अभिलेखागार में उपलब्ध हैं।

आजादी के पहले प्रचलित रहे बाजिबुल अर्ज या रूढ़ि पत्रक या रिकार्ड ऑफ राइट्स या हुकूक रजिस्टर भी जिला अभिलेखागार में उपलब्ध हैं। आजादी के बाद बनाए गए निस्तार पत्रक भी जिला अभिलेखागार में उपलब्ध हैं।

भू–राजस्व संहिता की धारा 237(1) के अनुसार कलेक्टर के द्वारा सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों के लिए आरक्षित की गई जमीनों को खसरा पंजी में दर्ज किया गया, वह भी जिला अभिलेखागार में उपलब्ध हैं। राजस्व विभाग के द्वारा राजस्व ग्रामों का बन्दोबस्त किया, चकबन्दी की, अधिकार अभिलेख बनाए, जिनके अभिलेख भी जिला अभिलेखागार में उपलब्ध हैं।

राज्य स्तरीय वनाधिकार समिति ने जिला अभिलेखागार में संधारित राजस्व अभिलेखों में दर्ज ब्यौरो के आधार पर वन अधिकार कानून के अनुसार मानी गई वनभूमि पर प्रचलित अधिकारों एवं प्रयोजनों की जानकारी संकलित करने वह जानकारी ग्रामसभा या वन अधिकार समिति को उपलब्ध करवाए जाने, और उसके आधार पर औपचारिकता पूरी की जाकर "सामुदायिक वन अधिकार पत्र" वितरित किए जाने का प्रयास भी नहीं किया।

राजस्व अभिलेखों में दर्ज इन्हीं अधिकारों एवं प्रयोजनों को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत के द्वारा सिविल अपील प्रकरण क्रमांक 19869/2010 में दिनांक 28 जनवरी 2011 को भी एक महत्वपूर्ण आदेश दिया, जिसके अनुसार भी इन संसाधनों पर संबंधित ग्रामसभा का अधिकार, नियंत्रण एवं प्रबन्धन स्वीकार कर आदेश की कंडिका 23 में राज्य के मुख्य सचिव को जिम्मेदार और जवाबदेह माना, लेकिन मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में इसका भी पालन नहीं किया गया।

राजस्व अभिलेखों में दर्ज इन्हीं संसाधनों के संबंध में संविधान की 11वीं अनुसूची के बिन्दु क्रमांक 29 में "सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण" प्रावधान किया। इस प्रावधान के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य सरकार ने 25 जनवरी 2011 को आदेश जारी कर ग्रामसभाओं को अधिकार प्रत्यायोजित किए। इन्ही संसाधनों को पेसा कानून 1996 की धारा 4(घ) "प्रत्येक ग्रामसभा, जनसाधारण की परम्पराओं और रूढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक सम्पदाओं और विवाद निपटान के रूढ़िक ढंग का संरक्षण और परिरक्षण करने में सक्षम होगी" के अनुसार भी ग्रामसभाओं से संबंधित संसाधन भी माना, लेकिन यह सब कागजों तक ही सिमट कर रह गया।

आजादी के पहले और आजादी के बाद राजस्व अभिलेखों में ग्रामीणों के विभिन्न अधिकारों एवं सार्वजनिक, निस्तारी प्रयोजनों के लिए दर्ज संसाधनों को राजस्व विभाग "विभिन्न मदों या नोईयत" में दर्ज करते रहा है। इन्हीं मदों के आधार पर इन संसाधनों को पहले तो संरक्षित वन अधिसूचित करना बता दिया और इन्हीं मदों के आधार पर देश की सर्वोच्च अदालत ने वनभूमि परिभाषित कर दिया।

भू–राजस्व संहिता के अध्याय 18 में इन्ही संसाधनों को दखल रहित भूमि मान कर इन भूमियों पर काबिजों के विरूद्ध धारा 248 के तहत राजस्व विभाग के द्वारा अतिक्रमण के प्रकरण बनाए जाने, जुर्माना किए जाने की कार्यवाहियां की जाते रही है।

ग्राम के संबंधित पटवारी के पास अतिक्रमण पंजी में अतिक्रमण के ब्यौरे दर्ज किए जाने की व्यवस्था रही है। इन अतिक्रमण प्रकरणों को नायब तहसीलदार या तहसीलदार के कार्यालय में दायरा पंजी या प्रकरण पंजी में दर्ज किए जाने की व्यवस्था रही है। दखल रहित भूमियों पर किए गए अतिक्रमण की जानकारी गिरदावरी के समय खसरा पंजी के कालम 12 में दर्ज किए जाने की व्यवस्था रही है।

नायब तहसीलदार एवं तहसीलदार द्वारा किए गए आदेश के बाद अतिक्रमण के प्रकरण जिला अभिलेखागार में जमा करवाए जाते रहे हैं, जिन्हें 12 साल बाद जला दिया जाता है, लेकिन उन प्रकरणों के आवश्यक ब्यौरे मौजावार पंजी में दर्ज रहते हैं।

राजस्व अभिलेखों में दर्ज भूमियों को वन अधिकार कानून के दायरे में आने वाली वन भूमि तो मान लिया, लेकिन इन भूमियों पर काबिजों को लेकर राजस्व विभाग के राजस्व अभिलेखों में दर्ज ब्यौरो को संकलित किया जाकर उन्हें प्रमाण के रूप में स्वीकार कर वन अधिकार पत्र वितरित किए जाने की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, बल्कि काबिजों के पास आवश्यक प्रमाण न होना बताकर प्रस्तुत दावों को भी अमान्य किया गया।

सर्वोच्च अदालत के द्वारा परिभाषित वन भूमि माने जाने या वन अधिकार कानून के अनुसार वन भूमि माने जाने वाले राजस्व विभाग के द्वारा स्वयं के विभागीय अभिलेखों और स्वयं के द्वारा दर्ज किए गए ब्यौरो को स्वयं के द्वारा ही स्वीकार कर आजादी के बाद किए गए ऐतिहासिक अन्याय को दूर किए जाने का प्रयास करने की बजाय कानून को एक नए अन्याय की आधारशिला के रूप में इतिहास में दर्ज करवा दिया।

डीनोटीफाइड भूमि को भी वन भूमि माना

जनवरी 2008 से लागू वन अधिकार कानून 2006 में आजादी के बाद ऐतिहासिक अन्याय होना स्वीकार किया गया है। वन अधिकार कानून का सहारा लेकर वन विभाग द्वारा राजपत्र में डीनोटीफाइड की गई आरक्षित वन एवं संरक्षित वन भूमियों को भी वन भूमि बताया जाकर वन अधिकार के दावों को मान्य किया और दावों को अमान्य भी कर दिया। देश की सर्वोच्च अदालत ने डीनोटीफाइड भूमियों को वन भूमि नहीं माना। देश की सर्वोच्च अदालत ने डीनोटीफाइड भूमियों को वन संरक्षण कानून 1980 के दायरे से बाहर की भूमि आदेशित किया।

राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में डीनोटीफाइड भूमियों के अभिलेखों को संशोधित कर भूमि काबिजों, आवासहीनों एवं भूमिहीनों को वितरित नहीं की गई। इन भूमियों से संबंधित कार्यवाहियों को लम्बित रखा जाकर अन्याय ही अन्याय किए गए, जिन्हें दूर किए जाने की बजाय वन अधिकार कानून के अनुसार वन भूमि माना जाकर एक नए अन्याय की आधारशिला ही रख दी गई।

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 के तहत आरक्षित वन अधिसूचित की गई भूमियों को राजपत्र में धारा 27 के तहत प्रकाशित की गई अधिसूचनाओं के अनुसार डीनोटीफाइड किया गया। धारा 29 में अधिसूचित भूमियों को वन विभाग ने धारा 29 की अधिसूचना को विखण्डित कर डीनोटीफाइड किया, लेकिन 1965 में जोड़ी गई धारा 34 अ के तहत अधिसूचना प्रकाशित कर डीनोटीफाइड किया जाने लगा।

वन विभाग ने स्वयं के वन कानून के तहत स्वयं के द्वारा ही राजपत्र में डीनोटीफाइड किए जाने की अधिसूचनाओं के अनुसार स्वयं के ही अभिलेखों को स्वयं के द्वारा ही संशोधित नहीं किया, जिसके कारण 1975 तक डीनोटीफाइड की गई भूमियों को 1975 में संरक्षित वन भूमि मानकर राजस्व विभाग को पुनः अन्तरित करना बता दिया। इसी तरह से 1980 तक राजपत्र में डीनोटीफाइड की गई संरक्षित वन भूमियों को 1990 में पुनः संरक्षित वन भूमि बताया जाकर दोबारा राजपत्र में डीनोटीफाइड कर दिया।

धारा 34 अ के तहत 1980 तक राजपत्र में डीनोटीफाइड की गई संरक्षित वन भूमियों को 14 मई 1996 के आदेशानुसार नारंगी भूमि मानकर सर्वे में वन विभाग ने सम्मिलित कर लिया तो इन्हीं डीनोटीफाइड की गई भूमियों को सिविल याचिका क्रमांक 202/95 में 12 दिसम्बर 1996 के आदेशानुसार परिभाषित वन भूमि बताया जाकर कार्यवाहियां भी वन विभाग एवं राजस्व विभाग के द्वारा ही की जाने लगी।

24 जुलाई 2004 को मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव द्वारा आदेश जारी कर राजपत्र में 1980 के पूर्व धारा 34 अ के तहत डीनोटीफाइड की गई संरक्षित वन भूमियों के अभिलेखों को संशोधित किए जाने का निर्देश दिया, जिसके बाद राजस्व विभाग ने भी सितम्बर और अक्टूम्बर 2004 में अधिसूचनाओं की प्रतियां संलग्न कर संबंधित कलेक्टरों को अभिलेख संशोधन के आदेश दिए। वहीं वन विभाग ने वर्ष 2005 में डीनोटीफिकेशन के नाम पर अभिलेख संशोधन बाबत् पत्र लिखकर औपचारिकता निभाई।

देश की सर्वोच्च अदालत के द्वारा सिविल याचिका क्रमांक 202/95 में डीनोटीफाइड की गई वन भूमियों को "वन संरक्षण कानून 1980" के दायरे से बाहर की भूमि मानकर आदेश दिया, लेकिन इन सबके बाद भी जनवरी 2008 से लागू वन अधिकार कानून 2006 के तहत व्यापक पैमाने पर डीनोटीफाइड की गई भूमियों को वन भूमि मानकर कार्यवाही की गई।

वन विभाग ने 1980 तक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचनाओं में वन विहीन ग्रामों की सूची प्रकाशित कर उन ग्रामों की समस्त वन भूमि डीनोटीफाइड कर दी। इस तरह के ग्रामों में वन अधिकार कानून के अनुसार वन अधिकार समितियों का व्यापकता के साथ गठन किया, जिसे लेकर आदिम जाति कल्याण विभाग ने राज्य की विधानसभा में प्रश्न क्रमांक 1924 दिनांक 22 जुलाई 2011 में जिलेवार जानकारी भी प्रस्तुत की जिसके अनुसार –

क्र.	जिले का नाम	उन ग्रामों की संख्या जिनकी समस्त भूमि डीनोटीफाइड की गई, लेकिन वनाधिकार समिति का गठन कर दिया	क्र.	जिले का नाम	उन ग्रामों की संख्या जिनकी समस्त भूमि डीनोटीफाइड की गई, लेकिन वनाधिकार समिति का गठन कर दिया
1	2	3	1	2	3
1	भिण्ड	873	20	हरदा	31
2	शिवपुरी	660	21	दमोह	1041
3	गुना	618	22	छतरपुर	702
4	अशोकनगर	661	23	टीकमगढ़	662
5	दतिया	307	24	जबलपुर	1237
6	देवास	674	25	कटनी	580
7	मंदसौर	833	26	नरसिंहपुर	800
8	नीमच	503	27	छिन्दवाड़ा	933
9	धार	954	28	सिवनी	24
10	झाबुआ	443	29	मण्डला	403
11	खरगोन	856	30	बालाघाट	865
12	बड़वानी	404	31	डिण्डौरी	501
13	खण्डवा	459	32	शहडोल	39
14	बुरहानपुर	196	33	उमरिया	129
15	भोपाल	32	34	सीधी	309
16	सीहोर	46	35	सिंगरौली	299
17	रायसेन	614	36	सतना	1421
18	बैतूल	618		**योग**	**19758**
19	होशंगाबाद	26			

राजस्व विभाग एवं वन विभाग ने इन ग्रामों की डीनोटीफाइड की गई भूमियों के अभिलेख संशोधन का कार्य प्रकाशित की गई अधिसूचनाओं के बाद अधिसूचनाओं के आधार पर नहीं किया और न ही 24 जुलाई 2004 को मुख्य सचिव एवं राजस्व विभाग और वन विभाग द्वारा जारी आदेश एवं निर्देशों के अनुसार भी नहीं किया गया।

जिला स्तरीय वनाधिकार समितियों के द्वारा जिन ग्रामों की समस्त वन भूमि डीनोटीफाइड कर दी गई उन भूमियों को वन भूमि बताकर व्यापक पैमाने पर वन अधिकार पत्र वितरित किए, लेकिन उससे कहीं ज्यादा दावों को प्रमाण का अभाव बताया जाकर जिला स्तरीय समिति के द्वारा ही अमान्य भी कर दिया।

राजस्व विभाग के द्वारा वन भूमि मानकर राजस्व अभिलेखों से पृथक कर दी गई भूमियों को राजपत्र में धारा 34 अ के तहत प्रकाशित अधिसूचनाओं के बाद भी पुनः राजस्व अभिलेखों में दर्ज किए जाने की कार्यवाहियां मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने कभी भी प्रारम्भ ही नहीं की बल्कि इन भूमियों को वन संरक्षण कानून के दायरे की भूमि मानते हुए वन विभाग के द्वारा लगातार कार्यवाहियां की जाते रही और इसी आधार पर इन भूमियों को वन अधिकार कानून के दायरे में आने वाली भूमि माना जाकर जनवरी 2008 के बाद कार्यवाहियां की जा रही है।

छत्तीसगढ़ विभाजन के बाद छत्तीसगढ़ राज्य सरकार वन विभाग और राजस्व विभाग राजपत्र में डीनोटीफाइड की गई भूमियों को लगातार संरक्षित वन भूमि, नारंगी वन भूमि, न्यायालय द्वारा परिभाषित वन भूमि एवं वन अधिकार कानून के अनुसार समझे गए वन मानकर ही कार्यवाही करते रहा। यह तथ्य वन मुख्यालय की जानकारी में वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की चेतावनी के साथ जोरदार ढंग से रखा गया। तब कहीं जाकर 02 अगस्त 2014 में वन मुख्यालय रायपुर ने राज्य शासन को पत्र लिखकर डीनोटीफाइड भूमियों के अभिलेख संशोधन का आदेश जारी किए जाने का अनुरोध किया।

हमने राजपत्र में डीनोटीफिकेशन की प्रकाशित अधिसूचनाओं को संकलित किया एवं इन अधिसूचनाओं को संकलित कर उपलब्ध करवाए जाने का प्रस्ताव मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ वन मुख्यालय के समक्ष भी प्रस्तुत किया जिसके आधार पर वन मुख्यालय रायपुर ने हमें दिनांक 06 मई 2015 को पत्र लिखकर तो मध्यप्रदेश वन मुख्यालय ने दिनांक 21 मई 2015 को पत्र लिखकर सहमति की औपचारिकता पूरी की, लेकिन डीनोटीफिकेशन की अधिसूचनाओं को प्राप्त किए जाने के प्रति दोनों ही राज्यों के वन मुख्यालय ने गंभीरता नहीं दिखाई।

राजपत्र शासन का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है, राजपत्र की प्रतियां वन विभाग के वनवृत कार्यालय, वन मंडल कार्यालय एवं वन मुख्यालय में नियमित रूप से प्रेषित की जाते रही है। राजपत्र की प्रतियां संबंधित जिलों के कलेक्टर कार्यालय में भी नियमित रूप से प्रेषित की जाते रही है, लेकिन किसी भी कार्यालय ने राजपत्र में प्रकाशित की गई अधिसूचनाओं को व्यवस्थित तरीके से संधारित नहीं किया, इन अधिसूचनाओं के आधार पर डीनोटीफाइड की गई भूमियों से संबंधित विभागीय अभिलेखों को संशोधित भी नहीं किया।

संविधान में किए गए संशोधन के बाद वन संरक्षण कानून 1980 लागू कर भारत सरकार ने वनभूमि से संबंधित अधिकारों को नियंत्रित कर लिया, लेकिन राज्य सरकार ने भारत सरकार को धारा 34अ में प्रकाशित अधिसूचनाओं की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई। देश की सर्वोच्च अदालत ने याचिका क्रमांक 202/95 में 12 दिसम्बर 1996 को आदेश दिया, लेकिन मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य सरकारों ने देश की सर्वोच्च अदालत को भी राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर डीनोटीफाइड की गई संरक्षित वन भूमियों की जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई।

वैधानिक एवं न्यायिक प्रावधानों के संदर्भ में "तंत्र" की गंभीर उदासीनता और लापरवाही का परिणाम इन डीनोटीफाइड की गई भूमियों पर आश्रित जनजाति समुदाय या अन्य समुदाय पर ही पड़ा है इन समुदायों को एक ओर तो हकों से वंचित होना पड़ा दूसरी ओर इन डीनोटीफाइड भूमियों को वन भूमि माने जाने के कारण तंत्र के अन्याय और अत्याचार का भी शिकार होना पड़ा है।

डीनोटीफाइड की गई भूमियों को राजपत्र में बड़े झाड़, छोटे झाड़ का जंगल, पहाड़, चट्टान, मद में राजस्व अभिलेखों में दर्ज होना बताया गया। इन भूमियों को डीनोटीफाइड किए जाने के कारणों में "भूमि अतिक्रमणकारियों को वितरित किए जाने के लिए राजस्व विभाग को आवश्यकता होना भी बताया गया। भू–राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत बनाए गए

"मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखल रहित भूमि (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1970" में विधानसभा द्वारा 1979 में किए गए संशोधन के अनुसार "धारा 5–इस अधिनियम के उपबंध संरक्षित वन को, उसके संरक्षित वन न रहने पर लागू होंगे" स्थापित की जाकर डीनोटीफाइड की गई भूमियों को वितरित किए जाने का भी प्रावधान किया गया।

राज्य सरकार की विफलता, राज्य सरकार की उदासीनता और राज्य सरकार की लापरवाही के कारण राज्य सरकार के द्वारा ही राजपत्र में डीनोटीफाइड की गई भूमियों के राज्य सरकार द्वारा अभिलेख संशोधन नहीं किए गए। इन डीनोटीफाइड भूमियों को राज्य सरकार ने ही वितरित किए जाने का संशोधन भी किया, लेकिन राज्य सरकार ने ही भूमियों का वितरण भी नहीं किया।

राज्य सरकार की विफलता, असफलता, उदासीनता और लापरवाही को वन अधिकार कानून 2006 लागू होने के बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति के द्वारा दूर कर समाज पर किए गए ऐतिहासिक अन्यायों से समाज को मुक्त करवाने का प्रयास नहीं किया वंचित समाज को उनके हक दिए जाने का भी प्रयास नहीं किया, बल्कि ऐतिहासिक अन्याय होना स्वीकारने वाले कानून का सहारा लेकर डीनोटीफाइड भूमियों को वनभूमि मानते हुए एक और नए अन्याय की आधारशिला ही रख दी गई।

देश की सर्वोच्च अदालत की सिविल याचिका क्रमांक 202/95 में दिए गए आदेशों के बाद भी डीनोटीफाइड भूमियों को वन भूमि मानकर किए गए अन्याय और अत्याचार हों या इन भूमियों पर हकों से वंचित किए जाने से पीड़ित समुदाय हो किसके पास जाकर न्याय की उम्मीद करें, अन्याय और अत्याचार से संरक्षण की उम्मीद करें इस पर तो विचार करना ही होगा शायद यही असंतोष का विकल्प हो सकता है शायद यही अराजकता से मुक्ति का आधार बन सकता है।

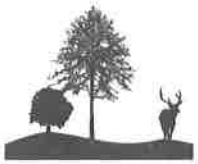

वन अधिकार कानून ऐतिहासिक अन्याय का एक और पड़ाव

वन अधिकार कानून 2006 में अन्याय तो दूर नहीं कर पाया बल्कि यह कानून एक और अन्याय का कारण बना दिया गया है। मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में मैं यह पूरी जिम्मेदारी के साथ तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए जनजातीय समुदाय एवं जंगलों पर आश्रित समुदाय के नाम पर कार्य करने वाले जनसंगठनों, सामाजिक संगठनों, देशी और विदेशी चन्दे से संचालित फंडिंग एजेन्सियों एवं उनके सहयोगी स्वयं सेवी संगठनों, इन विषयों पर दखल रखने वाले विशेषज्ञ एवं बुद्धिजीवियों, शासकीय एवं अशासकीय अध्ययन एवं शोध केन्द्रों की जनवरी 2008 के बाद से अपनाई गई भूमिका को आश्चर्यजनक, दुर्भाग्यपूर्ण और कड़े शब्दों में निन्दा योग्य मानता हूँ।

वन अधिकार कानून के अनुसार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वन अधिकार समिति का गठन हुआ। जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति भी गठित की गई, उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड स्तरीय समिति का भी गठन हुआ, लेकिन अधिकारियों द्वारा नियंत्रित यह समितियां भी कानून की मंशा के अनुसार जनजातीय समुदाय एवं जंगलों पर आश्रित समुदाय को सामुदायिक वन अधिकार सौंपे जाने में पूरी तरह से असफल रही हैं।

वन अधिकार कानून की धारा 3(1) उपधारा ख, ग, घ, ड़ के अनुसार

(ख) निस्तार के रूप में सामुदायिक अधिकार चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जिनके अंतर्गत तत्कालीन राजाओं के राज्यों, जमींदारी या ऐसे अन्य मध्यवर्ती शासनों में प्रयुक्त अधिकार भी सम्मिलित हैं;

(ग) गौण वन उत्पादों के, जिनका गांव की सीमा के भीतर या बाहर पारंपरिक रूप से संग्रह किया जाता रहा है स्वामित्व संग्रह करने के लिए पहुंच, उनका उपयोग और व्ययन का अधिकार रहा है;

(घ) यायावरी या चारागाही समुदायों की मत्स्य और जलाशयों के अन्य उत्पाद, चरागाह (स्थापित और घुमक्कड़ दोनों) के उपयोग या उन पर हकदारी और पारम्परिक मौसमी संसाधनों तक पहुंच के अन्य सामुदायिक अधिकार;

(ड़) वे अधिकार, जिनके अंतर्गत आदिम जनजाति समूहों और कृषि पूर्व समुदायों के लिए गृह और आवास की सामुदायिक भू–धृतियां भी हैं;

आजादी के बाद किए गए किसी भी ऐतिहासिक अन्याय को दूर किए जाने की जिम्मेदारी राज्य के मुख्य सचिव से लेकर अनुविभागीय अधिकारी ने अभी तक स्वीकार ही नहीं की बल्कि अपनी स्वयं की जिम्मेदारियों से उपखण्ड स्तरीय समिति के अध्यक्ष अनुविभागीय अधिकारी एवं जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष कलेक्टर प्रक्रियाओं का सहारा लेकर इन्कार भी करते आए हैं।

जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष कलेक्टर एवं उपखण्ड स्तरीय समिति के अध्यक्ष अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अभिलेखों में आजादी के पहले और आजादी के बाद दर्ज रहे सामुदायिक, परम्परागत, रूढ़िक अधिकारों एवं सार्वजनिक निस्तारी प्रयोजनों के ब्यौरो के आधार पर भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4(1) एवं धारा 20 में अधिसूचित की गई भूमियों के संदर्भ में ऐतिहासिक अन्याय दूर कर समाज को सामुदायिक अधिकार सौंपे जाने में पूरी तरह से असफल रहे हैं।

क्र.	विवरण	रकबा (हे. मे)
1	धारा 4(1) में अधिसूचित वर्ष 2000 में प्रतिवेदित भूमे	6669379.300
2	धारा 20 में वर्ष 1956 से 2000 तक अधिसूचित भूमि	960200.000
3	वर्ष 2000 में बताई गई नारंगी भूमि (मध्यप्रदेश में)	180294.000
4	वर्ष 2000 में बताई गई नारंगी भूमि (छत्तीसगढ़ में)	1239323.160
	योग	**9049196.460**

वन विभाग के द्वारा अधिसूचित या प्रतिवेदित यह समस्त भूमि आजादी के पहले राजस्व ग्रामों के राजस्व अभिलेख बाजिबुल अर्ज या रूढ़ि पत्रक या रिकार्ड ऑफ राइट्स या हुकूक पंजी में समाज के अधिकारों एवं प्रयोजनों के लिए दर्ज रही हैं, जिन्हें आजादी के बाद भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 234 के तहत बनाए गए निस्तार पत्रक में दर्ज किया गया या धारा 237(1) के तहत सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों के लिए आरक्षित किया जाकर राजस्व अभिलेखों में राजस्व विभाग के द्वारा ही दर्ज किया गया।

कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी भू–राजस्व संहिता 1959 के अनुसार इन भूमियों से संबंधित कार्यवाहियों के लिए जवाबदेह और जिम्मेदार अधिकारी माने गए हैं। कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी को ही भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 5 से 19 तक में इन्हीं जमीनों के संबंध में जिम्मेदार माना गया है। कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी को वन अधिकार कानून 2006 के अनुसार समिति का अध्यक्ष बनाया जाकर जिम्मेदार माना है।

कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी आजादी के बाद किए गए ऐतिहासिक अन्याय को दूर किए जाने में निभाई गई भूमिका और उस अन्याय को दूर किए जाने में निभाई जाने वाली भूमिका के प्रति गंभीर होते तो धारा 4(1) एवं धारा 20 में अधिसूचित की गई दोनों ही राज्यों की भूमि पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज रहे सामुदायिक वन अधिकार जनजातीय समुदाय एवं जंगलों पर आश्रित समुदाय को मिल सकते थे।

वन व्यवस्थापन अधिकारी के द्वारा धारा 5 से 19 तक की जांच के दौरान जिन अधिकारों को मान्य कर आदेश दिया उन अधिकारों का ब्यौरा आरक्षित वन की राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन कर दिए जाने के बाद भी वन विभाग ने आर.एफ. एरिया रजिस्टर में बताए गए प्रारूप में दर्ज ही नहीं किया बल्कि कई वनमंडलों ने तो एरिया रजिस्टर से ही इस प्रारूप को पृथक कर दिया।

वन विभाग ने धारा 29 के तहत संरक्षित वन अधिसूचित किया इस धारा में "जांच पूरी होने तक प्रचलित अधिकार यथावत बने रहेंगे का प्रावधान दिया है, धारा 4(1) में अधिसूचित भूमियों की धारा 5 से 19 तक की जांच वर्तमान में भी लम्बित हैं इन भूमियों को भी वन विभाग ने वर्किंग प्लान में सम्मिलित कर लिया। इन भूमियों के पी.एफ. एरिया रजिस्टर बना लिए, लेकिन उसके साथ संलग्न प्रारूप में इन भूमियों पर प्रचलित समाज के अधिकारों को दर्ज नहीं किया गया।

मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ वन विभाग के द्वारा स्वयं के लिए स्वयं के द्वारा निर्धारित किए गए दायित्वों के अनुसार आर. एफ. एवं पी.एफ. एरिया रजिस्टर में किसी व्यक्ति या किसी समुदाय के अधिकारों से संबंधित ब्यौरो को दर्ज ही नहीं किया। भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने भी वर्किंग प्लान को अनुमोदन किए जाकर स्वीकृति प्रदान किए जाने की प्रक्रिया के दौरान अधिकारों को दर्ज करवा कर उन अधिकारों के अनुसार नियंत्रण, प्रबन्धन, विकास एवं विदोहन की

योजना प्रस्तावित करवाए जाने का भी कोई प्रयास नहीं किया।

वन अधिकार कानून 2006 लागू किए जाने के बाद मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य के राजस्व विभाग के द्वारा राजस्व अभिलेखों में दर्ज भूमियों में से धारा 29, धारा 4(1) एवं धारा 20 में अधिसूचित कर दी गई भूमियों पर आजादी के पूर्व एवं आजादी के बाद दर्ज रहे सामुदायिक, परम्परागत, रूढ़िक एवं निस्तार के अधिकारों से संबंधित स्वयं के विभागीय अभिलेखों के आधार पर सामुदायिक वन अधिकार दिए जाने की कोई मुहिम नहीं चलाई।

मध्यप्रदेश के प्रमुख सचिव वन विभाग के द्वारा 10 अप्रैल 2015 को आदेश जारी कर धारा 29 एवं धारा 4(1) में अधिसूचित भूमियों पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज अधिकारों का अभिलेखन किया जाकर सूची वन विभाग के वनमंडल को 2 माह में उपलब्ध करवाए जाने का निर्देश सभी संबंधित कलेक्टरों को दिया। इस आदेश में धारा 20 के तहत अधिसूचित कर दी गई भूमि पर राजस्व अगिलेखों में दर्ज अधिकारों या वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा मान्य किए गए अधिकारों का भी अभिलेखन किए जाने बाबत् कोई आदेश या निर्देश नहीं दिया।

मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा राजस्व अभिलेखों में बड़े झाड़ के जंगल, छोटे झाड़ के जंगल, झुड़पी जंगल, जंगलात, जंगल जंला एवं जंगल खुर्द में दर्ज जमीनों को वन अधिकार कानून के दायरे में आने वाली वन भूमि माना जाकर वन अधिकार के व्यक्तिगत दावों को मान्य किया। बड़े स्तर पर ऐसे दावों को अमान्य भी कर दिया, लेकिन इन्हीं भूमियों पर राजस्व अभिलेखों में ही दर्ज समाज के अधिकारों और प्रयोजनों को वन अधिकार कानून के दायरे में माना जाकर सामुदायिक वन अधिकार पत्र दिए जाने की कोई मुहिम नहीं चलाई गई।

कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ने पटवारी मानचित्र एवं अन्य राजस्व अभिलेखों के आधार पर जनवरी 2008 से आज तक निम्न जानकारियों के संकलन का प्रयास भी नहीं किया।

ग्राम का नाम ..... बन्दोबस्त नंबर ..... पटवारी हल्का नंबर .....

धारा 29, धारा 4(1) या धारा 20 में अधिसूचित भूमि या परिभाषित वन भूमि		1950 के राजस्व अभिलेखों में दर्ज भूमि पर अधिकार	निस्तार पत्रक में दर्ज अधिकारी	धारा 237(1) में आरक्षित प्रयोजन
खसरा नम्बर	रकबा			
1	2	3	4	5

1956 में पुनर्गठित मध्यप्रदेश के वन विभाग के द्वारा 1980 तक राजपत्र में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29, धारा 4(1) एवं धारा 20 में जिन जमीनों को अधिसूचित किया गया उन जमीनों को मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 234 के तहत बनाए गए निस्तार पत्रक में – (क) इमारती लकड़ी अथवा ईंधन के हेतु सुरक्षित (ख) चरोखर, धासबीड अथवा चारे के लिए सुरक्षित (ग) कब्रिस्तान तथा श्मशान (घ) पड़ाव डालने के लिए भूमि (ड़) खलियान (च) बाजार (छ) खाल (चमड़ा) निकालने के लिए स्थान (ज) खाद के गड्ढे (झ)– (एक) सार्वजनिक प्रयोजन, जैसे पाठशाला, खेल के मैदान बगीचे, जल–निकास तथा तत्सदृश अन्य (झ) – (दो) सड़कें मार्ग तथा गलियां (ट) – (एक) निस्तार अधिकारों के निर्वाह के लिए मुरम, कंकड़, रेत, मिट्टी पत्थर (ट) – (दो) सिंचन तथा अन्य जल के अधिकार (क) सिंचन के उपयोग में लाए जाने वाले तालाब (ख) सिंचन के अतिरिक्त अन्य निस्तारों के प्रयोजन में लाए जाने वाला तालाब (ट) – (तीन) दखल (आधिपत्य) रहित भूमि में रोपित फलदार वृक्षों में अधिकार (ट) – (चार) कोई अन्य प्रयोजन जो विहित किया जाए अधिकारों या प्रयोजनों के लिए दर्ज किया गया।

भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 237(1) में – (क) इमारती लकड़ी या ईंधन के लिए रक्षित किए जाने वाले क्षेत्रों के लिए, (ख) चरागाह, घास, बीड़ या चारे के लिए रक्षित किए जाने–वाले क्षेत्र के लिए, (ग) कब्रिस्तान तथा श्मशान के लिए, (घ) गांव स्थान (गांवठान) के लिए, (ड) पड़ाव डालने के स्थान के लिए, (च) खलियान के लिए, (छ) बाजार के लिए, (ज) खाल निकालने के लिए, (झ) खाद के गड्ढों के लिए, (ञ.) सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए जैसे पाठशालाएं, खेल के मैदान,

उद्यान, सड़कें, गलियां, जलनिकास तथा तत्सदृश अन्य, और (ट) किन्हीं भी अन्य प्रयोजनों के लिए निस्तार–अधिकार के प्रयोग के लिए विहित किए जाएं" प्रयोजनों के लिए आरक्षित किया जाकर राजस्व अभिलेखों में दर्ज की गई जमीनों को ही भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29, धारा 4(1) एवं धारा 20 के तहत 1980 तक राजपत्र में अधिसूचित किया गया।

वन अधिकार कांनून 2006 की धारा 2 (घ) में परिभाषित की गई वनभूमि एवं उन भूमियों पर राजस्व अभिलेखों में जनजातीय समुदाय या जंगलों पर आश्रित समुदाय के दर्ज रहे अधिकारों और प्रयोजनों की इस जानकारी के आधार पर "सामुदायिक वन अधिकार पत्र" से संबंधित समस्त आवश्यक प्रमाण कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के नियंत्रण में ही उपलब्ध हैं, लेकिन उनका संकलन किया जाकर उन अधिकारों को मान्यता दिए जाने में राज्य सरकार असफल रही हैं।

आजादी के बाद जनजातीय समुदाय एवं जंगलों पर आश्रित समुदाय पर ऐतिहासिक अन्याय स्वीकार किए जाने की उदारता दिखाने वाले कानून ने ऐतिहासिक अन्याय के लिए जिम्मेदार "तंत्र" पर ऐतिहासिक अन्याय दूर किए जाने का कोई दायित्व निर्धारित नहीं किया बल्कि यह "तंत्र" अपने स्वयं के द्वारा किए गए ऐतिहासिक अन्याय के प्रमाण अन्याय सहने वाले समुदाय से मांग कर यही तो कह रहा है कि बता तेरे पास हमारे अन्याय का प्रमाण क्या है। ऐतिहासिक अन्याय करने वाला "तंत्र" स्वयं के पास उपलब्ध अन्याय के प्रमाण भी अन्याय सहने वाले को उपलब्ध करवाने की बजाय उन्हें अभी तक तो वंचित ही करते आया है, वंचित ही कर रहा है।

देश की संसद के द्वारा आजादी के बाद ऐतिहासिक अन्याय स्वीकार किया जाना निश्चित ही वैश्विक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में एक अभूतपूर्व एवं साहस का कदम रहा है। इस कदम को विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालय एवं देश की सर्वोच्च अदालत में चुनौतियां भी दी गई। आजादी के बाद ऐतिहासिक अन्याय किए जाते रहे हैं और न्यायपालिका मौन साधे रही, आजादी के बाद किस तरह से कौन–कौन से ऐतिहासिक अन्याय किसने किए इस पर भी न्यायपालिका मौन साधे रही है, वन अधिकार कानून आजादी के बाद किए गए ऐतिहासिक अन्याय दूर किए जाने में कारगर होगा या नहीं इस पर भी न्यायपालिका मौन साधे हुए हैं।

आजादी हमको मिली जब थी आधी रात ।
सबेरा तो हुआ ही नहीं, है अचरज की बात।।

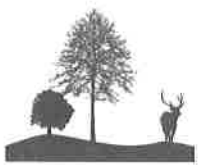

वानिकी प्रबन्धकों के दुष्प्रचार, साजिश और षड़यंत्र का शिकार समाज

वन विभाग की स्थापना "लूट के सिद्धान्त पर" प्राकृतिक संसाधनों से समाज को बेदखल किया जाकर उन संसाधनों के व्यवसायिक उपयोग को सुनिश्चित किए जाने के लिए ही की गई। ब्रिटिश हुकूमत ने जंगलों की चराई और अग्नि से सुरक्षा के नाम पर दुष्प्रचार किया जाकर वानिकी प्रबन्धन की योजनाएं बनाई, जिनमें की गई साजिशों का शिकार जनजातीय समुदाय एवं जंगलों पर आश्रित समुदाय होते आया हैं और आज भी हो रहा है।

भारतीय वन अधिनियम 1927 की तीन धाराओं के आधार पर वन विभाग ने प्राकृतिक संसाधनों पर अपनी मालगुजारी, जमींदारीं की स्थापना की जाकर धारा 20 में आरक्षित वन, धारा 29 में संरक्षित वन एवं 1965 में स्थापित धारा 20 अ में आरक्षित एवं संरक्षित वन माने जाने के प्रावधान किए गए।

1956 में पुनर्गठित मध्यप्रदेश का वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ के रूप में विभाजन हुआ। इस अवधि में वन विभाग ने आरक्षित वन एवं संरक्षित वन भूमि के वर्षवार आंकड़े देश के समक्ष प्रस्तुत किए जो वानिकी प्रबन्धन के दुष्प्रचारों को प्रमाणित किए जाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध करवा रहे हैं।

वर्ष	आरक्षित वन	संरक्षित वन	वर्ष	आरक्षित वन	संरक्षित वन
1957	7883700	5996600	1979	8019700	7442100
1958	7883400	5831900	1980	8099500	6908300
1959	7883400	7808300	1981	8099500	6908300
1960	8000200	7852800	1982	8099500	6908300
1961	7883500	8083500	1983	8099500	6908300
1962	7883400	8111100	1984	8099500	6908300
1963	7879300	8108500	1985	8099500	6908300
1964	7889600	9199100	1986	8099500	6908300
1965	7593300	9099200	1987	8099500	6908300
1966	8008000	9027900	1988	8099500	6908300
1967	8018700	9044900	1989	8099500	6908300
1968	7994000	9040900	1990	8099500	6908300

1969	7974200	8986800	1991	8318100	6569000
1970	7972000	8800800	1992	8270012	6667757
1971	8010600	8804600	1993	8270012	6667757
1972	8012300	8781800	1994	8270012	6668899
1973	8012300	8535300	1995	8270012	6669379
1974	8012300	8535300	1996	8270012.6	6669379.3
1975	8081300	8314000	1997	8270012.6	6669379.3
1976	8062000	8186200	1998	8270012.6	6669379.3
1977	8019700	7442100	1999	8270012.6	6669379.3
1978	8019700	7442100	2000	8270012.6	6669379.3

अविभाजित मध्यप्रदेश में विकास की योजनाएं बनी जिनमें वन भूमि का व्यापकता से उपयोग किया जाना वानिकी प्रबन्धन, उनके पैरवीकार और शुभचिन्तक लगातार प्रचारित करते आए हैं। अविभाजित मध्यप्रदेश में अतिक्रमण व्यवस्थापन के लिए भी वन भूमि आवंटित किया जाना वानिकी प्रबन्धन उनके पैरवीकार और शुभचिन्तक ही प्रचारित करते आए हैं इन समस्त दुष्प्रचारों के बाद भी शुद्ध रूप से वानिकी प्रबन्धन आरक्षित वन क्षेत्र में 03 लाख 86 हजार 312 हेक्टेयर एवं संरक्षित वन क्षेत्र में 06 लाख 72 हजार 779 हेक्टेयर कुल 10 लाख 59 हजार 91 हेक्टेयर वन क्षेत्र की वृद्धि होना स्वीकारते हुए पूरे राष्ट्र के सामने स्वयं ही वनभूमि के आंकड़े प्रतिवेदित करते आया है।

आजादी के बाद आरक्षित एवं संरक्षित वन भूमियों पर अतिक्रमण करने वालों के विरूद्ध वानिकी प्रबन्धकों के द्वारा उदारता दिखाते हुए 1980 में 31.12.1976 तक के काबिजों की पात्रता निर्धारण का सर्वे करवाया और उस सर्वे के आधार पर 1990 में भारत सरकार से अनुमति ली जाकर लगभग 40 हजार हेक्टेयर आरक्षित वन एवं 42 हजार हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि राजपत्र में डीनोटीफाइड कर पट्टा वितरण के लिए उपलब्ध करवाई। वानिकी प्रबन्धकों के द्वारा इस तरह की उदारता दिखाते हुए आजादी के पहले से ही स्थापित 660 वनग्रामों को राजस्व ग्राम बनाए जाने के आदेश दिए जिनमें से मात्र 520 वनग्रामों को राजस्व ग्राम बनाया गया। इनमें से भी 279 वनग्रामों की वन भूमि को राजपत्र में डीनोटीफाइड किया शेष 241 वनग्रामों की वनभूमि आज तक डीनोटीफाइड भी नहीं की जा सकी।

आरक्षित एवं संरक्षित वन क्षेत्रों में हुई वृद्धि का इतिहास एवं वानिकी प्रबन्धकों के द्वारा वन क्षेत्रों में हुई कमी के दुष्प्रचार ने भारतीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था के साथ अनेक गंभीर दुघर्टनाओं को जन्म दिया जिसकी वजह से पूरी की पूरी व्यवस्था बेबस और लाचार हो गई।

भारतीय प्रजातंत्र के साथ हुई गंभीर दुर्घटनाओं, प्रजातांत्रिक व्यवस्था की बेबसी और लाचारी, जनजातीय समुदाय एवं जंगलों पर आश्रित समुदाय के विरूद्ध किए गए दुष्प्रचार, साजिश, षड़यंत्र और ऐतिहासिक अन्याय का कोई इलाज देश की सर्वोच्च अदालत भी अभी तक तो भागीरथी प्रयासों के बाद भी ढूंढ नहीं पाई।

आजादी के बाद भूमि सुधार की असफलता के साथ ही आजादी के बाद ऐतिहासिक अन्याय का भरा पूरा इतिहास वानिकी प्रबन्धकों ने लिखा, जिसमें वानिकी प्रबन्धकों के पैरवीकारों, शुभचिन्तकों एवं तथाकथित विशेषज्ञों और बुद्धीजीवियों ने भी भरपूर सहयोग दिया।

वन ग्राम भी ऐतिहासिक अन्याय का एक प्रमाण

आजादी के बाद किए गए ऐतिहासिक अन्याय सहित भारतीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था की अपरिपक्वता का जीता जागता उदाहरण वनग्राम ही रहे हैं। वनग्रामों की जिन जमीनों पर आजादी के पहले से ही कृषि होते आई उन जमीनों को वन विभाग के नियंत्रण की कृषि भूमि माने जाने की बजाय वनभूमि ही माना जाते रहा है। वन भूमि ही माना जा रहा है जो भूमि के उपयोग को लेकर बरती गई नासमझी और भूमि सुधार की गंभीर असफलता के रूप में भी इतिहास का हिस्सा बन चुकी है।

वन अधिकार कानून में वनग्रामों और वनग्रामवासियों की व्यथा को भी ऐतिहासिक अन्याय के रूप में स्वीकार किया, लेकिन जनवरी 2008 के बाद मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के वानिकी प्रबन्धकों ने मात्र 1346 वनग्रामों और वनग्रामवासियों के विरूद्ध किए गए ऐतिहासिक अन्याय में स्वयं की भूमिका पर विचार ही नहीं किया, जिसके कारण अन्याय दूर किए जाने की बजाय नए–नए अन्याय किए जाते रहे हैं।

मैं वनग्रामों से संबंधित मुख्य तीन तथ्यों को यहां रखना चाहता हूँ। पहला तथ्य तो यह है कि वन संरक्षण कानून 1980 लागू होने के पहले राज्य शासन ने राज्य के 660 वनग्रामों को राजस्व ग्राम बनाए जाने के आदेश दिए। इसके बाद भी वानिकी प्रबन्धकों ने 520 वनग्रामों का नियंत्रण और प्रबन्धन राजस्व विभाग को सौंपा, लेकिन इन 520 वनग्रामों में से 279 वनग्रामों की वनभूमि ही राजपत्र में डीनोटीफाइड की गई, शेष 241 वनग्रामों की अन्तरित कर दी गई वन भूमि का 1980 से आज तक राजपत्र में डीनोटीफिकेशन नहीं किया गया।

क्र.	नोटिफिकेशन क्र.	दिनांक	जिले का नाम	1980 के पूर्व हस्तानांतरित वनग्रामों की संख्या	राजस्व विभाग का हस्तान्तरित वनग्रामों की संख्या	हस्तान्तरण को शेष बचे वनग्रामों की संख्या	वर्तमान में स्थित वनग्रामों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2277/1158/10/2/77	10.05.1977	सीहोर	1	1	0	0
2	12427/1/64	07.10.1964	मंदसौर	25	25	0	0
3	–"–	–"–	नीमच	5	5	0	8
	–"–	–"–	इन्दौर	3	3	0	0
4	5724/4690/10/02/75	03.12.1975	हरदा	1	1	0	51
	–"–	–"–	बैतूल	5	5	0	92
	–"–	–"–	टीकमगढ़	11	11	0	7
	–"–	–"–	दमोह	1	1	0	0
	–"–	–"–	जबलपुर	5	4	1	7

	–"–	–"–	नरसिंहपुर	2	2	0	12
	–"–	–"–	बालाघाट	2	2	0	71
	–"–	–"–	छिन्दवाड़ा	4	4	0	48
	–"–	–"–	खरगोन	41	41	0	0
	–"–	–"–	इन्दौर	3	3	0	0
	–"–	–"–	गुना	7	7	0	0
	–"–	–"–	डिंडौरी	14	0	14	70
	–"–	–"–	मण्डला	28	0	28	100
	–"–	–"–	खण्डवा	22	0	22	102
5	3263 / 10 / 62	26.04.1962	इन्दौर	44	42	2	5
	–"–	–"–	धार	18	18	0	13
	–"–	–"–	झाबुआ	16	16	0	0
	–"–	–"–	मंदसौर	10	10	0	0
	–"–	–"–	देवास	44	44	0	13
	–"–	–"–	गुना	45	44	1	2
	–"–	–"–	शिवपुरी	48	48	0	0
	–"–	–"–	श्योपुर	48	48	0	0
	–"–	–"–	खरगोन	19	13	6	67
	–"–	–"–	बड़वानी	7	0	7	70
	–"–	–"–	ग्वालियर	13	13	0	0
	–"–	–"–	भोपाल	22	7	15	15
	–"–	–"–	सीहोर	49	24	25	54
	–"–	–"–	राजगढ़	3	1	2	4
	–"–	–"–	विदिशा	22	16	6	5
	–"–	–"–	रायसेन	71	60	11	16
6	05 / 127 / 76 / 3 / दस	20.11.1980	सागर	1	1	0	8
	–"–	–"–	सीधी	0	0	0	12
	–"–	–"–	होशंगाबाद	0	0	0	43
	–"–	–"–	सिवनी	0	0	0	28
	–"–	–"–	उमरिया	0	0	0	2
			योग	**660**	**520**	**140**	**925**

दूसरा तथ्य मध्यप्रदेश वन मुख्यालय से राज्य सरकार को दिनांक 5–8 जुलाई 1961 को लिखे गए पत्र के रूप में उपलब्ध है, इस पत्र में यह स्वीकार किया गया था कि बहुत से राजस्व ग्रामों को वन विभाग ने मजदूरों की उपलब्धता के कारण अपने नियंत्रण में ले लिया, जिन्हें लेकर भू–राजस्व संहिता 1959 में किए गए प्रावधानों का वन विभाग लगातार उल्लंघन कर रहा है।

"As already stead these village were duly surveyed and settled like other Revenue villages and were managed under the provisions of Holker state land Revenue Act and there fore forest were given powers of Revenue officer as follows.

a.	Conservator of Forests	-	Commissioner
b.	Divisional Forest Officer	-	Collector
c.	Forest Range Officer	-	Amin (Tehsildar)

In this connection a copy of govt. of H.H. the Maharaja Holker (Revenue Officer) since No. 1567 dated 14/16-12-1993 is enclosed herewith for ready reference. These power were only be exercised in respect of the revenue forest villages. This order was not to be exercised in respect of the settled revenue forest villages. This order was not passed under any section of land Revenue Act which empowered the Govt. to appoint thill the passing of the M.P. land Revenue Code 1959."

वन संरक्षण कानून 1980 लागू होने के बाद वन विभाग ने इस तरह के राजस्व ग्रामों को वन ग्राम मान लिया। इन ग्रामों की राजस्व भूमियों को बिना किसी अधिसूचना या आदेश के वन भूमि मान लिया और आज भी इन्हें वनग्राम और भूमि को वन भूमि ही माना जा रहा है।

तीसरा तथ्य राज्य सरकार के द्वारा 1979 में किए गए निर्णय के अनुसार वनग्रामों को राजस्व ग्राम बनाए जाने के पूर्व वनग्रामों का बन्दोबस्त किए जाने के संबंध में दिनांक 28 फरवरी 1980 के द्वारा जारी आदेश और उसके अनुसार बनाए गए पटवारी मानचित्र, खसरा पंजी, किस्तबन्दी, निस्तार पत्रक एवं 31.12.1976 तक के पात्र अतिक्रमणकारियों की अतिक्रमण पंजी है। वन अधिकार कानून 2006 लागू होने के बाद भी वन विभाग ने 1980 में तैयार किए गए पटवारी मानचित्र एवं अन्य अभिलेखों की प्रतियां राजस्व विभाग या आदिम जाति कल्याण विभाग को नहीं सौंपी ग्रामसभा या वनाधिकार समिति को भी नहीं सौंपी।

क्रमांक	वृत्त का नाम	वन मण्डल का नाम	वन ग्रामों की संख्या
1	जगदलपुर	दंतेवाड़ा	12
		सुकमा	58
		बस्तर	20
		बीजापुर	15
		योग	**105**
2	दुर्ग	राजनांदगांव	01
		दुर्ग	16
		कवर्धा	07
		खैरागढ़	04
		योग	**28**
3	रायपुर	महासमुन्द	10
		धमतरी	87
		उदन्ती	07
		रायपुर	64
		योग	**168**

4	सरगुजा	मनेन्द्रगढ़	01
		कोरिया	08
		जशपुर	11
		योग	**20**
5	कांकेर	उत्तर कोण्डागांव	10
		पूर्व भानुप्रतापुर	07
		पश्चिम भानुप्रतापुर	02
		दक्षिण कोण्डागांव	23
		नारायणपुर	03
		योग	**45**
6	बिलासपुर	बिलासपुर	41
		मरवाही	01
		रायगढ़	03
		धरमजयगढ़	07
		जांजगीर–चाम्पा	02
		योग	**54**
		महायोग	**420**

ऐतिहासिक अन्याय की स्वीकारोक्ति के साथ लाया गया वन अधिकार कानून वनग्रामवासियों के लिए नए अन्याय का कारण बना दिया गया। वनग्राम नियम 1977 बनाए जाकर पूरे राज्य में 15 वर्षीय पट्टे वितरित किए गए, जिसमें अधिकतम रकबा 5 हेक्टेयर तक आदिवासी एवं गैर आदिवासियों को पट्टे पर आवंटित किया गया। इसके बाद 31.12. 1976 तक के पात्र अतिक्रमणकारियों का 1980 में सर्वे किया, जिन्हें पट्टे वितरित नहीं किए गए। वनग्राम नियम 1977 के अनुसार वितरित पट्टों का भारत सरकार से अनुमति लेकर नवीनीकरण भी किया गया। वन अधिकार कानून लागू होने के बाद अधिकतम रकबा 5 हेक्टेयर से घटाकर 4 हेक्टेयर कर दिया। वनग्राम के आदिवासियों को वन अधिकार पत्र वितरित कर गैर आदिवासियों को 75 वर्षों का प्रमाण न होना बताकर वन अधिकार पत्र भी वितरित नहीं किए गए। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने वनग्रामों को राजस्व ग्राम बनाने की कार्यवाही 2014 से प्रारम्भ की तो मध्यप्रदेश में यह कार्यवाही 2015 से प्रारम्भ की गई, लेकिन दोनों ही राज्यों में वनग्रामों के 1980 में बनाए पटवारी मानचित्र, खसरा पंजी, निस्तार पत्रक आदि वनाधिकार समिति या ग्रामसभा को उपलब्ध नहीं करवाए गए।

वन अधिकार कानून के अनुसार उन ग्रामों में भी वन अधिकार पत्र वितरित किए गए जिनकी निजी भूमि को वन भूमि अधिसूचित नहीं किया, जिन्हें वनग्राम भी अधिसूचित नहीं किया गया।

वानिकी प्रबन्धकों के द्वारा वनग्रामवासियों पर आजादी के बाद गुलामी और बेगारी करवा कर जो ऐतिहासिक अन्याय किए, उन्हें दूर किए जाने के लिए संसद द्वारा बनाए गए जनवरी 2008 से लागू वन अधिकार कानून के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014–2015 तक एक भी वनग्राम को राजस्व ग्राम नहीं बनाया जा सका, बल्कि उसी वन अधिकार कानून का सहारा लेकर 5 हेक्टेयर रकबे को 4 हेक्टेयर कर आदिवासियों को तो वन अधिकार पत्र वितरित कर दिए। गैर आदिवासियों सहित पात्र अतिक्रमणकारियों को वन अधिकार पत्र भी वितरित नहीं किए गए। राजस्व भूमियों को भी वन भूमि मान लिया, राजस्व ग्रामों को भी वनग्राम मान लिया गया।

राजस्व अभिलेख, राजस्व भूमि और समाज

आजादी के बाद राजस्व ग्रामों में प्रचलित व्यवस्था को एकरूपता देते हुए मालगुजार, जमींदार, जागीरदार, महल एवं दुमाला से इजमेन्ट राइट्स (सुखाधिकार) के लिए दर्ज संसाधनों को 1950 में लागू "मालगुजारी, जमींदारी, जागीरदारी उन्मूलन कानून या स्वामित्वाधिकारों के लिए अन्त के कानून के तहत राजस्व विभाग के द्वारा अर्जित किया गया।

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1954 की धारा 233 में इन भूमियों को दखल रहित भूमि के रूप में दर्ज कर इन भूमियों के अभिलेख बनाए जाने के प्रावधान किए गए। संहिता की धारा 234 में इन भूमियों के ग्रामवार निस्तार पत्रक बनाए जाने के प्रावधान किए तो धारा 237(1) में इन भूमियों को विभिन्न सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों के लिए आरक्षित कर दर्ज किए जाने के प्रावधान किए। इन्हीं प्रावधानों को 1956 में पुनर्गठित मध्यप्रदेश के लिए भू–राजस्व संहिता 1959 में यथावत स्वीकार भी किया गया।

धारा 233 के तहत बनाए गए अभिलेखों में दर्ज दखल रहित भूमि, धारा 234 के तहत बनाए गए निस्तार पत्रक में दर्ज भूमि या धारा 237(1) के तहत आरक्षित कर राजस्व अभिलेखों में दर्ज भूमि को राजस्व अभिलेखों में बन्दोबस्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार बड़े झाड़ के जंगल, छोटे झाड़ के जंगल, झुड़पी जंगल, जंगलात, जंगल जंला, जंगल खुर्द, पहाड़ चट्टान, पठार, घास, चरनोई, चारागाह, गोचर, कदीम, बीड, पड़त, सरना, करात आदि मदों में भी दर्ज किया जाते रहा है, दर्ज किया जा रहा है।

इन समस्त भूमियों को राजस्व विभाग गैर खाते की भूमि मानता है, जिन्हें राजस्व विभाग 1965 से लगातार मदवार प्रतिवेदित करते आया है। राजस्व विभाग प्रतिवर्ष ऋतु एवं फसल के वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करता है। इन प्रतिवेदनों में ग्रामवार गैरखाते का रकबा और उसमें हुए परिवर्तन को भी दर्ज करता रहा है।

क्र.	भूमि की मद का विवरण	1965 में रकबा हेक्टेयर में	1996 में रकबा हेक्टेयर में	अन्तर
1	आबादी	189732	272947	+ 83215
2	बाग–बगीचे	46472	52216	+ 5744
3	बड़े झाड़ का जंगल	6906711	3490300	– 3416411
4	छोटे झाड़ का जंगल	4134996	3163600	– 971396
5	पहाड़ चट्टान	2386836	1748557	– 638279
6	सड़क इमारत वगैरह	509248	665650	+156402
	योग	**14173995**	**9393270**	**4780725**

गैरखाते में दर्ज इन्हीं भूमियों को वन विभाग के द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29, धारा 4(1) एवं धारा 20 में अधिसूचित कर अपने नियंत्रण और प्रबन्धन में ले लिया। गैरखाते की इन्हीं भूमियों को राजस्व विभाग के द्वारा गैरखाते से लगातार कम किया गया। गैरखाते की इन्हीं भूमियों में से जंगल मद में दर्ज भूमियों को सिविल याचिका क्रमांक 202/95 में 12 दिसम्बर 1996 को देश की सर्वोच्च अदालत ने एक बार पुनः वन संरक्षण कानून 1980 के दायरे में आने वाली वन भूमि परिभाषित कर दिया।

इन्हीं भूमियों को वन विभाग ने 1980 तक शासनादेश के तहत राजस्व विभाग को अन्तरित करना बता दिया, इन्हीं भूमियों को वन विभाग ने धारा 34 अ के तहत राजपत्र में डीनोटीफाइड कर दिया। इसी तरह की भूमियों को देश की सर्वोच्च अदालत ने याचिका क्रमांक 202/95 में वन संरक्षण कानून 1980 के दायरे से बाहर की भूमि आदेशित किया।

राजस्व विभाग के द्वारा प्रतिवेदित किए गए गैरखाते की मदवार भूमि के आंकड़ों में 1965 से 1996 के बीच 47 लाख 80 हजार 725 हेक्टेयर गैरखाते की भूमि कम होना प्रतिवेदित किया है। मध्यप्रदेश सरकार ने इन्हीं गैरखाते में दर्ज बड़े झाड़ के जंगल एवं छोटे झाड़ के जंगल मद की जमीनों को "इजमेन्ट राइट्स" की जमीन बताकर वन संरक्षण कानून 1980 के दायरे से मुक्त किए जाने की पुर्नविचार याचिका देश की सर्वोच्च अदालत के समक्ष प्रस्तुत की जिस पर आई.ए. क्रमांक 791–792 में दिनांक 01 अगस्त 2003 को देश की सर्वोच्च अदालत ने आदेश भी दिया जिसके तहत राज्य सरकार ने दिनांक 26 अक्टूम्बर 2005 को इन भूमियों के संबंध में भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के समक्ष आवेदन भी प्रस्तुत किया।

पुनर्विचार याचिका में बड़े झाड़ के जंगल एवं छोटे झाड़ के जंगल मद की 10.91 लाख हेक्टेयर भूमि को शपथ पत्र में शामिल किया। इसे लेकर ग्वालियर पीठ ने याचिका क्रमांक 1413/2002 में दिनांक 08 सितम्बर 2006 को आदेश भी दिया। इन मदों में दर्ज शेष भूमियों को वन संरक्षण कानून के दायरे से बाहर की भूमि आदेशित किया।

राजस्व विभाग ने निस्तार पत्रक या अधिकार अभिलेख या खसरा पंजी या किस्तबन्दी में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29, धारा 4(1), धारा 20 एवं धारा 34 अ के तहत राजपत्र में अधिसूचित कर दी गई भूमियों को संशोधित नहीं किया, बल्कि इन अधिसूचनाओं के अनुसार राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टियां दर्ज नहीं की गईं, टीप भी अंकित नहीं की गई।

न्यायपालिका के द्वारा दिनांक 12 दिसम्बर 1996, दिनांक 01 अगस्त 2003 एवं दिनांक 08 सितम्बर 2006 के न्यायालीन आदेशों के अनुसार राजस्व विभाग ने राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि दर्ज किए जाने या टीप लिखे जाने की भी कोई प्रक्रिया ही निर्धारित नहीं की इस बाबत् कोई प्रयास नहीं किया, किसी भी तरह का कोई आदेश या निर्देश भी जारी नहीं किया गया।

देश की सर्वोच्च अदालत 1996 से लगातार सिविल याचिका क्रमांक 202/95 में सुनवाई कर रही है, उसकी सहायता के लिए न्यायमित्र कार्य कर रहे हैं। न्यायालीन सहायता के लिए सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी भी कार्य कर रही है। भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय सहित मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य सरकार भी विभिन्न प्रकरणों में देश की सर्वोच्च अदालत के समक्ष लगातार अपना पक्ष प्रस्तुत कर रही हैं।

भारतीय तंत्र द्वारा नियंत्रित व्यवस्था ने लगातार प्रजा से उसके अधिकारों को छीना बल्कि उन अधिकारों को प्रजातंत्र का हवाला दे देकर अपराध भी माना। यही वजह है कि राजस्व अभिलेखों में दर्ज मदों के आधार पर वन विभाग ने राजपत्र में अधिसूचनाएं प्रकाशित की तो मदों के आधार पर ही सर्वोच्च अदालत ने वनभूमि भी परिभाषित कर दी। इन दोनों ही प्रक्रियाओं में समाज के अधिकारों एवं उसके प्रयोजनों को कोई महत्व नहीं दिया गया।

भारतीय व्यवस्था के किसी भी अंग ने यह जानने का ही प्रयास नहीं किया कि राजस्व ग्रामों की राजस्व अभिलेखों में दर्ज 47 लाख 80 हजार 725 हेक्टेयर गैरखाते की सामुदायिक भूमि किन वैधानिक प्रावधानों के अनुसार कब और किसके आदेश से कम कर दी गई।

भारतीय व्यवस्था के किसी भी अंग ने यह भी जानने का कोई प्रयास नहीं किया कि राजस्व अभिलेखों में दर्ज गैरखाते की कितनी जमीनों को वानिकी प्रबन्धन ने भी अपने विभागीय अभिलेखों में समानान्तर रूप से वनभूमि के रूप में दर्ज कर उन

पर अपना नियंत्रण और प्रबन्धन कायम कर लिया। इस तरह की भूमियों को राजस्व विभाग एवं वन विभाग लगातार अपने–अपने अभिलेखों में समानान्तर रूप से कैसे दर्ज कर रहा है ?

भारतीय न्याय व्यवस्था 1996 से ही लगातार वनों के विस्तार और पर्यावरण के संरक्षण को लेकर सुनवाई भी कर रही है, आदेश भी दे रही है, लेकिन उसके समक्ष भी इन दोनों ही विषयों को अभी तक राज्य सरकारों या भारत सरकार या सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका, जिसके कारण देश की सर्वोच्च अदालत भी इस पर विचार नहीं कर पाई। इस कारण इन भूमियों पर आश्रित समुदाय ऐतिहासिक अन्याय का शिकार होते आया है।

नियम विहीन सामुदायिक अधिकार और राज्य सरकार की नाकामी

वन अधिकार कानून 2006 बना। उसके तहत 2008 में नियम भी बनाए गए। इन नियमों में भारत सरकार ने 2013 में संशोधन भी किए।

सामुदायिक, परम्परागत, रूढ़िक एवं निस्तार के अधिकारों को मान्यता दिए जाने का कार्य वन अधिकार कानून और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार किया जा सकता है, लेकिन स्वीकार किए गए सामुदायिक अधिकारों के उपयोग बाबत् कोई नियम भारत सरकार ने नहीं बनाए। मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने भी इस बाबत् नियम बनाए जाने की कोई पहल नहीं की।

राजस्व अभिलेखों में आजादी के पूर्व और आजादी के बाद ग्रामीण समुदाय के विभिन्न अधिकारों एवं विभिन्न प्रयोजनों के लिए दर्ज जमीनों के संबंध में भू–राजस्व संहिता 1959 के अध्याय 18 में प्रावधान किए गए। इन्हीं प्रावधानों के अनुसार राजस्व विभाग ने राजपत्र में नियम भी अधिसूचित किए।

वन विभाग ने इन्हीं दखल रहित संसाधनों को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 एवं धारा 4(1) में अधिसूचित किया और इन्हें संरक्षित वनभूमि मानते हुए राजपत्र में नियम भी अधिसूचित किए।

राजस्व विभाग के द्वारा राजस्व भूमि मानकर नियम अधिसूचित किए तो वन विभाग के द्वारा संरक्षित वन मानकर नियम अधिसूचित किए गए।

राजपत्र दिनांक	भू–राजस्व संहिता 1959 के अनुसार प्रकाशित नियम	भारतीय वन अधिनियम 1927 के अनुसार प्रकाशित नियम
22 जनवरी 1960	धारा 233– दखल रहित भूमि के अभिलेख	
22 जनवरी 1960	धारा 234– निस्तार पत्रक का तैयार किया जाना	
22 जनवरी 1960	धारा 235– विषय जिनका निस्तार पत्रक में उपबंध किया जाएगा	
22 जनवरी 1960	धारा 239– दखल रहित भूमि में लगाए गए फलदार वृक्षों में अधिकार	
22 जनवरी 1960	धारा 241– शासकीय वनों से इमारती लकड़ी की चोरी रोकने के उपाय	

22 जनवरी 1960	धारा 249– मछली पकड़ने, शिकार खेलने आदि का विनियमन	
02 सितम्बर 1960		मध्य प्रदेश संरक्षित वन नियम 1960
21 जनवरी 1977	धारा 248– अप्राधिकृत रूप से भूमि पर कब्जा कर लेने के लिए शास्ति	
30 अक्टूम्बर 1964	धारा 240– कतिपय वृक्षों की कटाई का प्रतिषेध	
19 मार्च 1999	धारा 237– निस्तार अधिकारों के प्रयोग के लिए कलेक्टर द्वारा भूमि का पृथक रखा जाना	
2002	धारा 241 – शासकीय वनों से इमारती लकड़ी की चोरी रोकने के उपाय	
2 फरवरी 2005		संरक्षित वन नियम 2005
3 फरवरी 2005		वन उपज नियम 2005
04 जून 2015		संरक्षित वन नियम 2015

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय वनाधिकार समिति आज तक यह सुनिश्चित नहीं कर पाई कि सामुदायिक अधिकारों को दी गई मान्यता के बाद उन अधिकारों का उपयोग किन नियमों के अनुसार किया जाएगा? उसकी निगरानी और नियंत्रण कौन करेगा? नियमों का पालन न किए जाने या नियमों की अवेहलना किए जाने या नियमों का उल्लंघन किए जाने पर किसे और कौन सी कार्यवाही का अधिकार होगा? किस–किस तरह की कार्यवाही का अधिकार होगा? यह सब अभी तक अनिश्चित हैं। यह सब अभी तक निश्चित नहीं किया जा सका है।

वानिकी प्रबन्धन के संदर्भ में इससे भी अधिक महत्वपूर्ण तथ्य धारा 29, धारा 4(1) एवं धारा 20 के अनुसार राजपत्र में अधिसूचित की गई भूमियों के वैधानिक वानिकी प्रबन्धन से जुड़े वर्किंग प्लान को लेकर भी सामने है। वर्किंग प्लान में सम्मिलित कर ली गई इन भूमियों के वनमंडल स्तर पर आर.एफ. एरिया रजिस्टर एवं पी.एफ. एरिया रजिस्टर संधारित किए जाते हैं जिससे समाज और व्यक्तियों के अधिकारों को लिखे जाने का प्रावधान भी दिया गया है।

"अधिकारों को लेखबद्ध किए जाने वाला प्रारूप"

Statement of Rights

At the settlement made and declared in Notification

In 18 rights were allowed already cited of .....II ..... the following

No.	Name of Right holders	Nature and extent of rights	Remarks
1	2	3	4

सामान्य वनमंडलों ने या वनमंडल का वर्किंग प्लान बनाने वाले कार्य आयोजना वन संरक्षकों ने शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में समाज के अधिकारों को दर्ज नहीं किया। मध्यप्रदेश के प्रमुख सचिव वन विभाग ने 10 अप्रैल 2015 को आदेश जारी कर धारा 29 एवं धारा 4 (1) में अधिसूचित भूमियों पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज अधिकारों के अभिलेखन का आदेश दिया। इस आदेश में आजादी के बाद धारा 20 के अनुसार प्रकाशित अधिसूचनाओं में शामिल जमीनों पर वन व्यवस्थापन

अधिकारी द्वारा मान्य अधिकारों एवं राजस्व अभिलेखों में दर्ज अधिकारों के अभिलेखन का कोई निर्देश नहीं दिया।

प्रमुख सचिव ने अपने आदेश में अधिकारों के ब्यौरे पीएफ एरिया रजिस्टर या आरएफ एरिया रजिस्टर में बनाए प्रारूप में यथावत दर्ज किए जाने के भी आदेश नहीं दिए। इन अधिकारों को मान्यता देकर वर्किंग प्लान में वानिकी प्रबन्धन किए जाने की भी कोई व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा नहीं की गई। भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय वर्किंग प्लान को अनुमोदित कर स्वीकृत करने की कार्यवाही तो करती है, लेकिन उसके द्वारा भी प्रचलित अधिकारों एवं प्रयोजनों का ध्यान रखा जाकर वानिकी प्रबन्धन की योजना प्रस्तावित किए जाने पर लगातार हमेशा से ही मौन साधा है।

छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार या राज्य के वन विभाग ने धारा 29, धारा 4(1) एवं आजादी के बाद धारा 20 में अधिसूचित क्षेत्रों पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज अधिकारों के अभिलेखन का कोई प्रयास अभी तक तो नहीं किया।

आरक्षित एवं संरक्षित वन क्षेत्रों का वास्तविक नियंत्रण वन विभाग के वनरक्षक के द्वारा किया जाता है, जिसके पास इन वनक्षेत्रों में समाज के प्रचलित अधिकारों या प्रचलित प्रयोजनों का कोई ब्यौरा अभी तक नहीं रहता था, अब स्वीकार किए गए सामुदायिक दावों और उनमें मान्य किए गए अधिकारों एवं प्रयोजनों का भी कोई ब्यौरा उपलब्ध करवाए जाने की कोई व्यवस्था किसी भी स्तर पर नहीं की गई। नतीजा आजादी के बाद ऐतिहासिक अन्याय का शिकार समुदाय वन अधिकार कानून के बाद भी निरन्तर ऐतिहासिक अन्याय का शिकार होने के लिए मजबूत किया जाएगा।

भारत सरकार के द्वारा जनवरी 2008 से लागू वन अधिकार कानून 2006 को लेकर मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य सरकारों के द्वारा बड़े–बड़े दावे किए गए और उन दावों से प्रभावित होकर भारत सरकार ने पुरस्कार भी प्रदान कर दिया, लेकिन दोनों ही राज्य सरकारें आजादी के बाद सामुदायिक अधिकारों से संबंधित किए गए ऐतिहासिक अन्यायों को दूर किए जाने हेतु स्वयं की भूमिका का ही आज तक आंकलन नहीं कर पाई।

बैतूल जिले की हकीकत

आजादी के बाद भूमि सुधार की असफलता एवं आजादी के बाद ऐतिहासिक अन्याय के इतिहास में वह सब कुछ दर्ज है जो विश्व की किसी भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था के इतिहास में दिखाई नहीं देता। प्रजातंत्र के साथ जो दुघर्टनाएं हुई है, प्रजातंत्र को आहत और शर्मसार किया है।

भारतीय संविधान, संसद और विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून, देश की न्याय व्यवस्था द्वारा किए गए न्याय के अनुसार प्रजातांत्रिक व्यवस्था ने अपना चरित्र निर्माण करने की बजाय स्वयं के कारनामो से स्वयं के चरित्र को कदम–कदम पर दागदार बनाकर स्वयं को नंगा किया है।

लेखक की कर्मभूमि बैतूल है, मूल अध्ययन का क्षेत्र भी बैतूल ही है। बैतूल जिले का पहला वर्किंग प्लान 1886 में बनाकर 1896 में उसे लागू किया गया। बैतूल जिले में वर्तमान में 1303 राजस्व ग्राम बताए जा रहे हैं। इनमें से 103 रैय्यतवारी ग्राम हैं, 30 पुनर्वास ग्राम है, 5 परिवर्तित वनग्राम है, 88 वीरान ग्राम और 15 नगरीय सीमा में शामिल ग्राम है, वन विभाग 92 वनग्राम बताता है।

राज्य पुनर्गठन के बाद वन विभाग ने 01 अगस्त 1958 को राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की। इसके अनुसार मालगुजार, जमींदार से अर्जित जंगल मद की जमीनों को संरक्षित वन अधिसूचित किया।

बैतूल जिले में 681 राजस्व ग्रामों की 1.49 लाख हेक्टेयर भूमि का सर्वे कर 482 वनखण्डों में 67379 हेक्टेयर भूमि को आरक्षित वन बनाए जाने के लिए प्रस्तावित कर अधिसूचित कर दिया। वन विभाग ने 1972 में 829 ग्रामों की समस्त वन भूमि राजपत्र में डीनोटीफाइड कर दी जिसमें 222 ग्रामों की भूमि को सर्वे डिमारकेशन में शामिल करने के बाद डीनोटीफाइड किया गया।

वन विभाग ने बैतूल जिले के 1299 ग्रामों की 1.39 लाख हेक्टेयर भूमि को नारंगी भूमि मानकर 14 मई 1996 के आदेशानुसार सर्वे में पुनः शामिल कर लिया। वनखण्ड बना लिए उन्हें धारा 4(1) में अधिसूचित भी कर लिया, वर्किंग प्लान में भी सम्मिलित कर लिया।

1958 में प्रकाशित की गई अधिसूचना के बाद भू–राजस्व संहिता 1959 लागू की गई इस संहिता के अनुसार 1966 में पड़त भूमि कृषिकरण अधिनियम, 1970 में ग्रामों की दखल रहित भूमि के कृषिकरण का अधिनियम बनाया जिसमें 1979 में संशोधन किया गया। राज्य सरकार ने 1984 में पुनः "भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबन्ध) अधिनियम" बनाया, संविधान को संशोधित कर 1993 में 11वीं अनुसूची स्थापित की गई। संसद ने 1996 में पेसा कानून बनाया, वर्ष 1998 एवं 2002 में सहिता की धारा 237 में संशोधित किया गया, वर्ष 2012 में दखल रहित भूमि के कृषिकरण अधिनियम में संशोधन किया। संसद के द्वारा आजादी के बाद ऐतिहासिक अन्याय होना स्वीकारते हुए वन अधिकार कानून 2006 बनाया, जिसे जनवरी 2008 से लागू भी कर दिया गया।

लेकिन वन विभाग ने गैर जंगल मद सहित रैय्यतवारी ग्रामों की जमीनों को भी 1960 से संरक्षित वन मानकर सर्वे डिमारकेशन में शामिल कर लिया।

देश की सर्वोच्च अदालत ने याचिका क्रमांक 202/95 में 12 दिसम्बर 1996 को वनभूमि परिभाषित की, राज्य की पुनर्विचार याचिका आई.ए. क्रमांक 791–792 में दिनांक 01 अगस्त 2003 को आदेश दिया, उच्च न्यायालय ग्वालियर पीठ ने याचिका क्रमांक 1413/2002 में दिनांक 08 सितम्बर 2006 को वन संरक्षण कानून 1980 के दायरे में आने वाली एवं दायरे के बाहर की भूमि संबंधी आदेश दिया देश की सर्वोच्च अदालत ने ही सिविल अपील प्रकरण क्रमांक 19869/2010 में 28 जनवरी 2011 को भी सार्वजनिक प्रयोजनों की भूमि बाबत् आदेश दिया।

1958 की अधिसूचना के आधार पर वन विभाग ने 1988 में धारा 4(1) की संशोधित अधिसूचना प्रकाशित कर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैतूल, मुलताई, भैंसदेही को वन व्यवस्थापन अधिकारी और कलेक्टर बैतूल को अपीलीय अधिकारी का दायित्व सौंपा। जिसके आधार पर समस्त संवैधानिक, वैधानिक एवं न्यायिक प्रावधानों को अमान्य किया जाकर आज भी 1988 की अधिसूचना के आधार पर आरक्षित वन बनाए जाने की कार्यवाही की जा रही है।

अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जिन जमीनों को स्वयं ही भू–राजस्व संहिता के अनुसार दखल रहित भूमि मानकर अभी तक कार्यवाहियां की, जिन जमीनों को अनुविभागीय अधिकारियों ने 1996 के न्यायालीन आदेशानुसार परिभाषित वन भूमि मानकर कार्यवाहियां की उन सभी कार्यवाहियों को स्वयं अनुविभागीय अधिकारी प्रमाण माने जाने से इन्कार कर 1988 की अधिसूचना के आधार पर कार्यवाही कर रहे हैं।

यह हमारी मौजूदा प्रजातांत्रिक व्यवस्था का एक चरित्र है। मैं यहां उसी व्यवस्था के दूसरे चरित्र को भी आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ। जो हमारी व्यवस्था की विफलताओं, अयोग्यताओं, अक्षमताओं, लापरवाहियों और प्रजातंत्र के प्रति गैर जवाबदेही और गैर जिम्मेदारी को इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज करते आया है।

आजादी के पहले और आजादी के बाद राजस्व विभाग ने जिन जमीनों को राजस्व भूमि ही माना, राजस्व अभिलेखों में राजस्व भूमि मानकर दर्ज किया, राजस्व भूमि मानकर ही प्रतिवेदित किया, राजस्व भूमि मानकर ही कानून बनाए, उन कानूनों में संशोधन किए, न्यायालीन आदेशानुसार भी राजस्व अभिलेखों में दर्ज परिभाषित वन भूमि ही माना गया।

उन्हीं जमीनों को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 एवं धारा 4(1) में अधिसचित संरक्षित वन, आरक्षित वन बनाए जाने के लिए प्रस्तावित भूमि, नारंगी वन एवं असीमांकित वन माना जाकर वानिक ।भेलेखों में दर्ज किया, संशोधन भी किया, नियम भी राजपत्र में प्रकाशित किए, लेकिन धारा 34 अ में अधिसूचि । भूमियों को भी 1996 के न्यायालीन आदेशानुसार पुनः परिभाषित वन भूमि मान लिया।

राजस्व विभाग एवं वन विभाग के द्वारा की गई समानान्तर कार्यवाहियों के इतिहास में दर्ज विवरणों और उसके आधार पर प्रजातांत्रिक व्यवस्था के किए गए छलावे को आपकी जानकारी में लाना चाहते हैं। देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा दिए गए आदेश के एक हिस्से को स्वीकारते हुए बाकी के हिस्से को माने जाने से इन्कार किया जाकर आदेश के दुरूपयोग और अवमानना को भी मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ।

यहां जो भी जानकारी दी जा रही है वह आजादी के बाद लिखे गए इतिहास में दर्ज हैं, वन विभाग और राजस्व विभाग के शासकीय अभिलेखों में दर्ज है याने हर प्रमाण उपलब्ध हैं।

- 1950 राजस्व विभाग ने मालगुजार, जमींदारों से स्वामित्वाधिकारों के अन्त के कानून के अनुसार इजमेन्ट राइट्स के लिए दर्ज जमीनों का अर्जन किया।
- 1954 भू–राजस्व संहिता के अध्याय 18 में दखल रहित भूमि धारा 234 के अनुसार निस्तार पत्रक एवं धारा 237(1) के अनुसार सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों के लिए भूमियों का आरक्षण किया गया।
- 1958 को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के तहत राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन कर संरक्षित वन अधिसूचित किया गया।

- 1959 भू–राजस्व संहिता की धारा 234 के अनुसार निस्तार पत्रक को ग्रामसभा के समक्ष रखा जाकर अनुमोदित करवाकर लागू किया गया।
- 1960 राजस्व विभाग ने भू–राजस्व संहिता के अध्याय 18 की धाराओं के अनुसार राजपत्र में नियम अधिसूचित किए।
- 1960 वन विभाग ने राजपत्र में संरक्षित वन अधिसूचित किए।
- 1965 वन विभाग ने वर्किंग स्कीम बनाई और उसमें संरक्षित वन भूमियों को एवं राजस्व विभाग को अन्तरित की जाने वाली भूमियों की क्लीयर फैलिंग के प्रावधान किए गए।
- 1966 अधिक अन्न उपजाओं योजना के तहत 33 राजस्व ग्रामों की दखल रहित भूमियों को संरक्षित वन भूमि बताया जाकर वन विभाग ने राजस्व विभाग को बिना निर्वनीकरण अन्तरित किया गया।
- 1966 में पड़त भूमि कृषिकरण अधिनियम बनाया जाकर काबिजों को भूमि के पट्टे दिए जाने का प्रावधान किया गया।
- 1967 तक भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4(1) के तहत अधिसूचना का प्रकाशन कर आरक्षित वन बनाए जाने के लिए भूमि प्रस्तावित की गई।
- 1968 से राजस्व विभाग के द्वारा अधिकार अभिलेख बनाए जाकर दखल रहित भूमि को मद एवं प्रयोजन सहित दर्ज किया गया।
- 1970 में ग्रामों की दखल रहित भूमि के कृषिकरण हेतु अधिनियम बनाया जाकर काबिजों को भूमि के पट्टे दिए जाने का प्रावधान किया गया।
- 1971 में सामूहिक कृषि सहकारी समितियां बनाई जाकर धारा 237(2) के अनुसार काबिल कास्त घोषित किए बिना ही दखल रहित भूमि समिति को आवंटित कर दी गई।
- 1972 राजपत्र में वन विभाग ने भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 34अ के अनुसार जिले के 829 राजस्व ग्रामों की समस्त संरक्षित वन भूमि निर्वनीकृत की गई। इस अधिसूचना में उन सभी 33 ग्रामों को सम्मिलित नहीं किया जिनकी भूमि 1966 में अन्तरित की गई।
- 1972 में पटवारी मानचित्र में आरक्षित वन बनाए जाने के लिए प्रस्तावित भूमि की स्थाई सीमा लाइन एवं गिर्री दर्ज कर दी गई।
- 1975 में राज्य मंत्रीमंडल के निर्णय के अनुसार वन विभाग ने राजस्व विभाग को काबिजों में वितरित किए जाने के लिए भूमियों को अन्तरित किया जिसमें कुछ उन ग्रामों को भी शामिल कर लिया जिनकी भूमि 1972 में डीनोटीफाइड कर दी।
- 1976 राजस्व विभाग ने दखल रहित भूमियों को पट्टे पर वितरित किए जाने के निर्देश जारी किए।
- 1978 राज्य सरकार ने आदेश दिया कि सामूहिक कृषि सहकारी समितियों को भंग कर भूमि समिति सदस्यों एवं काबिजों में वितरित कर दी जाए।
- 1979 वन विभाग ने संरक्षित वन भूमि सर्वे की कम्पलीशन रिपोर्ट तैयार की।
- 1979 सरकार ने 1970 के अधिनियम में संशोधन कर डीनोटीफाइड भूमियों के वितरण का प्रावधान किया।
- 1980 वन विभाग ने 31.12.1976 तक के काबिजों का सर्वे प्रारम्भ किया, जिसमें 1972 में डीनोटीफाइड ग्रामों को सम्मिलित कर लिया, लेकिन 1966 एवं 1975 में अन्तरित भूमियों को सम्मिलित नहीं किया।
- 1980 में वन संरक्षण कानून लागू होते ही वन विभाग ने आरक्षित वन बनाए जाने के लिए प्रस्तावित भूमियों को वर्किंग प्लान में संरक्षित वन भूमि मानकर सम्मिलित कर लिया।
- 1984 मध्य प्रदेश "भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1984" बनाया जाकर काबिजों को भूमि के पट्टे दिए जाने का प्रावधान किया गया।

- 1988 वन विभाग ने धारा 4(1) की संशोधित अधिसूचना प्रकाशित कर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैतूल / मुलताई / भैंसदेही को 482 वनखण्डों में 71909 हेक्टेयर भूमि को धारा 5 से 19 तक की जांच के लिए वन व्यवस्थापन अधिकारी नियुक्त कर दिया।
- 1990 वन विभाग ने संरक्षित वन एवं ऑरेंज वन भूमि को धारा 34अ के अनुसार राजपत्र में निर्वनीकृत किया, जिसमें 1972 में जिन ग्रामों की समस्त वन भूमि निर्वनीकृत कर दी गई उन्हें भी दोबारा निर्वनीकृत कर दिया।
- 1991 में सामूहिक कृषि सहकारी समितियों को भंग कर भूमि वितरण का पुनः आदेश दिया, लेकिन भूमि वितरित करने की बजाय दखल रहित मदवार भूमि के रूप में पुनः राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर ली गई।
- 1995 में 24.10.1980 तक वनभूमि पर काबिजों का सर्वे प्रारम्भ किया, जिसमें 1972 में डीनोटीफाइड ग्राम सम्मिलित कर लिए, लेकिन 1966 एवं 1975 में अन्तरित भूमियों पर काबिजों को सम्मिलित नहीं किया।
- 1996 मई 14 को वन विभाग ने नारंगी भूमि सर्वे प्रारम्भ कर जिले के 1299 ग्रामों की 1.39 लाख हेक्टेयर भूमि में से उपयुक्त, अनुपयुक्त भूमियों का चयन प्रारम्भ कर दिया।
- 1996 दिसम्बर 12 को देश की सर्वोच्च अदालत ने राजस्व अभिलेखों में जंगल मद में दर्ज जमीनों को वन संरक्षण कानून 1980 के दायरे में आने वाली वन भूमि परिभाषित किया।
- 1997 जनवरी 13 को मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग के द्वारा न्यायालीन आदेश का हवाला देते हुए बड़े झाड़, छोटे झाड़ के जंगल मद की जमीनों को परिभाषित वन माने जाने के निर्देश दिए।
- 1998 में राज्य शासन ने भू–राजस्व संहिता की धारा 237 में दर्ज भूमियों के वितरण का संशोधन किया।
- 2001 में राज्य शासन राजस्व विभाग ने न्यायालीन आदेशानुसार परिभाषित दखल रहित भूमि एवं निजी भूमि की जानकारी संकलन का आदेश दिया।
- 2002 दिनांक 18 फरवरी को मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग द्वारा बड़े झाड़ एवं छोटे झाड़ के जंगल मद की जमीनों बाबत् जानकारी संकलित करवाई जिसके आधार पर सर्वोच्च अदालत में पुनर्विचार याचिका दायर की गई।
- 2002 में भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 में पुनः संशोधन कर भूमि वितरण के आदेश राजस्व विभाग के द्वारा दिए गए।
- 2003 दिनांक 23 अप्रैल 2003 को प्रमुख सचिव वन मध्यप्रदेश शासन ने 1975 में अन्तरित एवं वास्तविक रूप से हस्तानान्तरित भूमि की जानकारी संकलन के आदेश दिए।
- 2003 दिनांक 02 दिसम्बर को वन मुख्यालय ने धारा 5 से 19 तक की जांच 16 माह में पूरी किए जाने के निर्देश दिए।
- 2004 दिनांक 24 जुलाई को राज्य के मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेशानुसार वनखण्डों का संयुक्त सीमांकन किया जाकर वनखण्डों में शामिल दखल रहित भूमि की मद एवं निजी भूमि के ब्यौरे दर्ज किए गए।
- मुख्य सचिव के आदेश के बाद भी धारा 34 अ में अधिसूचित ग्रामों की डीनोटीफाइड भूमियों के राजस्व विभाग ने अभिलेख संशोधित नहीं किए।
- मुख्य सचिव के आदेश के बाद भी वन विभाग ने वनखण्डों के बाहर छूटी शेष जमीनों के निर्वनीकरण प्रस्ताव तैयार नहीं किए।
- 2005 फरवरी वन विभाग ने राजपत्र में संरक्षित वन नियम एवं वन उपज नियम अधिसूचित कर दिए।
- 2008 जनवरी से लागू वन अधिकार कानून 2006 के आदेशानुसार 829 ग्रामों में वन अधिकार समिति बनाकर डीनोटीफाइड जमीनों को समझे गए वन भूमि मान लिया गया।
- 2008 दिनांक 11 जुलाई को वनखण्डों में शामिल निजी भूमियों को बिना मुआवजा भुगतान के वर्किंग प्लान में सम्मिलित किया जाना त्रुटिपूर्ण माना गया।

- 2009 दिनांक 22 जुलाई को वन मुख्यालय ने वर्किंग प्लान में सम्मिलित निजी भूमि की वर्किंग प्लान में पृथक सूची लगाए जाने के आदेश दिए।
- 2009 दिनांक 08 दिसम्बर को वन अधिकार कानून का हवाला देकर धारा 5 से 19 तक की जांच 16 माह में पूरी किए जाने के निर्देश दिए गए।
- 2011 देश की सर्वोच्च अदालत ने सिविल अपील प्रकरण क्रमांक 19869/2010 में दिनांक 28 जनवरी को सार्वजनिक प्रयोजन की जमीनों का नियंत्रण प्रबन्धन ग्रामसभा को सौंपे जाने के आदेश दिए।
- 2012 भू–राजस्व संहिता के तहत बनाए गए दखल रहित भूमि के कृषिकरण अधिनियम में दिसम्बर 2011 तक काबिजों को पट्टे दिए जाने का संशोधन किया गया।
- 2015 अप्रैल 10 को प्रमुख सचिव वन विभाग ने धारा 29 एवं धारा 4(1) में अधिसूचित भूमियों पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज अधिकारों के अभिलेखन का आदेश दिया।
- 2015 दिनांक 01 जून को मुख्य सचिव ने वनखण्डों में शामिल निजी भूमि को वनखण्डों से पृथक किए जाने का आदेश दिया।
- 2015 दिनांक 04 जून को वन विभाग ने राजपत्र में संरक्षित वन नियम अधिसूचित कर संयुक्त वन प्रबन्धन समिति को अधिकार दे दिए।

बैतूल जिले के राजस्व अभिलेखों में राजस्व विभाग "बड़े झाड़ का जंगल, छोटे झाड़ का जंगल, झुड़पी जंगल, जंगलात, गोचर, बीड़, पड़त, चारागाह, चरनाई, घास, पानी के नीचे, सड़क रास्ते, इमारत, बाग बगीचे और आबादी, पहाड़ चट्टान पठार" मदों में गोठान, खलियान, कब्रस्तान, श्मशान, बाजार, पाठशाला और खेलकूद के मैदान, मुर्दा मवेशी चीरने फाड़ने के स्थान, जलाऊ लकड़ी, कृषि औजार की लकड़ी, झोपड़ी बनाने के बांस बल्ली लाने के स्थान, चराई के स्थान, मुरम, मिट्टी एवं पत्थर के स्थान, धार्मिक, सामाजिक रीति–रिवाजों के लिए निर्धारित स्थान, मछली पकड़ने, सन सड़ाने, सिंचाई के अधिकार, रास्तों, सड़क मार्ग से आने जाने के अधिकार आदि" प्रयोजनों के लिए जिन जमीनों को दर्ज कर रहा हैं, उन्हीं जमीनों को वन विभाग ने समानान्तर रूप से वानिकी अभिलेखों में संरक्षित वन, आरक्षित वन बनाए जाने के लिए प्रस्तावित भूमि, नारंगी वन भूमि, असीमांकित वन भूमि के रूप में दर्ज किया।

राजस्व विभाग और वन विभाग दोनों के ही पास इन भूमियों को दर्ज किए जाने से संबंधित समस्त अभिलेख एवं दस्तावेज उपलब्ध हैं, जिसके आधार पर हर तथ्य का सत्यापन किया जा सकता है। दोनों ही विभाग स्वयं के अभिलेखों में दर्ज उपरोक्त ब्यौरो से इन्कार भी नहीं कर सकते।

1958 एवं 1988 को वन विभाग द्वारा राजपत्र में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29, धारा 4(1) में प्रकाशित की गई अधिसूचनाओं के आधार पर 1988 के बाद संविधान में किए गए संशोधन संसद द्वारा बनाए गए कानून और देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा दिए गए आदेशों को माने जाने से इन्कार किया जाना एक कटु सत्य है जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था के मुंह पर तमाचा ही तो है।

बैतूल जिले में वन विभाग के वर्किंग प्लान में 71,909 हेक्टेयर वह भूमि सम्मिलित है जिसे राजस्व विभाग राजस्व अभिलेखों में दर्ज राजस्व भूमि आज भी प्रतिवेदित कर रहा है, लेकिन वन विभाग इस भूमि को संरक्षित वन भूमि ही प्रतिवेदित कर रहा है। याने 71909 हेक्टेयर भूमि दोनों ही विभाग अपनी होना आज भी बता रहे हैं। इस दोहरेपन को तो देश की सर्वोच्च अदालत भी सही करार देने का साहस नहीं कर सकती है, लेकिन इसके बाद भी इस दोहरेपन पर न्यायालय भी तो मौन ही है।

जन संगठन/सामाजिक संगठन/स्वयंसेवी संगठन, असफलता और अन्याय

भूमि सुधार की असफलता और ऐतिहासिक अन्याय के लिए भारतीय प्रजातंत्र की भूमिका और भागीदारी तो इतिहास में दर्ज है ही इस विषय पर काम करने वाले जन आन्दोलनों, सामाजिक आन्दोलनों और संगठनों की भूमिका और अनेक अवसरों पर भागीदारी भी इतिहास में दर्ज है।

अविभाजित मध्यप्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 4 करोड़ 42 लाख हेक्टेयर में से राजस्व ग्रामों की लगभग 1 करोड़ 10 लाख हेक्टेयर राजस्व भूमि को आजादी के बाद वन विभाग ने भारतीय वन अधिनियम 1927 की विभिन्न धाराओं के तहत राजपत्र में अधिसूचित कर भूमि सुधार के हर प्रयास को दफन किया।

वन विभाग द्वारा प्रारम्भ की गई जन विरोधी कार्यवाहियों का विरोध किए जाने, इन कार्यवाहियों को रोके जाने के इक्का दुक्का प्रयास ही इतिहास में दर्ज दिखाई देते हैं, उत्तरप्रदेश सोनभद्र क्षेत्र में कार्यरत वनवासी आश्रम एवं उसके प्रेमजीभाई का एक ठोस प्रयास दिखाई देता है। इसी तरह का प्रयास यदि आचार्य विनोबा भावे करते तो उन्हें भूमि दान में लेकर भूमिहीनों में वितरित किए जाने का भूदान आन्दोलन चलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इसी तरह से वामपंथी आन्दोलन मालगुजार और जमींदारों के विरूद्ध विद्रोह करने की बजाय वन विभाग की कार्यवाहियों के विरूद्ध विद्रोह करते तो संभवतः नक्सलवाद का वर्तमान स्वरूप दिखाई नहीं देता।

संगठनों और कार्यकर्ताओं की स्वयंसेविता के स्वरूप में व्यापक बदलाव आया, समाज के दर्द भरे स्वरों को शब्द देने की बजाय, सहायता आधारित प्रोजेक्टों ने एजेण्डा निर्धारित कर स्वयंसेविता को जीवन यापन का एक माध्यम बना दिया। यही बदलाव असफलता और अन्याय के इतिहास में भूमिका और भागीदारी के रूप में दर्ज होते चला गया।

एकता परिषद् ने 1998 में श्योपुर से रायगढ़ की लगभग 2800 किलोमीटर लम्बी पदयात्रा आयोजित की। इस यात्रा के दौरान इस लेखक ने "पदयात्रा के संदर्भ" नाम से पुस्तक का प्रकाशन किया। एकता परिषद् ने 2007 से ग्वालियर से दिल्ली की पदयात्रा आयोजित की। इस अवसर पर भी लेखक ने पांच पुस्तक लिखी, जिसे एकता परिषद् ने प्रकाशित किया। नारंगी भूमि के नाम पर एक अन्य प्रकाशन किया। एकता परिषद् ने ही जनादेश 2013 का पुनः आयोजन कर ग्वालियर से दिल्ली पदयात्रा की इस अवसर पर लेखक ने भूमि सुधार की असफलता और ऐतिहासिक अन्याय से जुड़े विषयों पर सुझाव भी दिए।

एकता परिषद् ने इस लेखक के सुझाव एवं उपलब्ध करवाए गए प्रमाणों के आधार पर सर्वोच्च अदालत की याचिका क्रमांक 202/95 में सहयोग के लिए बनाई गई सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी के समक्ष 22 जुलाई 2003 को आजादी के बाद वन विभाग की कार्यवाही से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किया। इन समस्त प्रमाणों के बाद भी एकता परिषद् आजादी के बाद भूमि सुधार की असफलता और समाज पर किए गए ऐतिहासिक अन्याय और उन्हें दूर किए जाने से संबंधित संसद और विधानसभा द्वारा बनाए गए कानूनों एवं न्यायालीन आदेशों के दायरे में जनजातीय समुदाय एवं जंगलों पर आश्रित समुदाय की पीड़ा को स्वर और शब्द दिए जाने में असफल रही। बल्कि पीड़ा को अनसुना कर भूमि सुधार के एक और नए

कानून को बनाए जाने की जिद करते रही।

संसद द्वारा आजादी के बाद ऐतिहासिक अन्याय की स्वीकारोक्ति के साथ ही वन अधिकार कानून 2006 पारित किया। इसे मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में भी जनवरी 2008 से लागू किया। इस कानून के सफल क्रियान्वयन को लेकर एकता परिषद् सहित अनेक स्वयंसेवी संगठनों ने सहायता आधारित बड़े–बड़े प्रोजेक्टों के सहारे समाज पर किए गए अन्याय दूर किए जाने का बीड़ा उठाया, लेकिन इन सभी के प्रयास अन्याय तो दूर नहीं कर पाए, बल्कि वानिकी प्रबन्धकों के द्वारा इस कानून का सहारा लेकर स्थापित कुछ अन्याय की आधारशिला रखे जाने में सहयोगी की भूमिका ही निभाते रहे हैं।

सिविल सोसायटी और वन अधिकार कानून के संदर्भ में अज्ञानता, अक्षमता और अयोग्यता को लेकर इसी पुस्तक में मैंने विस्तार से उदाहरण एवं प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। आजादी के पहले समाज के सामुदायिक, परम्परागत, रूढ़िक अधिकारों एवं सार्वजनिक, निस्तारी, प्रयोजनों के लिए राजस्व अभिलेखों में दर्ज ब्यौरो के आधार पर वन अधिकार कानून 2006 की धारा 3(1) उपधारा, ख,ग,घ,ड़ के अनुसार भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4(1) एवं धारा 20 में अधिसूचित की गई भूमियों और देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा याचिका क्रमांक 202/95 में परिभाषित की गई वनभूमियों पर सामुदायिक वन अधिकार सौंपे जाने की मुहिम राज्य सरकारों ने तो नहीं चलाई, सिविल सोसायटी ने भी यह मुहिम नहीं चलाई, बल्कि जनजातीय समुदाय एवं जंगलों पर आश्रित समुदाय के बीच में काम करने का दावा करने वाली सिविल सोसायटी ने इस मुहिम को प्रक्रियाओं पर आश्रित बना कर समाज को सामुदायिक अधिकारों से वंचित किए जाने वाली साजिशों में सहयोगी के रूप में ही अन्जाम दिया है।

वन संरक्षण कानून 1980 लागू किए जाने तक वन विभाग ने राजपत्र में भूमियों को डीनोटीफाइड किया। वन विभाग ने 1966 एवं 1975 में व्यवस्थापना हेतु भूमियों का अन्तरण भी किया। इस तरह की लगभग 60 लाख एकड़ भूमि को काबिजों, भूमिहीनों एवं आवासहीनों में वितरित किए जाने की मुहिम चलाए जाने की बजाय इन भूमियों में से कुछ नाममात्र की भूमि पर काबिजों को वन अधिकार पत्र दिए जाने की मुहिम में जनवरी 2008 से सिविल सोसायटी ने बढ़–चढ़ कर हिस्सा लिया।

उपरोक्त दोनों ही उदाहरणों को लेकर सिविल सोसायटी, जन आन्दोलन, संगठन और संस्थाओं की भूमिका इतिहास में दर्ज है जो असफलताओं और अन्याय में उनकी भागीदारी को भी प्रमाणित कर रही हैं। वन अधिकार कानून या उसके तहत बनाए जाने वाले नियमों के संदर्भ में बुद्धिजीवियों एवं विशेषज्ञों की समितियां बनाई गई, कानून बनाए जाने के बाद उसके क्रियान्वयन के लिए भी बुद्धिजीवियों एवं विशेषज्ञों की समितियां बनाई गई जिसके परिणाम असफलता के रूप में ही इतिहास में दर्ज होते चले गए हैं।

भूमि के अर्जन से संबंधित विषय को लेकर भी सिविल सोसायटी लगातार प्रयास करना बताते आई और आज भी वह प्रयास कर रही है, लेकिन मध्यप्रदेश के वन विभाग ने लगभग एक लाख किसानों की निजी भूमि बिना मुआवजा दिए अपने कब्जे में ले ली, जिसे मुक्त किए जाने का आदेश मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव ने 01 जून 2015 को दिया। छत्तीसगढ़ शासन इस तरह की निजी भूमि से कब्जा छोड़े जाने के लिए आज भी तैयार नहीं है। इन भूस्वामियों जिनमें अधिकांश आदिवासी हैं। पिछले 40–50 साल से वन विभाग के अन्याय और अत्याचार से पीड़ित है, को लेकर सिविल सोसायटी ने हर स्तर पर चुप्पी साधे रखी जो एक बार फिर उनकी असफलता और अक्षमता को प्रमाणित इतिहास का हिस्सा बना चुकी है।

मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य के तत्कालीन मालगुजार, जमींदार से भूमि अर्जित किए जाने के 1950 में कानून बनाए गए इन कानूनों के अनुसार गैर कृषि भूमि जिन्हें राजस्व विभाग "बड़े झाड़ का जंगल, छोटे झाड़ का जंगल, झुड़पी जंगल, जंगलात, गोचर, बीड़, पड़त, चारागाह, चरनाई, घांस, पानी के नीचे, सड़क रास्ते, इमारत, बाग बगीचे और आबादी, पहाड़ चट्टान पठार" मदों में गोठान, खलियान, कब्रस्तान, श्मशान, बाजार, पाठशाला और खेलकूद के मैदान, मुर्दा मवेशी चीरने फाड़ने के स्थान, जलाऊ लकड़ी, कृषि औजार की लकड़ी, झोपड़ी बनाने के बांस बल्ली लाने के स्थान, चराई के स्थान, मुरम, मिट्टी एवं पत्थर के स्थान, धार्मिक, सामाजिक रीति रिवाजों के लिए निर्धारित स्थान, मछली

पकड़ने, सन सड़ाने, सिंचाई के अधिकार, रास्तों, सड़क मार्ग से आने जाने के अधिकार आदि" प्रयोजनों के लिए दर्ज करता था, अर्जित की गई।

भूमि सुधार एवं अन्याय मुक्त व्यवस्था की अवधारणा के अनुसार अर्जित की गई इन भूमियों को भारत सरकार की विज्ञप्ति क्रमांक जे. 124 दिनांक 25 अगस्त 1950 के अनुसार वन विभाग के नियंत्रण और प्रबन्धन में लिया जाकर भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के तहत संरक्षित वन अधिसूचित कर दिया गया।

1956 में राज्यों का पुनर्गठन किए जाने के बाद राज्य सरकार ने कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम 1960 बनाकर राजपत्र में 01 अक्टूबर 1960 को अधिसूचित कर दिया। इस कानून में कृषि भूमि की अधिकतम सीमा 108 एकड़ निर्धारित की गई। राज्य सरकार ने इस अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधन 1972 में किया, जिसके अनुसार अधिकतम भूमि की सीमा 108 एकड़ से घटाई जाकर 18 हेक्टेयर निर्धारित की गई।

भूमि सुधार की असफलता के लिए जन आन्दोलन या सामाजिक आन्दोलन या स्वयंसेवी संगठन मालगुजार एवं जमींदार को ही जिम्मेदार बता–बता कर हर मंच से कोसते नजर आ जाते हैं बस यही इनकी असफलता का कारण रहा है क्योंकि भूमि सुधार की असफलता का एक मात्र कारण राजस्व अभिलेखों में दर्ज राजस्व भूमियों को वन भूमि मानकर वन विभाग के द्वारा की गई कार्यवाहियां ही रही हैं। इन्हीं कार्यवाहियों में भूमि सुधार की सफलता का विकल्प भी उपलब्ध है तो इन्हीं कार्यवाहियों में आजादी के बाद किए गए ऐतिहासिक अन्याय दूर किए जाने का भी विकल्प उपलब्ध हैं।

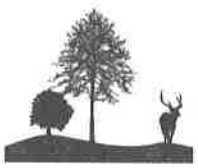

बुद्धिजीवियों, विशेषज्ञों की इतिहास में दर्ज भूमिका

आजादी के बाद भूमि सुधार की असफलता और आजादी के बाद ऐतिहासिक अन्याय के इतिहास में बुद्धिजीवियों एवं विशेषज्ञों द्वारा निभाई गई भूमिका, भागीदारी दोनों ही दर्ज हैं। लेखक ने अनुसूचित जनजाति (वन अधिकारों पर मान्यता) विधेयक 2005 के संदर्भ में "ऐतिहासिक अन्याय, जिम्मेदार कौन" शीर्षक से पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में लैण्ड रिफार्म मैनुअल और उसके क्रियान्वयन को लेकर बनाई गई समिति से संबंधित विषय को रखा वहीं ऐतिहासिक सुधार के बाद विषय को भी रखा। यह दोनों ही आलेख में इस पुस्तक में यथावत प्रस्तुत कर रहा हूँ।

भारत सरकार के द्वारा बनाई गई विशेषज्ञों की समिति के सदस्यों से लेखक को चर्चा के अवसर मिले। लेखक ने उनके सामने अपनी पुस्तक भी रखी और संबंधित सुझाव भी रखे। पूर्व प्रशासनिक अधिकारी समिति में बुद्धिजीवियों एवं विशेषज्ञों की भूमिका निभाते आए जो अपने स्वयं के कार्यकाल के दौरान किए गए अन्यायों, षड़यंत्रों और साजिशों को दबे स्वर में तो स्वीकारने लगे, लेकिन उसका विकल्प प्रस्तुत कर अन्याय मुक्त व्यवस्था कायम किए जाने से तत्कालीन स्थितियों का उल्लेख कर इन्कार भी करते रहे।

भारत सरकार द्वारा कानून एवं नियम के संदर्भ में बनाई गई समितियों में पर्यावरण के अन्तर्राष्ट्रीय एजेण्डे के पैरवीकार भी शामिल रहे जो वानिकी प्रबन्धन के सहयोगी और शुभचिन्तक की भूमिका के लिए जाने, पहचाने चेहरे रहे हैं। इस तरह के चेहरों को लेकर बनाई गई समिति से वानिकी प्रबन्धकों के अन्याय और अत्याचार का विकल्प प्रस्तुत किए जाने की कल्पना नहीं की जा सकती थी और वही हुआ भी।

असफलता के इतिहास पर बुद्धिजीवियों एवं विशेषज्ञों से हुई चर्चा के दौरान अनेक अवसर ऐसे भी आए जिसमें कारणों को तलाश कर भूलों को स्वीकार भी किया गया। आजादी के बाद राजस्व विभाग के द्वारा की गई कार्यवाहियों को राजस्व विभाग की कार्यवाही और वन विभाग के द्वारा की गई कार्यवाहियों को वन विभाग के द्वारा की गई कार्यवाही माना जाकर बुद्धिजीवी एवं विशेषज्ञ अपनी राय व्यक्त करते रहे, जिसे असफलता के रूप में स्वीकारा भी गया। राजस्व भूमियों को वन भूमि माना जाकर की गई समानान्तर कार्यवाहियों पर ध्यान न दिया जाना गंभीर भूल होना स्वीकार भी किया गया। बुद्धिजीवी एवं विशेषज्ञ अपनी स्वयं की असफलता और भूल को सार्वजनिक मंच पर स्वीकारने का अभी तक साहस नहीं कर पाए।

ठोस, स्थाई और विवाद रहित व्यवस्था

ग्राम संसाधन पंजी

जंगल, जमीन और अधिकारों के संबंध में वन विभाग एवं वानिकी प्रबन्धन के द्वारा 24 अगस्त 1950 से प्रारम्भ की गई विवादित कार्यवाहियों का समाधान या किए गए ऐतिहासिक अन्यायों का विकल्प किसी नया कानून बना दिए जाने से संभव नहीं है। इस विषय पर यदि न्यायपालिका के समक्ष सही स्थितियों को प्रस्तुत नहीं किया गया तो न्यायालीन आदेश से भी विवाद रहित ठोस एवं स्थाई व्यवस्था कायम नहीं की जा सकती।

जंगल, जमीन, अधिकार, जनजातीय समुदाय एवं जंगलों पर आश्रित समुदाय से संबंधित भारतीय संविधान, संविधान की 5वीं अनूसूची एवं 11वीं अनूसूची में दिए गए प्रावधानों, भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 एवं धारा 3 से 20 तक में दिए गए प्रावधानों, म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 के अध्याय 18 में दिए गए प्रावधानों, पेसा कानून 1996 में दिए गए प्रावधानों, वन अधिकारों पर मान्यता कानून 2006 में दिए गए प्रावधानों को लागू किया जाकर अन्याय मुक्त, अधिकार युक्त व्यवस्था कायम किए जाने हेतु प्रशासकीय उदासीनता एवं प्रशासकीय त परवाहियों को दूर किया जाकर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ संकल्पपूर्ण कार्यवाही की आवश्यकता को स्वीकारना होगा।

मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य के राजस्व विभाग एवं वन विभाग के पास उपलब्ध अभिलेखों, दस्तावेजों के आधार पर यदि ग्राम संसाधन पंजी बनाकर संलग्न 14 प्रारूपों में जानकारी का संकलन कर उनका मिलान किया जाता है तो विवाद रहित ठोस एवं स्थाई विकल्प उपलब्ध हैं जिसके लिए वर्तमान में किसी कानून में परिवर्तन की भी आवश्यकता नहीं है, किसी नए कानून की तो आवश्यकता है ही नहीं।

- ग्राम संसाधन पंजी के आधार पर वनखण्ड के बाहर छोड़ी गई, राजस्व विभाग को अन्तरित की गई, डीनोटीफाईड की गई भूमियों का काबिजों, आवासहीनों एवं भूमिहीनों में वितरण किया जा सकता है।
- ग्राम संसाधन पंजी के आधार पर वनखण्ड में शामिल हस्तानान्तरित एवं अहस्तानान्तरित भूमियों पर 1950 में प्रचलित अधिकारों एवं प्रयोजनों को मान्यता दी जाकर पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाया जा सकता है, निजी भूमि से पीड़ित एवं प्रभावितों को भी न्याय दिया जा सकता है।
- ग्राम संसाधन पंजी के आधार पर ही वन भूमि एवं राजस्व भूमि के विवादित आंकड़ों की गंभीर विसंगतियों को दूर किया जा सकता है, वन और राजस्व भूमि के बीच में कायम विवादों का हल निकाला जा सकता है।
- ग्राम संसाधन पंजी के आधार पर ही वन संरक्षण कानून 1980 के दुरूपयोग पर रोक लगाई जा सकती है 14 मई 1996 को नारंगी भूमि के नाम पर जारी परीपत्र के आधार पर हुए दुरूपयोग एवं याचिका क्रमांक 202/95 में 12 दिसम्बर 1996 के आदेश के आधार पर किए गए दुरूपयोग को भी दूर किया जा सकता है।

वैश्विक चिन्ताओं और वैश्विक एजण्डे को आधार बनाकर ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण संरक्षण, वन्य प्राणी संरक्षण, जैव

विविधता संरक्षण, वनों की सुरक्षा और विकास जैसे विषयों की असफलताओं को यदि सफलता में बदला जाना है तो अधिकार पूर्ण, विवाद रहित व्यवस्था को कायम किया जाना वास्तविक भागीदारी को कायम किया जाना आवश्यक है, यही व्यवस्था नक्सलवाद का भी सबसे उपयुक्त विकल्प बन सकती है।

"राजस्व विभाग के अभिलेख एवं दस्तावेज"

ग्राम संसाधन पंजी में दिए गए प्रारूपों में जानकारी संकलित किए जाने हेतु राजस्व विभाग के जिला अभिलेखागार, तहसील अभिलेखागार में आवश्यक दस्तावेज एवं अभिलेख उपलब्ध हैं, कलेक्टर कार्यालय, तहसील या उप तहसील कार्यालय, भू–अधीक्षक कार्यालय में भी आवश्यक जानकारियां उपलब्ध हैं।

1. आजादी के पूर्व बनाई गई मिसल बन्दोबस्त
2. आजादी के बाद जमींदार, मालगुजार, जागींरदार से अर्जित भूमि के प्रकरण
3. आजादी के पूर्व बनाया गया बाजिबुल अर्ज
4. आजादी के पूर्व रैय्यतवारी, मसाहती ग्रामों की सार्वजनिक भूमियों का पत्रक
5. आजादी के बाद बनाए गए निस्तार पत्रक
6. आजादी के बाद सार्वजनिक भूमियों या दखल रहित भूमि के जमाबन्दी, खसरा पंजी में दर्ज ब्यौरे
7. आजादी के बाद किए गए बन्दोबस्त, चकबन्दी, अधिकार अभिलेख में सार्वजनिक भूमि या दखल रहित भूमि के दर्ज ब्यौरे
8. आजादी के बाद की मौजावार पंजी
9. आजादी के बाद भूमि के प्रयोजन बदलने, भूमि आवंटित करने के प्रकरण
10. आजादी के बाद सार्वजनिक प्रयोजन एवं दखल रहित भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के मौजावार पंजी में दर्ज ब्यौरे
11. कलेक्टर कार्यालय तहसील एवं उप तहसील कार्यालय की दायरा पंजी
12. तहसील अभिलेखागार में संधारित संशोधन पंजी
13. तहसील अभिलेखागार में संधारित खसरा पंजी
14. भू– अधीक्षक कार्यालय में वनभूमि आवंटित करने के संधारित आदेश
15. 24 जुलाई 2004 के मुख्य सचिव के आदेशानुसार किए गए सीमांकन की रिपोर्ट या पंजी
16. 12 दिसम्बर 1996 के बाद परिभाषित वन भूमियों को लेकर तैयार की गई रिपोर्ट।

"वन विभाग के अभिलेख एवं दस्तावेज"

वन विभाग के द्वारा गठित वर्किंग स्कीम इकाई, भू–प्रबन्धन इकाई और नारंगी क्षेत्र इकाई के द्वारा तैयार किए गए अभिलेख एवं दस्तावेज सामान्य वनमंडलों की मानचित्रकार शाखा में या इकाइयों को समाप्त किया जाकर उनके अभिलेखों को जिन वनवृत कार्यालय या वनमंडल कार्यालय में सौंपा गया हैं उनमें उपलब्ध हैं।

1. आजादी के बाद बनाई गई वर्किंग स्कीम सर्किल या प्रबन्धन योजना इकाई से संबंधित जारी आदेश, निर्देश, परिपत्र
2. संरक्षित वन अधिसूचित किए जाने के आदेश या अधिसूचनाएं

3. सर्वे डिमारकेशन रिपोर्ट
4. सर्वे कम्पलीशन रिपोर्ट
5. संरक्षित वन क्षेत्रफल पंजी
6. संरक्षित वन भूमि की ब्लॉक हिस्ट्री एवं उसमें लगा हुआ मानचित्र
7. राजस्व विभाग को अन्तरित भूमि की सूची
8. राजपत्र में धारा 34अ की प्रकाशित की गई अधिसूचनाऐं
9. 31.12.1976 एवं 24.10.1980 तक के अतिक्रमणकारियों की सूची
10. अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध दर्ज वन अपराधों की पंजी
11. 1980 के पूर्व गैरवानिकी कार्यो हेतु आवंटित संरक्षित वन भूमि के आदेश
12. वन संरक्षण कानून के तहत प्राप्त वैकल्पिक भूमि के विवरण
13. वन संरक्षण कानून के तहत धारा 29 एवं धारा 4(1) में अधिसूचित भूमि पर दी गई अनुमतियों के विवरण
14. वन विकास निगम को आवंटित धारा 29 एवं धारा 4(1) में अधिसूचित भूमि के विवरण
15. वन व्यवस्थापन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नस्ती में बताई गई भूमि के विवरण
16. 24 जुलाई 2004 के मुख्य सचिव के आदेशानुसार किए गए सीमांकन के अभिलेख
17. वर्किंग प्लान एवं कम्पार्टमेन्ट हिस्ट्री
18. नारंगी भूमि इकाई को राजस्व विभाग से प्राप्त अभिलेख एवं सर्वे रिपोर्ट
19. न्यायालीन आदेश 12 दिसम्बर 1996 के बाद बनाई गई रिपोर्ट

असफलता और अन्याय के विकल्प पर सुझाव

1956 में पुनर्गठित मध्यप्रदेश में भूमि जैसे विषय को लेकर की गई फर्जी और समानान्तर कार्यवाहियों के कारण भूमि सुधार की असफलता और ऐतिहासिक अन्याय की जिस इमारत का राज्य सरकार ने निर्माण किया है उसे लेकर संसद, विधानसभा और न्याय व्यवस्था यदा कदा विकल्पों पर चर्चा भी करते रही है, प्रयास भी करते आई है, लेकिन हर प्रयास एक नए अन्याय का कारण भी बना है।

संविधान, संसद और विधानसभा के बनाए गए कानून और देश की न्याय व्यवस्था के द्वारा दिए गए आदेश के दायरे में रहा जाकर इतिहास को सुधारा जा सकता है जिसके लिए किसी नए कानून या न्यायालीन आदेश की कोई आवश्यकता नहीं है।

आजादी के पूर्व इजमेन्ट राइट्स के लिए दर्ज संसाधनों और आजादी के बाद सामुदायिक व्यवस्था के रूप में दर्ज संसाधनों को वन विभाग ने भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29, धारा 4(1), धारा 20 और धारा 34अ के अनुसार राजपत्र में अधिसूचित किया, लेकिन स्वयं के द्वारा बनाई गई व्यवस्था का स्वयं ने ही पालन नहीं किया।

वानिकी प्रबन्धन को पूरी की पूरी प्रजातांत्रिक व्यवस्था ने भरपूर और अंधा समर्थन तो दिया ही अति विश्वास भी किया, जिसका वानिकी प्रबन्धन ने लगातार दुरूपयोग कर पूरी की पूरी व्यवस्था को बेबस, लाचार और बौना बना दिया इस पूरे परिदृश्य में राजस्व प्रबन्धन अपने स्वयं की कार्यवाहियों और स्वयं के लिए स्थापित की गई व्यवस्थाओं का स्वयं ही सम्मान बचाए जाने में असफल तो रहा ही साथ ही वानिकी प्रबन्धन के इशारों पर कदम ताल भी करते रहा है।

1996 में न्याय व्यवस्था ने प्रभावी हस्तक्षेप कर वन और वन भूमि की व्याख्या एवं परिभाषा की इसके बाद राज्य सरकार ने स्वयं के इतिहास का अवलोकन करने की बजाय एक नया इतिहास लिखे जाने की कवायदे कर स्थिति को और भी अधिक पेचीदा बना कर अपनी असफलताओं, विफलताओं, अयोग्यताओं और अक्षमता सहित गैर जवाबदेही और गैर जिम्मेदारी का एक नया इतिहास ही लिखा है।

मेरा मानना है कि इस पूरी स्थिति को तीन अलग–अलग हिस्सों में देखे जाने की आवश्यकता है, पहले हिस्से में वन विभाग एवं राजस्व विभाग के पास उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर भूमि संबंधी कार्यवाहियों को यथावत संकलित किया जाए, दूसरे हिस्से में इन संसाधनों को लेकर संसद और विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून और न्यायपालिका द्वारा दिए गए आदेशों के आधार पर की गई गलतियों का स्पष्ट मूल्यांकन किया जाए और तीसरे हिस्से में गलतियों को सुधारा जाकर भविष्य का निर्धारण किया जाए।

इन तीन हिस्सों में से पहले हिस्से को लेकर सीधी जिले के गोपदबनास से विधायक के.के. सिंह (भंवर राजा) ने आरेंज एरिया के नाम से साफ्टवेयर भी तैयार किया। इन तीनों ही हिस्सों में से पहले और दूसरे हिस्से को लेकर दिल्ली के अधिवक्ता श्री विदेह उपाध्याय एवं उनके छोटे भाई कम्प्यूटर/साफ्टवेयर इंजीनियर श्री मनीष उपाध्याय ने अपने साथियों के साथ मिलकर साफ्टवेयर तैयार किया। इन दोनों ही तैयारियों को और भी अधिक कारगर बनाया जाकर

प्रभावशाली तरीके से उनका उपयोग किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य के राजस्व ग्रामों में लगभग एक चौथाई भूमि इजमेन्ट राइट्स या सामुदायिक संसाधनों के रूप में विभिन्न मदों, विभिन्न अधिकारों एवं विभिन्न प्रयोजनों के लिए दर्ज रही हैं जिसे भारतीय वन अधिनियम 1927 की विभिन्न धाराओं के तहत वन संरक्षण कानून 1980 लागू होने तक अधिसूचित किया और इन्हीं संसाधनों को याचिका क्रमांक 202/95 में परिभाषित और आदेशित किया गया।

राजस्व विभाग एवं वन विभाग के द्वारा 1950 से प्रारम्भ की गई समानान्तर कार्यवाहियों को "ग्राम संसाधन पंजी" बनाई जाकर उसमें यथावत दर्ज किया जा सकता है। ग्राम संसाधन पंजी समस्त विवादों विकल्पों और भविष्य का स्थाई अभिलेख बन सकती है।

वन विभाग के द्वारा 1960 से प्रारम्भ किए गए सर्वे डिमारकेशन के दौरान जिन भूमियों को वानिकी प्रबन्धन के लिए अनुपयुक्त पाकर वनखण्डों के बाहर छोड़ा उनमें से बहुत सी जमीन अन्तरित कर दी, डीनोटीफाइड कर दी गई, ऐसी जमीनों सहित शेष बची वनखण्ड के बाहर छोड़ी गई जमीनों पर काबिजों, भूमिहीनों एवं आवासहीनों को भूमि के अधिकार सौंपे जाकर भूमि सुधार की असफलताओं को बहुत हद तक सफलता में बदला जा सकता है।

वानिकी प्रबन्धन ने जिन जमीनों को धारा 4(1) एवं धारा 20 में अधिसूचित कर दिया या नारंगी भूमि और असीमांकित वन बताया जाकर अपने नियंत्रण और प्रबन्धन में ले लिया। देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा परिभाषित और आदेशित किया उन जमीनों पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज अधिकार और प्रयोजनों को वन अधिकार कानून 2006 की धारा 3(1) उपधारा ख,ग,घ,ड़ के अनुसार यथावत लेखबद्ध किया जाकर समाज को उसके सामुदायिक अधिकार सौंपे जा सकते हैं।

इन भूमियों को वन भूमि मान लिए जाने पर या इन भूमियों को सामुदायिक संसाधन मान लिए जाने पर इनके अन्य उपयोग पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है या उपयोग के बदले वैकल्पिक भूमि उपलब्ध करवाए जाने की व्यवस्था वर्तमान में भी लागू हैं।

भारतीय संविधान, संसद और विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून एवं अदालतों द्वारा दिए गए आदेशों का उल्लंघन, अवेहलना, दुरूपयोग और अवमानना रोकी जाकर इन सभी पर विश्वास किए जाने, इनका सम्मान किए जाने का फिलहाल यही एक विकल्प है। आजादी के बाद भूमि सुधार की असफलता, आजादी के बाद ऐतिहासिक अन्याय और आजादी के बाद फर्जी आंकड़ों के इतिहास का भी यही वर्तमान में विवाद रहित विकल्प हो सकता है।

पंचायती राज व्यवस्था और समाज की सशक्त भूमिका का निर्माण किया जाकर ही पर्यावरण की वैश्विक चिन्ताओं में भागीदारी निभाई जा सकती है।

ग्राम संसाधन पंजी के प्रारूप

1. ग्राम संसाधन पंजी का मुख्य पृष्ठ (वन विभाग एवं राजस्व विभाग)
2. सर्वे डिमारकेशन में शामिल भूमि का विवरण (वन विभाग)
3. वनखण्ड में शामिल भूमि का विवरण (वन विभाग)
4. वनखण्ड के बाहर छोड़ी गई भूमि का विवरण (वन विभाग)
5. वनखण्ड में शामिल भूमि में से आरक्षित वन घोषित एवं आवंटित भूमि का विवरण (वन विभाग)
6. नारंगी भूमि मानकर की गई कार्यवाही की जानकारी का विवरण (वन विभाग)
7. नारंगी भूमि में से वर्किंग प्लान में शामिल भूमि का विवरण (वन विभाग)
8. 24 अक्टूम्बर 1980 के बाद वैकल्पिक भूमि के रूप में वन विभाग द्वारा प्राप्त भूमि का विवरण (वन विभाग)
9. 1950 के राजस्व अभिलेखों में निजी भूमि कृषि भूमि छोड़कर दर्ज अन्य भूमियों की जानकारी (राजस्व विभाग)
10. म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 के अध्याय 18 में बताई गई दखल रहित भूमि एवं परिवर्तन की जानकारी (राजस्व विभाग)
11. सिलिंग एक्ट या भूदान कानून के तहत आवंटित भूमि की जानकारी (राजस्व विभाग)
12. ग्रामीण अधोसंरचना विकास हेतु ग्राम की शासकीय भूमि के उपयोग का विवरण (राजस्व विभाग)
13. वन विभाग के द्वारा सर्वे में शामिल वनखण्ड में अधिसूचित भूमि की राजस्व अभिलेखों में दर्ज मद एवं प्रयोजन (वन एवं राजस्व विभाग)
14. वन विभाग द्वारा अन्तरित / डीनोटीफाईड भूमि की राजस्व अभिलेखों में दर्ज विवरण (वन एवं राजस्व विभाग)
15. भूमि बंटन हेतु उपलब्ध भूमि का अंतिम पत्रक (वन एवं राजस्व विभाग)

ग्राम संसाधन पंजी

ग्राम का नाम : .....

ग्राम की श्रेणी (मालगुजारी / जमीदारी / रैय्यतवारी / मसाहती) : .....

ग्राम पंचायत : .....

विकासखंड : .....

राजस्व निरीक्षक वृत : .....

वन परीक्षेत्र : .....

	1950	1960	1980	2000	2011
प.ह. नंबर					
बन्दोबस्त नंबर					
खाते का रकबा					
गैर खाते का रकबा					
वनखण्ड का रकबा					
आरक्षित वन का रकबा					
पट्टे पर दिया रकबा					
अभिलेख से पृथक रकबा					

बन्दोबस्त या चकबन्दी का वर्ष : .....

अधिकार अभिलेख बनाए जाने का वर्ष : .....

वन भूमि का सर्वे डिमारकेशन का वर्ष : .....

वनखण्ड में अधिसूचना का दिनांक : .....

आरक्षित वन की अधिसूचना का दिनांक : .....

तहसीलदार **वनपरीक्षेत्राधिकारी**

प्रारूप क्रमांक – 1 (वन विभाग)

सर्वे डिमारकेशन में शामिल भूमि का विवरण

सर्वे डिमारकेशन में शामिल भूमि का		इनक्लूडिंग इन ब्लॉक का रकबा	लेफ्ट आउट बताया गया रकबा					अन्य कोई विवरण
ख.क्र.	रकबा		स्टेटरिंग	आईसोलेटेड	मिस पेचेज	इनक्रोच	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्रारूप क्रमांक – 2 (वन विभाग)

वनखण्ड में शामिल भूमि का विवरण

वनखण्ड का नाम ..... अधिसूचना दिनांक ..... वनखण्ड का कुल रकबा .....

वनखण्ड में शामिल ग्राम का रकबा .....

वनखण्ड में शामिल हस्तानान्तरितभूमि				वनखण्ड में शामिल अहस्तानान्तरित भूमि				वनखण्ड में शामिल निजी भूमि			अन्यकोई विवरण
ख.क्र.	रकबा	मद	प्रयोजन	ख.क्र.	रकबा	मद	प्रयोजन	ख. क्र.	रकबा	किसान का नाम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

प्रारूप क्रमांक – 3 (वन विभाग)

वनखण्ड के बाहर छोड़ी गई भूमि का विवरण

सर्वे डिमारकेशन रिपोर्ट में वनखण्ड के बाहर छोड़ी गई भूमि का		ब्लॉक हिस्ट्री के अनुसार वनखण्ड के बाहर छोड़ी गई भूमि				वनखण्ड के बाहर छोड़ी गई भूमि में से					
ख. क्र.	रकबा	हस्तानान्तरित		अहस्तानान्तरित		अन्तरित		डीनोटीफाईड		आवंटित	
		ख.क्र.	रकबा	ख.क्र.	रकबा	रकबा	दिनांक	रकबा	अधिसूचना दि.	रकबा	दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

प्रारूप क्रमांक – 4 (वन विभाग)

वनखण्ड में शामिल भूमि में से आरक्षित वन घोषित एवं आवंटित भूमि का विवरण

आरक्षित वन घोषित किए जाने की			आवंटित की गई भूमि एवं डीनोटीफाईड की गई भूमि				
अधिसूचना दि.	ख. क्र.	रकबा	दिनांक	ख. क्र.	रकबा	किसे आवंटित किया गया नाम	डीनोटीफाईड किया गया हो तो दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रारूप क्रमांक – 5 (वन विभाग)

नारंगी भूमि मानकर की गई कार्यवाही की जानकारी का विवरण

प्रारंम्भिक सर्वे में शामिल भूमि की राजस्व अभिलेख क अनुसार जानकारी				प्रारम्भिक सर्वे में शामिल भूमि में से 1980 के पूर्व धारा 27 या 34अ के तहत डीनोटीफाईड भूमि का विवरण	
खसरा नंबर	रकबा	भूमि की मद	भूमि का प्रयोजन	रकबा	अधिसूचना दिनांक
1	2	3	4	5	6

प्रारूप क्रमांक – 6 (वन विभाग)

नारंगी भूमि में से वर्किंग प्लान में शामिल भूमि का विवरण

प्रारंम्भिक सर्वे में शामिल भूमि में से					वर्किंग प्लान में शामिल की गई भूमि का विवरण		
उपयुक्त पाई भूमि का		अनुपयुक्त पाई भूमि का					
खसरा क्र.	रकबा	खसरा क्र.	रकबा	कारण	खसरा क्र.	रकबा	धारा 4(1) की अधिसूचना दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रारूप क्रमांक – 7 (वन विभाग)

24 अक्टूम्बर 1980 के बाद वैकल्पिक भूमि के रूप में वन विभाग द्वारा प्राप्त भूमि का विवरण

वैकल्पिक भूमि के रूप में प्राप्त भूमि का			राजस्व अभिलेखों में प्राप्त भूमि की		वैकल्पिक भूमि के रूप में प्राप्त भूमि में से				
खसरा क्रमांक		रकबा	मद	प्रयोजन	सर्वे डिमार्केशन में शामिल भूमि का रकबा	अन्तरित / डी नोटीफाईड की गई भूमि का रकबा	नारंगी भूमि के सर्वे में शामिल भूमि का रकबा	धारा 29 या 4(1) में अधिसूचित किया	
पुराना	नया							रकबा	अधिसूचना दि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्रारूप क्रमांक – 1 (राजस्व विभाग)

1950 के राजस्व अभिलेखों में निजी कृषि भूमि छोड़कर दर्ज अन्य भूमियों की जानकारी

खसरा क्रमांक	रकबा	भूमि की मद	भूमि का प्रयोजन	अन्य कोई विवरण
1	2	3	4	5

प्रारूप क्रमांक – 2 (राजस्व विभाग)

म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के अध्याय 18 में बताई गई दखल रहित भूमि एवं परिवर्तन की जानकारी

1959 के राजस्व अभिलेखों के अनुसार				वर्तमान राजस्व अभिलेखों के अनुसार					भूमि को यदि आवंटित किया हो तो नाम	आवंटन दिनांक	भूमि को यदि पृथक कर दिया गया हो तो		भूमि यदि वन विभाग के नाम से दर्ज हो तो	
ख. क्र.	रकबा	मद	प्रयोजन	खसरा क्रमांक		रकबा	मद	प्रयोजन			रकबा	वर्ष	रकबा	वर्ष
				पुराना	नया									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

प्रारूप क्रमांक – 3 (राजस्व विभाग)

सिलिंग एक्ट या भूदान कानून के तहत आवंटित भूमि की जानकारी

खसरा क्रमांक	रकबा	पूर्व भूस्वामी का नाम	पट्टेधारी का नाम	आवंटित भूमि	आवंटन आदेश	विवाद हो तो कारण	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रारूप क्रमांक – 4 (राजस्व विभाग)

ग्रामीण अधोसंरचना विकास हेतु ग्राम की शासकीय भूमि के उपयोग का विवरण

शासकीय भूमि या दखल रहित भूमि का				अधोसंरचना विकास का ब्यौरा				
ख. क्र.	रकबा	मद	प्रयोजन	उपयोग में ली गई भूमि का रकबा	विभाग का नाम	निर्माण का वर्ष	कलेक्टर का आदेश दिनांक	वर्तमान राजस्व अभिलेखों में दर्ज ब्यौरा
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्रारूप क्रमांक – 1 (वन एवं राजस्व विभाग)

वन विभाग द्वारा सर्वे में शामिल वनखण्ड में अधिसूचित भूमि की राजस्व अभिलेखों में दर्ज मद एवं प्रयोजन

सर्वे डिमार्केशन में शामिल भूमि में से				वनखण्ड में शामिल की गई भूमि						राजस्व अभिलेखों में दर्ज भूमि की		
उपयुक्त पाई भूमि का		अनुपयुक्त पाई भूमि का		हस्तान्तरित		अहस्तान्तरित		निजी भूमि		मद	प्रयोजन	निजी भूमिधारी का नाम
ख. क्र.	रकबा	ख. क्र.	रकबा	ख. क्र.	रकबा	ख. क्र.	रकबा	ख. क्र.	रकबा			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

प्रारूप क्रमांक – 2 (वन एवं राजस्व विभाग)

वन विभाग द्वारा अन्तरित/डीनोटीफाईड भूमि की राजस्व अभिलेखों में दर्ज विवरण

वन विभाग की जानकारी						राजस्व विभाग की जानकारी				
सर्वे में शामिल किया		राजस्व विभाग को अन्तरित किया		धारा 34 अ के तहत डीनोटीफाईड किया		राजस्व अभिलेखों में दर्ज			भूमि यदि आवंटित की गई हो तो	
ख. क्र.	रकबा	रकबा	दिनांक	रकबा	अधिसूचना दिनांक	रकबा	मद	प्रयोजन	रकबा	नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

प्रारूप क्रमांक – 3 (वन एवं राजस्व विभाग)

भूमि बंटन हेतु उपलब्ध भूमि का अंतिम पत्रक

1959 के अभिलेख में दर्ज शासकीय भूमि				खसरा क्रमांक बदला हो		वनखण्ड में रकबा	आवंटित किया रकबा	कॉलम 7 एवं 8 का योग रकबा	अधो–संरचना हेतु बिना आवंटन कब्जा का रकबा	कालम 9 एवं 10 के योग पश्चात् कुल रकबे का 2 प्रतिशत रकबा	आवंटन हेतु उपलब्ध रकबा	आवंटन हेतु उपलब्ध रकबे में से दर्ज रकबा	आवंटन हेतु उपलब्ध रकबे में से विलोपित रकबा
ख. क्र.	रकबा	मद	प्रयोजन	ख. क्र.	रकबा								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

अनुलग्नक

"जंगल, जमीन, अधिकार और अन्याय का क्रमबद्ध इतिहास"

देश की आजादी के बाद जनजाति समुदाय एवं जंगलों पर आश्रित समुदाय के विरूद्ध किए गए ऐतिहासिक अन्याय का लिपिबद्ध इतिहास उपलब्ध है, देश की सर्वोच्च अदालत के द्वारा इस लिपिबद्ध इतिहास के बाद भी सिविल याचिका क्रमांक 202/95 में 12 दिसम्बर 1996 को दिए गए आदेश के बाद दोहराए गए ऐतिहासिक अन्यायों का भी लिपिबद्ध इतिहास उपलब्ध है।

आजादी के बाद ऐतिहासिक अन्याय किया जाना और फिर उन्हें न्यायालीन आदेश के बाद दोहराया जाना भारतीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था को कटघरे में तो खड़ा कर ही रहा है, उसे उपहास का विषय भी बना चुका है।

आजादी के बाद लिखे गए इतिहास और न्यायालीन आदेश के बाद दोहराए गए इतिहास से जुड़े महत्वपूर्ण घटनाक्रम को हम यहां उल्लेखित कर रहे हैं, इससे जुड़े हर अभिलेख और दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध हैं।

1. 1927 भारतीय वन अधिनियम की धारा 3 एवं 29
2. 1950 जमींदारी उन्मूलन कानून या स्वामित्वाधिकारों के अन्त का कानून
3. 1956 लैण्ड रिफार्म मैनुअल
4. 1959 म.प्र. भू–राजस्व संहिता और अध्याय 18
5. 1960 संरक्षित वन नियम
6. 1962 से म.प्र. भू–राजस्व संहिता के अध्याय 18 से संबंधित बनाए गए नियम
7. 1966 पड़त भूमि के कृषिकरण हेतु बनाया गया अधिनियम
8. 1966 अधिक अन्न उपजाओं योजना के तहत वन विभाग द्वारा भूमि अन्तरण
9. 1970 दखल रहित भूमि के कृषिकरण हेतु बनाया गया अधिनियम
10. 1975 मंत्रीमंडल निर्णय के बाद अन्तरित वन भूमि
11. 1984 म.प्र. में ग्रामों की दखल रहित भूमि के कृषिकरण का अधिनियम
12. 1993 सांविधान गें 73वां संशोधन एवं 11वीं अनूसूची
13. 1994 में दिनांक 24 जनवरी को वरिष्ठ वन अधिकारी श्री अशोक मसीह द्वारा बनाई संक्षेपिका।

14. 1996 मई 14 को नारंगी भूमि बाबत् जारी परिपत्र

15. 1996 संसद द्वारा पारित पेसा कानून लागू किया गया

16. 1996 देश की सर्वोच्च अदालत के द्वारा 12 दिसम्बर को उन जमीनों को वन भूमि परिभाषित कर दिया जिन्हें वन विभाग संरक्षित वन भूमि मानकर उपरोक्त कार्यवाहियां करते रहा।

17. 1997 जनवरी 13 को न्यायालीन आदेश का पालन सुनिश्चित करने का जारी आदेश।

18. 1998 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 5 प्रतिशत से शेष भूमि आवंटन का संशोधन।

19. 2001 अक्टूम्बर 29 में परिभाषित वन भूमि मानकर जानकारियों का संकलन।

20. 2002 दखल रहित भूमि आवंटन हेतु किया गया संशोधन

21. 2003 आई.ए. 791 एवं 792 में इजमेन्ट राइट्स की भूमि मानकर दिया गया आदेश

22. 2003 जुलाई एकता परिषद् द्वारा सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी में प्रस्तुत आवेदन

23. 2003 अप्रेल 23 को वन विभाग द्वारा अन्तरित भूमि की जानकारी संकलन हेतु प्रमुख सचिव म.प्र. द्वारा जारी परीपत्र

24. 2003 दिसम्बर 2 में धारा 4(1) में अधिसूचित वनखण्ड की जांच हेतु दिशा निर्देश

25. 2004 राजस्व विभाग ने संरक्षित वन भूमि याने बड़े छोटे झाड़ के जंगल मद की भूमि को राजस्व भूमि मानते हुए जानकारी संकलन के निर्देश दिए।

26. 2004 जुलाई 24 को मुख्य सचिव द्वारा आदेश जारी किया जिसमें वन एवं राजस्व भूमि का सीमांकन, डीनोटीफाईड भूमि के अभिलेख संशोधन एवं वनखण्ड के बाहर छोड़ी भूमि के डीनोटीफिकेशन के निर्देश दिए गए।

27. 2005 फरवरी 18 को राजपत्र में दो नियम प्रकाशित कर संरक्षित वन नियम 1960 को निरस्त किया।

28. 2006 संसद के द्वारा ऐतिहासिक अन्याय की स्वीकारोक्ति के साथ वन अधिकार कानून पारित किया।

29. 2008 जनवरी से वन अधिकार कानून एवं नियम लागू किए गए।

30. 2008 जुलाई 11 को वर्किंग प्लान में शामिल निजी भूमि बाबत् जारी आदेश।

31. 2009 दिसम्बर 8 को धारा 4(1) में अधिसूचित क्षेत्रों की जांच के निर्देश जारी किए गए।

32. 2012 दखल रहित भूमि पर काबिजों को आवंटन हेतु संशोधन किया गया।

33. 2015 अप्रैल 10 को प्रमुख सचिव वन द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–29 एवं धारा 4(1) में अधिसूचित वन भूमियों पर अधिकारों को अभिलेखित किए जाने बाबत् लिखा पत्र।

34. 2015 जून 01 मुख्य सचिव म.प्र. शासन द्वारा आरक्षित वन खण्डों का गठन के संबंध में लिखा गया पत्र।

भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का 16)

धारा 3 –– वनों को आरक्षित करने की शक्ति –– राज्य सरकार ऐसी किसी वन भूमि या पड़त भूमि (Wasteland) जो सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार के सम्पत्ति के अधिकार हैं, या जिसकी वनोपज की पूरी अथवा किसी भाग की सरकार हकदार है, इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित रीति से आरक्षित वन बना सकेगी।

धारा 29 में संरक्षित वन –

(1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकेगी कि इस अध्याय के उपबन्ध, किसी वन भूमि या पड़त भूमि (Waste Land) पर, जो आरक्षित वन में सम्मिलित नहीं है, किन्तु जो सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार का आपत्तिक अधिकार (Proprietary right) है या उसकी सम्पूर्ण वनोपज या उसके भाग पर सरकार का अधिकार है लागू होंगे।

(2) ऐसी किसी अधिसूचना में समाविष्ट वन भूमि या पड़त भूमि "संरक्षित वन" (Protected Forest) कहलाएगी।

(3) जब तक कि अधिसूचना में समाविष्ट वन भूमि या पड़त भूमि (Waste Land) में या उन पर राज्य सरकार या प्रायवेट व्यक्तियों के अधिकारों के फलस्वरूप और विस्तार की जांच नहीं कर ली जाती है और सर्वेक्षण या बन्दोबस्त अभिलेख में या अन्य किसी ऐसी रीति से, जैसी राज्य सरकार पर्याप्त समझती है, उन्हें अभिलिखित नहीं कर लिया जाता, तब तक ऐसी अधिसूचना नहीं निकाली जावेगी तथा ऐसे हर अभिलेख के बारे में यह उपधारणा (Presumed) की जावेगी कि वे सही (Correct) है जब तक तकि प्रतिकूल (Contrary) साबित न कर दिया जावे।

परन्तु यदि किसी वन भूमि या पड़त भूमि की बाबत् राज्य सरकार, यह समझती है कि ऐसी जांच एवं अभिलेख आवश्यक है, किन्तु उनमें इतना समय लगेगा कि इस बीच राज्य सरकार के अधिकार खतरें में पड़ जावेंगे, तो राज्य सरकार ऐसी जांच लम्बित रहने तक ऐसी भूमि को संरक्षित वन घोषित कर सकेगी, किन्तु इससे किसी व्यक्ति या समुदाय के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे।

——00——

मध्यप्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1951

मध्यप्रदेश स्वामित्वाधिकारों (मालिकाना हकों) (इलाकों, महलों, दुमाला भूमियों) के अंत करने का अधिनियम 1950

विषय सूची

प्रस्तावना

धाराऐं

पहला अध्याय – आरम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार
2. परिभाषाएं

दूसरा अध्याय – राज्य में स्वामित्वाधिकारों का निहित होना

3. राज्य में स्वामित्वाधिकारों का निहित होना
4. निहित होने के परिणाम
5. स्वामी अथवा अन्य व्यक्ति के कब्जें में किन्ही सम्पत्तियों का बना रहना
6. कुछ हस्तानान्तरण शून्य होंगे
7. डिप्टी कमिश्नर राज्य में निहित सम्पत्ति का कब्जा लेना

8. हानिपूरण और ब्याज पटाने का कर्त्तव्य और शोधन की रीति.

तीसरा अध्याय – हानिपूरण का निर्धारण

9. हानिपूरण नकद, आदि पटाने की शक्ति
10. अन्वर्ती शोधन
11. हानिपूरण पदधारी की नियुक्ति
12. स्वामी के द्वारा दावे का विवरण प्रस्तुत किया जाना
13. हानिपूरण का निश्चयन
14. स्वत्य संबंधी प्रश्न
15. पुनर्विचार प्रार्थना, पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन
16. व्यवहार न्यायालय द्वारा निषेधाज्ञा पर रूकावट
17. परिभाषाएं

चौथा अध्याय – ऋण का निश्चयन

18. दावे विषयक पदधारियों की नियुक्ति
19. दावे विषयक पदधारी को आवेदन
20. कार्यवाहियों का स्थगन

धाराएं

21. प्रारंभिक कार्यवाहियां
22. साहूकारों का दावे दाखिल करना
23. ऋणों की वैधता और अस्तित्व के स्वरूप का प्रमाण चाहने की दावे ि यक,
24. सब व्यवहारों में ब्याज का गणन और मूलधन का घटना
25. प्रतिभूत साहूकारों के मध्य प्राथम्य
26. हानिपूरण राशि विभाजन
27. दावे की अशोधित राशि के संबंध में आदेश
28. अशोधित राशि की वसूलियां
29. न्याय शुल्क (कोट फी)
30. दावे विषयक पदधारी के आदेशों के विरूद्ध पुनर्विचार प्रार्थना (अपील)
31. पुनर्विलोकन (रेव्य)
32. निर्णयों का अंतिम होना
33. कतिपय विषयों में न्यायालयों के क्षेत्राधिकार पर रोक
34. परिसीमा (लिमिटेशन)

पांचवां अध्याय – हानिपूरण का शोधन

35. हानिपूरण का शोधन

36. हानिपूरण की मुद्रा न्यायालय के जिम्मे रखना

छठवां अध्याय – मध्यप्रांत में भूमि का प्रबंध और धारणाधिकार

37. इस अध्याय का लागू होना

38. स्वामी को मालिक मकबूजा अधिकार प्रदान करना

39. रक्षित ठेकेदार, अन्य ठेकेदार अथवा रक्षित मुखिया आदि को काश्तकारी अधिकार की प्राप्ति

40. कुछ भूमियों पर स्वामी के पट्टेदार के समान अधिकार.

41. कतई मौरूसी और मौरूसी काश्तकार को मालिक–मकबूजा अधिकार प्रदान करना

42. इस अधिनियम के अधीन माने गये या घोषित मालिक–मकबूजा का भू–आगम निश्चित करना

43. कुर्की या बिक्री पर रोक.

44. पेड़ों के अधिकार

45. कतई मौरूसी और मौरूसी काश्तकार के और ग्राम के धारणाधिकार का चालू रहना.

46. मालिक मकबूजा को वही प्रथात्मक अधिकार होगा जो काश्तकारों को है.

47. डिप्टी कमिश्नर प्रथाओं आदि का निश्चय करेगा और उन्हें उल्लिखित करेगा.

धाराएं

48. चरी भूमि का रक्षण

49. डिप्टी कमिश्नर का आदेश अंतिम होगा.

50. भू–आगामों और लगानों के संग्रहण के लिये पटेल की नियुक्ति.

51. राज्य में निहित सम्पत्ति का प्रबंध ग्राम पंचायत या अन्य अभिकतत्व के द्वारा करना

सातवां अध्याय – विलीनीकृत राज्य क्षेत्रों में भूमि का प्रबंध और धारणाधिकार

52. इस अध्याय का लागू होना

53. स्वामी को मालिक मकबूजा अधिकार प्रदान करना

54. स्वामी अथवा अधीधारणाधिकारधारी को रैय्यत अधिकार की प्राप्ति

55. निज जोत भूमि के संबंध में भू–आगम का निर्धारण

56. रैय्यत या काश्तकार को मालिक मकबूजा अधिकार प्रदान करना

57. मालिक मकबूजा के अधिकार

58. पेड़ों के अधिकार

59. काश्तकार और रैय्यत के धारणाधिकार का सातत्य

60. भू–आगमों और लगानों के संग्रहण के लिये पटेल की नियुक्ति

61. राज्य में निहित सम्पत्ति का प्रबंध ग्राम–पंचायत या अन्य अभिकर्तत्व के द्वारा करना.

62. मालिक कमबूजा को वही प्रथात्मक अधिकार होगा जो रैय्यत को है.

63. डिप्टी कमिश्नर प्रथाओं का निश्चय करेगा और उन्हें उल्लिखित करेगा.

64. चरी भूमि का रक्षण.

65. नियमों और प्रथाओं का भंग करने के लिये दण्ड.

आठवां अध्याय – बरार में भूमियों का प्रबंध और धारणाधिकार

66. इस अध्याय का लागू होना

67. अप्राप्त भूमियां गैर दुमाला भूमियां समझी जावेंगी

68. भूमि के धारणाकर्ताओं के अधिकार.

69. पट्टेदार को कब्जेदार का अधिकार प्रदान करना

70. दुमाला गांवों का प्रबंध अभिकर्तत्व के द्वारा करना

नवां अध्याय – खान और खनिज

71. अध्याय का लागू होना

72. स्वामी द्वारा चालित खाने

73. खानों और खनिजों के चालू पट्टें

74. खानों से संलग्न भवन और भूमि

75. खान–न्यायाधिकरण

धाराएं

76. अवधि–समाप्ति के पूर्व खानों और खनिजों के पट्टें का अन्त करने के लि ए हानिपूरण

दसवां अध्याय – पुनर्वास का अनुदान

77. पुनर्वास अनुदान का शोधन

78. किस दिनांक से अनुदान देय होगा

79. प्रत्येक स्वामी का पृथक इकाई समझा जाना

80. कतिपय हस्तान्तरणों का मान्य न किया जाना

81. पुनर्वास अनुदान के लिये आवेदन

82. अनुदान की राशि जप्ती या कुर्की के लिये बाध्य नहीं

ग्यारहवां अध्याय – विविध

83. अधिकारों के उल्लेख पत्र, आदि में प्रविष्टियों के संबंध में अनुमान

84. पुनर्विचार प्रार्थनाऐं (अपीलें)

85. कार्य प्रणाली

86. न्याय–शुल्क

87. इस अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाही का संरक्षण

88. इस अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों का लोक–सेवा समझा जाना

89. अन्य अधिनियमों के असंगत नियम आदि का प्रभाव

90. विखंडन

91. नियम बनाने की शक्ति

प्रथम अनुसूची

द्वितीय अनुसूची

तृतीय अनुसूची

––00––

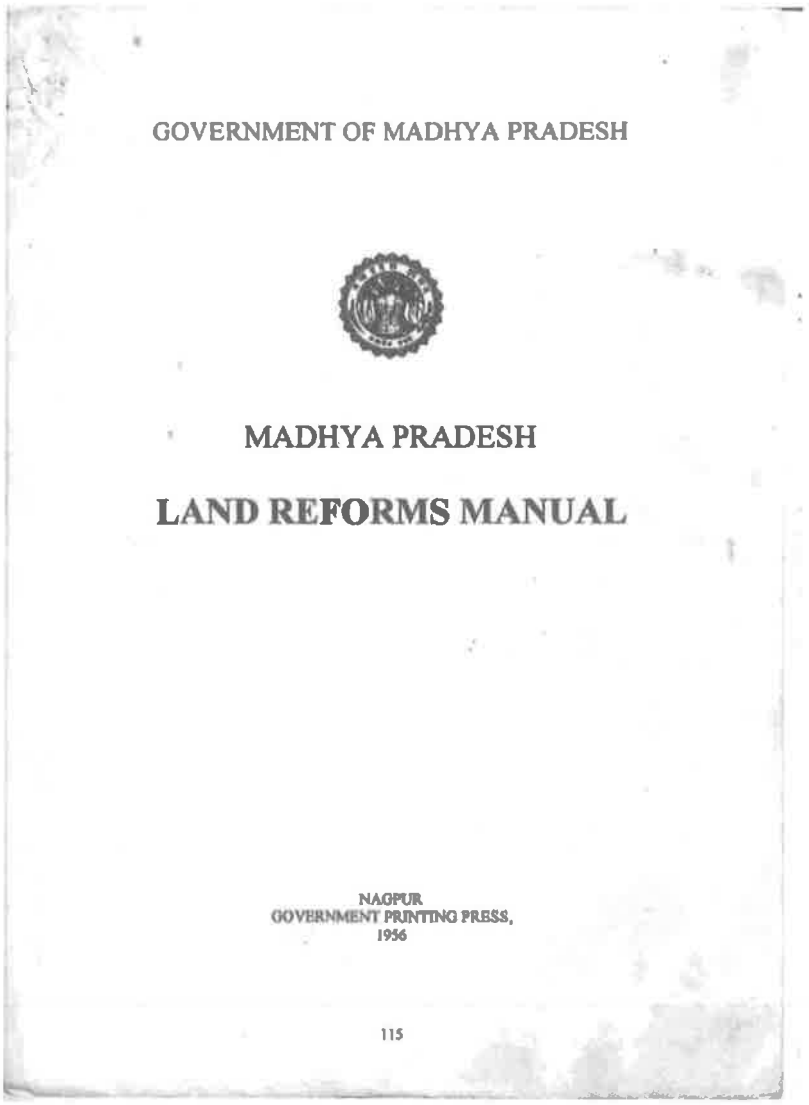
GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

MADHYA PRADESH

LAND REFORMS MANUAL

NAGPUR
GOVERNMENT PRINTING PRESS,
1956

115

CONTENTS

	Chapter I.-Preliminary	Pages
(i)	Issue of notification under sub-sections (1) and (3) of section 3 of Madhya Pradesh Abolition of Proprietary Rights Act, 1950 (1 of 1951), prescribing dates from which proprietary rights would vest in the State.	1
(ii)	Prohibition of clearance of forest land for cultivation without permission after the issue of notification under section 3 (3) of the Act.	1
(iii)	Taking over charge of the property vesting in the State	1-2
(iv)	Plan for the implementation of the scheme of abolition of proprietary rights.	2-9
(v)	Appointment of special staff for implementing the scheme of abolition of proprietary rights.	9-17
(vi)	Delegation of powers under the Madhya Pradesh Abolition of Proprietary Rights Act amongst the various Officers in the district.	17-22
(vii)	Exemptions from payment of court-fees on certain documents.	22-23
(viii)	Preparation of demand list for the second kist of land revenue in the year in which proprietary rights vested in the State.	23-39
(ix)	Recovery of outstanding unsuspended arrears of land revenue from, proprietors.	29
(x)	Recovery of suspended arrears of land revenue falling due for recovery after the date of vesting.	30
(xi)	Recovery of rent payable to Government but paid to proprietors.	30-31
(xii)	Revenue case work, registers and returns.	31-36
(xiii)	Preparation of records of decisions arrived at under Madhya Pradesh Abolition of Proprietary Rights Act.	37-39
(xiv)	Imposition of records	40
	Chapter II.-Determination of compensation payable to proprietors and preparation of a statement of lands vesting in the State	
(i)	Rules of determination of compensation	41-53
(ii)	Date of submission of statement of claim under section 12 of Madhya Pradesh Abolition of Proprietary Rights Act.	54
(iii)	Submission of claims.	54-55
(iv)	Interpretation of claimant	55
(v)	General instructions for calculation of compensation	55-62
(vi)	Apportionment of compensations between co-sharers and under tenures	62-66
(vii)	Delivery of statement of compensation to proprietors	66-67
(viii)	Preparation of statement of lands vesting in the State	67-68
	Chapter III.-Determination of debts owed by proprietors and their payment from compensation amount payable to them	
(i)	Rules for determination of debts	69-73
(ii)	Date for filing of applications by proprietor	73-74
(iii)	Payment to creditors out of the compensation amount payable	74
	Chapter IV.-Payment of compensation to proprietors	
(i)	Registers to be prepared by Deputy Commissioners of Land Reforms.	75-79
(ii)	Rules for the payment of compensation	79-91
(iii)	Payment of compensation by Additional Deputy Commissioners-cum-Chief Executive Officers-cum-Sub-Divisional Officers.	91-94
(iv)	Compensation payable to religious and charitable institutions, minors and persons holding life interest to be deposited in a Bank.	94-108
	Chapter V.-Determination and payment of rehabilitation grant	
(i)	Rehabilitation grant to whom admissible	109
(ii)	Date of submission of application	109
(iii)	Payment of rehabilitation grant	109-112
	Chapter VI.-Payment of annuity to religious, charitable and public institutions which had small rights in villages	
(i)	Annuity to whom admissible in Central Provinces and Berar and merged territories.	113
(ii)	Special provisions for payment of annuity in merged territories.	113-114
(iii)	Rules for the payment of annuity to institutions in merged territories.	114-121
	Chapter VII.-Settlement of lands, tanks and groves with proprietors	
	A.-Central Provinces.	
(i)	Settlement of land recorded as home-farm in 1948-49	123
(ii)	Settlement of holdings abandoned after 1948-49 and up to the date of vesting.	123
(iii)	Settlement of land acquired by proprietor by pre-emption after 1948-49 and till the date of vesting.	123
(iv)	Settlement of requisitioned home-farm land	123-124
(v)	Settlement of home-farm land under mining operations.	124
(vi)	Assessment of home-farm land	124-125
(vii)	Settlement of land brought under cultivation by proprietors after 1948-49 and up to the date of vesting.	125-127
(viii)	Settlement of home-farm land in possession of inferior proprietors.	127
(ix)	Settlement of home-farm land with gauntias in Chandrapur tract (Sambalpur territory).	127
	B.-Merged Territories.	
(i)	Settlement of land under section 54 (1) of the Act.	127-137
(ii)	Settlement of home-farm land with proprietors in former Kawardha State of merged territories.	137
(iii)	Settlement of land with Rulers and their relations	137-138

C.-Settlement of land with under-tenures in Central Provinces and merged territories. 138-139

D.-Settlement of land with proprietors in Berar

(i) Settlement of land recorded as home-farm on 1st October 1949 in Berar 139-140

(ii) Settlement of land brought under cultivation after 1st October 1949 and up to the date of vesting. 140

E.- Procedure to be followed in settling land and fixation of assessment 140-142

F.- Settlement of lands with ex-proprietors out of BIR and grassland reserved exclusively for their cattle up to 10 per cent of land settled with them in the village 142-153

G.- Settlement of tanks with ex-proprietors and others under section 5(e), (f) and (g) of the Madhya Pradesh Abolition of Proprietary Rights Act 153-162

H.- Settlement of groves with ex-proprietors and others under section of the Madhya Pradesh Abolition of Proprietary Rights Act. 162-163

I.- Settlement of lands under Kothars and Khallas 164

VIII.-Declaration of certain transfers not void and nonrecognition of certain transfers made by proprietors. 165-169

Chapter IX.-Settlement of Land with Tenants

(i) Continuity of old tenure 171

(ii) Settlement of sir land held by occupancy tenants 171

(iii) Recording of tenant of khudkast lands 171-172

(iv) Settlement of land recorded as "maurusi batai" or "adhia batai" 172-173

(v) Settlement of land cultivated under "Grow More Food" scheme 173

(vi) Commutation of rent paid in kind 173

(vii) Recording of unassessed land and fixation of assessment thereon 173-175

(viii) Settlement of lands brought under cultivation up to the date of vesting 175-182

(ix) Settlement of lands brought under cultivation without permission after the date of vesting. 182-183

(x) Settlement of land brought under cultivation without permission in merged territories. 183-185

(xi) Settlement of land recorded as "Nalla" 185-186

(xii) Settlement of land transferred by Izardars in Berar after the date of vesting of proprietary rights in the State 186-187

(xiii) Settlement of land held on favourable terms from proprietors in Central Provinces and merged territories. 188

(xiv) Foregoing of right of pre-emption and nazrana on trans fer of tenancy lands. 188-189

(xv) Suits for ejectment of tenants filed by proprietors before the date of vesting in the proprietary rights in the State, 189-190

Chapter X.-Settlement of Lands under Temples. 191-192

Chapter XI.-Conferral of malik-makbuza and occupant's rights on tenants and raiyat malik rights on raiyats

(i) Exclusion of certain areas from conferral of malik-makbuza rights. 193-198

(ii) Conferral of malik-makbuza and occupant's rights on tenants acquiring privileges under the Madhya Pradesh Agricultural Raiyats and Tenants (Acquisition of Privileges) Act, 1950 198-199

(iii) Limitation of period for credit of premium for Conferral of malik-makbuza and occupant's rights. 199-200

(iv) Head to which premium to be credited 200

(v) Conferral of raiyat malik rights on raiyats in raiyatwari villages in Central Piovinces. 200

Chapter XII.-Reservation of land for grazing under sections 48 and 64 of the Madhya Pradesh Abolition of Proprietary Rights Act, 1950, out of land settled with the proprietor 210-204

Chapter XIII.-Preparation of village administration paper In Central Provinces and merged territories

(i) Rules for the revision and preparation of Wajib-ul-arz in Central Provinces and merged territories. 205-207

(ii) General instructions about revision and preparation of Wajib-lul-arz 208-221

(iii) Prescription of a form of Wajib-ul-arz 221-226

(iv) Recording of entries about "Barchha" 226-227

(v) Recording of rights and customs in tanks remaining with proprietors and others 227

(vi) Entries made in the Wajib-ul-arz to be read in villages 227

Chapter XIV.-Management of hats, bazars and fairs

(i) Vesting of proprietary rights in hats, bazars and fairs 229

(ii) Position of buildings, chabutras and ottas in hats, bazars and fairs 229-230

(iii) Transfer of management of hats, bazars and fairs to Janapada Sabhas. 230-232

Chapter XV.-Management of tanks vesting In the State Government under the Madhya Pradesh Abolition of Proprietary Rights Act, 1950

(i) Instructions about management by Public Work Department Municipalities and Gram Panchayats. 233-234

(ii) Use of tank., silt manure for food crops under the Grow More Food Schemes. 234-235

(iii) Leasing of tanks for fishing and singhara cultivation 235

Chapter XVI.—Management of ferries 237

Chapter XVII.-Lease of fishing rights in rivers on behalf of Government. 238

Chapter XVIII.-Lease of river-beds for cultivation 240-242

Chapter XIX.-Management of village forests vesting in the State Government

(i) Continuance of nistar and grazing of cattle of villagers in the village forests. 243,245

(ii) Grazing of sheep and goats 245-246

(iii) Taking of nistar by villagers in the waste land of another village. 246-247

(iv) Pamphlet about grazing and nistar issued immediately after date of vesting. 247-255

(v) Transfer of management of certain village forests to Forest Department. 255-259

(vi) Continuance of dahia or bewar cultivation in village forests. 259-260

(vii) Fre - removal of mahua, gulli, char, tendu and cow-dung for nistar. 260

(viii) Free removal of kahua, yen and rohan bark by chamars for tanning leather. 261

(ix) Auction of bones of dead animals in former malguzari forests. 261

(x) Position of leases given by proprietors before the date of vesting-certain leases to be recognised 26270

(xi) Sale of produce of village forests	270-276
(xii) Illegal cutting and sale of forest produce how to be dealt with	267-277
(xiii) Management of grass bers vesting in the State Government	277-278
(xiv) Regulation of shooting in village forests	278-284
(xv) Transfer of waste-land to Forest Department for afforestation for fuel and fodder reserve	284-285
(xvi) Recovery of transit dues for cattle of villagers passing through other villages to Government forest, etc	285
(xvii) issue of certificate by patel for obtaining timber etc. from forests	286
Chapter XX.-Free removal of sand, clay, boulder and other building materials by residents for their nistar.	287
Chapter XXI.-Allotment of Government land for cultivation purposes.	289-312
Chapter XXII.-Abadi	
(i) Settlement of house-site held in abadi on the date of vesting	313
(ii) Rights in house-site in abadi	313
(iii) Removal of encroachments	313
(iv) Instructions for allotment of land in abadi.	314-316
(v) Settlement of land under houses outside the abadi.	316-317
(vi) Construction of houses in holdings by agriculturists	317
(vii) Settlement of land under houses constructed on home-farm land in Berar.	317-318
(viii) Acquisition of land for extension of abadi	318-320
Chapter XXIII.-Preparation of demand list and collection of land revenue after the date, of vesting.	321-326
Chapter XXIV.-Felling of trees in tenants' holdings-Sale of timber belonging to Government.	327
Chapter XXV.-Settlement of holdings abandoned or surrendered by tenants.	329-333
Chapter XXVI.-Gift or surrender of lands for roads and other commun al purposes by tenure-holders.	333-338
Chapter XXVII.-Village Administration	
(i) Appointment, duties, remuneration etc., Central Provinces and merged territories	339-345
(ii) Security to be taken from patels in Central Provinces and merged territories.	345
(iii) Remuneration to patels in Central Provinc and merged territories	346-353
(iv) Appointment and remuneration of patels in under Berar Patels and Patwaris Law, 1900	353-354
(v) Abolition of [illegible] of patels and appointment of new patels as a temporary measure in Berar	355
(vi) Remuneration of patels in Berar	356
(vii) Entrustment of duties of patels to Gram Panchayats	357-377
Chapter XXVIII. -Settlement of grazing, nistar and other village problems	
(i) Note on the scheme of survey and settlemment of Govt. lands and settlement of grazing and nistar problems prepared by Shri J.K Verma, I.A.S., Director of Land Refopoems, Madhya Pradesh	357-377
(ii) Governments order on the proposals	381-383
(iii) Appointment of special staff of Nistar Officers	384-410
(iv) Work to be done by Nistar Officers	411-416
(v) Correction of previous records and recording of new customs by Nistar Officers.	416-417
(vi) Reservation of lands for various communal purposes and survey assessment, etc of surplus lands fit for cultivation.	417-422
(viii) Preparation of schemes of grazing and forest nistar and formation of grazing and timber and fuel zones.	443-456
(ix) Announcement of Nistar Patrak and Wajib-ul-arz	457-458
(x) Filing of records prepared by Nistar Officers	458-461
(xi) Opening of Depots by forest Department	461
(xii) Management of Nistar in future.	461-468

--*--

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ–

(1) यह अधिनियम मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 कहलाएगा।

(2) इसका विस्तार क्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश होगा, किंतु इस संहिता की कोई भी बात ऐसे क्षेत्रों पर लागू नहीं होगी, जिनकी इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, 1927 (भारतीय वन अधिनियम 1927) (क्रमांक 16 सन् 1927) के अधीन रक्षित या संरक्षित वनों के रूप में समय–समय पर रचना की जाए।

(3) यह संहिता ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगी जिसे राज्य शासन की अधिसूचना द्वारा नियत करे।

अठारहवां अध्याय

आबादी तथा दखल रहित भूमि में अधिकार और उसकी उपज

233. दखल रहित भूमि का अभिलेख –

समस्त दखल रहित भूमि का अभिलेख इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार प्रत्येक गांव के लिए तैयार किया जाएगा तथा बनाए रखा जाएगा, जिसमें पृथक–पृथक रूप से निम्नलिखित बातें दिखलाई जाएंगी :–

(क) धारा 237 के अधीन निस्तार–अधिकारों के प्रयोग लिए पृथक रखी गई दखल रहित भूमि और

नियम : राजपत्र दिनांक 22 जनवरी 1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 214–6477–सात–ना–नियम, दिनांक 6 जनवरी 1960 द्वारा राज्य शासन ने धारा 233 के अंतर्गत निम्नलिखित नियम बनाए है –

नियम

1. इन नियमों में –

(क) "संहिता" से तात्पर्य मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (1959 का क्र. 20) से है।

(ख) "प्रारूप" के तात्पर्य इन नियमों के परिशिष्ट के प्रारूप से है।

(ग) "धारा" से तात्पर्य संहिता की धारा से है।

2. 1. गांव की समस्त दखल (अधिपत्य) रहित भूमि का अभिलेख तीन भागों में तैयार किया जाएगा, नामतः –

भाग क – निस्तार अधिकारों के उपयोग के लिए सुरक्षित भूमि दिखाते हुए, प्रारूप 'क' में

भाग ख – निराकरण के लिए उपलब्ध भूमि दिखाते हुए, प्रारूप 'ख' में और

भाग ग – निस्तार के लिए सुरक्षित तथा निराकरण के लिए उपलब्ध भूमि के अतिरिक्त समस्त भूमि को दिखाते हुए, प्रारूप 'ग' में।

3. प्रारूप 'क' में निर्दिष्ट किए जाने–वाले दखल (आधिपत्य) रहित परिणाम अंक/भू–खंडांक निस्तार अधिकारों के विविध शीर्षकों में उसी अनुक्रम में व्यवस्थित किए जाएंगे, उनका उल्लेख धारा 237 की उपधारा (1) में है। प्रत्येक शीर्षक के नीचे योग– यदि वह एक से अधिक संख्या का है और अंत में सब शीर्षकों का योग लगाया जाएगा। वृक्षों के वन, झाड़ियों के जंगल और सड़कें एवं गलियों में आच्छन्न समस्त भूमियां इस रूप में दिखाई जानी चाहिए।

4. प्रारूप 'ख' में दिखाए जाने–वाले दखल (आधिपत्य) रहित परिमाप अंक/भू–खंडांक अनुक्रम में व्यवस्थित किए जाएंगे। वे परिमाप अंक/भूखंडांक जो अवत्यजित या समर्पित कर दिए गए हैं या जो अन्य प्रकार से राज्य शासन में निहित होते हैं और निहित होने के पश्चात् निराकरण के लिए उपलब्ध हैं इस रूप में दिखाए जाएंगे।

स्तंभ (2) के सब अंकों का योग और स्तंभ (3) के क्षेत्रफल का योग अंत में लगाया जाएगा। जैसे ही किसी परिमाप अंक/भूखंडाक का निराकरण हो जाए उसे इस रूप में उसकी प्रविष्टि को लाल लकीर से काट दिया जाएगा और निराकरण की रीति तथा उसके दिनांक की टिप्पणी स्तंभ 7 में दी जाएगी अंत के योग को भी प्रत्येक व्यवहार के पश्चात् लाल स्याही से ठीक किया जाएगा।

टिप्पणी :– जानकारी में आए अधक्रमण परिमाप अंक/भू–खंडांक के सामने विवरण के स्तंभ में प्रविष्ट किए जाएंगे।

5. भाग 'ख' में पंजी की दो अतिरिक्त प्रतियां पटवारी द्वारा तैयार की जाएँगी जिनमें से एक ग्राम पंचायत, ग्राम सभा या पटेल, जिसे भी धारा 229 के अंतर्गत ग्राम का प्रबंध सौंपा गया हो, के पास रखी जाएगी। तहसील की प्रतिलिपि अद्यतन रखने का दायित्व तहसीलदार का होगा।

6. प्रारूप 'ग' में प्रविष्ट किए जाने वाले दखल (आधिपत्य) रहित परिमाप अंक भू–खंडांक के नीचे लिखे शीर्षकों में व्यवस्थित किए जाएंगे :–

(1) पहाड़ियों और चट्टानों से आवृत भूमि

(2) पानी के भीतर की भूमि।

7. इसके पश्चात् समस्त दखल रहित (आधिपत्य) रहित क्षेत्रफल का पूर्ण योग अंत में लिखा जाएगा। गांव की आबादी का क्षेत्रफल इसमें से किसी रूप में नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि आबादी दखल (आधिपत्य) रहित भूमि में सम्मिलित नहीं है।

प्रारूप 'क'

निस्तार अधिकारों के प्रयोग के लिए पृथक् की गई दखल (आधिपत्य) रहित भूमि

ग्राम का नाम ..... बन्दोबस्त क्र. ..... प.ह.नं. ..... तहसील ..... जिला .....

अनुक्रमांक	निस्तार का प्रयोजन	परिमाप अंक/भू–खंडांक	क्षेत्रफल	टिप्पणी
1	2	3	4	5

प्रारूप 'ख'

निराकरण के लिए उपलब्ध दखल (आधिपत्य) रहित भूमि

ग्राम का नाम ..... बन्दोबस्त क्र. ..... प.ह.नं. ..... तहसील ..... जिला .....

अनुक्रमांक	परिमाप अंक/भू–खंडांक	क्षेत्रफल	मिट्टी का वर्ग (यदि बन्दोबस्त में मिट्टी का वर्गीकरण किया गया हो	प्रति एकड़ बन्दोबस्त दर	निर्धारण यदि बन्दोबस्त में निश्चित हुआ हो	निराकरण की विधि तथा दिनांक	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रारूप 'ग'

निस्तार अथवा निराकरण के लिए पृथक रखी हुई भूमि के अतिरिक्त दखल (अधिपत्य) रहित शासकीय भूमि

ग्राम का नाम ..... बन्दोबस्त क्र. ..... प.ह.नं. ..... तहसील ..... जिला .....

वर्गीकरण	परिमाप अंक / भू–खंडांक	क्षेत्रफल	टिप्पणी
1	2	3	4
क. पहाड़ियों तथा चट्टानों से ढकी भूमि योग			
ख. जल के अधीन भूमि योग ..... महायोग			

234. निस्तार पत्रक तैयार किया जाना –

(1) (उपखंडीय पदाधिकारी) इस संहिता के उपबंधों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों से संगत, एक निस्तार पत्रक तैयार करेगा, जिसमें गांव की समस्त दखल रहित भूमि के प्रबंध की योजना और उसके प्रासंगिक समस्त विषय और विशेष रूप से धारा 235 के उल्लेखित विषय दिए जाएंगे।

(2) निस्तार पत्रक का प्रारूप गांव में प्रकाशित किया जाएगा और विहित रीति में गांव के निवासियों की इच्छा सुनिश्चित करने के पश्चात् उसे (उपखंडीय पदाधिकारी) द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा।

(3) ग्रामसभा द्वारा की गई प्रार्थना और जहां ग्राम–सभा न हो वहां ग्राम के कम से कम तीन–चौथाई वयस्क निवासियों से आवेदन–पत्र पर या (उपखंडीय पदाधिकारी) स्वतः की प्रेरणा से किसी भी समय, ऐसी जांच के पश्चात जैसी वह उचित समझे, निस्तार पत्रक की किसी भी प्रविष्टि में परिवर्तन कर सकेगा।

अ) निस्तार–पत्रक नियम – राजपत्र दिनांक 22 जनवरी 1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 215–6477 सात–ना (नियम), दिनांक 6 जनवरी 1960 द्वारा राज्य शासन ने धारा 234 तथा 237 के अधीन निम्नलिखित नियम बंनाए हैं –

नियम

1. इन नियमों में –

(क) "संहिता" से तात्पर्य मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959(1959 का क्र. 20) से है.

(ख) "प्रारूप" से तात्पर्य इन नियमों के संलग्न प्रारूप से है.

(ग) "धारा" से तात्पर्य संहिता की धारा से है।

2. कलेक्टर धारा 234, 235, 236 तथा 237 के उपबंधों के अधीन, निस्तार पत्रक का प्रारूप 'क' तैयार करेगा।

3. धारा 237 की उपधारा (1) के खंड (क) से (झ) तक पद में निर्दिष्ट प्रयोजन के अतिरिक्त, कलेक्टर नीचे लिखे प्रयोजनों के लिए भूमि सुरक्षित रख सकेगा –

(एक) मुरम, कंकर, रेत, मिट्टी, पत्थर या अन्य कोई खनिज निकालना।

(दो) सिंचाई एवं अन्य जल के अधिकार।

4. निस्तार–पत्रक तैयार करते समय कलेक्टर किसी प्रयोजन के लिए सुरक्षित भूमि के क्षेत्रफल का समुचित रीति से परिवर्तन विनिमय या समायोजन कर सकेगा, जैसा प्रत्येक प्रसंग में या समस्त समुदाय के हित में आवश्यक हो, और

(एक) एक से अधिक गांवों के बारे में चराई, इमारती लकड़ी और ईंधन के निस्तार क्षेत्र बना सकेगा।

(दो) किसी भी गांव की एक दूसरे की भूमि में पारस्परिक अधिकारों को अभिलिखित कर सकेगा, और

(तीन) शासन द्वारा दी गई किसी सुविधा का उपबंध कर सकेगा।

5. निस्तार–पत्रक का प्रारूप बन जाने के पश्चात् उसे प्रारूप 'ख' की सूचना सहित प्रकाशित किया जाएगा। जिसमें गांव के निवासियों से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे और उस सूचना में वह दिनांक (जो प्रकाशन के दिनांक से 15 दिन से कम का नही होगा) जिसको और वह स्थल (जो चौपाल, गढ़ी, चावढ़ी या उस का कोई अन्य उपयुक्त स्थान हो सकता है) जहां ऐसी आपत्तियों या सुझावों पर विचार किया जाएगा, निर्दिष्ट होंगे। ऐसा प्रकाशन केवल उस गांव में ही नही होगा जिसका निस्तार पत्रक तैयार किया गया है, वरन् उन अन्य गांवों में भी होगा जिन पर उसका प्रभाव पड़े। प्रकाशन की रीति वह होगी जो संहिता की अनूसूची प्रथम के नियम 17 में निर्धारित है।

6. सूचना में निर्दिष्ट दिनांक और स्थान पर कलेक्टर आपत्तियों और सुझावों का यदि कोई हों, परीक्षण करेगा और उन पर आदेश देगा।

7. आपत्तियां और सुझावों, यदि कोई हो पर विचार करने और उनका निराकरण करने के पश्चात् कलेक्टर निस्तार–पत्रक में ऐसे संशोधन कर सकेगा जो वह आपत्तियों और सुझावों पर दिए गए अपने निर्णयों के प्रकाश में उचित समझे।

8. अंतिम निस्तार पत्रक गांव में या उपर्युक्त केन्द्रों पर पढ़ कर सुनाया जाएगा और एक प्रतिलिपि पटवारी के पास रहेगी तथा दूसरी पटेल, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा, जिसे भी गांव का प्रबंध सौंपा हो, के पास रहेगी।

प्रारूप "क" (नियम 2 देखिए)

निस्तार–पत्रक

धारा 237 की उपधारा (1) के अधीन निम्नांकित विभिन्न प्रयोजनों के लिए पृथक की गई दखल (अधिपत्य) रहित भूमि –

(क) इमारती लकड़ी अथवा ईंधन के हेतु सुरक्षित

परिमाप अंक / भू–खंडांक	एकड़ों में क्षेत्रफल	*विशेष
1	2	3

*टिप्पणी : विशेष स्तंभ में जिन निबंधनों तथा प्रतिबन्धों के साथ तथा जिस परिमाण में लकड़ी, इमारती लकड़ी, ईंधन, बेंलें, कंद, पत्ती, कांटे, झांकड़, बागड़ के बांस, फल तथा साधारण उपज प्राप्त कर सकता है, उनके संबंध में टिप्पणी दी जाए।

(ख) चरोखर, घासबीड़ अथवा चारे के लिए सुरक्षित

परिमाप अंक/भू–खंडांक	एकड़ों में क्षेत्रफल	*विशेष
1	2	3
*टिप्पणी : विशेष स्तंभ में जिन निबंधनों तथा प्रतिबन्धों के साथ ग्राम के पशुओं को चराने की अनुमति है, उनके तथा पशुओं के निःशुल्क चराए जाने के संबंध में टिप्पणी दी जाए।		

(ग) कब्रस्तान तथा श्मशान

परिमाप अंक/भू–खंडांक	एकड़ों में क्षेत्रफल	*विशेष
1	2	3
*टिप्पणी : यदि कोई परिमाप– अंक किसी समुदाय हेतु कब्रस्तान अथवा श्मशान की भांति काम में आता है तो विशेष स्तंभ में टिप्पणी दी जाए।		

(घ) पड़ाव डालने के लिए भूमि

परिमाप अंक/भू–खंडांक	एकड़ों में क्षेत्रफल	विशेष
1	2	3

(ड़) खलियान

परिमाप अंक/भू–खंडांक	एकड़ों में क्षेत्रफल	विशेष
1	2	3

(च) बाजार

परिमाप अंक/भू–खंडांक	एकड़ों में क्षेत्रफल	*विशेष
1	2	3
*टिप्पणी : बाजार शुल्क लगाने के संबंध में शासन की विशेष अनुमति के बिना कोई प्रविष्टि न की जाए।		

(छ) खाल (चमड़ा) निकालने के लिए स्थान

परिमाप अंक / भू–खंडांक	एकड़ों में क्षेत्रफल	*विशेष
1	2	3
*टिप्पणी : यदि इन प्रयोजनों के लिए पृथक् की गई भूमि के उपयोग को नियंत्रित करने वाली कोई विशेष रूढ़ि हो तो उसकी टिप्पणी विशेष स्तंभ में दी जाए।		

(ज) खाद के गड्ढे

परिमाप अंक / भू–खंडांक	एकड़ों में क्षेत्रफल	*विशेष
1	2	3
*टिप्पणी : विशेष स्तंभ में निवासियों के अपने स्वयं के खाद अथवा कचरे पर, या उसको किसी ग्राम विशेष या प्रत्येक भाग में एकत्र करने के यदि कोई अधिकार हो तो उनके खाद के गड्ढे की भूमि के उपयोग को नियंत्रित करने वाली रूढ़ियों के संबंध में टिप्पणी की जाए।		

(झ)– (एक) सार्वजनिक प्रयोजन, जैसे पाठशाला, खेल के मैदान बगीचे, जल–निकास तथा तत्सदृश अन्य

परिमाप अंक / भू–खंडांक	एकड़ों में क्षेत्रफल	*विशेष
1	2	3
*टिप्पणी : जिस प्रयोजन के लिए कोई परिमाप अंक भू–खंडांक सुरक्षित है वह विशेष स्तंभ में लेख्यांकित किया जाए।		

(झ) – (दो) सड़कें मार्ग तथा गलियां

अनु.क्र.	सड़कों तथा मार्गो का विवरण	सड़क, मार्ग या पशुओं के गोठान का परिमाप–अंक	क्षेत्रफल	सड़कों, मार्गों तथा गोठान की दशा	विशेष
1	2	3	4	5	6

(ट) – (एक) निस्तार अधिकारों के निर्वाह के लिए मुरम, कंकड़, रेत, मिट्टी पत्थर

परिमाप अंक / भू–खंडांक	एकड़ों में क्षेत्रफल	*विशेष
1	2	3
*टिप्पणी : जिन निबंधनों तथा प्रतिबंधों पर तथा जिस परिणाम में कोई निवासी यह वस्तुऐं प्राप्त कर सकता है, उन्हें विशेष स्तंभ में अंकित किया जाए।		

(ट) – (दो) सिंचन तथा अन्य जल के अधिकार

(क) सिंचन के उपयोग में लाए जाने वाले तालाब

तालाब का परिमाप अंक	एकड़ों में क्षेत्रफल	तालाब से सिंचित परिमाप अंक	खेतों की सूची क्षेत्रफल	निःशुल्क सिंचित फसलें	विशेष
1	2	3	4	5	6

(ख) सिंचन के अतिरिक्त अन्य निस्तारों के प्रयोजन में लाए जाने वाला तालाब

तालाब का परिमाप अंक	एकड़ों में क्षेत्रफल	जिन प्रयोजनों के काम में लिया जाता है	*विशेष
1	2	3	
*टिप्पणी : केवल उन्हीं तालाबों का उल्लेख किया जाना चाहिए जो मध्यस्थों के अधिकारों की समाप्ति के पश्चात् राज्य में निहित हो गए।			

(ट) – (चार) कोई अन्य प्रयोजन जो विहित किया जाए

परिमाप–अंक / भू–खंडांक	एकड़ों में क्षेत्रफल	प्रयोजन	विशेष
1	2	3	4

प्रारूप ख

(नियम 5 देखिए)

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (1959 का क्र. 20) की धारा 134 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए ग्राम ..... पटवारी हल्का नंबर ..... बन्दोबस्त क्र .... तहसील ..... जिला ..... हेतु निस्तार–पत्रक (जिसका प्रारूप इसके संलग्न है) तैयार किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

2. कोई भी व्यक्ति जिसे उक्त निस्तार पत्रक की किसी प्रविष्टि के संबंध में कोई आपत्ति करना है अथवा कोई सुझाव देना है वह नीचे हस्ताक्षर करने वाले के पास दिनांक ..... (यहां दिनांक लिखिए जो सूचना के दिनांक से 15 दिन पश्चात् से कम का न हो) के पूर्व भेज सकता है। आपत्तियों तथा सुझावों का परीक्षण दिनांक ..... को स्थान ..... पर 11 बजे मध्यान्ह से 4 बजे सायंकाल के मध्य होगा।

मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा के अधीन दिनांक ..... मास .....20..... को जारी की गई।

कलेक्टर

प्रतिलिपी ग्राम पंचायत / ग्राम–सभा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

235. विषय जिनका निस्तार–पत्रक में उपबंध किया जाएगा –

विषय जिनका निस्तार–पत्रक में उपबंध किया जाएगा, निम्नलिखित होंगे, अर्थात् –

(क) वे निबंधन, तथा शर्ते जिन पर गांव में पशुओं की चराई अनुज्ञात जाएगी।

(ख) वे निबंधन तथा शर्ते जिन पर और ऐसी सीमा जिस तक कोई भी निवासी –

(एक) लकड़ी, इमारती लकड़ी, ईंधन या कोई भी अन्य वन उपज,

(दो) मुरम, कंकर, रेत, धूल, मिट्टी, पत्थर या कोई भी अन्य साधारण प्रकार का खनिज पदार्थ, प्राप्त कर सकेगा।

(ग) सामान्यतः पशुओं की चराई तथा कंडिका (ख) में वर्णित वस्तुओं के हटाए जाने का विनियमन करने वाले अनुदेश,

(घ) इस संहिता द्वारा या उसके अधीन निस्तार, पत्राक में अभिलिखित किया जाने के लिए अपेक्षित भी अन्य विषय।

236. कतिपय विषयों के लिए निस्तार–पत्रक में उपलब्ध–

धारा 235 में उपबंधित निस्तार–पत्रक तैयार करते समय कलेक्टर, यथासंभव निम्नलिखित के लिए उपबंध करेगा –

(क) कृषि के लिए उपयोग में लाए जाने–वाले पशुओं का निःशुल्क चराई के लिए,

(ख) गांव के निवासियों द्वारा उनके वास्तविक घरू उपयोग के हेतु –

(एक) वन उपज

(दो) साधारण प्रकार के (गौण) खनिज पदार्थो के निःशुल्क ले जाए जाने के लिए –

(ग) गांव के कारीगरों को उनकी कारीगरी के प्रयोजन के लिए खंड (ख) में उल्लेखित वस्तुओं को ले जाने हेतु प्रदान की जाने–वाली रियायतों के लिए।

237. निस्तार–अधिकारों के उपयोग के लिए कलेक्टर द्वारा भूमि का पृथक रखा जाना –

(1) इस नियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए कलेक्टर, दखल रहित भूमि को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए पृथक् रख सकेगा।

अर्थात् :–

क. इमारती लकड़ी या ईंधन के लिए रक्षित किए जाने वाले क्षेत्रों के लिए,

ख. चरागाह, घास, बीड या चारे के लिए रक्षित किए जाने–वाले क्षेत्र के लिए,

ग. कब्रस्तान तथा श्मशान के लिए,

घ. गांव स्थान (गांवठान) के लिए,

ड. पड़ाव डालने के स्थान के लिए,

च. खलियान के लिए,

छ. बाजार के लिए,

ज. खाल निकालने के लिए,

झ. खाद के गड्ढों के लिए,

ञ. सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए जैसे पाठशालाएं, खेल के मैदान, उद्यान, सड़कें, गलियां, जलनिकास तथा

तत्सदृश अन्य, और

ट. किन्हीं भी अन्य प्रयोजनों के लिए निस्तार–अधिकार के प्रयोग के लिए विहित किए जाएं।

(2) उपधारा (1) में वर्णित किसी भी प्रयोजन के लिए विशेष रूप से पृथक् रखी गई भूमियां, कलेक्टर की मंजूरी के बिना, अन्यथा व्यपवर्तित नहीं की जाएंगी।

238. दूसरे गांव की बंजर भूमि में अधिकार –

(1) जहां कलेक्टर का यह मत हो कि किसी गांव की बंजर भूमि अपर्याप्त और यह सार्वजनिक हित में हैं कि इस धारा के अधीन कार्यवाही की जाए, तो वह ऐसी जांच के पश्चात्, जैसी वह उचित समझे, यह आदेश दे सकेगा कि गांव के निवासियों को पड़ोस के गांव में आदेश में उल्लेखित सीमा तक यथास्थिति निस्तार का अधिकार या पशु चराने का अधिकार प्राप्त होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन पड़ोस के गांव में या शासकीय वन में पशु चराने का अधिकार रखने–वाले गांव के निवासी उन अधिकारों को प्रयोग में लाने के प्रयोजन के लिए अपने मार्ग का अधिकार अभिलिखित कराने के लिए कलेक्टर को आवेदन–पत्र दे सकेंगे।

(3) यदि उपधारा (2) के अधीन दिए गए आवेदन पत्र की जांच किए जाने पर, कलेक्टर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि किसी अन्य गांव में या शासकीय वन में उनके पशु चराने के अधिकार का प्रयोग करने के लिए ऐसे निवासियों को समर्थ बनाने के हेतु मार्ग का अधिकार यथोचित रूप से आवश्यक है, तो वह उनके ऐसे मार्ग के अधिकार को घोषित करते हुए आदेश प्रदान करेगा और उन शर्तों का उल्लेख करेगा जिन पर उसका प्रयोग किया जाएगा।

(4) कलेक्टर, तदनतर मार्ग क्रमणः को अवधारित करेगा और ऐसे मार्ग को ऐसी रीति में निर्बधित करेगा जिससे उस गांव के निवासियों को, जिसमें हो कर वह जाए, कम–से–कम असुविधा हों।

(5) कलेक्टर, यदि वह उचित समझे तो ऐसे मार्ग को सीमांकित कर सकेगा।

(6) इस धारा के अधीन कलेक्टर द्वारा दिए गए आदेश निस्तार पत्रक में अभिलिखित किए जाएंगे।

(7) जहां उपधारा (1) में वर्णित गांव विभिन्न जिलों में आते हो तो निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे, अर्थात्–

(क) निस्तार के अधिकार या पशु चराने के अधिकार को उल्लेखित करने–वाले आदेश उस कलेक्टर द्वारा प्रदान किए जाएंगे जिसके जिले में वह गांव आता हो, जिसके ऊपर ऐसे अधिकार का दावा किया गया हो।

(ख) मार्ग–क्रमण के संबंध में कोई भी आदेश उस कलेक्टर द्वारा प्रदान किए जाएंगे, जिसके अपने क्षेत्राधिकार में वह क्षेत्र आता हो जिसके ऊपर मार्ग अनुज्ञात किया गया हो।

(ग) खंड (क) तथा (ख) के अनुसार आदेश प्रदान करते समय कलेक्टर संबंधित अन्य कलेक्टर से लिखित में परामर्श करेगा।

239. दखल रहित भूमि में लाए गए फलदार वृक्षों में अधिकार –

(1) जब इस संहिता के प्रवृत्त होने के पूर्व कोई फलदार वृक्ष किसी गांव को दखल रहित भूमि में किसी व्यक्ति द्वारा लगाया गया हो, और इस प्रकार अभिलिखित किया गया हो, तो भले ही ऐसी भूमि राज्य शासन में निहित क्यों न हो, ऐसा व्यक्ति और उसका हित, उत्तराधिकारी पीढ़ी दर पीढ़ी तदर्थ किसी स्वामित्व शुल्क (रॉयल्टी) या अन्य व्यय का भुगतान किए बिना ही, ऐसे वृक्षों के कब्जे तथा फलोपभोग के हकदार होंगे।

(2) किसी गांव की दखल रहित भूमि में फलदार वृक्ष लगाने की इच्छा रखने–वाला कोई व्यक्ति (तहसीलदार) की पूर्व अनुज्ञा से ऐसा कर सकेगा और इस उपधारा के अधीन प्राप्त अनुज्ञा के अनुसार लगाए गए फलदार वृक्ष से

यथा संभव उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे।

(3) इस धारा के अधीन प्रदत्त अधिकार अंतरण योग्य (हस्तांतरणीय) होगा किन्तु फलदार वृक्ष लगाने–वाले व्यक्ति को या उसके हित–उत्तराधिकारी को ऐसे वृक्ष के कलेवार अथवा भूमि में, जिस पर वह खड़ा हो, कोई अधिकार नहीं होगा।

(4) यदि इस धारा के अधीन कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो वह (तहसीलदार) द्वारा विनिश्चित किया जाएगा जिसका कि विनिश्चिय अंतिम होगा।

(5) राज्य शासन अनुज्ञा प्रदान करने तथा इस धारा के अधीन प्रदत्त अधिकार के प्रयोग का विनियमित करते हुए नियम बना सकेगा।

नियम – राजपत्र दिनांक 22 जनवरी 1960 के प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 216–6477–सात–ना (नियम), दिनांक 6 जनवरी 1960 द्वारा राज्य शासन ने धारा 239 की उपधारा (5) के अधीन निम्नलिखित नियम बनाए हैं :–

नियम

1. इन नियमों में संहिता से तात्पर्य मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (1959 का क्र. 20) से है।

2. (1) फलदार वृक्ष रोपित करने की अनुज्ञा केवल निम्न निर्दिष्ट दखल (आधिपत्य) रहित भूमि पर ही दी जा सकेगी तथा किसी अन्य पर नहीं :–

(एक) चरागाह भूमियों की सीमाओं पर, जब इस प्रकार की भूमियां दस एकड़ अथवा अधिक के एकत्र खंड में हो;

(दो) गांव स्थान (गाँवठान);

(तीन) पड़ाव डालने के स्थान;

(चार) बाजार;

(पाँच) चमड़ा निकालने की भूमियां;

(छह) सड़कों की बगलों में; अथवा;

(सात) नदियों, नालों और तालाबों के किनारे।

(2) इस प्रकार की अनुज्ञा केवल निम्न वृक्षों को रोपित करने के लिए तथा किसी भी अन्य के लिए नहीं दी जा सकेगी :–

(एक) आम;

(दो) इमली;

(तीन) जामुन;

(चार) महुआ।

3. फलदार वृक्ष रोपित करने की अनुज्ञा निम्न प्रतिबंधों के अधीन दी जा सकेगी, अर्थात् :–

(1) पौधे जो रोपित किए जाएंगे पशुओं द्वारा हानि से रोकने हेतु बागड़ से सुरक्षित होंगे;

(2) वृक्षों के बीच की दूरी यदि वे नदियों, नालों अथवा तालाबों के किनारे अथवा सड़क की बगलों के साथ–साथ एक पंक्ति में रोपित किए जाएं, 12 मीटर से कम न होगी;

(3) यदि रोपण कुंज का रूप लेने वाला हो तो रोपित किए जाने वाले वृक्षों की संख्या प्रति एकड़ 30 से अधिक न होगी तथा वृक्षों के बीच कम से कम 12 मीटर की दूरी छोड़ी जाएगी; तथा

(4) उस भूमि को जिस पर रोपण की अनुज्ञा दी गई है, बागड़ न की जाएगी अथवा घेरा न जाएगा तथा पशुओं समेत भूमि पर अबाध प्रवेश की अनुज्ञा दी जाएगी।

4. दखल (आधिपत्य) रहित भूमि पर वृक्ष रोपित करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति फलदार वृक्षों की संख्या तथा नाम तथा उस भूमि का जिस पर वह उन्हें रोपित करना चाहता है परिमाप अंक/भू–खंडाक, ग्राम के नाम सहित निर्दिष्ट करते हुए तहसीलदार को आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा। खसरा अथवा क्षेत्र पुस्तक की संबद्ध प्रविष्टि तथा यदि उक्त भूमि धारा 237 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी निस्तार के किसी पद के लिए पृथक् कर दिया गया है तो निस्तार–पत्रक की संबद्ध प्रविष्टि की प्रतिलिपि आवेदन–पत्र के साथ दी जाएगी।

5. आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर यदि तहसीलदार उसे नियमानुकूल पाता है, तो वह –

(1) इस संहिता की प्रथम अनुसूची के नियम 17 के अनुसरण में, अनुज्ञा प्रदान किए जाने में, आपत्तियों का यदि कोई हों, आव्हान करते हुए इन नियमों के संलग्न प्रारूप 'क' में घोषणा प्रकाशित कराएगा;

(2) किसी राजस्व पदाधिकारी को, जो पद में नायब तहसीलदार से कम न हो, स्थल पर निरीक्षण करने, संबद्ध भू–अभिलेखों में परीक्षण करने तथा संभाव्य आपत्तियाँ, यदि कोई हो, के गुणागुण पर उनको प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा; तथा

(3) राजस्व विभाग के अतिरिक्त राज्य शासन के अन्य विभागों से जिनकी पुस्तकों में उक्त सड़क अथवा भूमि लेखित है, लिखित में परामर्श करेगा।

6. यदि आवेदक को तथा किसी अन्य व्यक्ति को जो उद्घोषणा के प्रकाशन के फलस्वरूप उपस्थित हो, श्रवण करने के पश्चात् तथा जांच करने वाले पदाधिकारी के प्रतिवेदन तथा संबंधित विभागीय प्राधिकारी के प्रतिवेदन का परीक्षण करने के पश्चात् तहसीलदार को प्रतीत होता है कि अनुज्ञा नहीं दी जानी चाहिए, तो वह ऐसा करने के कारण अभिलिखित करते हुए, उक्त आवेदन को निरस्त कर देगा।

7. यदि तहसीलदार आवेदन को निरस्त नहीं करता है, तो वह नियम 3 में निर्दिष्ट प्रतिबंधों के अधीन अनुज्ञा करेगा।

प्रारूप क

(नियम 5 देखिए)

उद्घोषणा

प्रकरण ..... के समक्ष स्थान ..... प्रकरण क्रमांक ..... क्योंकि ..... पुत्र ..... निवासी ..... ग्राम ..... तहसील ..... जिला ..... में मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (1959 का क्र0 20) की धारा 239 की उपधारा (1) के अधीन अनुसूचित आधिपत्य रहित भूमि पर फलदार वृक्ष रोपित करने की अनुज्ञा के हेतु आवेदन किया हैं उन समस्त व्यक्तियों को जिन्हें अनुज्ञा दिए जाने हेतु कोई आपत्ति हो एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वे या तो स्वयं या किसी अभिभाषक अथवा प्रतिनिधि द्वारा ..... बजे प्रातः/सायं दि0 ..... को ..... पर उपस्थित हों तथा अपनी आपत्तियां प्रस्तुत करें।

उक्त दिनांक तथा स्थान पर उपस्थित होने अथवा दावा प्रस्तुत करने में त्रुटि करने की दशा में किसी आपत्ति पर विचार न होगा।

240. कतिपय वृक्षों की कटाई का प्रतिषेध ––

अनुसूची

परिमाप अंक / भू–खंडांक	क्षेत्रफल	वृक्षों की जाति तथा संख्या
(1)	(2)	(3)

(मुद्रा) .....

दिनांक .....

तहसीलदार

(1) यदि राज्य शासन का यह मत हो कि किन्हीं वृक्षों की कटाई सार्वजनिक हित के लिए हानिकर है या यह कि भूमि के कटाव को रोकने के लिए कतिपय वृक्षों की कटाई का प्रतिषेध या विनियमन करना आवश्यक है, तो वह इस संबंध में बनाए गए नियमों द्वारा ऐसे वृक्षों की कटाई का प्रतिषेध या विनियमन कर सकेगा, चाहे ऐसे वृक्ष भूमिस्वामी की भूमि पर या राज्य शासन की भूमि पर खड़े हों।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियम बनाते समय राज्य शासन यह उपबंध कर सकेगा कि समस्त या कोई नियम केवल ऐसे क्षेत्र में लागू होंगे जिसे राज्य शासन अधिसूचना द्वारा, उल्लिखित करें।

(3) राज्य शासन अपनी भूमि पर की वनोपज के नियंत्रण, प्रबंध, काट कर गिराने अथवा हटाने का विनियमन करने वाले नियम बना सकेगा।

नियम – (उपधारा (1) के अधीन) ––राजपत्र दिनांक 22 जनवरी 1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 217–6477–सात–ना (नियम), दिनांक 6 जनवरी 1960 द्वारा निम्नलिखित नियम जारी किए गए हैं –

नियम

क्योंकि राज्य शासन का यह मत है कि कतिपय वृक्षों का काटना सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक है और यह आवश्यक है कि भूमि के कटाव को रोकने के लिए कतिपय वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध और विनियमन आवश्यक है –

अतएव राज्य शासन ने धारा 240 के अधीन निम्नलिखित नियम बनाए हैं :–

सार्वजनिक हित में या भूमि के कटाव रोकने हेतु वृक्षों के काटे जाने का प्रतिबंध अथवा विनियमन

1. किसी वृक्ष को जो –

(क) किसी जल–प्रवाह, झरना या तालाब के किनारे के छोर से 30 मीटर के भीतर हो;

(ख) किसी सड़क या गढ़वास के बीच से 15 मीटर के भीतर या किसी पगडंडी से 6 मीटर के भीतर हो;

(ग) किसी पवित्र निकुंज से ढंके क्षेत्र पर या किसी पवित्र स्थान के आसपास 30 मीटर के व्यास में हो;

(घ) वन महोत्सव कार्यक्रम या किसी योजना के अधीन वृक्ष जातियों के रोपण के क्षेत्र में हो;

(ड़) किसी पड़ाव–भूमि, कब्रस्तान या श्मशान भूमि, गांवठान, खलिहान या आबादी के रूप में पृथक रखे गए क्षेत्र में हो;

(च) ऐसी पहाड़ी और ऊँची नीची भूमियों पर, जिनमें ढलाव तथा कृषि–अयोग्य भूमि हो या ऐसी सीमा की भूमि जिस पर लाभकर खेती की उपज संभव न हो, स्थित हो;

काटा, घेरा (गर्डल्ड) या अन्यथा क्षत नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण – खंड (क) के प्रयोजनों के हेतु जल–प्रवाह में वे समस्त नदियाँ, धारे तथा नाले सम्मिलित है जिनमें साधारणतः दिसंबर के अंत तक पानी रहता है, किंतु उसमें वर्षा ऋतु में पानी के बहाव से बनी से नालियां सम्मिलित नहीं है।

2. {(1)} निम्नलिखित जातियों के वृक्ष कलेक्टर की लिखित अनुज्ञा के बिना नहीं काटे जाएंगे :–

(एक) आम;

(एक–क) चंदन};

{(दो) छिंद, ताड़ तथा खजूर के अतिरिक्त ताड़ की अन्य जातियां};

(तीन) इमली;

(चार) जामुन;

(पांच) महुआ

(छह) (लुप्त किया गया)

(सात) हर्रा

3. कलेक्टर नियम 1 तथा 2 में निर्दिष्ट वृक्षों को काटने की अनुज्ञा दे सकेगा, यदि –

(एक) उक्त वृक्ष अथवा उसके भागों के जन तथा धन को हानि अथवा क्षति होने की संभावना है अथवा पीने के जल के दूषित होने की संभावना;

(दो) वृक्ष मर गए हैं अथवा मर रहे हैं;

(तीन) वृक्षों को हटाए जाने से सार्वजनिक उपयोग के स्थान का सौंदर्यवर्धन होगा अथवा उसकी उपयोगिता बढ़ेगी;

(चार) वृक्षों को हटाया जाना भूस्वामी के अन्य उत्पादन के सर्वोत्कृष्ट हित में हैं जिसे कि नियमित अन्न की फसल के अधीन भूमि पर इस प्रकार के वृक्षों की छाया के कारण हानि हो रही हो;

(पांच) वृक्षों को हटाया जाना उक्त भूमि की कृषि योग्य मिट्टी को अन्न की सफल के अधीन लाना सुविधाजनक कर देगा;

(छह) उक्त वृक्षों का अस्तित्व जनहित को अथवा उक्त वृक्षों के स्वामियों के हितों को विपरीत प्रभावित करता है;

(सात) कलेक्टर को इस बात की तुष्टि तो जाए कि भूमिस्वामी द्वारा वृक्षों को ऐसे काटना उसके सद्भावना पूर्ण निस्तार प्रयोजनों के लिए आवश्यक है;)

(आठ) अनुसूचित जनजाति, जो भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 165 की उपधारा (6) के अधीन आदिवासी जाति घोषित की जा चुकी है, से संबंधित भूमिस्वामी के प्रकरण में, यदि कलेक्टर को इस बात की तुष्टि हो जाए कि मध्यप्रदेश आदिवासी जाति (वृक्षों में हित) संरक्षण अधिनियम, 1956 के प्रतिबंधों का विधिवत् पालन किया गया है।)

4. (राजपत्र दिनांक 20 जनवरी 1961 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 8781–4043–सात–ना–नियम, दिनांक 26 दिसम्बर 1960 द्वारा नियम 4 लुप्त किया गया।)

5. किसी ऐसी भूमि जो वृक्षों को ढकी हो किंतु जो स्थायी कृषि के अयोग्य हो, का भूमिस्वामी शासन के दखल (आधिपत्य) की वर्तमान बाजार दर पर लगभग समान मूल्य की कृषि भूमि से विनिमय के हेतु कलेक्टर को

आवेदन कर सकेगा, परंतु इस प्रकार का विनिमय किसी एक अथवा दोनों पक्षों को अहितकर न हो तथा कोई व्यक्ति इस प्रकार के विनिमय से विपरीत प्रभावित न हो।

6. जहाँ किसी राजस्व पदाधिकारी को यह भरोसा करने का कारण हो कि राज्य शासन की भूमि पर खड़ा हुआ कोई वृख इन नियमों के उल्लंघन में काट लिया गया है, तो ऐसा वृक्ष उस राजस्व पदाधिकारी द्वारा अथवा उसकी आज्ञा के अधीन अभिग्रहीत किया जा सकता है। यदि ऐसा राजस्व पदाधिकारी उप–खंडीय पदाधिकारी के अतिरिक्त कोई अन्य पदाधिकारी हो तो उसके द्वारा ऐसे अभिग्रहण का प्रतिवेदन पंद्रह दिवस के भीतर उप–खंडीय पदाधिकारी को, ऐसी कार्यवाही के लिए जो वह मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (1959 का क्र0 20) की धारा 253 के अधीन उचित समझे, किया जाएगा।

वनोपज के नियंत्रण आदि के बारे में नियम –– राजपत्र दिनांक 30 अक्टूम्बर 1964 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 5262–3472–सात–ना (नियम), दिनांक 28 सितंबर 1964 द्वारा राज्य शासन ने धारा 240 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित नियम बनाए :–

नियम

1. इन नियमों में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो –

   (क) "संहिता" से तात्पर्य मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) से है।

   (ख) "वन" से तात्पर्य राजस्व विभाग के प्रबंध के अधीन संरक्षित अथवा रक्षित वनों के अतिरिक्त शासकीय वन से है।

2. वन का प्रबंध, ग्राम के पटेल द्वारा ग्राम के पटवारी तथा कोटवार की सहायता से राजस्व निरीक्षक तथा राजस्व पदाधिकारियों के पर्यवेक्षण के अधीन, किया जाएगा।

3. वन से पूरी की जाने वाली निस्तार आवश्यकताओं तथा कटाई की संहिता की धारा 234 के अनुसार तैयार किए गए गांव के निस्तार–पत्रक के अनुसार तथा ऐसे निर्बधन के अधीन रहते हुए विनियमित किया जाएगा जिन्हें कलेक्टर ऐसे वनों के परिरक्षण के हित में अधिरोपित करें।

   व्याख्या – अभिव्यक्ति "निस्तार आवश्यकताओं" से तात्पर्य वास्तविक घरेलू उपयोग के प्रयोजन के लिए अपेक्षित निस्तार से है न कि विक्रय, दान, वस्तु विनियम, निर्यात या क्षयकारी उपयोग के लिए अपेक्षित निस्तार से।

4. कलेक्टर ऐसे प्रभारों की देनगी पर जो कि उसके द्वारा खंडीय (संभागीय) वन पदाधिकारी के परामर्श से नियत किए जाएंगे, ग्राम के किसी भी निवासी को उसकी निस्तार आवश्यकताओं के अतिरिक्त, किसी वन पैदावार को काटने तथा ले जाने की अनुज्ञा दे सकेगा। एक बार नियम किए गए प्रभार तीन वर्ष तक प्रवृत्त रहेंगे।

5. लाख, हर्रा, रूसा तेल, गोंद, इमारती लकड़ी तथा वाणिज्यिक मूल्य की अन्य वन पैदावार, जिन पर उपयोग के अधिकार नहीं दिए गए हों, के विक्रय की रीति कलेक्टर द्वारा, जब कभी सुविधायुक्त हो, खंडीय (संभागीय) वन पदाधिकारी के परामर्श से, अवधारित की जाएगी। वन पैदावार का, उसके पास में लगे हुए संरक्षित या रक्षित वनों की उपज सहित, खंडीय (संभागीय) वन पदाधिकारी द्वारा नीलाम किया जा सकेगा; जब यह व्यवस्था संभव या उपयुक्त न हो, तो ये कलेक्टर द्वारा पृथक् से नीलाम की जा सकेगी।

6. यदि रक्षित/संरक्षित वन उपज तथा राजस्व विभाग के अधीन वन की पैदावार का एकल पट्टे द्वारा विक्रय किया गया हो, तो पट्टा विलेख खंडीय (संभागीय) वन पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा। यदि वन–पैदावार का पृथक पट्टे से विक्रय किया गया हो तो पट्टा विलेख कलेक्टर द्वारा हस्ताक्षरित होगा।

7. ऐसे विक्रयों से प्राप्त समस्त पट्टा धन शासकीय लेखों में प्रधान शीर्ष "नौ भू–राजस्व" के अधीन आंकलित किया जाएगा। उन मामलों में, जहां वन तथा राजस्व विभागों के अधीन वन उपज या वनों की पैदावार के लिए एकल

पट्टा दिया गया हो, वहां वन तथा राजस्व विभाग के पट्टा–धन के अंशों को खंडीय (संभागीय) वन पदाधिकारी तथा कलेक्टर द्वारा परस्पर अवधारित किया जाएगा, जो प्रत्येक विभाग के प्रबंध के अधीन वन क्षेत्र के अनुपात में होगा।

8. वन का समुपयोजन निम्नलिखित शर्तो के अधीन होगा, अर्थात् :–

(क) (एक) ऐसा कोई भी वृक्ष नहीं काटा जाएगा जिसकी परिधि छाती की ऊंचाई पर 9 इंच तक हो;

(दो) समस्त वृक्ष यावत्संभव भूमि की सतह के निकट से काटे जाएंगे;

(तीन) किसी भी वृक्षों की न तो घिरान की जाएगी और न उन्हें कृतस्कंध ;च्वससंतकमकद्ध किया जाएगा;

(ख) वृक्षों की जड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा;

(ग) (एक) दो वर्ष से कम के किन्हीं भी बांस प्ररोहों को काट कर नहीं गिराया जाएगा;

(दो) बांस, भूमि की सतह से एक फुट की ऊंचाई से अधिक पर, नहीं काटा जाएगा;

(तीन) किन्हीं भी बांस समूहों में, जिनमें दस से कम पीरे अंतर्विष्ट हों, कटाई कार्य नहीं किया जाएगा;

(घ) निस्तार पत्रक के अनुसार काटी या कटाई जाने वाली वनोपज (वन–पैदावार) के अतिरिक्त कोई भी वनोपज (वन–पैदावार) कलेक्टर की मंजूरी के बिना काटी या ले जाई नहीं जाएगी;

(ड़) सूर्यास्त तथा सूर्योदय के बीच कोई भी वनोपज (वन–पैदावार) नहीं ले जाई जाएगी;

(च) दी इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, 1927 (भारतीय वन अधिनियम, 1927) (क्रमांक 16 सन् 1927) के अधीन बनाए गए मध्य प्रदेश ट्रांजिट (फारेस्ट प्रोड्यूस) रूल्स, 1961 (मध्य प्रदेश संक्रमण (वन उपज) नियम, 1961) द्वारा अधिरोपित निर्बधन वनोपज (वन–पैदावार) को ले जाने पर भी लागू होंगे।

9. पटेल, पटवारी, कोटवार, राजस्व निरीक्षक या अन्य राजस्व पदाधिकारी वनों से ले जाई गई वनोपज (वन पैदावार) का परीक्षण कर सकेगा।

10. (1) कोई भी व्यक्ति वन के किसी भी भाग में आग नहीं लगाएगा तथा कोई भी व्यक्ति वन के सामीप्य में आग नहीं लगाएगा जिससे कि उसमें पड़ी हुई किसी इमारती लकड़ी या उसके किन्हीं भी वृक्षों को नुकसान पहुंचे।

(2) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का, जो वन में किसी अधिकार का प्रयोग कर रहा हो या जिसे वन से अपनी निस्तार आवश्यकताएं पूरी करने या उसमें पशु चराने के लिए अनुज्ञा दी गई हो, यह कर्त्तव्य होगा कि वह वन में या, उसके सामीप्य में आग लगने की घटना, उसकी जानकारी में आए, निकटतम पटेल, पटवारी या कोटवार को तत्क्षण दे और ऊपर नामांकित ग्राम पदाधिकारियों द्वारा ऐसा करने के लिए अपेक्षित किया जाए या नहीं –

(एक) ऐसी आग को बुझाने के लिए; और

(दो) अपनी शक्ति के भीतर सभी वैध उपायों द्वारा ऐसे वन के सामीप्य में लगी ऐसी आग को वन में न फैलने देने के लिए कदम उठाए।

11. जब किसी राजस्व अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि इन नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में कोई वृक्ष काटा गया है, या वन से वनोपज (वन–पैदावार) ले जाई गई है, तो राजस्व पदाधिकारी के आदेशों द्वारा या अधीन ऐसे वृक्ष या वनोपज (वन–पैदावार) का अभिग्रहण किया जा सकेगा। जहाँ राजस्व पदाधिकारी उप–खंडीय पदाधिकारी को छोड़कर, कोई अन्य पदाधिकारी हो, पंद्रह दिन के भीतर ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट, उसके द्वारा उप–खंडीय पदाधिकारी को ऐसी कार्यवाही के लिए जो कि वह संहिता की धारा 253 के अधीन

उचित समझे, की जाएगी।

241. शासकीय वनों से इमारती लकड़ी की चोरी रोकने के उपाय –

(1) यदि राज्य शासन का यह समाधान हो जाए कि किसी शासकीय वन से इमारती लकड़ी की चोरी रोकने की दृष्टि से, लोकहित में यह आवश्यक है कि ऐसे वनों के पार्श्ववर्ती किसी भी क्षेत्र में समाविष्ट गांवों में इमारती लकड़ी को काट कर गिरानें तथा हटाने का विनियमन किया जाए तो राज्य शासन, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे क्षेत्र को इस धारा के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित क्षेत्र घोषित कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित प्रत्येक आदेश अधिसूचित क्षेत्र में समाविष्ट समस्त गांवों में विहित रीति में उद्घोषित किया जाएगा।

(3) धारा 169 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किंतु उपधारा (5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए जब उपधारा (2) के अधीन किसी भी गांव में आदेश उद्घोषित किया जा चुका हो, कोई भी व्यक्ति विक्रय के किसी व्यवहार के अनुसरण में या व्यापार अथवा कारोबार के प्रयोजनों के लिए, इस संबंध में बनाए जाने वाले नियमों के अनुसार के अतिरिक्त, न तो ऐसे गांव के किसी खाते में के किसी इमारती लकड़ी के वृक्ष को काट कर गिराएगा और न किसी वृक्ष के कलेवर को, किसी ऐसे खातों से हटाएगा।

(4) कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उपधारा (3) के या उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम के उपबंधों का उल्लंघन करे या उल्लंघन करने की चेष्टा करें अथवा उल्लंघन को अभिप्रेरित करें, उसके विरूद्ध की जाने वाली किसी भी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कलेक्टर के लिखित आदेश पर ऐसी शास्ति का भुगतान करने का दायी होगा, जो 1,000 रूपए से अधिक न हो, जो उसके द्वारा आरोपित की जाए, और कलेक्टर, इस उपधारा के उपबंधों के उल्लंघन में काटकर गिराए गए इमारती लकड़ी के किन्हीं भी वृक्षों की जप्ती का भी आदेश दे सकेगा।

(5) उपधारा (3) तथा (4) की कोई भी बात किसी भी व्यक्ति द्वारा अपनी भूमि से अपने वास्तविक कृषि संबंधी या घरेलू प्रयोजनों के लिए इमारती लकड़ी के वृक्ष काट कर गिराने या हटाने से लागू नहीं होगी यदि ऐसा काट कर गिराया जाना या हटाया जाना या अन्यथा इस संहिता के अन्य उपबंधों के अनुसार हो।

उपधारा (2) तथा (3) के अधीन नियम –– राजपत्र दिनांक 22 जनवरी 1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 218–6477–सात–ना (नियम), दिनांक 6 जनवरी 1960 द्वारा राज्य शासन ने धारा 241 की उपधारा (2) तथा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित नियम बनाए हैं :–

नियम

1. मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 241 की उपधारा (2) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित आदेश हिंदी में अनुवादित किया जाएगा तथा इस अनुवाद की एक प्रतिलिपि ऐसे ग्राम या ग्रामों में जो अधिसूचित क्षेत्र में सम्मिलित हैं किसी सार्वजनिक आवागमन के स्थान पर चिपकाई जाएगी। जहां ग्राम पंचायत अथवा ग्राम सभा है वहां इसकी एक प्रतिलिपि उस पंचायत या सभा के सूचना फलक पर चिपकाई जाएगी और संबंधित ग्रामों तथा साप्ताहिक हाट, यदि कोई लगती हो, में भी इसकी घोषणा डुग्गी पीट कर की जाएगी।

2. जब उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश घोषित कर दिया जाए, तब विक्रय अथवा व्यापारिक अथवा व्यवसाय के प्रयोजनों के हेतु अपने खाते में से किसी इमारती लकड़ी के वृक्ष को काटने का इच्छुक व्यक्ति इन नियमों के संलग्न प्ररूप क में लिखित में दो प्रतियों में कलेक्टर को आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा।

3. (1) इस प्रकार आवेदन पत्र प्राप्त होने पर कलेक्टर तुरंत ही दूसरी प्रति खंडीय वन पदाधिकारी को उसके सूचनार्थ भेज देगा। वह तत्पश्चात् निश्चित करेगा कि उक्त इमारती लकड़ी के वृक्षों में जिनके काटने के हेतु आवेदन किया गया है कौन से जनहित में रोके जाना है तथा कौन से भूमि कटन रोकने के हेतु वांछित

है। वह खाते में उनके अतिरिक्त जिन्हें वह रोके जाने का आदेश दे, समस्त इमारती लकड़ी के वृक्ष काटे जाने की अनुज्ञा देगा;

(परंतु जनजाति, जो मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 165 के उपधारा (6) के अधीन आदिवासी जनजाति घोषित कर दी गई है, से संबंधित भूमिस्वामी के प्रकरण के संबंध में कलेक्टर ऐसा आदेश दे सकता है यदि उसे इस बात की पुष्टि हो जाए कि मध्य प्रदेश आदिवासी जनजाति (वृक्षों में हित) संरक्षण अधिनियम, 1956 के उपबंधों का विधिवत् पालन किया गया है।)

4. यदि आवेदक तीन मास के भीतर उसके आवेदन पर कोई निर्णय प्राप्त नहीं करता है, वह दूसरे लिखित संदेश के द्वारा कलेक्टर का ध्यान आकर्षित करेगा और यदि अगले तीन मास में कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह धारणा की जाएगी कि कलेक्टर ने, बिना किन्हीं वृक्षों के संरक्षण के, आवेदन की गई कटाई के हेतु सहमति दे दी है।

5. (1) नियम 3 के अधीन कलेक्टर द्वारा भूमिस्वामी को दी गई लिखित अथवा नियम 4 के अधीन धारणा की गई अनुज्ञा उसी ईसवी वर्ष के हेतु मान्य रहेगी जिसमें वह प्रदान की गई हैं अथवा जिसके प्रदान किए जाने की धारणा की गई हैं।

(2) उस दशा में जब, यदि काटने तथा कर्षित करने का कार्य उस ईसवी वर्ष जिसमें इस प्रकार अनुज्ञा प्रदान की गई थी के आगे चलना है, भूमिस्वामी को कलेक्टर से नवीन अनुज्ञा प्रदान करना होगी।

6. छोड़े जाने–वाले वृक्षों को निम्नलिखित रीति से चिन्हित किया जाएगा :–

(एक) ऐसे वृक्ष छोड़े जाने के हेतु ग्राम के पटेल अथवा कलेक्टर द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा चिन्हित किए जाएंगे।

(दो) ऐसे वृक्ष की ऊँचाई पर अर्थात् भूमि के धरातल से 1–1/2 मीटर पर कोलतार की पट्टीधारित किए जाएंगे तथा क्रमशः क्रमांकित किए जाएंगे।

7. ग्राम के पटेल का यह देखने का कर्त्तव्य होगा कि ऐसे वृक्ष जिन्हें छोड़ें जाने का आदेश हुआ है, काटे नहीं जाते हैं।

8. ठूंठ के स्थान पर ही वृक्षों को काटा जाएगा तथा उनके टुकड़े किए जाएंगे। काटे जाने तथा टुकड़े किए जाने की क्रिया समाप्त हो जाने की सूचना आवेदक, पंजीयित डाक द्वारा खंडीय वन पदाधिकारी को देगा, इस प्रार्थना के साथ कि इस प्रकार प्राप्त इमारती लकड़ी के टुकड़ो पर हथौड़े का चिन्ह लगा दिया जाए जिससे वह उन्हें खाते से हटा सकें।

9. इस प्रकार के आवेदन–पत्र की प्राप्ति पर खंडीय वन पदाधिकारी उक्त इमारती लकड़ी पर हथौड़ें का चिन्ह लगाने के हेतु एक मास के भीतर किसी वन चौकीदार की नियुक्ति करेगा। वह ठूंठों पर भी हथौड़े के चिन्ह लगाएगा।

आवेदक को 5 नये पैसे प्रति टुकड़े की दर से चिन्ह लगाने वाले पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित किए जाने पर चिन्ह लगाने का व्यय देना होगा।

हथौड़े का चिन्ह लगाने हेतु नियुक्त वन पदाधिकारी अपना काम समाप्त हो जाने पर तुरंत ऐसे टुकड़ों की सूची जिन पर हथौड़े का चिन्ह लगाया गया है, खंडीय वन पदाधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

10. (1) कोई भी इमारती लकड़ी का भाग ठूँठों के स्थान से तब तक न हटाया जाएगा जब तक कि उस पर हथौड़े का चिन्ह नहीं लगाया गया हो तथा आवेदक ने निकटतम वन क्षेत्र पदाधिकारी से परिवहन अनुज्ञा पत्र प्राप्त नहीं कर लिया हो। अनुज्ञा पत्र इन नियमों के संलग्न प्ररूप 'ख' में होगा।

(2) इमारती लकड़ी को ढोते समय उसका प्रभारी कोई भी व्यक्ति किसी भी वन पदाधिकारी (राजस्व पदाधिकारी अथवा पुलिस पदाधिकारी) द्वारा, जब कभी भी उससे कहा जाए, उसके प्रभार की इमारती लकड़ी से संबंधित अनुज्ञा पत्र निरीक्षण के हेतु प्रस्तुत करेगा।

(3) यदि उक्त नियमों के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन में कोई इमारती लकड़ी परिवहन की जाती है तो वह किसी भी वन पदाधिकारी (राजस्व पदाधिकारी या पुलिस अधिकारी) द्वारा, ऐसी वन उपज की भांति जिसके संबंध में कोई अपराध किया गया हो, अभिग्रहीत की जा सकेगी। इस प्रकार के उल्लंघन का प्रतिवेदन वन पदाधिकारी (राजस्व पदाधिकारी अथवा पुलिस अधिकारी) द्वारा पंद्रह दिवस के भीतर कलेक्टर को उचित कार्यवाही के हेतु करना होगा।

प्रारूप क

(नियम 2 देखिए)

(1) आवेदक का नाम, पिता का नाम पता सहित .....

(2) उस भूमिस्वामी का नाम जिसके खाते में तथा पटवारी हल्का क्रमांक सहित उस गांव का नाम जिसमें वृक्ष काटा जाना है .....

(3) परिमाप अंक/भू–खंडांक, क्षेत्रफल सहित, जिस पर वृक्ष काटा जाना है .....

(4) उक्त परिमाप अंक/भू–खंडांक में खड़े वृक्षों की जाति क्रम से तथा गोलाई समूह क्रम से कटाई किए जाने वाले समूह क्रम से कटाई किए जाने वाले समूह .....

(5) गोलाई समूह क्रम से कटाई की संख्या तथा काटे जाने वाले वृक्षों का अनुक्रमांक .....

(6) क्रेता का नाम तथा पूर्ण विवरण .....

(7) विक्रय की शर्तें तथा प्रतिफल .....

(8) स्वयं अथवा क्रेता द्वारा काटी हुई सामग्री जिस स्थान पर ढोई जाएगी .....

(9) ढोए जाने का मार्ग .....

दिनांक ..... आवेदक के हस्ताक्षर

प्रारूप 'ख'

(नियम 10 देखिए)

परिवहन अनुमति

पन्ना तथा अध–पन्ना

(1) जिसे प्रदान किया गया उसका नाम .....

(2) लकड़ी का विवरण तथा परिमाप .....

(3) वन अथवा भूमि जहां से वन–उपज प्राप्त की गई है .....

(4) जिससे लकड़ी क्रय की गई है उस व्यक्ति का नाम .....

(5) विक्रेता अथवा स्वामी का नाम .....

(6) वह मार्ग जिससे लकड़ी परिवहित की जाएगी .....

(7) उस स्थान का नाम जहां लकड़ी ले जाई जाएगी .....

(8) अनुमति की अर्हता की अवधि .....

(9) लकड़ी पर खोदे गए हथौड़ा के चिन्ह का चित्र .....

दिए जाने का दिनांक ....

हस्ताक्षर

242. रूढ़ि पत्रक (वाजिब–उल–अर्ज) –

(1) इस संहिता के प्रवृत्त होने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र (उप–खंडीय पदाधिकारी) विहित रीति में, किसी भी भूमि या जल में जो राज्य शासन या स्थानीय प्राधिकरण का न हो अथवा उसके द्वारा नियंत्रित या प्रतिबंधित न हो –

(क) सिंचाई के अधिकार या रास्ते के अधिकार या अन्य सुखाचार।

(ख) मछली पकड़ने के अधिकार,

के संबंध में प्रत्येक गांव की रूढ़ियों को सुनिश्चित एवं अभिलिखित करेगा और ऐसा अभिलेख गांव के रूढ़ि–पत्रक (वाजिब–उल–अर्ज) के नाम से जाना जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अनुसरण में किया गया अभिलेख ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए (उप–खंडीय पदाधिकारी) द्वारा प्रकाशित किया जाएगा।

(3) ऐसे अभिलेख में की गई किसी भी प्रविष्टि द्वारा परिवेदित कोई भी व्यक्ति उपधारा (2) के अधीन ऐसे अभिलेख के प्रकाशन के दिनांक से एक वर्ष के भीतर ऐसी प्रविष्टि को अपखंडित या परिवर्तित कराने के लिए सिविल न्यायालय में वाद चला सकेगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन किया गया अभिलेख उपधारा (3) के अधीन चलाए गए वाद में सिविल न्यायालय के विनिश्चिय के अधीन रहते हुए अंतिम एवं निश्चायक होगा।

(5) (उपखंडीय पदाधिकारी) उनमें हित रखने वाले किसी भी व्यक्ति के आवेदन पत्र पर या अपनी स्वयं की प्रेरणा से निम्नलिखित किसी भी आधार पर रूढ़ि पत्रक (वाजिब–उल–अर्ज) की किसी प्रविष्टि में परिवर्तन कर सकेगा, या उसमें कोई नही प्रविष्टि अंत स्थापित कर सकेगा।

क) यह किसी ऐसी प्रविष्टि में हित रखने वाले समस्त व्यक्ति यह चाहते हैं कि उसमें परिवर्तन किया जाए, या

ख) यह कि सिविल न्यायालय की डिक्री या आदेश पर या राजस्व पदाधिकारी के आदेश पर आधारित होते हुए भी वय ऐसी डिक्री या आदेश के अनुसार नहीं है या,

ग) यह कि सिविल न्यायालय की डिक्री या आदेश पर या राजस्व पदाधिकारी के आदेश पर आधारित होते हुए भी वह ऐसी डिक्री या आदेश के अनुसार नहीं है; या

घ) यह कि इस प्रकार आधारित होने पर भी ऐसी डिक्री या ऐसा आदेश पश्चात् में अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन में परिवर्तित कर दिया गया है; या

ड़) यह कि सिविल न्यायालय ने डिक्री द्वारा गांव में विद्यमान किसी भी रूढ़ि को अवधारित कर दिया है।

उपधारा (1) तथा (2) के अधीन नियम – राजपत्र दिनांक 22 जनवरी 1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 219–6477–सात–ना (नियम), दिनांक 6 जनवरी 1960 द्वारा राज्य शासन ने धारा 242 की उपधारा (1) तथा (2) के अधीन निम्नलिखित नियम बनाए है।

नियम

1. इन नियमों में –

(क) "संहिता" में तात्पर्य मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (1959 का क्र. 20) से है।

(ख) "प्रारूप" से तात्पर्य इन नियमों से संलग्न किसी प्रारूप से है।

(ग) "धारा से तात्पर्य संहिता की धारा से है।

2. धारा 242 की उपधारा (1) के अधीन रूढ़िया निश्चित की जाएगी तथा रूढ़ि पत्रक (वाजिब–उल–अर्ज) में निम्नलिखित शीर्षो के अधीन प्रविष्टि की जाएगी यथा –

एक) सिंचन का अधिकार

दो) अन्य जल का अधिकार

तीन) मछली पकड़ने का अधिकार

चार) मार्ग, ग्राम सड़कें, पथों, नालियों के तथा इसी प्रकार के अन्य अधिकार,

पांच) ग्राम की भूमि पर अन्य ग्रामों के व्यक्तियों के अधिकार,

छह) अन्य ग्रामों की भूमि पर ग्रामवासियों के अधिकार

सात) अन्य सुखाचार –

क) कब्रिस्तान तथा श्मशान भूमि।

ख) ग्राम स्थान।

ग) पड़ाव की भूमि।

घ) खलियान।

ड़) बाजार

च) चमड़ा निकालने के स्थान

छ) पशु चराने तथा ईंधन लेने का अधिकार।

ज) खाद तथा कचरा

आठ) अन्य विविध अधिकार

3. नियम (2) में निर्दिष्ट रूढ़ियों को निश्चित करने में निम्नलिखित प्रक्रिया अनुसरण किया जाएगा–

एक) (उप खंडीय पदाधिकारी) ग्राम के पिछले बंदोबस्त के समय तैयार किए गए रूढ़ि पत्रक (वाजिब–उल–अर्ज) यदि कोई हो, का परीक्षण करने के पश्चात् वर्तमान रूढ़ियों को नियम 2 में निर्दिष्ट शीर्षो में सम्मिलित करते हुए एक प्रारूप रूढ़ि पत्रक (वाजिब–उल–अर्ज) तैयार करेगा।

दो) ग्रामवासियों को यह दर्शित करते हुए कि क्या वे प्रारूप में लिखित रूढ़ियों पर कोई आपत्ति करते हैं अथवा किसी रूढ़ि को उसमें अभिलिखित किए जाने की कामना करते है, अपने दावे तथा आपत्तियां उसे एक निर्दिष्ट दिनांक तक जो घोषणा के दिनांक से 15 दिन से अधिक का न हो, अपने सम्मुख प्रस्तुत करने का आव्हान करते हुए प्रारूप 'क' में उद्घोषणा के साथ प्रारूप रूढ़िपत्रक (वाजिब–उल–अर्ज) को ग्राम में प्रकाशित करेगा।

तीन) दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करने के हेतु निश्चित दिनांक के बीत जाने के पश्चात् किसी दिनांक को जिसकी घोषणा डुग्गी पीट कर की जाएगी, ग्राम में इस प्रकार की जांच जो वह उचित समझे करेगा।

चार) तत्पश्चात् (उप खंडीय पदाधिकारी) इस प्रकार निश्चित रूढ़ियों का अभिलेख तैयार करेगा और यह अभिलेख उक्त ग्राम का रूढ़ि पत्रक (वाजिब–उल–अर्ज) कहलाएगा।

4. रूढ़ि पत्रक (वाजिब–उल–अर्ज) तैयार हो जाने के पश्चात् उसे ग्राम अथवा ग्राम सभा के कार्यकाल में अथवा किसी ऐसे अन्य उचित स्थान पर, जैसा उप खंडीय पदाधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाए, चिपकाई जाएगी।

प्रारूप 'क'

(नियम 3 देखिए)

रूढ़ियों के निश्चित करने हेतु उद्घोषणा

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि ग्राम ..... तहसील ..... जिला ..... में मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (1959 का क्रमांक 20) की धारा 242 की उपधारा (1) द्वारा वांछित होने के कारण सिंचन के अधिकार अथवा मार्ग के अधिकार अथवा अन्य सुखाचार अधिकारों अथवा उस भूमि अथवा तालाब में जो शासन अथवा स्थानीय निकायों के अधिकार अथवा नियंत्रण में न हो, मछली मारने के अधिकारों के संबंध में रूढ़ियों का निश्चित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। दावों एवं आपत्तियों के हेतु वर्तमान रूढ़ियों का प्रारूप रूढ़ि पत्रक (वाजिब–उल–अर्ज) संलग्न प्रकाशित किया जाता है कोई भी व्यक्ति जो किसी प्रविष्टि के संबंध में आपत्ति करता हो, अथवा कामना करता हो कि प्रारूप में वर्णित शीर्षो के अधीन कोई रूढ़ि पत्रक (वाजिब–उल–अर्ज) में अभिलिखित की जाए अपनी आपत्ति या दावे, यदि कोई हो, दिनांक .....20..... तक निम्न हस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख स्थान ..... पर 11 बजे मध्यान्ह से 5 बजे संध्या तक प्रस्तुत करें।

243. आबादी –

(1) जहां आबादी के लिए रक्षित क्षेत्र कलेक्टर के मत में अपर्याप्त हो तो वहां की दखल रहित भूमि में से ऐसा और क्षेत्र रक्षित कर सकेगा, जैसा वह उचित समझे।

(2) जहां आबादी के प्रयोजनों के लिए दखल रहित भूमि उपलब्ध न हो, राज्य शासन आबादी के विस्तार के लिए कोई भी भूमि अर्जित कर सकेगा।

(3) लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट, 1894 (भूमि अर्जन अधिनियम, 1894) (क्रमांक 1 सन् 1894) के उपबंध ऐसे अर्जन से लागू होंगे और उस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि के अर्जन के लिए मुआवजा देय होगा।

244. आबादी स्थलों का निबटारा –

इस संबंध में बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए ग्राम पंचायत या जहां ग्राम पंचायत का गठन न किया गया हो, वहां तहसीलदार आबादी क्षेत्र में स्थलों का निपटारा करेगा।

नियम– राजपत्र दिनांक 22 जनवरी, 1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 220–6477–सात–ना (नियम), दिनांक 6 जनवरी 1960 द्वारा राज्य शासन ने धारा 2444 के अंतर्गत निम्नलिखित नियम बनाए हैं :–

इन नियमों में –

(क) "आदिवासी जाति" से तात्पर्य धारा 165 की उपधारा (6) के अधीन जारी की गई अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र के बारे में घोषित किसी जाति से है;

(ख) "संहिता (कोड)" से तात्पर्य मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता (मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड, 1959) (क्रमांक 20 सन् 1959) से है;

(ग) "हरिजन" से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 से संलग्न परिशिष्ट के भाग 6 में विनिर्दिष्ट की गई "अनुसूचित जाति" में से किसी एक जाति का है;

(घ) "धारा" से तात्पर्य संहिता (कोड) की धारा से है।)

(भाग 1 —– आबादी के विस्तार के हेतु अर्जित भूमि में से आबादी क्षेत्र में स्थलों का निराकरण)

2. संहिता की धारा 243 की उपधारा (2) के अनुसरण में किसी भी गांव में आबादी के विस्तार के हेतु अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का क्र0 1) के उपबंधों के अनुसार भूमि के अर्जन पर ग्राम पंचायत तथा जहां ग्राम पंचायत निर्मित नहीं हुई है, तहसीलदार गांव के निवासियों की इच्छाओं को सामान्यतः अवधारित करने के पश्चात् इस प्रकार अर्जित की गई भूमि का अभिमान्य (ले–आउट) तैयार कराएगा, जिसमें निम्नानुरूप उपबंध होंगे :–

(क) प्रत्येक भूखण्ड का आयतन 12x15 मीटर से कम नहीं होगा ;

(ख) मुख्य सड़क चौड़ाई में न्यूनतम 6 मीटर होगी तथा अन्य सड़कें और गलियाँ चौड़ाई में कम नहीं होगी;

(ग) सड़कें जहाँ तक हो सके सीधी होंगी तथा इस प्रकार अभिन्यस्त की जाएंगी जिससे कि वे एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई हवाओं के प्रायः चलने की दिशा में रहें;

(घ) भू–खंडों की प्रत्येक पंक्ति के पीछे की ओर नालियों और सफाई की सुविधा के लिए भूमि रहेगी जो चौड़ाई में 4.50 मीटर होगी।

3. अभिन्यास (ले–आउट) धारा 107 की उपधारा (2) के अधीन तैयार किए गए आबादी के नक्शे में दिखाया जाएगा तथा भू–खंडों के विवरण धारा 107 के अधीन निर्मित नियमों के नियम 4 के अधीन विहित की गई पंजी में प्रारूप 'क' में दिखाए जाएंगे।

4. धारा 243 की उपधारा (2) के अनुसरण में भूमि के अर्जन पर कलेक्टर उस पर स्थित किए गए भू–राजस्व की तुरंत छूट देगा।

1. ग्राम पंचायत तथा, जहां ग्राम पंचायत निर्मित नहीं हुई है, तहसीलदार अर्जन और अभिन्यास के व्यय के मकानों के निर्माण के हेतु वितरित किए जाने–वाले भू–खंडों पर न्याय्य रूप में विभाजित करेगा तथा प्रत्येक भू–खंड पर, जिसे उनसे लाभ के अनुसार प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, एक निश्चित प्रव्याजि (प्रीमियम) स्थिर करेगा।

2. (1) ग्राम पंचायत तथा, जहाँ ग्राम पंचायत निर्मित नहीं हुई है, तहसीलदार उसे दिए गए आवेदन पर से नियम 5 के अधीन स्थिर किए गए प्रव्याजि (प्रीमियम) के भुगतान पर भू–खंडों का वितरण करेगा;

(परंतु जहाँ निदेशक, गृह निर्माण परियोजना (पाइलट हाऊसिंग प्रोजेक्ट) की स्थापना को कार्यान्वित करने के लिए व्यापक योजना (मास्टर प्लान) तैयार कर ली गई है, ग्राम पंचायत और जहाँ ग्राम पंचायत का गठन न हुआ हो, तहसीलदार भवन निर्माण स्थल वितरित करते समय व्यापक योजना (मास्टर प्लान) का अनुसरण करेगा।

(2) वितरण अग्रमान्यताओं के निम्नलिखित अनुक्रम से किया जाएगा :–

(एक) उन व्यक्तियों को जिनके पास आबादी में मकान नहीं है;

(दो) उन व्यक्तियों को जो उस परिवार के सदस्य हैं जिनके पास ऐसा मकान का स्थान है जो परिवार को संबंधित करने–वाले व्यक्तियों की संख्या को और उनके बीच हुए बंटवारों को यदि कोई हुआ हो, लेखे में लेने के पश्चात् उनकी आवश्यकताओं के हेतु अपर्याप्त है;

(तीन) अन्यों को;

(परंतु इस उपनियम में विनिर्दिष्ट अधिमान क्रम में अध्यधीन रहते हुए व्यक्तियों को भू–खंड प्राथमिकता के आधार पर निम्नलिखित क्रम में आवंटित किए जाएंगे :–

(एक) आदिवासी जाति;

(दो) हरिजन;

(तीन) भूमिहीन काश्तकारी मजदूर;

(चार) अन्य।

3. भू–खंडों का वितरण निम्नलिखित शर्तो के अधीन होगा :–

(1) भू–खण्ड का निर्माण युक्त क्षेत्रफल किसी भी प्रसंग में भू–खंड के क्षेत्रफल के आधे से अधिक नहीं होगा;

(2) भवन–योजना इस प्रकार रेखित की जाएगी और भवन इस प्रकार निर्मित किए जाएंगे कि सड़क के किनारे से 3 मीटर से अन्यून खुला स्थान छूट जाए;

परंतु, वह खुला स्थान ऐसे छज्जे से छाया जा सकता है जो दीवारों से घिरा न हो;

(3) भू–खंड का उस पर केवल निवास–गृह के निर्माण के प्रयोजन और उसके आनुषंगिक प्रयोजनों के हेतु ही उपयोग किया जाएगा तथा भू–खंड या उसके किसी भी भाग का किसी भी अन्य प्रयोजन, वह जो भी हो, के हेतु उपयोग नहीं किया जाएगा ;

(4) भू–खंड धारक भू–खंड को और उस पर निर्मित भवन को मरम्मत की अच्छी स्थिति में रखेगा;

(5) भू–खंड धारक भू–खंड को और उस पर निर्मित भवन को अच्छी स्वास्थ्यप्रद स्थिति में रखेगा;

(6) किसी भू–खंड धारक द्वारा इन प्रतिबंधों में से किसी को भी भंग किए जाने की स्थिति में वह निष्कासित किया जा सकेगा।

4. (1) अर्जन के व्यय को राज्य के राजस्व से पूरा किया जा सकता है तथापि यदि धन प्राप्त नहीं है, गृह स्थानों की अपेक्षा करने–वाले व्यक्ति ग्राम पंचायत के पास तथा जहाँ ग्राम पंचायत गठित नहीं हुई है, तहसीलदार के पास उसके प्राक्कलित व्यय को प्रसंगानुरूप ग्राम पंचायत या तहसीलदार द्वारा निश्चित किए गए रूप में अर्जन के व्यय के लेखे में निक्षिप्त कर सकते हैं तथा भूमि को ऐसी धन की सहायता से अर्जित किया जा सकता है।

(2) वितरण के समय किसी व्यक्ति द्वारा, उपनियम (1) के अधीन निक्षिप्त की गई धनराशि को नियम 5 के अधीन स्थिर की गई प्रव्याजि (प्रीमियम) के लेखे में समायोजित किया जाएगा तथा ऐसी धनराशि प्रव्याजि (प्रीमियम) से ऊपर होने के प्रसंग में, शेष उसे प्रत्यर्पित कर दी जाएगी।

(भाग 2 –– आबादी के निस्तार के हेतु अर्जित के अतिरिक्त अन्य भूमि के आबादी क्षेत्र में से स्थल का निराकरण)

5. धारा 245 के उपबंधों के अधीन, वर्तमान आबादी क्षेत्र अथवा धारा 243 की उपधारा (1) के अधीन सुरक्षित क्षेत्र में भवन निर्माण के लिए स्थल भूमिस्वामी अधिकारों में दिए जाएंगे। ऐसी भूमि कोटवार या उस व्यक्ति को, जो उस ग्राम में या उस ग्राम में जिसकी कृषि साधारणतः उस ग्राम से की जाती हो भूमि धारण करता हो या कृषि कारीगर या कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करता हो, बिना कोई प्रव्याजि (प्रीमियम) लिए दी जाएगी. परंतु अन्य व्यक्तियों को ऐसी प्रव्याजि (प्रीमियम) देने पर दी जाएगी जो तहसीलदार नियत करे, या जब क्षेत्र नीलाम द्वारा

दिया जाए, तब सफल बोली लगाने वाले द्वारा विक्रय धन दिए जाने पर दी जाएगी।

6. ग्राम के भवन निर्माण के स्थलों का अधिमान्य (ले–आउट) उनके वितरित करने के पूर्व उप–खंडीय पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। अभिन्यास स्वीकृत करने के पहले उप–खंडीय पदाधिकारी शासकीय विभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों के लिए आवश्यक भवनों के स्थलों पर विचार करेगा।

7. (1) ग्राम पंचायत, या जहां ग्राम पंचायत निर्मित नहीं हुई हो, तहसीलदार उन ग्रामों के अतिरिक्त जो राष्ट्रीय पथ या रेल्वे स्टेशनों के पास के हों या जहाँ हाट लगती हो, 5,000 से कम की जनसंख्या वाले ग्रामों में 2,178 वर्ग फुट तक भूमि वितरित कर सकेगी।

(2) अन्य ग्रामों में, ग्राम पंचायत या जहाँ ग्राम पंचायत निर्मित न हुई हो, तहसीलदार उप–खंडीय पदाधिकारी की पूर्व स्वीकृति के स्थलों का वितरण कर सकेगा, परंतु रेल्वे स्टेशनों के चारों ओर 100 गज चौड़ी पट्टी सुरक्षित रखना आवश्यक होगा।

8. संहिता की धारा 107 के साथ पठित धारा 258 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खंड (इक्कीस) के अधीन निर्मित राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक 182–6477–सात–ना–नियम, दिनांक 6 जनवरी 1960 द्वारा प्रकाशित नियमों के नियम 4 द्वारा नियत प्ररूप 'क' में पटेल भवनों के लिए उपबंध रिक्त स्थलों की पंजी रखेगा।

9. आबादी क्षेत्र में कोई ऐसी भूमि भवन निर्माण के लिए उप–खंडीय पदाधिकारी की स्वीकृति के बिना नहीं दी जाएगी, जो रिक्त स्थलों की पंजी में प्रविष्ट न हों या उसमें संरक्षित अंकित हो।

10. जिन ग्रामों में ग्राम पंचायत हों वहाँ स्थलों के प्रदान के लिए प्रत्येक आवेदन–पत्र ग्राम पंचायत को दिए जाएंगे। जहाँ ग्राम पंचायत न हो, वहाँ क्षेत्र के प्रदान करने के आवेदन–पत्र पटेल को दिए जाएंगे, जो अपने प्रतिवेदन के साथ उन्हें तहसीलदार के पास भेज देगा। इसके उपरांत ग्राम पंचायत या तहसीलदार जैसी भी स्थिति हो, प्ररूप 'क' में एक उद्घोषणा जारी करेंगे जो ग्राम के किसी सहजगोचर स्थान पर चिपका दी जाएगी। उद्घोषणा में निर्दिष्ट कालावधि बीत जाने पर ग्राम पंचायत या तहसीलदार आगे बतलाए गए प्रकार से कार्यवाही करेंगे।

11. जब स्थल पर किसी तीसरे पक्षकार द्वारा दावा किया जाए, तब आवेदन–पत्र निरस्त कर दिया जाएगा, यदि ग्राम पंचायत या तहसीलदार, जैसी भी स्थिति हो, की जाँच के उपरांत, यह तुष्टि न हो जाए कि स्थल वास्तव में रिक्त है।

12. यदि आवेदक धारा 245 के अधीन भवन के लिए भू–राजस्व से मुक्त स्थल पाने का स्वामित्वाधिकारी हो, तब उसे उक्त धारा के उपबंधों के अधीन 2.178 वर्गफीट तक या उप–खंडीय पदाधिकारी की स्वीकृति से अधिक क्षेत्रफल की भूमि दी जा सकेगी। यदि ऐसे स्वत्वाधिकारी आवेदक एक से अधिक हों तब ग्राम पंचायत या तहसीलदार, जैसी भी स्थिति हो, उस आवेदक को जिसने पहले आवेदन–पत्र दिया जो भूमि देगा, उस दशा के अतिरिक्त जब अन्य आवेदकों में से किसी एक को देने का उचित कारण हों :

(परंतु इस नियम के अधीन स्थलों का आवंटन प्राथमिकता के आधार पर निम्नलिखित क्रम में किया जाएगा –

(1) आदिवासी जाति;

(2) हरिजन;

(3) भूमिहीन काश्तकारी मजदूर;

(4) अन्य

13. जब एक से अधिक ऐसे आवेदक हों जो भू–राजस्व से मुक्त स्थल पाने के स्वामित्वाधिकारी नहीं हो, या स्थल का क्षेत्रफल 2.178 वर्गफीट से अधिक हो तब ग्राम पंचायत या तहसीलदार द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, स्थल को नीलाम करने की आज्ञा दी जाएगी, उस दशा के अतिरिक्त जब ग्राम पंचायत या तहसीलदार यह समझे कि उसे

आवेदकों में से एक को देने का उचित कारण है, उदाहरणार्थ, जहां वह भूमि से मिली हुई हो जो आवेदक के आधिपत्य में हो।

14. भूमि का भाड़ा नियत नहीं किया जाएगा, तथापि इसका ग्राम क्षेत्र की भूमि पर धारा 58 के अधीन भविष्य में निर्धारण होने के दायित्व पर प्रभाव नहीं होगा।

15. जब किसी स्थल का नीलाम होना हो तब उस आशय की सूचना प्ररूप 'ख' में नीलाम होने के कम से कम पंद्रह दिन पूर्व ग्राम के किसी सहजगोचर स्थान पर तथा स्थल के निकट किसी स्थान पर चिपकाई जाएगी और नीलाम के दिन ग्राम में डुग्गी पिटवाकर नीलाम की उद्घोषणा की जाएगी।

16. ग्राम पंचायत या तहसीलदार, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा नीलाम उस ग्राम में किया जाएग।।

17. सबसे अधिक बोली लगाने–वाला व्यक्ति नीलामी समाप्त होने के तुरंत पश्चात् बोली का एक–चौथाई अग्रिम धन के रूप में जमा करेगा और शेष धन शीघ्र से शीघ्र नीलाम करने–वाले पदाधिकारी के निर्देश के अनुसार जमा करेगा। शेष धन जमा न करने की दशा में अग्रिम धन जप्त हो जाएगा, और उस स्थल के पुनः नीलाम होने की दशा में, यदि कोई कमी रही तब ऐसा धन भू–राजस्व के अवशेष के रूप में त्रुटि करने वाले क्रेता से वसूल किया जाएगा। नीलाम के धन को पूरा दे देने पर, क्रेता को प्ररूप 'ग' में प्रमाण–पत्र दिया जाएगा और उस स्थल का आधिपत्य दे दिया जाएगा।

18. नीलाम का समस्त धन क्रेता द्वारा पूरा दे देने के पंद्रह दिन के भीतर राजस्व खाते में जमा कर दिया जाएगा।

19. स्थल का प्रत्येक प्रदाय पटेल द्वारा नियम 12 में उल्लिखित पंजी के विवरण के स्तंभ में अंकित किया जाएगा।

20. किसी ग्राम में प्रदान किए गए समस्त स्थलों के लिए तहसील कार्यालय में और पटवारी द्वारा प्ररूप 'ख' में एक पंजी रखी जाएगी।

भाग 2 ––क–– आबादी स्थलों का त्याग

24–क. भूमिस्वामी अपने अधिकार त्याग सकेगा यानी तहसीलदार को प्रारूप ड़ (फार्म ई) में लिखित सूचना देकर राज्य शासन के पक्ष में उन्हें (अपने अधिकारों को) छोड़ दे :

परंतु आबादी भूमि ऐसे खंड का, जो किसी भार या प्रभार के अध्यधीन हो, त्याग विधिमान्य नहीं होगा।

24–ख. पटवारी का यह कर्त्तव्य होगा कि भूमिस्वामी द्वारा निवेदन किए जाने पर ऐसी सूचना बिना खर्च तैयार करे तथा ऐसी सूचना ग्राम पंचायत को प्रस्तुत की जाएगी, जो उसे अविलंब तहसीलदार की ओर भेजेगा।

24–ग. तहसीलदार ऐसी जांच, जैसी कि आवश्यक हो, करने के पश्चात् उस आबादी भूमि को, यदि उसका यह विचार न हो कि यह भूमि किसी अन्य प्रयोजन के लिए पृथक रखी जानी चाहिए, आवंटन के लिए उपलब्ध आबादी के रूप में अभिलिखित करवाएगा। भूमि–त्याग का प्रतिग्रहण करने–वाला आदेश प्ररूप च (एफ) में होगा। उसकी एक प्रति संबंधित भूमिस्वामी को दी जाएगी तथा एक प्रति ग्राम पंचायत को तथा एक प्रति ग्राम पटवारी को जो आवश्यक कार्यवाही करेगा, भेजी जाएगी।)

भाग 3 –– विविध

21. इन नियमों के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा पारित किसी भी आदेश के विरूद्ध उपखंडीय पदाधिकारी के समक्ष अपील होगी तथा संहिता और उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंध ऐसी अपीलों को लागू होंगे।

प्रारूप क

(नियम 14 देखिए)

उद्घोषणा

न्यायालय तहसीलदार .....

कार्यालय ग्राम पंचायत .....

वर्ग क्रमांक .....प्रकरण क्रमांक .....

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि ..... आत्मज .....

निवासी ग्राम ..... तहसील ..... ने ग्राम .....

पटवारी हल्का ..... तहसील ..... जिला .....

में नीचे निर्दिष्ट भवन की भूमि को भूमिस्वामी अधिकारों में मिलने के लिए आवेदन–पत्र दिया है।

कोई व्यक्ति जो इस स्थल को लेना चाहे उसे इस सूचना के प्रकाशन के 30 दिन के भीतर तहसीलदार/ग्राम पंचायत को लिखित में आवेदन पत्र चाहिए।

भूमि की चतुःसीमा	क्षेत्रफल	लंबाई/चौड़ाई
1	2	3

दिनांक .....

तहसीलदार

.....

सरपंच/सचिव

ग्राम पंचायत

प्ररूप ख

(नियम 19 देखिए)

ग्राम क्षेत्र में भवन के प्रयोजनों के लिए भूमि के विक्रय की सूचना

न्यायालय तहसीलदार .....

कार्यालय ग्राम पंचायत ..... वर्ग क्रमांक ..... प्रकरण क्रमांक .....

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि नीचे लिखी भवन भूमि ग्राम ..... पटवारी हल्का ..... तहसील ..... में भूमिस्वामी के अधिकारों में नीलाम द्वारा दिनांक ..... को दोपहर के ..... बजे बेची जाएगी।

कोई व्यक्ति जो इस स्थल को लेना चाहे वह ऊपर लिखे समय और स्थान पर अपने साक्ष्य सहित उपस्थित रहे।

भूमि की चतुःसीमा	क्षेत्रफल	लंबाई/चौड़ाई
(1)	(2)	(3)

दिनांक .....

तहसीलदार

.....

सरपंच/सचिव

ग्राम पंचायत

मुद्रा

प्ररूप ग

(नियम 21 देखिए)

ग्राम क्षेत्र में भवन के स्थल में भूमिस्वामी के अधिकार देने का प्रमाण–पत्र

न्यायालय तहसीलदार .....

कार्यालय ग्राम पंचायत ..... वर्ग क्रमांक ..... प्रकरण क्रमांक .....

एतद द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि ..... आत्मज ..... निवासी क्रमांक ..... पटवारी हल्का क्रमांक ..... तहसील ..... जिला ..... को रूपया प्रव्याजि (प्रीमियम) देने पर ग्राम ..... पटवारी हल्का क्रमांक ..... तहसील ..... में स्थित नीचे लिखे भू–खंडों में भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किए गए हैं।

यह स्थल उसके द्वारा तथा उसके उत्तराधिकारियों एवं स्वत्वाधिकारियों द्वारा मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (1959 का क्रमांक 20) के उपबंधों के अधीन धारण किया जाएगा।

भू–खंडों की चतुःसीमा	क्षेत्रफल	लंबाई / चौड़ाई
1	2	3

दिनांक .....

तहसीलदार

.....

सरपंच / सचिव

ग्राम पंचायत

मुद्रा

प्ररूप घ

(नियम 24 देखिए)

तहसील ..... के ग्राम क्षेत्र में भवन के प्रयोजनों के लिए दिए गए स्थलों की पंजी

क्रमांक या पंजी क्रमांक	दिया गया क्षेत्रफल पूरी लम्बाई चौड़ाई सहित	स्थल का विवरण चतुःसीमा सहित	उन व्यक्तियों के नाम जिन्हें स्थल दिए गए हों	स्थल देने के आदेशों का क्रमांक एवं दिनांक	दिए जाने की शर्तें यदि कोई हों तथा प्रयोजन	दिनांक जब आधिपत्य दिया गया	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8

प्ररूप क

(नियम 24–क देखिए)

भूमि त्याग की सूचना

तहसील.....दार .....

मैं ..... आत्मज .....

मौजा ..... तहसील .....

एतद् द्वारा यह सूचित करता हूँ कि ग्राम ..... बंदोबस्त क्रमांक ..... तहसील ..... जिला ..... की आबादी में स्थित तथा नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित खाते पर के या खाते के किसी भाग पर के अपने वास भूमि अधिकार राज्य के पक्ष में छोड़े जाने का मेरा आशय है।

विवरण

त्याग दिए जाने–वाले खाते या खाते के भाग का वर्णन

सर्वे भू–खंड क्रमांकों सहित खाता क्रमांक	क्षेत्रफल	सीमाओं का वर्णन				टिप्पणियाँ
1	2	3				4
		उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	

दिनांक ..... सन् 19.....

साक्षी का नाम और पता :–

(1) .....

(2) .....

.....

भूमिस्वामी हस्ताक्षर

प्ररूप च

(नियम 24 देखिए)

..... तहसीलदार के समक्ष राजस्व प्रकरण क्रमांक .....

अनुक्रमांक .....वर्ष ..... ग्राम ..... तहसील ..... जिला .....

आदेश

भूमिस्वामी ..... आत्मज .....ग्राम ..... तहसील ..... जिला ..... से खाता/खाते के भाग, जिसका वर्णन नीचे दी गई अनुसूची में दिया गया है और जो ग्राम ..... बंदोबस्त ..... क्रमांक .....तहसील ..... जिला ..... में स्थित है, का त्याग करने के बारे में सूचना–पत्र प्राप्त होने पर और आवश्यक जांच कर लेने के पश्चात् उक्त अधिकारों के लिए किए गए त्याग को मैं स्वीकृत करता हूँ तथा यह आदेश देता हूँ कि उस भूमि को आबादी के लिए उपलब्ध भूमि के रूप में भू–राजस्व संहिता की धारा 233 के खंड (ख) के अधीन तैयार किए गए दखल रहित भूमि के अभिलेख में अभिलिखित कर दिया जाए।

विवरण

त्याग दिए जाने वाले खाते या खाते के भाग का वर्णन

सर्वे / भू–खंड क्रमांकों सहित खाता क्रमांक	क्षेत्रफल	सीमाओं का वर्णन	टिप्पणियाँ
1	2	3	4

दिनांक ..... सन् .....

.....

तहसीलदार के हस्ताक्षर

245. गृह–स्थल को भू–राजस्व से मुक्त धारण करने का अधिकार ––

आबादी में युक्तियुक्त लंबाई–चौड़ाई का भवन स्थल भू–राजस्व के भुगतान के लिए दायी नहीं होगा यदि ऐसा स्थल कोटवार के या ऐसे व्यक्ति के दखल में हो जो ऐसे गांव में या उस गांव में जिसमें सामान्यतः ऐसे गांव से खेती की जाती हो, भूमि धारण करता हो या कृषि कारीगर या कृषि–श्रमिक के रूप में कार्य करता हो।

246. आबादी के गृह–स्थल धारण करने वाले व्यक्तियों का अधिकार ––

धारा 244 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के प्रवृत्त होने के समय, आबादी में गृह–स्थल के रूप में, किसी भूमि को वैध रूप से धारण करता हो या जो इसके पश्चात् वैध रूप से ऐसी भूमि को अर्जित कर ले, ऐसी भूमि के संबंध में भूमिस्वामी होगा :

परंतु मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1937 के प्रारंभ होने पर या उसके पश्चात् किसी भूमिहीन व्यक्ति को ग्रामीण आवास योजना के अधीन गृह–स्थल का आवंटन निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन किया जाएगा :–

(एक) यह कि आवंटिती आवंटन की तारीख से (पांच) वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसी भूमि पर गृह का निर्माण करेगा;

(दो) यह कि आवंटिती आवंटन की तारीख से (दस) वर्ष की कालावधि के भीतर भूमि का जो कि उसे आवंटित की गई हो या उसमें के हित का अन्तरण नहीं करेगा;

(तीन) यह कि उपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का भंग होने की दशा में वह भूमि भंग की तारीख से राज्य सरकार में निहित हो जाएगी।

247. खनिज पदार्थो के संबंध में शासन का हक ––

(1) जबकि शासन द्वारा दिए गए अनुदान के निबंधनों द्वारा स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित न किया जाए, समस्त खनिज पदार्थों, खानों तथा खदानों का अधिकार राज्य शासन में निहित होगा जिसे ऐसी समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी जो ऐसे अधिकारों के समुचित उपभोग के लिए आवश्यक हों।

(2) समस्त खानों तथा खदानों के अधिकार में खान–खनन तथा खदान की खुदाई के प्रयोजन के लिए भूमि तक पहुंचने का अधिकार और ऐसी अन्य भूमि को, जो उसे उपसंगी (समनुषंगिक) प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो, दखल में लेने का अधिकार सम्मिलित हैं जिसमें कार्यालयों, मजदूरों के निवास स्थानों का निर्माण तथा मशीनों की स्थापना, खनिज पदार्थो का ढेर लगाना तथा कूड़े–कचरे को इकट्ठा करना, सड़कों, रेल–पथों या ट्राम पथों का सन्निर्माण तथा कोई भी ऐसे अन्य प्रयोजन सम्मिलित है, जिन्हें राज्य

शासन खान–खनन तथा खदान की खुदाई से उपसंगी (समनुषंगिक) होना घोषित करें।

(3) यदि शासन ने किसी व्यक्ति को किन्हीं भी खनिजों, खानों या खदानों के ऊपर अपना अधिकार अभिहस्तांकित कर सौंप दिया हो और यदि ऐसे अधिकार के समुचित उपयोग के लिए यह आवश्यक हो कि उपधारा (1) तथा (2) में उल्लिखित समस्त या किन्हीं भी शक्तियों को प्रयोग में लाया जाना चाहिए, तो कलेक्टर लिखित आदेश द्वारा, ऐसी शर्तो तथा बंधनों के अधीन रहते हुए, जो वह उल्लिखित करें, ऐसी शक्तियां उस व्यक्ति को प्रत्यायोजित कर सकेगा, जिसे अधिकार अभिहस्तांकित कर सौंपा गया हो :

परंतु ऐसा प्रत्यायोजन कब तक नहीं किया जाएगा जब तक प्रभावित भूमि में अधिकार रखने–वाले समस्त व्यक्तियों पर सूचना की तामील विधिवत् न कर दी गई हो, और उनकी आपत्तियों को न सुन लिया गया हो और उन पर विचार न कर लिया गया हो।

(4) यदि इसमें निर्दिष्ट किए गए अधिकार का किसी भूमि के ऊपर प्रयोग करने में ऐसी भूमि की सतह के दखल या उलट–पलट से किन्हीं व्यक्तियों के अधिकारों का अतिलंघन होता हो तो शासन या उनका अभिहस्तांकिती ऐसे अतिलंघन के लिए ऐसे व्यक्तियों को मुआवजे का भुगतान करेगा और ऐसे मुआवजे की रकम की गणना उप–खंडीय पदाधिकारी द्वारा या यदि उसका पंचाट स्वीकार न किया जाए, तो सिविल न्यायालय द्वारा यथाशक्य लैंड एक्जीबीशन एक्ट, 1894 (भूमि अर्जन अधिनियम, 1894) (क्रमांक 1, 1894) के उपबंधों के अनुसार की जाएगी।

(5) शासन का कोई भी अभिहस्तांकिती, कलेक्टर की पूर्व मंजूरी के बिना और जब तक कि मुआवजा अवधारित न कर दिया गया हो, और उसका उन व्यक्तियों को, जिनके अधिकारों का अतिलंघन हुआ हो, भुगतान न कर दिया गया हो, किसी भी भूमि की सतह पर प्रवेश नहीं करेगा और न उस पर दखल करेगा।

(6) यदि शासन का कोई भी अभिहस्तांकिती उपधारा (4) में उपबंधित मुआवजे का भुगतान न करें तो कलेक्टर, ऐसा मुआवजा उसके हकदार व्यक्तियों की ओर से उससे वसूल कर सकेगा मानो वह भू–राजस्व का बकाया हो।

(7) कोई भी व्यक्ति जो वैध प्राधिकार के बिना भी ऐसी किसी खान या खदान से, जिसका अधिकार शासन में निहित हो, और उसके द्वारा अभिहस्तांकित न किया गया हो, खनिज पदार्थ निकलेगा या हटाएगा, उसके विरूद्ध की जाने वाली किसी भी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कलेक्टर के लिखित आदेश पर, ऐसी शास्ति का भुगतान करने का दायी होगा जो इस प्रकार निकाले गए या हटाए गए खनिज पदार्थो के बाजार मूल्य के दुगने के हिसाब से गणना की गई धनराशि से अधिक न होः

परंतु यदि इस प्रकार गणना की गई धनराशि एक हजार रूपए से कम हो तो शास्ति ऐसी अधिक धनराशि हो सकती है, जो एक हजार रूपए से अधिक न हो, जो कलेक्टर आरोपित करें।

(8) उपधारा (7) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कलेक्टर ऐसी खान या खदान से, जिसका अधिकार शासन में निहित हो, और उसके द्वारा अभिहस्तांकित न किया गया हो, निकाले गए या हटाए गए किसी भी खनिज पदार्थ का अभिग्रहण तथा समपहरण कर सकेगा।

248. अप्राधिकृत रूप से भूमि पर कब्जा कर लेने के लिए शास्ति ––

(1) कोई भी व्यक्ति, जो अप्राधिकृत रूप से दखल रहित भूमि, आबादी, सेवा भूमि या किसी ऐसी अन्य भूमि पर, जो धारा 237 के अधीन किसी विशेष प्रयोजन के लिए पृथक रखी गई हो या किसी ऐसी भूमि पर, जो शासन की संपत्ति हो, कब्जा कर लेता है या उस पर कब्जा बनाए रखता है, तहसीलदार के आदेश द्वारा संक्षिप्ततः बेदखल किया जा सकेगा और कोई भी फसल को भूमि पर खड़ी हो, तथा कोई भी अन्य निर्माण

कार्य, जो उसने उस पर निर्मित किया हो, यदि ऐसे समय के भीतर जैसा तहसीलदार नियत करे, उसके द्वारा नहीं हटाया जाता है, तो अधिरहित (जप्त) किया जा सकेगा। इस प्रकार अधिरहित की गई संपत्ति का तहसीलदार के निर्देशानुसार निबटारा किया जाएगा और किसी भी फसल, भवन या अन्य निर्माण कार्य को हटाने का तथा भूमि को उसकी मूल स्थिति में लाने के लिए आवश्यक समस्त कार्यों का खर्चा उससे भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगा। ऐसा व्यक्ति तहसीलदार के विवेकानुसार, अप्राधिकृत दखल की कालावधि के लिए उस स्थानीय क्षेत्र में ऐसी भूमि के लिए स्वीकार्य दर की दुगुनी दर से भूमि के लगाने के चुकाने के लिए भी दायित्वाधीन होगा। तथा ऐसे जुर्माने के जो (पांच) हजार रूपए तक हो सकता है, तथा ऐसे और जुर्मानें के लिए भी दायित्वाधीन होगा जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसको ऐसा अप्राधिकृत दखल या कब्जा प्रथम बेदखली के दिनांक के पश्चात् चालू रहे, बीस रूपए तक हो सकता है। तहसीलदार संपूर्ण जुर्माने या उसके किसी भी भाग को ऐसे व्यक्तियों को प्रतिकर देने के लिए उपयोग में ला सकेगा जिन्हें उसकी राय में अधिक्रमण से हानि या क्षति हुई हो:

परंतु तहसीलदार–

एक) महाकौशल क्षेत्र में –

(क) विलीन राज्यों से भिन्न क्षेत्रों में सितंबर सन् 1917 के प्रथम दिन के पूर्व;

(ख) विलीन राज्यों में अप्रैल सन् 1950 के तृतीय दिन के पूर्व;

दो) मध्यभारत क्षेत्र में अगस्त सन् 1950 के पंद्रहवे दिन के पूर्व;

तीन) विन्ध्यप्रदेश क्षेत्र में अप्रैल सन् 1955 के प्रथम दिन के पूर्व;

चार) भोपाल क्षेत्र में नवम्बर सन् 1936 के आठवें दिन के पूर्व; और

पांच) सिरोंज क्षेत्र में जुलाई सन् 1958 के प्रथम दिन के पूर्व;

निर्मित भवनों या निर्माण कार्यो द्वारा किए गए अधिक्रमणों के संबंध में इस उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में नहीं लाएगा।

स्पष्टीकरण –– इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए शब्द 'विलीन राज्यों' का वही अर्थ होगा जो कि मध्यप्रदेश मर्ज्ड स्टेट्स लॉज (स्टेट) एक्ट, 1950 (क्रमांक 12 सन् 1950) में उसके लिए दिया गया है।

(2) तहसीलदार इस बात के लिए सक्षम नहीं होगा कि वह (एक हजार पांच सौ) से अधिक का जुर्माना अधिरोपित करें, किंतु यदि किसी मामले में वह यह समझता है कि मामले की परिस्थितियां अधिक जुर्माने के अधिरोपण के लिए समुचित आधार हैं, तो मामला उप–खंडीय पदाधिकारी को निर्दिष्ट कर सकेगा जो, तब संबंधित पक्षकार को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् जुर्माने के संबंध में ऐसे आदेश पारित करेगा जैसे कि वह उचित समझे।

(2–अ) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन बेदखली के आदेश की तारीख के पश्चात् सात दिन से अधिक दिनों तक भूमि पर अप्राधिकृत दखल या कब्जा चालू रखे तो ऐसे जुर्माने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो कि उक्त उपधारा के अधीन अधिरोपित किया जा सकता हो, उप–खंडीय पदाधिकारी उस व्यक्ति को पकड़वाएगा और उसे प्रथम बेदखली की दशा में 15 दिन की कालावधि के लिए तथा दूसरी या पश्चात्वर्ती बेदखली की दशा में तीन मास की कालावधि के लिए सिविल कारागार में परिरूद्ध किया जाने के लिए वारंट के साथ भेजेगा :

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई भी कार्यवाही ––

(एक) जब तक नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसी सूचना जारी न की गई हो जिसमें कि ऐसे व्यक्ति से

यह अपेक्षा की गई हो कि वह सूचना में विनिर्दिष्ट किए गए दिन उप–खंडीय पदाधिकारी के समक्ष उप–संजात हो तथा यह कारण दर्शाए कि उसे सिविल कारागार के सुपुर्द क्यों न किया जाए; और

(दो) ऐसी सरकारी तथा नजूल भूमियों पर किए गए अतिक्रमणों के संबंध में नहीं की जाएगी जिनके कि बंदोबस्त के लिए सरकार ने समय–समय पर आदेश जारी किए हों :

परंतु यह और भी कि उप–खंडीय पदाधिकारी ऐसे व्यक्ति को वारंट में वर्णित कालावधि का अवसान होने के पूर्व भी, निरोध से निर्मुक्त किए जाने का आदेश दे सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाए कि अप्राधिकृत कब्जा छोड़ा जा चुका है;

परंतु यह भी कि कोई स्त्री इस उपधारा के अधीन गिरफ्तार या निरूद्ध नहीं की जाएगी।

2–आ राज्य सरकार उपधारा (2–अ) के उपबंधों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन कोई भी आदेश किसी भी व्यक्ति को सिविल न्यायालय में अपने अधिकार स्थापित करने से नहीं रोकेगा।

नियम – उपधारा (2–आ) के अधीन नियम – म0प्र0 राजपत्र दिनांक 21 जनवरी 1977 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ–2–76–सात–ना–1, दिनांक 13 दिसम्बर 1976 द्वारा राज्य शासन ने धारा 248 (2–आ) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित नियम बनाए हैं :–

नियम

1. इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

   (क) "प्ररूप" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररूप;

   (ख) "धारा" से अभिप्रेत हैं मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा।

2. यदि कोई व्यक्ति धारा 248 की उपधारा (1) के अधीन बेदखली के आदेश की तारीख के पश्चात् सात दिन से अधिक दिनों तक भूमि पर अप्राधिकृत दखल या कब्जा चालू रखे तो तहसीलदार संबंधित उप–खंडीय पदाधिकारी को तद्नुसार एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

3. तहसीलदार से नियम 2 के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर, उप–खंडीय पदाधिकारी उपनियम 2 में निर्दिष्ट व्यक्ति को प्ररूप 'एक' में उससे यह अपेक्षा रखते हुए एक सूचना जारी करेगा कि वह उसमें (सूचना में) विनिर्दिष्ट किए गए दिन को उसके (उप–खंडीय पदाधिकारी के) समक्ष उपसंजात हो और यह कारण दर्शाए कि भूमि पर अप्राधिकृत दखल/कब्जा खाली न करने के लिए उसे सिविल कारावास के सुपुर्द क्यों न किया जाए।

4. यदि ऐसा व्यक्ति नियम 3 के अधीन जारी की गई सूचना के अनुसरण में विनिर्दिष्ट दिन को उपसंजात न हो और अप्राधिकृत दखल या कब्जा चालू रखे तो उप–खंडीय पदाधिकारी धारा 248 की उपधारा (2–अ) में अनुसार सिविल कारावास के सुपुर्द करने के लिए, ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तारी हेतु प्ररूप 'दो' में एक वारंट जारी करेगा।

5. जहां भूमि पर अप्राधिकृत दखल/कब्जा करने–वाला व्यक्ति नियम 3 के अधीन जारी की गई सूचना के आज्ञानुवर्तन के उप–खंडीय पदाधिकारी के समक्ष उपसंजात हो वहाँ उपखंडीय पदाधिकारी उसे भूमि पर अप्राधिकृत दखल/कब्जा खाली न करने के लिए कारण दर्शानें का एक अवसर देगा कि उसे सिविल कारागार के सुपुर्द क्यों नं किया जाए?

6. नियम 5 के अधीन जांच की समाप्ति पर उप–खंडीय पदाधिकारी धारा 248 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए उस व्यक्ति को सिविल कारागार के सुपुर्द करने के आदेश दे सकेगा और यदि वह पहले ही गिरफ्तार न किया

गया हो तो उस दशा में उसे गिरफ्तार करवाएगा।

7. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (क्रमांक 5 सन् 1908) की धारा 55 के उपबंध नियम 4 तथा 6 के अधीन गिरफ्तारी के लिए यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

8. धारा 248 की उपधारा (2–अ) के द्वितीय परंतुक के अधीन निर्मुक्त किए जाने का आदेश प्ररूप 'तीन' में होगा।

9. सिविल कारागार में धारा 248 की उपधारा (2–अ) के अधीन किसी व्यक्ति के परिरोध पर उपगत किया गया व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

प्ररूप एक

(नियम 3 देखिए)

..... के न्यायालय में

सूचना

प्रति,

श्री .....से .....
निवासी .....
तहसील ..... जिला .....

चूंकि आप तहसील ..... के तहसीलदार के आदेश क्रमांक ..... तारीख..... की उद्धत अवज्ञा में, उक्त आदेश की तारीख के पश्चात् सात दिन से अधिक दिनों तक निम्नलिखित भूमि पर अप्राधिकृत दखल/कब्जा चालू रखे हुए हैं, अर्थात :–

1. खसरा क्रमांक .....

2. क्षेत्र ..... हेक्टयर

3. ग्राम .....

4. पटवारी वृत क्रमांक .....

5. तहसील .....

अतएव, आपसे एतद् द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि तारीख .....19..... को इस न्यायालय के समक्ष उपसंजात होकर कारण दर्शाऐं कि उक्त भूमि का अप्राधिकृत दखल/कब्जा खाली न करने के लिए आपको सिविल कारागार के सुपुर्द क्यों न किया जाए।

आज तारीख ..... 19 ..... को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा लगा कर प्रदत्त।

उप–खंडीय पदाधिकारी

..... उपखंड

प्ररूप दो

(नियम 6 देखिए)

..... के न्यायालय में,

जेल सुपुर्द करने का वारंट

..... की जेल के भारसाधक अधिकारी को चूँकि, श्री ..... तहसील के तहसीलदार के मध्यप्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड, 1959 की धारा 248 की उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए आदेश की तारीख के पश्चात् सात दिन से अधिक दिनों तक निम्नलिखित भूमि पर अप्राधिकृत दखल/कब्जा चालू रखते हुए हैं, अर्थात् –

1. खसरा क्रमांक .....
2. क्षेत्र ..... हेक्टेयर .....
3. ग्राम .....
4. पटवारी वृत क्रमांक .....
5. तहसील .....

और चूँकि श्री ..... से इस न्यायालय के समक्ष तारीख ..... को उपसंजात होने के लिए कहा गया था, देखिए सूचना क्रमांक ..... तारीख .....

और चूँकि, उक्त श्री ..... उक्त सूचना में विनिर्दिष्ट किए गए दिन इस न्यायालय के समक्ष उपसंजात नहीं हुए हैं;

या

और चूंकि, न्यायालय के समय उपसंजात होने के पश्चात् वे इस न्यायालय का समाधान नहीं कर सके हैं कि इस कारण से उन्हें सिविल कारागार के सुपुर्द क्यों न किया जाए;

अतएव, आपको एतद्द्वारा समादेश दिया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त .....को सिविल कारागार में लें और प्राप्त करें और उन्हें वहां तारीख ..... से ..... तक .....दिनों की कालावधि के लिए (दोनों दिन सम्मिलित करते हुए) कारावासित रखें।

आज तारीख ..... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर प्रदत्त

उप–खंडीय पदाधिकारी

..... उप–खंड

प्ररूप तीन

(नियम 8 देखिए)

..... के न्यायालय में

निर्मुक्ति का आदेश

..... की जेल के भारसाधक अधिकारी को आज पारित आदेशों के अधीन आपको एतद् द्वारा, निर्देश दिया जाता है कि आप ..... को जो इस समय आपकी अभिरक्षा में हैं, मुक्त कर दें।

तारीख .....

उप–खंडीय पदाधिकारी,

.....उप–खंड

249. मछली पकड़ने, शिकार खेलने आदि का विनियमन –

(1) राज्य शासन निम्नलिखित का विनियमन करने के लिए नियम सकेगा :–

(क) शासकीय तालाबों में मछली पकड़ने का;

(ख) गांव में जानवरों को पकड़ने, उनका शिकार करने या उनको गोली से मारने का; और

(ग) राज्य शासन की भूमियों से किन्हीं भी सामग्रियों को हटाने का।

(2) ऐसे नियमों में अनुज्ञा–पत्रों के देने, ऐसे अनुज्ञा पत्रों से संलग्न शर्तो तथा उनके लिए शुल्कों (फीसों) के आरोपण एवं अन्य प्रासंगिक विषय का उपबंध किया जा सकेगा।

नियम –– राजपत्र दिनांक 22 जनवरी 1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 221–6477–सात–ना–(नियम), दिनांक 6 जनवरी 1960 द्वारा राज्य शासन ने धारा 249 के अंतर्गत निम्नलिखित नियम बनाए हैं :–

नियम

क– शासकीय तालाबों में मछली पकड़ने के विनियमन के हेतु नियम

1. उन तालाबों में, जो स्थानीय निकाय, नगर निगम, नगर समिति, जनपद सभा, मंडल पंचायत आदि अथवा राजस्व विभाग के अतिरिक्त शासन के किसी भी विभाग की पुस्तकों में अंकित हैं तथा जिनका उनके द्वारा प्रबंध किया जाता है, मछली पकड़ने के अधिकार का पट्टा स्थानीय निकाय अथवा संबद्ध विभाग द्वारा उन नियमों के अनुसार दिया जा सकता हैं जो ऐसे तालाबों से लागू हों।

2. शासकीय तालाबों में, जो राजस्व विभाग के हैं या जिनका उसके द्वारा प्रबंध किया जाता हैं तथा उन ग्राम तालाबों में जो मध्यस्थों के अधिकारों की समाप्ति के पश्चात् राज्य शासन में निहित हुए हैं अथवा जो संहिता की धारा 251 के अधीन निहित हों, मछली पकड़ने का विनियमन निम्नलिखित नियमों द्वारा होगा।

3. (क) शासकीय तालाबों में, जो पीने के पानी के हेतु एकाकी रूप से सुरक्षित किए गए हैं;

(ख) शासकीय तालाबों में जब पानी की दुर्लभता हो अथवा दुर्लभता की पूर्वाधारणा हो;

(ग) मत्स्योद्योग विकास विभाग द्वारा मत्स्य संवर्द्धन के हेतु उपयोग किए जाने वाले शासकीय तालाबों में उन निर्बंधनों एवं प्रतिबंधों के अतिरिक्त जिन्हें वह विभाग आरोपित करें ;

(घ) (क),(ख) या (ग) श्रेणियों में से किसी के भी अंतर्गत न आने वाले शासकीय तालाबों में उन घांटों पर जो एकाकी रूप से पानी पीने या स्नान के हेतु उपयोग में आते हैं या सुरक्षित किए गए हैं, अथवा उपासना घांटों पर जहां मछलियों को धार्मिक आधारों पर चुगाया जाता है;

(ड़) तालाबों में, जिनमें मछलियां संग्रहित की गई हैं;

मछली पकड़ने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

4. नियम 3 में कुछ भी क्यों न हो, नियम 3 के वाक्य (घ) में उल्लिखित घाटों से दूर व्यक्तियों को बंसी से मछलियां पकड़ने की अनुज्ञा दी जा सकती हैं जो उनके द्वारा ग्राम सभा या ग्राम पंचायत से और जहां ग्राम सभा या ग्राम पंचायत स्थापित नहीं है, तहसीलदार से प्रति बंसी प्रति वर्ष 0.50 नया पैसा शुल्क का भुगतान करके अनुज्ञा–पत्र प्राप्त कर लेने के अधीन होगी।

5. जिन शासकीय तालाबों में, मत्स्योद्योग विकास का कार्य विभागीय रूप से या पंजीयन सहकारी समिति द्वारा किया जाता है, मछली पकड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. जहाँ किसी भी शासकीय तालाब को मत्स्योद्योग के प्रयोजनों के हेतु पट्टे पर दिया जाना प्रस्तावित किया जाता

है, वहाँ किसी भी तालाब के पट्टे पर दिए जाने से पूर्व ग्राम पंचायत या ग्राम सभा, जहाँ विद्यमान हो, से तथा जहाँ ग्राम पंचायत या ग्राम सभा विद्यमान नहीं है, ग्रामवासियों से तहसील द्वारा पूछा जाएगा तथा उनके मत को यह विनिश्चय करने में उचित महत्व दिया जाना चाहिए कि –

(एक) क्या तालाब को पट्टे पर दिया जाना चाहिए या नहीं; तथा

(दो) व्यक्ति जिसे या जिन्हें ऐसे पट्टे दिए जाएं, ऐसे प्रकरणों का विनिश्चयन करने में स्थानीय मछुओं के जो अतीत में ऐसे पट्टें धारण करते हैं, दावों को उचित महत्व दिया जाएगा। उस ग्राम या क्षेत्र के जिसमें तालाब स्थित है, मछुओं की सहकारी समितियों को तथा उन मछुओं को जिनने अतीत में मत्स्योद्योग विकास पर ध्यान दिया है, अधिमान दिया जाएगा।

7. तालाबों को साधारणतया मछली पकड़ने के प्रयोजन के हेतु उस कालावधि के हेतु पट्टे पर दिया जाएगा जो पांच वर्ष से कम नहीं होगा। पट्टा प्रदान किए जाने में पट्टे के करार में, जो पट्टाधारी द्वारा इन नियमों में जुड़ें प्ररूप 'क' में निष्पादित किया जाएगा, इस आशय का प्रतिबंध समाविष्ट किया जाएगा कि ग्रामवासियों के वर्तमान निस्तार अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा तथा यह कि कोई भी विवाद उत्पन्न होने के प्रसंग में कलेक्टर की आज्ञा अंतिम होगी। पट्टा–धन साधारणतया पानी के विस्तार के क्षेत्रफल के प्रति एकड़ पर रू. 15 से रू. 25 तक होगा तथा न्यूनतम से कम और अधिकतम से अधिक केवल विशेष प्रसंग में स्थित किया जा सकता है।

ख– ग्रामों में जीवों को पकड़ना, मृगया और गोली से मारना

8. जंगली सुअरों को पकड़ने, उनकी मृगया करने और उन्हें गोली से मारने की अनुमति बिना किसी अनुज्ञा पत्र के होगी।

9. घोषित पशु अपहर्ता या मानवभक्षी मांसाहारी मारने का अभिप्राय रखने–वाले व्यक्ति कलेक्टर से अनुज्ञा पत्र प्राप्त करेंगे। ऐसा अनुज्ञा पत्र उसके वितरण के दिनांक से उस कालावधि पर्यंत वैध रहेगा जो एक मास से अधिक नहीं होगी।

10. फसल की रक्षा के हेतु बंदूक की अनुज्ञप्ति धारण करने वाले व्यक्तियों को उनकी फसलों को हानि पंहुचानें वाले पशुओं को केवल आधिपत्यगत क्षेत्र के अंतर्गत गोली मारने या उनका वध करने की अनुज्ञा होगी। बंदूक की फसल रक्षा से अन्य अनुज्ञप्तियां धारण करने वाले व्यक्तियों को हिरण को गोली मारने की अनुज्ञा 25 रूपए के शुल्क के भुगतान करने पर कलेक्टर से अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के पश्चात् दी जाएगी। ऐसा अनुज्ञा पत्र वितरण के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि पर्यंत प्रभावशील रहेगा।

11. पारधी इत्यादि जैसे व्यवसायिक शिकारी; जो जंगली पशुओं को पकड़ते या फंसाते हैं, तहसीलदार से रू0 2 वार्षिक शुल्क के भुगतान पर अनुज्ञा–पत्र प्राप्त करेंगे।

ग– राज्य शासन की भूमि से किसी भी सामग्री का हटाया जाना

12. जिन सामग्रियों पर ये नियम लागू होते हैं उन्हें राज्य शासन की भूमि से हटाना चाहने वाला व्यक्ति अनुज्ञा के हेतु (ग्राम पंचायत) को लिखित रूप में –

(एक) हटाई जाने–वाली वस्तु का;

(दो) हटाए जाने–वाले परिमाण का;

(तीन) जिससे उन्हें हटाया जाना है उस परिमाप अंक या भू–खंडांक का; तथा

(चार) प्रयोजन जिसके हेतु हटाना चाहा गया है;

का उल्लेख करते हुए आवेदन करेगा।

13. (1) ऐसे आवेदन–पत्र की प्राप्ति पर (ग्राम पंचायत) (अथवा आदिवासी पंचायत) स्थल पर ऐसी जांच कराएगी जिसे वह समुपयुक्त समझती हैं तथा आवेदन–पत्र को उन कारणां से जिन्हें अभिलिखित किया जाएगा, स्वीकार या निरस्त कर सकेगी। यदि वस्तुएं निस्तार पत्रक में उपबंद्ध प्रामाणिक निस्तार के हेतु हटाई जाना है, साधारणतया कोई शुल्क प्रभारित नहीं किया जाएगा; किंतु यदि वस्तुओं का हटाया जाना निस्तार–पत्रक द्वारा जाच्छादित नहीं होता अथवा विक्रयार्थ है, वह शुल्क प्रभारित किया जाएगा जिसका निश्चयन स्थानीय स्थितियों को दृष्टि में रखते हुए कलेक्टर करे।

(2) ऐसे शुल्क का आवेदन–पत्र के साथ अग्रिम भुगतान किया जाएगा तथा किसी आवेदन–पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा यदि ऐसे शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है।

14. नियम 13 में अंतर्विष्ट कुछ भी विक्रय के हेतु चूना, ईंट, खपरैल आदि के निर्माण के लिए वस्तुओं को हटाए जाने पर लागू नहीं होगा जो उत्खनन या खदान के पट्टों से आच्छादित होगा।

15. (जब किसी राजस्व पदाधिकारी को यह भरोसा करने का कारण हो कि राज्य शासन की भूमि पर से इन नियमों के खंड 'ग' के उपबंधों के उल्लंघन में कोई सामग्री हटाई गई है, ऐसी सामग्री उस राजस्व पदाधिकारी द्वारा अथवा उसकी आज्ञा के अधीन अभिग्रहीत की जा सकेगी। यदि ऐसा राजस्व पदाधिकारी उप–खंडीय पदाधिकारी के अतिरिक्त कोई अन्य पदाधिकारी हो तो उसके द्वारा ऐसे अभिग्रहण का प्रतिवेदन पंद्रह दिवस के भीतर उप–खंडीय पदाधिकारी को, ऐसी कार्यवाही के लिए, जो वह मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (1959 का क्र0 20) की धारा 253 से अधीन उचित समझे, किया जाएगा।)

प्ररूप 'क'

करार

मैं ..... पुत्र ..... जिले ..... की तहसील ..... में ग्राम का निवासी एतद् द्वारा घोषित करता हूँ और सम्मत होता हूँ कि यहाँ आगे निर्धारित लगा के प्रतिफल के रूप में .....जिले के अंतर्गत ..... के तहसीलदार (यहां आगे तहसीलदार कहा जाएगा) ने ..... जिले की .....तहसील में के ..... गांव में स्थित शासकीय तालाब का, जिसमें ..... एकड़ या उसके लगभग क्षेत्रफल समाविष्ट है और उसका एतद्धीन अनुसूची में अधिक विशिष्टतया वर्णन किया गया है (जिसे यहाँ आगे उक्त तालाब के रूप में निर्देशित किया गया है) मछली पकड़नें और मत्स्य संवर्धन के कार्यो के हेतु ..... वर्षो की कालावधि के ..... से प्रभावशील पट्टा निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन प्रदान किया है :–

(एक) मैं मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 के अधीन निर्मित नियमों के अधीन रहते हुए मछली पकड़नें और मत्स्य संवर्धन के कार्यो को करने के लिए स्वयं को बद्ध करता हूँ।

(दो) मैं उक्त तालाब के बारे में रू0 ..... केवल के वार्षिक लगान का उसे तहसीलदार के कार्यालय में प्रतिवर्ष .... को या से पूर्व निक्षिप्त करने के द्वारा भुगतान करूँगा।

(तीन) यदि वार्षिक लगान चाहे उसकी मांग की गई है या नहीं, नियत दिनांक को नहीं चुकाया गया, तो मैं तहसीलदार के विवेकानुसार उस पर अवेहलना के दिनांक से भुगतान के दिनांक तक प्रति मास/वर्ष .....की दर से ब्याज का भुगतान करने का दायी होऊँगा।

(चार) मैं तहसीलदार की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना उक्त पूरे तालाब का या उसके भाग का विक्रय, उप पट्टा, अभिहस्तांकन, बंधक अथवा उसके आधिपत्य का अंतरण या उसके कब्जें से बिलगांव नही करूंगा और न मछली पकड़नें और मत्स्य–संवर्धन के कार्यो से भिन्न किसी भी प्रयोजन के हेतु उस संपूर्ण का या उसके भाग का उपयोग करूँगा।

(पाँच) इस अनुबंध के प्रतिबंधों में से किसी का भी भंग किए जाने पर या पालन न कर पाने पर तहसीलदार किसी भी

अन्य उपचार को विपरीत प्रभावित किए बिना पट्टे को उस बारे में ..... मास की लिखित सूचना द्वारा समाप्त कर सकेगा अथवा अपने विवेक से अवधि से बिना बीते भाग के लिए पट्टे का पुनर्विकय कर सकेगा तथा मुझसे किसी भी हानि को जो ऐसे पुनर्विक्रय या समाप्ति के कारण से उठाना पड़े, वसूल कर सकेगा।

(छह) पट्टे के बीतने अथवा उसकी पूर्वतर समाप्ति पर मैं उक्त तालाब का आधिपत्य तहसीलदार को उसी अच्छी स्थिति में समर्पित करूँगा जिसमें मेरे द्वारा प्राप्त किया गया था, जिससे युक्तियुक्त टूट–फूट अपवादित है।

(सात) मैं उक्त तालाब में ग्रामवासियों के वर्तमान निस्तार अधिकारों में हस्तक्षेप न करने का वचन देता हूँ।

(आठ) मैं किसी भी धन को, जो इस पट्टे के अधीन मेरे द्वारा देय हो, भू–राजस्व के बकाया (अवशेष) के रूप में वसूली के हेतु अपने आप को बद्ध करता हूँ।

(नौ) इस करार से उत्पन्न किसी भी विषय पर विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में उसे ..... जिले के कलेक्टर को प्रेषित किया जाएगा और उस पर उसका विनिश्चयन अंतिम एवं पक्षकार पर बंधनकारी होगा।

20..... के ..... मास का दिनांक .....

साक्षी

(1) .....

(2) ..... हस्ताक्षर

250. अनुचित रीति से बेकब्जा किए गए भूमिस्वामी का पुनर्स्थापना –

(1) इस धारा तथा 250–क के प्रयोजनों के लिए भूमिस्वामी के अंतर्गत मौरूसी कृषक तथा सरकारी पट्टेदार आएंगे।

(1–क) यदि किसी भूमिस्वामी को भूमि से विधि के सम्यक् अनुक्रम में बेकब्जा न कर के अन्यथा बेकब्जा कर दिया गया हो, या यदि कोई व्यक्ति भूमि स्वामी की किसी ऐसी भूमि पर, जिसके कि उपयोग के लिए ऐसा व्यक्ति इस संहिता के किसी उपबंध के अधीन हकदार न रह गया हो, अप्राधिकृत रूप से कब्जा किए रहे, तो भूमिस्वामी या उसका हित उत्तराधिकारी –

(अ) किसी ऐसे भूमिस्वामी की दशा में जो कि ऐसी जनजाति का हो जिसे धारा 165 की उपधारा (6) के अधीन आदिम जनजाति घोषित किया गया हो –

(एक) अप्राधिकृत बेकब्जा के उन मामलों में जो कि 1 जुलाई सन् 1976 के पूर्व के हों, 1 जुलाई सन् 1978 के पूर्व, और

(दो) किन्ही अन्य मामलों में, यथास्थिति बेकब्जा किए जाने की तारीख से या उस तारीख से, जिसको कि ऐसे व्यक्ति का कब्जा अप्राधिकृत हो जाए, दो वर्ष के भीतर;

(आ) खंड (अ) के अंतर्गत न आने वाले किसी भूमिस्वामी की दशा में, यथास्थिति बेकब्जा किए जाने की तारीख से, जिसकों कि ऐसे व्यक्ति को कब्जा अप्राधिकृत हो जाए, दो वर्ष के भीतर;

तहसीलदार को यह आवेदन कर सकेगा कि उसे कब्जा वापस दिलाया जाए।

(1–ख) तहसीलदार, यह जानकारी मिलने पर कि किसी भूमिस्वामी को या किसी मौरूसी कृषक को या किसी सरकारी पट्टेदार को विधी के सम्यक अनुक्रम में बेकब्जा न करने अन्यथा उसकी भूमि से बेकब्जा कर दिया गया है, इस धारा के अधीन की कार्यवाहियां स्वप्रेरणा से आरंभ कर सकेगा।

(2) तहसीलदार, पक्षों से संबंधित दावों की जांच करने के पश्चात् आवेदन पत्र का विनिश्चय करेगा और जब वह भूमिस्वामी को कब्जा पुनः दिए जाने का आदेश दे दे तो वह उसे भूमि का कब्जा दिला देगा।

(2–क) इस धारा के अधीन आरंभ की गई कार्यवाहियां, दूसरे पक्षकार से उत्तर प्राप्त हो जाने पर, दिन–प्रतिदिन चालू रहेंगी, सिवाय उस दशा के जबकि दीर्घकालिक स्थगन अभिलिखित किए जाने–वाले कारणों से आवश्यक न समझा जाए और उस दशा में उस आदेश पत्रक (आर्डरशीट) की, जिसमें कि ऐसे स्थगन के लिए कारण अंतर्विष्ट हों, एक प्रति कलेक्टर को भेजी जाएगी।

(3) तहसीलदार, जांच के किसी भी प्रक्रम पर, यथास्थिति, भूमिस्वामी, मौरूसी कृषक या सरकारी पट्टेदार को भूमि का कब्जा दिए जाने के लिए अंतरिम आदेश पारित कर सकेगा, यदि वह इस निष्कर्ष पर पंहुचता है कि इस धारा के अधीन आवेदन प्रस्तुत किए जाने या स्वप्रेरणा से कार्यवाहियां प्रारंभ की जा जाने के पूर्व के छह माह के भीतर उसे विरोधी पक्षकार द्वारा बेकब्जा कर दिया गया था। ऐसे किसी मामले में विरोधी पक्षकार को, यदि आवश्यक हो, तहसीलदार के आदेशों के अधीन बेदखल कर दिया जाएगा।

(4) जब उपधारा (3) के अधीन कोई अंतरिम आदेश दे दिया गया हो तो विरोधी पक्ष तहसीलदार द्वारा इस बात के लिए अपेक्षित किया जा सकेगा कि वह तहसीलदार द्वारा अंतिम आदेश न दिए जाने तक भूमि का कब्जा लेने से विरत रहने के लिए, ऐसी धनराशि का बंधनामा निष्पादित कर दे, जिसे तहसीलदार उचित समझे।

(5) यदि बंधनामा निष्पादित करने वाले व्यक्ति के संबंध में यह पाया जाए कि उसने बंधनामें के उल्लंघन में भूमि पर प्रवेश किया है या उसका कब्जा ले लिया है तो तहसीलदार बंधनामे को पूर्णतः या अंशतः जब्त कर सकेगा और ऐसी रकम भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल कर सकेगा।

(6) यदि उपधारा (2) के अधीन पारित किया गया आदेश आवेदक के पक्ष में हो तो तहसीलदार विरोधी पक्षकार द्वारा आवेदक को संदत्त किया जाने वाला प्रतिकर भी अधिनिर्णित करेगा जो उस दर हो जो दो सौ पचास रूपये प्रति हेक्टयर प्रति वर्ष के अनुपातिक हो।

(7) इस धारा के अधीन दिलाया गया मुआवजा भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगा।

(8) जब उपधारा (2) के अधीन, भूमिस्वामी को पुनः कब्जा दिलाया जाने के लिए आदेश दे दिया गया हो, तो तहसीलदार विरोधी पक्षकार को इस बात के लिए अपेक्षित कर सकेगा कि वह आदेश के उल्लंघन में भूमि का कब्जा लेने से विरत रहने के लिए ऐसी राक्षि का, जैसी तहसीलदार उचित समझे, बंधनामा निष्पादित करें

(9) जहां उपधारा (2) के अधीन भूमिस्वामी को पुनः कब्जा दिलाया जाने के लिए आदेश दे दिया गया हो वहां विरोधी पक्षकार जुर्माने के, जो पांच हजार रूप्ए तक हो सकेगा, लिए भी दायित्वाधीन होगा :

परंतु, तहसीलदार इस बात के लिए सक्षम नहीं होगा कि वह एक हजार पांच सौ रूपये से अधिक का जुर्माना अधिरोपित करें किंतु यदि किसी मामले में वह यह समझता है कि मामले की परिस्थितियां अधिक जुर्माने के अधिरोपण के लिए समुचित आधार हैं, तो वह मामला उप–खंडीय पदाधिकारी को निर्देशित कर सकेगा जो संबंधित पक्षकार का सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् जुर्माने के संबंध में ऐसे आदेश पारित करेगा जैसे कि वह उचित समझे।

250 क. धारा 250 के अधीन कब्जा वापस न दिया जाने पर सिविल कारागार में परिरोध –

(1) यदि कोई व्यक्ति, धारा 250 के अधीन कब्जा वापस दे दिया जाने के आदेश की तारीख के पश्चात्, सात दिन से अधिक कालावधि तक किसी भूमि पर अप्राधिकृत दखल या कब्जा किए रहता है, तो उक्त धारा की उपधारा (6) के अधीन देय प्रतिकर या उपधारा (9) के अधीन जुर्मानें पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे

भूमिस्वामी को कब्जा वापस दिया जाने के लिए किए गए प्रथम आदेश की दशा में, उपखंड अधिकारी उसे गिरफ्तार करवाएगा और पंद्रह दिन की कालावधि के लिए परिरूद्ध किया जाने के लिए, उसे वारंट के साथ सिविल कारागार में भेजेगा, तथा ऐसे भूमिस्वामी को कब्जा वापस दिया जाने के लिए किए गए द्वितीय या पश्चात्वर्ती आदेश की दशा में, उपखंड अधिकारी उसे गिरफ्तार करवाएगा और तीन मास की कालावधि के लिए परिरूद्ध किया जाने के लिए, उसे वारंट के साथ सिविल कारागार में भेजेगा;

परंतु इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि उस व्यक्ति को यह अपेक्षा करने–वाली सूचना जारी न कर दी गई हो कि वह उपखंड अधिकारी के समक्ष ऐसी तारीख को, जो कि सूचना में विर्निष्ट की जाएगी, उपसंजात हो और इस संबंध में कारण दर्शाऐं कि उसे सिविल कारागार के सुपुर्द क्यों न किया जाए :

परंतु यह और भी कि उपखंड अधिकारी ऐसे व्यक्ति को, वारंट में उल्लिखित कालावधि का अवसान होने के पूर्व, निरोध से छोड़े जाने का आदेश दे सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अप्राधिकृत कब्जा छोड़ दिया गया है :

परंतु यह भी कि इस धारा के अधीन किसी स्त्री को गिरफ्तार या निरूद्ध नहीं किया जाएगा।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी।)

नियम –– म0प्र0 राजपत्र दिनांक 18 सितंबर 1981 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 2565–63–81–सात दिनांक 15 सितंबर 1981 द्वारा म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (क्र0 20 सन् 1959) की धारा 250–क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन ने धारा 250–क से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाए हैं :–

नियम

1. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

   (क) "प्रारूप" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्रारूप;

   (ख) "धारा" से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा।

2. यदि कोई व्यक्ति धारा 250 की उपधारा (2) के अधीन कब्जा वापस दे दिया जाने के आदेश की तारीख के पश्चात् सात दिन से अधिक दिन तक भूमि पर अप्राधिकृत दखल या कब्जा किए रहता है, तो तहसीलदार संबंधित उपखंड अधिकारी को तद्नुसार एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

3. तहसीलदार से नियम 2 के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर उपखंडीय अधिकारी उक्त नियम 2 में निर्दिष्ट व्यक्ति को प्ररूप–एक में उससे यह अपेक्षा रखते हुए एक सूचना जारी करेगा कि वह उसमें (सूचना में) विनिर्दिष्ट किए गए दिन को उसके (उपखंड अधिकारी के) समक्ष उपसंजात हो और कारण दर्शाए कि भूमि पर यथास्थिति, अप्राधिकृत दखल या कब्जा खाली न करने के लिए उसे सिविल कारागार में क्यों न परिरूद्ध किया जाए।

4. यदि ऐसा व्यक्ति, नियम 3 के अधीन जारी की गई सूचना के अनुसरण में उसमें विनिर्दिष्ट दिन को उपसंजात नहीं होता है और अप्राधिकृत दखल या कब्जा किए रहता है तो उपखंड अधिकारी धारा 250–क के उपबंधों के अनुसार सिविल कारागार में परिरूद्ध किए जाने के लिए व्यक्ति की गिरफ्तारी हेतु प्ररूप–दो में एक वारंट जारी करेगा।

5. जहाँ भूमि पर अप्राधिकृत दखल या कब्जा रखने–वाला व्यक्ति नियम 3 के अधीन जारी की गई सूचना के आज्ञानुवर्तन में उपखंड अधिकारी के समक्ष उपसंजात होता है वहां उपखंड अधिकारी उसे कारण दर्शाने का एक अवसर देगा कि भूमि पर अप्राधिकृत दखल या कब्जा खाली न करने के लिए उसे सिविल कारागार के सुपुर्द क्यों न किया जाए।

6. नियम 5 के अधीन जांच की समाप्ति पर उपखंड अधिकारी धारा 250–क के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उस व्यक्ति को सिविल कारागार के सुपुर्द करने के आदेश दे सकेगा और यदि वह पहले ही गिरफ्तार न किया गया हो तो उस दशा में उसे गिरफ्तार करवाएगा।

7. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का सं0 5) की धारा 55 के उपबंध नियम 4 तथा 6 के अधीन गिरफ्तारी के लिए यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

8. धारा 250–क की उपधारा (1) के द्वितीय परंतुक के अधीन छोड़े जाने का आदेश प्ररूप तीन में होगा।

9. किसी व्यक्ति के धारा 250–क की उपधारा (1) के अधीन सिविल कारागार में परिरोध करने पर उपगत किया गया व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

प्ररूप–एक

(नियम 3 देखिए)

..... के न्यायालय में

सूचना

प्रति,

श्री ..... निवासी ग्राम ..... तहसील ..... जिला .....

चूँकि, आप तहसील ..... के तहसीलदार के आदेश की अवज्ञा में, उक्त आदेश की तारीख के पश्चात् सात दिन से अधिक दिन तक निम्नलिखित भूमि पर अप्राधिकृत रूप से दखल/कब्जा किए हुए हैं, अर्थात् –

1) खसरा क्रमांक .....

2) क्षेत्रफल ..... हेक्टयर

3) ग्राम .....

4) पटवारी वृत क्रमांक .....

5) तहसील .....

अतएव, आप से एतद् द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि आप तारीख ..... को इस न्यायालय के समक्ष उपसंजात होकर कारण दर्शाएं कि उक्त भूमि का अप्राधिकृत दखल/कब्जा खाली न करने के लिए आपको सिविल कारागार के सुपुर्द क्यों न किया जाए।

आज तारीख ..... को मेरे हस्ताक्षर से तथा न्यायालय की मुद्रा लगाकर प्रदत्त।

.....

..... उपखंड अधिकारी

उपखंड

प्ररूप – दो

(नियम 4 देखिए)

..... के न्यायालय में

जेल सुपुर्द करने का वारंट

प्रति,

भारसाधक अधिकारी जेल .....

चूँकि, श्री ..... म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 250 की उपधारा (2) के अधीन ..... तहसील के तहसीलदार द्वारा जारी किए गए आदेश की तारीख के पश्चात् सात दिन से अधिक दिन तक निम्नलिखित भूमि पर अप्राधिकृत दखल / कब्जा किए हुए हैं, अर्थात् :–

1) खसरा क्रमांक .....

2) क्षेत्रफल ..... हेक्टयर

3) ग्राम .....

4) पटवारी वृत क्रमांक .....

5) तहसील .....

और चूँकि श्री ..... न्यायालय के समक्ष तारीख ..... को उपसंजात होने के लिए कहा गया था, देखिए सूचना क्रमांक .....

तारीख .....

और चूंकि, उक्त श्री ..... उक्त सूचना मैं विनिर्दिष्ट किए गए दिन इस न्यायालय के समक्ष उपसंजात नहीं हुए हैं;

या

और चूंकि, न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने के पश्चात् वे इस न्यायालय को इस बाबत् समाधान नहीं कर सके हैं कि इस निमित्त उन्हें सिविल कारागार के सुपुर्द क्यों न किया जाए ;

अतएव, आपको एतद्द्वार समादेश दिया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त .....को सिविल कारागार में ले और प्राप्त करें और उन्हें तारीख ..... से ..... तक .....दिन की कालावधि के लिए (दोनों दिन सम्मिलित करते हुए) वहाँ कारावासित रखें।

आज तारीख ..... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर प्रदत्त।

उपखंड पदाधिकारी,

..... उपखंड

प्ररूप – तीन

(नियम 8 देखिए)

..... के न्यायालय में

छोड़े जाने के लिए आदेश

प्रति,

भारसाधक अधिकारी, जेल .....

आज पारित आदेशों के अधीन आपकों एतद्द्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि आज ..... को, जो इस समय आपकी अभिरक्षा में है, मुक्त कर दें।

तारीख .....

उपखंड पदाधिकारी

..... उपखंड

251. तालाबों का राज्य शासन में निहित होना –

ऐसे समस्त तालाब जो संबंधित क्षेत्र में मध्यवर्तियों के अधिकारों की समाप्ति का उपबंध करने वाले अधिनियम के प्रवृत्त होने के दिनांक को या उससे पूर्व दखल रहित भूमि पर स्थित हो, तथा जिन पर ऐसे दिनांक के ठीक पूर्व ग्राम समुदाय के सदस्य सिंचाई या निस्तार के अधिकारों का प्रयोग करते रहें हो, यदि वे राज्य शासन में पूर्व से ही निहित न हुए हों, तो दिनांक 6 अप्रैल 1959 से राज्य शासन में पूर्ण रूपेण निहित हो जाएंगे।

परंतु, इस धारा की कोई भी बात, तालाब के निहित होने के दिनांक को विद्यमान पट्टे के अधीन तालाब में पट्टाधारी के किसी अधिकार को, जो पट्टे में उल्लेखित सीमा तक यथा उसमें उल्लेखित निबंधनों तथा शर्तो के अधीन रहते हुए प्रयोग में लाया जा सकेगा, प्रभावित करती हुई नहीं समझी जाएगी।

परंतु, यह और भी कि कोई भी तालाब राज्य शासन में तब तक निहित नहीं होगा जब तक कि –

(एक) कलेक्टर का, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह उचित समझे, यह समाधान न हो जाए कि तालाब इस उपधारा में दी गई शर्तो की पूर्ति करता है; और

(दो) हित रखने वाले पक्षों पर सूचना की तामील न कर दी गई हो ओर उन्हें सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

(2) किसी भी ऐसे तालाब में सिंचाई अथवा निस्तार के अधिकार के अतिरिक्त किसी भी अन्य हित का दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन निहित हो जाने के दिनांक से (चार वर्ष) की कालावधि के भीतर अपने हित के संबंध में मुआवजे के लिए कलेक्टर को विहित प्ररूप (फार्म) में आवेदन कर सकेगा।

(2–क) धारा 239 के उपबंध, उपधारा (1) के अधीन राज्य शासन में निहित तालाब के तटबंधों पर खड़े हुए वृक्षों से उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार वे दखल रहित भूमि में लगाए गए वृक्षों पर लागू होते हैं।

(3) ऐसा मुआवजा तालाब के अंतर्गत आई हुई भूमि पर निर्धारण योग्य भू–राजस्व का पंद्रह गुना होगा और निर्धारण के प्रयोजनों के लिए ऐसी भूमि उसी प्रकार की सिंचित भूमि मानी जाएगी जैसी उनके समीप की भूमि हो।

(4) उपधारा (3) के अधीन अवधारित किया गया मुआवजा कलेक्टर द्वारा उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को दिया जाएगा जिसके/जिनके संबंध में उसका/उनका समाधान होने (की सीमा) तक यह सिद्ध जो जाए कि संबंधित तालाब में उसका/उनका हित है।

(5) उपधारा (4) के अधीन मुआवजे के भुगतान से राज्य शासन संबंधित तालाब के संबंध में मुआवजे के समस्त दायित्वों से पूर्णतः मुक्त माना जाएगा, किंतु इससे ऐसे तालाब के संबंध में किन्हीं भी उन अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिनका कोई अन्य व्यक्ति यथोचित विधि को प्रक्रिया द्वारा उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों के विरूद्ध, जिसको/जिनको पूर्वोक्त रूप में मुआवज़े का भुगतान किया गया हो, प्रवर्तित करने का हकदार हो।

(6) राज्य शासन ऐसे तालाबों से जल के उपयोग के विनियमन के लिए उपबंध करने–वाले नियम बना सकेगा।

(7) उपधारा (1) के अधीन किसी तालाब का निहित होना, ऐसे तालाब में सिंचन तथा निस्तार के अधिकारों को, जिनका कोई व्यक्ति निहित होने के दिनांक के ठीक पूर्व हकदार हो, प्रभावित नहीं करेगा।

(व्याख्या – इस धारा के प्रयोजन के लिए तालाब में उस तालाब के तटबंधों पर खड़े हुए वृक्ष सम्मिलित होंगे किंतु उसमें उसके तटबंधों पर स्थित भवन, मंदिर या अन्य निर्माण सम्मिलित नहीं होंगे।)

नियम – उपधारा (1) तथा (2) के अधीन नियम – मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 22 जनवरी 1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 222–6477–सात–ना (नियम), दिनांक 6 जनवरी 1960 द्वारा राज्य शासन ने धारा 251 की उपधारा (1) तथा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित नियम बनाए हैं :–

नियम

धारा 251 की उपधारा (1) के अधीन राज्य शासन में निहित तालाब में सिंचाई अथवा निस्तार के अधिकारों से अन्य किसी भी हित का दावा करने–वाले व्यक्ति द्वारा दिया जाने वाला आवेदन पत्र निम्नलिखित रूप में होगा :–

आवेदन–पत्र

मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (1959 का क्रमांक 20) की धारा 251 की उपधारा (2) के अधीन।

सेवा में,

कलेक्टर

मैं ..... पुत्र ..... ग्राम ..... का निवासी जिला .... तहसील .....ग्राम ..... में स्थित तालाब में जिसका परिमाप–अंक/भू–खंडाक ..... और क्षेत्रफल ..... है तथा जिस पर .....मिट्टी की सिंचित भूमि के रूप में निर्धारणीय भू–राजस्व रू0 ..... बैठता है ..... के रूप में अपने हित के बदले रूपये .... के मुआवजे के भुगतान के हेतु आवेदन करता हूँ।

दिनांक .....

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर

उपधारा (6) के अधीन नियम –– राजपत्र दिनांक 22 जनवरी में प्रकाशित 1960 अधिसूचना क्रमांक 223–6477–सात–ना (नियम), दिनांक 6 जनवरी 1960 द्वारा राज्य शासन ने धारा 251 की उपधारा (6) के अधीन निम्नलिखित नियम बनाए हैं :–

नियम

1. राज्य शासन में निहित तालाबों से खेती की सिंचाई और निस्तार की अनुमति विगत बंदोबस्त के रूढ़ि–पत्रक (वाजिब–उल–अर्ज) में अभिलिखित सीमा तक दी जाएगी।

2. यदि अतिरिक्त पानी नियम 1 में निर्देशित सिंचाई एवं निस्तार के अधिकारों की पूर्ति के पश्चात् या अन्यथा प्राप्य है, वह भूमिस्वामी को, यदि वह संबंधित परिमाप–अंक भू–खंडांक का भू–राजस्व बंदोबस्त दरों पर सिचिंत भूमि के रूप में भुगतान करना स्वीकार करता है, उसके द्वारा कलेक्टर को आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने पर दिया जाएगा।

3. यदि ग्राम की जलपूर्ति कलेक्टर के मत में अपर्याप्त है, वह ऐसे तालाब को अनन्य रूप से पीने या अन्य किसी भी निस्तार के प्रयोजन के हेतु सुरक्षित कर सकता है।

252. सार्वजनिक उपयोगिता के कार्यो का संधारण –

(1) ग्राम सभा का यह कर्त्तव्य होगा कि वह गांव के सार्वजनिक उपयोगिता के कार्यो का संधारण करें तथा उन्हें उचित मरम्मत करके ठीक रखे।

(2) इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए ग्राम सभा लिखित आदेश द्वारा गांव में रहने वाले वयस्क पुरूषों को (उन व्यक्तियों के अतिरिक्त जो वृद्धि तथा दुर्बल हो या शारीरिक आवशक्तता से ग्रस्त हो) ऐसा श्रम करने के लिए आव्हान कर सकेगी जिसे वह गांव में सार्वजनिक उपयोगिता के ऐसे कार्यो को जो उस संबंध में राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किए जाएं, उचित मरम्मत करके ठीक रखे जाने के हेतु आदेश में उल्लिखित करें।

(3) उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश तब तक नही दिया जाएगा जब तक कि कार्य सार्वजनिक उपयोगिता के कार्य न हों, और उनसे सामान्यतः उन व्यक्तियों को लाभ पंहुचाने की संभावना न हो, जिनके विरूद्ध आदेश दिया जा रहा है।

(4) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन श्रमदान करने के लिए अपेक्षित व्यक्ति अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा श्रमदान करा सकेगा या उसके करने के लिए, ऐसी दर से, जो तहसीलदार द्वारा अवधारित की जाए, भुगतान कर सकेगा।

(5) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (2) के निर्दिष्ट श्रमदान करने में उपेक्षा करें या उससे इन्कार या उपधारा (4) में उपबंधित रूप में श्रमदान के लिए भुगतान न करें, तहसीलदार के आदेश पर ऐसी रकम का भुगतान करने का दायी होगा जो उपधारा (4) के अधीन तहसीलदार द्वारा अवधारित दरों के अनुसार श्रम के मूल्य के बराबर हो, और ऐसी रकम भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी।

नियम – राजपत्र दिनांक 22 जनवरी 1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 244–6477–सात–ना (नियम), दिनांक 06 जनवरी 1960 द्वारा राज्य शासन ने धारा 252 के अधीन निम्नलिखित नियम प्रकाशित किए हैं :–

नियम

1. जब कभी ग्राम सभा धारा 252 की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किसी भी कार्य को करना प्रस्तावित करती है, वह एक प्रारूप योजना तैयार करेगी तथा कार्य की राशि का उस गांव या उन गांवों के जिनके हेतु योजना अभिप्रेत है, निवासियों में न्याय बटवारा करेगी। वह उस भुगतान को भी निर्देशित करेगी, जिसे मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 252 की उपधारा (4) के अधीन निवासी से, यदि वह स्वयं उसे कार्यान्वित नहीं करता तो उसके श्रम के बदले में, अपेक्षित होगा।

2. इस प्रकार तैयार की गई योजना को डुग्गी पीटकर तथा उसकी एक प्रति ग्राम सभा के सूचना पटल पर चिपका कर प्रकाशित किया जाएगा।

3. कोई भी व्यक्ति, जिससे किसी भी कार्य करने की अपेक्षा की गई है, प्रस्ताव के विरूद्ध ग्राम सभा को अपना लिखित प्रतिवेदन ऐसी कालावधि के अंतर्गत कर सकेगा जिसे उस बारे में, सभा निर्देशित करे, किंतु जो नियम 2 के अधीन योजना के प्रकाशन के दिनांक से आठ दिन से कम नहीं होगी।

4. प्रतिवेदन करने की कालावधि के व्यतीत हो जाने पर ग्राम सभा प्रतिवेदन का विनिश्चियन करेगी और योजना को अंतिम रूप देगी तथा उसे समाविष्ट करते हुए संकल्प पारित करेगी।

5. ऐसा संकल्प पारित होने पर सभापित संबंधित व्यक्ति को लिखित आदेश प्रचलित करेगा जिसमें कार्य का रूप,

दिन, समय और स्थान, जब श्रम आरंभ एवं समाप्त होगा, निर्देशित होगा तथा ग्रामसभा द्वारा पारित संकल्प की एक प्रतिलिपि संलग्न करेगा।

6. किसी व्यक्ति से श्रम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी, यदि उससे वैसा करने की अपेक्षा करने वाला संकल्प ग्राम सभा द्वारा पारित नहीं किया गया है। संकल्प उस राशि को निर्देशित करेगा जिसका उक्त संहिता की धारा 252 की उपधारा (4) के अधीन भुगतान करने की संबंधित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सके।

7. किसी भी व्यक्ति से सार्वजनिक उपयोगिता के कार्य पर एक वर्ष में पंद्रह दिन से अधिक अथवा लगातार चार दिन से अधिक श्रम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

8. कोई भी ग्रामसभा किसी भी व्यक्ति से जिससे आयु, लिंग, अस्वास्थ्य या प्रथा के कारण प्रत्याशा नहीं की जा सकती, उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन कोई भी श्रम करने की अपेक्षा नहीं करेगी।

9. किसी भी व्यक्ति से जो शासकीय सेवक है, उक्त धारा के अधीन कोई भी श्रम करने की अपेक्षा नहीं जाएगी।

253. उपबंध के उल्लंघन के लिए दंड –

(1) इस संहिता में अन्यथा उपबंधित किए गए के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति जो इस अध्याय के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन में कार्य करें या रूढ़ि–पत्रक (वाजिब–उल–अर्ज) में प्रविष्ट किन्ही नियमों या रूढ़ि का उल्लंघन करें या पालन नहीं करें या निस्तार पत्रक में प्रविष्ट किसी भी प्रविष्टि को भंग करे, ऐसी शास्ति का भागी होगा, जो एक हजार रूपए से अधिक न हो, जैसा कि उप–खंडीय पदाधिकारी, ऐसे व्यक्ति को सुने जाने का अवसर प्रदान के पश्चात् उचित समझे और उप–खंडीय पदाधिकारी किसी ऐसी इमारती लकड़ी, वन उपज या किसी अन्य उपज के समपहरण का भी आदेश दे सकेगा, जिसका ऐसे व्यक्ति ने राज्य की भूमि से उपयोग कर लिया हो या जिसे वहां से हटा लिया हो।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन दंडनीय उल्लंघन, भंग या अपालन ग्राम सभा द्वारा किया गया हो, तो ग्राम सभा का प्रत्येक पदाधिकारी उक्त उपधारा के अधीन तब तक दायी होगा जो जब तक कि वह यह सिद्ध न कर दे कि उल्लंघन, भंग या अपालन उसकी जानकारी के बिना हुआ था यह यह कि उसने ऐसे उल्लंघन, भंग या अपालन को रोकने के लिए पूर्ण यथोचित सावधानी बरती थी।

(3) जहां उपखंडीय पदाधिकारी इस धारा के अधीन शास्ति आरोपित करने का आदेश प्रदान करे, तो वह यह निर्देश दे सकेगा कि संपूर्ण शास्ति या उसका कोई भाग ऐसे उपायों से खर्च को पूरा करने के लिए उपयोग में लाया जा सकेगा, जो ऐसे उल्लंघन, भंग या अपालन के कारण जनता को होने–वाली हानि या क्षति को रोकने के लिए आवश्यक हो।

254. ग्राम सभा के कर्त्तव्यों का पटेल द्वारा पालन –

इस अध्याय के अधनी ग्रामसभा को सौंपे गए किसी भी तथ्य का पालन पटेल द्वारा किया जाएगा जब तक कि धारा 232 के अधीन ग्राम सभा का सम्यक रूपेण गठन न हो जाए।

––00––

मध्य प्रदेश संरक्षित वन नियम, 1960

(धारा 32 एवं 76 के अन्तर्गत)

अधिसूचना क्र. 8476–8414–X–60 दि. 02.09.1960। मध्य प्रदेश राजपत्र भाग (4) (सामान्य) पृष्ठ 893 दिनांक 02.09.1960 पर प्रकाशित।

भारतीय वन नियम, 1927 (क्र. 16, वर्ष 1927) की धारा 32 एवं 76 के खण्ड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं इस विषय पर पूर्व में बनाए सभी नियमों को समाप्त करते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा संक्षिप्त वनों के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है .....

नियम

1. इस नियम में जब तक कोई बात विषय या सन्दर्भ के विरूद्ध न हो .....

(क) "अधिनियम" से तात्पर्य भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) से है.

(ख) "कृषक" से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो खुदकाश्त करें या जो सामान्यतः स्वतः काश्त करता हो जिसमें कृषि मजदूर तथा ग्रामीण शिल्पी सम्मिलित हैं.

(ग) "सारांशीकरण" से तात्पर्य संरक्षित वन से सिर्फ समुचित मात्रा में निस्तार या पैदावार सद्भावपूर्ण घर उपयोग या उपजीविका कार्य के लिए किन्तु वस्तु विनिमय, विक्रय या दुरूपयोग के लिए न हो, प्राप्त करने की सुविधा के बदले में निश्चित राशि पूरे वर्ष में एक बार देने से है।

(घ) "अनुज्ञप्ति" से तात्पर्य इन नियमों के अन्तर्गत अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त अनुज्ञप्ति से है।

(ड़) "निस्तार" के अर्थ में निम्नलिखित सम्मिलित है .....

(1) काश्तकारी औजारों, नये मकानों के निर्माण, मकानों की मरम्मत और काश्तकारों के मवेशी कोठा के लिए आरक्षित वृक्षों या इस सम्बन्ध में विशेष रूप से स्वीकृत रक्षित वृक्षों की इमारती लकड़ी।

(2) सूखी गिरी लकड़ी जो इमारती लकड़ी के उपयुक्त न हो।

(3) सूखे बांस व हरे बांस जहां विशेष रूप से बताये हो।

(4) रूसा, खस या सवाई घास को छोड़कर घास।

(5) खैर एवं ब्रशबुड (Brushwood) को छोड़कर काटे।

(6) तेन्दूपत्ता छोड़कर पत्ते।

(7) अनारक्षित झाड़ों की छाल या बक्कल।

(8) सतही बोल्डर, मुरम, रेत, छुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी (Clay) ।

(च) "पैदावार" का अर्थ एवं उसमें सम्मिलित है समस्त खाने योग्य जड़े, फल एवं फूल, कुल्लू वृक्ष के गोंद को छोड़कर प्राकृतिक रूप से निकला गोंद, मोम व शहद।

(छ) उपजीविका निस्तार (Occupational Nisatar) से तात्पर्य है जीविकोपार्जन के लिए किसी धन्धे को चलाने के लिये आवश्यक निस्तार से है।

(ज) "पास" इन नियमों के अन्तर्गत या तत्समय प्रभावशील कोई अन्य विधि, नियम आदेश के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिया पास जिसमें सारांशीकरण पास (Communication) भी सम्मिलित है।

2. इसमें इसके पश्चात् नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए ग्राम या ग्रामों में रहने वाले या जमीन धारण करने

वाले कृषकों को तत्समय प्रभावशील नियम या आदेश के अनुसार, जिस संरक्षित वन से वे सम्बन्ध (Attached) किये गये हो, उस संरक्षित वन से उनकी आवश्यकतानुसार निस्तार मुफ्त में या रकम पटाकर प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी।

3. स्पष्टीकरण –

(1) अभिव्यक्ति निस्तार आवश्यकता या पैदावार आवश्यकता से तात्पर्य निस्तार अथवा पैदावार का सद्भावपूर्ण (Bonafide) घरू उपयोग के लिए आवश्यकता है और दान (Gift), वस्तु विनियम (Barter) विक्र, निर्यात (Export) दुरूपयोग (Wasteful Use) नहीं है।

(2) उपनियम (1) के अन्तर्गत स्वीकृत निस्तार एवं पैदावार आवश्यकता की मात्रा प्रत्येक व्यक्ति की वास्तविकत आवश्यकता एवं निस्तार सामग्री की उपलब्धता के अध्यधीन होगी। जहां कुल आवश्यकता से कम निस्तार सामग्री उपलब्ध होगी, वहां निस्तार सामग्री को साम्य रूप से युक्तिसंगत रूप से वितरित किया जावेगा।

(3) (अ) वन मंडलाधिकारी समय–समय पर क्षेत्र निर्धारित करेगे जिसमें से प्रत्येक वर्ष निस्तार प्राप्त किया जावेगा और ग्रामीण केवल उसी क्षेत्र से अपना निस्तार प्राप्त करेगे।

(ब) वन मंडलाधिकारी समय–समय पर उपजीविका निस्तार के उपयोग के लिए समुचित क्षेत्र, विनिर्दिष्ट एवं सुरक्षित करेगें एवं नियम (2) के अन्तर्गत कृषकों की "निस्तार" एवं पैदावार की आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद दोहन उपलब्धता के अन्तर्गत शेष मात्रा इस हेतु निश्चित करेंगे।

(4) (अ) कलेक्टर समय–समय पर वन मण्डलाधिकारी की सलाह से एवं तत्समय प्रभावशील नियम एवं आदेशों के अनुसार ग्रामों को विनिर्दिष्ट करेगा, जहां के निवासियों को उनके निस्तार व पैदावार की आवश्यकता सारांशीकरण (Communication) शुल्क पटाकर प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी।

(ब) उपनियम (अ) के अध्यधीन रहते हुए सारांशीकरण उन्ही ग्रामीणों को स्वीकृत की जाएगी जो तत्समय प्रभावशील नियम या आदेश के अनुसार सारांशीकरण शुल्क पटाकर सारांशीकरण पास (Communication Pass) प्राप्त कर लेगा।

(5) (अ) कोई भी व्यक्ति बिना पास या विधिवत् अनुज्ञप्ति के, संरक्षित वनों से अपनी निस्तार आवश्यकता प्राप्त नहीं कर सकेगा जब तक कि इस सम्बन्ध से वन मंडलाधिकारी के विशिष्ट या सामान्य लिखित आदेशों द्वारा छूट प्राप्त न हो।

(ब) वन मंडलाधिकारी पासों के वितरण का नियंत्रण करेगा।

(स) जब तक उपनियम (1) के अन्तर्गत वन मण्डलाधिकारी द्वारा छूट प्राप्त न हो, प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ निस्तार पास या वैध अनुज्ञप्ति रख कर निस्तार लेने के लिए संरक्षित वन में प्रवेश करेगा और इन नियमों के अनुसार निस्तार प्राप्त करेगा।

4. संरक्षित वनों का दोहन (Exploitation) निम्न शर्तो का अध्यधीन होगा .....

(अ) (1) किसी वृक्ष के चारों ओर काट कर घेरा (Girdle) नहीं बनाया, जावेगा या काफी ऊपर से काट कर मुण्डा (Pollard) नहीं किया जाएगा या उसकी डाले नहीं काटी जाएगी।

(2) गोंद या राल के संग्रहण के उद्देश्य से किसी वृक्ष में घाव (Wound) नहीं किए जाएंगे।

(3) किसी वृक्ष को उखाड़ा, जलाया या अन्य किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।

(4) गिराने के लिये विशेष रूप से चिन्हित या वन मण्डलाधिकारी के सामान्य आदेश से काटने या

हटाने के लिये स्वीकृत वृक्ष के सिवा कोई वृक्ष काटा नहीं जाएगा।

(5) कोई भी वृक्ष जो छाती ऊंचाई (Breast Height) (नीचे से 135 से.मी.) पर 9 इंच या 22.5 से.मी. से कम हो, नहीं काटे जाएंगे।

(6) (अ) समस्त काटने वाले वृक्षों को यथा–सम्भव भूमि के संलग्न से काटे जाएंगे।

(ब) वृक्षों की जड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। केवल पलाश (Butea Monosperma) की जड़ को रस्सी के लिये खोदा जा सकता है किन्तु किसी भी दशा में जड़ के एक तिहाई भाग से अधिक जड़ का भाग नहीं निकाला जाएगा, ताकि शेष जड़ से वृक्ष जीवित रह सके।

(स) निम्नलिखित नियमों के अध्यधीन रहते हुए केवल कोहा (Terminelia Arjuna) वृक्ष की छाल को वन मंडलाधिकारी की लिखित स्वीकृति से निकाला जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी वृक्ष की छाल नहीं निकाली जाएगी।

(1) छाती ऊंचाई (जमीन से 135 से.मी. ऊपर) पर 3"–6" या (105 से.मी.) से अधिक मोटाई वाले वृक्षों के तनों के पूर्वी भाग का ही छाल, विशेष प्रकार के छाल निकालने वाले हथियार से निकाली जाएगी। छाल उतारी नहीं जावेगी, बल्कि 5 से.मी. से 2 से.मी. के चौखाने में छाल निकाली उतारी नहीं जाएगी अन्दरूनी सतह (Cambium Layer) को हानि नहीं पहुंचाई जावेगी। छाल निकालने की लाईनों के बीच 5 से.मी. की दूरी रखी जाएगी।

(2) छाल जनवरी से जून के मध्य ही निकाली जाएगी।

(3) वृक्ष से एक साल छाल निकालने के बाद तीन साल तक पुनः उसमें छाल नहीं उतारी जाएगी।

(4) ऐसी छाल भरती गाड़ी 5.00 रियायती दर पर या समय–समय पर राज्य शासन द्वारा निर्धारित दर से दी जाएगी।

(द) बांस निम्न शर्तो के अध्यधीन काटा जाएगा –

(1) बांस के कूपों का कटाई का क्रम (Felling Cycle) 4 वर्ष होगी। वार्षिक कटाई के कूप को 4 संभागों में विभाजित किया जावेगा तथा बांस की कटाई क्रमानुसार संभाग वार की जावेगी अर्थात् सेक्सन "दो" में कटाई जब तक नही की जावेगी जब तक सेक्सशन "एक" में कटाई को कार्य नियमानुसार सन्तोषप्रद ढंग से पूर्ण न हो जाए।

(2) प्रथम वर्ष का अहपरिपका बांस "करला" यो गये वर्ष बांस "महिला" नहीं काटा जाएगा।

(3) बांस की जड़ (Rhyzome) नहीं खोदी जाएगी।

(4) ऐसे बांस के भिरे में, जिसमें केरला व महिला सहित, दस बांस से कम हो, कटाई नहीं की जाएगी।

(5) ऐसे बांस भिरे में जिसमें 10 से अधिक बांस हो, (उन बांसो को छोड़कर जो 18"=45 से.मी. से कम ऊंचाई पर टूटे हो) शेष बांसों को पूरे भिरे में सुसंगत रूप से छोड़ा जाएगा तथा छोड़े गए पके बांसों की संख्या (महिला को छोड़कर) उस भिरे में "करला" बांस की संख्या की दुगनी से कम न होगी बशर्ते 10 जीवन बांस भिरे में न्यूनतम है)

उदाहरण–किसी बांस के भिरे में 3 करला, 5 महिला एवं 9 अन्य पके बांस कुल 17 बांस है।

इस भिरे में 3 करला के दुगुने अर्थात् 6 पके बांस रोके जाना हैं लेकिन यह संख्या 10 से कम

है अतः 7 पके बांस रोके जाएंगे अर्थात् भिरे में 3 करला, 5 महिला एवं 7 पके बांस रोके जाकर दो पके बांस काटे जाएंगे।

(6) कटने वाले बांस को जमीन से एक गठान ऊपर (कम से कम 6' या 15 से.मी. अधिकतम 18"=45 से.मी.) के बीच में काटना चाहिए।

(7) बांस तेज धार वाले औजार से काटा जाएगा ताकि बांस के एक ठूंठ न फटे।

(8) बांस के बंडल (गट्ठे) बांधने के लिये किसी भी दशा में करला व महिला बांस नहीं काटा जाएगा।

(ई) खजूर के वृक्षों से रस निकालने की प्रक्रिया निम्न शर्तो के अधीन की जाएगी।

(1) यदि कोई खजूर वृक्ष भूमि से, उगती हुई डाली के तले तक 6''=180 से.मी. से कम हो तो उस वृक्ष से रस निकालने की प्रक्रिया नहीं की जाएगी।

(2) किसी भी एक वर्ष में, वृक्ष के तने में एक स्थान पर रस निकालने की प्रक्रिया उगती डाली के तल पर, की जाएगी।

(3) वृक्ष से रस निकालने की प्रक्रिया में अनावश्यक रूप से पट्टे नहीं काटे जाएंगे, और छेद (Incidion) इस प्रकार न किए जाएं कि वृक्ष मर जाएं।

(1) इन नियमों के प्रावधानों के अध्याधीन रहते हुए, संरक्षित वन की लघु वन उपज (Minor Forest Produce), वन मंडलाधिकारी द्वारा उसी प्रकार विक्रय की जाएगी, जिस प्रकार आरक्षित वन (Reserved Forest) में की जाती है।

(2) सभी वन उपज, वन मंडलाधिकारी के प्राधिकार द्वारा प्रदत्त पास, या इन नियमों या तत्समय प्रभावशील किसी विधि के अन्तर्गत वन मण्डलाधिकारी के प्राधिकार (Authority) से जारी अनुज्ञा (Licence) के अन्तर्गत ही संरक्षित वन से हटाई जाएगी।

(3) सूर्यास्त एवं सूर्योदय के मध्य कोई भी वन उपज नहीं ले जाई जाएगी।

(4) वन मण्डलाधिकारी द्वारा इस निमित्त निर्दिष्ट क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र में 'दहिया' या 'बेवर' कृषि को अनुमति नहीं दी जाएगी।

5. वनोपज को हटाने या विनियोजित करने के लिये पास या अनुज्ञाधारी व्यक्ति, जब वह संरक्षित वन में उपरोक्त कार्य के सम्बन्ध में प्रवेश करें तो अपने आधिपत्य में पास या अनुज्ञा अवश्य रखेगा और किसी वन अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करेगा। परन्तु ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में यह नियम लागू नहीं होगा जिसे अकाल (Famine) या सूखा (Scareity) के समय राज्य शासन द्वारा बिना पास वन उपज ले जाने की अनुमति दी हो।

6. वन संरक्षक समय–समय पर संरक्षित वनों से निकाली जाने वाली प्रत्येक वन–उपज के लिए दर निर्धारित करेगा।

(1) संरक्षित वन के पांच किलोमीटर के भीतर यदि कोई व्यक्ति जंगल या घास जमीन को आग लगातार साफ करना चाहता है, तो वह निम्न नियमों का पालन करेगा।

(अ) जिस वनाधिकारी के क्षेत्राधिकार में वह भूमि हों, उसमें नजदीकी, वन–रक्षक, वनपाल या परिक्षेत्र अधिकारी को, आग लगाने से कम से कम एक सप्ताह पूर्व अपने इरादे को सूचना देगा।

(ब) जिस क्षेत्र को जलाना चाहता है, उसमें संरक्षित वन की ओर (30 फुट) या 9 मीटर चौड़ी पट्टी से इस प्रकार सफाई करेगा कि आग उसके पार न फैल सकें।

(स) जब तेज हवा चल रही हो, आग नहीं लगाएगा।

(2) आरक्षित वन से एक मीलक (1.6 किलोमीटर) के भीतर की भूमि पर आग लगाने का इच्छुक व्यक्ति लकड़ी, घास या अन्य ज्वलनशील सामग्री को ढेरों में एकत्र करेगा और इसे एक के बाद ढेरों को ऐसे जलाएगा जिससे आग न फैले और संरक्षित वन को नुकसान न पहुंचाए।

(3) ऐसा व्यक्ति, जो संरक्षित वन में ज्वलनशील सामग्री वनोपज जैसे घास या बांस एकत्रित करता है या ऐसी वनोपज एकत्रित करने का अनुज्ञाधारी व्यक्ति, संरक्षित वन से उचित दूरी पर, जो वन मण्डलाधिकारी के, सामान्य या विशिष्टि आदेश द्वारा निर्देशित हो, खुले स्थान में एकत्रित करेगा, तथा उनको इस प्रकार अलग रखेगा कि उनमें आग लगने से आस–पास क्षेत्र में न फैले एवं संरक्षित वन को खतरे में डाले।

(4) संरक्षित वन की सीमा पर, या वन के भीतर, यात्रियों को ठहरने के स्थलों (Camping Place) को, वन मण्डलाधिकारी द्वारा अलग किया जाएगा और उनको साफ कराया जाएगा तथा इन स्थलों की सूची प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाएगी और ऐसे शिविर स्थलों के अतिरिक्त संरक्षित वन की सीमा पर या वन में कहीं भी आग नही लगाई जाएगी। इन शिविर स्थलों का उपभोग करने वाले व्यक्ति, खाना पकाने या अन्य कार्य के लिये इस प्रकार आग जलाएंगे जिससे संरक्षित वन, या शिविर स्थल पर स्थित कोई भवन (Building), शेड (Shed) या अन्य सम्पत्ति को आग से नुकसान न पहुंचे तथा शिविर छोड़ने के पूर्व सब ज्वलनशील पदार्थ को शिविर केन्द्र में एकत्रित करेंगे तथा सावधानीपूर्वक पूरी आग बुझा देंगे।

(5) पहली नवम्बर तथा तीस जून के मध्य या इससे पहले या बाद की तिथियों में जैसा, वन मण्डलाधिकारी, वन संरक्षक की पूर्व अनुमति से, धारा 26(ग) के अन्तर्गत निर्धारित करें, संरक्षित वन में या उसकी सीमा पर जलती आग ले जाना, आग जलाना या मशाल (Torch) ले जाना वर्जित होगा। शिविर स्थल (Camping Ground) छोड़कर, संरक्षित वन में उक्त अवधि में धूम्रपान भी वर्जित होगा।

(6) कोई भी व्यक्ति संरक्षित वन में कोई आग नहीं लगावेगा, और कोई भी व्यक्ति संरक्षित वन के पास ऐसी आग नहीं ले जाएगा जिससे वहां पड़ी हुई किसी लकड़ी या धारा 30 के अन्तर्गत घोषित सुरक्षित वृक्षों को हानि पहुंचे।

7. संरक्षित वन में कोई अधिकार का उपभोग करने वाला कोई व्यक्ति, निस्तार, सुविधा पाने वाला व्यक्ति या, संरक्षित वन में पशु चराने की सुविधा का उपभोग करने वाले व्यक्ति का कर्त्तव्य होगा कि संरक्षित वन में या उसके पास आग लगने की जानकारी होने पर तत्काल नजदीकी 'वन अधिकारी' को सूचना देगा और वन अधिकारी द्वारा अपेक्षा की गई हो या नहीं।

(1) ऐसी उक्त आग को बुझाने, और

(2) ऐसे वन के समीप लगी आग को वन के भीतर फैलने से रोकने हेतु अपनी पूर्ण वैधानिक साधनों (Means) के द्वारा रोकने का कदम उठाएगा।

8. (1) किसी संरक्षित वन को आवंटित (Allotted) ग्रामों में निवास करने वाले कृषक या उसमें भूमि धारण करने वाले या कृषि शिल्पी (Artisan) या मजदूरों को तत्समय प्रभावशील नियम और आदेशों के अनुसार, उस संरक्षित वन में पशु चराने की अनुमति दी जाएगी।

परन्तु वन मण्डलाधिकारी की स्वीकृति के अभाव में कोई भी व्यक्ति घास बीड (Grass Bir) उजाऊ तथा चारे हेतु रक्षित क्षेत्र (Fuel & Fodder Reserve), पुनरोत्पादन एवं वृक्षारोपण क्षेत्र (Regeneration & Plantation areas) में पशु नहीं चराएगा। वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र एवं चारागाह जहां (Standard Grazing Incidence) लागू है, में भेड़ बकरी चराना वर्जित होगा। वन मंडलाधिकारी द्वारा निःशुल्क चराई और बिना प्रतिबन्ध चराई हेतु संरक्षित वन के पहाड़ व चट्टानी क्षेत्र, जो विशेष रूप से अलग किए गए हो,

केवल उसमें (भेड़, बकरी) चरा सकते हैं बरसात में किसी भी एक स्थान पर, भेड़ बकरी को चराने के लिए एक सप्ताह से अधिक ठहरने (Concentrate) नहीं दिया जाएगा।

(2) वन मंडलाधिकारी चराई अनुज्ञप्ति प्रदाय, चराई शुल्क वसूली, पशुओं की चेकिंग को उसी प्रकार नियंत्रित करेगा जैसी आरक्षित वनों के सम्बन्ध में होगी।

(3) दूर स्थानों के चराई सुविधा प्राप्त पशुओं के लिए वन मण्डलाधिकारी, वन क्षेत्र में पशु शिविर निश्चित करेगा।

(4) संरक्षित वनों में चराई के लिये, राज्य शासन द्वारा, समय–समय पर जो शुल्क निर्धारित किया जाएगा, वही होगा।

9. (1) संरक्षित वन से प्रवाहित होने वाली किसी नदी में मछली मारने के अधिकार का ठेका नहीं दिया जाएगा। परन्तु वन संरक्षक, नदी के सुविदित (Well defined) भाग में, वहां के मूल निवासी (Bonafide) मछली मारने वालों को (Fisher man) अनुज्ञप्ति देकर मछली मारने के अधिकार को नियंत्रित कर सकता है।

परन्तु नदी में उपर्युक्त मत्स्य प्रजनन का स्थान उपलब्ध कराने के बाद, तथा आस–पास के निवासियों की मछली की वास्तविक आवश्यकता की पूर्ति के उपरान्त ही अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी।

(2) ऐसी अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिये कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

10. ग्राम पंचायत, विकास मण्डल या ग्रामीणों के परामर्श से वार्षिक किराया निश्चित करके, वन मण्डलाधिकारी, नदी की या तालाब की भूमि की काश्तकारी के लिए, उन व्यक्तियों को जो प्रायः उक्त भूमि पर काश्त करते रहे हो काश्तकारी के लिये बटन कर सकेगा।

11. अधिनियम की धारा 26–(1) और 76–(घ) के अन्तर्गत बनाये गये नियम जो जिस प्रकार महा–कौशल क्षेत्र में प्रभावशील है, वे उसी प्रकार यथावश्यक परिवर्तन सहित संरक्षित वनों में प्रवृत्त होगे जैसे आरक्षित वनों के सम्बन्ध में प्रवृत्त होते हैं।

12. आरक्षित वनों (Reserved Forest) में "वनों ग्रामों" (Forest Village) की स्थापना के लिए जो प्रक्रिया दी है, उसी के अनुसार संरक्षित वनों में भी "वन ग्राम" स्थापित किए जा सकते हैं।

13. वृक्ष और इमारती लकड़ी की कटाई, चिराई, परिवर्तन (Conversion) एवं हटाना तथा वन उपज का संग्रहण, निर्माण और परिवर्तन, घास, काटना, पशु चराना यथाशक्य राज्य शासन द्वारा स्वीकृत कार्यकरण योजना (Working Plan) या कार्य आयोजना (Working Scheme) के प्रावधान अनुसार जो इन नियमों से असंगत न हो, नियंत्रित होगा।

––00––

भू–राजस्व संहिता 1959 के अध्याय 18 के प्रावधान एवं नियम

1. धारा 233 दखल रहित भूमि का अभिलेख।
2. दखल रहित भूमि का अभिलेख के संबंध में नियम 1960
3. धारा 234 निस्तार पत्रक का तैयार किया जाना।
4. निस्तार पत्रक की तैयारी संबंधी नियम 1960
5. धारा 235 विषय जिनके लिए निस्तार पत्रक में उपबन्ध किया जावेगा।
6. धारा 236 निस्तार पत्रक में कतिपय विषयों के लिए उपबन्ध।
7. धारा 237 निस्तार अधिकारों के उपयोग के लिए कलेक्टर द्वारा भूमि का पृथक रखा जाना।
8. दखल रहित भूमि जो धारा 237 की उपधारा (1) के उल्लेखित उद्देश्यों के लिए पृथक रखी गई है के संबंध में नियम 1999 (पूर्व के नियम विलोपित किए)
9. धारा 238 दूसरे ग्राम की बंजर भूमि के अधिकार।
10. धारा 239 दखल रहित भूमि में लगाए गए फलदार वृक्षों के अधिकार।
11. धारा 240 कतिपय वृक्षों के काटे जाने का प्रतिशेध
12. धारा 241 सरकारी वनों से इमारती लकड़ी की चोरी रोकने के उपाय।
13. धारा 24 बाजिबुल अर्ज।
14. बाजिब–उल–उर्ज संबंधी नियम 1960 ।
15. धारा 243 आबादी
16. धारा 244 आबादी स्थलों का निपटारा
17. आबादी स्थानों के निपटारे संबंधी नियम 1960 ।
18. धारा 245 भू–राजस्व दिये बिना गृह स्थल धारण करने का अधिकार।
19. धारा 246 आबादी में गृह स्थल धारण करने वाले व्यक्तियों का अधिकार।
20. धारा 247 खनिजों के संबंध में सरकार का हक।
21. धारा 248 अप्राधिकृत रूप से भूमि पर कब्जा कर लेने के लिए शास्ती।
22. नियम 1976
23. धारा 249 मछली पकड़ने, आखेट करने आदि का विनियमन।
24. मछली पकड़ने, शिकार करने के विनियमन संबंधी नियम 1960 ।
25. धारा 250 अनुचित रूप रो कब्जा किए गए भूस्वामी का पुनःस्थापन।
26. धारा 250(क) धारा 250 के अधीन कब्जा वापिस न दिया जाने पर सिविल कारागार में परिषेध नियम 1981 ।
27. धारा 250(ख) भूमि के आवंटिती के पक्ष में भूमि खाली न करना अपराध होगा।
28. धारा 251 तालाबों का राज्य सरकार में निहित होना।

29. तालाबों से सिंचाई एवं निस्तार संबंधी नियम 1960 ।

30. धारा 252 लोकोपयोगी निर्माण कार्यो का अनुरक्षण।

31. श्रम को अधिकार में लने संबंधी नियम 1960 ।

32. धारा 253 उपबन्धों के उल्लंघन के लिए दण्ड।

33. धारा 254 ग्रामसभा के कर्त्तव्यों का पटेल द्वारा पालन किया जाना।

मध्यप्रदेश पड़त भूमि का कृषिकरण अधिनियम, 1966

(क्रमांक 23 सन् 1966)

(दिनांक 29 दिसम्बर 1966 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्य प्रदेश राजपत्र" असाधारण में दिनांक 3 अक्टूबर 1966 को प्रथम बार प्रकाशित की गई)

मध्यप्रदेश राज्य में पड़त भूमि पर खेती करने के लिए उपबंध करने के हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्रहवें वर्ष में मध्य प्रदेश विधान मंडल द्वारा इसे निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाए, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम तथा विस्तार

(1) यह अधिनियम मध्य प्रदेश पड़त भूमि का कृषिकरण अधिनियम, 1966 कहलाएगा।

(2) इसका विस्तार क्षेत्र संपूर्ण मध्य प्रदेश राज्य होगा।

2. परिभाषाएं – इस अधिनियम में, जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) "खेती करना" से तात्पर्य कृषिकर्मी जैसी रीति में भूमि को जोतने तथा उस पर फसल पैदा करने से है और अभिव्यक्ति "खेती की गई", "खेती" तथा "खेती न की गई" का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;

(ख) "पड़त भूमि" से तात्पर्य, किसी विशिष्ट वर्ग के संबंध में, उस भूमि से है, जो कि उस वर्ष बिना खेती की हुई पड़ी रही हो किंतु, जिस पर उस वर्ष के ठीक पूर्व के छह वर्ष के भीतर किसी समय खेती की गई हो, किंतु उसमें वह भूमि, जो कि अकृष्य या तालाब या तटबंध या नाले या निकुंज के रूप में अभिलिखित हो या वह भूमि, जो खलियान के रूप में उपयोग में लाई गई हो, सम्मिलित नहीं हैं;

(ग) "धारक" से तात्पर्य राज्य के भीतर की भूमि के भूमिस्वामी या मौरूसी कृषक से है और उसमें सम्मिलित है '

(एक) शासकीय पट्टेदार;

(दो) मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 183 के तात्पर्य के अंतर्गत ग्राम सेवक (विलेज सर्वेंट);

(तीन) मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 168 की उपधारा (2) में उल्लिखित किए गए भूमिस्वामी का पट्टेदार; और अभिव्यक्ति "भूमि धारण करना" या "भूमि धारण करने वाला" का तद्नुसार ही अर्थ लगाया जाएगा।

(घ) "दखल में ली गई भूमि" से तात्पर्य ऐसी भूमि से है जो किसी धारक द्वारा धारित हो किंतु उसमें वह भूमि जो कि कृषि–भिन्न प्रयोजनों के लिए व्यपवर्तित की गई हों या उपयोग में लाई गई हो, या वह भूमि जो कि अकृष्य या तालाब या तटबंध या नाले या निकुंज के रूप में अभिलिखित हो या वह भूमि, जो खलियान के रूप में उपयोग में लाई गई हो, सम्मिलित नहीं है;

(ड़) "तहसीलदार" में इस अधिनियम के अधीन तहसीलदार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत किया गया कोई भी पदाधिकारी सम्मिलित है;

(च) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का जो इस अधिनियम के प्रयोग में लाई गई हो किंतु इसमें परिभाषित न की गई हों, और जो मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) में परिभाषित की गई हों, वही तात्पर्य होगा जो कि उनके लिए उस संहिता (कोड) में दिया है।

3. भूमि पर खेती –

(1) प्रत्येक धारक प्रत्येक वर्ष में, दखल में ली गई भूमि के इतने क्षेत्र पर खेती करेगा, जितना कि उस वर्ष के ठीक पूर्व के वर्ष में खेती के अधीन था।

(2) उपधारा (3) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए दखल में ली गई भूमि का प्रत्येक धारक प्रत्येक वर्ष में ठीक पूर्व के वर्ष के भू–अभिलेख कागजों में अपने नाम में अभिलिखित पड़त भूमि के ऐसे क्षेत्र पर, जो कि नीचे दी गई सारिणी में उल्लिखित है, व्यक्तिशः खेती करने के दायित्वाधीन होगा :–

सारणी

क्र.	धारित पड़त भूमि का क्षेत्र	पड़त भूमि का क्षेत्र जिस पर कि खेती की जानी हो
1	पाँच एकड़ तक	संपूर्ण क्षेत्र
2	पाँच एकड़ से अधिक किंतु दस एकड़ से अधिक नहीं	पाँच एकड़
3	दस एकड़ से अधिक	पड़त भूमि का आधार

(3) धारक द्वारा पड़त भूमि के क्षेत्र का अवधारण करने में निम्नलिखित कटौतियां की जाएंगी, अर्थात् :–

(क) धारक को जो चराई संबंधी मामूली आवश्यकताएं होती हों उन आवश्यकताओं के लिए दखल में की भूमि के आंठवें भाग के बराबर क्षेत्र;

(ख) ऐसे काँस या अन्य घास–पात से, जिसका उन्मूलन बैलों द्वारा मामूली जुताई से नहीं किया जा सकता हो, भरा हुआ क्षेत्र;

(ग) वह क्षेत्र जो कि प्रायिक कृषिक प्रथा के अनुसार खेती किए बिना छोड़ दिया गया हो वह क्षेत्र जिसमें कम उपजाऊ मिट्टी हो जिसे पुनरूद्धार या विराम की आवश्यकता हो;

(घ) वह क्षेत्र जो खेती के अधीन लाए जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त न हो।

(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए संगणना करने में आधे एकड़ से कम का कोई भी अपूर्णांक छोड़ दिया जाएगा।

(5) ऐसा कोई भी धारक जो उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करें, ऐसी कोई अन्य कार्यवाही पर, जो कि इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन उसके विरूद्ध की जा सकती हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, तहसीलदार के आदेश पर, ऐसे क्षेत्र के, जिसके कि संबंध में यह अपेक्षित हो कि उस पर धारा (1) या उपधारा (2) के अधीन खेती की जाए या उसे खेती के अधीन लाया जाए, प्रति एकड़ पीछे 25 रूपए के अनधिक शास्ति के दायित्वधीन होगा, जब तक कि धारक धारा 4 के अधीन छूट संबंधी प्रमाण–पत्र अभिप्राप्त न कर ले या यह सिद्ध कर दे कि उसने ऐसे उल्लंघन को रोकने के लिए सम्यक सावधानी बरती थी। द्वितीय बार की या पश्चात्वर्ती चूक के लिए शास्ति प्रति एकड़ पीछे 50 रूपए से अन्यून तथा 200 रूपये से अनधिक के हिसाब से अधिरोपित की जाएगी :

परंतु ––

(एक) इस उपधारा के अधीन कोई भी कार्यवाही 15 जुलाई से ही प्रारंभ होगी ;

(दो) कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि धारक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

4. छूट संबंधी प्रमाण–पत्र का प्रदान किया जाना ––

(1) धारक ––

(एक) वर्ष 1966 के 30 मई तक; और

(दो) प्रत्येक पश्चातवर्ती वर्ष की पहली जनवरी तक;

निम्नलिखित आधारों में से किसी भी आधार पर, धारा 3 की उपधारा (1) व (2) के उपबंधों से छूट के लिए लिखित आवेदन कर सकेगा, अर्थात् :–

(क) यह कि वह अपनी दखल में ली गई भूमि के किसी क्षेत्र को चारे की फसल पैदा करने के लिए उपयोग में लाता रहा है और उस विशिष्ट वर्ष में उस पर चारे की फसल पैदा करने का आशय रखता है; या

(ख) यह कि वह क्षेत्र, जिसे वह किसी विशिष्ट वर्ष में बिना खेती किया हुआ छोड़ने का आशय रखता है–

(एक) प्रायिक कृषिक प्रथा के अनुसार बिना खेती किया हुआ खेती किया हुआ छोड़े जाने के लिए; या

(दो) गाँव के पशुओं की चराई के प्रयोजन के लिए;

(ग) यह कि वह वृद्धावस्था के कारण अथवा शारीरिक या मानसिक निर्योग्यता के अध्यधीन व्यक्ति है;

या

(घ) यह कि वह विधि की किसी प्रक्रिया के अधीन निरूद्ध या कारावासित व्यक्ति है; या

(ड़) यह कि वह संघ के सशस्त्र बल की सेवा में का व्यक्ति है।

(2) उपधारा (1) के अधीन छूट के लिए आवेदन–पत्र उस तहसीलदार को दिया जाएगा जिसके कि क्षेत्राधिकार के भीतर वह क्षेत्र स्थित हो, जिसके कि संबंध में छूट का दावा किया गया हो।

(3) ऐसे आवेदन–पत्र के प्राप्त होने पर, तहसीलदार ऐसी जाँच करने के पश्चात्, जैसा कि वह उचित समझे तथा धारक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और वर्ष 1966 में 30 जून के पूर्व तथा प्रत्येक पश्चात वर्ष की 31 मार्च के पूर्व या तो छूट संबंधी प्रमाण–पत्र देने से इन्कार कर सकेगा या धारा 3 के अधीन खेती किए जाने के लिए अपेक्षित संपूर्ण क्षेत्र या उसके भाग के संबंध में ऐसे निर्बंधनों तथा शर्तों पर, जिन्हें कि वह समुचित समझे, ऐसा प्रमाण–पत्र प्रदान कर सकेगा।

5. खेती न की गई भूमि के पट्टे की अनिवार्य मंजूरी –

(1) यदि किसी वर्ष में, कोई धारक, जो धारा 3 के अधीन भूमि पर खेती करने के दायित्वाधीन हो, उक्त धारा के उपबंधों का उल्लंघन करें और यदि उसकी उपधारा (5) के अधीन उस पर कोई शास्ति अधिरोपित की गई हो, तो तहसीलदार यह कारण बतलाने के लिए उसे अपेक्षित कर सकेगा कि वह भूमि जिसके कि संबंध में ऐसा उल्लंघन हुआ, पट्टे पर क्यों न दे दी जाए।

(2) यदि संबंधित व्यक्ति को उस संबंध में कारण बतलाने का तथा साक्ष्य, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का अवसर देने के पश्चात्, तहसीलदार का यह समाधान हो जाए कि ऐसा व्यक्ति –

(एक) दखल में ली गई ऐसी भूमि पर, जिस पर कि धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन खेती करना उसके लिए बाध्यकर है, जब कि वह ऐसी संपूर्ण भूमि या उसके किसी भाग पर खेती करने में समर्थ हो;

या

(दो) ऐसी पड़त भूमि पर, जिस पर कि वह धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन व्यक्तिशः खेती करने के दायित्वाधीन हो गया हो, खेती करने का आशय नहीं रखता है, तो तहसीलदार यह घोषणा करते हुए आदेश पारित करेगा कि यथास्थिति ऐसी संपूर्ण भूमि या उसका भाग तहसीलदार द्वारा पट्टे पर दे दिया जाएगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक पट्टेदार तहसीलदार को पट्टा धन चुकाने के दायित्वाधीन होगा जो कि पट्टा–धन का संग्रह करने में हुए व्ययों को, जो देय पट्टा–धन के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे, काट लेने के पश्चात् भूमि के धारक को धन की देनगी करवाएगा।

6. धारा 5 के अधीन पट्टे पर दी गई भूमि पर खेती न करने के लिए शास्ति – यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसे कि किसी भी का पट्टा धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन मंजूर किया गया हो, उसे पट्टे पर दी गई भूमि पर खेती न करे, और वह तहसीलदार के आदेशों पर, उसे पट्टे पर दी गई भूमि के प्रति एकड़ पीछे पचास रूपए से अनधिक शास्ति चुकाने के दायित्वाधीन होगा :

परंतु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि पट्टेदार को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

7. भूदान–यज्ञ में दान की गई भूमियों के संबंध में अधिनियम की प्रयुक्ति का वर्जन – इस अधिनियम की कोई भी बात –

(क) तत्समय प्रवृत्त भूदान–यज्ञ विधि के उपबंधों के अधीन भूदान–यज्ञ मंडल में निहित भूमि के संबंध में;

(ख) दान के दिनांक से लेकर ऐसी भूमि के भू–दान यज्ञ विधि के उपबंधों के अनुसार विहित होने संबंधी कार्यवाहियों की समाप्ति के दिनांक तक की कालावधि के दौरान भूदान–यज्ञ के प्रयोजनों के लिए (चाहे भूदान–यज्ञ विधि के प्रारंभ होने के पूर्व या पश्चात्) दान की गई किसी भूमि के संबंध में; लागू नहीं होगी :

परंतु उस पट्टेदार के जिसे कि कोई भूमि भूमि धारा 5 के उपबंधों के अनुसरण में पट्टे पर दी गई हो, अधिकार इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात से प्रभावित नहीं होंगे।

व्याख्या– इस धारा में –

(क) भू–दान यज्ञ" से तात्पर्य भू–दान यज्ञ विधि के अधीन गठित भू–दान यज्ञ मंडल के पक्ष में स्वेच्छा से दिए गए दान के द्वारा भूमि के अर्जन के लिए श्री आचार्य विनोबा भावे द्वारा प्रारम्भ किए गए आंदोलन से है; और

(ख) "भूदान यज्ञ" विधि से तात्पर्य यज्ञ मंडल के गठन, उक्त मंडल को भूमि के दान में प्राप्त भूमियों के वितरण के लिए तथा तत्सहायक विषयों के लिए उपबंध करने के हेतु तत्समय प्रवृत्त विधि से है।

8. पट्टेदार पट्टे की कालावधि समाप्त होने पर भूमि का कब्जा धारक को देगा ––

(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमित में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसा पट्टेदार जो कि धारा 5 के अधीन उसे पट्टे पर दी गई भूमि का कब्जा, ऐसे पट्टे की कालावधि समाप्त होने के पश्चात् उस धारक को, जो पट्टे के दिए जाने के पूर्व भूमि पर कब्जा रखता था, या उसकी मृत्यु होने की दशा में उसके वैध दायाद को न सौंपे, अतिचारी रागझा जाएगा तथा मध्यप्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) के उपबंधों के अनुसार, बेदखली का भागी होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन अतिचारी को बेकब्जा किए जाने पर धारक को या यदि उसकी मृत्यु हो गई हो, तो उसके वैध दायाद को, तहसीलदार के आदेशों के अधीन, भूमि का कब्जा दे दिया जाएगा तथा वह ठीक आगामी कृषि वर्ष से उस पर खेती करने के लिए अपेक्षित किया जाएगा।

(3) यदि यथास्थिति धारक या उसका वैध दायाद उपधारा (2) के अधीन अपेक्षित किए गए अनुसार भूमि पर खेती करने से इन्कार करे या, उस पर खेती न करे या, पट्टे की अवधि समाप्त होने के पश्चात् पट्टेदार से भूमि का कब्जा वापस प्राप्त करने पर, ठीक आगागी वर्ष से उस पर खेती न करे, तो वह भूमि मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 176 के अधीन परित्यक्त कर दी गई समझी जाएगी।

9. कार्यवाहियों का वर्जन –

(1) तहसीलदार या तहसीलदार के आदेशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध किसी भी ऐसी बात के संबंध में, जो कि इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या जारी किए गए किन्हीं आदेशों के अधीन सद्भावना से की गई हो, या जिसका सद्भावना से किया जाना आशयित रहा हो कोई भी वाद अभियोजना या अन्य वैधानिक कार्यवाही प्रस्तुत नहीं होगी।

(2) राज्य शासन के विरूद्ध किसी भी ऐसे नुकसान के संबंध में, जो किसी ऐसी बात से हुआ हो या जिससे किसी ऐसी बात के होने की संभावना हो जो कि इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या उसके उपबंधों के अनुसरण में जारी किए गए किन्हीं आदेशों के अनुसरण में सद्भावना से की गई हो या जिसका सद्भावना से किया जाना आशयित रहा हो, कोई भी वाद या अन्य वैधिक कार्यवाही प्रस्तुत नहीं होगी।

10. क्षेत्राधिकार का वर्जन – इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति को प्रयोग में लाते हुए दिए गए किसी भी आदेश या की गई किसी भी कार्यवाही पर किसी भी सिविल या दंड न्यायालय में आपत्ति नहीं की जाएगी।

11. पुनरीक्षण – कलेक्टर –

(एक) स्वयं की प्रेरणा से किसी भी समय; या

(दो) इस अधिनियम के अधीन पारित किए गए किसी भी आदेश से व्यक्ति द्वारा आवेदन–पत्र दिया जाने पर, ऐसे आदेश के दिनांक से पंद्रह दिन के भीतर; किसी तहसीलदार द्वारा पारित किसी भी आदेश की वैधता या औचित्य के संबंध में या उसकी (तहसीलदार) की कार्यवाहियों की नियमितता के संबंध में स्वयं का समाधान करने के प्रयोजन के लिए ऐसे तहसीलदार के समक्ष लंबित या निपटाए गए किसी भी माामले का अभिलेख तलब कर सकेगा तथा उसकी जांच कर सकेगा और उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे; परंतु वह किसी भी आदेश में फेरफार नहीं करेगा या उसे उलटेगा नहीं जब तक कि हितबद्ध पक्षकारों पर सूचना की तामील न कर दी गई हो और उन्हें सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो; परंतु यह और भी कि पंद्रह दिन की कालावधि की संगणना करने में, वह समय छोड़ दिया जाएगा जो कि आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए अपेक्षित हो।

12. नियम बनाने की शक्ति –

(1) राज्य शासन इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम विधानसभा के पटल पर रखे जाएंगे।

13. निरसन – मध्यप्रदेश पड़त भूमि का कृषिकरण अध्यादेश, 1966 (क्रमांक 5 सन् 1966) एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

––00––

D.O. No. 7036/X/66
Government of Madhya Pradesh
Forest Department

From:

Bhrahma Swarup,
Dy. Secy. to Govt.

Bhopal, the 14th July 1966.

(All Collectors .....)

Subject : Excision of land from protected forests steps for increasing agricultural production.

-*-

My dear

Enclosed please find a statement indicating the areas of land found fit for excision for cultivation in protected forests of your district.

2. As you are aware, under the scheme, after the survey was completed the area was to be excised by Forest Department and placed at the disposal of Revenue Department for allotment in accordance with the scheme. Revenue Department has already issued instructions about the allotment of land proposed to be excised under the scheme.

(For Collectors, Dhar Jhabua, Gwalior, Durg, Bastar, Sarguja, Jabalpur, Mandla, Vidisha, Rewa and Satna only)

3. In so far as Forest department is concerned, I am to request you that, you may direct the Divisional Forest Officers concerned to prepare detailed proposals for excision of such land so that, excision can be notified without any delay. The proposals may please be sent as soon as possible directly to this Department. Since the final report indicating the area available for excision has not been received from your district in spite of Chief Secretary's demi-official letter No. 5748/X/66 dated the 31st May 1966, I am to request to immediately send your report and to take further action for sending proposals for excision of land.

Yours sincerely,
Sd/-
(Brahma Swarup)

Shri .....
Collector,
District .....
Madhya Pradesh.

No. 7037/X/66 Bhopal, the 14th July 1966.

Copy forwarded for information and necessary action to:

(1) Shri PS Bapna, Secy to Govt, MP, Planning and Development Deptt, Bhopal;
(2) Shri MS Chaudhary, Secy to Govt, MP Revenue Deptt, Bhopal;
(3) Shri SC Verma, Secy to Govt, MP Agriculture Deptt, Bhopal

(with one spare copy for Cooperation Deptt)

(4) Shri MA Khan, Secy to Govt, MP, Irrigation Department, Bhopal.

They are now requested to take action in accordance with the scheme already sent to him.

in continuance of Forest Deptt endrosment No. 14326/X/65 dated the 18th December 1965.

No. 7038/X/66 Bhopal, the 14th July 1966

Copy forwaded for information to :

(1) Shri ..... Commisssioner,
..... Division.

sd/-
DEPUTY SECRETARY TO GOVERNMENT

No. 7038/X/66 Bhopal, the 14th July 1966

Copy forwaded for information to :

(1) Shri KN Mishra, Chief Conservtor of Forests, MP, Bhopal;
(2) Shri ..... Conservtor of Forests,
(3) Shri ..... Divisional Forest Officer,
..... Forest Division.

He must see that the proposals for excision are prepared by him under the directions of the Collector without any delay and sent to this Department through the Collector at once.

sd/-
DEPUTY SECRETARY TO GOVERNMENT

STATEMENT SHOWING THE FINAL REPORT RECEIVED FROM THE COLLECTORS REGARDING EXCISION OF LAND FROM PROTECTED FORESTS FOR AGRICULTURAL PURPOSE

S.No.	Name of Division	Name of Distts.	Final report received on	Area available for excision	Remarks
1	2	3	4	5	6
1.	Indore	Indore	25-4-1966 311/C	1395.55 acres	
2.		Ratlam	16-6-1966 312/C	841.00 acres	Collectors figure is given in Bighes. Hence DFO Indore's figur mentioned here.
3.		Mandsaur	30-4-66 335/C	3248.00 acres	
4.		Dewas	13-4-66 355/C	Nil	
5.		Dhar	–	–	Interim report received on 23.4.66 (p.318/C) Total area roughly 4700.0080 acres
6.		Jhabua	–	–	A tentative statement showing an area of 46137 acres received on 14-6-66 (P.420/C) out of this an area of 7168 acres is already under encroachment.
7.		West Nimar	17-6-66 P.480 B/C	1403.53 acres	281.53 acres already excised (P. 477C)
8.		East Nimar	19-3-66 P.224/C	4169.69 acres	
9.	Gwalior	Gwalior	–	–	In commissioner's letter dated 10-6-66)P.436/C) it is said that final report has been sent by Collector Gwalior to Director of land Records on 28-2-66.
10.		Morena	19-2-66 P.97/C	7009.00 acres	
11.		Shivpuri	13-4-66 P.298/C	11558.70 acres	
12.		Guna	28-2-66 D.136/C	26689.00 acres	
13.	Raipur	Raipur	27-6-66 P.503/C	3655.72 acres	Excluding 1,43,168 acres of Bindranawagarh Tahsil, 1312 acres of Sohegpur Block and 2091 acres of Mahasemud Tahsil)P. 46/C)

1	2	3	4	5	6
14.		Durg	--	--	An area of 5815.18 acres is said to be fit in Kwerdha & Khairagrah Tahsils (P.473/C) Final report awaited.
15.		Bastar	--	--	Total surveyed by DFO until week ending 7-6-66 is 19645 acres nased on CF's report dated 5.7.66 (P. 505/C) This excludes area of 33811 acres sanction for disfor station of which already given. There is some confusion regarding survey work at Collector's level (P.505/C).
16.	Bilaspur	Bilaspur	17-6-66 P.482/C	12,202.66 acres	
17.		Raigarh	15-07-66	40,000.00 acres	
18.		Surguja	--	--	Interim report received on 20.6.66 (P.451/C) Total area 58314 acres
19.	Jabalpur	Jabalpur	--	--	Interim report received on 20.6.66 (P.496/C) Total area 526.69 acres
20.		Balaghat	24-5-66 P.382/C	2913.48.66 acres	
21.		Chhindwara	1-4-66 P.269/C	907.56 acres	
22.		Sagar	16-6-66 P.477/C	2783.19 acres	
23.		Narsimhapur	25-4-66 P.308/C	40.00 acres	
24.		Seoni	2-3-66 P.139/C	4881.00 acres	
25.		Damoh	26-5-66 P.371/C	5366.89 acres	
26.		Mandla	--	--	Interim report received on 14.6.66 (P.471/C) area 1405.70 acres
27.	Bhopal	Sehore	15-4-66 P.296/C	1758.29 acres	Excludes forest villages 600 acres & Bhopal Sub. Dn.
28.		Raisen	24-2-66 P.151/C	16543-81 acres	
29.		Vidisha	--	--	Interim report received on 17.6.66 (P.481/C)
30.		Hoshangabad	18-3-66 P.220/C	6659.58 acres	

परिशिष्ट–1

(धारा 248 के अंतर्गत टिप्पणी 'ए' देखें)

मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखल रहित भूमि (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1970

(क्रमांक 26 सन् 1970)

(दिनांक 23 अक्टूम्बर 1970 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 24 अक्टूम्बर 1970 को प्रथम बार प्रकाशित की गई)

कतिपय परिस्थितियों में ग्रामों के निवासियों को दखल रहित भूमि आवंटित करने के लिए विशेष उपबंध करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मंडल द्वारा इसे निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाए।

1. **संक्षिप्त नाम तथा विस्तार** – यह अधिनियम मध्यप्रदेश में की दखल रहित भूमि (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1970 कहा जा सकेगा।

2. **परिभाषाएं** – इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ––

(क) "कोड" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश लैंड लेवेन्यू कोड, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959);

(ख) "ग्राम का निवासी" से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो ऐसे ग्राम में या उस ग्राम में, जिसमें कि प्रायः ऐसे ग्राम से खेती की जाती हो ––

(एक) भूमि धारण करता हो, या

(दो) कृषि–शिल्पी के रूप में या कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करता हो;

(ग) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो अधिनियम में प्रयोग में लाई गई हों किंतु परिभाषित न की गई हो वही अर्थ होंगे जो कि उनके लिए मध्यप्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) में दिए गए हैं।

3. **कतिपय परिस्थितियों में दखल रहित भूमि का आवंटन तथा बंदोबस्त** – किसी ग्राम में की समस्त दखल रहित भूमियां, जिन पर ऐसे ग्राम के निवासियों ने (23 जून 1980) के पूर्व निवास के प्रयोजन के लिए या उससे आनुषांगिक प्रयोजनों के लिए किसी भवन का परिनिर्माण कर लिया हो और ऐसा भवन उस तारीख को विद्यमान हो, कोड या उसके अधीन बनाए गए नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसे निवासियों को भूमिस्वामी अधिकारों में आवंटित की जाएंगी तथा उक्त भूमियों का, कोड या उसके अधीन बनाए गए नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उन निवासियों के साथ बंदोबस्त भूमिस्वामी अधिकारों में किया जाएगा; परंतु इस धारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात ऐसी दखल रहित भूमि को लागू नहीं होगी –

(क) जो –

(एक) मध्यप्रदेश म्यूनिपिसल कॉरपोरेशन एक्ट, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) द्वारा उसके अधीन घोषित की गई नगरपालिक निगम की सीमाओं से सोलह किलोमीटर ;

(दो) मध्यप्रदेश म्युनिसिपैलिटीज एक्ट, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) द्वारा या उसके अधीन घोषित की गई नगरपालिका की सीमाओं से आठ किलोमीटर ;

(तीन) ऊपर (एक) तथा (दो) में विनिर्दिष्ट की गई नगरीय क्षेत्र की सीमाओं से भिन्न सीमाओं से तीन किलोमीटर ;

(चार) नेशनल हाईवेज एक्ट, 1956 (क्रमांक 47 सन् 1956) में विनिर्दिष्ट किए गए या उसके अधीन घोषित किए गए राष्ट्रीय राजमार्ग के या मध्य प्रदेश हाईवेज एक्ट, 1936 (क्रमांक 34 सन् 1936) की धारा 2 के अधीन अधिसूचित लोकमार्ग के दोनों ओर एक किलोमीटर की दूरी के भीतर हो;

(ख) जो संहिता (कोड) की धारा 237 के अधीन निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए पृथक रखी गई हो :–

(एक) कब्रस्तान या श्मशान के लिए;

(दो) गोठान के लिए;

(तीन) खलियान के लिए;

(चार) खाल निकालने के लिए;

(पांच) बाजार के लिए;

(छह) सार्वजनिक प्रयोजनों जैसे पाठशालाओं, खेल के मैदानों, उद्यानों, सड़कों गलियों तथा नालियों के लिए;

(ग) जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए धारित की गई हो या आरक्षित की गई हो।

4. **बंदोबस्त के लिए प्रक्रिया** –

(1) किसी ग्राम का प्रत्येक निवासी, जिसे धारा 3 लागू हो, तहसीलदार को ऐसी कालावधि के भीतर तथा ऐसे प्रारूप में जैसा कि विहित किया जाए, आवेदन पत्र देगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर, आवेदन–पत्र में वर्णित दखल रहित भूमि के संबंध में संहिता (कोड) की धारा 248 के अधीन लंबित कार्यवाही, यदि कोई हो, ऐसे समय तक के लिए रोकी जा सकेगी जिसे कि तहसीलदार उचित समझे।

(3) इस अधिनियम के उपबंधों तथा इस संबंध में बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए, तहसीलदार दखल रहित भूमि का किसी ग्राम के निवासी को आवंटन करेगा तथा उस भूमि का उस निवासी के साथ बंदोबस्त करेगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन दखल रहित भूमि का आवंटन हो जाने पर, उक्त दखल रहित भूमि के संबंध में तहसीलदार के समक्ष संहिता (कोड) की धारा 248 के अधीन लंबित समस्त कार्य का उपशमन हो जाएगा।

5. **इस अधिनियम के उपबंध संरक्षित वन को, उसके संरक्षित वन न रहने पर लागू होंगे** – इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927), जैसा कि वह मध्य प्रदेश राज्य को लागू है, धारा 34–ए के अधीन जारी की गई अधिसूचना में, जिसमें कि किसी वन के और अधिक काल तक संरक्षित वन न रहने की घोषणा की गई हो, उस निमित्त नियत की गई तारीख को इस अधिनियम के उपबंध उस वन भूमि या बंजर भूमि को जो (23 जून 1980) को (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त तारीख के नाम से निर्दिष्ट है) ऐसे संरक्षित वन में समाविष्ट थी, उसी प्रकार लागू होंगे मानो कि ऐसी भूमि उक्त तारीख को दखल रहित भूमि थी।

6. **नियम बनाने की शक्ति** –

(1) राज्य सरकार साधारणतः इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया तथा पूर्वागामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध हो सकेंगे :–

(क) (एक) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन कालावधि तथा प्रारूप का विहित किया जाना;

(दो) धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन दखल रहित भूमि के आवंटन तथा बंदोबस्त की रीति का विहित किया जाना;

(ख) उन निबंधनों तथा शर्तो का, जिनके कि अध्यधीन रहते हुए दखल रहित भूमि का आवंटन तथा बंदोबस्त किया जाएगा, विहित किया जाना।)

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जाएंगे।

7. **निरसन** – मध्यप्रदेश में की दखल रहित भूमि (विशेष उपबंध) अध्यादेश, 1970 (क्रमांक 4 सन् 1970) एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

नियम

राजपत्र दिनांक 28 मई 1971 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 105–3114–सात–सा–एक दिनांक 6 जनवरी 1971 द्वारा मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखल रहित भूमि (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1970 (26 सन् 1970) की धारा 6 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, राज्य शासन ने निम्नलिखित नियम बनाए हैं :–

1. इन नियमों में जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) "अधिनियम" से तात्पर्य मध्य प्रदेश ग्रामों में की दखल रहित भूमि (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1970 (26 सन् 1970) से है।

(ख) "प्रारूप" से तात्पर्य इन नियमों में संलग्न प्रारूप से है।

2. अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन ग्राम के निवासी द्वारा दिया जाने वाला आवेदन पत्र प्ररूप 'क' में होंगा।

3. आवेदन–पत्र उस तहसील के तहसीलदार को जिसमें कि प्रश्नगत् भूमि स्थित हो, (31 दिसम्बर 1981 तक) प्रस्तुत किया जाएगा।

4. आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर तहसीलदार भूमि के आवंटन बंदोबस्त के संबंध में आपत्तियां आमंत्रित करते हुए प्रारूप 'ख' में सूचना जारी करेगा।

5. तहसीलदार, प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात् तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात् जो कि उसके द्वारा आवश्यक समझी जाए भूमि के आवंटन/बंदोबस्त के संबंध में आदेश पारित करेगा।

(5–क. भूमि के आवंटन/बंदोबस्त के संबंध में आदेश पारित करने में तहसीलदार खुले प्रांगण या बाड़ी के लिए मकान के क्षेत्र के अनुपात में, अधिकतम 202 हेक्टेयर तक भूमि का, यदि वह (भूमि) पूर्व से ही आवेदक के कब्जे में हो, आवंटन/बंदोबस्त कर सकेगा।)

6. (लुप्त)

7. आवंटिती, आवंटन/बंदोबस्त के आदेश के दिनांक से आगामी राजस्व वर्ष से पूरे निर्धारण (राजस्व) की देनगी के लिए भी दायित्वाधीन होगा।

8. तहसीलदार प्रारूप 'ग' में एक प्रमाण–पत्र जारी करेगा।

प्रारूप क

(नियम 2 देखिए)

ग्राम के निवासी द्वारा दिए जाने वाले आवेदन–पत्र का प्रारूप

प्रति

तहसीलदार

..... तहसील

..... (मध्य प्रदेश)

1. आवेदक का पूरा नाम .....
2. पिता का नाम .....
3. आजीविका का साधन .....
4. उस ग्राम का नाम जहां आवेदक रहता हो .....
5. आवेदित भूमि के ब्यौरे –

ग्राम का नाम	परिमाप–अंक / भू–खंडाक	क्षेत्रफल
(1)	(2)	(3)

6. आवेदक एतद् द्वारा ऊपर के मद (5) में विनिर्दिष्ट भूमि का निवास अथवा उससे आनुषांगिक प्रयोजनों के लिए भूमिस्वामी अधिकार में आवंटन / बंदोबस्त किए जाने हेतु आवेदन करता है।
7. आवेदक आगे यह और घोषणा करता है कि –
   (1) वह नीचे दिए अनुसार भूमि धारण करता है,
   (2) वह कृषि शिल्पी है,
   (3) वह कृषि मजदूर है,
   (4) उसने आवेदित भूमि पर 26 मई 1970 के पूर्व मकान बनाया था,
   (5) मकान 26 मई 1970 को विद्यमान था।

   (जो लागू न हो उसे काट दीजिए।)

उस ग्राम का नाम जिसमें भूमि धारित हो	परिमाप–अंक / भू–खंडाक क्रमांक	क्षेत्रफल	निर्धारण
(1)	(2)	(3)	(4)

दिनांक .....

.....

(आवेदक के हस्ताक्षर)

प्रारूप ख

(नियम 4 देखिए)

सूचना

चूँकि श्री ..... आत्मज ..... निवासी मौजा ..... तहसील .....जिला ..... ने मध्य प्रदेश ग्रामों में की दखल रहित भूमि (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1970(26 सन् 1970) की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि जो मौजा .....तहसील ..... जिला ..... में स्थित है, का निवास के प्रयोजन के लिए आवंटन/बंदोबस्त करने के लिए आवेदन–पत्र दिया है; और

चूंकि यह प्रस्तावित है कि उक्त भूमि का आवंटन/बंदोबस्त उक्त व्यक्ति के साथ किया जाए;

अतएव एतद् द्वारा सर्व संबंधित व्यक्तियों को यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्तावित आवंटन/बंदोबस्त के संबंध में आपत्ति करने की इच्छा करने वाला कोई भी व्यक्ति उसे लिखित में अधोहस्ताक्षरकर्ता को दिनांक ..... को या उसके पूर्व (यहां वह दिनांक दिया जाए जो सूचना के प्रकाशन के 15 से अधिक न हो) प्रस्तुत करे –

अनुसूची

ग्राम का नाम	परिमाप–अंक	क्षेत्रफल	निर्धारण
(1)	(2)	(3)	(4)
			रू. पै.

दिनांक .....

.....

तहसीलदार

(तहसीलदार के न्यायालय की मुद्रा)

1. प्रतिलिपि ..... ग्राम के पटेल को ग्राम में डोंडी पिटवाकर विस्तृत प्रचार के लिए अग्रेषित की जाती है।
2. प्रतिलिपि ..... ग्राम पंचायत/ग्रामसभा को सूचनार्थ अग्रेषित की जाती है।

दिनांक .....

.....

तहसीलदार

प्रारूप ग

(नियम 8 देखिए)

प्रमाण–पत्र

..... के न्यायालय में

वर्ग क्रमांक ..... मामला क्रमांक .....

एतद् द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री ..... को ग्राम ..... तहसील .... में स्थित नीचे उल्लेखित भूमि में, निवास के लिए या उससे आनुषंगिक प्रयोजनों के लिए भूमिस्वामी के अधिकार प्रदान किए गए हैं। यह भूमि उसके और उसके उत्तराधिकारियों तथा अभिहस्तांकितियों द्वारा, पूर्ण निर्धारण की देनगी के अध्यधीन रहते हुए धारित की जाएगी।

परिमाप–अंक	क्षेत्रफल	निर्धारण
(1)	(2)	(3)
		रू. पै.

दिनांक .....

.....

तहसीलदार

मध्यप्रदेश कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1984

(क्रमांक 30 सन् 1984)

(दिनांक 21 अक्टूम्बर, 1984 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राज्यपत्र (असाधारण)" में दिनांक 21 अक्टूबर, 1984 को प्रथमबार प्रकाशित की गई)

कतिपय परिस्थितियों में उन व्यक्तियों को, जिनके कब्जे में कृषि के प्रयोजन के लिए दखल रहित भूमि है, भूमि स्वामी अधिकार प्रदान किए जाने के लिए विशेष उपबंध करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में मध्य प्रदेश विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो–

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार –

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1984 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश पर है।

2. परिभाषाएं – इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) "कृषि श्रमिक" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो कोई भूमि धारण न करता हो और उसकी जीविका का मुख्य साधन भूमि पर शारीरिक श्रम करना हो और जो ऐसे कुटुंब का सदस्य हो जिसका कोई भी अन्य सदस्य कोई भूमि धारण न करता हो;

(ख) "कोड" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959);

(ग) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त की गई है किंतु परिभाषित नहीं की गई हैं वे ही अर्थ होंगे जो कि उन्हें मध्यप्रदेश लैण्ड रेवेन्यू कोड, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) में दिए गए हैं।

3. कृषि श्रमिकों को भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना –

(1) किसी ग्राम में की समस्त दखल रहित भूमि, जो 02 अक्टूम्बर 1984 को किसी कृषि–श्रमिक के कब्जे में हो, कोड में या उसके अधीन बनाए गए नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उक्त तारीख से ऐसे व्यक्ति द्वारा भूमिस्वामी अधिकारों में धारण की जाएगी और वह कोड और तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के समस्त प्रयोजनों के लिए उक्त भूमि का भूमिस्वामी होगा;

परंतु ऐसे भूमिस्वामी अधिकार दो हेक्टेयर से अधिक भूमि के संबंध में प्रदान नहीं किए जाएंगे;

परंतु यह और भी कि इस धारा की कोई भी बात उस भूमि के संबंध में लागू नहीं होगी जो –

(क) कोड की धारा 237 के अधीन निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए पृथक रखी गई हो ––

(एक) कब्रस्तान तथा श्मशान के लिए;

(दो) गोठान के लिए;

(तीन) खलिहान के लिए;

(चार) खाल निकालने के स्थान के लिए;

(पांच) बाजार के लिए;

(छह) सार्वजनिक प्रयोजनों जैसे पाठशालाओं, खेल के मैदानों, उद्यानों, सड़कों गलियों तथा नालियों के लिए;

(सात) चारागाह, घास, बीड़ या चारे के लिए।

(ख) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए धारित की गई हो या आरक्षित रखी गई हो।

(ग) उक्त तारीख को भूमि पर कब्जा रखने–वाले व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को आवंटित की गई हो।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट कोई भी बात तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि उसी ग्राम में की, जिसमें कि वह निवास करता है भूमि कृषि–श्रमिक के कब्जें में न हो और उसके कुटुंब का कोई भी सदस्य कोई भूमि धारण न करता हो।

स्पष्टीकरण – उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए कुटुंब के संबंध में यह समझा जाएगा कि उसमें पति या पत्नी, संतान, माता–पिता और उस पर आश्रित कोई अन्य व्यक्ति सम्मिलित है।

4. **हस्तांतरण या व्यपवर्तन अनुज्ञेय नहीं होगा** – ऐसा कृषि श्रमिक जो धारा 3 के अधीन भूमिस्वामी बन गया हो, कोड में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उक्त भूमि का किसी व्यक्ति को हस्तांतरण करने के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित करने के लिए हकदार नहीं होगा।

5. **नियम बनाने की शक्ति** –

(1) राज्य सरकार, साधारणतया इस अधिनियम के उपबंध को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम विधानसभा के पटल पर रखे जाएंगे।

6. **शंका निवारण** – शंका निवारण के लिए एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि इस बाबत् कोई विवाद उत्पन्न होने की दशा में कि क्या कोई भूमि आवंटित है अथवा नहीं, धारा 3 के खंड (ग) के अधीन अधिकारों का प्रदान किया जाना उस समुचित प्राधिकारी के विनिश्चिय के अधीन होगा जो कि विहित किया जाए।

7. **अधिनियम के उपबंधों का भूमिहीन व्यक्तियों को लागू होना** –

(1) इस धारा के प्रयोजन के लिए –

(क) "भूमिहीन व्यक्ति" के अभिप्रेत हैं ऐसा व्यक्ति जो चाहे अकेले या अपने कुटुंब के अन्य सदस्यों के साथ संयुक्त रूप से, दो हेक्टेयर से कम भूमि धारण करता हो;

(ख) किसी भूमिहीन व्यक्ति की भूमि की संगणना करने में, एक हेक्टेयर सिंचित भूमि को दो हेक्टयर असिंचित भूमि के बराबर माना जाएगा और 2 हेक्टयर असिंचित भूमि को एक हेक्टेयर सिंचित भूमि के बराबर माना जाएगा।

(2) इस अधिनियम के उपबंध किसी भूमिहीन व्यक्ति को उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार कि किसी कृषि श्रमिक को लागू होते हैं किंतु इस उपांतरण के अध्यधीन रहते हुए कि वह भूमिहीन व्यक्ति ग्राम में की उस दखल रहित भूमि को, जो 2 अक्टूम्बर, 1984 को उसके कब्जें में हो उस सीमा तक भूमिस्वामी अधिकारों में धारण करने का हकदार होगा जिसमें कि उसके द्वारा धारित कुल भूमि, अर्थात् वह भूमि जो उसके द्वारा पहले से ही धारित हो और यथापूर्वोवत उसके कब्जे में भी दखल रहित भूमि, दो हेक्टेयर के बराबर हो जाए।)

––00––

ग्यारहवीं अनुसूची

पंचायतीराज संस्थाओं के लिए आवंटित 29 विषयों की सूची

(अनुच्छेद 243 छ)

1. कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार है।
2. भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण।
3. लघु सिंचाई, जल प्रबंध और जल–विभाजक क्षेत्र का विकास।
4. पशुपालन, डेरी उद्योग और कुक्कुट–पालन।
5. मत्स्य उद्योग।
6. सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी।
7. लघु वन उपज।
8. लघु उद्योग, जिनके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी है।
9. खादी, ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग।
10. ग्रामीण आवासन।
11. पेयजल।
12. ईंधन और चारा।
13. सड़कें, पुलिया पुल, फेरी जलमार्ग और अन्य संचार साधन।
14. ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण है।
15. अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत।
16. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।
17. शिक्षा, जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी है।
18. तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा।
19. प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा।
20. पुस्तकालय।
21. सांस्कृतिक क्रियाकलाप।
22. बाजार और मेले।
23. स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिनके अंतर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और औषधालय भी है।
24. परिवार कल्याण।
25. महिला और बाल–विकास।
26. समाज कल्याण, जिसके अंतर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी हो।
27. दुर्बल वर्गो को और विशिष्टया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण।
28. सार्वजनिक वितरण प्रणाली।
29. सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण।

मध्यप्रदेश शासन

वन विभाग

भोपाल, दिनांक 24 जनवरी,1994

::संक्षेपिका::

विषय – राजस्व विभाग एवम् वन विभाग के आकड़ो के अनुसार जिलेवार वनक्षेत्र के आँकड़ों मे अन्तर ।

--0--

मध्यप्रदेश देश का वह प्रदेश है जहाँ कि क्षेत्रफलवार सर्वाधिक वन क्षेत्र है । वन विभाग के आकड़ो के अनुसार राज्य मे कुल 154505.09वर्ग किलोमीटर वनक्षेत्र है जो कि कुल भू–भाग का लगभग 35प्रतिशत है। राजस्व विभाग अथवा आयुक्त भू–अभिलेख के अनुसार राज्य में वन क्षेत्र 1,42,110.32 वर्ग किलोमीटर है । इसका अर्थ यह है कि 12,394.77 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है जिसे वन विभाग व राजस्व विभाग दोनो अपना बताते है ।

2 मुख्य वन सरक्षक (भू–प्रबंध) का जब पद सृजित किया गया था, तब यह धारणा थी कि यह पद आयुक्त भू अभिलेख के समकक्ष रहेगा और मु.व.सं. (भू–प्रबंध) राज्य के पूरे वनक्षेत्र के आंकड़ों की जानकारी सीमा रेखा व सीमा स्तम्भो के रखरखाव आदि का कार्य देखेंगे । परन्तु उन्हे न तो कार्यालयीन स्तर पर और न ही क्षेत्रीय स्तर पर अमला और न ही अन्य साधन उपलब्ध कराए गए फलस्वरूप वे इस सन्दर्भ में कोई ठोस कार्यवाही नही कर पाए । विडम्बना यह है कि आज की स्थिति में वन विभाग स्वयं ही वनक्षेत्र बाबत अपने आकड़ो के बाबत आश्वास्त नही है । जिलेवार कितना संरक्षित वन सीमांकित है, कितना सीमा रेखा के बाहर छूटा है व सीमांकित वनखण्डो मे कितना राजस्व क्षेत्र शामिल किया गया है, इसके आंकड़े मुख्यालय स्तर पर उपलब्ध नही है । वन मंडलों मे भी स्थिति अच्छी नही है । बार बार वन मंडलो का पुनर्गठन होते रहने से इस बाबत अभिलेख पूर्णतः उपलब्ध नही है और वनक्षेत्र के मिलान की जो कार्यवाही कार्य आयोजना बनाते समय की जाती थी, उस ओर ध्यान नही दिया जा रहा है ।

3 इस अन्तर के सन्दर्भ मे पृष्ठ भूमि का अध्ययन आवश्यक है । जागीरदारी एवम् जमीदारी प्रथा समाप्त होने पर उनके प्रभार के वन राज्य शासन के अन्तर्गत आए और वन विभाग को सौपे गए तथा इन्हे कालान्तर में संरक्षित वन घोषित किया गया । महाकौशल क्षेत्र के कुछ जिलों में वन विभाग में वन विभाग को दिए गए क्षेत्रों की खसरावार विवरण उपलब्ध था और संरक्षित वन की अधिसूचना मे खसरो का उल्लेख था तथा कुल अधिसूचित क्षेत्र स्पष्ट दर्शाया गया था परन्तु शेष स्थानों में संरक्षित वन की परिभाषा या अधिसूचना विवरणात्मक न होकर छायावादी थी । इन्ही क्षेत्रों मे जो भी खसरे बड़े झाड़ के जंगल, छोटे झाड़ के जंगल, जंगल, निस्तारी जगल, सरना, करात, जंगल जला, जगल खुर्द आदि के रूप में दर्ज थे, संरक्षित वन घोषित किए थे अर्थात् संरक्षित वनों का क्षेत्रफल तात्कालिन वन से उपलब्ध नही था। रीवा क्षेत्र में आरक्षित वन, निजी भूमि व म्यूनिसिपल क्षेत्र को छोड़कर शेष सभी क्षेत्र संरक्षित वन घोषित किए गए । इसका अर्थ यह हुआ कि रीवा क्षेत्र में कोई राजस्व क्षेत्र था ही नही । ग्वालियर क्षेत्र में आरक्षित वन सीमा से निश्चित दूरी तक के क्षेत्र संरक्षित वन अधिसूचित किए गए । सारांश मे यह किसी को स्पष्ट नही था कि कितना और कौन सा क्षेत्र संरक्षित वन घोषित हुआ है । जिस क्षेत्र को वन विभाग अपना जानता था, वही राजस्व विभाग द्वारा पट्टे दिए जाने लगे इसका एक दुष्परिणाम यह भी हुआ कि वन सम्बन्धी अनुशासन समाप्त हो जाने के कारण आरक्षित वनों में भी पट्टे दिए जाने लगे और उस समय कृषि को प्रधानता दिए जाने के कारण और अधिक अन्न उपजाओ जैसे अनेक क्योंकि अन्तर्गत वृक्ष विहीन वन भूमि खेती के लिए दिए जाने के कारण स्थिति और भी भ्रमात्मक होती गई ।

4 इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए सातवे दशक मे संरक्षित वनो के सीमांकन का निर्णय लिया गया । उस निर्णय के अनुसार समस्त तथा कथित संरक्षित वनक्षेत्र, जो कि वनो के रूप मे प्रबंधित किए जाने थे, का सीमांकन कर मानचित्र तैयार किए जाने थे । इस सीमांकन मे अतिक्रमित क्षेत्र व छोटे छोटे टुकड़े वन खंडो के बाहर ही छोड़े जाना थे । साथ ही ग्राम के निस्तार की भूमि छोड़ना थी, भविष्य मे फैलाव का ध्यान रखना था तथा कृषि एवम् वन खंड की सीमा के मध्य एक पट्टी छोड़ना थी । साथ ही यह भी निर्देश हो कि किसी अहस्तातरित क्षेत्र (राजस्व क्षेत्र) पर अच्छे वन हो, अथवा वह चारों ओर वन क्षेत्र से घिरा हो तो उसे भी वनखंड मे शामिल किया जाए । इसे एक समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में लिया गया और इसके लिए विशेष दल गठित किए गए ।

5 सरक्षित वनखंडो के सीमांकन हेतु पहले पटवारी मानचित्र की प्रतियाँ बनाकर उस पर वे सभी खसरे चिन्हांकित किए गए जो कि वन विभाग को हस्तान्तरित हो चुके थे । ऐसे खसरो को मिलाते हुए पहले मानचित्र पर वन खण्ड बनाए गए तथा बाद में स्थल पर जांच करते हुए निर्धारित मानदंडो व निर्देशों को ध्यान में रखते हुए स्थल पर मुनारे बनाकर सीमा रेखा निर्धारित की गई और बाद में उसका सर्वेक्षण कर उसे मानचित्र में अंकित किया गया । पटवारी मानचित्र में जो क्षेत्र संरक्षित वनखंड के अन्दर आ गया था, उसे हरे रंग से तथा वन विभाग को हस्तान्तरित पर वन खंड के बाहर क्षेत्र को नारंगी (आरेंज) रंग से दर्शाया गया और कालांतर में यही वन विभाग को हस्तान्तरित पर वनखंड के बाहर स्थित क्षेत्र आरेंज एरिया कहलाए वनखंड बनाते कुछ समय कुछ निजी भूमि ऐसी भी जो कि चारो ओर वन से घिरी थी व उसे वन के बाहर छोड़ना सम्भव नही था, अतः उन्हे भी वनखंड में इस आशय के साथ शामिल किया गया कि कालान्तर में उनका अधिग्रहण कर लिया जाएगा ।

6 सीमांकन व सर्वेक्षण कार्य समाप्त होने पर पटवारी मानचित्र पर अंकित संरक्षित वनखंडों के मानचित्रों को लघुकृत कर 4" = 1 मील व 1" = 1 मील मे मान पर बनाया गया और वन मानचित्र में अंकित किया गया । साथ ही एक सर्वेक्षण कार्य समाप्ति प्रतिवेदन बनाया गया जिसमे प्रत्येक ग्राम मे वन विभाग में हस्तान्तरित, उसमें से वनखंड मे शामिल कर वनखंड के बाहर छूटे खसरे का विवरण था । साथ ही वनखंड में शामिल राजस्व व निजी भूमि का खसरेवार विवरण था । इस प्रकार बनाए गए मानचित्र व कार्य समाप्ति प्रतिवेदन की एक प्रति जिलाध्यक्ष को भी उपलब्ध कराई गई व धारणा यह थी कि उस आधार पर राजस्व अभिलेखों मे आवश्यक प्रवृष्टि कर ली जाएगी और पटवारी मानचित्रों मे संरक्षित वन की सीमा रेखा अंकित कर ली जाएगी । परन्तु वस्तुतः ऐसा हुआ नही तथा राजस्व अभिलेखों में सुधार के अभाव में राजस्व अधिकारी उन क्षेत्रों के भी पट्टे देते गए जो कि संरक्षित वनखंड मे शामिल थे जिससे विसंगतियाँ बढ़ती गई ।

7 यह सभी तथ्य राज्य शासन के ध्यान मे लाए जाने पर वर्ष 1971–72 में यह निर्णय लिया गया कि पटवारी मानचित्रों पर संरक्षित वन की सीमा रेखा अंकित की जाए तथा जो संरक्षित वन क्षेत्र वनखंड के बाहर छूटे है, उनकी सूची बना कर उन्हे निर्वनीकरण किया जाकर राजस्व विभाग को हस्तान्तरित किया जाए । इसे समयबद्ध कार्यक्रमों के रूप में लिया गया तथा जिलाध्यक्ष कार्यालय के पटवारी मानचित्रों पर संरक्षित वन की सीमा रेखा अंकित की गई तथा वन मानचित्रें पर राजस्व अधिकारियों एवम् राजस्व मानचित्रों पर वनाधिकारियो द्वारा मिलान की पुष्टि स्वरूप हस्ताक्षर किए गए । साथ ही ग्राम वार उन खसरो की सूची भी तैयार करने का कार्य प्रारम्भ किया गया जो कि वनखंड के बाहर छुटे थे । कुछ क्षेत्रों से ऐसे क्षेत्रो के निर्वनीकरण की अधिसूचनाजारी भी हुई । कुछ जिलो के प्रकरण तैयार होने के बाद विभिन्न स्तरों पर अधिसूचना हेतु लंम्बित रहे । इसी बीच मे मंत्री परिषद का दिनांक 8.8.75 को यह निर्णय लिया गया कि –

जिलाध्यक्ष वनखंड के बाहर छूटे हुए क्षेत्र के निर्वनीकरण की अधिसूचना की प्रतीक्षा किए बिना, पट्टा वितरण का कार्य प्रारम्भ कर दे । फलस्वरूप राजस्व विभाग ने ऐसे क्षेत्रो को अपने अधीन मानते हुए पट्टा वितरण का कार्य प्रारम्भ कर दिया तथा निर्वनीकरण की अधिसूचना जारी करने के लिए जो प्राथमिकता निर्मित हो रही थी, वह ढीली पड़ गई ।

8 वर्ष 1976 मे राज्य शासन के ध्यान में होशंगाबाद जिले का प्रकरण आया जहाँ कि राजस्व क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध कटाई हुई थी । अतः यह अनुभव करते हुए कि कुछ ऐसे क्षेत्र वनखंडों के बाहर छुट गए है, मंत्री परिषद द्वारा दिनांक 20.5.76 को निर्णय लिया कि :–

1 प्रोटेक्टेड फारेस्ट के सर्वेक्षण के उपरांत जो भूमि शासकीय वनों से निष्कासित की गई है, उसके संबंध में वन विभाग पुनः जांच करे । यदि मूल्यवान वनो के भू–खंड निष्कासित कर दिये गये है तो उन्हे वन विभाग पुनः आरक्षित घोषित करने की कार्यवाही करे । जिन संरक्षित वनो मे सर्वे, डिमारकेशन एवं व्यवस्थापन का कार्य शेष है, उनमें अनियंत्रित कटाई तुरन्त रोकी जाए तथा उन वनो के व्यवस्थापन की कार्यवाही जल्द पूर्ण की जाए ।

2 यदि किसी राजस्व ग्राम से लगा हुआ जंगल, का बड़ा हिस्सा है तो केवल गांव से लगा हुआ कुछ हिस्सा गांव के निस्तार के लिए छोड़कर शेष वन विभाग अपने कब्जे मे ले ।

3 राजस्व विभाग के अन्तर्गत भोपाल तथा कुछ अन्य क्षेत्रे मे ऐसे वन क्षेत्र है जहाँ मूल्यवान जंगल है । राजस्व विभाग ऐसे वन क्षेत्रे को वन विभाग को तुरन्त हस्तांतरण की कार्यवाही करे ।

4 मंत्री परिषद के पूर्व निर्णय के अनुसार जो 47 लाख एकड़ भूमि शासकीय वनों से कृषि के लिए आवंटन के लिए राजस्व विभाग को हस्तांतरित की जा रही है। उनमें से ऐसी भूमि जो वनों के लिए अधिक उपयुक्त है अथवा जिस पर मूल्यवान वन है वन विभाग तुरन्त अपने कब्जे में पुनः लेने की कार्यवाही करें ।

दुबारा सर्वेक्षण का कार्य प्रारम्भ ही नही हुआ । वर्ष 1978 से सारा ध्यान दिनांक 31.12.76 तक के अतिक्रमणों के सर्वेक्षण व व्यवस्थापन पर केन्द्रित रहा तथा यह कार्य मार्च 1980 तक चला तथा दिनांक 25.10.80 से वन संरक्षण अधिनियम लागू हो गया व ऐसे क्षेत्रों के निर्वनीकरण की कार्यवाही समाप्त हो गई ।

10 बनाए गए संरक्षित वन खंडों को आरक्षित वन घोषित करने की दृष्टि से वर्ष 1967 से 1969 के मध्य भारतीय वन अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचित किया जाकर वन व्यवस्थापन अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी । इस कार्य हेतु 10 उप जिलाध्यक्षों को वन व्यवस्थापन अधिकारी की नियुक्ति के रूप मे पदस्थ किया गया था इस सन्दर्भ में कोई विशेष प्रगति नही हुई और अन्ततः वर्ष 1987 में उक्त पद समाप्त करते हुए यह कार्य अनुविभागीय अधिकारी सिविल को सौंप दिया गया है । संरक्षित वनखंडो के मानचित्र व मूल अभिलेख पहले वन व्यवस्थापन अधिकारियों को सौंपे गए थे । बाद में उन्हे अनुविभागीय अधिकारी (सिविल) को भेजा गया । वर्तमान में इन मूल अभिलेखों की स्थिति अत्यंत भ्रामक है तथा पूरे मानचित्र मिल जाऐंगे, संदेहास्पद है । आरक्षित वनखंडों वनों की सीमा रेखा व मुनारों के लिए नियमित बजट न होने से इनकी स्थिति खराब है और अतिक्रमण आदि के कारण बहुत से वन खंडों की सीमा रेखा व मुनारे आज खत्म हो गए है ।

11 पटवारी मानचित्रें को 10 वर्ष बाद पुन बनाया जाता है । बाद में पटवारी मानचित्रें को दुबारा बनाते । ट्रेस करते समय संरक्षित वन खंड की सीमा रेखा नही उतारी गई तथा आज पटवारियों के पास उपलब्ध अधिकांश मानचित्रें मे वनखंडों की सीमा रेखा अंकित नही है इसके फलस्वरूप अनेक बार राजस्व अधिकारियों द्वारा वन भूमि पि खनन या अन्य प्रयोजनों के लिए आवंटित कर दी जाती है, जिससे विवाद उत्पन्न होता है ।

12 राजस्व विभाग द्वारा बड़े झाड के जंगल या छोटे झाड़ के जंगल के रूप में वर्गीकृत जो क्षेत्र उनके प्रभार में बताया जाता है वह वस्तुतः वनखंड के बाहर छूटा हुआ वन क्षेत्र है व उसकी वैधानिक स्थिति संरक्षित वन की है ।

13 इस भ्रामक स्थिति के तत्कालिक हल के लिए आवश्यक है कि जिलाध्यक्ष व वन मंडलाधिकारी प्रत्येक ग्राम के वनक्षेत्र का मिलान कराऐं व स्थिति स्पष्ट करें । यद्यपि इस सन्दर्भ में जिलाध्यक्षों व वन मंडलाधिकारियों को लिखा गया है पर आवश्यकता इस बात की है कि इस कार्यक्रम को शासन स्तर पर लिया जाए और जिलाधिकारियों को इस हेतु समयबद्ध कार्यक्रम दिया जाए । इस प्रकार मिलान उपरान्त जो स्थिति सामने आती है, उस आधार पर राजस्व एवं वन अभिलेखों में सुधार करते हुए वनक्षेत्र के सही आकडे घोषित किए जाएं ।

14 इस समस्या के दीर्घकालीन हल के लिए यह आवश्यक है मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) के कार्यालय को सुदृढ़ किया जाए तथा प्रत्येक जिला स्तर पर अधीक्षक भू–अभिलेख के समकक्ष सहायक वन संरक्षक का पद निर्मित किया जाये व उन्हे कुछ सर्वेयर, चैनमैन तथा अन्य अमला उपलब्ध कराया जाए । इस सहायक वन संरक्षक द्वारा न केवल वन भूमि सम्बन्धी अभिलेख प्रतिपादित किए जाऐंगे बल्कि वन सीमा रेखा व स्तम्भों का रखरखाव कराया जाएगा बल्कि वन व्यवस्थापन का कार्य भी देखा जाएगा ।

(अशोक मसीह)
अतिरिक्त सचिव
म.प्र. शासन, वन विभाग

–0–

प्रतिवादी द्वारा पेश

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, 462 004

क्रमांक एफ/45/70 /10-3/96- भोपाल, दिनांक

प्रति,

1. जिलाध्यक्ष,
बस्तर, रायगढ़, राजनांदगांव, मंडला, बैतूल,
जबलपुर, बिलासपुर, रायपुर, खरगोन।

2. वन मंडलाधिकारी (क्षेत्रीय)
दक्षिण बस्तर, मध्य बस्तर, पश्चिम बस्तर,
इंदिरा राष्ट्रीय उद्यान, कोंडागांव, कांकेर, भानुप्रतापपुर, पूर्व रायपुर,
नारायणपुर, जशपुर, रायगढ़, राजनांदगांव, मंडला, बैतूल, जबलपुर,
बिलासपुर, कोरबा, बड़वानी.

विषयः- राज्य के असीमांकित संरक्षित वनक्षेत्रों (ऑरेंज क्षेत्र) के सर्वेक्षण एवं सीमांकन हेतु दिशा निर्देश.

========

पूर्व में वनों के सर्वेक्षण/सीमांकन का कार्य मुख्यतः वनों को आरक्षित वन घोषित किये जाने के दृष्टिकोण से किया गया था। फलस्वरूप काफी वनक्षेत्र सीमांकित वनखंडों में सम्मिलित किये जाने से छूट गये थे। उपरोक्त क्षेत्रों को मुख्यतः निम्न कारणों से सीमांकन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया था:-

1. अतिक्रमण की स्थिति।
2. वनखंडों की सीमा से संलग्न पतली पट्टी के रूप में शेष वनक्षेत्र।
3. पहाड़ी एवं मैदानी क्षेत्रों में पृथक टुकड़े के रूप में स्थित वनक्षेत्र।
4. कृषि तथा अतिक्रमण के कारण हनीकोंबिंग वाले क्षेत्र।
5. वृक्ष रहित क्षेत्र (ब्लेंक एरिया)

2. उक्त कारणों से वनखंडों में सम्मिलित किये जाने से वंचित रह गये, असीमांकित संरक्षित वनक्षेत्रों में कई क्षेत्र ऐसे हैं, जिनमें किसी प्रकार के वन नहीं है तथा उन्हें वन विभाग के नियंत्रण/प्रबंधन में नहीं रखा जाना है, किन्तु काफी क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें अच्छी श्रेणी के वन विद्यमान हैं तथा इन्हें सीमांकित किया जाना आवश्यक है।

..........2

प्रतिलिपि

3. वर्तमान में राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि आरेंज क्षेत्रों का सर्वेक्षण/सीमांकन राजस्व विभाग तथा वन विभाग के समन्वित प्रयासों से किया जावे तथा जो वनक्षेत्र वन विभाग के प्रबंधन के अनुपयुक्त पाये जाते हैं, उन्हें राजस्व विभाग को सौंपा जाये। साथ ही जिलाध्यक्ष से ऐसे खसरों का हस्तांतरण वन विभाग को कराने की कार्यवाही की जावे जिसमें कि अच्छी श्रेणी के वन उपलब्ध हैं। यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर निम्न 9 जिलों में लिया जाना प्रस्तावित है एवं वन विभाग द्वारा प्रत्येक जिले के समक्ष दर्शाई गई सर्वेक्षण इकाइयों का गठन करते हुए उनके प्रभार में सहायक वन संरक्षकों को पदस्थ किया जा चुका है :-

जिला	इकाई
बस्तर	1
रायपुर	2
बिलासपुर	2
रायगढ़	2
जबलपुर	1
बैतूल	1
खरगोन	1
राजनांदगांव	1

स्थानीय रूप से उपलब्ध राजस्व/वन विभाग के अमले द्वारा सर्वेक्षण इकाइयों को सहयोग प्रदान किया जावेगा ताकि सर्वे आदि सुचारू रूप से सम्पन्न हो सके।

4. इस संदर्भ में सीमांकित संरक्षित वन (आरेंज क्षेत्रों) के सर्वेक्षण एवं सीमांकन हेतु निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं :-

4.1 सर्वेक्षण एवं सीमांकन का क्षेत्रीय कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संबंधित जिलाध्यक्ष द्वारा वनमंडलाधिकारी/प्रभारी सहायक वनसंरक्षक को ग्रामवार वन के रूप में दर्शाये गये समस्त खसरा नंबरों की जानकारी उपलब्ध कराई जावेगी। जिन खसरों में पट्टे दिये जा चुके हैं तथा जो खसरे अन्य प्रयोजन हेतु दूसरी योजनाओं को हस्तांतरित किये जा चुके हैं, उनकी भी जानकारी वन विभाग को उपलब्ध कराई जावेगी।

4.2 उक्त विवरण के साथ-साथ संबंधित पटवारी नक्शों की शीट मसगुती मानचित्र तथा खसरा पंजी की प्रति भी राजस्व विभाग द्वारा वन विभाग को दी

जायेगी। वन विभाग को हस्तांतरित किये गये खसरों को लाल पेंसिल से डायगोनल लाइन, जिसकी दिशा दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व की ओर ही प्रदर्शित किया जायेगा तथा हस्तांतरित खसरों को नीली पेंसिल से डायगोनल रेखा द्वारा दर्शाया जायेगा जिनकी दिशा उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व होगी।

उक्त राजस्व अभिलेख प्राप्त करने के साथ-साथ वन विभाग द्वारा अभिलेखों में दर्ज अथवा पूर्व में तैयार किये गये सर्वेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर असीमांकित संरक्षित वनक्षेत्र की प्रत्येक ग्राम की खसरा नंबरवार जानकारी तैयार की जायेगी साथ ही जिन खसरों में वर्ष 1976 के अतिक्रमण व्यवस्थापन योजना के अंतर्गत पट्टे वितरित किये जा चुके हैं तथा जिन खसरों को 24.10.80 तक के अतिक्रमण व्यवस्थापन के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया है उनकी सूची पृथक-पृथक तैयार कर ली जाये ताकि उन्हीं खसरों को पुनः वनखंड में सम्मिलित नहीं किया जाये।

राजस्व विभाग से प्राप्त खसरा नंबरवार विवरण तथा वन विभाग द्वारा तैयार की गई सूची का मिलान राजस्व विभाग एवं वन विभाग के अमले द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा तथा जिन खसरों के संबंध में भिन्नता है उनकी पुष्टि राजस्व तथा वन अभिलेखों से मिलाकर उनका निराकरण कर लिया जावे।

राजस्व विभाग से खसरा नंबरवार हस्तांतरित एवं अहस्तांतरित तथा अन्य शासकीय खसरों की जानकारी तथा पटवारी नक्शा प्राप्त करने के उपरान्त राजस्व विभाग की ओर से संबंधित पटवारी, राजस्व निरीक्षक तथा वन विभाग की ओर से संबंधित बीटगार्ड/परिक्षेत्र सहायक द्वारा संयुक्त रूप से ग्रामवार भ्रमण कर प्रारंभिक सर्वेक्षण की कार्यवाही की जायेगी। प्रारंभिक सर्वेक्षण के समय यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि किन किन खसरों में वन विद्यमान हैं तथा किन खसरों में अतिक्रमण किया जा चुका है। प्रारंभिक सर्वेक्षण में जो खसरे सीमांकित तथा वनखंड में सम्मिलित किये जाने हेतु उपयुक्त पाये जाते हैं उनकी तथा अनुपयुक्त खसरों की पृथक-पृथक सूची तैयार की जाये। इस प्रकार प्रारंभिक रूप से तैयार की गई सूची का सत्यापन राजस्व विभाग के तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार तथा वन विभाग के परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा किया जाकर उनमें हस्ताक्षर किये जायेंगे। सत्यापन के पूर्व प्रत्येक अधिकारी सूची में दर्शाये गये

कम से कम 10 प्रतिशत क्षेत्रों का स्थल निरीक्षण कर उनकी पुष्टि

4.6 प्रारंभिक सर्वेक्षण में वन विभाग के नियमित प्रबंधन हेतु उपयुक्त पा गये ससरों में वनों का घनत्व , क्षेत्रफल तथा वर्तमान में निकटत आरक्षित/संरक्षित वनखंड की सीमा से दूरी का भी उल्लेख किया जाय जो वनखंड में सम्मिलित किये जाने के उपयुक्त नहीं पाये हैं तथ जिन्हें राजस्व विभाग को हस्तांतरित किया जाना है, की पृथक सूची तैयार करते समय उन प्रकरणों का भी उल्लेख किया जावे जिन प्रकरणों से ये सर्व वनखंड में शामिल करने के उपयुक्त नहीं है।

4.7 प्रारंभिक सर्वेक्षण में वन विभाग के नियमित प्रबंधन हेतु उपयुक्त पाये गये ससरों का ही अंतिम सर्वेक्षण/सीमांकन किया जाना है। सर्वेक्षण का कार्य पटवारी शीटों तथा वन विभाग की टोपो शीटों पर एक साथ किया जायेगा। इस हेतु वन विभाग द्वारा सर्वे आफ इंडिया के 1:15000 इयाई फोटोग्राफ उपलब्ध हों तो प्राप्त कर उपयोग किया जायेगा। अतः प्रभारी सहायक वन संरक्षक द्वारा सर्वेक्षण दलों को उपलब्ध कराने हेतु पटवारी शीटों के ट्रेस अथवा अमोनिया प्रिंट तैयार कराने की व्यवस्था की जावेगी।

4.8 कई क्षेत्रों में पटवारी मानचित्र पर वन की सीमायें प्रदर्शित नहीं है। इससे वनक्षेत्रों की विद्यमान स्थिति ज्ञात नहीं हो पाती है। इस संबंध में जिलाध्यक्ष कार्यालय के अभिलेख शाखा में मूल मास्टर शीट उपलब्ध है तथा इनमें वन सीमायें भी दर्शाई गई हैं। अतः उक्त कार्यालयों से संपर्क कर मास्टर शीट प्राप्त कर उसका ट्रेस तैयार किया जाय ताकि असीमांकित संरक्षित वनों के सर्वेक्षण उपरान्त सही स्थिति उन पर प्रदर्शित की जा सके। संबंधित जिलाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त मास्टर शीट बिना किसी विलंब के वन विभाग को दी जाये।

4.9 पटवारी मानचित्र के स्केल तथा वन विभाग के प्रबंधन मानचित्र के स्केल में भिन्नता है। पटवारी मानचित्र 1: 4000 के स्केल पर तथा वन विभाग के मानचित्र 1:15000 के स्केल पर बनवाये गये हैं। पूर्व में सर्वेक्षण पटवारी मानचित्र के ट्रेस पर किया जाता था तथा तत्पश्चात उसे न्यून करते हुए वन विभाग के मानचित्र में सुपर इंपोज किया जाता

.....7

था। इसमें काफी त्रुटि की सम्भावना रहती है। अतः सर्वेक्षण कार्य को त्रुटि रहित बनाने के लिए यह आवश्यक है कि पटवारी मानचित्रों पर सर्वेक्षण के साथ-साथ टोपो शीट पर भी सर्वेक्षण किया जावे ताकि [illegible] की संभावना नहीं रहे। सर्वेक्षण हेतु राजस्व विभाग का नक्शा अथवा वन विभाग के मुनारों को आधार मानकर कार्य किया जायेगा। जिन क्षेत्रों में उक्त में उक्त दोनों फीचर उपलब्ध नहीं है, वहां पर अन्य नैसर्गिक फीचर को आधार बिन्दु मानकर सर्वेक्षण कार्य किया जायेगा।

4.10 पटवारी मानचित्र प्राप्त करने के उपरान्त उक्त मानचित्रों को 1:15000 के स्केल पर न्यून किया जावे तथा दो या तीन ग्रामों की संयुक्त शीट तैयार कर ली जावे। यह उन क्षेत्रों के लिए अधिक उपयोगी रहेगा जहां प्रस्तावित वनखंड का विस्तार दो या तीन ग्रामों में हो।

4.11 समस्त सर्वेक्षण दलों को पटवारी मानचित्र तथा टोपो शीट की प्रतियां सर्वेक्षण प्रारंभ होने के पूर्व उपलब्ध करा दी जावे। सर्वेक्षण के समय दोनों मानचित्रों पर सर्वेक्षण सड़क तथा नदी नाले एवं अन्य महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थितियों को भी दर्शाया जायेगा।

4.12 सर्वेक्षण/सीमांकन के साथ ही साथ सर्वेक्षण दलों द्वारा ब्लाक हिस्ट्री की तीन प्रतियां भी तैयार कर ली जावे। सर्वे का क्षेत्रफल कपी (परिया फार्म) की सहायता से निकाला जावे।

4.13 स्वतंत्र ब्लाक बनाने हेतु सामान्यतः 25 हेक्टेयर से कम क्षेत्र नहीं होना चाहिए, किन्तु जहां पर सागौन तथा साल के अच्छे श्रेणी के वन हैं, वहां पर 10 हेक्टेयर तक के स्वतंत्र ब्लाक बनाये जायेंगे। यदि प्रस्तावित क्षेत्र इससे छोटा है तथा आरक्षित तथा संरक्षित वन की सीमा से लगा है तो उसे वनखंड में शामिल कर लिया जायेगा। 10 हेक्टेयर से छोटे क्षेत्र जो किसी वनखंड में सम्मिलित नहीं किये गये हैं इनकी पृथक सूची तैयार की जायेगी ताकि उन क्षेत्रों के पृथक प्रबंधन के संबंध में विचार किया जा सके।

4.14 जिन क्षेत्रों में अतिक्रमण विद्यमान है अथवा अतिक्रमण के फलस्वरूप हनीकोम्बिंग की स्थिति है, उन्हें ब्लाक में में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

4.15 ब्लाक बनाते समय प्राकृतिक सीमा रेखा को प्राथमिकता दी जावे तथा स्थाई बिन्दु जैसे वनमार्ग तथा नदी नाले एवं पहाड़ियों का चयन सीमा रेखा के रूप में किया जा सकता है।

....

4.16 यदि प्रस्तावित वनखंड के मध्य सड़क रेल मार्ग आ जाते हैं तो इस स्थिति में भी वनखंड का विभाजन नहीं किया जावे. बल्कि उक्त मार्ग को वनखंड में सम्मिलित करते हुये ही वनखंड का निर्माण किया जावे.

4.17 सर्वेक्षण सीमांकन का कार्य एक परिक्षेत्र में पूर्ण होने पर प्रभारी सहायक वन संरक्षक द्वारा उक्त परिक्षेत्र हेतु कार्य समाप्ति प्रतिवेदन तैयार किया जावेगा तथा उसकी एक प्रतिलिपि संबंधित वन मंडलाधिकारी को तथा एक प्रतिलिपि जिलाध्यक्ष को दी जावेगी. वन मंडलाधिकारी उक्त वन खण्डों को भारतीय वन अधिनियम की धारा-4 के अंतर्गत अधिसूचित करने की कार्यवाही करेंगे एवं जिलाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि उक्त वन खण्ड पटवारी मानचित्र के मास्टर शीट तथा ग्राम शीट पर अंकित कर दी जावे और खसरा पंजी में तद्नुसार प्रविष्टि कर दी जावे.

5/ जिलाध्यक्ष एवं वन मंडलाधिकारी इसे एक समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में लेंगे एवं प्रत्येक इकाई को आवश्यक स्वीकृति अमला उपलब्ध करायेंगे तथा प्रत्येक इकाई के कार्यभार को देखते हुये लक्ष्य निर्धारित करेंगे.

([illegible])
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वन विभाग

क्रमांक/ [illegible]/90/10-45 भोपाल, दिनांक 16 मई, 1996

प्रतिलिपि:-

1/ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल.
2/ आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर.
3/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल.
4/ समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल.
5/ मुख्य वन संरक्षक (भू-सर्वेक्षण), मध्यप्रदेश, भोपाल.
6/ समस्त मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल.
7/ आयुक्त, भोपाल/बस्तर (जगदलपुर)/बिलासपुर/रायपुर/जबलपुर/इन्दौर, म.प्र.
8/ वन संरक्षक, जगदलपुर/कांकेर/बिलासपुर/दुर्ग/जबलपुर/बैतूल/रायपुर/खण्डवा, म.प्र.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग.

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वन विभाग.

कार्यालय वन मंडलाधिकारी सामान्य
जबलपुर.

क्रमांक DM 4-2A-1 दिनांक 27/8/96

प्रतिलिपि:- (1) उप वन मंडलाधिकारी (सा.) जबलपुर/कटनी
(2) समस्त वन परिक्षेत्र अधिकारी (सा.) जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

पंचायत–उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996

पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार करने का उपबंध करने के लिए अधिनियम रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 है।

2. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो – ''अनुसूचित क्षेत्र'' ऐसे अनुसूचित क्षेत्र अभिप्रेत है जो संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड (1) में निहित है।

3. पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के उपबंधों का, ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए, जिनका उपबंध धारा 4 में किया गया है, अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार किया जाता है।

4. संविधान के भाग 9 के अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का विधान–मंडल, उक्त भाग के अधीन ऐसे कोई विधि नहीं बनाएगा, जो निम्नलिखित विशिष्टियों में से किसी से असंगत हो, अर्थात :–

   (क) पंचायतों पर कोई राज्य विधान जो बनाया जाए रूढ़िजन्य विधि, सामाजिक और धार्मिक पद्वतियों और सामुदायिक संपदाओं की परंपरागत प्रबंध पद्वतियों के अनुरूप होगा ;

   (ख) ग्राम साधारणतया आवास या अवासों के समूह अथवा छोटा गांव या छोटे गांवो के समूह से मिलकर बनेगा जिसमें समुदाय समाविष्ट हो और जो परंपराओं तथा रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबंध करता हो ;

   (ग) प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम सभा होगी जो ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जिनके नामों का समावेश ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए निर्वाचक नामावलियों में किया गया है ;

   (घ) प्रत्येक ग्रामसभा, जनसाधारण की परंपराओं और रूढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संपदाओं और विवाद निपटान के रूढ़िक ढंग का संरक्षण और परिरक्षण करने में सक्षम होगी ;

   (ड) प्रत्येक ग्राम सभा –

      (।) सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए याोजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का अनुमोदन, इसके पूर्व कि ग्राम स्तर पर पंचायत द्वारा ऐसी योजना, कार्यक्रम और परियोजना कार्यान्वयन के लिए ली जाती है, करेगी ;

      (।।) गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के अधीन हिताधिकारियों के रूप में व्यक्तियों की पहचान या चयन के लिए उत्तरदायी होगी ;

   (च) ग्राम स्तर पर प्रत्येक पंचायत से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह ग्राम सभा से, खंड (ड) में निर्दिष्ट योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए उक्त पंचायत द्वारा निधियों के उपयोग का प्रमाणन प्राप्त करे ;

   (छ) प्रत्येक पंचायत पर अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानों का आरक्षण, उस पंचायत में उन समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में होगा जिनके लिए संविधान के भाग 9 के अधीन आरक्षण दिया जाना चाहा गया है ;

   परन्तु अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण, स्थानों की कुल संख्या के आधे से कम नहीं होगा ;

   परन्तु यह और कि अध्यक्षों के सभी स्थान सभी स्तरों पर अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होंगे ;

   (ज) राज्य सरकार ऐसी अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का, जिनका मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में या जिला स्तर पर पंचायत में प्रतिनिधित्व नहीं है, नाम निर्देशन कर सकेगी ;

   परन्तु ऐसा नामनिर्देशन उस पंचायत में निर्वाचित किए जाने वाले कुल सदस्यों के दसवें भाग से अधिक नहीं होगा ;

(झ) ग्राम सभा या समुचित स्तर पर पंचायतों से विकास परियोजनाओं के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अर्जन करने से पूर्व और अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्व्यस्थापित या पुनर्वास करने से पूर्व परामर्श किया जाएगा, अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजनाओं की वास्तविक योजना और उनका कार्यान्वयन राज्य स्तर पर समन्वित किया जाएगा ;

(ञ) अनुसूचित क्षेत्रों में लघु जल निकायों का योजना और प्रबंध समुचित स्तर पर पंचायतों को सौंपा जाएगा ;

(ट) ग्राम सभा या समुचित स्तर पर पंचायतों की सिफारिशों को अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिजों के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा प्रदान के पूर्व आज्ञापक बनाया जाएगा ;

(ठ) नीलामी द्वारा गौण खनिजों के समुपयोजन के लिए रियायत देने के लिए ग्राम सभा या समुचित स्तर पर पंचायतों की पूर्व सिफारिश को आज्ञापक बनाया जाएगा ;

(ड) अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करने के दौरान, जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कृत्य करने के लिए समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों, राज्य विधान–मंडल यह सुनिश्चित करेगा कि समुचित स्तर पर पंचायतों और ग्रामसभा को विनिर्दिष्ट रूप में निम्नलिखित प्रदान किया जाए –

(1) मद्‌निषेध प्रवर्तित करने या किसी मादक द्रव्य के विक्रय और उपभोग को विनियमित या निर्बन्धित करने की शक्ति ;

(2) गौण वन उपज का स्वामित्व ;

(3) अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के अन्य संक्रामण के निवारण की और किसी अनुसूचित जनजाति की किसी विधि विरूद्वतया अन्य संक्रामित भूमि को प्रत्यावर्तित करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने की शक्ति ;

(4) ग्राम बाजारों को, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हो, प्रबंध करने की शक्ति ;

(5) अनुसूचित जनजातियों को धन उधार देने पर नियंत्रण करने की शक्ति ;

(6) सभी सामाजिक सेक्टरों में संस्थाओं और कार्यकर्त्ताओं पर नियंत्रण करने की शक्ति ;

(7) स्थानीय योजनाओं और ऐसी योजनाओं के लिए, जिनमें जनजातीय उपयोजनाएं शामिल है, स्त्रोतो पर नियंत्रण रखने की शक्ति ;

(ढ) ऐसे राज्य विधानों में जो पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करें जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कृत्य करने के लिए समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों, यह सुनिश्चित करने के लिए रक्षोपाय अन्तर्विष्ट होंगे कि उच्च स्तर पर पंचायतें, निम्न स्तर पर किसी पंचायत की ग्राम सभा की शक्तियां और प्राधिकार हाथ में न लें ;

(ण) राज्य विधान मण्डल अनुसूचित क्षेत्रों में जिला स्तरों पर पंचायतों में प्रशासनिक व्यवस्थाओं की परिकल्पना करने में छठी अनुसूची के पैटर्न का अनुरक्षण करने का प्रयास करेगा।

5. इस अधिनियम द्वारा किए गए अपवादों और उपांतरणों सहित संविधान के भाग 9 में किसी बात के होते हुए भी, उस तारीख के ठीक पूर्व, जिसको राष्ट्रपति की अनुमति इस अधिनियम को प्राप्त होती है, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रवृत्त पंचायतों से संबंधित किसी विधि का कोई उपबंध, जो ऐसे अपवादों और उपांतरणों सहित भाग 9 के उपबंधो से असंगत है, तब तक प्रवृत बना रहेगा जब तक उसे किसी सक्षम विधान–मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित या निरसित नहीं कर दिया जाता या उस तारीख से, जिसको राष्ट्रपति की अनुमति इस अधिनियम को प्राप्त होती है, एक वर्ष समाप्त नहीं हो जाता ; परन्तु ऐसी तारीख के ठीक पूर्व विद्‌यमान सभी पंचायतें अपनी अवधि के समाप्त होने तक बनी रहेंगी जब तक कि उन्हें उससे पहले उस राज्य की विधानसभा द्वारा किसी ऐसे राज्य की दशा में जिसमें विधान परिषद् है, उस राज्य के विधान–मण्डल के प्रत्येक सदन द्वारा उस आशय के पारित किसी संकल्प द्वारा विघटित नहीं कर दिया जाता।

18/7/98 परिशिष्ट - क

-77-

श्री वंशमणी प्रसाद वर्मा

मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन-462 004

क्र. 16-10-सात/2-ए/90

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 1997

प्रति,

समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—सिविल याचिका क्रमांक 202/95—श्री गोदावर्मन विरुद्ध भारत शासन एवं अन्य में माननीय [illegible] द्वारा दिनांक 12-12-96 को पारित [illegible] आदेश के पालन में अग्रिम कार्यवाही.

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12-12-96 को पारित अन्तरिम आदेश में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के संदर्भ में "वन" को परिभाषित किया गया है. सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार :—

1. "वन" का तात्पर्य शब्दकोष में दिये गये अर्थ से लिया जाना है.

2. "वनभूमि" का तात्पर्य ऐसी समस्त भूमि [illegible] है जो कि शब्दकोषीय अर्थ के अनुसार "वन" है.

3. उपरोक्त में ऐसी भूमि भी शामिल होगी जो कि [illegible] में दर्ज हो, चाहे उसका स्वामित्व किसी प्रकार का भी हो.

2. शब्दकोषीय अर्थ के अनुसार "वन" का तात्पर्य ऐसे वृहद क्षेत्र से है जहां खेती नहीं होती हो और जो वृक्षों एवं झाड़ी आदि से आच्छादित हो. निर्णय के परिप्रेक्ष्य में शब्दकोषीय अर्थ के रूप में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए 10 हेक्टेयर एवं उससे बड़े चक को, जहां औसतन 200 या अधिक वृक्ष प्रति हेक्टेयर है, उसे "वन" माना जावे.

3. सर्वोच्च न्यायालय को आदेश दिनांक से दो माह के भीतर निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना है. इस हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम के [illegible] कार्यवाही की जाना है :—

(1) "वन" का पहचान (वन विभाग के नियंत्रण के बाहर [illegible]) :

इस हेतु पैरा 2 में वर्णित परिभाषा को [illegible] [illegible] जाना है. [illegible] संकलित करते समय यह ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि चिह्नित स्थान पर पैरा 2 में दी गई परिभाषा के अनुसार वन स्थित हो, चाहे अभिलेखों में जो भी इन्द्राज हो.

इस जानकारी में राजस्व भूमि, न्यास, संस्थाओं अथवा [illegible] भूमि सम्मिलित होगी. यह जानकारी पटवारी अभिलेखों एवं ग्राम के [illegible] से संकलित की जा सकती है तथा इसके लिए [illegible] पत्रक एवं पांचसाला खसरे की सहायता ली जा सकती है [illegible] आधार पर इसे आसानी से तैयार कर सकते हैं. यह जानकारी संलग्न प्रपत्र [illegible] में संकलित की जावेगी.

(ii) बिगड़े वन क्षेत्रों की पहचान (वन विभाग के नियंत्रण के बाहर स्थित क्षेत्र) :

इस में ऐसे [redacted] की जानकारी संकलित की जाना है जो कि शासकीय अभिलेखों में वन के रूप में, जैसे छोटे, बड़े झाड़ के जंगल आदि के रूप में दर्ज हैं, किन्तु जिनकी वर्तमान स्थिति के अनुसार वन बिगड़े हुए हों, निर्वनीकृत अथवा वन काट डाले गये हों. यह जानकारी अभिलेखों एवं स्थानीय जानकारी के आधार पर एकत्रित की जा सकती है. इस जानकारी में भी शासकीय भूमि के अतिरिक्त व्यक्तियों, संस्थाओं एवं भूमि स्वामियों की भूमि भी सम्मिलित रहेगी जो कि वन/जंगल आदि के रूप में दर्ज है. यह जानकारी संलग्न प्रपत्र दो में संकलित की जायेगी.

(iii) निजी स्वत्व के क्षेत्रों पर रोपण (Plantating) की जानकारी :

इस जानकारी में उन क्षेत्रों को सम्मिलित करना है जो कि पांच हेक्टेयर या अधिक के हों तथा निजी व्यक्तियों द्वारा अपनी भूमि, स्वामी हक की भूमि, व्यक्तियों, संस्थानों एवं पंचायतों के प्रबंधन की भूमि पर वानिकी प्रजातियों का रोपण किया गया हो. यह जानकारी प्रपत्र तीन में संकलित की जायेगी. इस पत्रक में उद्यानिकी के अंतर्गत रोपित फलदार वृक्षों के रोपण की जानकारी सम्मिलित नहीं की जाना है.

4. चूंकि उपरोक्त सभी जानकारी अभिलेखों एवं स्थानीय जानकारी के आधार पर एकत्रित की जाना है, यह उचित होगा कि आप अपने अधीनस्थ तहसीलदारों को एक निश्चित कार्यक्रम देकर समस्त पटवारियों को अभिलेख सहित तहसील कार्यालय में बुलवाकर उक्त जानकारी संकलित करायें. इस हेतु जिले में पदस्थ भू-अभिलेख अधीक्षकों की सहायता भी ली जाये. इसके अतिरिक्त "वनों" की पहचान करने के संबंध में यदि कोई कठिनाई आपको महसूस होती है तो जिले में पदस्थ वनमण्डलाधिकारी एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारियों की सहायता ली जा सकती है जो परिभाषा के अनुरूप क्षेत्रों की पहचान एवं वर्गीकरण में सहायता करेंगे.

5. उक्त कार्य एक निश्चित समय सीमा के भीतर किया जाना है, इसलिए की जा रही कार्यवाही की प्रगति एवं सतत् पर्यवेक्षण अत्यंत आवश्यक है. पर्यवेक्षण के कार्यों को जिले में पदस्थ वनमण्डलाधिकारी, अधीक्षक, भू-अभिलेख अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों की एक समिति गठित की जा सकती है.

6. संकलित की गई विस्तृत जानकारी की एक प्रति जिलाध्यक्ष कार्यालय में रखी जायेगी एवं संकलित जानकारी तथा इसका गोशवारा संलग्न प्रपत्र चार में दिनांक 5-2-97 तक, सचिव, राजस्व को जिले के अधीक्षक, भू-अभिलेख व्यक्तिगत रूप में प्रस्तुत करेंगे. सचिव, राजस्व को प्राप्ति उपरान्त ही अधीक्षक, भू-अभिलेख मुख्यालय वापिस लौटेंगे. इस बीच कार्य की प्रगति के संबंध में एक अंतरिम प्रतिवेदन दिनांक 25-1-97 तक, विशेष वाहक द्वारा सचिव, राजस्व को प्रस्तुत की जायेगी. यह कार्यवाही न्यायालय के आदेशानुसार निश्चित समय-सीमा में संपादित की जाना है. अतः समयबद्ध कार्यक्रम का विशेष ध्यान रखा जाये जिससे न्यायालय की अवमानना की स्थिति उत्पन्न न हो.

(के. टी. जाको)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग.

(ए. के. श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग.

3

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 1997

16-10-सात/2-प/90

प्रतिलिपि (सहपत्रों की प्रति सहित) :

1. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल,
2. आयुक्त, भू-अभिलेख, बन्दोबस्त, ग्वालियर, मध्यप्रदेश,
3. मुख्य वनसंरक्षक (भू-सर्वेक्षण), मध्यप्रदेश, भोपाल,
4. मुख्य वनसंरक्षक, (कार्य आयोजना), मध्यप्रदेश, भोपाल,
5. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश,
6. समस्त वनसंरक्षक, मध्यप्रदेश,
7. समस्त वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय), मध्यप्रदेश,

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित. कृपया यह सुनिश्चित करें कि वांछित जानकारी निर्धारित समय-सीमा में प्राप्त हो जावे. इसके लिए आप समय-समय पर कार्य की प्रगति का आंकलन करते रहें एवं यदि कोई कठिनाई आ रही है तो उसका तत्काल निराकरण कर संबंधित अधिकारी को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे. आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त यह सुनिश्चित करें कि जिला स्तर पर पदस्थ अमला इस संदर्भ में पूर्ण सहयोग करे; साथ ही संभाग स्तर पर पदस्थ अमले को उनके क्षेत्रान्तर्गत किये जा रहे कार्यों के पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन करने हेतु आवश्यक निर्देश प्रसारित करें.

15.1.97

(के. टी. चाको)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग.

(ए. के. श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग.

समय सीमा **अत्यंत महत्वपूर्ण**

मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ. 16-10/97/सात-2ए भोपाल, दिनांक 2/10/2001

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर्स,
   मध्यप्रदेश।
2. समस्त वन मंडल अधिकारी,
   मध्यप्रदेश।

विषय :- रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक 202/95 - श्री गोदावर्मन विरुद्ध भारत शासन एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के संबंध में पुनर्विलोकन याचिका प्रस्तुत करने हेतु जानकारी का संकलन।

उपर्युक्त मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12-12-1996 को पारित अंतरिम आदेश में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के संदर्भ में "वन" को परिभाषित किया गया था। न्यायालय के उक्त आदेश के अनुसार :-

(1) "वन" का तात्पर्य शब्दकोष में दिए गए अर्थ से लिया जाना है।
(2) "वन भूमि" का तात्पर्य ऐसी समस्त भूमि से है जो कि शब्दकोषीय अर्थ के अनुसार "वन" है।
(3) उपरोक्त में ऐसी भूमि भी शामिल होगी जो कि शासकीय अभिलेख में वन के रूप में दर्ज हो, चाहे उसका स्वामित्व किसी प्रकार का भी हो।

2. शब्दकोषीय अर्थ के अनुसार "वन" का तात्पर्य ऐसे वृहद क्षेत्र से है जहां खेती नहीं होती हो और जो वृक्षों एवं झाड़ी आदि से आच्छादित हो। निर्णय के परिप्रेक्ष्य में शब्दकोषीय अर्थ के रूप में व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए 10 हेक्टेयर एवं उससे बड़े चक को, जहां औसतन 200 या अधिक वृक्ष प्रति हेक्टेयर हैं, उसे "वन" माना जाए।

3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश एवं तद्नुसार वन का शब्दकोषीय अर्थ इस विभाग के समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 13 जनवरी, 1997 द्वारा आपको संसूचित किया गया था एवं जिलों से निम्नलिखित 3 प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत जानकारी संकलित की गई थी :-

(1) वन की पहचान (वन विभाग के नियंत्रण के बाहर स्थित क्षेत्र)
(2) बिगड़े वन क्षेत्रों की पहचान (वन विभाग के नियंत्रण के बाहर स्थित क्षेत्र)
(3) निजी स्वत्व के क्षेत्रों पर रोपण की जानकारी।

218

वन की उक्त परिभाषा के अनुसार ऐसा क्षेत्र भी वन के अंतर्गत आ गया है जो राजस्व अभिलेखों में "छोटे-बड़े झाड़ के जंगल" के रूप में दर्ज है। ऐसी क्षेत्र को छोटे बड़े झाड़ के जंगल के रूप में जब नोईयत दर्ज की गई होगी तब संबंधित भूमि पर जंगल रहा होगा परन्तु संभव है कि ऐसी भूमि पर छोटे बड़े झाड़ अब अवस्थित न हों। नगरीय एवं आस पास के क्षेत्रों में आबादी का दबाव निरन्तर बढ़ रहा है। साथ ही ग्रामों में निस्तार के लिए भूमि की आवश्यकता है। इस संदर्भ में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि वन भूमि की परिभाषा से उत्पन्न होने वाली कठिनाईयों की ओर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए छोटे-बड़े झाड़ के जंगल मद की भूमि को वन की परिभाषा से बाहर रखने हेतु पुनर्विलोकन याचिका प्रस्तुत की जाए।

७. माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विलोकन याचिका प्रस्तुत करने के लिए यह जानकारी आवश्यक है कि राज्य के कुल कितने क्षेत्र में राजस्व तथा निजी भूमि की नोईयत "छोटे-बड़े झाड़" के रूप में दर्ज है। इसमें से कितनी भूमि पर उपर पद ७ में उल्लेखित वन की परिभाषा के अनुसार वन है और कितनी भूमि पर अब वन नहीं रह गए हैं।

८. माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने वांछा की है कि राजस्व एवं वन विभाग के अधिकारियों का संयुक्त दल बनाया जाकर उक्त जानकारी एकत्रित की जाए। उक्त जानकारी के संकलन हेतु एक पत्रक निर्धारित किया गया है जो संलग्न है। यह पत्रक अंग्रेजी में है जिसमें प्रत्येक जिले की जानकारी अंग्रेजी में ही दर्ज की जाए क्योंकि उसे पुनर्विलोकन याचिका के साथ माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जिला कलेक्टरों से अनुरोध हैं कि संलग्न पत्रक में आपके जिले की जानकारी कृपया अपने एवं वन मंडलाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त को दिनांक ३० नवम्बर, २००१ तक आवश्यक रूप से भेजने का कष्ट करें।

(सुदीप बनर्जी)
प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन, वन विभाग

(माला श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन, राजस्व विभाग

पृ.क्र. १६-१०/९०/सात-२ए

भोपाल, दिनांक 29/१०/२००१

प्रतिलिपि-

१. श्री प्रभांशु कमल, आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
२. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
३. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश।
४. समस्त वन संरक्षक, मध्यप्रदेश।

अपर सचिव
म.प्र. शासन, राजस्व विभाग

PROFORMA

(Ref. Govt. of M.P., Revenue Deptt. letter No. [illegible] 7/2A dated Oct. 2001)
Statement showing areas which are recorded as "Chhote Bade Jhad Ka Jungle"
(Out side the area of forest Deptt.) in Government Records.

Name of District	Tahsil	Name of Village	Khasra Number	Revenue Land (Mention area)	Private Land (Mention area)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

Total Area	Total area where forest as per definition exist.		Total area where forest as per definition do not exists		Remark
	Revenue Land	Private Land	Revenue Land	Private Land	
[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]

( )
Divisional Forest Officer

( )
District Collector

याचिका क्रमांक 791–792 में दिनांक 01 अगस्त 2003 को दिया गया आदेश

आदेश

"Heard learned Advocate General for the State of M.P. The State Empowered Committee has expressed the view that the bade Jhad Ka Jungle and Chhote Jhad constitute forest. That being so, it must be held that such lands are forests within the definition of 'forest'. The IAs are accordingly, dismissed. However, it is open to the State of MP to approach the Central Governement for their exclusion from the purview of the definition of 'forest' under the provision of the Act."

मनोज कुमार
प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय (वल्लभ भवन) भोपाल–462004
Government of Madhya Pradesh
Forest Department Mantralaya,
Bhopal-462004
Tel : 576593 (O)

अर्ध शा० पत्र क्रमांक R600/1344/10-3/43
भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल, 2003

विषयः– वन भूमि का राजस्व विभाग को हस्तांतरण– वन सचिव का अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक 4325/2983/10/2/75, दिनांक 18 सितम्बर, 1975

प्रिय

तत्कालीन सचिव मध्य प्रदेश शासन वन विभाग ने अपने उपरोक्त सन्दर्भित अर्ध शासकीय पत्र द्वारा जो जिलाध्यक्षों को संबोधित था, वन विभाग से राजस्व विभाग को हस्तांतरित की जाने वाली भूमि का जिलेवार विवरण देते हुए विस्तृत निर्देश दिये थे। सुलभ सन्दर्भ हेतु पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है।

2/ उपरोक्त सन्दर्भित पत्र में दिये गये निर्देशों के पालन में कुछ जिलों में वन भूमि का प्रभार राजस्व विभाग द्वारा ले लिया गया था तथा भूमि का आवंटन भी प्रारंभ कर दिया गया था। यह जानकारी उपलब्ध नहीं है कि आपके जिले में कितनी भूमि का हस्तांतरण विधिवत् वन विभाग से प्राप्त किया गया तथा कितनी भूमि में पट्टे बांटे गये हैं। कृपया 18–9–75 के आदेश के पालन में आपके जिले में जो भी कार्यवाही की गयी हो उसके संबंध में निम्न जानकारी भेजने का कष्ट करें:–

(क) वन विभाग से विधिवत् कितनी भूमि का प्रभार प्राप्त किया गया।
(ख) प्रभार में ली गयी भूमि पर कितने केस का आवंटन किया गया।
(ग) यदि भूमि का प्रभार नहीं लिया गया तो उसका क्या कारण था ?

शुभेच्छा सहित,

भवदीय,

(मनोज कुमार)

◀ 02 दिसम्बर 2003 का परिपत्र ▶

कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक (भू–सर्वेक्षण), मध्यप्रदेश, भोपाल.

क्रमांक/एफ–7/16/10/11/95/4996 भोपाल, दिनांक 02.12.2003

प्रति,

वनसंरक्षक,

.....

मध्यप्रदेश.

विषयः भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–4 के अधिसूचित एवं अन्य संरक्षित वनों को आरक्षित वन घोषित करने हेतु कार्यवाही।

संदर्भः मुख्य सचिव म.प्र. शासन द्वारा ली गई बैठक दिनांक 15.09.2003

—00—

अविभाजित म.प्र. के 14170 वन खण्डो मे से केवल 2411 वन खण्डों में वर्ष 1987 तक व्यवस्थापन की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है तथा धारा 20 में अधिसूचना जारी हो चुकी है शेष 11759 वन खण्डों के व्यवस्थापन की कार्यवाही इस समय विभिन्न चरणों में लंबित है। जिसमें से विभाजित/ उत्तरवर्ती म.प्र. के लगभग 6048 वन खण्ड है जिनकी धारा 20 के तहत आरक्षित वन घोषित करने की कार्यवाही की जानी है। इनमें से कुछ की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी हो चुकी है कुछ में धारा 4 की अधिसूचना विभिन्न कारणों से शेष है। दिनांक 24.05.87 को मंत्री परिषद समिति की बैठक में निर्णय लिया गया था कि :–

(1) जिन वन खण्ड़ों के व्यवस्थापन की अंतिम अधिसूचनायें अभी प्रकाशित नहीं हुई है उनके संबंध में वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा पुनः परीक्षण किया जावें। वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा वन खण्ड़ों का पुनः स्थल निरीक्षण किया जावे और यदि आवश्यक हो तो संबंधित पक्षकारों की पुनः सुनवाई की जावें।

(2) जिन वन खण्ड़ों के संबंध में अधिसूचना जारी करने के प्रारूप शासकीय मुद्राणालय भेजे गये है, उन्हें वापस लिया जावें।

(3) जिन वन खण्ड़ों के प्रकरण जिलाध्यक्ष/ आयुक्त कार्यालयों में अग्रिम कार्यवाही हेतु लंबित है, उन्हें भी वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा उपरोक्त कार्यवाही के लिए वापस लिया जावें।

दिनांक 15.09.2003 को मुख्य सचिव द्वारा उक्त कार्य को सम्पादित करने हेतु प्रमुख सचिव (वन), प्रमुख सचिव (सामान्य/प्रशासन), प्रमुख सचिव (राजस्व), प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, मुख्य वनसंरक्षक (भू–सर्वेक्षण), अपर सचिव, विधि एवं विधायकी विभाग के अधिकारियों की बैठक ली गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जो कि वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में भी अधिसूचित है, उन्हीं के माध्यम से संरक्षित वनों को आरक्षित वनों में अधिसूचित कराने का कार्य कराया जाये। इसके लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। यह कार्य माह दिसम्बर 2003 से प्रारंभ किया जाकर 16 माह में पूर्ण किया जावेगा, यह भी निर्णय लिया गया है कि दिसम्बर 2003 से संभागीय स्तर पर बैठक बुलाई जाये जिसमें समस्त वन अधिकारियों के अलावा समस्त जिलाध्यक्ष एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को बुलाकर उन्हें प्रक्रिया समझायी जावें। मुख्य सचिव महोदय द्वारा यथा संभव इन बैठकों की अध्यक्षता की जावेगी।

दिनांक 27.11.2003 को प्रमुख सचिव (वन) द्वारा ली गई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मुख्यालय स्तर से 7 उप वनसंरक्षक एवं समस्त वनसंरक्षक कार्यालयों से एक–एक वन अधिकारी जो सहायक वनसंरक्षक से कम न हो को मुख्यालय बुलाकर वन व्यवस्थापन अधिकारियों के कर्तव्य दायित्व एवं प्रक्रिया से संबंधित दो दिवसीय प्रशिक्षण देकर एवं ट्रेनर्स टीम तैयार की जाये जो प्रत्येक संभागीय मुख्यालय जाकर संबंधित वन व्यवस्थापन अधिकारी तथा संबंधित वन अधिकारियों को प्रशिक्षण देगें।

अतः आप अपने–अपने वृत्त से संबंधित अधिकारी का नाम तत्काल सूचित करे और उन्हें मुख्य वनसंरक्षक (भू–सर्वेक्षण) के कार्यालय में दिनांक 11 एवं 12 दिसम्बर 2003 को प्रशिक्षण हेतु उपस्थित होने के आदेश जारी करें।

मुख्य वन संरक्षक (भू–सर्वेक्षण)
मध्यप्रदेश, भोपाल.

पृ. क्रमांक/एफ–7/16/10/11/95/4997 भोपाल, दिनांक 02.12.2003

प्रतिलिपि–

(1) समस्त प्रभारी मुख्य वनसंरक्षक वृत्त ..... को सूचनार्थ। कृपया उक्त कार्य की प्रगति की समीक्षा संबंधित मुख्य वनसंरक्षक अपने–अपने वृत्तों के लिये समय–समय पर करने का कष्ट करें जिससे व्यवस्थापन कार्य समय सीमा से पूर्ण हो सके।

(2) समस्त संभाग आयुक्त को सूचनार्थ अग्रेषित।

(3) समस्त कलेक्टर जिला ..... को सूचनार्थ अग्रेषित। कृपया समस्त अधिनस्थ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को उपरोक्त बाबत् सूचित कर प्रारम्भिक तैयारियां करने के निर्देश जारी करने का कष्ट करें। वन व्यवस्थापन अधिकारियों के लिये दिशा निर्देश हेतु प्रशिक्षण पुस्तिका शीघ्र ही भेजी जा रही है।

(4) समस्त वनमंडलाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वनमंडल के अंतर्गत धारा–4 में अधिसूचित संरक्षित वन खण्डों की जानकारी संबंधित वन व्यवस्थापन अधिकारी को उपलब्ध कराये। वनमंडलाधिकारी यह सुनिश्चित करेगें, कि भारतीय वन अधिनियम की धारा–4 के अंतर्गत अधिसूचित करने के लिये कोई क्षेत्र शेष नहीं है। यदि कोई क्षेत्र शेष है तो तत्काल उसके प्रस्ताव अधिसूचना जारी कराने हेतु इस कार्यालय में भेजे।

(5) अपर सचिव, वन को दिनांक 27.11.2003 को प्रमुख सचिव के साथ हुई बैठक के तारतम्य में सूचनार्थ अग्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक (भू–सर्वेक्षण)
मध्यप्रदेश, भोपाल.

मध्य प्रदेश शासन
मुख्य सचिव कार्यालय
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक 230/cs/04 भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2004

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,

2. समस्त वनमंडलाधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषय:- वन राजस्व भूमि का सीमांकन।

शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के समस्त जिलों में अगले 6 माह में अभियान चलाया जाकर वन-राजस्व भूमि सीमा निर्धारण अंतिम रूप से किया जाए। अतः आपसे अपेक्षा है कि जिले के क्षेत्रीय वन मंडलाधिकारी के साथ मिलकर एक कार्ययोजना बनाये जिसमें जिले के अंतर्गत जहां वन भूमि है, विवाद हो या न हो, राजस्व तथा वन विभाग की टीम संयुक्त रूप से उन स्थलों का निरीक्षण करे तथा दोनों विभाग अपने अपने अभिलेखों में स्थिति को अद्यतन करें तथा सीमा का निर्धारण करे। वन राजस्व सीमा निर्धारण के समय निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखा जाये:-

(1) म.प्र. वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 के अंतर्गत ग्रामवार जिन खसरा नंबरों का अंशतः या पूर्ण भाग आरक्षित या संरक्षित वन घोषित करने के उद्देश्य से अधिसूचित किया गया है, क्या उनमें आरक्षित या संरक्षित वन के नोटिफिकेशन की कार्यवाही पूर्ण हो गई है ?

(क) यदि हाँ तो धारा 4 के अंतर्गत शेष बचे खसरा नंबरों को राजस्व विभाग को हस्तांतरित करने की अधिसूचना प्रस्ताव यथाशीघ्र तैयार किया जाकर अधिसूचना जारी की जाये एवं तदनुसार वन राजस्व विभाग के अभिलेखों में सीमा संशोधन करे ।

(ख) यदि नहीं तो वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के अनुसार आरक्षित वन/संरक्षित वन घोषित करने की कार्यवाही पूर्ण की जाये तथा शेष बची भूमि को राजस्व विभाग को हस्तांतरित कर तदनुसार वन तथा राजस्व के अभिलेखों व नक्शों को संशोधित किया जाए ।

[illegible] नहीं हो सकता है, वे भी वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के अनुसार आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करने के लिए अधिसूचना जारी कराए व [illegible] राजस्व [illegible]

(3) वन विभाग द्वारा समय-समय पर विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा वन क्षेत्रों को राजस्व विभाग को हस्तांतरित किया गया है। (यथा अधिसूचना क्रमांक 3788-दस-2-75 दिनांक 25 अगस्त, 1975 जो मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 19.12.1975 में प्रकाशित है) उक्त अधिसूचनाओं के अनुरूप वन तथा राजस्व विभाग के अभिलेखों व नक्शों को संशोधित करें।

(4) वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत भारत सरकार से अनुमति प्राप्त कर दिनांक 31.12.[illegible]76 तक की 85,250.71 हेक्टेयर अतिक्रमित भूमि पात्र अतिक्रमकों को [illegible] दी गई थी। इन अभिलेखों का भी परीक्षण कर राजस्व तथा वन विभाग के अभिलेखों व नक्शों को संशोधित करें।

(5) उपरोक्तानुसार ही यदि अन्य प्रकरणों में भी वन तथा राजस्व विभाग द्वारा एक दूसरे की भूमियों का हस्तांतरण हुआ है, तो इन समस्त प्रकरणों के परीक्षण उपरांत ही संबंधित ग्राम के राजस्व नक्शों में (मूल बंदोबस्त नक्शे की अनुरेखित प्रति में) वन राजस्व सीमा लाइन अंकित की जाय।

(6) उपरोक्तानुसार तैयार ग्राम नक्शा मूलत: दो प्रतियों में तैयार कर उसका प्रमाणीकरण दोनो विभाग के अधिकृत अधिकारी संयुक्त रूप से पद मुद्रा सील सहित करें। यह नक्शा दो प्रतियों में तैयार किया जाय जिसकी एक-एक प्रति दोनो विभाग के जिला अभिलेखागार में सुरक्षित रखी जाय। इसी नक्शे के आधार पर पटवारी के चालू नक्शे में भी संशोधित कर प्रमाणीकरण कर लिया जाए।

(7) वन क्षेत्र में उत्खनन लीज का नवीनीकरण कराया जाना कोई वैधिक अधिकार नहीं है। यदि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है, तो ऐसे प्रकरणों में उत्खनन लीज का नवीनीकरण नहीं किया जाय।

2/ इस कार्य के लिये राजस्व कलेक्टर अपने जिले के एक उप जिलाध्यक्ष को नामांकित करें जो [illegible] वनमंडलाधिकारी के साथ मिलकर इस कार्य को गति देंगे। जिले की कार्य योजना उपरोक्त [illegible] में निर्देशित किये गये बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुये तैयार की जाये, साथ ही योजना को क्रियान्वित करने के लिये दोनों विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण किये जाये।

3/ आप निम्न जानकारी प्रमुख सचिव, वन एवं राजस्व को एक सप्ताह के अंदर भेजें:-

जिले में नामांकित उप जिलाध्यक्ष का नाम, दूरभाष क्रमांक (निवास एवं कार्यालय)

(2) वन मंडलवार योजना तैयार करने का दिनांक, योजना की कार्यावधि तथा योजना के क्रियान्वयन के लिये गठित किये गये दलों की संख्या।

4/ योजना के अनुसार कार्य प्रारंभ किया जाये तथा प्रत्येक माह के प्रगति प्रतिवेदन से निर्धारित समय प्रारूप में प्रमुख सचिव, वन एवं राजस्व को अवगत करायेंगे, जो संकलित प्रतिवेदन मुझे प्रस्तुत करेंगे। समस्त जिले से कार्यवाही पूर्ण होने पर जिला कलेक्टर तथा वन मंडलाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से यह प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाएगा कि-

(1) जिलों में वन और राजस्व भूमि का सीमांकन हो गया है;
(2) दोनों विभागों की भूमि का अंतरण हो गया है;
(3) भूमियों के मध्य सीमांकन चिन्ह स्थापित कर दिये गये हैं; एवं
(4) भूमि अंतरण के संबंध में समस्त वैधानिक कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है और आवश्यक अधिसूचनाएं आदि जारी हो चुकी है।

प्रत्येक जिला कलेक्टर और वन मंडलाधिकारी सीमांकन के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाये, नियमित रूप से उसकी समीक्षा करे एवं प्रगति से अवगत करायें। राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव, वन और प्रमुख सचिव, राजस्व संयुक्त रूप से मॉनिटरिंग करें एवं जिस जिले से लगातार 2 माह तक कार्यवाही अपूरी रहे उन संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करें।

(हस्ताक्षर)
(वी.के.साहा)
मुख्य सचिव

पृ.क्रमांक 231/CS/04 भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2004

प्रतिलिपि:-
प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन राजस्व/ वन विभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
मुख्य सचिव

राजपत्र प्रकाशन दिनांक 18 फरवरी 2005

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2005

क्र. एफ. 25–1–दस–3–04– भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 32 तथा धारा 76 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्र. 8476–8414–दस–60, दिनांक 11 अगस्त 19 1960 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :

नियम

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ** –

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश संरक्षित वन नियम, 2005 है।

(2) ये नियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य को लागू होंगे।

(3) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे,

2. **परिभाषाएं– इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,** –

(क) "संरक्षित वन" से अभिप्रेत है ऐसा वन जो भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), की धारा 29 के अधीन इस प्रकार घोषित किया गया हो या भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रवृत्त होने से पूर्व किन्ही अन्य आदेशों, नियमों या अधिनियमों के अधीन घोषित किया गया कोई अन्य संरक्षित वन,

(ख) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जिनका इसमें प्रयोग किया गया है किन्तु जिन्हें इन नियमों से परिभाषित नहीं किया गया है वही अर्थ होगा जो उन्हें मध्य प्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) में दिया गया है।

3. **आरक्षित वृक्ष** – राज्य सरकार संरक्षित वनों में खड़े समस्त वृक्षों को आरक्षित वृक्ष के रूप में घोषित करती है तथा केवल अनुमोदित कार्य आयोजना के उपबंधों के अनुसार ही इन वनों से वृक्षों को काटा या हटाया जा सकेगा।

4. राज्य के ऐसे क्षेत्रों के सिवाय, जो कार्य योजना के अनुसार या क्षेत्र के वन मण्डलाधिकारी द्वारा तैयार की गई चराई स्कीम के अनुसार चराई के लिए खुले घोषित किए गए हैं, समस्त संरक्षित वन चराई के लिए निषिद्ध घोषित किए जाते हैं।

5. जब तक राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट आदेश द्वारा अनुमति नहीं दी जाए, तब तक राज्य के समस्त संरक्षित वनों में निम्नलिखित क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध किए जाते हैं :–

(क) पत्थर, चूना, रेत या अन्य खनिज का खनन तथा संग्रहण,

(ख) कोयला बनाना,

(ग) कृषि, गृह निर्माण, पशु चराने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए वन भूमि को साफ करना या तोड़ना, और

(घ) अनुमोदित कार्य योजना के उपबंधों के उल्लंघन में वन उपज का संग्रहण।

6. राज्य के समस्त संरक्षित वनों का प्रबंधन केवल अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

रतन पुरवार, सचिव,

राजपत्र प्रकाशन दिनांक 18 फरवरी 2005

भोपाल, दिनांक 3 फरवरी 2005

क्र. एफ–25–135–2004–दस–3–भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) की धारा 76 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा, जैव विविधता (वनस्पति और जंतु) के संरक्षण तथा सरकारी वन से उपज की पोषणीय कटाई के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ** –

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश वन उपज (जैव विविधता का संरक्षण और पोषणीय कटाई) नियम, 2005 है.

(2) ये नियम "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं** – इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 सं. का 16),

(ख) "प्राधिकृत अधिकारी" से अभिप्रेत है इन नियमों में विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने के लिए इन नियमों के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी जो उप वन संरक्षक की श्रेणी से निम्न श्रेणी का न हो,

(ग) "निषिद्ध क्षेत्र" से अभिप्रेत है ऐसा क्षेत्र, जो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस रूप में घोषित किया गया हो, जिसमें इन नियमों के नियम 5 के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए किसी विशिष्ट वन उपज के संग्रहण या निष्कर्षण को प्रतिषिद्ध किया गया है.

(घ) "निषिद्ध मौसम" से अभिप्रेत है एक वर्ष में की कतिपय कालावधि या कालावधियां जिसमें/जिनमें प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इन नियमों के नियम 4 के अधीन राज्य के वनों से विशिष्ट वन उपज के संग्रहण या निष्कर्षण को प्रतिषिद्ध किया गया है,

(ड़) "वन क्षेत्र" से अभिप्रेत है, किसी ऐसे आरक्षित या संरक्षित वन क्षेत्र का कोई संविभाग, खण्ड या कोई अन्य प्रशासनिक या प्रबंधन इकाई जो राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इन नियमों के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट किया गया/की गई हो,

(च) "कटाई/संग्रहण/निष्कर्षण" से अभिप्रेत है आरक्षित या संरक्षित वनवों में या वहां से वन उपज को हटाने, उसका अभिचायन करने, कब्जा रखने या परिवहन का कार्य प्रक्रिया.

(छ) "राज्य" से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश राज्य.

(ज) "पोषणीय कटाई सीमा" से अभिप्रेत है वन उपज के उत्पाद पर भविष्य में प्रतिकूल रूप से प्रभाव डाले बिना और किसी पशु या पेड़ पौधे या उसके पुनर्जजनन के उद्गम या उसकी संख्या के अनिष्ट के बिना वार्षिक या कालिक रूप से विनिर्दिष्ट वन से संग्रहित या निष्कर्षित की जाने वाली उक्त उपज की उच्चतम सीमा.

(झ) "पोषणीय कटाई की पद्धति" से अभिप्रेत हैं ऐसी गैर विनाशक तकनीक तथा प्रौद्योगिकी जो किसी वन उपज के उत्पाद पर भविष्य में प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और किसी पशु या पेड़ पौधे या उसके पुनर्जनन के उद्गम या उसकी संख्या के अनिष्ट के बिना वन से उक्त उपज को संग्रहित या निष्कर्षित करने के लिए उपयोग में लाई जा सके;

(ण) ऐसे शब्दों तथा अभिव्यक्तियों को, जिनका इन नियमों में प्रयोग किया है परन्तु परिभाषित नहीं किया गया है, वही अर्थ होगा, जो उन्हें अधिनियम में दिया गया है।

3. **सरकारी वनों से वन उपज के पोषणीय संग्रहण या निष्कर्षण को सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाने की शक्ति** – राज्य सरकार सरकारी वनों से वन उपज के संग्रहण या निष्कर्षण के संबंध में ऐसे कदम उठा सकेगी जो वह जैव विविधता के संरक्षण और वन उपज की पोषणीय कटाई को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे।

4. **"निषिद्ध मौसम" पोषित करने की शक्ति** – राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी सरकारी वन से वनस्पति तथा जीव–जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों के जीवनचक्र (लाइफ साईकिल) के आधार पर वन उपज के संग्रहण या निष्कर्षण को पोषणीय कटाई को सुनिश्चित करने के लिए एक वर्ष की कतिपय कालावधि या कालावधियों को निषिद्ध मौसम घोषित कर सकेगी/सकेगा।

5. **निषिद्ध क्षेत्र घोषित करने की शक्ति** – राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी सरकारी वन उपज की भविष्य में पोषणीय कटाई को सुनिश्चित करने के लिए एक वर्ष की कतिपय वन क्षेत्र को विनिर्दिष्ट कालावधि हेतु वन उपज के संग्रहण या निष्कर्षण के लिए निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर सकेगी/सकेगा।

6. **पोषणीय कटाई सीमा, विहित करने की शक्ति** – राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी भविष्य में किसी विशिष्ट वर्ष में पोषणीय कटाई को सुनिश्चित करने के लिए, किसी वन उपज की जो विनिर्दिष्ट वन क्षेत्र से संग्रहित या निष्कर्षित की जा सकती है, मात्रा की सीमाएं विहित कर सकेगी/सकेगा।

7. **पोषणीय कटाई पद्धति विहित करने की शक्ति** – राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी भविष्य में पोषणीय कटाई को सुनिश्चित करने हेतु किसी वन उपज के लिए पोषणीय कटाई पद्धति विहित कर सकेगी/सकेगा।

8. **कटाई के संबंध में हिताधिकारियों द्वारा रिपोर्ट** – कोई व्यक्ति, जो सरकार वनों से वन उपज संग्रहित या निष्कार्षित कर रहा है, उसके द्वारा उपास वन उपज के ब्यौरे उस प्राधिकारी को, जिसे विनिर्दिष्ट किया जाए, ऐसी रीति में और ऐसे अंतरालों पर, पैसा विहित किया जाए, प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा।

9. **उद्घोषणा** – वन मण्डलाधिकारी वन की सीमा से 5 किलोमीटर के भीतर के समस्त ग्रामों में, यथासाध्य, डोंडी पिटवाकर या किसी अन्य युक्तियुक्त साधन द्वारा उपरोक्त नियम 4 से 8 के उपबंधों की उद्घोषणा करेगा।

10. **नियम भंग करने के लिए शास्ति** – जो कोई भी इन नियमों के उपबंधों में से किसी भी उपबंध का उल्लंघन करेगा वह अधिनियम की धारा 77 के अधीन दण्डनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

रतन पुरवार, सचिव

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

(2007 का अधिनियम संख्यांक 2)

(29 दिसम्बर, 2006)

वन में निवास करने वाली ऐसी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के, जो ऐसों वनों में पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं, किन्तु उनके अधिकारों को अभिलिखित नहीं किया जा सका है, वन अधिकारों और वन भूमि में अभियोग को मान्यता देने और निहित करने;

वन भूमि में इस प्रकार निहित वन अधिकारों को अभिलिखित करने के लिए संरचना का और वन भूमि के संबंध में अधिकारों को ऐसी मान्यता देने और निहित करने के लिए अपेक्षित साक्ष्य की प्रकृति का उपबंध करने के लिए

अधिनियम।

वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के, मान्यताप्राप्त अधिकारों में, दीर्घकालीन उपयोग के लिए जिम्मेदारी और प्राधिकार, जैव विविधता का संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना और वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों की जीविका तथा खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करते समय वनों की संरक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करना भी सम्मिलित है;

और औपनिवेशक काल के दौरान तथा स्वतंत्र भारत में राज्य वनों को समेकित करते समय उनकी पैतृक भूमि पर वन अधिकारों और उनके निवास को पर्याप्त रूप से मान्यता नहीं दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप वन में निवास करने-वाली उन अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के प्रति ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, जो वन पारिस्थितिकी प्रणाली को बचाने और बनाए रखने के लिए अभिन्न अंग हैं;

और यह आवश्यक हो गया है कि वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों की, जिसके अन्तर्गत वे जनजातियां भी हैं, जिन्हें राज्य के विकास से उत्पन्न हस्तक्षेप के कारण अपने निवास दूसरी जगह बनाने के लिए मजबूर किया गया था, लंबे समय से चली आ रही भूमि संबंधी असुरक्षा तथा वनों में पहुंच के अधिकारों पर ध्यान दिया जाए;

भारत गणराज्य के सतावनवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :–

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम. 2006 है.

(2) इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है.

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें.

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो; –

(क) "सामुदायिक वन संसाधन" से ग्राम की परंपरागत या रूढ़िगत सीमाओं के भीतर रूढ़िगत सामान्य वनभूमि या चारागाही समुदायों की दशा में भू–परिदृश्य का मौसमी उपयोग अभिप्रेत है, जिसके अन्तर्गत आरक्षित वन, संरक्षित वन और संरक्षित ऐसे क्षेत्रों की भूमि है जैसे अभ्यारण और राष्ट्रीय उद्यान जिन पर समुदायों की परंपरागत पहुंच थी;

(ख) "संकटपूर्ण वन्य जीवन आवास" से राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारणों के ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत हैं, जहां वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर, मामलेवार, विनिर्दिष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से यह स्थापित किया गया है कि ऐसे क्षेत्र वन्य जीव संरक्षण के प्रयोजनों के लिए अनतिक्रांत रखे जाने के लिए अपेक्षित है जैसा कि केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा एक ऐसी विशेषज्ञ समिति से परामर्श की खुली प्रक्रिया के पश्चात् अवधारित और अधिसूचित की जाए, जिसमें उस सरकार द्वारा नियुक्ति उस परिक्षेत्र से विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे जिसमें धारा 4 की उपधारा (1) और उपधारा (2) से उद्भूत प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के अनुसार ऐसे क्षेत्रों का अवधारण करने में जनजातीय मंत्रालय का एक प्रतिनिधि भी सम्मिलित होगा;

(ग) "वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति" से अनुसूचित जनजातियों के ऐसे सदस्य या समुदाय अभिप्रेत हैं, जो प्राथमिक रूप से वनों में निवास करते हैं और जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए वनों या भूमि पर निर्भर हैं और इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति चरागाही समुदाय भी है;

(घ) "वन भूमि" से किसी वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली किसी प्रकार की भूमि अभिप्रेत हैं और उसके अंतर्गत अवर्गीकृत वन, असीमांकित विद्यमान वन या समझे गए वन, संरक्षित वन, आरक्षित वन, अभ्यारण और राष्ट्रीय उद्यान भी है;

(ड़) "वन अधिकारों" से धारा 3 में निर्दिष्ट वन अधिकार अभिप्रेत है;

(च) "वन ग्राम" से ऐसी बस्तियां अभिप्रेत हैं, जो किसी राज्य सरकार के वन विभाग द्वारा वन संबंधी संक्रियाओं के लिए वनों के भीतर स्थापित की गई हैं या जो वन आरक्षण प्रक्रिया के माध्यम से वन ग्रामों में संपरिवर्तन की गई हैं और जिनके अंतर्गत वन बस्ती ग्राम, नियत मांग धृति, ऐसे ग्रामों के लिए सभी प्रकार की वनकृषि बस्तियां भी है, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, और इसके अंतर्गत सरकार द्वारा अनुज्ञात कृषि तथा अन्य उपयोगों के लिए भूमि भी है;

(छ) "ग्राम सभा" से ऐसी ग्राम सभा अपेक्षित है, जो ग्राम के सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर बनेगी और ऐसे राज्यों की दशा में, जिनमें कोई ग्राम पंचायत नहीं है, पाड़ा, टोला और ऐसी अन्य परम्परागत ग्राम संस्थाएं और निर्वाचित ग्राम समितियां भी है जिनमें महिलाओं की पूर्ण और अनिर्बंधित भागीदारी है;

(ज) "आवास" के अंतर्गत ऐसा क्षेत्र भी है जिसमें आदिम जनजाति समूहों और कृषि पूर्व समुदायों और अन्य वन निवासी अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित वनों और संरक्षित वनों में परम्परागत आवास और ऐसे अन्य आवास सम्मिलित है;

(झ) "गौण वन उत्पाद" के अंतर्गत पादप मूल के सभी गैर–इमारती वनोत्पाद हैं, जिनमें, बांस, झाड़ झंखाड़, ठूंठ, बैंत, तुसार, कोया, शहद, मोम, लाख, तेंदू या केंदू पत्ते, औषधीय पौधे और जड़ीबूटियां, मूल, कन्द और इसी प्रकार के उत्पाद सम्मिलित हैं;

(ञ) "नोडल अभिकरण" से धारा 11 में विनिर्दिष्ट नोडल अभिकरण अभिप्रेत है;

(ट) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ठ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ड़) "अनुसूचित क्षेत्र" से संविधान के अनुच्छेद 244 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ढ) "सतत उपयोग" का वही अर्थ होगा, जो जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 2 के खंड (ण) में है;

(ण) "अन्य परम्परागत वन निवासी" से ऐसा कोई सदस्य या समुदाय अभिप्रेत है, जो 13 दिसम्बर, 2005 से पूर्व कम से कम तीन पीढ़ियों तक प्राथमिक रूप से वन या वन भूमि में निवास करता रहा है और जो जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए उन पर निर्भर है. (इस खंड के प्रयोजन के लिए "पीढ़ी" से पच्चीस वर्ष की अवधि अभिप्रेत है;)

(त) "ग्राम" से निम्नलिखित अभिप्रेत है–

1996 का 40

(i) पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 की धारा 4 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट कोई ग्राम, या

(ii) अनुसूचित क्षेत्रों से भिन्न पंचायतों से संबंधित किसी राज्य विधि में ग्राम के रूप में निर्दिष्ट कोई क्षेत्र; या

(iii) वन ग्राम पुरातन निवास या बस्तियां और असर्वेक्षित ग्राम, चाहे वे ग्राम के रूप में अधिसूचित हों या नहीं; या

(iv) उन राज्यों की दशा में, जहां पंचायते नहीं हैं, पारम्परिक ग्राम, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों.

1972 का 53

(थ) "वन्य पशु" से वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनूसूची 1 से 4 में विनिर्दिष्ट पशु की ऐसी प्रजातियां अभिप्रेत है, जो प्रकृति में वन्य के रूप में पाई जाती हैं.

अध्याय 2

वन अधिकार

वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के वन अधिकार

3. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के सभी वनभूमि पर निम्नलिखित वन अधिकार होंगे, जो व्यक्तिगत या सामुदायिक भूधृति या दोनों को संरक्षित करते हैं, अर्थात् :–

(क) वन में निवास करने वाली अनूसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासियों के किसी सदस्य या किन्हीं सदस्यों द्वारा निवास के लिए या जीविका के लिए स्वयं खेती करने के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक अधिभोग के अधीन वन भूमि को धारित करने और उसमें रहने का अधिकार;

(ख) निस्तार के रूप में सामुदायिक अधिकार चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जिनके अंतर्गत तत्कालीन राजाओं के राज्यों, जमींदारी या ऐसे अन्य मध्यवर्ती शासनों में प्रयुक्त अधिकार भी सम्मिलित हैं;

(ग) गौण वन उत्पादों के, जिनका गांव की सीमा के भीतर या बाहर पारंपारिक रूप से संग्रह किया जाता रहा है स्वामित्व संग्रह करने के लिए पहुंच, उनका उपयोग और व्यजन का अधिकार रहा है;

(घ) यायावरी या चारागाही समुदायों की मत्स्य और जलाशयों के अन्य उत्पाद, चरागाह (स्थापित और घुमक्कड़ दोनों) के उपयोग या उन पर हकदारी और पारम्परिक मौसमी संसाधनों तक पहुंच के

अन्य सामुदायिक अधिकार;

(ड़) वे अधिकार, जिनके अंतर्गत आदिम जनजाति समूहों और कृषि पूर्व समुदायों के लिए गृह और आवास की सामुदायिक भू–धृतियां भी हैं;

(च) किसी ऐसे राज्य में, जहां दावे विवादग्रस्त हैं, किसी नाम पद्धति के अधीन विवादित भूमि में या उस पर के अधिकार;

(छ) वन भूमि पर हक के लिए किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी राज्य सरकार द्वारा जारी पट्टों या धृतियों या अनुदानों के संपरिवर्तन के अधिकार;

(ज) वनों के सभी वनग्रामों, पुराने आवासों, असर्वेक्षित ग्रामों और अन्य ग्रामों के बसने और संपरिवर्तन के अधिकार, चाहे वे राजस्व ग्रामों में लेखबद्ध हों, अधिसूचित हों अथवा नहीं;

(झ) ऐसे किसी सामुदायिक वन संसाधन का संरक्षण, पुनरूज्जीवित या संरक्षित या प्रबंध करने का अधिकार, जिसकी वे सतत् उपयोग के लिए परंपरागत रूप से संरक्षा और संरक्षण कर रहे हैं;

(ञ) ऐसे अधिकार, जिनको किसी राज्य की विधि या किसी स्वशासी जिला परिषद् या स्वशासी क्षेत्रीय परिषद् की विधियों के अधीन मान्यता दी गई है या जिन्हें किसी राज्य की संबंधित जनजाति की किसी पारंपरिक या रूढ़िगत विधि के अधीन जनजातियों के अधिकारों के रूप में स्वीकार किया गया है;

(ट) जैव विविधता तक पहुंच का अधिकार और जैव विविधता तथा सांस्कृतिक विविधता से संबंधित बौद्धिक संपदा और पारंपारिक ज्ञान का सामुदायिक अधिकार;

(ठ) कोई ऐसा अन्य पारंपरिक अधिकार जिसका, यथास्थिति, वन में निवास करने वाली उन अनुसूचित जनजातियों या अन्य परंपरागत वन निवासियों द्वारा रूढ़िगत रूप से उपभोग किया जा रहा है, जो खंड (क) से खंड (ट) में वर्णित हैं, किन्तु उनमें किसी प्रजाति के वन्य जीव का शिकार करने या उन्हें फंसाने या उनके शरीर का कोई भाग निकालने का परंपरागत अधिकार नहीं है;

(ड़) यथावत पुनर्वास का अधिकार, जिनके अंतर्गत उन मामलों में आनुकल्पिक भूमि भी हैं जहां अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों को 13 दिसंबर, 2005 के पूर्व किसी भी प्रकार की वनभूमि से पुनर्वास के उनके वैध हक प्राप्त किए बिना अवैध रूप से बेदखल या विस्थापित किया गया हो.

1980 का 69 (2) वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, सरकार द्वारा व्यवस्थित निम्नलिखित सुविधाओं के लिए वन भूमि के परिवर्तन का उपबंध करेगी जिसके अंतर्गत प्रति हेक्टेयर पचहत्तर से अनधिक पेड़ों का गिराया जाना भी है, अर्थात् :–

(क) विद्यालय;

(ख) औषधालय या अस्पताल;

(ग) आंगनबाड़ी;

(घ) उचित कीमत की दुकानें;

(ड़) विद्युत और दूरसंचार लाइनें,

(च) टंकियां और अन्य लघु जलाशय;

(छ) पेयजल की आपूर्ति और जल पाइपलाइनें;

(ज) जल या वर्षा जल संचयन संरचनाएं;

(झ) लघु सिंचाई नहरें;

(ञ) अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोंत;

(ट) कौशल उन्नयन या व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र;

(ठ) सड़कें, और

(ड़) सामुदायिक केन्द्र,

परंतु वन भूमि से ऐसे परिवर्तन को तभी अनुज्ञात किया जाएगा, जब–

(i) इस उपधारा में वर्णित प्रयोजनों के लिए परिवर्तित की जाने वाली वनभूमि ऐसे प्रत्येक मामले में एक हेक्टेयर से कम है; और

(ii) ऐसी विकासशील परियोजनाओं की अनापत्ति इस शर्त के अधीन रहते हुए होगी कि उसकी सिफारिश ग्रामसभा द्वारा की गई हो.

अध्याय 3

वन अधिकारों की मान्यता, उनका पुनः स्थापन और निहित होना तथा संबंधित विषय

वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों के वन अधिकारों की मान्यता और उनका निहित होना.

4. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधी में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार,–

(क) ऐसे राज्यों या राज्यों के उन क्षेत्रों में वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों के, जहां उन्हें धारा 3 में उल्लेखित सभी वन अधिकारों की बाबत् अनुसूचित जनजातियों के रूप में घोषित किया गया है;

(ख) धारा 3 में उल्लेखित सभी वन अधिकारों की बाबत् अन्य परंपरागत वन निवासियों के वनाधिकारों को, मान्यता प्रदान करती है और उनमें निहित करती है.

(2) राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारणों के संकटग्रस्त वन्य जीव आवासों में इस अधिनियम के अधीन मान्यताप्राप्त वन अधिकारों को, पश्चात्वर्ती रूप में उपान्तरित या पुनः स्थापित किया जा सकेगा, परन्तु किसी भी वन अधिकार धारक को पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा या किसी भी रीति में उनके अधिकारों पर वन जीव संरक्षण के लिए अनतिक्रांत क्षेत्रों के सृजन के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित सभी शर्तो को पूरा करने की दशा में के सिवाय प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात् –

(क) विचाराधीन सभी क्षेत्रों में धारा 6 में यथा विनिर्दिष्ट अधिकारों की मान्यता और निहित करने की प्रक्रिया पूरी हो;

(ख) राज्य सरकार के संबद्ध अभिकरणों द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह स्थापित किया गया है कि अधिकारों के धारकों की उपस्थिति के वन्य पशुओं पर क्रियाकलाप या प्रभाव अपरिवर्तनीय नुकसान करने के लिए पर्याप्त हैं, और उक्त प्रजाति के अस्तित्व और उनके निवास के लिए खतरा है; **1972 का 53**

(ग) राज्य सरकार यह निष्कर्ष निकाल चुकी है कि सहअस्तित्व जैसे अन्य युक्तियुक्त विकल्प उपलब्ध नहीं है;

(घ) एक पुनर्व्यवस्थापन या अनुकल्पी पैकेज तैयार और संसूचित किया गया है जो प्रभावित व्यष्टियों और समुदायों के लिए सुनिश्चित जीविका का उपबंध करता है और ऐसे प्रभावित व्यष्टियों और समुदायों की केन्द्रीय सरकार की सुसंगत विधियों और नीति में दी गई अपेक्षाओं को पूरा करने की व्यवस्था करता है;

(ड़) प्रस्तावित पुनर्व्यवस्थापन और पैकेज के लिए संबद्ध क्षेत्रों में ग्राम सभाओं की स्वतंत्र सूचित सहमति लिखित में प्राप्त कर ली गई है;

(च) कोई पुनर्व्यवस्थापन तभी होगा जब पुनर्वास अवस्थान पर सुविधाऐं और भूमि आवंटन वायदा किए गए पैकेज के अनुसार पूरी की गई हो :

परन्तु संकटग्रस्त वन्य जीव आवास, जिससे अधिकार धारकों को इस प्रकार वन्य जीवन संरक्षण के प्रयोजनों के लिए पुनः स्थापित किया जाता है, पश्चात्वर्ती रूप से राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी एकक द्वारा किसी अन्य उपयोगों के लिए अपवर्तित नहीं किया जाएगा.

(3) वन भूमि और उसके निवासियों की बाबत् किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों को, इस अधिनियम, के अधीन वन अधिकारों की मान्यता देना और उनका निहित किया जाना इस शर्त के अध्यधीन होगा कि ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों या अन्य परम्परागत वन निवासियों ने 13 दिसम्बर, 2005 से पूर्व वन भूमि अधिभोग में ले ली थी.

(4) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त कोई अधिकार वंशागत होगा किन्तु संक्रमणीय या अन्तरणीय नहीं होगा और विवाहित व्यक्तियों की दशा में पति–पत्नी दोनों के नाम में संयुक्त रूप से और यदि किसी घर का मुखिया एकल व्यक्ति है तो एकल मुखिया के नाम में रजिस्ट्रीकृत होगा तथा सीधे वारिस की अनुपस्थिति में वंशागत अधिकार अगले निकटतम संबंधी को चला जाएगा.

(5) जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, किसी वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति या अन्य परम्परागत वन निवासियों का कोई सदस्य उसके अधिभोगाधीन वन भूमि से तब तक बेदखल नही किया जाएगा या हटाया जाएगा जब कि मान्यता और सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है.

(6) जहां उपधारा (1) द्वारा मान्यताप्राप्त और निहित वन अधिकार धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) में वर्णित भूमि के संबंध में हैं, वहां ऐसी भूमि इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को किसी व्यष्टि या कुटुम्ब या समुदाय के अधिभोगाधीन होगी और ऐसी भूमि वास्तविक अधिभोग के अधीन क्षेत्र तक निर्बन्धित होंगी और किसी भी दशा में इसका क्षेत्र चार हेक्टेयर से अधिक का नहीं होगा.

(7) वन अधिकार, सभी विल्लंगमों और प्रक्रिया संबंधी अपेक्षाओं से मुक्त रूप में प्रदत्त किया जाएगा, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन अनापत्ति इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट के सिवाय वन भूमि में अपयोजन के लिए –"शुद्ध वर्तमान **1980 का 69**

मूल्य" और प्रतिकरात्मक वन रोपण का संदाय करने की अपेक्षा सम्मिलित हैं.

(8) इस अधिनियम के अधीन मान्यताप्राप्त और निहित वन अधिकारों में वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों के वन भूमि अधिकार सम्मिलित होंगे जो यह साबित कर सकते हैं कि वे राज्य विकास हस्तक्षेप के कारण भूमि प्रतिकर के बिना उनके निवास और खेती से विस्थापित किए गए थे और जहां भूमि का उपयोग उक्त अर्जन से पांच वर्ष के भीतर उस प्रयोजन के लिए नहीं किया गया है, जिसके लिए वह अर्जित की गई थी.

वन अधिकारों के धारकों के कर्तव्य

5. किसी वन्य अधिकार के धारक, उन क्षेत्रों में जहां इस अधिनियम के अधीन किन्हीं वन अधिकारों के धारक हैं, ग्रामसभा और ग्राम स्तर की संस्थाऐं निम्नलिखित के लिए सशक्त हैं, –

(क) वन्य जीव, वन और जैव विविधता का संरक्षण करना;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि लगा हुआ जलागम क्षेत्र, जल स्त्रोत और अन्य पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र पर्याप्त रूप से संरक्षित हैं ;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों का निवास किसी प्रकार के विनाशकारी व्यवहारों से संरक्षित हैं जो उनकी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को प्रभावित करती हैं;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि सामुदायिक वन संसाधनों पर पंहुच को विनियमित करने और ऐसे किसी क्रियाकलाप को रोकने के लिए, जो वन्य जीव, वन और जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, ग्राम सभा में लिए गए विनिश्चयों का पालन किया जाता है.

अध्याय 4

वन अधिकारों को निहित करने के लिए प्राधिकारी और प्रक्रिया

वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों में वन अधिकारों को निहित करने के लिए प्राधिकारी और उसकी प्रक्रिया

6. (1) ग्रामसभा को, ऐसे किसी व्यष्टिक या सामुदायिक वन्य अधिकारों या दोनों की प्रकृति और सीमा को अवधारित करने के लिए प्रक्रिया आरंभ करने का प्राधिकार होगा जो इस अधिनियम के अधीन इसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों को, दावे स्वीकार करते हुए, उनके समेकन और सत्यापन तथा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सिफारिश किए गए प्रत्येक दावे के क्षेत्र को अंकित करते हुए, मानचित्र तैयार करके दिए जा सकेंगे और तब ग्राम सभा उस आशय का संकल्प पारित करेगी तथा उसके पश्चात् उसकी एक प्रति उपखंड स्तर की समिति को अग्रेषित करेगी.

(2) ग्रामसभा के संकल्प से व्यथित कोई व्यक्ति उपधारा (3) के अधीन गठित उपखण्ड स्तर की समिति को कोई याचिका दे सकेगा और उपखंड स्तर की समिति ऐसी याचिका पर विचार करेगी और उसका निपटारा करेगी :

परन्तु प्रत्येक ऐसी याचिका ग्राम सभा द्वारा संकल्प पारित करने की तारीख से साठ दिन के भीतर दी जाएगी :

परन्तु यह और कि ऐसी याचिका का, व्यथित व्यक्तियों के विरूद्ध निपटारा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उन्हें अपने मामले को प्रस्तुत करने के लिए युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो.

(3) राज्य सरकार, ग्राम सभा द्वारा पारित संकल्प की परीक्षा करने के लिए एक उपखंड स्तर की समिति का गठन करेगी और वन अधिकारों का अभिलेख तैयार करेगी तथा इसे उपखंड अधिकारी के माध्यम से अंतिम विनिश्चय के लिए जिला स्तर की समिति को अग्रेषित करेगी.

(4) उपखंड स्तर की समिति के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, उपखंड स्तर की समिति के विनिश्चय की तारीख से साठ दिन के भीतर जिला स्तर की समिति को कोई याचिका दे सकेगा और जिला स्तर की समिति ऐसी याचिका पर विचार करेगी और उसका निपटारा करेगी :

परन्तु ग्राम सभा के संकल्प के विरूद्ध कोई याचिका जिला स्तर की समिति के समक्ष सीधे तब तक नहीं दी जाएगी जब तक वह पहले उपखंड स्तर की समिति के समक्ष न दी गई हो और उसके द्वारा उस पर विचार न कर लिया गया हो :

परन्तु यह और कि याचिका का, व्यथित व्यक्तियों के विरूद्ध निपटारा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उन्हें अपने मामले को प्रस्तुत करने के लिए युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो.

(5) राज्य सरकार, उपखंड स्तर की समिति द्वारा किए गए वन अधिकारों के अभिलेख पर विचार करने और उनका अंतिम रूप से अनुमोदन करने के लिए एग जिला स्तर की समिति का गठन करेगी.

(6) वन अधिकारों के अभिलेख पर जिला स्तर की विनिश्चय अंतिम और आबद्धकर होगा.

(7) राज्य सरकार, वन अधिकारों को मान्यता देने और उन्हें निहित करने की प्रक्रिया को मानीटर करने और ऐसी विवरणियों और रिपोर्टों को, जो उस अभिकरण द्वारा मांगी जाए, नोडल अभिकरण को प्रस्तुत करने के लिए एक राज्य स्तर की मानीटरी समिति का गठन करेगी.

(8) उपखंड स्तर की समिति, जिला स्तर की समिति और राज्य स्तर की मानीटरी समिति में राज्य सरकार के राजस्व विभाग, वन विभाग और जनजातीय मामले विभाग के अधिकारी और समुचित स्तर पर पंचायतीराज संस्थाओं के तीन सदस्य होंगे, जिन्हें संबंधित पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जिसमें दो सदस्य अनुसूचित जनजातियों के होंगे और कम से कम एक महिला होगी, जैसा विहित किया जाए.

(9) उपखंड स्तर की समिति, जिला स्तर की समिति और राज्य स्तर की मानीटरी समिति की संरचना और कृत्य तथा उनके द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया वह होगी, जो विहित की जाए.

अध्याय 5

अपराध और शास्तियां

इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरणों और समितियों के सदस्यों या अधिकारियों द्वारा अपराध

7. जहां कोई प्राधिकरण या समिति या ऐसे प्राधिकरण या समिति का कोई अधिकार या सदस्य इस अधिनियम या उसके अधीन वन अधिकारों की मान्यता से संबंधित बनाए गए किसी नियम के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो वह या वे इस अधिनियम के अधीन अपराध के दोषी समझे जाएंगे और अपने विरूद्ध कार्यवाही किए जाने और जुर्मानें से, जो एक हजार रूपए तक का हो सकेगा, दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परन्तु इस उपधारा की कोई भी बात इस धारा में निर्दिष्ट प्राधिकरण या समिति के किसी सदस्य या विभागाध्यक्ष या किसी व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी.

अपराधों का संज्ञान

8. कोई भी न्यायालय इस अधिनियम की धारा 7 के अधीन किसी अपराध का तब कि संज्ञान नहीं लेगा जब तक कि कोई वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति, किसी ग्राम सभा के संकल्प से संबंधित किसी विवाद के मामले में या किसी उच्च प्राधिकारी के विरूद्ध किसी संकल्प के माध्यम से ग्रामसभा, राज्य स्तर की मानीटरी समिति को साठ दिन से अन्यून की सूचना नहीं दे देती है और राज्य स्तर की मॉनीटरी समिति ने ऐसे प्राधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही न कर ली हो.

अध्याय 6

प्रकीर्ण

प्राधिकरण, आदि के सदस्यों का लोक सेवक होना

9. अध्याय 4 में निर्दिष्ट प्राधिकरणों का प्रत्येक सदस्य और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने वाला प्रत्येक अन्य अधिकारी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे.

1960 का 45

10. (1) इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही के केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध नही होगी.

(2) इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात से हुए या हो सकने वाले किसी नुकसान के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या उसके किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरूद्ध नहीं होगी.

(3) इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही अध्याय 4 में यथानिर्दिष्ट किसी प्राधिकरण, जिसके अंतर्गत उसका अध्यक्ष, उसके सदस्य, सदस्य सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारी भी है, के विरूद्ध नहीं होगी।.

नोडल अभिकरण

11. जनजाति मामलों से संबंधित भारत सरकार का मंत्रालय या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी या प्राधिकारी इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए नोडल अभिकरण होगा.

12. अध्याय 4 में निर्दिष्ट प्रत्येक प्राधिकारी इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने और अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में, ऐसे साधारण या विशेष निर्देशों के अध्यधीन होगा जो केन्द्रीय सरकार, समय–समय पर लिखित में दे. **केन्द्रीय सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति**

13. इस अधिनियम और पंचायत उपबन्ध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 में अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्यविधि के उपबंधों के अतिरिक्त होगें, न कि उनके अल्पीकरण में. **अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना**

1996 का 40

14. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए नियम, बना सकेगी. **नियम बनाने की शक्ति**

(2) विशिष्टतयां और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेगें, अर्थात्:–

(क) धारा 6 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया संबंधी ब्यौरे;

(ख) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन दावों को प्राप्त करने, उन्हें समेकित करने और उनका सत्यापन करने तथा वन अधिकारों के प्रयोग के लिए सिफारिश किए गए प्रत्येक दावे का क्षेत्र अंकित करते हुए मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया और उस धारा की धारा (2) के अधीन उपखंड समिति को याचिका देने की रीति;

(ग) धारा 6 की उपधारा (8) के अधीन उपखंड स्तर की समिति, जिला स्तर की समिति और राज्य स्तर की मॉनीटरी समिति के सदस्यों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले राज्य सरकार के राजस्व विभाग, वन विभाग और जनजाति मामले विभाग के अधिकारियों का स्तर;

(घ) धारा 6 की उपधारा (9) के अधीन उपखंड स्तर की समिति, जिला स्तर की समिति और राज्य स्तर की मॉनीटरी की संरचना और उसके कृत्य तथा उनके द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;

(ड़) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाए,

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए आने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा. यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो वह नियम ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा. यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए जो तत्पश्चात् वह नियम, यथास्थिति, केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी

होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा; तथापि, ऐसे किसी परिवर्तन या निष्प्रभाव होने से उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

——00——

मध्यप्रदेश शासन

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

मंत्रालय

क्रमांक / व.अधि./08/1047 भोपाल, दिनांक 10 जून, 2008

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स,
मध्यप्रदेश।

विषय : अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2008 के अंतर्गत सामुदायिक अधिकारों के दावों सम्बंधी प्रक्रिया।

अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि प्राप्त सामुदायिक दावों की संख्या नगण्य है, जो कि चिंताजनक है। अतः कृपया अपने स्तर पर समस्त उपखण्ड स्तर समिति के अध्यक्ष, वन विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के समिति सदस्यों की एक बैठक शीघ्र बुला ली जावे, जिसमें उन्हें निम्नानुसार निर्देश दिये जायें:-

1. राजस्व ग्राम के बाजिबुल अर्ज एवं निस्तार पत्रक से छांटकर समस्त वन भूमियों/छोटे-बड़े झाड़ के जंगल पर परम्परा से कायम कोई भी रूढ़ि या निस्तार के अधिकार की जानकारी संकलित कर ली जाए। इसी प्रकार वन विभाग की निस्तार पुस्तिका से अधिसूचित वन क्षेत्र में जो भी निस्तार के अधिकार परम्परा से चले आ रहे हैं उनकी जानकारी भी ग्रामवार तैयार कर ली जाए। इस संकलित जानकारी की एक प्रति सम्बंधित ग्राम सभा / ग्राम पंचायत सचिव को उपलब्ध करायी जाए और उन्हें सलाह दी जाए कि वे इनसे सम्बंधी सामुदायिक अधिकार के दावे निर्धारित प्रपत्र में तत्काल प्रस्तुत कर दे ताकि उनका सत्यापन होकर मान्य करने की कार्यवाही हो सके।

2. इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे सामुदायिक अधिकार हो सकते हैं जो न तो निस्तार पत्रक में है और न ही वन विभाग की निस्तार पुस्तिका में दर्ज है। अतः ग्राम सभा को यह स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि किसी भी वन भूमि में किसी भी प्रकार की पूजा/प्रार्थना से सम्बंधित स्थल तक जाने-आने का अधिकार शवदाह/कब्रिस्तान का अधिकार, बैठक/चौपाल करने का अधिकार, जड़ी-बूटियों/महुआ फूल आदि के प्रसंस्करण करने वाली जगह पर सामुदायिक अधिकार इत्यादि के लिए भी पृथक से सामुदायिक अधिकार का दावा करना होगा। इससे भविष्य में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति से बचा जा सकेगा। इसमें किसी जंगली नदी/नाले के किनारे नहाने, कपड़े धोने, मवेशियों को पानी पिलाने आदि जैसे अधिकार भी शामिल समझे जाना चाहिए।

2. इस बैठक के बाद सामुदायिक अधिकार के दावों की प्राप्ति और उनके सत्यापन/निराकरण की सतत मॉनीटरिंग भी सुनिश्चित की जाए। यह एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि किसी भी आदिवासी/वन निवासी समुदाय का कोई भी वन भूमि सम्बंधी सामुदायिक अधिकार अज्ञानतावश रिकार्ड होने/मान्यता प्राप्त करने से वंचित न रह जाए।

(ओ.पी.रावत)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

क्रमांक / व.अधि./08/1047 भोपाल, दिनांक 10 जून, 2008

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, आदिम जाति कल्याण विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. निज सचिव, माननीय राज्यमंत्रीजी, आदिम जाति कल्याण विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल।
4. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, म.प्र.शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, गृह विभाग।
6. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
7. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वन विभाग भोपाल।
8. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग, भोपाल
9. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, राजस्व विभाग भोपाल।
10. समस्त सम्भागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
11. सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग भोपाल।
12. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग।
13. आयुक्त, आदिवासी विकास, म.प्र.।
14. समस्त डी.एफ.ओ. मध्यप्रदेश।
15. संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, मध्यप्रदेश।
16. संभागीय उपायुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग।
17. सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग..... मध्यप्रदेश।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन

क्रमांक एफ 22/62/08/10-3 भोपाल,दिनांक 11 जुलाई, 2008

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
मध्य प्रदेश

विषय: भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचित निजी भूमि को संरक्षित वन दर्शाया जाना।

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 490 सत्र जुलाई 2008 में प्राप्त उत्तर के परीक्षण से ज्ञात हुआ है कि प्रदेश के 22 वनमण्डलों में भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 की अधिसूचना में सम्मिलित ऐसी निजी भूमि, जिनके मुआवजे का भुगतान नहीं हुआ है, को वनमंडलों की कार्य आयोजनाओं में संरक्षित वन के रूप में दर्शाया गया है।

2. भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 3 के अनुसार राज्य शासन केवल उसी वनभूमि या परती भूमि को आरक्षित वन अधिसूचित कर सकता है, जो राज्य शासन की सम्पत्ति है अथवा उस पर राज्य शासन का साम्पत्तिक/अनापत्तिक अधिकार हैं अथवा जिसकी सम्पूर्ण वनोपज या उसके भाग पर राज्य सरकार का अधिकार है। आरक्षित वन गठन हेतु भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 में अधिसूचित निजी भूमि पर राज्य शासन का साम्पत्तिक अधिकार तब तक स्थापित नहीं होता है, जब तक भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 11 (2) (iii) के अनुसार भू अर्जन अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत राज्य शासन के पक्ष में उसका अर्जन न कर लिया जावे। इस भू अर्जन के बाद भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 19 तक की कार्यवाही पूर्ण होने पर ऐसी भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 20 के अन्तर्गत आरक्षित वन घोषित किया जाता है, न कि भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन। अतः भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 में अधिसूचित ऐसी निजी भूमियों को संरक्षित वन के रूप में दर्शाया जाना त्रुटिपूर्ण है।

3. उक्त त्रुटि को दूर करने के लिये निर्देशित किया जाता है कि:-

i. भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 में अधिसूचित ऐसी भूमि, जो निजी भूमि है तथा जिसके भू अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं की गयी है, को कार्य आयोजना में निजी भूमि के रूप में ही दर्शाया जाये। इस हेतु जो तालिका कार्य आयोजना में बनेगी उसमें यह दर्शाया जावेगा कि **"भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 में अधिसूचित निजी भूमियों की सूची।"**

ii. भू अर्जन की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त ऐसी निजी भूमि शासकीय भूमि हो जाने के कारण उसे कार्य आयोजना में उस समय तक शासकीय भूमि दर्शाई जावे, जब तक भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 20 के अन्तर्गत उसे आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित करने की कार्यवाही पूर्ण न हो जाये।

iii. यदि ऐसी किसी निजी भूमि को संरक्षित वन बनाने की अधिसूचना भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत जारी हो गयी हो, तो अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रति सहित राज्य शासन की जानकारी में लाया जाये।

iv. प्रत्येक प्रकरण का परीक्षण कर यह ज्ञात करें कि भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–4 में अधिसूचित निजी भूमि, जिसके अर्जन की प्रकिया अभी तक पूर्ण नहीं हुई है, उसे कार्य आयोजना में संरक्षित वन के रूप में किस आधार पर दर्शाया गया है?

v. उक्त निजी भूमियों पर भूमि स्वामी अपने अधिकारों का उपयोग निर्बाध रूप से कर रहे हैं या नहीं? अगर कोई बाधा हो तो उसका विस्तृत विवरण दें।

vi. निजी भूमि के वृक्षों एवं अन्य वनोपज का विदोहन किस तरह किया जा रहा है तथा उससे प्राप्त राशि का भुगतान भूमि स्वामी को किया जा रहा है या नहीं? धारा–4 की अधिसूचना दिनांक से वर्ष 2008 तक इसका वर्षवार पूर्ण ब्यौरा दें।

4. **उपरोक्त निर्देशों का पालन प्रतिवेदन राज्य शासन को उपलब्ध कराने के कष्ट करें।**

(रसन पुरवार)
सचिव
म0प्र0शासन वन विभाग

पृ0क्रमांक एफ 22/82/08/10–3 · भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2008

प्रतिलिपि–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना, भोपाल
2. मुख्य वन संरक्षक, वन भू अभिलेख, भोपाल
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना) भोपाल, जबलपुर एवं इंदौर
4. समस्त वन संरक्षक (क्षेत्रीय/वन्यप्राणी/कार्य आयोजना/अनुसंधान एवं विस्तार)
5. समस्त वनमंडलाधिकारी (क्षेत्रीय/वन्यप्राणी)

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव
म0प्र0शासन वन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन

क्रमांक/2756/R 2674/10-3/09 भोपाल, दिनांक 05 दिसम्बर, 2009

प्रति,

समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश

विषयः वन भूमि के अधिकारों की व्यवस्थापन।

--00--

भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 के अन्तर्गत आरक्षित वन बनाने के विनिश्चय की अधिसूचना जारी की जाती है, जिसके पश्चात् वन व्यवस्थापन अधिकारियों को शेष कार्यवाही करनी होती है। वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत भी अधिकारो का निर्धारण करना होता है जिसके लिए कलेक्टर ही सक्षम अधिकारी है।

2. वर्ष 1988 में समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को वन व्यवस्थापन अधिकारी बनाया गया है, तथा वन व्यवस्थापन अधिकारियों के लिये मार्गदर्शी सिद्धांत भी साथ में भेजे गये है।

3. भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचित भूमि को आरक्षित वन बनाये जाने हेतु 46 जिलों के 6,520 वनखण्डों में सम्मिलित 3,004,624 हेक्टेयर भूमि के व्यवस्थापन की कार्यवाही प्रचलित है।

4. इसी तरह वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण के 736 ग्रामो में सम्मिलित भूमियों पर अधिकारों, के विनिश्चय की कार्यवाही की जाना है। प्रचलित प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय उद्यानों में स्थित सभी ग्रामो को पुर्नवासित किया जाना वैधानिक दृष्टि से आवश्यक है। संरक्षित क्षेत्रो मे स्थित इन ग्रामों मे निवासरत ग्रामीणों के अधिकारो का विनिश्चियन जब तक नहीं हो जाता तब तक उन्हें पुर्नवासित किया जाना संभव नहीं है।

5. भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 एवं वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 के अन्तर्गत अभ्यारण्य एवं इसी अधिनियम की धारा 35 के अन्तर्गत राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा मे सम्मिलित भूमियों में किसी व्यक्ति के अधिकारो के दावों के व्यवस्थापन के कार्यो मे संबंधित कलेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

6. प्रदेश में वर्ष 1988 से विभिन्न कारणों से वन व्यवस्थापन के कार्य में प्रगति नहीं हुई है। इस दिशा में वांछित प्रगति लाने हेतु वन व्यवस्थापन अधिकारियों हेतु मार्गदर्शी निर्देश 2009 तैयार किये गये है, जो आपको ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर भेजे जा रहे है।

7. यह अपेक्षा की जाती है कि कलेक्टर अपने जिले के अन्तर्गत चल रहे वन व्यवस्थापन के कार्यों की नियमित समीक्षा करें एवं कार्यों में गति लाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

(प्रशान्त मेहता)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ0/क्रमांक 2757/R [illegible] [illegible]
प्रतिलिपि

1. [illegible]
2. [illegible] दिनांक 04.12.09 [illegible]
3. [illegible]

अपर मुख्य सचिव
म0प्र0शासन, वन विभाग

मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण), क्रमांक 231, भोपाल,

दिनांक 9 मई 2012– वैशाख 19, शक 1934 में प्रकाशित

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 9 मई 2012

क्र. 2679–182–इक्कीस–अ–(प्रा.).– भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्य प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्य प्रदेश अध्यादेश

क्रमांक 2 सन् 2012

मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) संशोधन अध्यादेश, 2012

("मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण)", में दिनांक 9 मई, 2012 को प्रथम बार प्रकाशित किया गया.)

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

मध्य प्रदेश ग्रामों में की दखल रहित भूमि (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1970 को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

यतः राज्य के विधान–मण्डल का सत्र चालू नहीं है और मध्य प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरन्त कार्रवाई करें;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्य प्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :–

संक्षिप्त नाम

22. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) संशोधन अध्यादेश, 2012 है.

मध्य प्रदेश अधिनियम क्रमांक 26 सन् 1970 का अस्थायी रूप से संशोधित किया जाना

23. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, मध्य प्रदेश ग्रामों में की दखल रहित भूमि (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1970 (क्रमांक 26 सन् 1970) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है), धारा 3 तथा 4 में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा.

धारा 3 का संशोधन

24. मूल अधिनियम की धारा 3 में, अंक तथा शब्द "23 जून, 1980" के स्थान पर, अंक तथा शब्द "31 दिसम्बर, 2011" स्थापित किया जाएं,

25. मूल अधिनियम की धारा 5 में, अंक तथा शब्द "23 जून, 1980" के स्थान पर, अंक तथा शब्द "31 दिसम्बर, 2011" स्थापित किए जाएं. **धारा 5 का संशोधन**

भोपाल :

तारीख : 6 मई, सन् 2012

रामनरेश यादव

राज्यपाल

मध्य प्रदेश.

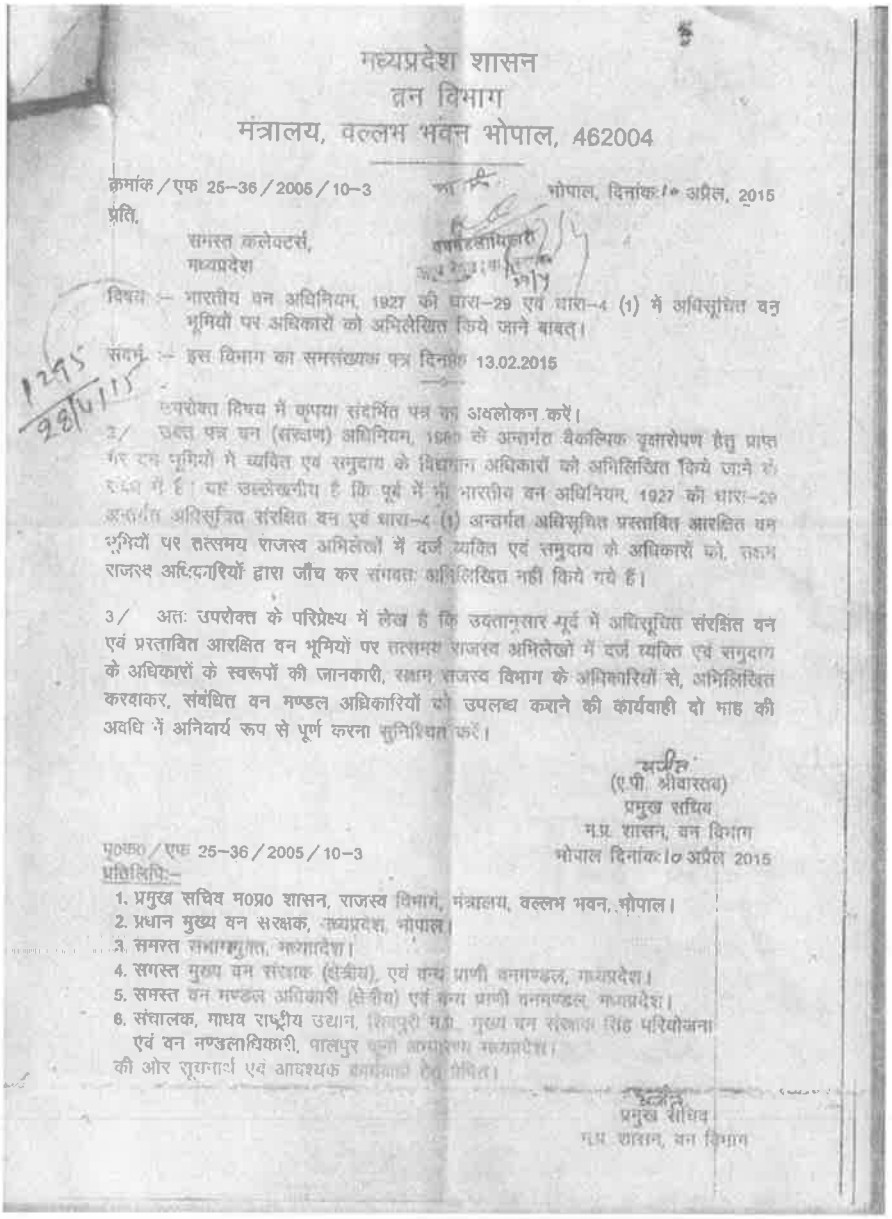

मध्यप्रदेश शासन

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल, 462004

क्रमांक / एफ 25-36 / 2005 / 10-3 भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल, 2015

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स,
मध्यप्रदेश

विषय :– भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 एवं धारा-4 (1) में अधिसूचित वन भूमियों पर अधिकारों को अभिलेखित किये जाने बाबत्।

संदर्भ :– इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 13.02.2015

उपरोक्त विषय में कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें।

2/ उक्त पत्र वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त गैर वन भूमियों में व्यक्ति एवं समुदाय के विद्यमान अधिकारों को अभिलिखित किये जाने के संबंध में है। यह उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 अन्तर्गत अधिसूचित संरक्षित वन एवं धारा-4 (1) अन्तर्गत अधिसूचित प्रस्तावित आरक्षित वन भूमियों पर तत्समय राजस्व अभिलेखों में दर्ज व्यक्ति एवं समुदाय के अधिकारों को, सक्षम राजस्व अधिकारियों द्वारा जाँच कर संभवतः अभिलिखित नहीं किये गये हैं।

3/ अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में लेख है कि उपरानुसार पूर्व में अधिसूचित संरक्षित वन एवं प्रस्तावित आरक्षित वन भूमियों पर तत्समय राजस्व अभिलेखों में दर्ज व्यक्ति एवं समुदाय के अधिकारों के स्वरूपों की जानकारी, सक्षम राजस्व विभाग के अधिकारियों से, अभिलिखित करवाकर, संबंधित वन मण्डल अधिकारियों को उपलब्ध कराने की कार्यवाही दो माह की अवधि में अनिवार्य रूप से पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

सही/-
(ए.पी. श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन, वन विभाग

पृ0क्र0 / एफ 25-36 / 2005 / 10-3 भोपाल दिनांक 10 अप्रैल 2015

प्रतिलिपि:–

1. प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
4. समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), एवं वन्य प्राणी वनमण्डल, मध्यप्रदेश।
5. समस्त वन मण्डल अधिकारी (क्षेत्रीय) एवं वन्य प्राणी वनमण्डल, मध्यप्रदेश।
6. संचालक, माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी म.प्र., मुख्य वन संरक्षक सिंह परियोजना एवं वन मण्डलाधिकारी, पालपुर कूनो अभ्यारण्य मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सही/-
प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन, वन विभाग

मध्य प्रदेश शासन
मुख्य सचिव कार्यालय,
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

कमांक 974/F21-08/2007/1-3 भोपाल, दिनांक 1 जून 2015

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

विषयः– आरक्षित वन खण्डों का गठन ।

भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 3 द्वारा राज्य शासन को यह अधिकार दिये गये हैं कि वह किसी वन भूमि अथवा अनुपयोगी भूमि (वेस्ट लेण्ड) को जिसमें अथवा जिसकी वनोपज में उसे संपत्ति के अधिकार पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से प्राप्त हैं, उसे अधिनियम के अध्याय 2 में उल्लिखित प्रकिया अनुसार आरक्षित वन खण्ड के रूप में गठित कर सकेगा । अध्याय 2 में उल्लिखित प्रकिया अनुसार राज्य शासन द्वारा विभिन्न वन भू–खण्डों तथा अनुपयोगी भू–खण्डों का गठन आरक्षित वन खण्डों के रूप में करने के आशय की अधिसूचना धारा 4 अंतर्गत प्रकाशित की जायेगी । धारा 4 अंतर्गत आरक्षित वन खण्ड गठन के आशय की अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् धारा 6 से धारा 18 तक में उल्लिखित प्रकिया का पालन करते हुये धारा 20 अंतर्गत आरक्षित वन खण्ड गठन संबंधी अधिसूचना का प्रकाशन अपेक्षित है ।

2/ वर्तमान में लगभग 6500 वन खण्ड, जिनका कुल क्षेत्रफल लगभग 30 लाख हेक्टेयर है, का गठन आरक्षित वन खण्ड के रूप में किये जाने बाबत् राज्य शासन के विनिश्चयन के आशय की अधिसूचना का प्रकाशन भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 में किया गया है । परंतु अधिनियम की धारा 6 से धारा 18 तक की विधिक कार्यवाही पूर्ण न होने के कारण इन वन खण्डों का आरक्षित वन खण्ड के रूप

में गठन करने संबंधी अधिसूचना का प्रकाशन धारा 20 के अंतर्गत नहीं किया जा सका है ।

3/ अधिनियम की धारा 3 अनुसार राज्य शासन को केवल ऐसे भू–खण्डों को आरक्षित वन खण्ड घोषित करने हेतु ही विधिक अधिकार प्राप्त हैं जिन भू–खण्डों अथवा उनकी वनोपज पर राज्य शासन को पूर्ण या आंशिक संपत्ति के अधिकार प्राप्त हैं । राज्य शासन का ध्यान जन–प्रतिनिधियों द्वारा समय–समय पर इस बिंदु पर आकृष्ट किया गया है कि राज्य शासन द्वारा धारा 4 अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना में ऐसे भू–खण्डों का भी त्रुटिवश समावेश हो गया है जो पूर्णतः निजी स्वामित्व के हैं। ऐसे भू–खण्डों का गठन आरक्षित वन के रूप में करने के विधिक अधिकार अधिनियम की धारा 3 अनुसार राज्य शासन में वेष्ठित न होने से ऐसे भू–खण्डों को धारा 20 अंतर्गत आरक्षित वन खण्ड गठन की अधिसूचना जारी करते समय आरक्षित वन खण्ड से पृथक रखना एक वैधानिक अनिवार्यता है । अतः वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्यरत अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व से यह अपेक्षा है कि वह अधिनियम की धारा 11 उप धारा 2 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये ऐसे पूर्णतः निजी स्वामित्व के भू–खण्डों को प्रस्तावित आरक्षित वन खण्ड से पृथक रखने की कार्यवाही करे। की गई कार्यवाही की मासिक प्रगति संलग्न प्रपत्र 'अ' में उपलब्ध कराया जाना है।

4/ यदि प्रस्तावित आरक्षित वन खण्ड में सम्मिलित किसी भू–खण्ड पर निजी अधिकार आंशिक रूप से मौजूद हैं तो निजी व्यक्ति द्वारा अपने अधिकारों का राज्य शासन के पक्ष में स्वेच्छा से समर्पण करने पर उसे प्रस्तावित आरक्षित वन खण्ड में शामिल रखा जा सकता है, अन्यथा उसे अधिनियम की धारा 11 उपधारा 3 अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये अर्जित करने की कार्यवाही की जा सकती है परंतु ऐसी विधिक प्रकिया हेतु भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 11अ अनुसार निश्चित समय–सीमा निर्धारित है, जिसके उपरांत अनिवार्य– भू–अर्जन की कार्यवाही स्वमेव समाप्त हो जाती है । अतः ऐसे भू–खण्ड जिसमें शासन का संपत्ति का अधिकार आंशिक रूप से है तथा आंशिक रूप से निजी व्यक्तियों का संपत्ति पर अधिकार है, तो उन भू–खण्डों को निजी व्यक्तियों के संपत्ति के अधिकार के भू–अर्जन अधिनियम, 1894 अंतर्गत अनिवार्य अर्जन की कार्यवाही भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 अंतर्गत पुनः अधिसूचना प्रकाशन के पश्चात् ही की जा सकेगी। भू–अर्जन अधिनियम, 1894 के निरसन पश्चात् भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की संबंधित धारा अंतर्गत उपरोक्त कार्यवाही की जायेगी।

5/ आरक्षित वन खण्ड गठन संबंधी विधिक कार्यवाही लंबे समय से लंबित रहने के कारण लगभग एक लाख ग्रामीण कृषि भूमि पर अपने विधिक अधिकारों का सम्यक रूप से अधिभोग नहीं कर पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त आरक्षित वन खण्ड के गठन की कार्यवाही पूर्ण न होने से इन वन खण्डों के प्रबंधन में भी व्यवहारिक कठिनाई अनुभव की जा रही है । अतः राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि अध्याय दो अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही को प्राथमिकता से पूर्ण करने के लिये एक विशेष अभियान चलाया जाये जिसमें ऐसे भू-खण्डों पर विधिक कार्यवाही सर्वोच्च प्राथमिकता से पूर्ण की जाये जिनमें पूर्णतः निजी स्वामित्व की भूमि का त्रुटिवश समावेश हो गया है ।

6/ अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत आरक्षित वन खण्ड की अधिसूचना हेतु प्रस्ताव संबंधित संभागायुक्त के माध्यम से ही प्रेषित किये जाएंगे जिसकी प्रतिलिपि प्रधान मुख्य वन संरक्षक को दी जायेगी।

29/5/15

(अॅन्टोनी डिसा)
मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन

पृ0क्र0 972/F 25-08/2015/10-3 भोपाल, दिनांक । जून 2015

प्रतिलिपिः-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
2. समस्त संभाग आयुक्त, मध्यप्रदेश ।
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), मध्यप्रदेश ।
4. समस्त वन मंडलाधिकारी (क्षेत्रीय), मध्यप्रदेश ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,

प्रपत्र "अ"

भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र में शामिल निजी भूमि के संबंध में की गई कार्यवाही की तहसील वार प्रगति

माह...../वर्ष.....

जिला ..... वन मण्डल ..... उप खण्ड (राजस्व) ..... तहसील.....

क्र	धारा 4 में अधिसूचित प्रस्तावित वन खण्ड का विवरण			धारा 6 अंतर्गत उद घोषणा कमांक व दिनांक	धारा 4 में अधिसूचित प्रस्तावित वन खण्ड में शामिल निजी क्षेत्र का विवरण						वन खण्ड की धारा 4 में अधिसूचना पश्चात् वर्ष 1976 तक के अतिक्रमाकों का वर्ष 1990–91 में व्यवस्थापन उपरांत निर्वनीकरण (denotiification) का विवरण			योग (11+14)	वन विभाग द्वारा संधारित एरिया रजिस्टर में निजी क्षेत्र को दर्ज करने का दिनांक	निजी क्षेत्र की वन विभाग के 1:15000 नक्शों पर अंकन की स्थिति (हॉ/नहीं) हॉ की स्थिति में दिनांक	वन विभाग द्वारा संधारित एरिया रजिस्टर में दर्ज डीनोटिफाइड क्षेत्र को दर्ज करने का दिनांक	डीनोटिफाइड क्षेत्र की वन विभाग के 1:15000 नक्शों पर अंकन की स्थिति (हॉ/नहीं) हॉ की स्थिति में दिनांक	रिमार्क
	अधिसूचना कमांक एवं दिनांक	वनखण्ड का नाम	अधिसूचित क्षेत्रफल		ग्राम का नाम	भूमि स्वामी	खसरा कमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)			व्यवस्थापित व्यक्ति का नाम	खसरा न. (अगर है तो)	डीनोटिफाइड वन क्षेत्र (हेक्टेयर में)						
								शासन का आंशिक अधिकार	अधिकार रहित	योग									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

अनिल गर्ग

सामाजिक-राजनैतिक कार्यकर्ता, लेखक, शोधार्थी और वकील

जंगल-जमीन के मामलों का ऐतिहासिक अध्ययन

लोगों के हकों की लड़ाई के लिए संघर्षरत

बैतूल के एक राजनैतिक परिवार में जन्म। वकालत उन्हें विरासत में मिली। वकालत को लोगों के अधिकार के लिए अपना माध्यम बनाया। संघर्ष की शुरूआत में पत्रकारिता भी की, और कई प्रतिष्ठित अखबारों में लेखों ने खलबली मचाई। किसी एक विषय पर महारत हासिल करने के लिए जंगल-जमीन को अपने अध्ययन के केन्द्र में लाए। केवल भावनात्मक आधार पर नहीं, पूरा अध्ययन तथ्यात्मक दृष्टिकोण से, दस्तावेजों के आधार पर किया। लोगों के बीच '**काका**' नाम से ख्यात अनिल गर्ग की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वह हमेशा तथ्यों, और संदर्भों के साथ अपनी बात रखते हैं। जंगल-जमीन के मामलों में वह म.प्र. और छत्तीसगढ़ के चुनिंदा विशेषज्ञों में शुमार हैं। कभी अपने सिद्धांतों से समझौता न करने वाले काका अपनी बेबाक बोली के कारण कई लोगों से अपने संबंध खराब करने के लिए भी जाने जाते हैं, बावजूद इसके वह बोलना नहीं छोड़ते। यही उनकी शैली है। काका के कड़क मिजाज के पीछे एक बेहतरीन इंसान है, जो आमजन के दुख-दर्द को लेकर बेहद संजीदा है।

एकता परिषद की पदयात्रा के दौरान पदयात्रा के संदर्भ में अनिल जी ने पांच किताबें लिखीं। वन अधिकार बिल पारित होने पर 'जंगल, जमीन, ऐतिहासिक अन्याय, जिम्मेदार कौन' शीर्षक से किताब लिखी। एकता परिषद की 2007 की यात्रा के दौरान भी उन्होंने एक किताब लिखी। विंध्य और बुंदेलखंड के भूमि विवादों पर एक किताब प्रकाशित हुई। राज्यपाल और राष्ट्रपति की याचिकाओं पर एक किताब लिखी। एक किताब 'ऑरेंज एरिया' अंग्रेजी में भी प्रकाशित हुई।

अनिल गर्ग के बेटे निकुंज ने वकालत की पढ़ाई पूरी कर ली है और अब वह जंगल-जमीन के मामलों पर काम को आगे बढ़ा रहे हैं। बेटी पलक गर्ग ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली है और वह अपने कैरियर को आगे बढ़ा रही है। जीवन संगिनी उमा गर्ग का हर कदम पर साथ मिला।